राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: **3** सोलहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का उनतालीसवां दिवस संख्या: 18

सोमवार,

10 मार्च 2025

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या: 350

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल। महन्त बालकनाथ।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री रेवन्तराम डांगा।

खींवसर में प्रस्तावित सीमेंट प्लांट में युवाओं को रोजगार

351. श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खींवसर के ग्राम ताडावास, बैरावास में प्रस्तावित सीमेंट प्लांट में स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): किसी औद्योगिक इकाई में नियोजित व्यक्ति स्थानीय/गैर स्थानीय दोनों ही हो सकते है, जो कि किसी निजी इकाई के निर्णय पर निर्भर करता है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक इकाईयों में स्थानीय लोगों के नियोजन के लिए रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करनेके उद्देश्य से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2024 योजनान्तर्गत श्रेणीवार पात्र उद्यमों के लिए रोजगार सृजन अनुदान के रूप में निम्नलिखित लाभ सात वर्ष के लिए देय हैं:-

उद्यम में कार्यरत कुल कार्मिकों की संख्या के 75 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष कार्मिक राजस्थान अधिवासी नियोजित होने की स्थिति में समस्त कार्मिकों के ईपीएफ एवं ईएसआई में नियोक्ता के अंशदान की 75 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण किया जाएगा।

कुल कार्मिकों में राजस्थान अधिवासी कार्मिक 75 से कम हैं तो केवल उद्यम में कार्यरत स्थानीय कार्मिकों के ही ईपीएफ एवं ईएसआई में नियोक्ता के अंशदान की 50 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण किया जाएगा।

कार्यवाही वृत्तान्त में प्रयुक्त संकेताक्षर

+++: शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

000: अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यही है कि क्या सरकार स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देना अनिवार्य करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे और कब तक?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर इम्फेसिस दिया जा रहा है अनिवार्य पर। सरकार इम्फेसाइज और फोकस कर रही है प्रोत्साहित करने में। मुझे लगता है अन्तर यही है बाकी प्रश्न का उत्तर वही है।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): धन्यवाद, साहब।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री पब्बाराम विश्नोई। आप विराजे हुए हो, मैं अभी अगला नाम पुकार लेता। बोलिये।

फलौदी के विद्यालयों में रिक्त पद

352. श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:- (1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में संचालित राजकीय विद्यालयों में संवर्गवार स्वीकृत व रिक्त पदों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) विधानसभा क्षेत्र फलौदी में संचालित राजकीय विद्यालयों में संवर्गवार स्वीकृत व रिक्त पदों का संख्यात्मक विवरण माध्यमिक शिक्षा का परिशिष्ट क पर व प्रारम्भिक शिक्षा का परिशिष्ट ख पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभागीय पदोन्नति समिति, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने से रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरा जा सकेगा।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो पश्चिमी राजस्थान का बॉर्डर लगता है वहां पर प्रिंसिपल 115 में से 28 मौजूद हैं, वाइस प्रिंसिपल 80 में से 9 ही हैं, ग्रेड II के 581 में 394, लैब असिस्टेंट 28 में से 14 इस तरह की स्थिति बना दी है। जिस समय में पिछली सरकार में 2013 से 2018 में आप जब शिक्षा मंत्री थे उस समय में 70 से 80 प्रतिशत सारे भरे हुए थे। अब पिछले कार्यकाल के इनके कुकर्मों का दंश हम भोग रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स प्लग हो रहे हैं वहां शहर के अन्दर डम्प कर दिया। अपने-अपने को शहर के आस-पास में लगा दिया और हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र में यह परिस्थिति बना रखी है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आप पिछले कार्यकाल में जो स्टाफिंग पैटर्न, यानी कि जितने स्टूडेंट्स हों उसके आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति और काउन्सलिंग के द्वारा क्या समान शिक्षकों का

अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं या नहीं नहीं? और नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सच कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन पदों को नहीं भरा और उसके कारण से वहां के विद्यार्थियों को बहुत सफर करना पड़ा। अब हमारे पास अभी ...(व्यवधान)... हां-हां, सुन लो।

श्री अध्यक्ष: उत्तर आने दो।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): अभी हमारे पास हमने 5114 की डी.पी.सी. रिव्यु डी.पी.सी. कर ली है इसमें हमारे पास पर्याप्त हैं। हम शीघ्र ही इनको नियुक्ति देने वाले हैं। हम राजस्थान भर में समान अनुपात में इनको लगायेंगे तो माननीय सदस्य से मेरा आग्रह है कि समान अनुपात में आपके यहां प्रिंसिपल के पद भर दिये जायेंगे और जिलों की अपेक्षा किसी प्रकार की कमी नहीं रखी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब अंग्रेजी विद्यालय खोले गये तो उस समय में वहां से स्टूडेंट्स कम हो गये और शिक्षकों को उठा कर दूसरी जगह कर दिया, न अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं अब उसका भी तो कुछ करो। अंग्रेजी विद्यालयों की समीक्षा करवा करके जहां पर जनता नहीं चाहती वहां के अभिभावक नहीं चाहते क्या उसकी समीक्षा करके उसको हिन्दी विद्यालय में कन्वर्ट करने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि जब इन्होंने एक बोर्ड लटकाया हिन्दी विद्यालय के ऊपर कि अंग्रेजी विद्यालय हो गया है लेकिन वहां पर न तो इन्होंने पद सृजित किये हैं न किसी प्रकार का भवन दिया है बल्कि दो कमरों को जो पहले चलता था उसी के ऊपर बोर्ड लटका दिया है। इसके कारण से कई विद्यार्थी स्कूल छोड़ गये हैं और छात्राओं के साथ में तो इतना अन्याय किया है कि जिस प्रकार से राजस्थान सरकार छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए पढ़ाना चाहती थी लेकिन उसको को-एजुकेशन में कर दिया है।

श्री अध्यक्ष: उनके प्रश्न का भी उत्तर दे दो।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): हां, वो ही कह रहा हूं। कई बच्चियां साथ में नहीं पढ़ना चाहती थीं, लेकिन नजदीक में स्कूल नहीं था तो वहां भी नहीं जा पाये तो वो विद्यालय छोड़ गई हैं। इसके कारण, अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते थे तो बच्चे भी छोड़ गये हैं यानी छात्र भी छोड़ गये, छात्राएं भी छोड़ गईं और उसके कारण से नामांकन कम हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं हुआ बल्कि उनके रिजल्ट में काफी कटौती हुई क्योंकि वहां पढ़ाने वाले थे ही नहीं क्योंकि इन्होंने अध्यापक तो दिये ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उनके प्रश्न का उत्तर दे दो।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): पद सृजित किये ही नहीं। आधे तो हिन्दी पढ़ाने वाले रह गये, आधे अंग्रेजी पढ़ाने वाले। इसलिये कांग्रेस के लोगों ने इतना अन्याय किया है और

माननीय मुख्य मंत्री जी ने मंत्री मंडलीय उप समिति बना दी है वह इसकी समीक्षा कर रही है और जो छात्रों के हित में जनहित में होगा, वह निर्णय करेंगे, परन्तु कांग्रेस ने अंग्रेजी विद्यालयों का बोर्ड लटका करके छात्रों को अन्धेरे में रखा ओर बंटाढार कर दिया इस शिक्षा का। ...(व्यवधान)... कांग्रेस ने बंटाढार कर दिया इस शिक्षा का।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो पूछा है उसका जवाब तो आया नहीं और पूरा भाषण ठोक दिया। डेढ़ साल हो गयी इनको। कर लो समीक्षा डेढ़ साल हो गयी कब करोगे? पूरा सत्र निकल गया।

श्री अध्यक्ष: विराजो।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): आपके पापों को धोने में टाइम लगता है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पूरी साल हो गयी आपको। ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): आपके पापों को धोने में टाइम लगता है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रफीक खान।

मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के लाभार्थी

353. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या मुख्य मंत्री अनुप्रति योजना वर्तमान में चालू है? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में लाभान्वितों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना में लाभार्थियों को छात्रावास सुविधा हेतु भुगतान किया जाता है? यदि हां, तो क्या वित्तीय वर्ष 2023-24 के लाभार्थियों को भुगतान किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): (1) जी हां। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना वर्तमान में संचालित की जा रही है। उक्त योजना को अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता एवं जवाबदेहिता के साथ परिणामोन्मुखी बनाने तथा योजनान्तर्गत निर्धारित 30000 सीटों के लक्ष्य को शत-प्रतिशत हासिल करने के उद्देश्य से योजना के दिशा-निर्देशों में आवश्यक सुधार एवं संशोधन कर विभागीय परिपत्र क्रमांक 20930 दिनांक 13.11.2024 एवं विभागीय पत्र क्रमांक 21178 दिनांक 15.11.2024 के द्वारा योजना के संशोधित नवीनतम विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई। विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी कर सत्र 2024-25 में योजनान्तर्गत सूचीबद्ध होने हेतु इच्छुक कोचिंग संस्थानों से आनलाईन प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए दिनांक 20.11.2024 से पोर्टल प्रारम्भ कर नियमानुसार पात्र एवं योग्य कोचिंग संस्थाओं को सूचीबद्ध कर लिया गया। तदुपरान्त विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी कर इच्छुक अभ्यर्थियों से आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए दिनांक 01.02.2025 से पोर्टल प्रारम्भ कर अंतिम तिथि 23.02.2025 तक कुल 67427 आवेदन प्राप्त हुए है, जिनकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट विभाग द्वारा जारी की जा चुकी है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये बजट प्रावधान

127.10 करोड रुपये है।

(2) जी हां। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागू विभागीय पत्र क्रमांक 33549 दिनांक 10.06.2022 के द्वारा जारी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की संचालन प्रक्रिया के बिन्दु संख्या 12-ए एवं वित्त (व्यय-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 15.06.2021 में यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी, मेडिकल/इंजिनियरिंग प्रवेश, क्लैट, सीए, सीएस एवं सीएमए परीक्षाओं की कोचिंग करने वाले अभ्यर्थियों में से प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में कोचिंग प्राप्त करने वाले वे अभ्यर्थी जो कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर अन्य शहर में आकर रहे उनको आवास/भोजन इत्यादि के लिए प्रतिवर्ष 40000 रुपये का भुगतान किये जाने का प्रावधान है। उक्त संचालन प्रक्रिया के बिन्दु संख्या 12-बी में सम्बंधित लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत किरायानामा/छात्रावास शुल्क रसीद को संबंधित कोचिंग संस्थान द्वारा आनलाइन पोर्टल पर हॉस्टल अलाउंस के विकल्प पर अपलोड करने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत आवास/भोजन इत्यादि हेतु पात्र लाभार्थियों की संख्या, भुगतान किये गये लाभार्थियों की संख्या एवं उनको भुगतान की गई राशि का वर्गवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया।

श्री अध्यक्ष: हां, पूरक प्रश्न पूछें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अनुप्रति योजना के अन्दर फरवरी, 2024 तक सारे रजिस्ट्रेशन हो जाने चाहिये थे और जून, जुलाई तक तमाम भुगतान हो जाना चाहिये था। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कोई भुगतान नहीं हुआ। सारे बच्चों का एक साल खराब हो गया। इसका रेस्पॉसिंबल कौन है और किसको आप क्या सज़ा दे रहे हो? क्या बच्चों के भविष्य की भरपाई हो पायेगी? यह जवाब दें तो मैं अगला प्रश्न पूछूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहता हूं कि इस बहुत महत्वपूर्ण अनुप्रति कोचिंग योजना के माध्यम से किसी छात्र का कोई भविष्य खराब नहीं हुआ, न एक साल खराब हुआ है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आप तो फरवरी तक का बता दो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्तर तो सुन लीजिये। उत्तर सुन लो, फिर आप पूछना। दूसरा प्रश्न आप पूछना।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है, दुबारा रिपीट कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष: उत्तर तो आने दो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): फरवरी तक कितना रजिस्ट्रेशन हुआ और कितने बच्चों

को भुगतान किया गया, जून, जुलाई तक जो भुगतान होना था वह कितने लोगों को भुगतान हुआ और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? फिर अगला प्रश्न पूछूंगा आपसे।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मुख्य मंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है उसमें लक्ष्य हमारा 30 हजार का है। अभी तक ... ...(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अभी तक नहीं फरवरी तक का ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नो। मैं अगला प्रश्न पुकार लूंगा। नो। बैठिये। उत्तर तो सुनना पड़ेगा।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): फरवरी तक का रजिस्ट्रेशन बता दें।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको कह रहा हूं उत्तर सुनिये, फिर दूसरा पूरक प्रश्न पूछना।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): फरवरी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं तो मैं प्रश्न नहीं आने दूंगा। यदि प्रश्न आया है तो उत्तर सुन लीजिये। दूसरा पूरक प्रश्न पूछना है, आपको अनुमति होगी। आपको अनुमति होगी दूसरे पूरक प्रश्न की। बीच में क्यों खड़े हुए हो? दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? मंत्री जी जो देंगे वह सुनना तो पड़ेगा आपको।

Kas/rtm/10.03.2025/11.10/1b

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 हजार के लक्ष्य के विपरीत हमारे पास 67,427, मतलब 225 प्रतिशत के करीब आवेदन आ चुके हैं। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: आप उत्तर सुनिए। अगला प्रश्न। मैं अगला प्रश्न पुकार लूंगा। पहले जो उत्तर दे रहे हैं, वो सुनना पड़ेगा। पूरा सुनिए, फिर आप दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए, आपको मना नहीं है, मैं आपको पूरा अवसर दूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, इन्होंने जो पहला पूछा है ना, उसका ही जवाब दिलवा दें कि फरवरी तक आपने कितने कर दिये और कितने बच्चों का भुगतान आपने कर दिया? बस यही पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप पूरा सुनिए, वो भी देंगे, यह भी तो सुनिए।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा, पहले माननीय सदस्य से यह कहें कि मेरी बात को पूरा सुनें, बिना बात के रोक-टोक करना आवश्यकनहीं है, मैं पूरा उत्तर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: रह जाये तो आप वापस पूछ लेना।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं एक-एक सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैंने यह कहा है कि 30 हजार के लक्ष्य के विपरीत करीब 67 हजार हमारे पास आवेदन आ गये। चूंकि जुलाई में हमने इसी विधान सभा में यह आश्वासन दिया था, 2005-06 में वसुन्धरा जी की सरकार ने इस योजना को लांच किया था, उसके बाद आपने

इसे 2021 में लांच किया। उसमें और सुधार करते हुए, 2021-22 के बाद में कुछ सुधार करने थे, इसलिए हमने उसमें सुधार किये। हमने लगातार विभागीय अधिकारियों के साथ मोनेटरिंग की और इसके दिशा-निर्देश जारी किये। इसमें पहले नॉन रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स भी आते थे, हमने रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स को किया और आज की तारीख में 37 रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स के साथ हमने 67 हजार आवेदन लिये हैं और हमारा यह प्रयास है कि हम 30 हजार के लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त करें, क्योंकि आपके समय में 65 प्रतिशत के करीब 21 हजार लोगों को ही आपने लाभान्वित किया था। ....(व्यवधान).... एक मिनट। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप जहां तक भुगतान की बात कर रहे हैं, मेरे पास पूरा आंकड़ा है, मैं आपको निवेदन करता हूं, वर्ष 2021-22 में जिस एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, माइनोरिटी, इनमें 2023-24 में 30 हजार के लक्ष्य के विरुद्ध हमने 21,217 को लाभान्वित किया था, उसका कुल भुगतान हमने 127.10 करोड़ की एवज में 101.74 करोड़ रुपये कर चुके हैं। माननीय सदस्य जिस देरी की बात कर रहे हैं, वह इसलिए देरी हो रही है कि हमने कुछ दिशा-निर्देश नये जारी किये हैं, जिसमें उसका परिणाम, उसकी रेपुटेशन और इंस्टीट्यूट का टर्न ओवर, ऐसे तीन-चार हमें गुणात्मक सुधार करने थे, हमने उसमें सुधार किये, इस कारण से लेट हुआ। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्षः उत्तर तो आने दो। उत्तर में मैं थोड़े ही कहूंगा कि यह बोलो, यह मत बोलो। आप बाद में पूछ लेना।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सुनो ना। ....(व्यवधान).... 2024-25 के सत्र की कोचिंग अप्रैल माह से शुरू हो जायेगी। चूंकि यह तीन साल के लिये इम्पीलीमेंट हुआ, 2024-25, 2025-26 में 209 करोड़ का हमारा प्रोविजन है, यह हमारा अनुमानित व्यय होगा और 2024-25 के अप्रैल माह में और 2025-26 के जुलाई में, चूंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए सारे बच्चे नहीं आ पाते, तो हम मई में इसका पोर्टल खोलेंगे और अगले तीन साल के लिये हमेशा जुलाई से पहले तक यह चलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि एक कोर्स 2 साल का होता है, इसलिए अप्रैल में हो जायेगा, उसके बाद मई में हमारा पोर्टल खुल जायेगा, जिससे लगातार तीन साल तक ये कोर्स चलते रहेंगे। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्षः बैठे-बैठे नहीं, मिस्टर रोहित। आप दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमने जो पूछा था, वो जवाब ही नहीं आया।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैंने स्पेसिफिक बात पूछी है, 2024 में 11वें महीने तक ये कोई भुगतान नहीं कर पाये, जुलाई तक भुगतान हो जाना चाहिये था, कोई भुगतान नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया। बच्चों का पूरा एक साल खराब हुआ और ये नवम्बर के बाद जागे। इन्होंने 6 महीने तक किसी बच्चे को भुगतान नहीं किया और यह बात की लीपापोती कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): ये यह नहीं कह रहे हैं कि कौन रेस्पांसिबल हैं, इस बात के लिये किसको सज़ा देंगे। पूरे 6 महीने बच्चों के खराब हुए, कौन रेस्पांसिबल हैं और किसको सज़ा दोगे, यह बताओ।

श्री अध्यक्ष: हां उत्तर दीजिए। अब आपने बोल लिया, अब इनको सुनिए। ....(व्यवधान).... जो बैठे-बैठे बोल रहा है, मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में जो आपकी सरकार में भुगतान बकाया था, हमने वो भी किया है। ....(व्यवधान).... आप सुनिए।

श्री अध्यक्ष: उत्तर तो सुनना पड़ेगा। मैंने आपको परमिशन दे दी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हमने आपका भी पूरा भुगतान किया है और जो जुलाई में हमने आश्वासन दिया था, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन को एक बात और बताना चाहता हूं, जिस अनुप्रति कोचिंग योजना को हमने गुणात्मक सुधार के साथ लागू किया है, पंजाब सरकार, गुजरात सरकार के साथ बहुत सारे स्टेट हमारे अधिकारियों से मिलकर गये हैं और अपने प्रदेश में भी इस योजना को लागू कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी है कि हमने इतनी बढ़िया योजना को लागू किया है। हम यह मानते हैं कि दिशा-निर्देश जारी करने के कारण से और इसकी जो प्रक्रिया है, फाइल पर जो नोटिंग हुई है, वो आपको उपलब्ध करा देंगे। हमारा लक्ष्य था 30 हजार, आने वाले वित्तीय वर्ष में हम इसको बढ़ा कर 50 हजार के करीब विद्यार्थियों को देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि राजस्थान का कोई भी युवा इस योजना से वंचित नहीं रहे। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: ....(व्यवधान).... आप चार बार तो खड़े हो गये हो। ....(व्यवधान).... चार बार खड़े क्यों हुए?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी का यह विजन है, जिस अनुप्रति कोचिंग योजना के लिये इसी सदन में आपने कहा था कि क्या आप बंद करेंगे, हमने कहा कि नहीं करेंगे, हम लोग चालू रखेंगे। हमने इसकी संख्या को बढ़ाया। आपने 10 हजार से 15 हजार किया, हमने 30 हजार किया, हम आगे भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी पूर्व सरकार में जो इसका बकाया था, उसको भी हमने पूरा किया है, हमारा 209 करोड़ का अनुमानित व्यय है। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: आप बोलोगे तो ये सब भी बोलेंगे, तो फिर हाउस कैसे चलेगा, मैं स्थगित कर देता हूं। ....(व्यवधान).... मैंने व्यवस्था दे रखी है। अब ये पूछेंगे, ...(व्यवधान).... ये पूछ रहे हैं, मैंने अनुमति दे दी। ....(व्यवधान).... आप बैठिए, नो मंत्री जी, मंत्री जी नो, मंत्री जी बैठिए। आज तय कर लो कि हाउस चलाना है या नहीं चलाना है? हाउस चलाना है, तो नियमों से चलेगा। ....(व्यवधान).... यह मेरा काम है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, सिम्पल सी बात है, माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन पूछा है, मंत्री जी उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए यह सारा हंगामा

हो रहा है। सबसे पहली बात तो जो आप कह रहे हो ना कि दूसरे प्रदेश के लोग देखने आ रहे हैं, आपके तो अभी नियम ही लागू नहीं हैं। आपके बनने के बाद तो एक चवन्नी आपने नहीं दी है, तो कौनसे स्टेट आपको देखने आ गये?

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न पूछिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसे काम नहीं चलेगा। अध्यक्ष जी, सबसे पहली बात यह है कि जो भुगतान बच्चों को जून-जुलाई में हो जाना चाहिये था, आज मार्च आ गया, पूरा साल बच्चों का निकल गया, उसके लिये आप एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। आपने मर्जी से बड़े-बड़े कोचिंग रख लिये और छोटे वालों को हटा दिया।

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यानी छोटे कोचिंग वाले तो कोचिंग ही नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि आपको जून-जुलाई तक भुगतान करना था, वो क्यों नहीं किया और उसमें कौन दोषी कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करोगे? सीधी सी बात है, इसका जवाब दे दें।

श्री अध्यक्षः विराजिए।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा था कि वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 का जितना प्रावधान था, उसके विरुद्ध कितना व्यय हुआ, मैं आपको बता रहा हूं कि 2023-24 में ....(व्यवधान).... या तो आप सुन लो।

श्री अध्यक्षः अलग नियमों में आओ। ....(व्यवधान).... हो गया, आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। ....(व्यवधान)....

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ....(व्यवधान).... बच्चों ने एप्लाई किया है। ....(व्यवधान).... जिन बच्चों ने एप्लाई किया है, उनको पैसा मिलेगा ही नहीं। ....(व्यवधान).... पूरा साल निकल गया उनका। ....(व्यवधान)....

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 2024-25 में 127.10 करोड़ का प्रावधान था, जिसमें से 101.74 करोड़ रुपये व्यय कर चुके हैं। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्षः मैं अभी कार्यवाही स्थगित कर दूंगा। ....(व्यवधान)....

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपकी नीयत नहीं है कि इस महत्वपूर्ण योजना पर समीक्षा हो। ....(व्यवधान).... हम लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ अधिकारियों के साथ मिलकर इस योजना को लागू किया है। ....(व्यवधान).... मैं 2024-25 का बता रहा हूं, आप सुनते नहीं हैं। 2024-25 में 127.10 करोड़ के बदले 101.74 करोड़ खर्च किये हैं, हमने किया है। मैं आपको डाटा दे रहा हूं। इसके अलावा 2023-24 को हमने किया है, 2022-23 का हमने किया है। चार साल का दे रहा हूं ....(व्यवधान)....

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ....(व्यवधान).... आपके क्वेश्चन का जवाब है कि आप लोग अभी मैरिट लिस्ट जारी नहीं कर पाये हो। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बाबूसिंह राठौड, बाबूसिंह राठौड़।

बहिर्गमन

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन।)

शेरगढ़ में मां बाड़ी केन्द्र की स्थापना

354. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि बजट 2024-25 में प्रदेश में जनजाति समुदाय के बच्चों हेतु मां बाड़ी केन्द्रों की स्थापना करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो जिला जोधपुर में कहां-कहां मां बाड़ी केन्द्र स्थापित किये गये? विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार को जनप्रतिनिधियों से उक्त बजट घोषणानुसार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नवीन मां बाड़ी केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे व उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त प्रस्ताव अनुसार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन मां बाड़ी केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): (1) जी हां, वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा संख्या 90 में प्रदेश में जनजाति समुदाय के बच्चों हेतु 250 मां-बाडी केन्द्रों की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। उक्त घोषणा के क्रम में 131 मां-बाडी केन्द्र खोलने के आदेश क्रमांक 2370-84 दिनांक 31.01.2025 द्वारा जारी कर दिये गये है। (परिशिष्ठ-अ)

जोधपुर जिले में भी जनजाति वर्ग के छात्रों की उपलब्धता, विद्यालय से दूरी, आदि मापदण्ड पूरे करने वाले स्थानों एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर मां-बाडी केन्द्र खोलने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) मां-बाडी खोले जाने के विभाग को प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, क्षेत्र की मांग तथा मां-बाडी केन्द्र खोलने के मापदण्ड पूर्ण करने वाले स्थानों पर मां-बाडी केन्द्र खोले जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) मां-बाडी खोले जाने के विभाग को प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, क्षेत्र की मांग तथा मां-बाडी केन्द्र खोलने के मापदण्ड पूर्ण करने वाले स्थानों पर मां-बाडी केन्द्र खोले जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

Msk/rtm/10.03.25/1120/1c

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, खण्ड-2 में मैंने पूछा है कि शेरगढ़ में नवीन मां बाड़ी केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, यदि हां तो कौन-कौनसे, उक्त पर क्या कार्यवाही की? इसमें मंत्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं

आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 20 जुलाई को मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा और इसके बाद अतिरिक्त आयुक्त ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को 05/09 को इसका सर्वे करने के लिए पत्र लिखा। मंत्री महोदय, आपको 14 दिसम्बर को पत्र लिखा। इतने सारे पत्र लिखने के बाद जोधपुर से विभाग ने सारे सर्वे किये। सर्वे करके कि इसमें कितने छात्र हैं, उनके पिताजी का नाम क्या है? जन्म दिनांक क्या है, दूरी कितनी है? वह सारा किया।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): उसमें करीब 29 सर्वे हुए हैं। आपने जो जवाब दिया है, यह जो सारा प्रस्ताव है। आपने कहा कि कोई प्रस्ताव नहीं है, उसका जवाब नहीं दिया। साथ में यह कह रहे हैं कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, रटा-रटाया जवाब पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ खण्ड 1 में यह कह रहे हैं कि जी हां, वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा संख्या 90 में प्रदेश में जनजाति समुदाय के बच्चों हेतु 250 मां-बाड़ी केन्द्रों की स्थापना करने की घोषणा की गयी थी। 250 का वित्तीय प्रावधान किया है, वित्तीय प्रावधान है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उपलब्ध होगा, तब। उपलब्ध हो रखा है। 131 खोल दिये, 119 बाकी हैं। इसलिए अभी यह कहना चाह रहे हैं कि केवल ट्राइबल इलाके के अलावा राजस्थान में कई जगह मां-बाड़ी केन्द्र खोले हैं। हमारे यहां बड़ी संख्या में जनजाति के लोग रहते हैं। शेरगढ़ के लिए आपके पास जो प्रस्ताव आये हैं, उसके अनुसार मां-बाड़ी केन्द्र खोलने को विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं, यदि रखते हैं तो कितने खोलेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, बताइये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य सही कह रहे हैं, क्योंकि जोधपुर जिले में और शेरगढ़ में अब तक एक भी मां-बाड़ी केन्द्र नहीं खुला है। आपकी चिन्ता वाजिब है। क्योंकि वहां पर आदिवासी समाज रहता है और आवश्यक भी है। वहां बिखरी हुई आबादी है। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एक भी मां-बाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं है। वर्ष 2024-25 में शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 32 मां-बाड़ी केन्द्र खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए, इनमें से 31 मां-बाड़ी केन्द्र खोलने हेतु सर्वे प्राप्त हुआ। उक्त 31 केन्द्रों में से 22 मां-बाड़ी केन्द्रों के प्रस्ताव नियमानुकूल पाये गये। मां-बाड़ी खोलने के 5 प्रस्ताव नॉर्म्स पूरा नहीं करते तथा 4 मां-बाड़ी केन्द्रों के प्रस्ताव स्पष्ट नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय सदस्य को भरोसा दिलाता हूं कि आपके यहां क्या प्रस्ताव आये हैं। हमने उनका सर्वे करा दिया है। 5 मां-बाड़ी केन्द्र, अभी, आप मुझे बताइये कि कहां-कहां खोलना है? वे खोल देंगे, यह भरोसा आपको दिलाता हूं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह तो ऊंट के मुंह में जीरा है। 22 तो उसमें अनुमत हो गये, फिजिबल हैं। क्या यह सही है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति एसटी-भील, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीरामचन्द्र जी ने भी मां सबरी के झूठे बेर खाये थे और हम भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पूछिए।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या यह सही है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति एसटी-भील समाज के लोग मरूस्थलीय धोरों व पहाड़ों के दूरस्थ क्षेत्रों पर रहते हैं। यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे सभी स्थलों पर सर्वे कराकर मां-बाड़ी क्षेत्रे के केन्द्रों की स्थापना करने का विचार रखती है? साथ में, यह भी स्पष्ट करें कि अनुसूचित जाति की तर्ज पर, अनुसूचित जाति-एसटी को भी प्राथमिकता से कृषि कनेक्शन देने का विचार रखते हैं। दोनों सवालो का जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय जी, कृषि कनेक्शन का सवाल नहीं पूछा है। इसलिए मैं इसकी जानकारी करके आपको उपलब्ध करा दूंगा। हमारे जो मां-बाड़ी खोलने के नियम हैं। हमारे जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। वे स्कूल से एक-दो किलोमीटर की दूरी पर हैं। उन बच्चों को वहां जोड़ने के लिए निश्चित रूप से मां-बाड़ी केन्द्र खोलते हैं। सर्वे कराकर जो भी आवश्यक होगा, वह कार्यवाही करेंगे।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): पांच तो आप खोलना ही मत, खोलना हो तो ढंग से खोल दें, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: कुछ कहना है?

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): बता दिया।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। श्री अनिल कुमार शर्मा।

नवीन भानीपुरा तहसील (सरदारशहर) का भवन निर्माण

355. श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के भानीपुरा को नवीन तहसील बनाने की घोषणा की गयी है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त तहसील के भवन निर्माण हेतु बजट का आवंटन कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व कितना? उक्त तहसील का भवन निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि भानीपुरा को तहसील बनाने के पश्चात् अन्य सरकारी कार्यालय भी प्रारंभ हो गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विभागीय कार्यालयों हेतु भूमि आवंटन एवं भवन निर्माण हेतु बजट आवंटन के साथ ही अधिकारी/कर्मचारियों का पदस्थापन पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हेमन्त मीणा): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर की उप तहसील भानीपुरा को तहसील में क्रमोन्नत करने हेतु बजट सत्र 2022-23 के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण में घोषणा की गयी थी। उक्त घोषणा की पालना में

राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 10.06.2022 द्वारा उप-तहसील भानीपुरा को तहसील में क्रमोन्नत किया गया है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। तहसील कार्यालय के भवन निर्माण हेतु बजट का आवंटन नहीं किया गया है। पूर्व में उप-तहसील कार्यालय भानीपुरा के लिए बजट आवंटित किया जाकर उप तहसील कार्यालय भवन बनाया गया था। वर्तमान में तहसील कार्यालय भानीपुरा उसी भवन में संचालित है।

(3) जी नहीं। तहसील स्तर पर संचालित किये जाने वाले राजकीय कार्यालयों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित विभागों द्वारा सम्पादित की जाती है।

(4) ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार की नीति, प्रशासनिक विभाग की आवश्यकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तर मिल गया है।

श्री अध्यक्ष: उत्तर आ गया है तो पूरक पर आइये।

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी पूछना चाहूंगा कि भानीपुरा तहसील की जनसंख्या लगभग 1 लाख 29 हजार है और क्षेत्रफल 1 लाख 57 हजार हेक्टेयर है। किसानों को रेवेन्यू कार्य के लिए, पंजीयन के लिए, या जब भी तहसील क्षेत्र में आते हैं तो उन्हें खुले में पेड़ों के नीचे या धूप मैं बैठना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भानीपुरा की नयी तहसील के नये भवन के साथ-साथ वहां पर आधुनिक तकनीक से सुसज्जित मॉर्डन रिकॉर्ड रूम, मीटिंग हॉल, तहसीलदार हेतु आवास गृह, स्टाफ हेतु कमरे, न्यायालय परिसर हेतु टीन शेड या हॉल का निर्माण सरकार कब तक पूरा करवा देगी? दूसरा, भानीपुरा तहसील में तहसीलदार सहित, चाहे गिरदावर हो, पटवारी हो, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कनिष्ठ व वरिष्ठ लेखाकार के 43 में से 42 पद रिक्त हैं। इन पदों को कब तक भरने की सरकार की मंशा है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 15, 16 के प्रावधानों में निहित शक्ति के द्वारा जिला चूरू की तहसील सरदारशहर का पुनर्गठन करते हुए उप तहसील भानीपुरा को क्रमोन्नत कर भानीपुरा तहसील बनाया गया था। अभी वहां पर उप तहसील भवन में तहसील कार्यालय चल रहा है। माननीय सदस्य महोदय ने बताया कि भवन सम्बन्धी, क्योंकि वहां पर पहले उप तहसील थी और उप तहसील का भवन है। आपने कहा कि तहसील के लिए भवन और आवश्यक चीजों की जरूरत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार की नीति, प्रशासनिक विभाग की आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लेकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी और आने वाले समय में,

क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। यहां पर ग्रामीण क्षेत्र के सभी व्यक्ति आते हैं और पूरे राजस्थान में इस तरह की व्यवस्थाएं अच्छे तरीके से हों और लोगों को वहां पर बैठने की व्यवस्था हो। जैसा कि आप बता रहे हैं कि छाया भी नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में जो भी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करने का काम हम करेंगे।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, और कुछ पूछना है?

अगला प्रश्न। श्री केसाराम चौधरी।

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि का फर्जी भुगतान

356. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में भूमिहीन 13,860 व्यक्तियों द्वारा फर्जी तरीके से प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि की राशि उठायी गयी है? यदि हां, तो कितने वर्षों से व उनके खातों में कितनी राशि जमा हुई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उपरोक्त व्यक्तियों में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं, जो उन गांवों के निवासी नहीं है? क्या सरकार उनकी जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अपात्र व्यक्तियों द्वारा फर्जी तरीके से प्राप्त की गई राशि को वसूल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त फर्जी व्यक्तियों के प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के आवेदनों को प्रमाणित एवं सत्यापन करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री गोतम कुमार): (1) जी हां। विधानसभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत कुल 13858 अपात्र व्यक्तियों के आवेदन पंजीकृत हैं, जिन्हें योजना के तहत विभिन्न किश्तों के माध्यम से 826.66 लाख राशि का लाभ प्राप्त हुआ है।

13858 अपात्र व्यक्तियों को हस्तान्तरित राशि की ग्रामवार सूची का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। योजनान्तर्गत 13858 अपात्र व्यक्तियों में से 13720 व्यक्तियों के नाम ऐसे हैं जो उन गांवों के निवासी नहीं हैं। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। उक्त प्रकरण में जांच करवाने हेतु जिला कलेक्टर, पाली को निर्देशित किया गया है।

(3) जी हां। योजनान्तर्गत अपात्र व्यक्तियों को किये गये भुगतान की वसूली का प्रावधान है। अपात्र व्यक्तियों से नियमानुसार राशि वसूल किये जाने हेतु संबंधित जिला कलक्टर को समय-समय पर निर्देशित किया गया है।

(4) जी हां। उक्त अपात्र कृषकों को पात्र किया जाकर लाभ दिये जाने के सम्पूर्ण प्रकरण

की जांच उपरान्त उत्तरदायी पाये गये कार्मिकों/अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

mdp/rtm/10.03.25/11:30/1d

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 13 हजार 720 व्यक्तियों के नाम ऐसे हैं, जो इन गांवों में निवास ही नहीं करते और ऐसे व्यक्तियों को 8 करोड़ 26 लाख 66 हजार रुपये भुगतान कर दिया गया। मेरा सीधा-सा प्रश्न है कि आप इन व्यक्तियों से वसूली की कार्यवाही कब तक करेंगे? और जिन्होंने गलत काम किया है, लाभ प्राप्त किया है, उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक? पहला प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी,

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मारवाड़ जंक्शन से आने वाले सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि उनके द्वारा विधान सभा क्षेत्र में जिन अपात्र व्यक्तियों को प्रधान मंत्री सम्मान निधि के तहत अनुचित लाभ लेने की चिंता जाहिर की गयी है, वह वाजिब है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अवगत करा दूं कि जिला पाली में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में ऐसे अपात्र 13 हजार 858 व्यक्तियों में से 13 हजार 720 उस गांव के निवासी ही नहीं हैं। यह भी अवगत राजस्थान दूं कि यह सब पिछली सरकार के शासनकाल में हुआ है। ऐसे अपात्र व्यक्तियों के खाते में 826 लाख 66 हजार रुपये का हस्तांतरण हुआ है। ऐसा हस्तांतरण आरंभ वर्ष से 2019 से 2023 के मध्य हुआ है। हमारे संज्ञान में जैसे ही यह प्रकरण आया है, जिला कलक्टर पाली के निर्देश पर तहसीलदार देसूरी, मारवाड़ जंक्शन और रानी तीनों ही जगह अलग-अलग एफआईआर दर्ज करवा दी गयी हैं। हम स्वयं यह चाहते हैं कि ऐसे अपात्र व्यक्तियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही हो।

मैं माननीय सदस्य को अवगत करा दूं कि जिन अपात्र व्यक्तियों के खाते में राशि हास्तांतरण हुई है, उनसे शीघ्र वसूली की जायेगी। यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि वर्ष 2019 में जब यह योजना लागू की गयी थी, तब यह स्व-घोषणा पत्र के आधार पर हस्तांतरण किया जाता था। इससे अनियमितताएं हुई हैं। दिसम्बर, 2019 में योजना का लाभ लेने के लिए भूमि की रिपोर्ट को भी अपलोड़ करने की शर्त जोड़ी गयी है। भारत सरकार द्वारा अपात्र व्यक्तियों से राशि हस्तांतरण वसूली के निर्देश भी जारी किये गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूंगा ऐसे अपात्र व्यक्तियों की संख्या अधिक है। वसूली के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए शीघ्र ही वसूली की कार्यवाही अमल में ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): दूसरा प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय। क्या

सरकार फर्जी नाम जोड़कर भुगतान करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के भी विरूद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि अपात्र लोगों को अनुचित लाभ दिया जाना वास्तव में गंभीर विषय है। हमारी सरकार इस सम्बन्ध में गंभीर है। हम पारदर्शी शासन व्यवस्था में विश्वास रखते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अवगत कराना चाहूंगा कि यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी ने 2019 में जब इस प्रधान मंत्री सम्मान निधि योजना का आरम्भ किया था, शुरूआत के वर्षों में लाभ लेने वाले व्यक्ति स्व घोषणा पत्र के आधार पर उसका लाभ ले लेते थे। उनकी राशि का हस्तांतरण भी हुआ। इसके बाद के वर्षों में राजस्व कर्मियों द्वारा अनिवार्य करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जहां तक गलत राशि उठा लेने पर अपात्र व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही होनी चाहिए, इस बात से हम सहमत हैं। कोई भी दोषी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उनको सरकार बख्शेगी नहीं। किसी भी निर्दोष अधिकारी पर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। इस प्रकरण में विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीलिंग, पाली को जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है।

मैं माननीय सदस्य को अवगत करा देना चाहता हूं कि जांच में कोई भी दोषी पाया जायेगा, उसके विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, वाकई में बहुत गंभीर विषय है। चाहे हमारे समय में आए, चाहे आपके में आए, यह कोई बात नहीं है। मेरा तो एक ही निवेदन है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगा है मारवाड़ जंक्शन का, क्या सरकार पूरे प्रदेश के अन्दर इस प्रकार इसकी जांच कराकर जो भी दोषी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके विरूद्ध कार्यवाही करना चाहती है या नहीं?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, प्रश्न तो मारवाड़ का है, फिर भी बताना चाहे तो बताएं।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता, प्रतिपक्ष को अवगत कराना चाहूंगा कि पूर्व में भी जब 5 महीने पहले यह प्रश्न उठा था, तब भी आपने चिंता जाहिर की थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि तीन अन्य जगह भी शाहपुरा में हो या अलवर में हो, इन तीनो-चारों जगह और जालोर में, ...(व्यवधान)... इन चारों जिलों में इस तरह की..

श्री अध्यक्षः दे देना, शिकायत दे देना।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): चार जिलों की शिकायतें हमें प्राप्त हुई है। चारों जिलों में एफआईआर दर्ज हैं और हम लगातार वहां के एसपी साहब, कलक्टर साहब से सम्पर्क में हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने का और वसूली करने का काम हमारी सरकार करेगी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कई जगह शिकायत नहीं भी आयी होगी, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, साहब।

श्री अध्यक्ष: हो गया, जांच सब जगह होगी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 13 हजार 700 लोगों ...(व्यवधान)... के बन कर आ गये।

श्री अध्यक्ष: जहां भी शिकायत आयी।

अगला प्रश्न। श्री शांति धारीवाल।

बिजली का उत्पादन

357. श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने मेगावाट बिजली की आवश्यकता है तथा कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन थर्मल पॉवर प्लांट, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं अन्य स्रोतों के द्वारा हो रहा है?

(2) प्रदेश में माह जनवरी, 2024 से दिसम्बर, 2024 तक बिजली उत्पादन की विभिन्न इकाइयों में कितना-कितना उत्पादन हुआ एवं किन-किन इकाइयों में विद्युत उत्पादन कार्य बन्द हैं? सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन प्रारंभ करने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): (1) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2024-25 दिनांक 28.02.2025 तक राजस्थान डिस्कॉम्स की औसत मांग 14331 मेगावाट एवं अधिकतम मांग 19165 मेगावाट रही है।

दिनांक 28.02.2025 को अनुबंधित एवं स्थापित उत्पादन क्षमता निम्नानुसार हैं -

स्त्रोत		औसत उपलब्धता (मेगावाट)	अधिकतम उपलब्धता (मेगावाट)
तापीय ऊर्जा	राजकीय क्षेत्र	6286	6421
	केन्द्रीय क्षेत्र	1425	1427
	निजी क्षेत्र	3444	3449
हाइडल ऊर्जा		539	646
सौर ऊर्जा		997	4271
पवन ऊर्जा		1148	1852
अन्य स्त्रोतों से		269	275
कुल		14108	18341

मांग व आपूर्ति में कमी रहने पर शेष मांग की पूर्ति पॉवर एक्सचेंज व लघु अवधि

निविदा से विद्युत खरीद कर की जाती है।

(2) प्रदेश में स्थापित विभिन्न इकाइयों से माह जनवरी 2024 से दिसम्बर 2024 तक उत्पादित विद्युत खरीद का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

वर्तमान में प्रदेश में स्थापित उत्पादन इकाइयों में से बंद राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की इकाइयों का विवरण एवं विद्युत उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए किये गए प्रयास का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिला गया।

श्री अध्यक्ष: आ गया उत्तर। पूरक प्रश्न पूछेंगे?

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मैं यही कह रहा हूं कि जवाब मिल गया।

श्री अध्यक्ष: चलिए, पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मेरा पहला प्रश्न यह है कि आपने जो मुझे सूची दी है, उसमें कुल बिजली का उत्पादन कैपेसिटी बतायी है आपने कि 20 हजार 808 मेगावाट है। ये कितने मिलियन यूनिट हुआ? एक बात। इसी के साथ-साथ मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि एक दिन का उत्पादन है या सालभर का है? जवाब में आपने प्रोडक्शन बताया 74 हजार 306 मिलियन यूनिट। मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि प्रोडक्शन कैपेसिटी और प्रोडक्शन, दोनों चीजों में या तो आप मिलियन यूनिट में बता दीजिए या मेगावाट में बता दीजिए। मैंने सवाल मेगावाट का पूछा है और आप बता रहे हैं मेगावाट, आधा सवाल तो बता रहे हैं मेगावाट में और आधा सवाल बता रहे हैं मिलियन यूनिट में। मतलब यह हुआ कि मैं आपसे रुपये की बात कर रहा हूं तो आप नये पैसे की बात करने लग गये। मैं बात कर रहा हूं बात हाथी की सूंड और आप उसकी पूंछ की बात करने लग गये। पहला सवाल मेरा यह है इसका जवाब दीजिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सदस्य ने जो, हमने मेगावाट भी बताया है। जो आपको जवाब मिला है, उसमें हमारी औसत उपलब्धता हमने मेगावाट भी बतायी है और अधिकतम उपलब्धता, वह मेगावाट में भी बता रखी है खंड एक में और खंड दो के लिए जो आप...

श्री अध्यक्ष: दोनों मेगावाट में है। उत्तर मेरे सामने हैं, 'ब' में।

आपको बोलने का किसने कहा? आपके सदस्य पूछ रहे हैं। उत्तर दिलवा रहा हूं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मंत्री महोदय, कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष: उत्तर तो सुन लीजिए।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मंत्री महोदय..

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के अन्दर ये व्यवस्था से सम्बन्धित यह बात है, बाकी सदस्य बोलें, समझ में आता है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आप कैसे बोल रहे हैं?

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): बोल सकते हैं, मुझे इजाजत दी है।

श्री अध्यक्ष: आप तो बैठिए। आप क्यों बोल रहे हैं फिर?

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मैं नहीं बोल रहा।

श्री अध्यक्ष: आप तो बैठिए। मुझे पता है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): हरिमोहन जी इतने सीनियर हैं, तीन बार सदन में आ गये, उन्हें यह नहीं पता कि आपकी अनुमति से मैं बोल सकता हूं। मैं जो बात कर रहा हूं कि ये जो सरकार से प्रश्न पूछा गया है, जवाब मंत्री दे रहे हैं, सरकार यहां से लेकर वहां तक बैठी है। यानी प्रश्न का उत्तर कहीं से भी आ सकता है, जवाब मंत्री देंगे। नेता, प्रतिपक्ष यह बात बोल रहे हैं, सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, आप उत्तर दीजिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन ऑवर में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

श्री अध्यक्ष: चलिए, इनके प्रश्न का उत्तर तो आ जाए।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मंत्री महोदय, आप मेरी बात सुनिए। मिलियन यूनिट को मेगावाट में कन्वर्ट करने की बात है, वह आप अभी नहीं कर पाएंगे, बात में मुझे लिखकर भेज देना, मैं उसको मान लूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप तो प्रश्न पूछिए।

Ans/rtm 11.40 1e 10.03.2025

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मेरा दूसरा सवाल यह है, आपने खण्ड में यह भी कहा कि मांग व आपूर्ति में कमी रहने पर बिजली खरीद कर उसको पूरा किया जाता है। डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, उसका जो अंतर है, उसको खरीदा जाता है और खरीदकर बिजली सप्लाई की जाती है। मैंने आपसे यह सवाल पूछा था कि जनवरी, 2024 से लेकर दिसम्बर, 2024 तक, पूरे साल भर तक का कितना प्रोडक्शन हुआ, आपने उसका जवाब नहीं दिया। साल भर का प्रोडक्शन बताइये। एक साल में कितनी खपत हुई, वह बता दीजिए। मेरी बात सुन लो, वह भी आप नहीं बता पाएंगे। आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बता रही है 9 हजार 500 मेगावाट।

श्री सभापति: पूछें तो सही।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सरकारी कारखाने हैं उनकी कैपेसिटी 9 हजार 500 मेगावाट बता रखी है, ठीक है ना? यही तो आपकी आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ है, यही आपकी विद्युत उत्पादन निगत के प्रतिवेदन में लिखा हुआ है?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): प्रश्न आ रहा है साहब। प्रदेश में प्रतिदिन बिजली की खपत 19 हजार 165 मेगावाट बता रहे हो। आपका प्रोडक्शन तो 9 हजार 500 है और खपत

19 हजार 165 बता रहा हो। मतलब लगभग 10 हजार मेगावाट बिजली आप खरीद रहे हो। अब खरीद रहे हो, तो यह बता दो कि एक साल में किस-किस कम्पनी से, किस-किस दर पर, कितनी-कितनी मेगावाट बिजली खरीदी और कितना-कितना भुगतान किया?

श्री अध्यक्षः विराजो। माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सदस्य, हमारी 19 हजार मेगावाट औसत डिमांड रही है वह पीक आवर्स की रही है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): उससे कम में ले लें, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, सुन तो लीजिए। आपको एक मौका और दूंगा, आप सुन लीजिए।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आप बेफिक्र रहिये, मैं इन्हीं की मदद कर रहा हूं। यह बात सही है, आपने बताया कि मेग्जीमम खर्च होती है वह 19 हजार होती है, लेकिन नोर्मल कुल मिलाकर 18 हजार 341 के करीब होती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 10 हजार नहीं खरीदी होगी तो 09 हजार खरीदी होगी, चलो उसी का हिसाब बता दो।

श्री अध्यक्षः विराजो।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हमारी तापी यूनिट है, उनका प्रोडक्शन भी है। उसके अलावा हम प्राइवेट जनरेटर से भी बिजली लेते हैं, उसका प्रोडक्शन भी है। हमने पीपीए किए हुए हैं, उससे भी हम खरीदते हैं। उसके अलावा जो गैप रहता है, वह गैप जो हमारे पास उस टाइम उपलब्ध नहीं है तो हम उस गैप को पूरा करने के लिए फिर एक्सचेंज से बिजली खरीदकर पूरी करते हैं। तो निश्चित रूप से आप जो पूछ रहे हो, हमारा 10 हजार ही नहीं है हमारा प्रोडक्शन ज्यादा भी है और उसके अलावा, उसके अलावा भी कम पड़ता है तो हम एक्सचेंज से खरीदकर पूरा कर रहे हैं। आज की तारीख में जिस तरह से, चाहे वह रबी का सीजन रहा, इस पूरे सीजन में कहीं भी बिजली की अनुपलब्धता की वजह से कोई कटौती नहीं की रही है, रबी के सीजन में हम पूरी बिजली दे रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप प्रश्नकर्ता नहीं है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मैं यह नहीं पूछ रहा कि कटौती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वह तो जनता जानती है, कितनी कटौती हो रही है, कितनी नहीं हो रही। भगवान जाने, वह जाने। आपने खुद के जवाब में लिखा है कि मांग व आपूर्ति में कमी रहने पर शेष मांग की पूर्ति पॉवर एक्सचेंज व लघु अवधि निविदा से विद्युत खरीद कर की जाती है।

श्री अध्यक्षः विराजिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): किससे खरीदी, कितनी खरीदी, किस दर पर खरीदी, कब खरीदी?

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हमने लघु अवधि निविदा के द्वारा खरीद की है उसमे नवम्बर में 738 मेगावाट, दिसम्बर, 2024 में 556 मेगावाट, जनवरी, 2025 में 364

मेगावाट, फरवरी, 2025 में 358 मेगावाट, मार्च, 2025 में 350 मेगावाट खरीदी है, वह ब्लाक आवर्स के अनुसार खरीद की जाती है। मैंने इतने-इतने मेगावाट बताया, हमें अभी जब जरूरत थी, वह हमने खरीद की है।

श्री अध्यक्ष: हो गये आपके दो, विराजिये। माननीय मंत्री जी। अगला प्रश्न। श्रीमती शिमला देवी।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अध्यक्ष महोदय,..।

श्री अध्यक्ष: आ गया। एक घंटे जवाब थोडे ही चलाऊंगा। दस मिनट दे दिये। आपके दो हो गए। अगला प्रश्न। श्रीमती शिमला देवी।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): दो हो गये, लेकिन दो का काम, वही तो मैं पूछ रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए।

श्री अध्यक्ष: दस मिनट से ज्यादा एक प्रश्न को थोड़े ही देंगे।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आप मुझे लिखकर दे देना जो कुछ मैंने कहा है, मैं मान लूंगा।

श्री अध्यक्ष: फिर तो आपकी बहस चलती रहेगी। हो गया आपका।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आप लिखकर दे देना।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती शिमला देवी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, वह बता ही नहीं पाये और एक्सचेंज की कह रहे हो तो ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: हो गया आपका। नो, अंकित नहीं। माननीय मंत्री जी। ...(व्यवधान)... हो गया, एक प्रश्न पर दस मिनट हो गये। ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री अध्यक्ष: विराजिये। एक प्रश्न पर 10-12 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता। विराजिये। जवाब आप चैम्बर में जाकर पूछना। जवाब बाद में पूछ लेना। जवाब एक घंटे नहीं आयेगा तो एक घंटे एक प्रश्न चलाऊंगा क्या?

श्रीमती शिमला देवी।

अनूपगढ़ में फसल बीमा का भुगतान

358. श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ व रबी फसल वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक कुल कितनी बीमा क्लैम की राशि का कितने किसानों को भुगतान कर दिया गया तथा कितनों का शेष है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार भुगतान से वंचित किसानों को भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग) (माननीय कृषि मंत्री के स्थान पर): (1) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ में खरीफ 2021 से रबी

2023-24 तक भुगतान किये गये बीमा क्लैम एवं शेष किसानों का विवरण निम्नानुसार हैं -

मौसम सत्र	वितरित		लम्बित कृषक संख्या
	किसानों की संख्या	बीमा क्लैम	
ख़रीफ़ 2021	8242	16.63	3
रबी 2021-22	882	2.57	0
ख़रीफ़ 2022	1047	0.80	14
रबी 2022-23	458	0.50	5
ख़रीफ़ 2023	2931	10.27	115
रबी 2023-24	289	0.22	157

(2) जी हां, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से डीजी क्लैम माड्यूल के तहत बीमा क्लैम बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा वितरित खरीफ 2021 से रबी 2022-23 की अवधि के बकाया बीमा क्लैम नेफ्ट बाउन्स होने एवं प्रति बीमा क्लैम राशि 100 रू से कम के कारण शेष हैं। विभाग अनुबंधित बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से समन्वय कर किसानों को शीघ्र भुगतान करवाने का प्रयास कर रहा हैं।

ख़रीफ़ 2023 के बीमा क्लैम खाता/आधार सत्यापित ना होने, नेफ्ट बाउन्स होने के कारणों से लंबित हैं विभाग अनुबंधित बीमा कंपनी क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड से समन्वय कर किसानों को शीघ्र भुगतान करवाने का प्रयास कर रहा हैं। रबी 2023-24 के देय बीमा क्लैम का भुगतान डीजी क्लैम माड्यूल के तहत वितरित किया जाना प्रक्रियाधीन हैं।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): उत्तर आ गया है। मैं मंत्री जी से पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: पूरक पूछिये।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ): क्या प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार नियमानुसार समय पर बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान नहीं कियेजाने पर किसानों को बीमा कम्पनी के द्वारा ब्याज सहित भुगतान किये जाने का प्रावधान है क्या, अगर हां तो अब तक बकाया भुगतान में कितने किसानों को ब्याज सहित भुगतान किया गया, अगर नहीं किया गया तो फसल बीमा कम्पनी के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत अनूपगढ़ में ख़रीफ़ 2021 से रबी 2023-24 तक भुगतान किये गये बीमा क्लैम व शेष किसानों का विवरण उत्तर में इनको दिया गया है। 2021 से

2024 तक पूरी सारणी है।

जी हां। भारत सरकार द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से डीजी क्लैम माड्यूल के तहत बीमा क्लैम बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा वितरित ख़रीफ़ 2021 से रबी 2022-23 की अवधि के बकाया बीमा क्लैम नेफ्ट बाउन्स होने एवं प्रति बीमा क्लैम राशि 100 रूपये से कम के कारण शेष हैं। विभाग अनुबंधित बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से समन्वय कर किसानों को शीघ्र भुगतान करवाने का प्रयास कर रहा हैं।

ख़रीफ़ 2023 के बीमा क्लैम खाता/आधार सत्यापित ना होने, नेफ्ट बाउन्स होने के कारणों से लंबित हैं।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): मंत्री जी, मैंने प्रश्न क्या पूछा है, उसका जवाब चाह रही हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न का जवाब दीजिए।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): मैं जवाब दे रहा हूं।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): बीमा कम्पनियां, एक समय सीमा निर्धारित होती है कि इसके पश्चात अगर वह किसान को बीमा का क्लैम देती है, तो उसको ब्याज सहित देती है या नहीं देती है। अगर दिया है तो कितने किसानों को ब्याज सहित भुगतान किया है? मेरा प्रश्न यह है।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय सदस्या, मैं आपका ही जवाब दे रहा हूं, आप सुन लीजिए ना।

श्री अध्यक्ष: इन्हीं दो बातों का जवाब दे दो।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): जिन्हें ब्याज सहित देने का प्रावधान नहीं है।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): सर, क्यों नहीं है, कैसे कह सकते हो?

श्री अध्यक्ष: नहीं है तो नहीं है। इसमें यह क्या कि क्यों नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): भारत सरकार का नियम है वही बता रहा हूं।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): कृषि विभाग द्वारा, अध्यक्ष महोदय, नियम है।

श्री अध्यक्ष: आप दूसरा प्रश्न पूछिये।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): आप बात सुनिये। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मैं सुन रहा हूं।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): पिछली बार भी जब मंत्री जी से जवाब पूछा तो गोलमाल जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, अब भी मैं आपको बताती हूं, यह आपके कृषि विभाग का ही है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): इसके अन्दर दिया है कि कृषि विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना के बिंदु संख्या 31 के अनुसार योजना की परिचालन, मार्ग दर्शिका में वर्णित अवधि के उपरांत बीमा कम्पनी देय क्लैम राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज का भुगतान ...(व्यवधान)... जारी करेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा किसानों का जो भी लंबित होता है वह नेफ्ट बाउन्स के कारण होता है। तुरंत ही उसके बाद बीमा कम्पनी गांव के अन्दर जाकर उनके वापिस बैंक के खातों की जानकारी लेकर उनको तुरंत देने का प्रावधान है। ब्याज सहित नहीं दिया जा रहा क्योंकि टैक्निकल इश्यूज के कारण भी लंबित होता है। अभी भी आपका जो सवाल है, एक ही पटवार सर्कल 21 एमडी के अन्दर, जो लंबित है, जवाब के बीच में आप पूछे जा रहे हो। ख़रीफ़ 2023 के बीमा क्लैम खाता, आधार सत्यापित ना होने, नेफ्ट बाउन्स होने के कारणों से लंबित हैं।

VPS-RTM-10.03.2025-11.50-1f

विभाग अनुबंधित बीमा कंपनी क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड कम्पनी से समन्वय कर किसानों को शीघ्र भुगतान करवाने का प्रयास कर रहा हैं। रबी 2023-24 के देय बीमा क्लैम का भुगतान डीजी क्लैम माड्यूल के तहत वितरित किया जाना प्रक्रियाधीन हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जीवाराम चौधरी।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): नहीं सर, मेरा पूरक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष: हो गया आपका। मंत्री को जो जवाब देना था दे दिया। श्री जीवाराम चौधरी।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): एक ही हुआ है, सर, मेरा पूरक प्रश्न। ...(व्यवधान)... अध्यक्षजी, मेरा एक ही पूरक प्रश्न हुआ है।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने उत्तर दे दिया। आपने ब्याज का कहा है और उन्होंने उत्तर दे दिया। यह कोई बहस का थोड़े ही है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): नहीं सर, एक ही क्वेश्चन पूछा है मैंने।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल माननीय सदस्या का ही प्रश्न नहीं है, पूरे राजस्थान से जुड़ा हुआ है। यह किसानों से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: हां, तो आप अलग से बहस में आ जाना। माननीय मंत्रीजी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): फिर हम लोग क्यों यहां बैठे हैं?

श्री अध्यक्ष: किसानों से सम्बन्धित है, महत्वपूर्ण है तो आप और नियमों से आ जाओ।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्षजी, यह इतना गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष: अब उत्तर तो वे ही देंगे, उत्तर मैं थोड़े ही दूंगा। आप जो चाहोगे वैसे थोड़े ही

होगा? उत्तर तो वे ही देंगे। अब आप संतुष्ट हो, नहीं हो, वह आपका विषय है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): गलत जवाब तो कम से कम सदन में नहीं दें। आप सदस्य को भी नहीं पूछने देते हो न। फिर अगला पुकार दिया। माननीय सदस्य का एक ही पूरक प्रश्न हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: दो पूछ लिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): एक ही हुआ है। एक ही हुआ है।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): दूसरा पूरक प्रश्न तो पूछने दीजिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलवा दो। मंत्रीजी जवाब देना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप तो बैठो। आप तो बैठो। हां, दूसरा क्या प्रश्न है, आप जल्दी पूछो।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि खरीफ पर वर्ष 2024 में निर्धारित फसल बीमा कम्पनी के द्वारा निर्धारित समय सीमा अवधि के पश्चात कितनी पॉलिसीज रिजेक्ट की गयीं और क्यों की गयी? क्या बीमा कम्पनी की इस मनमानी के खिलाफ सरकार कार्यवाही की मंशा रखती है या नहीं? रिजेक्ट पॉलिसीज की जांच करके इन्हें एप्रूव करेगी या नहीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में रबी 2023-24 में 289 कृषकों को राशि रुपये 22 लाख के बीमा क्लैम वितरित किये गये हैं और 157 कृषकों की राशि 1.39 करोड़ रुपये के बीमा क्लैम लंबित हैं जो कि प्रक्रियाधीन है।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): मैंने पॉलिसीज रिजेक्ट हुईं उनके बारे में पूछा है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। हो गया। अगला प्रश्न, श्री जीवाराम चौधरी। हो गये। आपके दो प्रश्न हो गये। आपके कहने से और पूछने दिया मैंने। माननीय मंत्रीजी। ...(व्यवधान)...

सांचौर में खेल स्टेडियम की स्थापना

359. श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सांचौर में खेल एवं इण्डोर स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

युवा मामले एवं खेल मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): प्रदेश में खेलों को बढावा देने हेतु युवा मामले एवं खेल विभाग/राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा स्टेडियम निर्माण हेतु निम्नानुसार योजनाएं संचालित की जा रही हैं:-

1. प्रदेश में खेलों को बढावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा समन्वित स्टेडियम (आधारभूत खेल संरचनाएं) विकास कार्यक्रम-2015 के मापदंड निर्धारित किये गये हैं।

2. ''मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना'' के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक

ब्लॉक में खेल स्टेडियमों के विकास कार्य करवाये जाने हेतु विधायक-सांसद निधि/जनप्रतिनिधि/जनसहयोग/ सीएसआर/स्थानीय निकाय आदि द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि के बराबर या अधिकतम 100.00 लाख रुपये की राशि मेचिंग ग्रांट के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

वर्तमान मे विधान सभा क्षेत्र सांचौर मे खेल एवं इन्डोर स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्त के संबंध में उचित माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर खेल एवं इन्डोर स्टेडियम निर्माण के संबंध में विचार किया जाता है।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब मेरे पास आ गया है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिसकी मैंने मांग की थी, वह बजट में घोषणा सरकार ने कर दी है। इसके लिए मेरी ओर से मंत्रीजी को और हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद। मंत्रीजी से मैं इतना ही जानना चाहूंगा कि ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नहीं पूछना है? नहीं, पूछना है? पूरक प्रश्न पूछना है या नहीं?

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): हां, पूरक प्रश्न यह है कि यह जो स्टेडियम की घोषणा हुई है, यह बनेगा तो उसकी अनुमानित साइज और अनुमानित लागत क्या होगी अगर यह जवाब है तो दें और नहीं तो बाद में लिखकर दे देना। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्भाग स्तर पर साधारण तौर पर 10 हैक्टेयर भूमि की जरूरत पड़ती है। जिला स्तर के स्टेडियम के लिए तकरीबन साढ़े आठ हैक्टेयर की जरूरत पड़ती है, उपखंड स्तर पर तकरीबन आठ हैक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ती है और ग्राम पंचायत स्तर पर तीन एकड़ की जरूरत पड़ती है।

मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा कि माननीय सदस्य के क्षेत्र में एक स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। जो हमारे नियम हैं, उस हिसाब से हम वहां पर स्टेडियम बनाएंगे। उसके साथ-साथ माननीय सदस्य के भी और बाकी सब माननीय सदस्यों के जो ग्राम पंचायतें हैं, जो दस हजार से ज्यादा जिनकी आबादी है, उसके लिए 2024-25 बजट में और हाल ही का जो 2025-26 के बजट के अन्दर तकरीबन साढ़े पांच हजार की जिनकी आबादी है, वहां पर सब जगह हम ओपन जिम की भी तैयारी करवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अजय सिंह।

कीतलसर-पुन्दलोता (डेगाना) जलग्रहण उप समिति द्वारा जलग्रहण कार्य

360. श्री अजय सिंह (डेगाना): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्ष 2014-15 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पूर्ववर्ती IWMP) अन्तर्गत जलग्रहण उप समिति कीतलसर व पुन्दलोता द्वारा कराये गये जलग्रहण विकास कार्यों का भुगतान लम्बित है? यदि हां, तो क्यों?

(2) सरकार उक्त बकाया भुगतान कब तक करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पंचायती राज मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्ष 2014-15 में प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (पूर्ववर्ती IWMP) अंतर्गत जलग्रहण उप समिति कीतलसर-पुन्दलोता द्वारा कराये गये जलग्रहण विकास कार्यों का भुगतान तत्समय संबंधित जलग्रहण उपसमिति के अध्यक्षों द्वारा दिसम्बर 2019 में तत्कालीन PIA, सहायक अभियंता, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, डेगाना को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये थे। वर्तमान में जिले द्वारा जलग्रहण उप समिति कीतलसर-पुन्दलोता के कुल 55 कार्यो राशि रूपये 5933054.00 के भुगतान की मांग राज्य स्तर पर प्रस्तुत की गई है।

उक्त कार्य IWMP 24/2011-12 जलग्रहण क्षेत्र कीतलसर-पुन्दलोता से संबंधित है जो कि 2011-12 की स्वीकृत परियोजना थी तथा जिसकी समय अवधि वर्ष 2016-17 में समाप्त हो गई थी। परियोजना की अवधि समाप्त होने के उपरान्त जलग्रहण समिति द्वारा बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने के कारण, कार्यों का भुगतान बकाया है।

(2) उक्त कार्यो के भुगतान हेतु पत्रावली वित्त विभाग से सहमति हेतु प्रक्रियाधीन है। वित्त विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप भुगतान किया जाना सम्भव होगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछें।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास में प्रश्न का उत्तर आ गया है और मैं माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से पूरी तरह से संतुष्ट हूं। बस जल्दी से जल्दी आप भुगतान करवाने का कष्ट करें।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): वित्त विभाग से जब भी यह पत्रावली आयेगी, वित्त विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप भुगतान किया जाना सम्भव होगा। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पूरक प्रश्न नहीं पूछा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछ लिया उन्होंने। ...(व्यवधान)... आपका पूरक प्रश्न है क्या?

श्री अजय सिंह (डेगाना): नहीं है। मैं संतुष्ट हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आगे चलिए। श्री राधेश्याम बैरवा।

बारां-अटरू में ग्राम सभा द्वारा पेन्शन का अनुमोदन

361. श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार ने पेंशन रोकने से पहले ग्राम सभा से अनुमोदन अनिवार्य कर दिया है? क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में ग्राम सभाओं में अनुमोदन के पश्चात् भी पेंशन रुकने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त के निस्तारण के लिए क्या कार्रवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): (1) सामाजिक सुरक्षा

पेंशन योजनान्तर्गत विभिन्न कारणों से निरस्त की गई पेंशन स्वीकृतियों की सूची को ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया जाकर अपात्र पेंशनर्स को निरस्त किये जाने तथा पात्र पेंशनर की गलत सूचनाओं के आधार पर निरस्त पेंशन को पुनः प्रारम्भ किये जाने हेतु ग्राम सभा द्वारा अनुशंसा कर सम्बन्धित पेंशन स्वीकृति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी) को प्रेषित करने बाबत जारी पत्र राजकाज रेफरेंस नम्बर 12460047 दिनांक 16.12.2024 परिशिष्ठ-''अ'' पर संलग्न है।

विधानसभा क्षेत्र बांरा-अटरू में ग्राम सभाओं में अनुमोदन के पश्चात् पेंशन रूकने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर आ गया है लेकिन मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: जरूर पूछिये।

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): क्या सरकार लोगों को सत्यापन करने की दृष्टि से आंखों की पुतली एवं फिंगर प्रिंट तथा मोबाइल पर ओ.टी.पी. के द्वारा सत्यापन किया जाता है? वृद्धावस्था में मोतियाबिंद ऑपरेशन होने तथा मजदूर वर्ग की फिंगर प्रिंट नहीं आने और मोबाइल का नम्बर परिवर्तन हो जाने की स्थिति में सत्यापन से वंचित रहना पड़ रहा है तो विभाग वंचित लोगों का किस प्रकार से सत्यापन करवाकर योजना का लाभ देने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): सर, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: दोनों एक साथ ही? एक का जवाब आने दीजिए।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह अवगत करवाना चाहूंगा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत यह प्रतिवर्ष हम लोग वैरिफिकेशन करते हैं। पहले ऑफलाइन वैरिफिकेशन होता था लेकिन 2021 में कांग्रेस सरकार ने भौतिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया था जिसके कारण प्रतिवर्ष हम लोग भौतिक सत्यापन करवाते हैं और अभी तक हमने 91 लाख में से सत्यापित जो पेंशनर्स हैं, 91.73 लाख में से 77.80 लाख का सत्यापन कर चुके हैं, 85 प्रतिशत के करीब, लेकिन कुछ बकाया है, जैसा कि माननीय सदस्य ने भी बताया है कि जिनका यह फिंगर प्रिंट नहीं आ रहा है, कोई रेटिना की प्राब्लम है या अन्य जो भी दूसरे कारण हैं, जिनकी वजह से वैरिफिकेशन नहीं होता है तो हम इस सम्बन्ध में पहले ही आर्डर जारी कर चुके हैं। हम एस.डी.एम. और बी.डी.ओ. के थ्रू, वहां पर ग्राम सेवक और यह पटवारी है, उनके माध्यम से वह उन तक पहुंचेंगे, ई-मित्र को भी हमने यह कहा है कि वह ग्राम पंचायत से वहां पर जाये और ऐसे जो दुर्बल लोग हैं, जो नहीं जा सकते हैं, उम्र ज्यादा है जिनकी, जो वहां पर वैरिफिकेशन नहीं करवा सकते तो वह इन अधिकारियों के माध्यम से, एस.डी.एम./बी.डी.ओ. के जो मोबाइल है, मोबाइल पर ओ.टी.पी. लेकर उनका वैरिफिकेशन करते हैं और किसी भी

व्यक्ति की पेंशन सिर्फ इसलिए रोकी जाती कि वह वैरिफिकेशन इस कारण से नहीं करवा पाता है, लेकिन सरकार का और माननीय मुख्य मंत्रीजी का यह विजन है कि शत-प्रतिशत वैरिफिकेशन हो, जिससे पात्र व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिल सके।

श्री अध्यक्षः अगला पूरक प्रश्न। कोई और पूछना है?

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): सर, मुझे यह दूसरा पूरक प्रश्न पूछना है।

श्री अध्यक्षः हां, बोलिये।

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों में जानकारी के अभाव में पात्र लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरे बारां जिले में मात्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में वर्ष 2025 में 82 प्रतिशत लोगों का सत्यापन किया जा चुका है। क्या सरकार पंचायत स्तर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत आने वाली महिला सम्मान पेंशन योजना, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना तथा पालनहार योजना, मुख्य मंत्री कन्यादान योजनाओं सहित ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछें।

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): अनेक योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलवाने हेतु शिविरों का आयोजन करने का विचार रखती है या नहीं?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग के द्वारा पंचायती राज विभाग के माध्यम से उनकी जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभाएं आयोजित होती हैं, वहां पर भी हम लोग एक सर्कुलर के माध्यम से, जो हमने जारी किया था, उस सर्कुलर के माध्यम से हमने ग्राम सभाओं को यह कहा है कि वहां पर जितने भी लोग हैं, जो सत्यापन नहीं करवा पा रहे हैं, उनको, उन तक जानकारी पहुंचायें और उनका सत्यापन करवायें, जिससे उनको लाभ मिल सके तो यह हमने पहले ही सर्कुलर जारी किया हुआ है। जिस योजना के अन्दर यह पेंशन मिलती है, उसका वैरिफिकेशन होना आवश्यक है इसलिए ग्राम सभाओं को भी हमने एक लैटर लिखा है जिला कलक्टर के माध्यम से कि वह ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक करें, इन योजनाओं का प्रचार-प्रसार करें। ताकि इन लोगों को उसका लाभ मिल सके।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः हो गया इसमें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी भी लगभग 18 लाख लोग ऐसे हैं जिनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है तो उनकी पेंशन बंद होने की तलवार लटक गयी है तो क्या सरकार कोई अभियान चलाकर, कितने समय में उनका सत्यापन करवाना चाहेगी?

श्री अध्यक्षः बताइये।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बता सही है कि आज दैनिक भास्कर के अन्दर यह खबर छपी है, जिसमें 18 लाख लाभार्थियों के सत्यापन नहीं होने की खबर छपी है, लेकिन मैं यह आकड़ा दुरुस्त करना चाहता हूं कि यह 18 लाख नहीं है, यह 14 लाख के करीब आकड़ा है, जिनका सत्यापन नहीं हो रहा है। 31 मार्च तक की हमने डेड-लाइन दे रखी है। पिछले साल हमने 97 परसेंट के करीब सत्यापन कर दिया था, इस बार हमने 85 प्रतिशत के करीब तो कर दिया है। पिछले दिनों हमने अधिकारियों के साथ में, समस्त डी.एल.ओ. के साथ में बैठक की है और 31 मार्च, 2025 तक की डेड-लाइन दी है, 31 मार्च, 2025 तक आप शत-प्रतिशत सत्यापन करें। सत्यापन नहीं होगा तो पेंशन रुक जायेगी लेकिन उनको फिर अवसर दिया गया है कि उसके बाद भी आप पेंशन, जब भी आप वैरिफिकेशन करवा देंगे, सत्यापन करवा देंगे तो आपकी पेंशन चालू हो जायेगी, पेंशन बंद नहीं होती है। यह आपकी सरकार के समय 2021 में आपने भौतिक सत्यापन का ऑनलाइन करने के लिए यह आर्डर किया था इसलिए हम यह चाहते हैं कि शत-प्रतिशत सत्यापन हो और सभी लोगों को इसका लाभ मिले।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। डॉ. दयाराम परमार।

जनजाति क्षेत्र में संचालित स्वच्छ परियोजना

362. डॉ. दयाराम परमार (खेरवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में स्वच्छ परियोजना नाम से संस्था है? यदि हां, तो उक्त संस्था आदिवासियों के विकास के लिए क्या कार्य करती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त संस्था पूर्व में पूरे प्रदेश में संचालित थी, जिसे बन्द कर केवल आदिवासी क्षेत्र में ही संचालित रखा गया है? यदि हां, तो क्यों?

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): (1) स्वच्छ परियोजना राजस्थान सोसायटी एक्ट, 1958 के तहत एक पंजीकृत संस्था है। यह संस्था जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा स्वीकृत विभिन्न योजनाएं यथा- मां-बाडी केन्द्रों का संचालन, स्वास्थ्य कर्मी योजना, सहरिया/कथौडी परिवारों को नि:शुल्क घी, तेल, दाल वितरण करना एवं सोलर सामुदायिक जलोत्थान योजनाओं का संचालन का कार्य तथा छात्रावासों में मानव श्रम उपलब्ध कराने का कार्य करती है। (व्यवधान)...

डॉ. दयाराम परमार (खेरवाड़ा): अध्यक्षजी, मैं प्रश्न पूछ लेता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अब पूरा खंड-2 तो पढ़ना ही पड़ेगा या तो आप शुरू में ही कह देते। अब आधा प्रश्न का उत्तर आया है, आधे का उत्तर आने दीजिए। हां, आप पढ़िये, नहीं तो आपका यह अधूरा रह जायेगा।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): (2) जी नहीं। पूर्व में धौलपुर, जैसलमेर, झालावाड जिलों में विभिन्न स्वीकृत योजनाएं संचालित थीं, जहां योजना पूर्ण होने

से योजना को बंद कर दिया गया है।

स्वच्छ परियोजना द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के अतिरिक्त माडा, बिखरी एवं सहरिया क्षेत्र में भी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

ssy/rtm/10.03.2025/12.00/1g

श्री अध्यक्षः प्रश्न काल समाप्त। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

1. श्री गणेशराज बंसल, सदस्य की ओर से विद्युत कर्मियों के इन्टर डिस्कॉम स्थानान्तरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

2. श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में नशे के अवैध कारोबार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. डा. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर में की जा रही वित्तीय अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. डॉ. सुभाष गर्ग, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के ग्रामीण क्षेत्र में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

5. श्री डूंगरराम गेदर, सदस्य की ओर से सूरतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में बीकानेर बाईपास पर पुल का कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

6. श्री रफीक खान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में दूषित पेयजल की आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. श्री विकास चौधरी, सदस्य की ओर से पुष्कर में अधिवक्ता की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

8. डॉ. शिखा मील बराला, सदस्य की ओर से प्रदेश में टोलकर्मियों द्वारा वाहन चालकों के साथ अभद्रता एवं मारपीट किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

9. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के श्रमिक परिवारों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

10. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से विजय नगर ब्लैकमेल कांड से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

11. श्री पितराम सिंह काला, सदस्य की ओर से ग्रेटर नगर निगम जयपुर द्वारा वार्ड नंबर 105 में स्थित डॉक्टर अंबेडकर स्मारक बुद्ध विहार को निगम द्वारा हटाये जाने की धमकी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

12. कुमारी रीटा चौधरी, सदस्य की ओर से झुंझुनू जिले में विद्युत लाइनों हेतु अवाप्त भूमि का निर्धारित मुआवजा न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

13. श्रीमती इन्द्रा, सदस्य की ओर से प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

14. श्री थावर चन्द, सदस्य की ओर से मजदूरी हेतु दूसरे प्रान्तों में जाने वाले आदिवासियों को होली के त्यौहार पर परिवहन साधनों के अभाव में हो रही समस्या के संबंध में।

15. श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से चूरू जिले में ओलावृष्टि से खराब हुई फसल का मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य कुमारी रीटा चौधरी, श्रीमती इन्द्रा, श्री थावर चन्द एवं श्री पूसाराम गोदारा को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनिट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. डॉ. शिखा मील बराला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमू के गोविन्दगढ़ में राजमार्ग पर एवं फ्लाईओवर के नीचे जल भराव होने के संबंध में।

2. डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की विद्युत समस्या का निराकरण करवाये जाने के संबंध में।

3. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से राजसमन्द नगर परिषद क्षेत्र में आधुनिक सीवरेज तंत्र विकसित किये जाने के संबंध में।

4. श्री छोटूसिंह, सदस्य की ओर से जैसलमेर जिले में बारानी भूमि का आवंटन किये जाने के संबंध में।

5. श्री उमेश मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसपुर में कतिपय मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किये जाने के संबंध में।

6. श्री रोहित बौहरा, सदस्य की ओर से प्रदेश में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत संविदाकर्मियों को नियमित किये जाने के संबंध में।

7. श्री गोपाल लाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ के चिकित्सालयों का क्रमोन्नयन एवं नवीन चिकित्सालय खोले जाने के संबंध में।

8. श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ की निर्माणाधीन सड़कों का कार्य पूर्ण किये जाने के संबंध में।

9. श्री रामस्वरूप लाम्बा, सदस्य की ओर से नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में पदों की संख्या बढ़ाये जाने के संबंध में।

10. श्री पुष्कर लाल डांगी, सदस्य की ओर से नशीले पदार्थों की रोकथाम हेतु कठोर कानून बनाये जाने के संबंध में।

11. श्री चुन्नीलाल सी.एल.प्रेमी बैरवा, सदस्य की ओर से केशोरायपाटन में उप कारागृह खोले जाने के संबंध में।

12. श्री जसवंत सिंह गुर्जर, सदस्य की ओर से पंचायत समिति बाड़ी के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

13. डा. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना में नवीन न्यायालय खोले जाने के संबंध में।

14. श्री गोपीचन्द मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के संबंध में।

15. श्री रमेश खींची, सदस्य की ओर से अलवर जिले को संभाग बनाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 10/03/2025 को शून्यकाल में बोलने के लिए 42 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गई, जो निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	माननीय सदस्य का नाम	विषय
1.	श्री रविन्द्र सिंह भाटी	शिव विधान सभा क्षेत्र में गंभीर पेयजल संकट के समाधान हेतु 1000 फीट गहराई तक ट्यूबवेल खुदाई के लिए विशेष पैकेज की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
2.	श्री गुरवीर सिंह	श्रीगंगानगर के लालगढ़ जटान में हैंडबॉल एकेडमी पुन: स्थापित करने बाबत।
3.	श्री मनीष यादव	शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र में परिवहन में आ रही समस्याओं के संबंध में।
4.	श्री धर्मपाल	खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में स्थित बस डिपो की वर्तमान स्थिति के संबंध में।

सुश्री रीटा चौधरी।

झुंझुनूं में विद्युत लाइनों हेतु अवाप्त भूमि के निर्धारित मुआवजे का अभाव

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 के अंतर्गत मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने झुंझुनूं जिले की एक समस्या के बारे में अपने विचार रखना चाह रही हूं, आशा करती हूं कि आप इसके अन्दर सरकार को आदेशित करेंगे, क्योंकि किसान हमारी रीढ़ की हड्डी होते हैं। झुंझुनूं जिले के क्षेत्र से 765 केवी की लाइन जा रही है, बीकानेर से नीमराणा के लिए 2 लाइनें जा रही हैं। एक लाइन पावर ग्रिड के द्वारा तैयार की

जा रही है जो अलसीसर, चूरू, मंडरेला और पिलानी क्षेत्र से जा रही है। दूसरी लाइन टाटा पावर के द्वारा तैयार की जा रही है जो नवलगढ़, खेतड़ी, गुढा से होकर जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, वहां पर किसान पिछले एक महीने ज्यादा से धरने, प्रदर्शन पर बैठे हैं। उनकी जो भूमि लाइन डालने के लिए, टावर लगाने के लिए, कॉरिडोर बनाने के लिए अवाप्त की जा रही है, उनको उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। हम जो भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आये थे उसमें भी कहा गया है कि अगर किसानों की जमीन अवाप्त की जाती है तो डीएलसी रेट के 4 गुना उनको दी जायेगी और जो कॉरिडोर होगा उसके अन्दर उसको 30 परसेंट ज्यादा मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठकर के बात करें।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): अध्यक्ष महोदय, काफी समय से किसान धरने पर बैठे हैं, ना सरकार, ना प्रशासन उनकी सुध ले रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि यहां पर माननीय मंत्री महोदय भी बैठे हैं, आप लोग एक डेलीगेशन भेजें क्योंकि किसानों का यह बहुत गंभीर मुद्दा है, लाइन भी जरूरी है, लेकिन किसानों की जो जमीन अवाप्त हो रही है उसका मुआवजा उनको नहीं मिल रहा है। जो कंपनी है, वह उनको डीएलसी रेट का दुगना दे रही है और जो कॉरिडोर है, उसमें डीएलसी रेट का केवल 30 परसेंट दे रही है जो ना के बराबर है।

किसानों के लिए उनकी जमीन ही उनकी कमाई है, उनकी जिंदगी है। जब किसान चिंता और अवसाद में आ जायेगा तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव उनके परिवार पर तो पड़ेगा ही, हमारे देश के प्रधान मंत्री स्वावलंबन की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं उनके विचारों को भी ठेस लगेगी। किसान अगर त्रस्त होगा तो निश्चित रूप से हमारी जो देश की आर्थिक व्यवस्था है कहीं न कहीं उसको भी नुकसान होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय प्रशासन के कुछ आदमी भेजें और उनसे वार्ता करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती इन्द्रा।

अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभ की अप्रदायगी

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 50 पर अनुसूचित जनजाति मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से अनुसूचित जनजाति के साथ में बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, छात्रवृत्ति की योजना इसलिए चलाई जाती है जिससे बच्चों को पढ़ाई में प्रोत्साहन मिले।

spp/rtm/10.03.2025/12.10/1h

छात्रवृत्ति योजना इसलिए दी जाती है बच्चों को कि पढ़ाई में कभी दिक्कत नहीं आए।

गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, लेकिन उस छात्रवृत्ति में इतना बड़ा अंतर आया है एक साल के अन्दर, आपको मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से मुझे सदन के माध्यम से ही सवाल के जवाब में प्राप्त हुआ

श्री अध्यक्षः माननीय, आप वहां चले जाओ। आराम से बात करो।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): नहीं है की 265 लाख रुपये 2019-20 में 265, 2020-21 में भी ट्रिपल संख्या में हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूं और यह आपके माध्यम से कहना चाह रही हूं कि डबल अंकों में 2023-24 की छात्रवृत्ति इन लोगों के द्वारा 96 लाख रुपए ही वितरित की गई है और सबसे ज्यादा रिजेक्ट करने का रिकॉर्ड भी यही बना है 6,045 छात्रों का और सबसे पेंडिंग भी इसी साल के अंदर रही है। इन्होंने जवाब में यह दिया है कि केंद्र प्रवर्तित अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति है, इसमें 75% पैसा केंद्र से आता है और 25% पैसा राज्य सरकार से मिलता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दोनों का मामला है। ये सुनते-सुनते हमारे कान पक गए हैं कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, यह सरकार कब काम आएगी? अनुसूचित जनजाति की छात्रवृत्ति के लिए काम नहीं आ रही है तो डबल इंजन में क्या डीज़ल ज्यादा डलने लग गया क्या? इसलिए छात्रवृत्ति का पैसा भी उसके अंदर खपत होने लग गया।

श्री अध्यक्षः श्री थावर चन्द। दो मिनट कम्प्लीट हो गये। बैठिये। बिराजो। श्री थावर चन्द।

आदिवासियों को होली के त्यौहार पर परिवहन साधनों का अभाव

श्री थावर चन्द (धरियावद): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आज मुझे उन गरीब, आदिवासी और मजदूर भाइयों की आवाज उठाने के लिए यहां अवसर मिला। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इलाके के अंदर आर्थिक स्थिति सक्षम नहीं होने के कारण कई सारे, मेरे जैसे नौजवान अपने परिवार का बोझ अपने कंधों पर लादकर या फिर अपने घर परिवार का पेट पालने के लिए अहमदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य इलाकों में मजदूरी के लिए जाते हैं। जब त्यौहार का समय आता है तो चार-चार महीने बाद में वह परिवार के पास जब जाते हैं तो परिवहन की व्यवस्था नहीं होने के कारण उधर से उधर एक प्राइवेट बस द्वारा किसी व्यक्ति को 500 रुपये का जो किराया होता है, उसकी जगह 3 हजार, 4 हजार की वसूली की जाती है। अब ये पीड़ा हम जानते हैं कि 300 रुपये कमाने वाला अगर 4 हजार देगा तो कितनी पीड़ा होगी, क्योंकि इस पीड़ा को मैं खुद झेल चुका हूं और हमें मालूम है कि अगर मेहनत की कमाई को कोई और खाये तो कितना दु:ख महसूस होता है। इसके साथ में, परिवहन के साथ, यदि कोई प्राइवेट बस या प्राइवेट गाडी भी करके आता है तो ऐसे वक्त में रतनपुर बॉर्डर में परिवहन विभाग और आरटीओ द्वारा एक-एक लाख रुपये का उस गाड़ी के चालान काट दिए जाते हैं। जो मजदूर 300 रुपये कमाता है, आखिर वो एक लाख रुपये किस हैसियत से भर पायेगा? अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी।

ऐसे में, मैं आज राजस्थान सरकार से भी ये उम्मीद करता हूं कि अभी जो त्योहार का समय है, वो गरीब मजदूर चुनाव के समय में अपने पैसों से सरकार बनाने के लिए आए थे, इन गरीब मज़दूरों को अपने परिवार से मिलाने के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाए ताकि वो अपने परिवार से मिल सके और खुशी-खुशी इस त्यौहार को मना सकें। मैं पुनः पूरे प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री पूसाराम गोदारा।

चूरू में ओलावृष्टि से खराब हुई फसल का मुआवजा

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस स्थगन प्रस्ताव के तहत नियम 50 में बोलने का मौका दिया। चूरू जिले में पिछले सप्ताह बहुत जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि होने के बाद अभी तक किसान जगह जगह आंदोलन पर है। सात तारीख को राजगढ़-पिलानी हाईवे तक जाम हुआ, लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासन द्वारा उनसे कोई वार्ता नहीं हुई। मेरा आपसे निवेदन है कि इस ओलावृष्टि से किसानों की फसल चौपट हो गई और भारी नुकसान हुआ है। कहीं कहीं तो गांव में और कहीं-कहीं खेतों में कम से कम 80% नुकसान हुआ है। फावड़े से लोगों ने ओलों को इकट्ठा किया है । आज किसान की यह स्थिति हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं माननीय आपदा मंत्री महोदय और राजस्थान सरकार को, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विचार कहना चाहूंगा कि आप निश्चित तौर से जिला प्रशासन को तत्काल निर्देश जारी करें कि उन किसानों से वार्ता करें और खेत को यूनिट माना जाए क्योंकि एक गांव में एक पूरे खेत की हो गई, एक गांव की आधे खेत में फसल नष्ट हो गई, आधे में बिलकुल नहीं हुई। इसलिए उन किसानों को ओलावृष्टि का नुकसान मिले, मुआवजा मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए मैं राजस्थान सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल निर्देश जारी कर उन किसानों से करें और चूरू जिले के अधिकतर क्षेत्रों में अधिकतर तहसीलों में ओलावृष्टि हुई है और भयंकर ओलावृष्टि है, उनको मुआवजा उपलब्ध कराकर के किसानों को संबल प्रदान करें। यह मेरी आपसे मांग है, गुजारिश है। इसलिए तत्काल आज ही इस पर जिला प्रशासन को निर्देश जारी कर रिपोर्ट मंगाई जाए और इसी सत्र में निर्णय कर और अगले सप्ताह तक या अगले महीने तक कम से कम होली के बाद उन्हें मुआवजा उपलब्ध कराएं। यह मेरी निवेदन है आपसे। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष: 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। डॉ. शिखा मील।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

चोमू के गोविन्दगढ़ में राजमार्ग एवं फ्लाई ओवर के नीचे जल भराव

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आभार। प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं

सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि चोमू के गोविंदगढ़ क्षेत्र में हाईवे फ्लाईओवर के नीचे व सर्विस रोड पर सालों से हर बरसात के दौरान एक से दो फुट गहराई तक पानी भर जाता है। इस वजह से कस्बे में व ग्राम धोबलाई की तरफ जाने वाले सभी वाहनों को समस्या का सामना करना पड़ता है। पैदल और दुपहिया वाहन पर सवार लोग बहुत बार इस पानी में गिरने से चोटिल हो जाते हैं। बहुत से स्कूली और कॉलेज के छात्र-छात्राएं हर बरसात के मौसम में आने वाली इस समस्या से भयग्रस्त रहते हैं। स्थानीय व्यापारीगण एवं क्षेत्रवासी सालों से इस सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों और अधिकारीगणों को अवगत कराते आए हैं, परंतु इस मामले में उन्हें किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली। अतः आपसे निवेदन है कि आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए इस विषय को गंभीरता से लेते हुए उक्त समस्या का शीघ्र से शीघ्र समाधान कराया जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: डॉ.विश्वनाथ मेघवाल।

खाजूवाला की विद्युत समस्या का निराकरण करवाना

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के अधिकांश क्षेत्र में सिंचाई ट्यूबवैल से होती है जिससे किसानों की निर्भरता विद्युत सप्लाई पर रहती है। गर्मी के मौसम में विद्युत भार बढ़ जाने के कारण बार-बार विद्युत सप्लाई में कटौती होती हैं तथा निरंतर सप्लाई नहीं मिल पाती है। विगत सरकार द्वारा 132 केवी जीएसएस दामोलाई, आरडी 465 और पूगल में स्वीकृत किए गए थे, परंतु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ। तहसील छतरगढ़ में स्थापित 132 केवी जीएसएस पर दो पावर ट्रांसफार्मर लगे हैं। वोल्टेज सुधार के लिए 31.5 एमवीए और 40/50 एमवी के पावर ट्रांसफर स्थापित करने की आवश्यकता है। तहसील छतरगढ़ में स्थापित 220 केवी जीएसएस के एक पावर ट्रांसफार्मर लगा है, जिसकी क्षमता 160 एमवीए है। कृषि उपभोक्ताओं की वोल्टेज सुधार के लिए एक अन्य 160 एमवीए का पावर ट्रांसफर स्थापित करने की आवश्यकता है। 132 केवी जीएसएस खाजूवाला में एक पावर ट्रांसफार्मर लगाया है, जिसकी क्षमता 1x20/25 एमवी है। उपभोक्ताओं की वोल्टेज सुधार के लिए एक अलग से 20/25 एमवीए के पावर ट्रांसफार्मर स्थापित करने की आवश्यकता है। उक्त बिजली की समस्याओं की ओर माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षण का निवेदन है कि उक्त समस्या का समाधान कर विद्युत समस्या से राहत दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

राजसमन्द नगर परिषद् क्षेत्र में आधुनिक सीवरेज तंत्र का विकास

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष

उल्लेख पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः बिराजो, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बैठकर बात करें। आराम से करें।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): महोदय, मैं निम्न अविलंबनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना (RUDIP) चरण चार के अंतर्गत राजसमंद नगर परिषद में सीवरेज नेटवर्क के विकास हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर वर्ष 2021 में तैयार किया गया था? इस महत्वपूर्ण परियोजना की कुल अनुमानित लागत 220.63 करोड़ आंकी गई थी। राजसमंद नगर में सुव्यवस्थित और आधुनिक सीवरेज नेटवर्क की आवश्यकता लंबे समय से बनी हुई है। वर्तमान में समुचित जल निकासी प्रणाली के अभाव में नागरिकों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे स्वच्छता, पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह परियोजना नगर की मूलभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण में सहायक होगी और स्वच्छता सम्बन्धी समस्याओं का स्थायी समाधान प्रदान करेगी।

अतः राज्य सरकार से आग्रह है कि इस परियोजना प्रतिवेदन को शीघ्र स्वीकृत कर आवश्यक बजट आवंटित किया जाए तथा कार्य प्रारंभ करवाया जाए ताकि राजसमंद नगर के नागरिकों को स्वच्छ एवं आधुनिक सीवरेज प्रणाली का लाभ मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री छोटूसिंह।

jyg/rtm/10.02.25/12.20/1j

श्री अध्यक्षः श्री छोटूसिंह।

जैसलमेर में बारानी भूमि का आवंटन

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अंतर्गत आपने मुझे प्रस्ताव रखने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, (जैसलमेर जिले में राजस्व क्षेत्र के भूमिहीन स्थानीय निवासियों को बारानी भूमि आवंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर जिले का यह दुर्भाग्य रहा है कि वर्ष 1970 से 1975 के बीच में राजस्व विभाग की थोड़ी बहुत बारानी भूमि का स्थानीय भूमिहीन लोगों को आवंटन किया गया लेकिन पर्याप्त मात्रा में भूमि की उपलब्धता होने के बावजूद उसके बाद कोई आवंटन नहीं किये गये। पिछले 50 वर्षों में धीरे-धीरे बारानी भूमि कम होती गयी परन्तु स्थानीय भूमिहीन आवेदकों को बारानी भूमि आवंटन करने के लिए कोई राहत प्रदान नहीं की गयी। वर्ष 2004 में राज्य की भाजपा सरकार ने राजस्व विभाग की भूमि पर बारानी भूमि आवंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये परन्तु वर्ष 2010 में कांग्रेस सरकार द्वारा बारानी भूमि के समस्त 26,335 आवेदन निरस्त कर स्थानीय भूमिहीन जनता के हितों पर कुठाराघात कर दिया। राजस्थान में एकमात्र जैसलमेर ऐसा जिला है जहा सोलर और अन्य कंपनियों को लाखों बीघा भूमि आवंटन के लिए सुविधा है परन्तु स्थानीय

भूमिहीन लोगों को बारानी भूमि आवंटन के लिए कोई राहत नहीं है। वर्षों से मांग किए जाने पर भी सरकारों का कोई सकारात्मक रुख नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार से स्पष्ट हां या ना में जवाब चाहता हूं कि क्या सरकार बारानी भूमि आवंटन की प्रक्रिया को पुनः चालू करने के लिए नये सिरे से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगी? मुझे आशा है कि यह सरकार इस मामले में सकारात्मक होकर जैसलमेर जिला कलेक्टर को राजस्व की भूमि पर भूमिहीन आवेदकों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए निर्देश प्रदान करेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री उमेश मीणा।

आसपुर में कतिपय मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण

श्री उमेश मीणा (आसपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आसपुर का भौगोलिक क्षेत्रफल विस्तृत है और यहां ग्रामीण परिवेश की संख्या अधिक है। ऐसे में क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाने के लिए मजबूत और सुदृढ़ सड़कों का होना अत्यंत आवश्यक है। इस क्षेत्र में पंचायती व्यवस्था का विस्तार भी व्यापक रूप से देखने को मिलता है, जहां एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत 4-5 गांव शामिल हैं। ऐसी स्थिति में इन पंचायतों को आपस में सुचारू रूप से जोड़ने के लिए उचित सड़क नेटवर्क की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत सरकार से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र को निम्नानुसार सड़कें स्वीकृत मिसिंग लिंक में प्रदान करने का श्रम करावे-

1. बयौड़ा मिसिंग लिंग से कमलपुरा होते हुए बयौड़ा पंचायत भवन तक सड़क।
2. कहारी सीमा से थैयाता रोड़ तक सड़क।
3. डिमीया मुख्य सड़क से नवाघरा मुख्य सड़क तक सड़क।
4. सेलज मुख्य सड़क से झामका होते हुए चोरासी सीमा तक सड़क।
5. दोवड़ा मुख्य सड़क से पाहेता घाटी होते हुए कांकरी डूंगरी वाया मसानिया तक सड़क।
6. पातली मुख्य सड़क से महिपाल के घर के पास से बलवनिया स्कूल होते हुए नानुराम के घर तक सड़क।
7. नेड़ा शिलालेख मुख्य सड़क से पाट का वेला मुख्य सड़क तक सड़क।
8. मिसिंग लिंक टांटीया से गेमरिया चौराहा तक सड़क।
9. रामा से धनेला होते हुए रामा धाणी तक सड़क।
10. खुमाणपुरा मुख्य सड़क वाजवा तलाई तक सड़क।
11. रछी फला से काला कोटा देवापुरी धुणी तक सड़क।
12. घाटा मुख्य सड़क से डामोर फला होते हुए हनुमान मंदिर कांकरी तक सड़क।
13. खानन मुख्य सड़क से घाटी फला तक सड़क।
14. बकराईया मुख्य सड़क से पंचायत मुख्यालय होते हुए पारड़ा चुण्डावत तक सड़क।

15. पाटनपुरा मुख्य सड़क से नाल फला तक सड़क।

16. संपर्क सड़क मोती मंगरी से पोलिया बावसी तक सड़क।

17. बोड़ीगामा बड़ा विजयपुर मुख्य सड़क से छाणी मंगरी होते हुए आदिवासी बस्ती भचड़िया वाड़ा तक सड़क।

18. रिछा मुख्य सड़क से पूर्व विधायक रायाजी के घर के पास से बोसी विद्यालय तक सड़क।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अतः विशेष उल्लेख की मार्फत सरकार से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आसपुर मे उक्त सड़को का निर्माण कार्य अति शीघ्र करवाने का कष्ट करे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रोहित बौहरा।

प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत संविदाकर्मियों का नियमितीकरण

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि विगत कई वर्षो से कार्यरत लाखों हजारों ठेका, प्लेसमेंट, संविदा, निविदा माध्यम से लगे राजस्थान के सरकारी विभागों कर्मचारियों को आज की महंगाई के इस दौर में अपनी नियमित सेवाएं देकर 5000-7000/- रु. मासिक वेतन में अपना घर परिवार चलाना पड़ रहा है। राजस्थान बजट 2025-26 में की गयी घोषणा प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्मिकों को संविदा पर नियोजित किए जाने कि व्यवस्था को चरणबद्ध रुप से समाप्त कर कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था के गठन की मांग कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उल्लेखनीय यह भी है कि कुछ प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनियां छात्रों से कंपनियों में प्लेसमेंट हेतु पैसे का लेन-देन कर भ्रष्टाचार कर रही हैं, जिससे उक्त छात्रों को इन प्लेसमेंट एजेन्सियों से अनुभव प्रमाण-पत्र बडी आसानी से मिल जाता है, जिससे छात्रों को आर्थिक हानि के साथ-साथ उनका शोषण भी हो रहा है।

हर वर्ष कि भांति महंगाई तो बढ़ती है परन्तु उक्त संविदा कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं की जाती है और न ही ठेका प्रथा बन्द कर सरकारी बोर्ड RLSDC का गठन किया गया है।...

श्री अध्यक्ष: जो लिखा है वो ही पढ़ना है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अतः मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे कार्मिकों को संविदा पर नियोजित किए जाने कि व्यवस्था को चरणबद्ध रुप से समाप्त कर कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था का गठन कर इन्हें नियमित किया जाये ताकि इनके परिवार का भरण-पोषण हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री गोपाल लाल शर्मा।

मांडलगढ़ के चिकित्सालयों का क्रमोन्नयन एवं नवीन चिकित्सालयों की स्थापना

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एंव संचालन नियमों का नियम 295 विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न अविलंबनीय लोकमहत्व के विषय की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मांडलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र पूर्ववर्ती सरकार के समय से ही क्रमोन्नत नहीं हुए हैं। जिला मुख्यालय व दूरस्थ व खनन क्षेत्र होने की वजह से आम जन को चिकित्सकीय सुविधा प्राप्त करने में परेशानी उठानी पड़ती है। दुर्घटनाओं व गंभीर परिस्थिति में समय पर समुचित इलाज नहीं मिल पाने से काफी जनहानि हुई है। क्षेत्र के प्राथमिक व उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति को देखते हुए इनका क्रमोन्नयन व नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने थे, जो नहीं किये गये। क्षेत्र के आम जन की मांग को देखते हुए निम्न प्राथमिक स्वास्थ्य, उप स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत किया जाकर व निम्न नवीन स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाये जाकर राहत प्रदान करायें-

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडलियास, बरूंदनी, नंदराय को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मे क्रमोन्नत किया जाये।

(2) उप स्वास्थ्य केन्द्र थलकलां, किशनगढ़, ककरोलिया घाटी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाये।

(3) ग्राम भेरूखेडा गोविंदपुरा गंधेरी, घनवाडा, दांतडा छोटा, देवली, चौहली में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अतः सरकार से निवेदन हैं कि लोकहित को देखते हुए उपरोक्त उप स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत किया जाकर व नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाकर आमजन को राहत प्रदान करवाई जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

सुजानगढ़ की निर्माणाधीन सड़कों का अपूर्ण कार्य

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ सड़कें बजट घोषणा मार्च 2022 की हैं, जो जिसमें पहली गांव कातर बड़ी से गिरवरसर तथा दूसरी गांव रेडा से सोनियासर थी, जो अधूरी पड़ी हैं, जिस कारण इन सडकों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। 7-7 किलोमीटर लम्बी ये सड़कें सिर्फ 600-700 मीटर ही 1-1 खेत में बननी शेष हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उल्लेखनीय यह है कि स्टेट हाईवे नम्बर 20 जो कि

सुजानगढ़ से गुजरता है, जिसमें 2 साल पूर्व सुजानगढ़ से बीदासर 22 किमी सड़क 29 करोड रुपये की लागत की स्वीकृत हुई जो लगभग बन चुकी है। सड़क को गोपालपुरा गांव के बाहर से कटानी रास्ते से बाईपास निकलना था, रास्ते में गांव के कुछ घरों की दीवार व पक्के निर्माण बीच में आ रहे थे, जिनको भी उन घरवालों की सहमति से प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया। परन्तु कुछ काश्तकारों ने आपत्ति की कि उनके खेत से जो रास्ता निकलता है वो जहां नक्शे में कटा हुआ है मौके पर वहां से नहीं निकलकर कुछ मीटर आगे-पीछे है। पहले रास्ते व उनके खेतों की पैमाइश करा लें उससे पहले बिना पैमाइश की रिपोर्ट के सड़क नहीं बनने देंगे। परन्तु न तो आज तक पी.डब्लू.डी और न ही राजस्व विभाग इसको तय कर पी.डब्लू.डी को रिपोर्ट की कि उपरोक्त रास्ता कहां से सही गुजरता है तथा जिन लोगों के घरों की दीवार टूटी हुई है वो भी नहीं बना पा रहे है, पूरा गांव तथा वाहन चालकों को भारी परेशानी है जिन्हें गांव के बीच से संकडे व घनी आबादी में से गुजरना पड़ता है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि तुरंत रास्ते की पैमाइश कराकर इसकी वास्तविक जगह तय कर इस अधूरी सड़क व उन दोनों सड़कों का निर्माण तुरन्त पूर्ण कर गांव वासियों व वाहन चालकों को राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

MLS/RTM/10.03.2025/12:30/1k

श्री अध्यक्षः श्री रामस्वरूप लाम्बा।

नर्सिंग ऑफिसर भर्ती, 2023 में पदों की संख्या में बढ़ोतरी

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

महोदय, मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से नर्सिंग ऑफिसर भर्ती, 2023 से वंचित अभ्यार्थी संघ द्वारा प्रेषित मांग पत्र का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें इन्होंने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा, 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें 8750 पदों पर 1 गुना अभ्यर्थियों की अन्तरिम चयन सूची (प्रोविजनल लिस्ट) दिनांक 07.10.2023 को जारी की गयी। इसके एक वर्ष उपरान्त विभाग द्वारा दिनांक 06.12.2024 को अन्तिम वरीयता सूची जारी की गयी, जिसमें कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (सी.एच.ओ.) कैडर को बोनस अंक देने से अन्तरिम चयन सूची (प्रोविजनल लिस्ट) में चयनित कई अभ्यर्थियों को अन्तिम सूची से बाहर कर दिया गया था, जिस पर अन्तिम चयन सूची से बाहर हुए अभ्यर्थियों द्वारा माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय ने प्रोविजनल सूची से बाहर हुए अभ्यर्थियों की पीड़ा को समझते हुए नर्सिंग ऑफिसर भर्ती, 2023 के पदों में शिथिलन देते हुए पद वृद्धि की फाइल बनाकर अधिकारियों को प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया था। उक्त पद वृद्धि की फाइल कार्मिक व वित्त विभाग से स्वीकृत होकर उच्च स्तरीय अनुमोदन हेतु प्रस्तावित है।

अतः मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना

चाहूंगा कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती, 2023 में पद वृद्धि की फाइल के पदों में शिथिलन देते हुए अनुमोदन करवाकर उक्त पद नर्सिंग ऑफिसर भर्ती, 2023 में जल्द जोड़कर चयन सूची से बाहर हुए अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर नियुक्ति प्रदान कर राहत दिलाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री पुष्कर लाल डांगी।

नशीले पदार्थों की रोकथाम हेतु कठोर कानून का निर्माण

श्री पुष्कर लाल डाँगी (मावली): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान में नशीले पदार्थों का बढ़ता सेवन एक गम्भीर सामाजिक समस्या बनता जा रहा है। हाल के वर्षों में युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे समाज एवं परिवारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ड्रग्स, शराब, अफीम, गांजा एवं अन्य नशीले पदार्थों की बढ़ती उपलब्धता इस समस्या को और भी विकराल बना रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मावली में दिनांक 19 फरवरी, 2025 को सुरेश (रख्यावल), चेतन (सांगवा) एवं पुष्कर (पलाना) - तीन युवा नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन के कारण असमय मृत्यु को प्राप्त हो गये। यह दुखद घटना नशीले पदार्थों के बढ़ते प्रचलन और उनकी सहज उपलब्धता की ओर ध्यान आकर्षित करती है।

राजस्थान की भौगोलिक स्थिति इसे ड्रग तस्करी के लिए एक संवेदनशील क्षेत्र बनाती है। पंजाब और हरियाणा की भांति यहां भी नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। विशेष रूप से कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत् युवा इस जाल में आसानी से फंस रहे हैं।

नशे की लत से न केवल स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि अपराध दर में भी वृद्धि हो रही है। चोरी, लूटपाट एवं अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार एवं समाज को मिलकर इस गम्भीर समस्या के उन्मूलन हेतु प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत बिन्दुओं पर विचार करते हुए राज्य सरकार नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए कठोर कानून लागू करे तथा युवाओं को इस अभिशाप से बचाने हेतु ठोस कदम उठाये।

श्री अध्यक्षः श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा।

केशोरायपाटन में उप कारागृह की स्थापना

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे नियम 295 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में उप कारागृह खोलने के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया।

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव द्वारा सरकार का ध्यान आर्कषित कर यह निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन लगभग 120 कि.मी. क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसकी बून्दी

जिला मुख्यालय से दूरी काफी अधिक है। वर्तमान में केशोरायपाटन में पुलिस द्वारा निरुद्ध अभियुक्तों एवं विचाराधीन बन्दियों को जिला कारागृह बून्दी में भेजा जाता है तथा उन्हें पेशी पर केशोरायपाटन लाने-ले जाने में काफी समय लग जाता है तथा इस कार्य में अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की नियुक्ति, कैदी वाहन पर खर्च होने से सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है तथा लोगों को त्वरित न्याय मिलने में भी विलम्ब हो रहा है तथा केशोरायपाटन से बन्दियों को बून्दी कारागृह तक लाने-ले जाने में जोखिम रहता है।

केशोरायपाटन में उप-खण्ड एवं तहसील मुख्यालय के साथ-साथ पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय भी है। वर्तमान में बून्दी जिले में एकमात्र उपकारागृह केवल नैनवा में स्थित है। हाल ही में बजट सत्र में सरकार ने केशोरायपाटन में एडीजे कोर्ट खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की है, जिस कारण भविष्य में यहां मुकदमों की संख्या बढ़ने से यहां उप कारागृह खोला जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में उपकारागृह खोला जाये।

श्री सभापति: श्री जसवंत सिंह गुर्जर।

बाड़ी पंचायत समिति के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समिति बाड़ी में वर्ष 2021-2024 तक सहायक अभियन्ता एवं विकास अधिकारी पद पर कार्यरत थे। इस दौरान पंचायत समिति बाड़ी में बहुत ही भ्रष्टाचार हुए,...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें निवेदन है, व्यवस्था का आ गया। फोटो गलत भी नहीं लग रहे हैं, आप एक बार सभी माननीय सदस्यों को इजाजत दें कि अपने-अपने फोटो अपडेट कर दें। कइयों के फोटो बहुत जवानी के लग रहे हैं, कइयों के बुजुर्ग के हैं। कइयों के तो शादी के टाइम के लग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: पहले इनको पूरा कर लेने दें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जूली साहब का तो कॉलेज का फोटो लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: पहले इनको पूरा कर लेने दें, उसके बाद। ...(व्यवधान)... आप क्यों खड़े हो गये? 295 आधा बोल रहे हैं वे। आधा बोलकर, पूरा बोल लें वे, फिर जरूर बोलिये।

आप तो अपना शुरू रखें। ...(व्यवधान)... आप तो बोलिये अपना। अगला नाम पुकारूं?

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा। ...(व्यवधान)... अब सुन तो लो, साहब, यादव और गुर्जर में कोई फर्क नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप तो अपना बोलिये न, कोई सुने या नहीं सुने।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): कोई सुने तो सही।

श्री अध्यक्ष: मैं सुन रहा हूं।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): वर्ष 2021-2024 तक सहायक अभियन्ता एवं विकास अधिकारी पद पर कार्यरत थे। इस दौरान पंचायत समिति बाड़ी में बहुत ही भ्रष्टाचार हुए, जिसकी जांच पंचायती राज विभाग के द्वारा ज़िले लेवल से लेकर के राज्य स्तरीय लेवल तक जांच करायी गयी, जिसमें श्री एवं पंचायत समिति बाड़ी के प्रधान और सम्बन्धित कार्मिकों को दोषी पाया गया। आरोप सिद्ध होने को 16 CCA नोटिस देकर सस्पेंड कर गुढ़ामलानी बाड़मेर लगा दिया गया।

श्री अध्यक्ष: इस पर दबाव मत डालिये। हाथ में लेकर पढ़िये।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): मैं रखकर ही, एक ही बात है, साहब।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, एक ही बात नहीं है। This is not a stand. हाथ में रखिये न या तो इसमें डाल दीजिये।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): हाथ में क्या-क्या लेंगे साहब?

श्री अध्यक्ष: सभी लोग स्टैंड के रूप में काम में लेंगे, फिर वह दब जाता है।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): क्या-क्या चीज हाथ में लें साहब?

आरोप सिद्ध होने को 16 CCA नोटिस देकर सस्पेंड कर गुढ़ामलानी बाड़मेर लगा दिया गया। फिर इनको बहाल कर...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बोल कोई रहा है और फोटो कोई होती है। क्या चल रहा है, देखिये आप उधर।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): पारीक साहब, सुन लें मेरी जरा। बड़ा गम्भीर मसला है भ्रष्टाचार का।

श्री अध्यक्ष: आप तो इसमें से पढ़िये न जो लिखा है।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): वही पढ़ रहा हूं साहब।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 295 में जो लिख हुआ है, वही पढ़ना होता है।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): फिर इनको बहाल कर पंचायत समिति बसेड़ी लगा दिया गया जो कि पंचायत समिति बाड़ी से मात्र 15 किमी की दूरी पर है। यहां रहते हुए इन्होंने जांच को प्रभावित किया। हद तो यह हो गयी कि 16CCA नोटिस के बाद सस्पेंड हुए कर्मचारी को पुनः बहाल कर जहां इन्होंने भ्रष्टाचार किया, वहीं पर स्थानान्तरण कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष: विषय के अलावा कोई भी बोलें, अंकित नहीं।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 295 में जो लिखा है, वही पढ़ना है। माननीय सदस्य जो बहस कर रहे हैं, वह दूसरा विषय है।

श्री अध्यक्ष: वो ही पढ़ना है, मैं बार-बार कह रहा हूं।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): साहब, वही पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: कहां लिखा है, आप बताओ, आप जितना बोले हो, टेबल देख लो।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): मुझे एक शब्द बता दो, मैंने अलग क्या बोला है?

श्री अध्यक्ष: जो लिखा है, वह बोलो।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): वही बोल रहा हूं।

आज श्री रामजीत सिंह अपनी सेवा पंचायत समिति बाड़ी में दे रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय जी के लेवल से प्रधान पंचायत समिति बाड़ी एव सम्बन्धित कार्मिकों के खिलाफ रिकवरी मय व्याज सहित आदेश हो चुके हैं, किन्तु आज दिनांक तक प्रधान पंचायत समिति बाड़ी को निलम्बित नहीं किया गया, जबकि विभागीय जांच में ये भी दोषी पाये गये हैं। सरकार से निवेदन है कि बी.डी.ओ एवं प्रधान पंचायत समिति बाड़ी तथा सम्बन्धित कार्मिकों के ख़िलाफ़ निलम्बित कर कार्यवाही करने की कृपा करें।

मेरा इस सदन के माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय बैठे हैं...।

श्री अध्यक्ष: बैठे हैं, कहां लिखा है बैठे हैं? नो। अगला। अंकित नहीं। श्री ऋतु बनावत।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं, मांग का नहीं, यह पढ़ना होता है। बैठिये।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं, आधा दूसरा बोले हो। नो। ऋतु बनावत, बोलिये।

MKD/RTM/10.03.2025/12:40/1l

डा. ऋतु बनावत (बयाना): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने इजाजत दी थी, इनके बाद बोलना। ऋतु जी।

श्री अध्यक्ष: एक सेकंड।

अनुरोध एवं मांग

माननीय सदस्यगण के नवीनतम फोटोग्राफ का विधान सभा साहित्य में प्रयोग

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा निवेदन आपके विधान सभा सचिवालय से सम्बन्धित है। हमारे जितने भी माननीय सदस्य हैं, उनके विधान सभा सचिवालय ने आइडेंटिफिकेशन के लिए जो फोटो लगाये हैं, वे फोटो या तो बहुत पुराने हैं या कोई और जमाने के आ गये, आपने कहीं से लेकर लगा दिये।

सभी माननीय सदस्य सहमत हैं कि सभी को मौका दें, हम हमारे इस समय का फोटो लगा दें। अब जूली साहब ने कॉलेज के जमाने का फोटो लगा रखा है, पहचान ही नहीं पाते।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मेरे ध्यान में आ गया, मेरी समझ में आ गया। यह आवश्यक नहीं है एक विषय पर सभी बोलें। आप बोलिये। माननीय, ऐसे सभी खड़े होंगे तो सदन चलेगा ही नहीं। जिसका नाम पुकारा है, उसको बोलने दो। मुझे ध्यान में आ गया, बार-बार कोई भी रिपीट नहीं करें। आप भी नहीं बोलें। मैं उनको डांट रहा हूं।

नियम 295 क तहत विशेष उल्लेख

बयाना में नवीन न्यायालय की स्थापना

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना (076) में सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए रूपवास मुख्यालय पर ACJM व ADJ कोर्ट खोलने एवं बयाना स्थित अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश को क्षेत्राधिकार दिए जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूं।

क्षेत्र की जनता को वर्तमान में भरतपुर मुख्यालय पर संचालित न्यायालयों में सुनवाई हेतु जाना होता है। कई गांवों की दूरी तो भरतपुर जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर तक की है। डांग एवं ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण आवागमन के साधनों का अभाव व धन/समय का अधिक व्यय होना इत्यादि समस्या है।

महोदय, आपके माध्यम से में सदन व सरकार से यह अनुरोध करती हूं कि विधान सभा क्षेत्र बयाना के उपखण्ड रूपवास व बयाना मुख्यालयों पर निम्नांकित न्यायालयों का खोला जाना आवश्यक है-

1. मुख्यालय रूपवास में ACJM व ADJ कोर्ट खोला जाये।

2. मुख्यालय बयाना में अनुसूचित जाति-जनजाति (ST/SC) के प्रकरणों की सुनवाई अपर जिला एवं सेशन अधिकार दिया जाये।

3. बयाना मुख्यालय पर ए.डी.एम कार्यालय एवं राजस्व अपील स्थायी न्यायालय की जावे।

4. उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच भरतपुर में बयाना, वैर, भुसावर, रूपवास, रुदावल क्षेत्र के उपभोक्ता विवाद विचाराधीन है।

राजस्थान सरकार द्वारा सन् 2017 में बयाना मुख्यालय पर कैम्प कोर्ट स्थापित कर सुनवाई हेतु आदेश जारी किया गया, परन्तु आज दिनांक तक आदेश की क्रियान्विति नहीं हो पाई। उपभोक्ता न्यायालय को बयाना मुख्यालय पर कैम्प कोर्ट के माध्यम से लगाया जावे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं। पक्षकारों को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए जरूरी है।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपीचन्द मीणा।

जहाजपुर में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, सरकार से आग्रह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर मुख्यालय पर मिठ्ठनशाह बाबा की मजार के नाम से मात्र 19 बिस्वा भूमि रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने मजार की आड़ में आसपास की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करते हुए अवैध रूप से सर्विस सेंटर चलाया जा रहा है, विद्युत विभाग के कार्मिकों से सांठगांठ करते हुए नियमों के विपरीत सरकारी भूमि को अपना बताकर विद्युत कनेक्शन ले

लिया गया है। एक चौकनुमा सार्वजनिक बैठक बनाकर असामाजिक तत्वों द्वारा यहां से गुजरने वाली स्कूली छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार, छेड़छाड़ की जा रही है, पूर्व में भी दो-तीन छेड़छाड़ की घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले दिनों मिट्ठनशाह बाबा के आसपास से स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर कोरी कागजी खानापूर्ति मात्र ही की गई थी। मलबा कचरा आज भी ज्यों का त्यों पड़ा है, आसपास की समूची सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बरकरार है। भगवान के बेवाण पर पत्थर मारने वालों की गिरफ्तारी करवाई जावे।

इसी प्रकार जहाजपुर भंवरकला बांध के पेटे के पास रा.उ.मा.वि. जहाजपुर के खेल मैदान हेतु आवंटित भूमि पर अवैध अतिक्रमण के कारण स्वीकृतशुदा स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पा रहा है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज रावतखेडा आम रास्ते पर अवैध अतिक्रमण से आमजनों का सुचारु आवागमन बाधित हो चुका है।

अतः आग्रह है कि मिट्ठनशाह बाबा की 19 बिस्वा भूमि के आसपास मौजूद समस्त सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण व वर्णित खेल मैदान भूमि, बस स्टेंड, जहाजपुर से रावतखेडा आम रास्ते से एवं जहाजपुर किले के रास्ते से पक्का अतिक्रमण हटाया जावे। जनजाति छात्रावास निर्माण आवंटन भूमि, फल सब्जी मंडी आवंटन भूमि, उप जिला अस्पताल हेतु आवंटन भूमि का सीमाज्ञान कराके नगर पालिका क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जावे। ताकि..। धन्यवाद, सर।

श्री अध्यक्ष: हो गया, ताकि, इसमें है ही नहीं, हटाया जाए तक है। श्री रमेश खींची। जो लिखा है, वही पढ़े भाई।

अलवर सम्भाग का निर्माण

श्री रमेश खींची (कठूमर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं नियम 297 के तहत विशेष उल्लेखप्रस्ताव की सूचना।

मान्यवर, अलवर जिला काफी बड़ा होने व यहां की भौगोलिक स्थिति भी अनुकूल होने तथा राजस्व आय की दृष्टि से भी काफी अधिक होने तथा क्षेत्र में उधोगों की पर्याप्तता को देखते हुये अलवर जिले को सम्भाग बनाया जावे, ताकि अलवर जिले के एवं उसके आसपास के जिलों के निवासियों को जयपुर का सफर तय करने में हो रही असुविधा से निजात मिल सके।

मान्यवर, अलवर एवं आसपास के जिले के निवासियों को कार्य सम्पादन हेतु जयपुर संभाग में आने पर काफी श्रमसाध्य व खर्चीला पड़ता है।

अतः आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर मेरा अनुरोध है कि अलवर जिले को संभाग बनाया जावे, ताकि आमजन को लाभ मिल सके, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

शिव में पेयजल संकट के समाधान हेतु विशेष पैकेज

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने मुझे

बोलने का मौका दिया। मेरा निवेदन है कि गर्मियों के दिन आने वाले हैं। पानी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पिछली बार भी हीट वेव के कारण काफी समस्याओं का सामना हम सभी को करना पडा।

मैं सीमान्त क्षेत्र की बात करूं तो सीमान्त में आज के समय में भी पानी की बहुत बड़ी समस्या है और गर्मियों के दिनों को देखते हुए हमें अभी से व्यवस्थाएं करनी चाहिए। शिव विधान सभा क्षेत्र के विशेषकर रामसर, सियाणी, गडरारोड, सम्पूर्ण शंणदराटी, हरसाणी, गराब, कोटड़ा, ऊंडू, बिहाड़, शिव गूंगा केनलरो पूरे विधान सभा क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत ज्यादा है।

मेरा निवेदन है कि अभी भी जो ट्यूबवैल हमें दिये जा रहे हैं, उनकी जो डेफ्थ है, वह 500 से 600 फीट है, हमारे यहां जो भूजल है, उसका जो स्तर है, वह काफी नीचे है।

मेरा माननीय मंत्री जी से और प्रदेश की सरकार से निवेदन रहेगा कि आप कम से कम 1000 फीट का ट्यूबवैल उस क्षेत्र के लोगों के लिए विशेषकर सीमान्त और पश्चिमी राजस्थान के लोगों के लिए दें।

साथ ही साथ, आप बिजली कनेक्शन की जो अमाउंट दे रहे हैं, आप लगभग पांच लाख रुपये का कह रहे हैं। मेरा निवेदन है कि कई सारे गांव ऐसे हैं, जहां आज भी बिजली नहीं पहुंची है तो वहां का एस्टीमेट बहुत ज्यादा बन रहा है।

मेरा निवेदन है कि आप उस ओर भी ध्यान दें। निवेदन है कि वहां पर मवेशी बहुत ज्यादा हैं, पीने के पानी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप पश्चिमी राजस्थान को लेकर एक विशेष योजना आगे लाये।

साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि पार्ट सी, जो हमारे जेजेएम का है। (समय समाप्ति सूचक घंटी) बस, माननीय अध्यक्ष जी, वह अभी शुरू होने में है। मेरा निवेदन है कि उसकी प्रोपर मॉनिटरिंग हो, ताकि पूरे तरीके से हर घर तक जल पहुंच सके, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्षः श्री गुरवीर सिंह।

लालगढ़ जटान में हैंडबॉल एकेडमी की पुनःस्थापना

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का अवसर दिया। श्रीगंगानगर में हैंडबॉल एकेडमी को पुनः स्थापित करने के लिए मैं सदन से मांग रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान ही नहीं पूरे देश में हैंडबॉल खिलाड़ियों का सबसे बड़ा हब कोई है तो वह लालगढ़ जटान गांव है।

Bhs/Rtm/10.03.25/12.50/1m

जिसमें मौजूदा 30 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं। 250 से ज्यादा

नेशनल खिलाड़ी एक लालगढ़ जटान गांव से हैं और इसी गांव के दो खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप अवॉर्ड मिल चुका है, एशियाड खेल चुके हैं। आज का भारत टीम का जो कैप्टन है वो भी लालगढ़ जटान गांव का है। आधी से ज्यादा टीम हमेशा इस गांव की जाती है। 2018 की सरकार में वसुन्धराजी के समय यहां हैंडबॉल अकैडमी की स्थापना की गई। सरकार बदली तो उसको स्थानांतरित करके कहीं और भेज दिया गया। जहां भेजा वहां खिलाड़ी नहीं है और ये पूरे देश का सबसे बड़ा हब है। मैं सरकार से मांग करता हूं, इसे पुनः स्थापित किया जाये। 2018 से लेकर के राज्य क्रीड़ा परिषद में इसका 70 लाख रुपया जमा है जो हमें सवाल के माध्यम से सरकार ने जवाब भी दिया है। 70 लाख रुपया जमा है, पूरी व्यवस्था है, गांव के लोगों में जुड़ाव है और इसके लिए जुनून है। अभी राजस्थान का स्टेट लेवल का टूर्नामेंट लालगढ़ जटान में हुआ। पूरे राजस्थान से कोने-कोने से खिलाड़ी आये और गांव ने ऐसा स्वागत किया जैसे कोई बारात का किया जाता है और इससे एक हम नया आदर्श स्थापित कर सकते हैं गांव के बच्चों को भी हम, वे नैशनल, इंटरनेशनल प्लैटफॉर्म पर बिना किसी व्यवस्था के जा रहे हैं सरकारी व्यवस्था होगी तो निश्चित तौर पर राजस्थान में एक उदाहरण पेश होगा।

श्री अध्यक्षः श्री मनीष यादव।

शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र में परिवहन में आ रही समस्याएं

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर अध्यक्ष महोदय, बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन जो रोज़मर्रा के काम हैं, सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, उनका राजधानी में लगातार आवागमन रहता है लेकिन परिवहन वाहनों की कमी के कारण उनको घंटों तक इंतजार करना पड़ता है जिसमें माताएं, बहनें, गर्भवती महिलाओं और वरिष्ठ नागरिको को समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ रहा है। महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के शाहपुरा आगार में बसों के 47 शेड्यूल संचालन हेतु आवंटित हैं, जिनके लिए 94 चालक, 32 मैकेनिक व 93 परिचालकों की आवश्यकता है, परंतु वर्तमान में बसों व स्टाफ की कमी के कारण बसों के 33 शेड्यूलों का संचालन भी पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में शाहपुरा यूनिट में लगभग 12 मिडी बसें तथा 25 एक्सप्रेस बसें अर्थात् कुल 37 बसें हैं, जिनमें से 12 बसें नाकारा के नॉर्म्स पूरे कर चुकी है जिनसे संचालन में दुर्घटनाओं का अंदेशा रहता है। वास्तविकता में बसें चलने लायक नहीं हैं तथा 29 चालक, 25 परिचालक और 10 मेकैनिक स्टाफों की भी कमी है इसलिए मेरे शाहपुरा आगार को अतिरिक्त बसें आवंटित की जाए और रिक्त पदों को भरा जाए तथा बसों का ठहराव चंदवाजी, मनोहरपुर पुलिया, शाहपुरा व अन्य निर्धारित स्थानों पर सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जयपुर से 200 फिट बाईपास, 14 नंबर पुलिया से शाहपुरा, कोटपूतली को बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है और बसों के संचालन के सम्बन्ध में मैंने सरकार का कई बार ध्यान भी आकर्षित किया। 19 नवंबर, 2024 को इस मार्ग हेतु आर.एस.बी.टी.डी.ए. बस टर्मिनल, हीरापुरा से शाहपुरा तक नवीन उपमार्ग

विसर्जित किया गया, जिस पर बसों का संचालन नहीं किया गया। शीघ्र वहां बसें शुरू की जाये और मेरे आगार को वित्तीय स्वीकृतियां भी उनको दी जाए, क्योंकि वित्तीय शक्तियां जो अभी कोटपूतली को है और कोटपुतली पृथक से जिला बन चुका है, इसलिए शाहपुरा आगार ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बस हो गया। श्री धर्मपाल।

खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में स्थित बस डिपो की वर्तमान दयनीय स्थिति

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने पर्ची-चर्चा का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में राजस्थान परिवहन निगम के आगार की स्थापना सन् 1974 में की गई थी, जो राजा अजीत सिंह के अस्तबल में संचालित किया गया था। अध्यक्ष महोदय, स्थापना से लेकर आज दिनांक तक उक्त आगार 150 वर्ष पुराने भवन में चल रहा है, अस्तबल में चल रहा है जो पूर्ण रूप से जीर्ण-शीर्ण हो चुका है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कोई भी हादसा होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी आगार की कार्यशाला व बस स्टैंड भी पूरी तरीके से क्षत-विक्षत हो चुका है और हमारे खेतड़ी में अगर कोई बस ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसका कोई भी समाधान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा और रोजगार के लिए प्रति दिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में हजारों की संख्या में यात्री देश और प्रदेश से आते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस आगार की नई बसें उपलब्ध कराई जाएं और पर्याप्त संख्या में वाहन चालक और परिचालक उपलब्ध कराये जायें, जिसके चलते आए दिन किसी न किसी रूट को बंद कर दिया जाता है और यात्रियों को परेशानी होती है।

अत: अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस समस्या का समाधान करने की कृपा करे और मेरी अंतिम मांग यह है कि रोडवेज कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन दी जाए। चालक और परिचालकों को समय पर पदोन्नति दी जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री अजय सिंह।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

नागौर एवं डीडवाना-कुचामन जिले के किसानों को

खरीफ एवं रबी की फसलों का बीमा क्लेम

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से किसानों को वर्ष 2023 की फसलों का बीमा क्लेम दिलाने के सम्बन्ध में मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार खरीफ 2016 से राज्य के समस्त 33 जिलों में लागू है। राज्य सरकार द्वारा नागौर जिले का फसल बीमा

व्यवसाय खरीफ 2023 में अधिसूचित एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंण्डिया लिमिटेड को आवंटित हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत फसल मौसम सत्र के अन्त में फसल पकने पर अधिसूचित फसल के लिये औसत पैदावार के अनुमान हेतु पटवार स्तर पर 4 रेण्डम आधार पर चयनित खसरों में फसल कटाई प्रयोग तथा तहसील स्तर पर 16 फसल कटाई प्रयोग प्रति अधिसूचित फसल हेतु पूर्णतः बिना भेदभाव के आयोजित कराए जाते हैं। फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त औसत उपज की तुलना पूर्व में तय की गई गारंटी उपज से की जाकर फसल बीमा क्लेम की गणना की जाती है।

वर्तमान में राज्य में योजना का क्रियान्वयन पूर्व के 33 ज़िलों के आधार पर किया जा रहा है। नागौर (डीडवाना-कुचामन) सहित जिले के अविवादित फसल कटाई प्रयोग एवं फसल कटाई उपरांत होने वाले नुकसान के आधार पर वितरित बीमा क्लेम का विवरण निम्नानुसार है:-

मौसम सत्र	वितरित		लंबित	
	पॉलिसी संख्या	बीमा क्लेम	पॉलिसी संख्या	बीमा क्लेम
खरीफ 2023	191735	207.56	5676	6.34
रबी 2023-24	44625	52.19	652	0.72

नागौर जिले के खरीफ 2023 के 1043 एवं रबी 2023-24 के 46 फसल कटाई प्रयोगों पर बीमा कंपनी द्वारा आपत्ति दर्ज करायी गयी है। विवादित फसल कटाई प्रयोगों के निस्तारण के संबंध में जिला स्तरीय शिकायत निराकरण समिति (DGRC) द्वारा आपत्तियों को निरस्त कर अनुपालना हेतु संबंधित बीमा कंपनी को निर्देश दिये गये। परन्तु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंण्डिया लिमिटेड कंपनी द्वारा राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति (SGRC) में अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त विवादित फसल कटाई प्रयोगों के निस्तारण हेतु राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति (SGRC) की बैठक शीघ्र आहूत की जा रही है।

योजनांतर्गत जारी अधिसूचना के तहत जिला स्तर पर जिला स्तरीय शिकायत निराकरण समिति (DGRC) गठित है। उक्त समिति में किसानों का प्रतिनिधित्व है। योजनांतर्गत जारी अधिसूचना में तहसील स्तर पर शिकायत निराकरण अधिकारी द्वारा किसान, बैंक एवं बीमा कंपनी की शिकायतों पर गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही की जाती है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सुरक्षा कवच है। इस योजना के तहत किसानों को सूखा, बाढ़, अकाल तूफान, ओलावृष्टि और बीमारियों आदि के कारण से फसलों को होने वाले नुकसान से बीमा सुरक्षा मिलती है। महोदय, नागौर जिले के मेड़ता, डेगाना, जायल, खींवसर एवं नागौर विधानसभा क्षेत्र के किसानों को अभी तक वर्ष 2023 का खरीफ एवं रबी की फसलों का करोड़ों रुपये का बीमा क्लेम अभी भी नहीं मिला। किसान परेशान हैं तथा वह बार-बार कृषि विभाग के एवं बीमा

कंपनियों के चक्कर लगा रहे हैं लगातार सुनवाई नहीं होने के कारण से किसानों ने 9 सितंबर 2024 को मेड़ता में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर बीमा क्लेम की मांग को लेकर के शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया।

माननीय अध्यक्ष जी, दूसरे दिन 10 सितंबर 2024 को एस.पी. नागौर के दबाव के कारण सिटी थाने के एस.एच.ओ. सी.आई. राजबीर सिंह ने 356 किसानों के विरुद्ध एफ.आइ.आर. दर्ज कराई। 56 किसानों के विरुद्ध नामजद और 300 किसानों के विरुद्ध बेनामी। माननीय अध्यक्ष महोदय किसानों का प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्वक था। मौके पर न तो कोई लड़ाई-झगड़ा हुआ, न ही किसानों द्वारा किसी सरकारी एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मेरा पुरज़ोर आग्रह है कि मेड़ता सिटी थाने में किसानों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे सरकार वापस ले तथा इस पूरे प्रकरण की जांच डी.आई.जी. रेंज, अजमेर से करवाने का श्रम करें।

साथ ही, मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह है कि प्रदेश के कृषि मंत्री महोदय को निर्देशित करें कि वह नागौर जिले के किसानों के प्रतिनिधिमण्डल से वार्ता करें तथा किसानों की समस्या का समाधान करें।

Kas/rtm/10.03.2025/13.00/1n

माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग किसानों को बीमा दिलाने के लिये नोडल विभाग है। कृषि विभाग का यह दायित्व है कि वह प्रदेश के किसानों को समय पर बीमा क्लेम दिलवाये। मैं माननीय कृषि राज्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हजारों किसानों को 2023 का बीमा क्लेम अभी तक जिन कंपनियों ने नहीं दिया है, उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को अब डर सता रहा है कि अब सरकार बीमा कंपनियों को फिर से बदल देगी। यह देखने में आया है कि हर दो वर्ष बाद में सरकार बीमा कंपनियों को बदल देती है, जिससे समस्या और जटिल हो जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पूरे राज्य के कितने किसान ऐसे हैं जिन्हें वर्ष 2023 और उससे पूर्व की खरीफ और रबी का बीमा क्लेम अभी भी मिलना है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समस्या हर सरकार में रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय के यह भी संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अभी चूरू जिले में प्रदर्शन हुए हैं। इसके अलावा हनुमानगढ, गंगानगर, अनुपगढ, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचोर, सभी जिलों में बीमा क्लेम के भुगतान की समस्या चल रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कब तक बीमा कंपनियों द्वारा प्रदेश के सभी किसानों को 2023 तक व उसके पूर्व का क्लेम भुगतान कर दिया जायेगा?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि रबी 2023-24 का पूरे प्रदेश में 1,050 करोड़ का कुल क्लेम था, जिसमें से 1012 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है, 48 करोड़ शेष हैं, जो कि प्रक्रियाधीन है। इसमें 281 अपील भी लंबित हैं और शेष 48 करोड़ का भुगतान अगले एक महीने के अन्दर-अन्दर कर दिया जायेगा। खरीफ का 2023-24 का कुल 1,618 करोड़ का क्लेम था, जिसमें से 1,583.5 करोड़ का भुगतान हो चुका है। लगभग 35 करोड़ का प्रक्रियाधीन है, यह भी महीने भर के अन्दर-अन्दर कर दिया जायेगा। इसमें भी 3,119 प्रकरण अपील में लंबित हैं।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से यह आग्रह है कि जो आपत्तियां हैं, उनका जब आप निस्तारण करोगे तो यह राशि बहुत बढ़ जायेगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि अप्रैल माह तक इन सभी का निस्तारण करने का आप श्रम करें।

श्री अध्यक्ष: अगला ध्यानाकर्षण। श्रीमती डाक्टर प्रियंका चौधरी।

बाड़मेर नगर परिषद् में जारी फर्जी पट्टे

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधान सभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी नियम 131 के तहत बाड़मेर नगर परिषद आयुक्त के स्थानांतरण के बाद भी 550 से ज्यादा फर्जी पट्टे जारी होने के सम्बन्ध में मैं आदरणीय मंत्री महोदय ध्यान आकर्षित करती हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को और सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि नगर परिषद बाड़मेर में आयुक्त के स्थानांतरण के बाद भी 550 से ज्यादा फर्जी पट्टे जारी करने से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 180 द्वारा डाक्टर प्रियंका चौधरी, माननीय सदस्य के सम्बन्ध में जांच अधिकारी की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण की अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार है।

नगर परिषद् बाडमेर द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 (अवधि 02.10.2021 से 31.03.2024) में विभिन्न श्रेणियों में कुल 12,196 पट्टे जारी किये गये, जिनका विवरण इस प्रकार है-

कृषि भूमि/राजकीय भूमि -8637 पट्टे, 69-क के पट्टे-2432, कच्ची बस्ती के पट्टे हैं 439, योजना भूमि के पट्टे हैं 391, स्टेट ग्रांट भूमि के पट्टे हैं 271, खांचा भूमि के पट्टे थे 26। इस प्रकार कुल 12,196 पट्टे इस अवधि में जारी हुए थे। इन सभी पट्टों का शुल्क नगर परिषद बाड़मेर के कोष में जमा है।

पट्टों में आपसी शिकायतें प्राप्त होने व आवेदकों द्वारा मिथ्या/ कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की जांच पश्चात् 120 पट्टों को निरस्त किया गया है। जो कि बी अंकित कर डिस्पेच किये गये समस्त पट्टों के अतिरिक्त हैं। जिनका क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर से लेकर 1,238 वर्ग मीटर तक के हैं। तत्कालीन आयुक्त द्वारा परिषद में दिनांक 6.9.2023 को

कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् पटटों के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली शिकायतों के मद्देनजर दिनांक 18.10.2023 को उक्त पंजीयक बाड़मेर को ऐसे पट्टों के पंजीयन से पूर्व नगर परिषद बाड़मेर से सत्यापन करवाये जाने हेतु लिखा गया। इसकेपश्चात परिषद द्वारा बी अंकित कर डिस्पेच किये गये समस्त पट्टों को शून्य घोषित किये जाने के सम्बन्ध में 1.10.2024 को आदेश जारी कर दिया गया। परिषद में भूमि शाखा में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार बी अंकित कर डिस्पेच किये गये पट्टों में से 310 पट्टों का रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है, जिनकी समस्त राशि परिषद् कोष में जमा है।

माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव में वर्णित फर्जी पट्टों की जांच किये जाने हेतु की गई अपेक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही कर दिनांक 7.2.2025 को क्षेत्रीय उप निदेशक स्थानीय निकाय जोधपुर को उक्त प्रकरण की जांच के निर्देश दिये गये। जांच दल द्वारा दिनांक 21.2.2025 को कार्यालय नगर परिषद में उपस्थित होकर आयुक्त से कतिपय बिन्दुओं पर सूचना के साथ संपूर्ण रिकार्ड तलब किया गया। परिषद की सम्बन्धित शाखाओं के कर्मचारियों के बयान कलमबद्ध करवाये गये, जिसमें कर्मचारियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि बी सीरीज से जारी डिस्पेच किये गये पट्टों के डिस्पेच रजिस्टर संधारित नहीं है एवं ना ही हमारे द्वारा किसी प्रकार की प्रविष्टि का अंकन किया गया है। इस प्रकार बी सीरीज के डिस्पेच रजिस्टर के बारे में इन कार्मिकों द्वारा अनभिज्ञता जाहिर की गई।

भूमि शाखा के प्रभारी द्वारा बी सीरीज के जारी किये गये पट्टों की सूचना तैयार करने के लिये अतिरिक्त समय देने की मांग की गई। इनके अलावा रिकार्ड शाखा एवं रोकडपाल शाखा के प्रभारियों के अवकाश पर रहने के कारण बयान दर्ज नहीं हो पाये। दिनांक 4.3.2025 एवं 5.3.2025 को सम्बन्धित कार्मिकों/अधिकारियों के बयानों से यह भी ज्ञात हुआ कि इनके अतिरिक्त भी कुछ कार्मिक अभियान के दौरान पत्रावली संधारण और टिप्पणी करने में सम्मिलित हैं। नगर परिषद बाड़मेर के ऐसे कर्मचारी जो बयान देने से शेष रह गये थे तथा जिनका स्थानांतरण अन्य निकायों में हो गया है, उन सभी को दिनांक 20.3.2025 एवं 21.3.2025 को जांच अधिकारी के समक्ष क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करवाने के सम्बन्ध में पत्र जारी किये जा चुके हैं।

इस प्रकार प्रकरण की जांच पूरी गंभीरता से प्रारंभ कर दी गई है, किन्तु जैसा कि कुछ कर्मचारियों के बयान आगामी दिनांक 20, 21 मार्च को क्रमबद्ध होना शेष हैं तथा परिषद का कुछ विवादित रिकार्ड भी प्राप्त होना है। ऐसी स्थिति में जांच का स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं होगा। संपूर्ण रिकार्ड प्राप्त होने, सभी के बयान होने के पश्चात ही जांच अधिकारी अपना अंतिम निष्कर्ष दे सकेंगे, जिसके आधार पर नियमानुसार दोषियों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि जिस आयुक्त द्वारा यह सारा कुकृत्य किया गया था, वो रंगे हाथों ट्रैप होने के कारण आज की तारीख में निलंबित है और जैसे ही यह जांच रिपोर्ट

प्राप्त होगी, उसके बाद विधि सम्मत जो भी कार्यवाही जिस-जिस भी कर्मचारी और अधिकारी के खिलाफ की जानी है, वो निश्चित रूप से की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मुझे आदरणीय मंत्री जी का जवाब मिला और हम सभी ने सुना। इससे यह प्रमाणित होता है कि बाड़मेर नगर परिषद में विगत सरकार के कार्यकाल में प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चलाया गया था और 501 रुपये पट्टे देने की बात की गई थी और बहुत बड़ी वाहवाही लूटी गई थी कि हमने भारी संख्या में पट्टे दिये हैं, लेकिन यह साबित होता है, प्रमाणित होता है कि उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ। आदरणीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि 120 पट्टों को निरस्त किया। मतलब 12,196 पट्टों में से 120 पट्टे निरस्त किये गये। मेरी जानकारी में आया है कि जो पट्टाधारक थे, उनके खिलाफ तो कार्यवाही की गई, उनके खिलाफ एफ आई आर की गई।

Msk/rtm/10.03.25/1310/1o

लेकिन मैं आदरणीय मंत्री महोदय ये पूछना चाहूंगी कि किसी को पट्टा देने से पहले, उस भूमि पर स्वामित्व किसका है, किसकी खातेदारी है, इसकी रिपोर्ट सम्बन्धित तहसीलदार/पटवारी से ली जाती है। तो क्या उस समय जो पट्टे दिये गये थे, उनकी रिपोर्ट ली गयी थी या नहीं ली गयी थी? नहीं ली गयी थी तो दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? ली गयी है, तहसीलदार ने अगर गलत रिपोर्ट दी है और पट्टे खारिज हुए हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है? मेरा मूल प्रश्न जिन 550 पट्टों का था। मैं पूरे सदन को बताना चाहूंगी कि ऐसा अजूबा, ऐसा कारनामा बाड़मेर निगर परिषद में विगत कार्यकाल में देखने को मिला। 14 जुलाई, 2023 को एक आयुक्त, बाड़मेर नगर परिषद की ट्रांसफर हो जाता है और चार्ज बाड़मेर एस डी ओ को जाता है। 6 सितम्बर, 2023 को नये कमिश्नर जॉइन करते हैं। इस पूरे कार्यकाल के दौरान 550 पट्टे बी-सीरीज के जारी होते हैं। एक अलग से डिस्पेच रजिस्टर बनाया जाता है और उन फर्जी पट्टों का रजिस्ट्रेशन भी होता है। जैसा कि मंत्री जी ने बताया, जवाब में लिखा है कि 01.02.2024 को सभी पट्टे शून्य कर दिये गये। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि आपने जांच कमेटी..

पहले तो धन्यवाद देती हूं कि आपने एक जांच कमेटी बिठायी है, लेकिन जब विभाग को पता चल गया तो एक साल तक कार्यवाही क्यों नहीं गयी है? मैं जानना चाहूंगी कि जो पट्टे निरस्त किये, उनके क्रय-विक्रय पर क्या कोई रोक लगायी गयी है या नहीं लगायी गयी? जो पट्टे निरस्त किये गये, उनका पंजीयन करने वाले सब-रजिस्ट्रार की भी कोई जिम्मेदारी होती है या नहीं और होती है तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी? मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि ये जो 12,196 पट्टे हैं, इनकी उच्च स्तरीय कमेटी से जांच करायें और एस डी ओ की वेतन शृंखला से उच्च अधिकारी से जांच करायें। पत्रावलियों की एफएसएल से जांच करायी जाये। जब तक जांच पूरी नहीं हो, तब तक डिस्पेच रजिस्टर, पत्रावली सरकार

अपने कब्जे में ले, ताकि कोई हेराफेरी न हो सके। क्योंकि जनता के पट्टे जिसने लिये, उसके खिलाफ तो आपने एफ आई आर दर्ज करा दी, लेकिन जो सम्बन्धित अधिकारी हैं, वे भी उतने ही दोषी हैं, उनके ऊपर गंभीर से गंभीर, सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जल्दी से जल्दी बाड़मेर की जनता को न्याय दिलायेंगे और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को और माननीय सदस्या को यह अवगत करना चाहूंगा कि क्षेत्रीय उप निदेशक की विस्तृत जांच के बाद जो भी स्थिति निकलकर आयेगी, जो-जो कर्मचारी/अधिकारी उसमें दोषी होंगे, उनके खिलाफ निश्चित रूप से विधि सम्मत कार्यवाही तो की ही जायेगी, आवश्यकता होगी तो मुकदमा भी दर्ज होगा। अगर आवश्यकता हुई तो क्षेत्रीय उप निदेशक के अलावा भी इसकी विस्तृत जांच करवायी जा सकती है। एक बार क्षेत्रीय उप निदेशक की जांच पूर्ण होने के बाद उनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्यवाही होगी।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि बाड़मेर में 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान के तहत 12196 पट्टे दिये गये, मैं आग्रह करती हूं कि उन सभी 12196 पट्टों की आप जांच करवाने के आदेश दें, ताकि और भी जो फर्जीवाड़ा हुआ है, वह सामने आयेगा। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्या, हो गया। कुछ कहना है?

श्री यूनुस खान (डीडवाना): ए डी एम स्तर के आदमी से जांच..

श्री अध्यक्षः आप विराजें।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को और माननीय सदस्या को अवगत कराना चाहूंगा कि ये जितने भी पट्टे जारी हुए है, उसमें बी-सीरीज के जितने पट्टे जारी हुए, उनके सम्बन्ध में शून्य घोषित करने की सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित करवा दी गयी है और वहां के सब-रजिस्ट्रार को भी पत्र लिख दिया गया है कि डिस्पेच में 'बी' अंकित किया हुआ कोई भी पट्टा उनके सामने आये तो वे बिना नगर परिषद के संज्ञान में लाये, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करें। जितने पट्टे हैं, एक बार क्षेत्रीय उप निदेशक की जांच रिपोर्ट आ जाये, उसके बाद हम पूरे के पट्टों की जांच करवाने की अगर आवश्यकता होगी तो कोई कोताही नहीं बरतेंगे।

श्री अध्यक्षः सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री जोराराम कुमावत।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2010 से 2025)

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम-2010 की धारा-52 के अन्तर्गत राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के वर्ष 2010 से वर्ष 2025 के वार्षिक प्रतिवदेन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री कैलाश चन्द्र वर्मा।

याचिका

बगरू में अजयराजपुरा स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नयन

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र बगरू के ग्राम अजयराजपुरा स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं। बजट घोषणा हो चुकी है। प्रदेश सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित मीणा।

किशनगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भंवरगढ़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नयन

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भंवरगढ़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: डॉ. शिखा मील बराला।

चौमूं में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किये जा रहे डिजिटल सर्वे से उत्पन्न समस्या

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र चौमूं की तहसील चौमूं में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किये जा रहे डिजिटल सर्वे से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनीता जाटव।

हिण्डौन सिटी के खारी नाले की सफाई व तकनीकी खामियों का दुरुस्तीकरण

श्रीमती अनीता जाटव (हिन्डौन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य

सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन सिटी के खारी नाले की सफाई व तकनीकी खामियां दूर कराने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: अनुपूरक कार्य-सूची में विधायी कार्य। पुर: स्थापित किये जाने वाले विधेयक। भरतपुर विकास प्राधिकरण विधयेक, 2025। श्री झाबर सिंह खर्रा।

विधायी कार्य : विधेयक का पुन:स्थापन

भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रकिया नियम-63(1) के अन्तर्गत भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024 (2024 का अध्यादेश सं.2) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025, श्री झाबर सिंह खर्रा, प्रभारी मंत्री।

बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रकिया नियम-63(1) के अन्तर्गत बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024 (2024 का अध्यादेश सं.3) को जारी करने के कारणों का

विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025, श्री झाबर सिंह खर्रा।

राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 (द्वितीय अवस्था) अनुदान की मांगों पर विचार।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 56 - उद्योग की प्रस्तुति

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 56 - उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,96,04,18,000/- (ग्यारह अरब छियानवे करोड़ चार लाख अठारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 56 - उद्योग पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए

कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

mdp/rtm/10.03.25/13:20/1p

श्री अध्यक्ष: श्री संजय शर्मा।

मांग संख्या 45 -वन एवं पर्यावरण की प्रस्तुति

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 45 -वन एवं पर्यावरण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,27,16,30,000/- (इक्कीस अरब सत्ताईस करोड़ सोलह लाख तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 56 - उद्योग पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए

कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री अध्यक्ष: श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल।

मांग संख्या 56 - उद्योग व

मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण पर विचार

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या -45 वन एवं पर्यावरण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बने लगभग सवा साल हो गया। सवा साल के अन्दर वन एवं पर्यावरण केलिए माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी ने जो निर्णय लिये, उसकी पूरे देश भर में प्रशंसा हो रही है। 2024-25 में पर्यावरण के लिए माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक बड़ा कदम उठाया, 'एक पेड़ मां के नाम', और उस अभियान को पूरे राजस्थान के अन्दर गति देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री और माननीय वन मंत्री जी ने 7 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया। उस संकल्प में मुझे ध्यान में आता है कि प्रत्येक विधायक को सरकार की ओर से डायरेक्शंस दिये गये कि अपने-अपने क्षेत्र में पंचायत समिति के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से, नगरपालिका के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से हमने पेड़ उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन पेड़ों को लगाकर सुविधानुसार जियो टैगिंग करके उनकी मेंटीनेंस को भी ध्यान में रखने का काम हमारी सरकार ने किया। मैं माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार 7 करोड़ पेड़ एक वर्ष में लगाने का अगर किसी विभाग ने काम किया तो वन विभाग ने काम किया। माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 'हरियालों' राजस्थान के तहत इस बजट में हम लोगों ने दस करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया।

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

वह संकल्प जिस दिन लिया, उसी के साथ-साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने और माननीय मंत्री जी ने सभी विधायकों को और सभी डिपार्टमेंट्स की बैठक लेकर उनको इस बात के लिए प्रतिबद्ध किया कि ये पेड़ अपने-अपने क्षेत्र में सबको लगाने का काम जल्दी ही प्रारंभ करना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह हमने 'एक पेड़ मां के नाम' के संकल्प को पूरा कर 7 करोड़ पेड़ लगाने का काम किया, उसी तरह हम 10 करोड़ पेड़ भी एक वर्ष में लगाने का काम हमारी भजनलाल सरकार करेगी। मैं उसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

साथ ही मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डार में कई वर्षों से घड़ियाल योजना को, चंबल पाली घड़ियाल योजना को पर्यटन की दृष्टि से डवलप करने के बारे में कई सरकारों ने प्लान किया। उसकी योजना बनाई और हर वर्ष वह कागजों में ही रह जाती थी। वर्ष 2024-25 के बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसमें 2 करोड़ रुपये देने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वन्यजीवों

के साथ-साथ घड़ियाल का भी हमारी प्रकृति में एक बहुत बड़ा महत्त्व है और उनको सुरक्षित रखने के लिए हमने एक घड़ियाल प्रजनन पाइंट बनाया। जो प्रोजेक्ट हमने बनाया, उस प्रोजेक्ट में छह महीने के बच्चों के लिए एक अलग से पाइंट बनेगा। उसका टेम्परेचर मेनटेन किया जाएगा। एक साल तक घड़ियाल को तैयार करने के लिए उसके लिए अलग से पॉइंट तैयार किया जाएगा और उसके पीछे हमारी मंशा यह है कि प्रतिवर्ष बारिशों के अंदर जब घड़ियाल बच्चे देते हैं, तो वे बच्चे और अंडे पानी में बह जाते हैं, उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ी योजना माननीय मंत्री जी ने बनाई है। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस और एक बड़ा कदम हमारी सरकार ने उठाया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डार की ओर सरकार का ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। मेरी सरकार ने हमेशा जीवों की सुरक्षा के लिए, किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उसी के तहत मेरे खण्डार का पचास प्रतिशत क्षेत्र टाइगर रिज़र्व सेंक्चुरी में आता है और उसमें आये दिन टाइगरों की मूवमेंट के कारण किसानों पर टाइगर की...

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): सभापति महोदय, जितेन्द्र जी, एक सेकण्ड, ब्यूरोक्रेट्स की दीर्घा खाली है।

श्री सभापतिः अभी बुलाते हैं।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): यह एक अच्छी, स्वस्थ परम्परा नहीं है। आप आदेशित करें ताकि जो एसीएस वगैरह हैं, वह आकर बैठें। हम लोग बोल रहे हैं।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): टाइगर की मूवमेंट के कारण हर वर्ष कई किसानों की मृत्यु हो जाती है और उन किसानों को मात्र पांच लाख रुपये सरकार के माध्यम से दिए जाते हैं। पिछले दिनों माननीय मंत्री जी ने एक बैठक लेकर सभी अधिकारियों को निर्देशित कर एक आंकडा मंगवाया था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस पांच लाख रुपये पैकेज को बढ़ाकर दस लाख रुपये करने का जो प्रयास, सरकार की ओर से जो कदम उठाया जा रहा है, निश्चित तौर पर वह किसानों के हित में बहुत बड़ा कदम होगा।

माननीय सभापति महोदय, जब हमारी सरकार की बात चल रही है, तो पिछले दिनों नेशनल पार्क की परिधि में आने वाले जो कंस्ट्रक्शन जोन थे, उनको एक किलोमीटर की अवधि में करने का काम पिछली सरकारों ने किया, जो कि किसानों के हित में नहीं है, गांव के हित में नहीं है, शहरों के हित में नहीं है। जहां-जहां भी गांव के समीप फॉरेस्ट एरिया है, वहां किसानों को आए दिन बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं। कहीं पर निर्माण करने में समस्या, कहीं पर बने हुए मकान की रिपेयरिंग करने की समस्या, जब इस समस्या से हमने अवगत कराया तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसकी एक बड़ी बैठक ली और बैठक लेकर सब को निर्देशित किया कि इस ओर हमें एक बड़ा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इको सेंसेटिव जोन, जहां भी फोरेस्ट एरिया आता है उसमें 2002 से और वर्ष 2015

का एक एक्ट बना हुआ है, उसमें जब तक संशोधन नहीं किया जाएगा, मुझे लगता है न तो जंगल से सटे हुए गांव का विकास हो पाएगा और न ही विस्थापन को गति मिलेगी। मुझे ध्यान आता है कि पिछले दो सालों के अन्दर मेरे विधान सभा क्षेत्र के 17 गांव रणथंभौर, सरिस्का, धौलपुर, करौली, रामगढ़ इन सभी जंगलों के मिलाकर लगभग 106 गांव, जो फोरेस्ट द्वारा विस्थापन की सूची में डाले गए थे, लेकिन सरकार के जटिल नियमों के कारण न तो पर्यावरण की ओर, वन की ओर, के पक्ष में इन लोगों का विस्थापन और पा रहा है और हमारे किसानों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Ans/rtm 13.30 1q 10.03.2025

माननीय सभापति महोदय, हमारे समय में जब पिछली हमारी सरकार थी तो किसानों के लिए विस्थापन में दो तरह के पैकेज थे। उन पैकेज में पहला पैकेज जिन किसानों के पास 1.6 हैक्टेयर भूमि होती थी, उन किसानों को उतनी ही भूमि देकर आवासीय जमीन विस्थापन क्षेत्र में उपलब्ध कराकर, उनका विस्थापन किया जाता था। जिन किसानों के पास भूमि नहीं होती थी, उन किसानों को छह बीघा भूमि और विस्थापन का पैकेज दिया जाता था। पिछली कांग्रेस सरकार एक ऐसे नियम को लेकर आई, जिसमें किसानों के पैकेज को घटाकर, डीएलसी रेट पर ले आए। जहाँ पर जंगल बसा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, वह बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मुझे ध्यान में आता है मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर सैकड़ों गांव ऐसे हैं, जिनकी डी एल सी रेट मात्र 20-25 हजार, 30 हजार रूपये बीघा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह निर्णय करने से पहले क्या पिछली सरकार ने यह सोचा कि डी एल सी रेट में 30 हजार रुपये में किसान को हम मुआवजा देंगे, क्या कहीं वह जाकर विस्थापित रह पाएगा, क्या उसको 25-30 हजार रुपये डी एल सी रेट पर जमीन मिलेगी? यह किसानों के लिए कितना घातक कदम था। उसके बाद से पूरे डेढ़ वर्ष के अन्दर, एक भी किसान ने अपने घर को छोड़कर विस्थापन नहीं किया।

सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछली सरकार ने जो यह निर्णय लिया, इस निर्णय से किसानों को तो नुकसान हुआ ही हुआ, साथ ही वन्य जीवों को भी नुकसान हुआ। जहां पर जानवर की मूवमेंट होती है, टाइगर की मूवमेंट होती है, ना तो वहां पर किसान अपने आप को सुरक्षित मानता है और ना ही जानवर अपने आप को सुरक्षित मानता है। औसत साल में पांच से सात घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, जिनमें किसानों का व टाइगर का आमना-सामना होता है और उसमें कई बार किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ती है।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से और सरकार से मांग करता हूँ कि इस पैकेज की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह पैकेज किसानों के हित में नहीं था, यह पैकेज पर्यावरण के हित में नहीं है। यह पैकेज राजस्थान के किसानों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। सभापति महोदय, मुझे तो यह भी ध्यान आता है कि इस पैकेज की जब घोषणा की और

जमीन में 500 मीटर से बढ़ाकर, एक किलोमीटर की अवधि बढाई, उसमें भी पिछली सरकार के बड़े नेताओं ने जमीन के घोटाले करने का काम किया था। उसमें अपने चहेतो को जमीन देने का काम किया था। उसमें नेताओं ने रणथम्भौर में आकर किसानों की जमीन को कन्वर्ट करवाकर, होटल बनाने का काम किया था। मैं नेताओं के नाम से संबोधित करुंगा तो सदन में बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन राजस्थान के बड़े बड़े नेताओं के सुपुत्र 225 महीने तक रणथम्भौर में पड़े रहते थे और ज़मीनों की दलाली किया करते थे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करता हूँ कि पिछली सरकार के समय किन-किन नेताओं के वहां पर होटल बने, किनके सुपुत्रों ने वहां समय बिताकर ज़मीनों की दलाली की, यह आंकड़ा सदन को निकलवाना चाहिए और इनके खिलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। वह किसानों के साथ अन्याय हैं, वह राजस्थान की जनता के साथ अन्याय हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो किसान खेत में काम करता है, जब उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद जंगल में विस्थापित किया जाता है तो उसको एक अलग यूनिट के रूप में काउंट किया जाता है। पिता को अलग यूनिट में काउंट किया जाता है, शादी होने के बाद पुत्र को अलग यूनिट में काउंट किया जाता है। पूरे देश भर में जो उसकी आयु है वह 18 वर्ष की है, लेकिन किसानों को पैसा देने में इन्हें कष्ट होता है। किसानों के हित में काम करने में इन्हें कष्ट होता है, तकलीफ होती है। कांग्रेस ने सदैव किसानों के ऊपर अन्याय करने का काम किया है।

श्री सभापति: प्लीज, समाप्त करे।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): सभापति महोदय, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वह आयु जो 18 वर्ष की थी, उसको पिछली सरकार ने 21 वर्ष करने का काम किया, यह किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। वन विभाग के अंदर नेचर गाइड, वन रक्षकों की भर्ती होती है, उस भर्ती के नियमों को भी सरलीकरण करने की आवश्यकता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कंक्ल्यूड करे।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): सभापति महोदय, बस पांच मिनट और लूंगा।

श्री सभापति: पांच मिनट नहीं। समाप्त करें।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): दो मिनट में समाप्त करता हूं। प्रतिवर्ष दो से ढाई हजार लोगों का चयन, जंगल से लगे हुए गांव में उस क्षेत्र के लोगों का किया जाता है। लेकिन मेरे क्षेत्र सवाईमाधोपुर के अन्दर, चयन तो हम दो से ढाई हजार लोगों को कर लेते हैं लेकिन उनकी ट्रेनिंग के लिए मात्र 150 लोगों की ही प्रशिक्षण की व्यवस्था है। उस प्रशिक्षण व्यवस्था में भी, जिस कंपनी को हम टेंडर देते है अगर वह कंपनी दो महीने विलंब से आई, तो उन लोगों को प्रशिक्षण नहीं मिल पाता। प्रशिक्षण समय पर नहीं मिल पाता है तो उन लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है।

श्री सभापति: प्लीज, विराजे।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह भी

निवेदन करना चाहूंगा कि एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर भी वहां पर खोलना चाहिए।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के एक-दो विषय हैं, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर ले जाना चाहूंगा। सवाई माधोपुर बोदल शिवपुरी रोड, उसमें एक खाल की पुलिया है, उस पुलिया की एन.ओ.सी. बार-बार हमने पिछली सरकार में मांगी, 2019 के अन्दर साढ़े चार करोड़ रूपये नेशनल हाईवे ने सेक्शन किया, माननीय नितिन गडकरी जी ने, उस फोरेस्ट की पुलिया की एन.ओ.सी. के लिए पिछले 5 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन वह नहीं मिल पाई।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): सभापति महोदय, एक छोटा सा निवेदन ओर है। हमारे यहां एक लसोड़ा रोड़ है उसकी एन.ओ.सी. का विषय भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उसको भी देने का कष्ट करें।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): सभापति महोदय, मांग संख्या 56 उद्योग और मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण पर आपने मुझे विचार अभिव्यक्त करने के लिए आपने जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ।

माननीय सभापति महोदय, जब हम उद्योग की बात करते हैं तो राजस्थान के वह उद्यमी जिन्होंने आजादी के पूर्व अपनी जीवटता, अपनी जिजीविषा, अपनी उद्यमशीलता के बल पर, सुदूर उन प्रांतों में, जहाँ ना तो कोई परिचित था, ना कोई रिश्तेदार था, वहां गये और अपनी उद्यमिता के बल पर इस बात को साबित किया कि मूल रूप से इन उद्यमियों में उद्योग लगाने की क्षमता है, कार्य करने की प्रवृत्ति है। ना केवल उद्यम में बल्कि आजादी के पूर्व स्वतंत्रता आंदोलन में, चाहे हम घनश्याम दास बिड़ला की चर्चा करे, चाहे हम जमनालाल बजाज की चर्चा करे। उस जमाने में ना कभी वेस्ट बंगाल राइज़िंग समिट हुआ, ना बिहार राइज़िंग समिट हुआ, ना महाराष्ट्र राइज़िंग समिट हुआ, वह गए और उन्हें वहाँ अवसर मिला। उस अवसर के बल पर उन्होंने वहां पर उद्यम स्थापित किए।

VPS-RTM-10.03.2025-13.40-2a

माननीय सभापति महोदय, एक वक्त ऐसा था जब उद्यमियों की बात होती थी तो राजस्थान के उद्यमियों की गिनती फर्स्ट 10-15 लोगों में होती थी। समय बदला और समय के अंतराल में आज जिस तरह से हम कभी राजस्थान समिट के नाम से, कभी राइजिंग राजस्थान के नाम पर हम लोग करते हैं और निश्चित रूप से मैं भी शामिल हूं उसमें। राइजिंग राजस्थान की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन उत्साहित नहीं होगा, कौन प्रफुल्लित नहीं होगा? राइजिंग राजस्थान हो, राजस्थान में उद्योग लगे, उद्योगों के जरिए जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, उनको रोजगार मिले, यह हम सबके लिए अच्छी बात है। राजस्थान का

जब उद्योग बढ़ेगा तो राजस्थान की रेवेन्यू जनरेट होगी। राजस्थान की उन्नति होगी, तरक्की होगी, उस तरक्की में हम सभी भागीदार हैं, यहां बैठे हुए, चाहे इधर बैठे हुए लोग हैं या चाहे उधर बैठे हुए लोग हैं, हम सबकी इसमें भागीदारी है लेकिन माननीय सभापति महोदय, राजिया ने एक बात कही है-

'मतलब री मनवार, नैत जिमावै चूरमा।

बिन मतलब मनवार राब न पाये राजिया।।'

हम राजस्थान में राइजिंग समिट कर रहे हैं, कभी हम किसी नाम से कर रहे हैं लेकिन कभी हमने क्या इस बात पर विचार किया, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हम राजस्थान समिट कर रहे हैं, हम प्रवासी भारतीयों को बुला रहे हैं, बड़े-बड़े उद्योगपतियों को हम बुला रहे हैं तो कभी क्या हमने इस बात की कोशिश की कि राजस्थान के जो मूल उद्यमी हैं, जो यहां न केवल प्रवास करते हैं बल्कि यह उनकी संस्कृति और उनकी विरासत है, कभी उनको बुलाकर हमने पूछा कि आपकी क्या तकलीफ है? आप सुदूर उन प्रांतों में, बंगाल में, बिहार में, मद्रास में, जाकर आप अपने उद्योग वहां पर लगाते हैं तो क्या कारण है कि आप राजस्थान में उद्योग नहीं लगाना चाहते और इस बार भी जो हुआ राजस्थान समिट में, वह उद्यमी आये।

यदि आप इसका ओपन बिड करते इस बात की, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि आप ओपन बिड करते सोलर एनर्जी की तो न केवल वर्तमान में जो उद्यमी आये हैं अडाणीजी, न केवल वे ही आते बल्कि पूरी दुनिया के लोग आते क्योंकि निश्चित रूप से सोलर एनर्जी में राजस्थान हमारा एक प्रमुख हब है। पूरे हिंदुस्तान में सोलर एनर्जी में राजस्थान का अपना एक अलग स्थान है। किसी भी कीमत पर हमें किसी समिट की जरूरत नहीं है। अपने आप में यदि सोलर एनर्जी की आवश्यकता है, सोलर एनर्जी में यदि इंवेस्टमेंट होना है तो राजस्थान में वे लोग जो केवल, आपके बुलाने से नहीं दौड़े-दौड़े आएंगे और आकर आपसे यह रिक्वेस्ट करेंगे कि राजस्थान में हमको सोलर एनर्जी का अपना प्रोजेक्ट लगाना है क्योंकि यहां उसकी उपलब्धता है। हमारी जीवटता तो तब महसूस होती। हमारे पास भूखंड नहीं है, हमारे पास में जल नहीं है, हमारे पास में पावर नहीं है, उद्यम की अपनी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं।

माननीय सभापति महोदय, बड़े उद्योग जब लगेंगे तो उन उद्योगों के लिए हमें जमीन चाहिए, उन उद्योगों को चलाने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, उन उद्योगों को चलाने के लिए हमको पोर्ट चाहिए, उन उद्योगों को चलाने के लिए हमको पानी चाहिए और रॉ-मैटिरियल चाहिए, लॉजिस्टिक चाहिए और मार्केट चाहिए और सबसे जो मूल उसकी आवश्यकता है, हमको वह हाथ चाहिए, वह कर्मचारी चाहिए, वह मजदूर चाहिए, वह श्रमिक चाहिए जो उस उद्योग को अपनी उद्यमिता से आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाता है।

राजस्थान में जब हम बात करें जल की हमारी स्थिति तो आपके सामने है। हम यदि पूरे राजस्थान को एक भौगोलिक स्थिति में देखें, इसका मूल्यांकन करें तो आपको यह लगेगा कि

कुछ क्षेत्र, दक्षिणी भाग जो है, वहां पर आप यह महसूस कर सकते हैं कि वहां पर कुछ नदियां हैं, कुछ जल स्रोत है लेकिन बाकी राजस्थान में पानी नहीं है। यदि आपको उद्योग लगाना है तो आपको जल की नितांत आवश्यकता है, यदि आपको उद्योग लगाना है तो बड़े भूखंड की आपको आवश्यकता है, यदि आपको उद्योग लगाना है तो आपको पावर चाहिए, मजदूर चाहिए, मूल समस्या, माननीय सभापति महोदय, यह है कि हमारे पास में न तो पोर्ट है, न जल की उपलब्धता है, न श्रमिकों की उपलब्धता है और यही कारण है कि कोई भी उद्यमी, आता जरूर है वह और हम भी बड़े उत्साहित होते हैं। जब मैंने यह सुना की 37 लाख करोड़, 35 लाख करोड़ का इंवेस्टमेंट राजस्थान में आ रहा है, माननीय सभापति महोदय, आप यह महसूस करिये कि मन एकदम से यूं उद्वेलित हो गया कि पता नहीं राजस्थान कहां पर पहुंच जायेगा। 35 लाख करोड़, सुनकर ही आदमी के यूं मन में अलग ऊर्जा पैदा हो जाती है लेकिन उसमें जब हमने यह देखा कि 35 लाख करोड़ में से 27 या 28 लाख करोड़ तो सोलर एनर्जी का ही है। उस सोलर एनर्जी में जिसमें न आपको लेबर की जरूरत है, न आपको एम्प्लायमेंट किसी का करना है। आपकी जमीन, आपकी सूर्य की किरणें, अगला आएगा, सोलर एनर्जी लगायेगा, 27 लाख करोड़ का अपना एक बड़ा अमाउंट उनको बतायेगा कि राजस्थान में कितने करोड़? 27 लाख करोड़ का इंवेस्टमेंट हुआ और आम आदमी के मन में यह उत्साह पैदा होगा कि अब तो रोजगार बरस पड़ेगा, नौजवान दौड़े आएंगे कि लो खुल गया रास्ता रोजगारी का, पर नतीजा क्या? न उसमें ऐन्सलेरीज आयेंगी, न उसमें टर्शियरीज आयेंगी। माननीय सभापति महोदय, यदि उद्योग लगेगा, कोई फैक्ट्री लगेगी तो उस फैक्ट्री के माध्यम से ऐन्सलेरीज आयेंगी, उसमें लॉजिस्टिक के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ऐन्सलेरीज जब आयेंगी तो उसमें और कई तरह के प्रोडेक्ट होंगे।

माननीय सभापति महोदय, जब हम ऐन्सलेरीज की बात करें, पेट्रोलियम रिफाइनरी का अपना प्रोजेक्ट आया। आप हमारी मानसिकता देखिये कि हम कहां पर जा रहे हैं? 22 सितम्बर, 2013 को रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ हमारी माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधीजी के माध्यम से। उस वक्त उसकी कीमत थी 37 हजार करोड़, मैं भी साक्षी था उसका, मैं मिनिस्टर था, मैं भी साक्षी था। उसके बाद में हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी द्वारा उसका उद्घाटन हुआ तब उसकी कीमत थी 43 हजार करोड़ और आज आपको सुनकर यह ताज्जुब होगा, माननीय सभापति महोदय, आज उसकी कीमत बढ़कर हो गयी 72 हजार करोड़ तो कौन जिम्मेदार है इसका? क्या हम किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं? जो कीमत 37 हजार करोड़ थी, इस कीमत में जो प्रोजेक्ट होना था, उसकी कीमत बढ़कर हो गयी 72 हजार करोड़ तो कौन जिम्मेदार है? किसको हम इसके लिए जिम्मेदार ठहराये, किसकी अकाउंटेबिलिटी है?

माननीय सभापति महोदय, हम उस कबूतर की भांति अपनी आंखें बंद किये हुए बैठे हैं कि यह बिल्ली हमको देख नहीं रही है। बिल्ली उसको देख रही है और निवाला बनाने के लिए वह अपनी पूरी ताकत झोक देगी, उसको निवाला बना लेगी। पूरा राजस्थान आपसे यह

उम्मीद लगाये बैठा है कि इन समिट के माध्यम से उनको रोजगार मिलेगा और बाकी बीच में बचे कितने? सात लाख करोड़। उनमें से वे सेक्टर हैं, माननीय सभापति महोदय, एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ के मामले में यदि आप यह नहीं भी करते तो वे लोग आ जाते। आज हम सीकर की बात करें तो सीकर में आज एजुकेशन के मामले में आप कुछ भी नहीं करेंगे तो तब भी वे लोग अपना इंवेस्टमेंट कर रहे हैं, दनादन कर रहे हैं। मेडिकल की आप बात करेंगे तो आप यह यकीन मानिये कि वे लगातार अपना इंवेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम क्यों अपने आपको धोखा दे रहे हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा, मैं कोई आलोचना करने के लिए यहां पर खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं आपकी तरह से इस विभाग का मंत्री रह चुका हूं। इस विभाग की जो प्रथम आवश्यकता है, जो व्यापारी, जो उद्यमी आकर आज जो मूल बात बताते हैं, माननीय सभापति महोदय, प्रवासी भारतीयों का एक सम्मेलन हुआ था, मैं अमेरिका गया था और वहां पर उन्होंने मुझे यह कहा कि साहब, हम उद्यम लगा नहीं सकते, आप हमको बुला तो लेते हैं लेकिन यह कोई चैरिटी नहीं है, माननीय सभापति महोदय, उद्यम चैरिटी नहीं है, इंवेस्टमेंट है। वह उसका रिटर्न चाहता है। वह यदि एक करोड़ रुपया खर्च करता है तो एक करोड़ के बदले में वह रिटर्न चाहता है। हां, एक करोड़ के बजाए दस करोड़ रुपये आप उससे चैरिटी ले लीजिए, वह आपसे रिटर्न नहीं चाहेगा लेकिन यदि वह इंवेस्टमेंट कर रहा है तो इंवेस्टमेंट का रिटर्न चाहेगा। संवादहीनता इसका सबसे बड़ा कारण है, माननीय सभापति महोदय, हम विदेशों में भी जाते हैं, हम दूसरे प्रांतों में भी जाकर अपना रोड-शो करते हैं, अपने आपको प्रोजेक्ट करते हैं वहां पर कि हम आ गये हैं, अब आप आ जाइये राजस्थान में और निश्चिंत होकर आप उद्योग लगा लीजिए पर धरातल पर क्या है? वे आकर यह कहते हैं कि साहब, जूतियां घिस गयीं, अभी तो जमीन का टाइटल नहीं मिला, अभी पानी का कनेक्शन नहीं मिला, अभी बिजली नहीं मिली, अभी सड़क की कनेक्टिविटी नहीं हुई और थक-हार कर या तो वह वापस भाग जाता है या फिर आपकी लिस्ट में एक अंक जुड़ जाता है कि इतने हजार करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट समिट हुआ, इससे काम चल जायेगा? तो मुझे भी यह बताया उन्होंने कि साहब, आपके वहां पर हम जाते हैं तो हमारी जूतियां घिस जाती हैं तो माननीय सभापति महोदय, उत्साह में, मैं भी अति उत्साही था, उत्साह में मैंने अपना मोबाइल नम्बर जो है, पूरी जो सभा जुडी हुई थी, उस सभा में अपना मोबाइल नम्बर मैंने बताया दिया- 9414040007, एक दिन अचानक रात को एक बजे फोन की घंटी बजी तो मैंने यह समझा कि कोई इमरजेंसी कॉल होगा। मैंने फोन उठाया तो पता चला कि अमेरिका से कॉल है। मैंने कहा- बोलो भाई। वे यह बोले कि मैं यह देख रहा हूं कि आपने जो कहा है, उतना आप काम करते हो या नहीं करते हो? तो मैंने यह कहा कि आपका क्या अनुभव है? वे बोले, अभी तक तो ठीक ही है।

ssy/rtm/10.03.2025/13.50/2b

सभापति महोदय, उद्यमी आते हैं, लेकिन यह सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट जो है, मैं भी कई बार सुनता था, बचपन में भी सुनता था, जब मैं स्कूल में, कॉलेज में पढ़ता था, तब भी कहते थे सिंगल विंडो है, वह सिंगल विंडो आज भी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि 2013 में सिंगल विंडो एक्ट हमने भी बनाया था। सिंगल विंडो एक्ट में जो मूल बात थी वह अकाउंटेबिलिटी थी, टाइम बाउंड और उसके साथ में डीम्ड परमिशन, यदि दो महीने के अंदर ही आपका बिजली का कनेक्शन नहीं होगा तो उस अधिकारी के खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी जिसने दो महीने में कनेक्शन देने की कार्रवाई नहीं की। दो महीने में यदि भूमि की उपलब्धता नहीं होगी, वह टाइम अलग-अलग था, किसी डिपार्टमेंट का टाइम दो महीने था, किसी का छह महीने का था, किसी का तीन महीने का था, लेकिन हर डिपार्टमेंट की अपनी एक सीमा तय की हुई थी कि आप इस सीमा में करायेंगे।

मंत्री महोदय, सरकारों के और मंत्रियों के पीछे एक कैसेट चलती रहती है, चल उड़ जा रे पंछी ये देश हुआ बेगाना, वो मेरे पीछे भी चलती थी, मेरे लिए भी बेगाना हो गया वह आपके पीछे भी चलती है, आप भी बेगाने हो जाएंगे। कई आये और कई चले गए, लेकिन समस्या जस की तस है। 35 लाख करोड़ का अमाउंट आपको सुनने में बहुत अच्छा लगता होगा, 2022 में भी राजस्थान समिट हुई, मैं कोई उलाहना नहीं दे रहा हूँ मंत्री महोदय को लेकिन 2022 में जो समिट हुई, उसमें जो-जो पार्टिसिपेंट थे वह आज जूतियां घिस रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कि वह 2022 का था, आपकी जिम्मेदारी है 2024 की, यह फर्क करना बंद करिए। माननीय मंत्री महोदय, 2022 का हो, 2013 का हो या 1989 का हो, यदि वह राजस्थान में उद्यम लगाने आया है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है बीईंग ए मिनिस्टर, आप पूरी ताकत लगा दीजिये, अपने अधिकारी को बुलाइये।

माननीय सभापति महोदय, विगत सरकार ने एक नोडल एजेंसी बनाई थी हाई पावर कमेटी, उस हाई पावर कमेटी के माध्यम से 100 करोड़ से ऊपर के जो भी इन्वेस्टमेंट आते थे, उस हाई पावर कमेटी के माध्यम से पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 10 करोड़ तक का, उसके बाद में स्टेट लेवल पर 100 करोड़ से ऊपर तक के जो प्रोजेक्ट होते थे, उन पर वह हाई पावर कमेटी बैठती थी और वह इस बात का मंथन करती थी कि इस समस्या का समाधान क्या हो।

सभापति महोदय, उस हाई पावर कमेटी में सभी विभागों के उच्चाधिकारी होते थे और उनकी जिम्मेदारी यह होती थी कि विथिन टाइम फ्रेम, इस व्यापारी का, इस उद्यमी का जो उद्योग लगाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है, उसको हम संतुष्ट करके भेजें कि तुम उद्यम लगाओ, हम तुम्हारी पूरी सहायता करने को तैयार हैं।

वह उद्यम लगाने को तैयार है, विपरीत परिस्थितियों में क्योंकि यह कुछ समस्याएं हैं, यह

भौगोलिक समस्या है, यह ना आपकी की हुई है, ना मंत्री महोदय की की हुई है, ना मेरी की हुई है, ना किसी सरकार की कि हुई है, पानी नहीं है तो नहीं है, लॉजिस्टिक नहीं है तो नहीं है, अपना पोर्ट नहीं है तो नहीं है, लेकिन इन सबके बावजूद भी हम यह साबित करे और हमको सबसे यह देखना होगा जिलेवार, मैं जिस जिले से आता हूँ, वहाँ पर टाई एंड डाई का बहुत बड़ा कारोबार है, बच्चे का जन्म हुआ तो चूनड़ी की जरूरत पड़ गयी, शादी हुई तो जरूरत पड़ गयी, भात हुआ तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन धीरे-धीरे वह सारा मशीन से हो रहा है। मशीन से होने से उसकी जो लेबर कॉस्ट पड़ती है, वह लेबर कॉस्ट हाथ वाले से बहुत कम है, मशीन वाले की ज्यादा कीमत नहीं है उसकी तो कम है और यह क्योंकि हैंड मेड टाई एंड डाई का है, इसमें हजारों औरतें काम में लगी हुई है, मशीन का होने लगा तो उसमें बेरोजगारी बढ़ गई। हम उनको मार्केट उपलब्ध करायें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहूंगा कि अरबन हाट का एक कांसेप्ट था, जो 2013 में आया था, भारत सरकार का प्रोजेक्ट था अर्बन हाट का और उसका आपको यदि प्रोजेक्ट देखना है तो राजस्थान में सीकर में उसका प्रोजेक्ट उस वक्त लगा था, अरबन हाट में जिले की और जिले के बाहर की जो भी महिलाओं द्वारा जो आजीविका के माध्यम से अपना प्रॉडेक्ट तैयार करती हैं या जो भी छोटे-छोटे आर्टिजंस हैं वह अपना प्रॉडक्ट तैयार करते हैं, वह सारे लोग वहाँ पर आते हैं, हाट लगाते हैं, वह एक हफ्ते की हाट होती है या 10 दिन की हाट होती है या 5 दिन की हाट होती है, उस हाट बाजार से उनको अच्छा मार्केट मिलता है।

माननीय सभापति महोदय, यह कुछ समस्याएं ऐसी हैं बने सभापति होते हैं जिनको हम यदि खुद महसूस नहीं करेंगे, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मेरे मन में यह होना चाहिए कि बीइंग मिनिस्टर मुझे ये काम करना ही है, ये कमिटमेंट मेरा होना चाहिए और यदि यह नहीं होगा तो मैं भी चला गया, आप भी चले जाएंगे और कोई आयेगा वह भी चला जायेगा।

35 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी यदि आज आप किसी बेरोजगार से यह पूछें कि आप कितना संतुष्ट हैं, आपको रोजगार मिलेगा, वह कहेगा साहब अभी तक तो कोई चांस नहीं मिला। किसी पढ़े-लिखे से पूछेंगे कि कहीं कोई आपके पास इन्विटेशन आया है कि किसी फैक्टरी वाले से, क्योंकि 35 लाख में से 28 लाख करोड़ तो सोलर का है। उसमें तो ना एंसिलरीज है ना टर्शरी है, अगर टर्शरी नहीं होगी तो ना उसमें सर्विस सेक्टर होगा, ना उसमें कोई लॉजिस्टिक का होगा, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन का होगा, मूल आवश्यकता यह है कि बड़ी इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए।

अगर बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगे तो सोलर में तो आपको मुश्किल से एक-दो प्रोजेक्ट हैं उसमें मुश्किल से 20, 30, 50 लोगों की आवश्यकता है। उसमें मजदूर की जरूरत नहीं है। जो भी सोलर का एक बार पैनल लग गया, वह अपने आप एनर्जी पैदा कर रहा है, उसमें ज्यादा जरूरत पड़े तो उसको धोने के लिए, वॉश करने के लिए दो-चार मज़दूरों को लगाना है, वह करेंगे और आपका सोलर आपको मिलता रहेगा। आप को क्या मिला उससे?

सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह जो 27 लाख करोड़, 28 लाख करोड़ का जो इनवेस्टमेंट सोलर एनर्जी का है, क्या राजस्थान में वह सस्ती बिजली देगा हमको? केवल वहाँ पर वह जमीन एक्वायर करके बैठ गया, बल्कि अपने ट्रांसमिशन के लिए जिन खेतों से, जिन काश्तकारों की जमीन में से अपना वह ले करके जा रहे हैं, वहाँ जो ट्रांसमिशन लाइन है, उस काश्तकार की आंखों में से आंसू आ जाते हैं, जब उसकी एक ट्रांसमिशन के पोल की आधा बीघा जमीन एक्वायर करके और जबरिया करता है वह, उसको मुआवजा नहीं देता वह इस बात के लिए, जबरिया करके उस पर वह टावर लगाता है, ट्रांसमिशन लाइन जाएगी, वह ट्रांसमिशन लाइन जाएगी कहाँ? सुदूर उन प्रांतों में जायेगा जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। जमीन आपकी, सूर्य की किरणें आपकी और आपके हाथ में ठन-ठन, बताइए आप इस बात को कि क्या आपने उससे ऐसा एम ओ यू किया है कि जो सोलर एनर्जी पैदा होगी, राजस्थान को इस भूखंड के बदले और इन किरणों के बदले क्या आप उस को सस्ती बिजली देंगे? या वह ही बिजली जो आपकी पूर्वनिर्धारित रेट है, उसके माध्यम से ही हमको मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो माननीय मंत्री से शेयर करना चाहूंगा, विगत सरकार ने मुख्य मंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019 चालू की थी, जिसमें मंत्री महोदय 10 करोड़ रुपये के ऋण 8 प्रतिशत अनुदान पर थे। मुख्य मंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 जो ग्रैजुएट युवा थे उनको 10 प्रतिशत मार्जिन मनी और 8 प्रतिशत ब्याज पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान था, आपने 31 जुलाई 2024 को इसको समाप्त कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने क्यों समाप्त कर दिया? क्या बेरोजगार युवाओं को 10 करोड़ रुपये जो आप दे रहे हैं, वह यदि आपके उस पैसे से अपना रोजगार स्थापित करता है, वह पहली पीढ़ी का युवा है, वह आपसे उम्मीद करता है कि आप उसको 10 करोड़ देंगे और कम ब्याज पर देंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरा तो मानना यह है कि उस युवा को आप विदाउट कोलेटरल, 10 करोड़ रुपया विदाउट इन्ट्रेस्ट आप उसको दीजिए या मिनिमम इन्ट्रेस्ट पर आप उसको दीजिये, उसमें करने की क्षमता है, पूरी क्षमता है, वह विपरीत परिस्थितियों में काम करता है, लेकिन उसको आप का संरक्षण चाहिए। बिना संरक्षण के वह काम कर नहीं पाता।

सभापति महोदय, जो स्कीम थी वह भी इन्होंने बंद कर दी, मैं पूछ रहा हूँ क्यों बंद कर दिया आपने? क्या उस स्कीम से आपका किसी तरह का नुकसान हो रहा था? विगत सरकार में 2019 में और 2022 में रिप्स स्कीम आई थी, आपने एक अलग से स्कीम चालू की सिर्फ रिप्स 2024, ना तो उसकी कोई गाइड लाइन बनी है अभी तक, ना उसको आपने उस अभी पोर्टल पर डाला है, तो जब 2024 में आपने बना दिया रिप्स को और आज दिन तक उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, ऑनलाइन पोर्टल पर वह नहीं है तो उसका लाभ क्या मिला? फिर वह जो 2022 और 2019 की जो स्कीम थी, वही ठीक थी। आपने उसको हटाकर के 2024 का नाम क्यों दिया?

एक जो यह जो अछूत मानने की हमारी प्रवृत्ति है, उस सरकार की है, यह अछूत है, हम इसको नहीं मानेंगे, हम लायेंगे, जब आप लेकर आयेंगे तो हम नहीं मानेंगे और हम लेकर आयेंगे तो आप नहीं मानेंगे, आप मुझे अछूत कहो, मैं आपको अछूत कहूं। बंद करिये यह सब। यह राजस्थान जितना आपका है उतना ही मेरा है और जितना मेरा है उतना ही हम सबका है। यह राजस्थान हम सबका है। हमारी आत्मा में राजस्थान बसा हुआ है। इसकी उन्नति यदि होती है तो पक्ष-विपक्ष छोड़िये, इसकी उन्नति में हम सब भागीदार हैं। इसकी उन्नति में हम सब उत्साहित हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि किसी तरह का नुकसान होता है तो हम सब भागीदार हैं। यह नहीं कि हम बच गये। हम भी भागीदार हैं।

माननीय मंत्री महोदय, अपने अधिकारियों के साथ बैठिये। कोई आदमी यदि रात को आपको टेलीफोन करे तो आप अवलेबल हो? कोई व्यापारी यदि आपको रात को फोन करके कहे कि मंत्री महोदय मैं अभी आपसे बात करना चाहता हूं, मेरे पास भी आते थे।

spp/rtm/10.03.2025/14.00/2c

मेरा स्पष्ट निर्देश था, तुम यदि बात होटल में करना चाहोगे तो होटल में नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। मेरे घर आओ, मेरे साथ लंच करो, डिनर करो। मेरे ऑफिस जाओ, वहाँ मैं तुमसे बात करके तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं आऊंगा। क्या हमारे मंत्री महोदय उपलब्ध हैं इस बात के लिए? वह आप से संवाद चाहता है, संवादहीनता सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। उद्यमी आता है, बॉम्बे से आता है, कहीं बाहर से आता है, चार दिन वह होटल में पड़ा रहता है और यदि उसको कन्सर्न्ड मिनिस्टर और कन्सर्न्ड ऑफिसर यदि नहीं मिलेंगे तो चार दिन तक आपका इंतजार करेगा? वो इंतजार इसलिए नहीं करेगा, सभापति महोदय, दूसरे स्टेट वाले उसको हाथों-हाथ लेने को तैयार बैठे हैं। वो तैयार इसलिए बैठे हैं कि वहाँ पर जो सारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वो उसके अनुकूल हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज गुजरात की हम बात करें तो गुजरात तो पहले से ही हमसे आगे है। पोर्ट वहाँ पर है, पानी की व्यवस्था वहाँ पर है, मज़दूरों की व्यवस्था वहाँ पर हैं तो हमसे आगे हैं पहले से ही। हम उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? हम अपने पांव से अपने कदम नापें। हमको कितना चलना है, यदि आज मैंने सौ कदम चल दिए तो मुझे इस बात की खुशी होनी चाहिए कि मैंने आज सौ कदम तय कर लिए। आप सोचो कि मैं उससे इतना पीछे रह गया। तू पीछे इसलिए रह गया कि तुम्हारी उसकी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। हमको कुछ मूलभूत जो समस्याएं हैं, माननीय सभापति महोदय, उनको हमको फोकस करना होगा और यदि हमने नहीं फोकस किया तो परिणाम तो अब तक जो आ रहा है, परिणाम आगे भी आ जायेगा। 35 लाख करोड़ का डंका पीट रहे हो, हम जब आएँगे तो हम 35 लाख का हम पीट देंगे। जब आप 35 लाख करोड़ का आज पीट रहे हो तो पांच साल बाद हम 50 लाख करोड़ का पीट देंगे, डंके बजते रहेंगे और राजस्थान का जो बेरोजगार है, वह आपकी-हमारी तरफ टकटकी लगाए हुए देखता रहेगा। चाहे बेरोजगार पढ़ा लिखा हो या बेरोजगार हो।

सभापति महोदय, वह हमसे अपेक्षा करता है, आज हम आजादी के पूर्व में नहीं हैं। 2021 में हम जी रहे हैं और इस 21 वीं सदी में युवा आपसे उम्मीद करता है। विपरीत परिस्थितियों में आप उस उद्योग को चुनिए। आज आपका आईटी सेक्टर है। इसकी राजस्थान में प्रबल संभावनाएँ हैं। ट्यूरिज्म है, राजस्थान में प्रबल संभावनाएँ हैं। आपका जो मेडिकल ट्यूरिज्म है, राजस्थान में प्रबल संभावनाएँ हैं। मैं माननीय मंत्री मुझे पूछना चाहूंगा जब केरल में आज हेल्थ सेक्टर में इतना बड़ा ट्यूरिज्म डवलप हो रहा है तो राजस्थान इतना पीछे क्यों हैं? राजस्थान की आत्मा में तो आयुर्वेद बसा हुआ है और आज यदि आप नहीं भी कर रहे हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल से आप देख लीजिये। उनका आप रजिस्टर्ड देखिये,आपको पता लगेगा की दुबई और दुनिया भर के इधर-उधर से, फॉरेन से लोग आकर के अपना इलाज कराकर के जाते हैं। वे इसलिए कराके जाते हैं कि यहां पर उनको अच्छा इलाज मिल जाता है और कम पैसों में मिल जाता है। हमको सोचना चाहिए इस पर कि यदि ट्यूरिज्म होगा तो आपका होटल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा।

श्री सभापतिः समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहूंगा। अपनी उदासीनता के चलते आपको पता है, माननीय मंत्री महोदय, पिछले एक साल में कोटा से 20%, जयपुर से 15%, उदयपुर से 6% और जोधपुर से 4% एक्सपोर्ट कम हुआ। उसका कारण क्या है? जो ऐग्रीकल्चर बेस्ड आइटम जो थे, उन पर मंडी टैक्स ज्यादा लगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारी है, जिसके लिये मैं बार-बार इंगित कर रहा हूँ आपको, लॉजिस्टिक। विगत सरकारों ने फ्रेट सब्सिडी दी थी और फ्रेट सब्सिडी की वजह से वो कम्पीट कर पाते थे उन प्रांतों से...।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, कन्क्लुड करें।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): जहाँ एक कोई प्रॉडक्ट आपके जयपुर से महाराष्ट्र जाना है और एक प्रोडक्ट गुजरात से महाराष्ट्र जाना है तो गुजरात वाला है, कम फ्रेट में चला जाएगा क्योंकि वहाँ की दूरी कम है। हमारी दूरी चूंकि ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा पड़ेगा। आप बार-बार उधर देख रहे हैं।

श्री सभापतिः श्री अरूण चौधरी।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): प्लीज़, प्लीज़, एक मिनट अपनी बात तो कहने दो। सम-अप तो करने दो। माननीय सभापति महोदय, मैं कोई इर्रिलेवेंट तो बोल नहीं रहा। दो मिनट, क्योंकि पर्यावरण का भी मामला इसी से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण मंत्री महोदय से मैं मिलकर अपनी बात कर लूंगा।

श्री सभापतिः समय सीमा आपकी खतम हो गयी। माननीय सदस्य प्लीज, आप वरिष्ठ हैं। आपका सब हो गया।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): एक मिनट तो दीजिये, माननीय सभापति महोदय।

चूंकि पर्यावरण और उद्योग दोनों की ही विपरीत परिस्थितियां हैं। उद्योग कहता है कि मुझे

लगना ही लगना है, चाहे कैसी भी तुम्हारी स्थिति हो और पर्यावरण है वो इस बात की इजाजत नहीं देता। हम यह जो सीटीपी वगैरह जहाँ भी हम लगाते हैं, इसके लिये मैं मंत्री महोदय का निवेदन करना चाहूंगा। सीटीपी काम नहीं करते हैं । नाम का सीटीपी लगाते हैं और फिर उसका जो गंदा पानी या तो पड़ोस के नदी में जा के गिरता है या पड़ोस के किसी और, जो तलाब होते है उसमें जाके गिरते हैं। आप एन्श्योर करिये इस बात को और उसके देखने के लिए, माननीय सभापतिजी, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसका बिजली का बिल जा करके देख लीजिए फैक्टरी वाले का, यदि उसका बिजली का बिल पूरा आ रहा है तो आपको लग जायेगा सीटीपी ...(व्यवधान)...

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे..(व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): बिजली का बिल नहीं आ रहा है।

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे भी व्यक्ति रूप से मिलूंगा क्योंकि बहुत सी बातें रह गयीं। कोई सार्थक चर्चा हो रही है तो आप पाबंदी मत लगाया करिये। सार्थक चर्चा हो रही है, कोई इर्रिलेवेंट हम बोल नहीं रहे। ..(व्यवधान)..धन्यवाद।

श्री सभापतिः आपका जितना समय था उससे ज्यादा समय दे दिया।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मंत्री का नाम कई बार लिया गया। मैं आग्रह करूंगा पारीक साहब से कि जब मैं जवाब दूं, तब वे सदन में उपस्थित रहें।

श्री सभापतिः रूकेंगे, रूकेंगे। आप रूकना साहब शाम को, ये कह रहे हैं।

एक माननीय सदस्यः पारीक साहब तो रूकते ही हैं।

श्री सभापतिः श्री अरूण चौधरीजी।

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश में भिन्न-भिन्न समय पर औद्योगिक नीतियां आयीं, जिनको हमारे पूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय भैरोसिंह शेखावत साहब, पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी एवं अन्य कई पूर्व मुख्य मंत्री महोदय ने प्रदेश में उद्योग के हितों के लिए विभिन्न सार्थक प्रयास किये। राजस्थान ही नहीं, वरन संपूर्ण देश-विदेश में राजस्थानी हर जगह अपनी एक पहचान रखता है। तभी तो कहते हैं, जहाँ ना पहुंचे बैलगाड़ी, वहाँ पहुंचे मारवाड़ी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे विपक्षी भाई हमेशा उद्योग की चिंता करते हैं। आज अगर हम सही ढंग से देखें तो राजस्थान से कितने अप्रवासी भाई हैं, जिन्होंने वर्षों पहले राजस्थान छोड़ा और राजस्थान छोड़ने का कारण क्या था? उनकी गलत नीतियां, जो हमारे विपक्षी भाइयों की सरकार थी, उन्होंने हमारे राजस्थानी, जो भी यहाँ पर जो लोग थे, उनको उद्योग जगत में पनपाने के लिये आवश्यक सुविधाएं मुहैया नहीं कराईं और उसके कारण हमारे यहाँ प्रवासी भाइयों को पूरे देश में जगह-जगह पर जाना पड़ा। अपने घर बार को छोड़कर के जाना पड़ा। लेकिन ये ईश्वर की देन मानो या भगवान का आशीर्वाद कि आज

हमारे अप्रवासी जितने भी भाई हैं, वो बहुत ही सकुशल अपना बहुत ही अच्छी तरह से व्यापार कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय को, जिन्होंने हाल ही में राइजिंग राजस्थान किया। राइजिंग राजस्थान के तहत जो 35 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए और जो MOU हुए, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं यह धन्यवाद हमारे उद्योग मंत्री जी को भी देता हूँ कि इन्होंने इस आयोजन का बहुत ही सफल रूप से आयोजन करवाया। इस आयोजन से हमारे प्रदेश के जो भी अप्रवासी भाई हैं, जो बाहर गए और जो यहां रह रहे हैं, वे अपने उद्योग का आमूलचूल परिवर्तन किस प्रकार कर सकें? हमारे राजस्थान को किस प्रकार विकसित राजस्थान का बना सकें, उसके अंदर जरूर पूरा योगदान देंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के एक साल के भीतर ही इस तरह का राइज़िंग राजस्थान किया। मैं विपक्षी भाइयों से कहता हूँ, अगर आप की इस तरह की सोच होती तो आप भी करते, लेकिन आपने जो राइज़िंग राजस्थान के जो कार्यक्रम किये, आज वो धरातल पर उतर नहीं रहे, लेकिन हमारी ये भजन लाल जी की सरकार, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि धरती पर भी उतरेंगे और आमजन के हित के अंदर ये काम आयेंगे।

माननीय सभापति महोदय, उद्योग मंत्री जी बिराजे हैं, मैं उद्योग मंत्री जी को मैं मेरी तरफ से आपके मार्फत यह कहना चाहता हूँ कि जब हमारी सबकी सोच होती है कि राजस्थान में जगह-जगह उद्योग लगें। कई बार हमने सिंगल विंडो भी बनाए, लेकिन कहीं भी वो सार्थक रूप से नहीं हुए? मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई भी आवेदन जो करता है उद्योग लगाने के लिए उसके लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाये कि वहाँ पर इस निश्चित समय के अंदर उद्योग लगाएगा और उसकी जितनी भी एनओसी होती है वो सरकार अपने मार्फत उन सारी एनओसी को इकट्ठी करके और उस उद्योग लगाने वाले को दी जाये, जिससे कि जो भी उद्योग लगाएगा, उसको कोई भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी उद्योग लगाता है, उसको विभिन्न जगह ऑफिसों में कार्यालयों में जाना पड़ता है और जाने के दौरान उसको कई जगह धक्के खाने को मिलता है, कई चक्कर खाने को मिलते हैं और फिर वापस उनकी फाइल यूं दब जाती है और वो उद्योग लगाने से वापस पीछे हट जाता है।

jyg/rtm/10.02.25/14.10/2d

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात भी करता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिस प्रकार रिफाइनरी है, रिफाइनरी का जैसे हमारे सम्माननीय पारीक साहब बता रहे थे कि रिफाइनरी का बोझ हमारे राजस्थान पर हो गया। आप पर बोझ कैसे बढ़ा, आपकी पिछली सरकार ने क्या किया, जब इसका शिलान्यास हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया था तो 2022 के अन्दर इस रिफाइनरी का वापस

उद्घाटन करने की बात कही थी लेकिन आपकी सरकार की गलत नीतियों के कारण इस रिफाइनरी का काम पूरा नहीं हुआ और अब आप उलटा दोष हमारी सरकार पर लगाकर कहते हैं, हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी ने हाल ही में इस रिफाइनरी का दौरा किया, उन्होंने इस बजट के अन्दर भी घोषणा की कि अगस्त 2025 के अन्दर इस रिफाइनरी को प्रारम्भ कर दिया जायेगा, मैं इसके लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र जयपुर से लगभग 450 किलोमीटर है और 450 किलोमीटर किसी समय अगर किसी कर्मचारी को सज़ा दी जाती थी तो उनको यह कहा जाता था कि आपकी पोस्टिंग बाडमेर कर दी जायेगी। माननीय सभापति महोदय, एक सज़ायाफ्ता कर्मचारी हमारे बाडमेर के अन्दर आता है तो वो वहां पर कार्य भी सही ढंग से नहीं करता और वो मनमर्जी से काम करता है। अभी हाल ही में हमारे रीको के अन्दर एक अधिकारी लगा है जो यहां से सज़ा प्राप्त करके गया है और मैं आपको बताता हूं कि वो पूरे व्यापारियों को बहुत परेशान कर रहा है और इतना ताण्डव मचा रखा है कि चाहे मेरा ट्रांसफर करा दो, पाकिस्तान बोर्डर तो भेज नहीं सकते तो मैं आपके मार्फत यह कहना चाहता हूं कि ऐसे कर्मचारी को ट्रांसफर नहीं ऐसे कर्मचारी को निलम्बित करना चाहिए जिससे कि उसको भविष्य के अन्दर किसी भी व्यापारी के साथ में कोई गलत दुर्भावना से कार्य न कर सके।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैं वन विभाग के माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वन विभाग की जो भूमि है क्योंकि अब तो ऑनलाइन का जमाना है, सैटलमेंट भी हो रहा है, कई ऐसे किसान हैं, कई ऐसे ग्रामीण हैं जो वन विभाग की भूमि पर भी बैठे हैं, मैं आपके मार्फत हमारे वन मंत्रीजी और सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोग जो 40-40, 50-50 वर्षों से उस जमीन पर बैठे हैं जो वर्तमान में वन विभाग की है तो मैं ऐसे जो गरीब किसान हैं उनके हितों के लिए वन विभाग इस तरह की कोई स्कीम लाये कि उनको वहां मकान को छोड़कर नहीं जाना पड़े और दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार उद्योगों के अन्दर कोयला जो आता है, हमारे को लकड़ी काटनी पड़ती है लेकिन कोई ग्रीन कोयला के इम्पोर्ट पर छूट वगैरह दी जाये, इसकी स्कीम लायी जाये, राजस्थान में जिससे हमारे यहां पेड़ों की कटाई हो रही है वो कटाई होने से बंद हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बार जो हरियालो राजस्थान का कार्यक्रम किया, उसके तहत राजस्थान के अन्दर करोड़ों वृक्ष लगे। पहले जो वृक्ष लगते थे, आजादी के बाद से अगर हम हरेक बजट देखें तो हमारे विपक्ष भाइयों की सरकार में करोड़ों वृक्ष लगते थे लेकिन उनकी धरातल पर स्थिति बड़ी विकट होती थी लेकिन इस बार हम दावे से कह सकते हैं क्योंकि हमारे जो भी पेड़ लगे हैं इस बार धरातल पर आज भी मौजूद हैं, तो मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के अभियान को जिस प्रकार आगे बढ़ाया गया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने

वाले समय में पर्यावरण में गर्मी के मौसम में हाल बेहाल हो रहा है, उसके अन्दर जरूर यह फायदा देगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत वन मंत्रीजी से मांग करता हूं कि कई बार वन विभाग दूसरों की जमीन, दूसरे विभागों की जमीन भी दबाकर बैठ जाता है। अगर वन विभाग की जमीन कोई व्यक्ति दबाकर बैठा है उसको तो खाली कराते हैं लेकिन वन विभाग अगर किसी दूसरे विभाग या किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन दबाकर बैठा है तो उसको भी खाली नहीं करता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में भी कोई नियम होना चाहिए कि उसके अन्दर भी कोई सहूलियत हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत हमारे उद्योग मंत्रीजी और वन मंत्रीजी दोनों बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हमारे जोधपुर और पाली और बालोतरा का जो औद्योगिक क्षेत्र का गंदा पानी है उस गंदे पानी को एक चैनल रूपी इस तरह से बनाकर या तो एचपीसीएल रिफाइनरी में, सर, कच्छ की खाड़ी में चैनल बनाकर उसका निस्तारण किया जाये, उसकी डीपीआर बनाने की घोषणा की जाये, क्योंकि यह पाली औद्योगिक क्षेत्र और जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र में, मैं हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे वन मंत्री विराजे हैं, उनको भी कि उन्होंने इस बजट के अन्दर जोधपुर के अन्दर तो सीएसपीटी प्लांट और एसटीपी प्लांट के लिए अभी हाल ही के अन्दर 175 करोड़ रुपये जो स्वीकृत किए हैं उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन वहां का जो ट्रीट हुआ पानी है, उसको देने के लिए उनको एक चैनल बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं चैनल बनाकर एचपीसीएल रिफाइनरी को यह पानी दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, माननीय उद्योग मंत्रीजी विरोजे हैं, मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछली सरकार जो मेरे विधान सभा क्षेत्र की औद्योगिक क्षेत्र की 53 फाइलें थीं, रीको की, जो पिछली पूरी सरकार चली गयी, लेकिन उन्होंने 53 औद्योगिक फाइलें इसके अन्दर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया लेकिन उसके बावजूद निस्तारित नहीं की। मैं आपके मार्फत हमारे माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि इन फाइलों को निस्तारित करने में जब 5-6 साल लग गये, हम एक तरफ तो राइजिंग राजस्थान और इस तरह से उद्योगों को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम करते हैं लेकिन हमारे जो नीचे के कर्मचारी हैं वो इस तरह से हमारी फाइलों को दबाकर बैठ जाते हैं और इसके कारण आज हमारे वो 53 फाइलें, हमारे अभी उद्योग मंत्रीजी ने इन फाइलों को निस्तारित करवाया। साथ में मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे उद्योग मंत्रीजी हमारे बालोतरा की और भी कई समस्याएं हैं, टैक्सटाइल के अन्दर है, जो निवेदन करता हूं कि पाली, जोधपुर और बालोतरा टैक्सटाइल क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिसमें पोपलिन कपड़ा प्रोसेसिंग यूनिट की मार्फत तैयार होता है। मैं माननीय मंत्रीजी से आपके मार्फत निवेदन करता हूं कि हमारे यहां अपार संभावनाएं हैं उद्योग लगाने की तो इसके लिए कपड़े के पावर लूम का कोई

आर्थिक पैकेज या कोई इस तरह की नई योजना लायी जाये तो यहां पर लूम लगेगा तो कपड़ा लोगों को बहुतसस्ता मिलेगा क्योंकि वर्तमान में कपड़ा इरोड से आता है, इच्छलकरणजी से आता है, भिवण्डी से आता है तो मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि ये पावर लूम हमारे यहां पर बनाये जायें, जिससे हमारे उद्योगपति जो यहां से छोड़कर अहमदाबाद और सूरत जा रहे हैं उनको यहां पर रोका जा सके।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर में बायोटेक्निकल गार्डन स्थापित करने की बात की थी, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। माननीय सभापति महोदय, जब तक बिजली, सड़क और पानी इन तीन चीजों की पूर्ति नहीं होगी तब तक उद्योग लगा नहीं सकते। मैं हमारे केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे प्रदेश के अन्दर जगह-जगह प्रदेश में रोडों का जाल बना दिया और ऐसे एक्सप्रेस हाईवे बनाये, जिससे हमारे राजस्थान के अन्दर उद्योग जगत को एक नयी क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। मैं हमारे विपक्षी भाइयों के लिए एक ही कहूंगा, हमारे विपक्षी भाई तो,

उम्र भर गालिब यह भूल करता रहा,
धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा।

हमारे विपक्षी भाइयों की तो इस तरह की स्थिति है। यही बात करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापतिः श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आदरणीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे बोलने का अवसर दिया और पार्टी के मुख्य सचेतक का, नेताजी का भी आभार व्यक्त करता हूं।

श्री सभापतिः आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। ध्यान ही नहीं है उनका। ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आज उद्योग विभाग और वन विभाग की डिमाण्ड पर आज चर्चा है। दिसम्बर 2023 को सरकार का गठन हुआ। गठन होने के पश्चात् से तक सरकार ने विकास के काम के नामों पर जो भ्रम पैदा किया, उस भ्रम को मिटाने के लिए सरकारी पक्ष ने चाहे उसमें पूरी कैबिनेट हो, चाहे उनके समर्थक हो, 'सच बेधड़क' एक चैनल चलता है।

MLS/RTM/10.03.2025/14:20/2e

उस चैनल पर एक नारा दिया, एक अभियान चलाया योजनाबद्ध, ''बड़ी तेज, बड़ी रफ्तार, यह है भजन लाल सरकार''। चारों तरफ। टीवी पर देखो, विज्ञापनों पर देखो, होर्डिंग्स पर देखो, राइजिंग राजस्थान के नाम पर चलाये जा रहे अभियान को देखो। माननीय मुख्य मंत्री जी अनेक स्थानों पर पधारे। राइजिंग राजस्थान करना अच्छी बात है। हम सभी चाहते हैं राइजिंग राजस्थान। राजस्थान का औद्योगिक विकास हो, इसमें कोई मतभेद की बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का करोड़ों रुपयों का खर्चा राइजिंग राजस्थान के प्रचार और प्रसार में

गली-गली में किया, वह इसलिए किया आपने कि 23 दिसम्बर से मार्च, 2024-25 तक आपकी सरकार ने एक भी विकास का काम नहीं किया और यह पर्दा डालने की आपकी साजिश है।

मैं आपको भी और मुख्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि बड़े प्यारे अन्दाज से बहुत खूबसूरत तरीके से जो कुछ नहीं किया, उस पर पर्दा डालकर भ्रम पैदा कर दिया कि राइजिंग राजस्थान हो रहा है और राजस्थान का नक्शा बदल जायेगा। इस बात में आप कामयाब हुए। जनता में भ्रम पैदा करने में कामयाब हुए। हृदय के गहन तल से आपका आभार, लेकिन वास्तविकता देखिये, ...(व्यवधान)... बातें तो करने दो, लड़ाई-झगड़ा थोड़ी हो रहा है। मैं इस बात के लिए कि जनता को भ्रमित करने में इस नारे के माध्यम से, हवाई यात्राओं के माध्यम से, होर्डिंग्स लगाने के माध्यम से और एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम जयपुर में आयोजित कर, दो-दो हजार, चार-चार हजार रुपये की थाली खिलाकर जो आपने जनता को भ्रमित किया न, अकर्मण्यता पर पर्दा डाल दिया, उसके लिए हृदय के गहन तल से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय उद्योग मंत्री जी, चाहता तो यह हूं पहले उद्योग पर आ जाऊं, फिर बाद में उनसे कर लूंगा, नहीं तो वे नाराज होकर उठने लग जाएंगे, कम से कम आप उठेंगे तो नहीं। आपका 2023-24 का बजट, उसमें टोटल अगर लगाएं, लगभग 1000-1100 करोड़ का प्रोविजन आपने किया। अलग-अलग आइटम पर किया। मान्यवर, आप बता देना, जब आप जवाब दें कि जिस-जिस भी आइटम में आपने जितनी राशि स्वीकृत की, उसका 50 प्रतिशत भी खर्च नहीं हुआ है। आप जब अपना जवाब दें, हर आइटम पर जो आपने राशि निर्धारित की है, मैं अलग-अलग उसको पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन जिस-जिस भी आइटम में 2023-24 के बजट में आपने जो राशि निर्धारित की है, उसका 50 परसेंट भी आप खर्च नहीं कर पाये। 2025-26 में तो आपने ऐसा कोई दर्शन ही नहीं दिया। कल्पना के आधार पर कलात्मक ढंग से बजट में जिस प्रकार का आपने प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन को देखकर तो यह लगता है कि राजस्थान का औद्योगिक विकास होने में लोगों के मन में शंकाएं हैं।

35 लाख करोड़ रुपये के आपने एमओयूज किये। बहुत-बहुत स्वागत, धन्यवाद, लेकिन आप यह तो बताएं कि इस एक वर्ष में कौन-सा एक एमओयू आप सड़क पर लाये, धरती पर लाये और आपने उसका काम आरम्भ करके उस पर एम्प्लॉयमेंट दे दिया। एक भी बताने की स्थिति में आप नहीं हैं। एक परिकल्पना है भविष्य की। भविष्य की परिकल्पना साबित होगी आज से 3 और 4 साल बाद, लेकिन वर्तमान में हजारों करोड़, लाखों करोड़ खर्च करने के बाद हम एक भी एमओयू की एक भी बात को सड़क पर, धरातल पर नहीं ला पाये, यह आपको इस पर सोचना है।

अभी बता रहे थे सोलर एनर्जी का। सोलर एनर्जी का अभी जो पारीक साहब ने आपके सामने बताया, सोलर एनर्जी आप लगाइये, सोलर एनर्जी का टोटल जो आप बिजली का उत्पादन है, वह टोटल सैंट्रल ग्रिड स्टेशन को, ग्रिड पावर को देना पड़ेगा। जमीन आप दोगे,

पैसा आपका है, काम आपका है और फैसला करेगी भारत सरकार। अडाणी हों, दूसरे हों, माधवानी हों, प्रेमचन्दानी हों, वो उस बिजली को किस कीमत पर देंगे, यह फैसला भारत सरकार करेगी। अभी आपने देखा होगा, अख़बार में आया बहुत बड़ा, आन्ध्र प्रदेश ने जो दर इन्होंने तय की, उस पर लेने से मना कर दिया कि हम यह रेट नहीं देंगे। तो हुआ क्या? भारत सरकार इतनी मेहरबान हुई कि उन्होंने 35 हजार करोड़ का टैक्स, जो अडाणी पर लगा हुआ था उस बिजली सप्लाई में, वह माफ कर दिया और कहा कि इनको सस्ती दे दो।

आपसे भी मेरा विनम्र अनुरोध है, बिजली की आवश्यकता को देखते हुए और इन सब बातों को देखते हुए कि आप मेहरबानी करके भारत सरकार से भी सम्पर्क करें कि जिस प्रकार सस्ती बिजली आन्ध्र प्रदेश को आपने टैरिफ, जो टैरिफ लगा रखा है उन्होंने बिजली सप्लाई पर, जो सौर ऊर्जा की बिजली है, इस पर भारत सरकार का टैरिफ है, उस टैरिफ को माफ किया तो राजस्थान के लिए भी आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है, डबल इंजन की सरकार है, सब-कुछ ठीक चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है तो उस व्यवस्था के तहत आप केन्द्र से अभी से ही सम्पर्क कर लें कि जिस प्रकार आन्ध्र प्रदेश पर आपने मेहरबानी की, वह मेहरबानी राजस्थान पर भी आप करें।

संसाधन अपने हैं, लेकिन संसाधन अपन अपने खुद के लिए ही लुटा दें, इसके लिए नहीं हैं। भावी पीढ़ी भी आपका इन्तजार कर रही है कि हम उनको दिवालिया छोड़कर नहीं जाएं, उनके लिए जमीन छोड़कर नहीं जाएं, उनके भविष्य का ख्याल नहीं रखें और सारा का सारा उपयोग और उपभोग है, वह वर्तमान पीढ़ी कर ले, भारत सरकार के साथ-साथ राजस्थान सरकार से भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि उसको विचार करना चाहिये और उस हिसाब से फैसला करना चाहिये। छोटे उद्योगपति, जो लघु उद्योगपति हैं, उनके लिए भी आपको विशेष कंसेशन देकर उनको पनपाने के लिए जो भी आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर है, वह आपको देना चाहिये। ऐसा मेरा आपको सुझाव है।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप कानून में परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो मेरी जानकारी में आया है, अभी अपनी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी, 237 हैक्टेयर जो जमीन है, वह 5 से 10 हजार करोड़ की है। जिस अराफात कम्पनी से यह एग्रीमेंट हुआ है, उसने एग्रीमेंट की अनुपालना नहीं की है। 2014 में राजस्थान की सरकार ने, आपके रिकॉर्ड में शायद वह कागज न हो...।

श्री सभापति: विराजें।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आपके रिकॉर्ड में शायद उस कमेटी की रिपोर्ट गायब हो गयी हो।

श्री सभापति: विराजिये प्लीज।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 2014 में सरकार ने फैसला किया था कि...।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): क्या बन्द करें?

श्री सभापतिः Yes. विराजें।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): अभी तो पर्यावरण तो रह ही गया।

श्री सभापतिः दे देना आप तो।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): अरे हां, हां, कोटा का मामला आ गया और आप जानते हैं कि अराफात वाले मामले में आपका भी दोस्ताना है...।

श्री सभापतिः मेरा विषय नहीं है। आप जिनका आभार दे रहे थे, समय कम दिया उन्होंने आपको। विराजें। श्री अर्जुन लाल जीनगर। ...(व्यवधान)... ऐसे नहीं, प्लीज आप विराजें साहब। आप दे देना एक बार।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): पर्यावरण तो हुआ ही नहीं।

श्री सभापतिः पर्यावरण हो गया, साहब। फिर यहां से भी बुलवाना पड़ेगा। फिर 11 बजे तक सुनना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं होता, साहब। समय-सीमा जो आपको दी है...। बोलिये।

MKD/RTM/10.03.2025/14:30/2f

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या - 56 उद्योग और मांग संख्या - 45 वन एवं पर्यावरण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार।

हमारी सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारे कर्मशील मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 9 दिसंबर, 2024 को राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया।

इस समिट में देश-विदेश के जाने-माने कई उद्योगपति शामिल हुए और एम.ओ.यू. किए। अभी मेरे से पूर्व वक्ता हरिमोहन जी कह रहे थे कि आपने समिट बुला लिया। ये कर लिया। हमारी विकास यात्रा पर पर्दा डालने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी 9 दिसम्बर को समिट हुई है और आगे देखते जाओ होता है क्या और आपको पता चल जाएगा कि हमारी सरकार किस प्रकार से उद्योगों को आगे बढ़ाती है।

राजस्थान में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए, उद्योगों की स्थापना करने के लिए, इस ग्लोबल इंवेस्टमेंट में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए और कांग्रेस की सरकार ने ऐसे कोई प्रयास नहीं किए, जिसके कारण राजस्थान आज भी औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान पिछड़ा हुआ है। आज भी बेरोजगार युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। हमारी सरकार उद्योग लगाकर युवाओं को रोजगार देने के लिए भी संकल्पबद्ध है। मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान सरकार की अच्छी नीतियों के कारण राजस्थान प्रदेश में उद्योगों की स्थापना होने वाली है और बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिलने वाला है।

माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के विकास का द्योतक जीएसडीपी वर्ष 2025-26 में बढ़कर 19 लाख 89 हजार करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

हमारी सरकार प्रदेश के विकास की गति को इस प्रकार निरन्तर रखकर 2023 तक 350 बिलियन अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए कटिबद्ध है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में उद्योगों की अपार संभावना है। हमारा राजस्थान हर दृष्टि से समृद्धशाली है। राजस्थान में प्रचुर मात्रा में भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं। हमारा राजस्थान समृद्धशाली है। हमारे प्रदेश में अपार खनिज सम्पदा है, जिसमें हीरे भी हैं, चांदी भी है, सोडा भी है, जिंक भी है, ग्रेनाइट भी है, सोडियम भी है। इस प्रकार से हमारा राजस्थान खनिज सम्पदा में समृद्धशाली है।

हमारे पास विश्वप्रसिद्ध हस्तशिल्प है, हथकरघा उद्योग है, उत्कृष्ट कौशल है। राज्य में एम.एस.एम.ई. योजना में रत्न आभूषण, हस्तशिल्प, खाद्य उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, पत्थर उद्योग, इन सभी उद्योगों को आगे बढ़ाने का अवसर दिया जा रहा है और सस्ती ब्याज दर पर सब्सिडी देकर उद्योगों की स्थापना करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है।

हमारे राजस्थान प्रदेश में छोटे-छोटे उद्योग तो पनप ही रहे हैं और बड़े-बड़े उद्योग भी हैं। जैसे हमारे चित्तौड़ जिले में पत्थर का व्यवसाय ज्यादा है, सीमेंट का व्यवसाय ज्यादा है, इसी प्रकार से कॉपर, जिंक, चांदी और सिल्वर का काम भी है। इस प्रकार से कई उद्योग हमारे राजस्थान में लगे हुए हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और राजस्थान प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, हमारे यहां 12.60 प्रतिशत खनन क्षेत्र का योगदान है, 41.26 प्रतिशत विनिर्माण क्षेत्र का योगदान है, 13.88 प्रतिशत विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं औद्योगिक सेवाओं का योगदान है, 32.76 प्रतिशत निर्माण क्षेत्र का योगदान। हमारे औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी कई छोटे-मोटे उद्योग लगे हुए हैं, लेकिन कुछ उद्योग ऐसे भी हैं, जो बड़े-बड़े उद्योग हैं, जिनमें एक उद्योग है, मेरी भोपालसागर पंचायत के ग्राम पंचायत अनोपपुरा में लगा हुआ है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, दरीबा। जो हमारी अनोपपुरा ग्राम पंचायत के अंदर स्थापित है। वहां आसपास के इलाके के लोगों को रोजगार तो कम मिलता है, लेकिन प्रदूषण और पर्यावरण दूषित होने का काम ज्यादा झेलना पड़ता है। पिछले बजट सत्र में मैंने प्रश्न लगाया था, राजस्व मंत्री जी के सामने और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि यह जो उद्योग है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इन्होंने सरकारी चरागाह जमीन पर, किसानों की जमीन पर और रास्तों पर अवैध कब्जा कर, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा था कि हम अवैध कब्जे को हटाने के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उच्चस्तरीय कमेटी बनाकर 30 दिन के अन्दर-अन्दर वहां से यह अतिक्रमण हटा देंगे, लेकिन आठ महीने बाद भी इस पर कोई अमल नहीं हुआ।

मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी इस कमेटी का गठन करके वहां पर

हो रहे अतिक्रमण को तुरंत प्रभाव से हटाने का काम करें। यह उद्योग जिंक निकालता है, उसके साथ-साथ एसिड निकालता है। पर्यावरण प्रदूषण भी करता है और अन्डर ग्राउंड वाटर इतना खराब हो गया है, यदि दूध और पानी को मिला दिया जाए तो दूध फट जाता है, उस पानी को ना तो मवेशी पी सकते हैं और ना लोग पी सकते हैं। कई बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि जीवन दुभर हो जाता है। इस लेड जिंक स्मेल्टर में काम करने वाले लोगों के ब्लड में लेड की मात्रा भी अधिक आ जाती है और लेड की मात्रा अधिक आने से उनकी असमय मृत्यु हो जाती है।

इस प्रकार से मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे उद्योगों पर पाबंदी लगायी जाए और पर्यावरण प्रदूषण को ठीक करने का काम किया जाए और आसपास के लोगों को रोजगार मिल सके। माननीय उद्योग मंत्री जी, बड़े-बड़े उद्योगों को पाबन्द करेंगे, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके।

इसी प्रकार से मेरे क्षेत्र में दो खाद्य फैक्टिरियां लगी हुई हैं, जुबिलैंट खाद्य फैक्टरी, सिंगपुर और गणपति खाद्य फैक्टरी, निमाड़ा में लगी हुई है। वहां पर भी ऐसी स्थिति है, वहां पर बरसात के मौसम में वह फैक्टरी चल जाती है और जैसे पानी ऊपर से नीचे आता है और एसिड युक्त पानी फसलों पर जैसे ही गिरता है, तो फसलें खराब हो जाती हैं। इनको भी पाबन्द करने की आवश्यकता है। इस पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का काम करें।

मेरा विशेष रूप से उद्योग मंत्री जी से आग्रह है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे क्षेत्र के अंदर पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त कोई भी एक बड़ा कारखाना, जिसमें 1000-2000 व्यक्ति काम कर सके। ऐसा उद्योग लगाने का मेरा आग्रह है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे भजन लाल जी की सरकार में आप द्वारा ऐसे प्रयास किए जाएंगे। जिससे सारा काम ठीक हो जाए।

मैं वन और पर्यावरण के क्षेत्र में दो तीन बातें कहता हूं, जल, जंगल और जमीन, हवा, पानी सब शुद्ध होगा तो सारा काम ठीक होगा। आज वन लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, हमारे राजस्थान प्रदेश की विषम परिस्थिति है। एक तरफ रेगिस्तानी इलाका है, एक तरफ अरावली पर्वतमाला है, एक तरफ पठारी भाग है और एक तरफ कुछ भाग मैदानी है, उसमें पेड़ लगते हैं।

मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान चलाकर इस वर्ष करोड़ों पेड़ लगाने का काम किया है। मैं उनको बहुत- बहुत बधाई दूंगा। इस संकल्प को जनता ने अपने मन में धारण करके, इस पूरे प्रदेश में करोड़ों पेड़ लगाने का काम किया। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि दो-तीन महीने पहले मुख्य मंत्री जी हमारे अंगढबाजू में पधारे थे और वहां सांसद महोदय की पहल पर एक कार्यक्रम किया गया था, सरकार का और हमारा, तो उसमें एक पेड़ मां के नाम लगाने के कार्यक्रम में मुख्य मंत्री जी पधारें। उस समय पेड़ को देवता के रूप में मानकर पूजित किया गया। इस प्रकार से हजारों लोगों की उपस्थिति में पेड़ों का पूजन करके, हजारों पेड़ उस

समय और उनके हाथों से लगाने का हमने एक पुनीत कार्य किया है। मैं सरकार को और मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई दूंगा।

हमारी सरकार, वन विभाग और सामाजिक कार्यकर्ता, सब मिलकर पेड़ लगाने का काम करते हैं, लेकिन प्रदेश में यह दु:ख की बात भी है कि पेड़ों के दुश्मन भी कई हैं और पेड़ों के दुश्मन भी ऐसे हैं, पिछली सरकार के समय मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि पिछली सरकार में जो उद्योग धन्धा पनपा, पेड़ कटाई का उद्योग पनपा और इतनी मात्रा में पेड़ काटे गए, पेड़ काटने का काम मेरे कई बार कहने के बाद भी लगातार अनवरत रूप से चल रहा है। पेड़ों की कटाई से..।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): दो मिनट। हजारों की संख्या में पेड़ों की कटाई होती है और वहीं पर भट्टियां लगी हुई हैं, कोयला बनाया जा रहा है, खेतों पर कोयले बन रहे हैं।

Bhs/Rtm/10.03.25/14.40/2g

और पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और पेड़ों की कटाई हो रही है। मेरा निवेदन है आपसे हमारे उद्योग मंत्री जी और वन मंत्री जी। वन मंत्री जी, आपसे निवेदन है मेरा जो पेड़ों की कटाई करने वाले ऐसे पेड़ों के दुश्मन हैं उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और राजस्थान के अंदर ऐलान हो जाना चाहिए कि वन मंत्री जी का एक ऐलान हुआ है कि राजस्थान के अंदर किसी भी जगह पर यदि कोयला बनाने की अवैध भट्टी होगी तो उसको तुरंत प्रभाव से 24 घंटे के अंदर हटाया जाये, तब जाकर के हमारी सरकार का दबदबा रहेगा और पेड़ों के दुश्मन को भी सबक मिलने का काम होगा।

मैं अंत में एक निवेदन और करूँगा उद्योग मंत्री जी से कि कई बार रीको क्या करता है कि लिटिगेशन में पड़े हुए प्लॉटों को ऑक्शन में दे देता है और कोई भी व्यक्ति उसको खरीद लेता है उद्योग लगाने के लिए और हालात यह होते है वह उद्योग नहीं लगा सकता है और वह लिटिगेशन में चलता रहता है। दूसरा, ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजिये प्लीज। कुमारी रीटा चौधरी।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 56 - उद्योग और मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण पर बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात अपने जिले और अपने क्षेत्र तक सीमित रखूंगी। मैं आप के माध्यम से औद्योगिक विकास में सबसे पिछड़ा जिला झुंझुनू जिला उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगी और झुंझुनू जिला उद्योगों के अंदर क्यों पिछड़ा हुआ है उसके बहुत से कारण हैं उन कारणों पर प्रकाश डालना चाहूंगी। यह बात सही है कि औद्योगिक विकास के लिए पूंजी कौशल, सस्ता श्रम, निवेश आदि की आवश्यकता होती है लेकिन मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने जो कहा कि उद्योग के लिए सबसे जरूरी महत्वपूर्ण चीज़ है, वह है उसकी आधारभूत संरचना, पानी, बिजली और कनेक्टिविटी।

सभापति महोदय, मुझे यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि आज के टाइम में भी झुंझुनू जिला आज तक जयपुर और दिल्ली जैसे महानगरों से भी अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाया है। 1989 के अंदर राजस्थान सरकार ने पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिया था और वह इसलिए दिया था कि हम लोग पर्यटक राजस्थान की ओर आकर्षित कर सकें और अच्छे उद्योग ला सकें। झुंझुनू जिले में मेरा विधानसभा क्षेत्र मंडावा पर्यटक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग फ़िल्म उद्योग वहां लगा सकते हैं। पर्यटक उद्योग को हम वहां पर ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। मंडावा के अंदर बहुत बड़ी फ़िल्में स्टारडम की फ़िल्मों की वहां पर शूटिंग हुई, चाहे वह बजरंगी भाई जान ले लो, चाहे वह पीके हो। मैंने भी बहुत कोशिश की कि शेखावाटी के अंदर फ़िल्म उद्योग का एक सेटअप लगे, ताकि फ़िल्म उद्योग यहां पर डवलप हो सके, लेकिन नहीं हो पाया।

सभापति महोदय, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, जब भी सरकार आती है, चाहे नयी सरकार आती है तो वह रिसर्जेंट राजस्थान के नाम से राजस्थान समिट के नाम से चाहे राइजिंग राजस्थान के नाम से उद्योगपतियों को यहां पर बुलाती है और बहुत सारे एम.ओ.यू. यहां पर होते हैं। अभी हाल ही में दिसंबर के अंदर राइजिंग राजस्थान समिट 2024 हुआ। बहुत सारे निवेशक आये, एम.ओ.यू. हुआ। मेरे झुंझुनू जिले में भी निवेश के लिए 157 एम.ओ.यू. हुए, इन 157 एम.ओ.यू. में 30 एम.ओ.यू. एगीकल्चर डिपार्टमेंट के थे केवल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के। 44 एम.ओ.यू. ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित थे, जो सौर ऊर्जा की हम लोग बात कर रहे हैं, और 19 एम.ओ.यू. उद्योग विभाग से सम्बन्धित थे। इन निवेशकों ने केवल निवेश के लिए एम.ओ.यू. किया, लेकिन अब सरकार इनको बेहतर सुविधा और आधारभूत ढांचा, आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध करवाएं तो ये निवेश होंगे।

सभापति महोदय, एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के अंदर जो 30 एम.ओ.यू. हुए वे धरातल पर कैसे उतरेंगे? शेखावाटी इलाका झुंझुनूं जिला खारे पानी का इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, वहां पानी नहीं है। उद्योग को डवलप करने के लिए सबसे बड़ी जो मांग होती है वह पानी की होती है और बिजली की होती। अभी हमें खुशी हुई कि पिछले बजट के अंदर राजस्थान की सरकार ने यमुना जल समझौते पर बात की। यहां पर तो अभी पीने का पानी उपलब्ध नहीं है झुंझुनू जिले के अन्दर, फिर सिंचाई की हम लोग बात करेंगे, फिर तीसरे पायदान पर उद्योग आता है। 60 करोड़ रुपये पिछले बजट के अंदर यमुना समझौते की डी.पी.आर. के लिए यहां पर घोषणा हुई। बड़े-बड़े पोस्टर हमारे झुंझुनू जिले के अंदर लगे। भागीरथ हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी को कहा गया। हमारे जो एम.पी. है घनश्याम जी तिवाड़ी, वे सीकर आये और बहुत बड़ा आयोजन उन्होंने किया लेकिन इस बजट के अंदर यमुना समझौते पर ज़ीरो है तो जब पानी उपलब्ध नहीं होगा, माननीय सभापति महोदय, तो उद्योग कैसे लगेगा?

दूसरे, बिजली की उपलब्धता, आप देखें बिजली नहीं है, अभी किसानों को उपलब्ध नहीं हो रही है। आम जनता को बिजली समय पर नहीं मिल पा रही है, पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है तो उद्योगों के लिए बिजली कैसे आएगी? हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा

कि हमारे पास भरपूर बिजली है तो मेरा यह निवेदन है उद्योग मंत्री जी यहां बैठे हैं और हमारे विद्युत मंत्री जी भी कहीं ना कहीं सुन रहे होंगे। हमारे यहां पर उद्योगों के लिए बिजली की दरें बहुत ज्यादा है। जब बिजली खूब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो कम से कम हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि इसकी जो बिजली दर है उसको कम किया जाए ताकि लोग यहां पर निवेश कर सकें, अच्छे उद्योग यहां लगा सकें और हमारे जो बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार उपलब्ध हो सके। फ्रेंडली एन्वायरनमेंट हमें बनाना होगा।

सभापति महोदय, अभी आइफा का बहुत बड़ा आयोजन हम लोग देख रहे हैं राजस्थान के अंदर हुआ और बहुत खूबसूरत आयोजन हुआ। उसकी सफलता के लिए मैं बधाई देना चाहूंगी लेकिन जिस तरीके का माहौल बना यहाँ पर हमारे परिवहन मंत्री का पेपर के अंदर वक्तव्य आया जो बाहर से गाड़ियां आ रही थी आसपास के जो हमारे प्रदेश हैं वहां से गाडियां आ रही थीं, चाहे वे यहां पर आइफा अवॉर्ड को देखने आ रही हो या कोई निवेश करने आ रहे हो, इतने चालान पकड़-पकड़ के उन गाड़ियों के किसे लाखों-लाखों रुपए के। हम लोग जब आइफा आया था तो हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा कर दी कि आइफा से फ़िल्म इंडस्ट्री में हमारा नाम होगा, देश और दुनिया में होगा, यहां पर उद्योग आएंगे। उद्योग आएंगे कैसे? उनके आने से पहले तो आपने उनके चालान काटकर उनके हाथ में दे दिये। एक फ्रेंडली एन्वायरनमेंट बनाने की बहुत जरूरत है मंत्री जी, यहां पर जो हम लोग उपलब्ध नहीं करवा पा रहे है। हम सिंगल विंडो की बात करते हैं रेड टेपिज्म का इतना ज्यादा यहां पर है कि एक-एक फाइल का पीछा करना पड़ता है और उसके बाद भी जो निवेशक होता है उसको ये पता नहीं हो सकता कि मेरा उद्योग लग जाएगा और मुझे उसके बदले में रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। मैं उसमें सफल हो जाऊंगा, इसकी गारन्टी भी नहीं है इसलिए यहां पर आते तो हैं एम.ओ.यू. करने लेकिन उसके बाद जो यहां पर अधिकारियों का कह दो, ब्यूरोक्रेट्स का कह दो, चाहे हमारे सरकार का कह दो, जिस तरीके का रवैया रहता है, जिस तरीके से उनको दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं तो मैं समझती हूं एक बहुत बड़ी कमी है।

हमारे उद्योग मंत्री यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, हो सकता है उनकी बहुत लंबी सोच हो। वे आगे का दृश्य देख रहे हों कि राजस्थान के अंदर अच्छे उद्योग आयें, युवाओं को रोजगार देने की वे बात करते हैं तो अधिकारियों की कम से कम एक मीटिंग लेकर के और पानी बिजली के अधिकारियों को भी आप बुलायें। वहां पर आधारभूत संरचनायें अगर हम मजबूत कर सकेंगे राजस्थान के अंदर तो निश्चित तौर पर उद्योग यहां पर निवेश करेंगे उद्योगपति आकर और हम लोगों को जो राइजिंग राजस्थान किया है उसमें कहीं न कहीं हमें सफलता मिलेगी।

सभापति महोदय, 2021 के बजट के अंदर मलसीसर को औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा की थी और मुझे खुशी है कि 80% काम भी उसका हो गया। 49.42 एकड़ भूमि पर यह औद्योगिक क्षेत्र लगा हुआ है और इसमें तकरीबन 148 भूखंडों का नियोजन किया गया। मुझे नहीं पता कि जो यहां पर अनुशंसा कमेटी जयपुर मुख्यालय में बनी उन्होंने सिर्फ 79 भूखंडों के लिये क्यों कहा। वहां पर जो सबसे बड़ी कमी अभी रह गयी है वह पानी की

उपलब्धता नहीं है। उस औद्योगिक क्षेत्र के पास में ही कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना का बड़ा डेम बना हुआ है तो मैं उद्योग मंत्री से कहना चाहूंगी, मेरा निवेदन है आपसे कि उसके ऊपर भी आप ध्यान दें। बहुत बड़ा क्षेत्र डवलप हो गया, 80% से ज्यादा वहाँ काम हो गये। अगर आप उसको प्रायोरिटी पर लेंगे तो वहां पर भी लोग उद्योग लगाएंगे और जो भूखंड हैं उनकी भी आप सेल करवाएं ताकि लोग आएं और उद्योग लगायें तो लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। 2023 में मेरा दूसरा ब्लॉक बना मण्डावा ब्लॉक, उसके अंदर भी औद्योगिक क्षेत्र रीको की घोषणा हुई, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं हो पायी। चरागाह भूमि थी, लिखकर भी दिया प्रशासन ने, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर भी भूमि उपलब्ध है चरागाह भूमि, उसके बदले में खेतड़ी और बुहाना की तरफ काफी जमीन है आप उसके एवज के अंदर वहाँ पर भूमि उपलब्ध करवा करके औद्योगिक क्षेत्र को डवलप कराएं, ताकि वहां पर भी उद्योग, वहां पर मंत्री महोदय, फ़िल्म उद्योग लगने का बहुत बड़ा स्कोप है। आप इसकी तरफ ध्यान दें।

Kas/rtm/10.03.2025/14.50/2h

साउथ फिल्म उद्योग पर बहुत ध्यान दिया जाता है। महाराष्ट्र में दिया जा रहा है, लेकिन हमारे राजस्थान में बहुत शूटिंग होती हैं, हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिये और शेखावाटी में, विशेषकर मंडावा विधान सभा क्षेत्र हो हवेलियों के लिये बहुत प्रख्यात है, वहां पर अगर फिल्म उद्योग शुरू करेंगे तो आपको बहुत सफलता मिलेगी।

(समय: बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासनी)

सभापति महोदय, यहां हमारे वन और पर्यावरण मंत्री भी विराजमान हैं। वैसे तो वन और पर्यावरण बोलते हैं तो हमें ठंडक का एहसास होना चाहिये, लेकिन हमारे मंत्री महोदय का दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, वो एक पेड़ मां के नाम वाली बात आप पर भी लागू होती है। ठंडा दिमाग रखें और जब आप बोलें तो हमें लगना चाहिये कि वन और पर्यावरण मंत्री बोल रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत एक ही निवेदन करना चाहूंगी, खेजड़ी रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है और इसको राज्य वृक्ष का भी दर्जा दिया है। इंडिया ऑयल कार्पोरेशन तेल और गैस की भूमिगत लाइनें मेरे मंडावा विधान सभा क्षेत्र से निकलीं और हजारों की संख्या में खेजड़ी के वृक्षों को काट दिया गया। उनको काटने के बाद वहां के वन अधिकारी से पूछा गया कि यह क्या है, तो उन्होंने उसे जलावन बता दिया। उस लकड़ी को जलावन बताने से मेरे यहां के जो किसान हैं, जिनके खेतों में नुकसान हुआ, खेजड़ी के वृक्ष काटे, उनको बिलकुल ना के बराबर मुआवजा मिला। आपसे मेरी मांग है कि आप इसको दुबारा दिखवाएं। जबकि सीकर और नागौर के वन अधिकारियों ने उसको इमारती लकड़ी बताया और झुंझुनूं के अधिकारियों ने उसे जलावन बताया। इससे मेरे यहां के किसानों को मुआवजा कम मिला। झुंझुनूं जिले के किसान को प्रति खेजड़ी तीन हजार रुपये कम मिले,

इसके बारे में आप संज्ञान लें और जो वृक्ष कटे हैं, उनकी एवज में और वृक्ष लगें। खेजडी चूंकि हमारा राज्य वृक्ष है, इसलिए इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा और आप इसकी भी तह तक जाएं कि ऐसा क्यों हुआ कि एक ही प्रकार का वृक्ष कटा, सीकर और नागौर में उसकी अलग से मुआवजा राशि रही और झुंझुनूं में अलग से रही। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): रीटा जी, एक मिनट, आपने कहा कि चालान हो रहे हैं, तो किसी भी एमओयू में यह लाइन नहीं लिखी है कि जो इन्वेस्ट करेगा उसको प्रदेश का कानून मानना नहीं पड़ेगा, यह नहीं होता है।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): मंत्री सक्षम हैं। मैंने एक उदाहरण दिया है कि हम निवेश बुलाना चाहते हैं तो थोड़ा फ्रेंडली एन्वायरनमेंट हम डवलप करें। मैं कोई एलीगेशन नहीं लगा रही हूं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): उदाहरण थोड़ा मजबूत हो तो मजा आये।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): अख़बार में आया है और उस पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य आया है, आप देखना।

श्री सभापति: श्रीमान विश्वराज सिंह जी मेवाड।

श्री विश्वराज सिंह मेवाड़ (नाथद्वारा): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 45 पर बात रखने की अनुमति दी, इसके लिये आपको धन्यवाद। वन और पर्यावरण, इन दो विषयों पर इन सालों में इतनी चर्चा हो रही है कि मान लो जैसे वह एक नई खोज हो। पर्यावरण की महत्वपूर्णता को हमने सदियों से माना है, लेकिन इन सालों में जो पर्यावरण को जकड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी पर्यावरण की महत्वपूर्णता मानी है। फिर भी स्थिति तो यह है, खास तौर से बड़े शहरों में कि कोई एक पेड़ भी लगाये तो चर्चा का विषय हो जाता है। वन विभाग के अनुसार 1960-61 में राजस्थान का वन क्षेत्र 39,420 स्क्वायर किलोमीटर था, जो 2019-20 में 32,845.3 स्क्वायर किलोमीटर पर आ गिरा, यह अपने आप में वन विभाग की कार्यशैली बताता है। लेकिन वन क्षेत्र घटना सिर्फ वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, अलग काम भी होते हैं, जिसके कारण वन क्षेत्र कम होता है, जो दूसरे विभागों की जिम्मेदारी है।

एक मशहूर पर्यावरण विद जोन बेवन ने खूब कहा है

' भगवान ने पेड़ों को सँभाला है।

अकाल, बीमारी, हिम स्खलन, हजार आंधियों और बाढ़ों से बचाया है,

मगर मूर्खों से न बचा पाए।'

ये कटु शब्द हैं, कटु वाक्य हैं, लेकिन यह सच है, क्योंकि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं वो आम तौर से या तो घमंड से करते हैं, अहंकार से करते हैं या खुद के स्वार्थ के लिये करते हैं। पर्यावरण ऐसी चीज है जो सबके लिये है। पर्यावरण का असर सब पर पड़ता है। अगर कोई पर्यावरण को अपना मान कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाये, तो उनके लिये

हम और क्या करेंगे? यह इत्तफाक है कि 1969-61 से 2019-20 तक सरकार ज्यादातर विपक्षी दल की ही रही है और हम सबको भी मालूम तो होगा कि 1960-61 में बड़े शहरों में हरियाली थी और छोटे शहरों में पर्यावरण साफ था, लेकिन पर्यावरण की जो भी नीति थी, वह तो कागज पर रह गई, जो हम आज भुगत रहे हैं।

सभापति महोदय, दुनियाभर में पर्यावरण के लिये नीतियां हैं, जो दुनिया मानती है, खास तौर से हमको पर्यावरण के प्रति सावधानी दिखानी चाहिये। जहां नुकसान हो रहा है, वहां बंद करें। नुकसान शुरू की जगह से बंद करें। जो नुकसान कर रहा है, वो ही भरपाई करे, वो ही सुधार करे और एकीकरण का सिद्धांत कि पर्यावरण की जिम्मेदारी नहीं है, सब विभागों को साथ मिल कर पर्यावरण संभालना है।

वनीकरण भी पर्यावरण का एक भाग है और इसके भी कुछ सिद्धांत हैं जो दुनियाभर में माने गये हैं। एक यह कि जहां हरियाली हो, जहां जंगल का ज्यादा नुकसान न हो, वहीं से शुरू करें। स्थानीय लोगों को साथ में लेकर चलें। वनीकरण के साथ और भी उद्देश्य जोड़ें, जैसे कि कार्बन फुटप्रिंट घटाना या जानवरों को, पौधों को संभालना। आज जिस जगह पर शुरू करते हैं, वहां पर ध्यान रखिए, अगर जंगलों के बीच में करेंगे तो बेहतर होगा, जंगल जुड़ पायेंगे। जो पेड़ लगा रहे हैं वो प्रकृति के अनुसार लगाएं, वहीं के पेड़ लगाएं, बाहर से पेड़ ना लाएं। अगर आपको अलग-अलग पेड़ चाहिये तो भी वहीं के पेड़ लगाएं। जिन पेड़ों पर ज्यादा ध्यान रखना पड़े, वैसे पेड़ ना लगाएं। ध्यान रखें कि जो बीज हैं, पौधे हैं, वो कमजोर न हों। पहले छोटी जगह में शुरू करें, सफलता हो तो बड़ी जगह पर जाएं और अंत में वनीकरण के साथ दूसरे लाभ भी जोडें, जैसे वन से जो उत्पन्न होते हैं या जो कार्बन क्रेडिट हैं।

अबकी बार राजस्थान का यह पहला ग्रीन बजट है और ग्रीन बजट का एक उद्देश्य तो है कि पर्यावरण को संभालना। जो लोग पर्यावरण के प्रति काम करते हैं, उनके लिये भी लाभदायक योजनाएं हैं। अगर हम यह सब सिद्धांत ध्यान में रखते हुए काम करें तो सफलता क्यों न प्राप्त हो? लेकिन पिछले कुछ दशकों की अगर हम बात करें तो खास तौर से दो ऐसे सिद्धांत थे जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। एक बात तो है कि जहां आज हरियाली है, जहां जंगल है, सबसे ज्यादा नुकसान वहीं से हो रहा है और दूसरी बात है एकीकरण का नुकसान। आज हम देख रहे हैं कि बहुत नुकसान हो रहा है हमारे नये उद्योग, पर्यटन उद्योग से। पर्यटन उद्योग का कथित उद्देश्य तो यही है कि सुविधाएं लेकर आएं ताकि जो लोग वहां पर आए जगह का आनंद ले सकें। लेकिन सुविधाएं लाने में अगर वह जगह को ही बिगाड़ देंगे तो पर्यटक देखेंगे क्या? ऐसे कई बार लगता है कि पर्यटन उद्योग का मकसद और उनका उद्देश्य शायद कुछ और भी हो सकते हैं। आज खुद अंदाज लगाएं इन उदाहरण से, आप उदयपुर को देखोगे तो जो जाना जाता था अपने तालाबों के लिये, अपने बगीचों के लिये, आज आप मुझे एक साफ तालाब बताएं, एक बग़ीचा बताएं। जो शहर के वासी हैं, वो तालाब के पानी से दूर हो रहे हैं तो पर्यटक क्या आनंद लेंगे। तालाब के किनारे हो, ग्रीन बैल्ट हो,

फोरेस्ट लैंड हो, नदी के किनारों पर होटल बन रहे हैं। मगरे पर सरकारी भवन बन रहे हैं। जहां हरियाली बची हुई है, वहां और होटल बन रहे हैं। उनकी सहूलियत के लिये और रास्ते बन रहे हैं। दुनियाभर में 31 शहर हैं जिनको वैट लैंड घोषित किया है। हाल ही में उदयपुर को भी वैट लैंड घोषित किया है, लेकिन वैट लैंड के कानून मानने के लिये कोई तैयार नहीं है। तो एकीकरण का सिद्धांत कहां है? ऐसे लगता है कि शहर पर्यटन के बाजार में नीलाम हो गया।

माउंट आबू की दुर्दशा की तरह जल्दी से बढ़ रहा है कुम्भलगढ़। जो जंगलों से उभरता हुआ एक किला था, अब बहुत जल्दी से होटलों से उभरता हुआ नजर आयेगा। हल्दी घाटी जो एक रण क्षेत्र है, वहां अगर आप कोई इमारत बनायेंगे तो वहां पर वातावरण खराब हो जायेगा और जिन हजारों ने वहां बलिदान दिया है, उनका निरादर होगा।

नाथद्वारा में देखेंगे तो वहां हर पहाड़, हर मगरे पर रास्ते बन रहे हैं, इमारत बन रही हैं। हम स्कूल में तो पेड़ लगाते हैं और बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन उनको अपनी नजर ऊपर घुमानी है और वो देखेंगे मगरों का जो कत्ल हो रहा है। इन सबको देखने की जरूरत है और अगर आवश्यकता हो तो नीतियों को भी बदलना ही है।

Msk/Rtm/10.03.25/1500/2j

जल भी पर्यावरण का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है और जो सैटेलाइट फोटोग्राफ्स हैं, वे साफ दिखा रहे हैं कि पिछले दशकों से जो भी जलाशय हैं, जल स्रोत हैं, वे कम होते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं। International Journal of Water Resources and Environmental के 2013 के पब्लिकेशन में दक्षिण राजस्थान के लिए यह कहा गया है कि - "The environmental status has changed alarmingly during last six decades with ruthless destruction of forest cover over the hills followed with increase in soil erosion, sediment transportation, siltation, drying-up of lakes, dams and surface water sources, lowering of water table from 5 to 10 m to 50 to 100 m." ये तो एक गंभीर समस्या है। अभी भी मौका है, हमको जलस्तर को जल्दी ऊंचा उठाना है। भले जो जलाशय जो सूख गये हैं, उनका वापस भराव निकाल कर या पांच पानी की जो प्राकृतिक व्यवस्था है, उसमें छेड़छाड़ नहीं करके, यह तो एक गंभीर समस्या है।

जहां तक पर्यावरण की तरफ हमारी तो जिम्मेदारी है। एक अमेरिकन मूल की जनजाति या आदिवासी कह सकते हैं, उन्होंने कहा है कि धरती हमें अपने पुरखों से विरासत में नहीं मिली है, हमने इसको हमारे बच्चों के लिए उधार पर लिया है और यह एक ऐसा उधार है, जो कहीं बजट में नजर नहीं आएगा और इसको चुकाना सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महंगा पड़ने वाला है।

जहां तक वन विभाग के जो आंकड़े हैं कि इतना क्षेत्र वन विभाग का है, आप इस उदाहरण से अंदाजा लगा सकते हैं कि नाथद्वारा क्षेत्र में 1970 में 50 बीघा जमीन चरागाह से

बिलानाम कर दी गयी। नाथद्वारा नगर पालिका को सौंपी थी। 1973 में 765 बीघा 16 बिस्वा जमीन को वन विभाग को दे दिया गया। 1983 में 10 साल बाद इसका स्थानांतरण हुआ और इस जमीन में शुरू के 50 बीघा भी शामिल कर दिए गये। 1993 में यह पाया गया कि इस जगह में से 286 बीघा और 18 बिस्वा जमीन पर अनधिकृत अतिक्रमण हुआ है। 2006 के आदेश में यह भी तय हो गया कि इस अतिक्रमण जमीन को वन विभाग की संख्या में गिना जाये। अंत में 2019 में अजमेर से आदेश आया है कि यह जमीन भले विभाग की है या आबादी की है, यह दो विभागों के बीच की बात है, जो मुख्य सचिव, जयपुर तय करेंगे।

इन सब गतिविधियों का नतीजा तो यह है कि भ्रष्टाचार हुआ, अतिक्रमण हुआ, लेकिन जिन लोगों को सरकार ने पट्टे दिये हैं, वे लोग अपने हक से वंचित रहे हैं। यह दोहरी नीति तो साफ है। जहां एक जगह ग्रीन बैल्ट में, फोरेस्ट लैंड में सरकारी भवन बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं और यहां 55 साल के लिए जिन लोगों को पट्टा मिला है, वे अपने हक से वंचित हैं। 2019 से 2013 तक इस ऑर्डर पर काम क्यों नहीं हुआ? उसका अंदाजा हम क्या लगायें? हमको पता है, उस समय सरकार किसकी थी? लेकिन अब मैं मुख्य मंत्री जी और वन एवं पर्यावरण मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप की संवेदनशीलता है, प्रशासन की जो गलती है, उसे आप सुधारें ताकि लोगों को अपना हक मिल सके। 1970 से 2025 यह कोई कम समय नहीं है।

अंत में, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर वन विभाग के आंकड़े सही हैं तब भी यह पूरे राजस्थान क्षेत्र का 10वां भाग भी नहीं है, जो अपने आप में एक खतरे की घंटी है।

आप सबने मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामकेश जी।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय सभापति जी, मांग संख्या 56 और 45 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। महोदय, आज उद्योग, वन एवं पर्यावरण पर चर्चा हो रही है और मेरा मानना है कि अगर किसी प्रदेश की आर्थिक स्थिति की कोई समीक्षा या जांच करनी हो तो उसके उद्योगों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। राजस्थान का जैसे ही हम लोग नाम लेते हैं, राजस्थान के बारे में जैसे ही कोई चर्चा देश-विदेश में होती है तो शुरुआत में ही मानसिक रूप से जो एक चित्र उभर करके आता है, वह रेगिस्तान, बिजली की कमी, पानी की कमी, ये सारी चीजें राजस्थान के साथ जुड़ी हुई हैं। हालांकि इस बात का मुझे गर्व है कि राजस्थान के जो उद्योगपति हैं, उन्होंने न केवल भारत में वरन पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ी है, अपना नाम कमाया, राजस्थान का नाम ऊंचा किया है, लेकिन फिर भी हम लोग, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम उन हस्तियों का, उन उद्योगपतियों का जो हमारे यहां से निकल करके उन्होंने पूरे भारत में और विश्व में अपना कारोबार फैलाया, उनको हम यहां अपनी भूमि पर लाने में कामयाब नहीं हुए। हमने उनसे सामंजस्य नहीं रखा या उनके अनुभवों का हमने लाभ नहीं उठाया? कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन यह निश्चित है कि जो व्यक्ति अपने घर से निकल करके बाहर जाकर अपने

कारोबार में अपना नाम स्थापित कर दे तो निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ काबिलीयत तो है। उनकी काबिलीयत को पूरे वर्ल्ड ने माना है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमें इस बात पर जरूर गौर करना चाहिए कि कहां हमारी कमी रही है, कहां हमारा लेकूना है, किस कारण से हम लोगों ने उनके अनुभव का उपयोग नहीं किया, उनके साथ सामंजस्य में हमारी कहां कमी रही? यह गौर करने का विषय है।

हमारे पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब ने औद्योगिक नीति 2020 से राजस्थान में कदम बढ़ाये। वसुन्धरा जी ने भी उसको आगे बढ़ाया। 2019 में वापस गहलोत साहब ने इस तरफ कामयाबी के लिए काम किया, लेकिन यह निरन्तर प्रक्रिया है। मेरा मानना है कि एक दिन में कोई औद्योगिकीकरण की रफ्तार नहीं पकड़ सकता, औद्योगिकीकरण नहीं हो सकता है। हम यह जो धीरे-धीरे प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास निश्चित रूप से राजस्थान में एक दिन कामयाब होंगे।

मैं सरकार को भी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अभी राइज़िंग राजस्थान जैसा एक बड़ा समिट करके अपनी मंशा जाहिर की। पूरे देश के लोगों को, विदेश के लोगों को बुलाया। 32 देशों के निवेशक यहां आये, उन्होंने अपनी बात कही। सरकार से बातचीत की, सरकार की मंशा को भी समझा, सरकार ने उनकी मंशा को भी समझा, लेकिन हमारा पिछला जो अनुभव है, वह अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जब तक.. मेरा मानना है, मैं इंडस्ट्री में कोई बहुत ज्यादा नहीं समझता हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उद्योगपति कहीं का भी हो, निवेशक कहीं का भी हो, वह सबसे पहले यह देखेगा कि जो मैं पूंजी लगा रहा हूं, जो मैं उद्योग लगा रहा हूं, क्या वह उद्योग मेरा कामयाब होगा? मुझे उसका रिटर्न मिलेगा? यहां हम राजस्थान में देखते हैं तो यहां पर जो एक उद्योग के लिए बहुत जरूरी चीज़ होती है, बिजली की और रॉ-मैटेरियल, लेबर, इन तीनों ही चीजों में हमारा इंडेक्स है, वह बहुत ऊंचा है। यहां तक कि डीजल और पेट्रोल भी हमारे जो पड़ोसी राज्य उनसे कोई 10 रुपये महंगा अभी यहां पर चल रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीजों की गणित निवेशक लगाता है और जब तक हम उसको इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में, उसको पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं करेंगे, उसको ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं जो पैसा लगाऊंगा वह यहां कामयाब होगा, तब तक चाहे कितना भी हम प्रयास कर लें, हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते, कामयाब नहीं हो सकते।

राइजिंग राजस्थान में सरकार ने बहुत काम किया। 35 लाख करोड़ के एमओयू किये हैं। जैसा अभी पारीक साहब ने बताया 35 लाख करोड़ में से 27- 28 लाख करोड़ तो केवल सौर ऊर्जा के हैं। सौर ऊर्जा में भी उस व्यक्ति ने यहां एमओयू किया है, जिसका हमारे राजस्थान के साथ बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा। उत्पादन निगम में कोयला सप्लाई का काम उस आदमी के पास है। मैं कह सकता हूं कि पूरे उत्पादन निगम, बिजली विभाग और पूरे राजस्थान को धक्का देने का अगर कोई काम कर रहा है तो उसकी कंपनी पीकेसीएल कर रही है।

mdp/rtm/10.03.25/15:10/2k

अभी एयरपोर्ट को अडानी के हाथों में दिया है। उसका अनुभव भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। 27-28 लाख करोड़ का जो एमओयू उन्होंने किया है, मुझे नहीं लगता की वह कोई ठीक ढंग से राजस्थान के हित में काम करेंगे। सरकार को, विशेष रूप से हमारे मंत्री जी को मैं निवेदन करूंगा कि आपने जब 27-28 लाख करोड़ का एमओयू उनके साथ किया है तो उनसे आप अपनी भी टर्म्स-कंडीशन रखिये। स्टेट को बिजली किस भाव में, किस रेट में, कैसे उपलब्ध कराएंगे, जनता को क्या फायदा मिलेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? पारीक साहब ने बहुत डिटेल में बताया कि यह सौर ऊर्जा का जो भी संयंत्र है, इसमें रोजगार की गुंजाइश कम है। पूरी दुनिया जानती है कि इससे रोजगार नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम उसको देना चाहते हैं, आपको बिड लेनी चाहिए थी। आपको कॉम्पीटिशन करना चाहिए था। अगर आप कॉम्पीटिशन करते हैं, निश्चित रूप से आपको अच्छी रेट आती, अच्छा आपको मार्जिन मिलता, स्टेट का फायदा होता, लेकिन आपने वह नहीं किया, फिर भी आप उसको देना चाहते हैं। आप दीजिए, लेकिन राज्य के हितों को बिलकुल आप को ध्यान में रखना चाहिए।

राजस्थान में अभी स्थिति बहुत अनुकूल है। माननीय मंत्री जी, 25 परसेंट आपका क्षेत्र एनसीआर से जुड़ा हुआ है और 60 परसेंट आपका डीएमआईसी से जुड़ा हुआ है। दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस हाइवे बन कर तैयार हो गया है। ई.आर.सी.पी. का, राम जल सेतु का सरकार काम कर ही रही है। पानी का, बिजली का, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, तो अब हम ये समझ सकते हैं कि राजस्थान में आदमी की निगाहें हैं। इन्वेस्टर सोचता है कि मैं राजस्थान में जाऊं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक हम हमारी मशीनरी को ठीक नहीं करेंगे, हमारे अधिकारियों को हम नियंत्रण में नहीं रखेंगे, बहुत सोच-समझ कर निवेशक अपना पैसा लगाता है और जब यहां उसको मानहानि मिलती है, उसको समय पर काम नहीं मिलता तो वह पीछे हट जाता है।

जैसा अभी रीटा जी ने कहा, यह कोई छोटा मामला नहीं है, बिल्कुल मामूली बात है चालान की, लेकिन जो व्यक्ति हमारे मेहमान के रूप में हमारे प्रदेश में आ रहा है, हमारे शहर में आ रहा है, हम उसकी ज़रा-सी बात पर बेइज़्ज़ती करे, उसको अपमानित करें और अपमानित करके वह कड़वा घूंट पीकर जाए, तो क्या अनुभव ले करके जायेगा? ये सब चीजें हमारे जेहन में होनी चाहिए।

माननीय मंत्री जी, मैं यह भी कहूंगा कि प्रधान मंत्री जी आए और प्रधान मंत्री जी ने बहुत जोर-शोर से आह्वान किया है। बहुत जोर-शोर से निवेशकों को कहा है की आप यहां निवेश कीजिए। लेकिन अब प्रधान मंत्री जी की बातों पर ही लोगों का भरोसा नहीं रहा। प्रधान मंत्री जी ने अभी शेयर मार्केट के लिए कहा था कि शेयर मार्केट में पैसा लगाओ और लोगों ने पैसा लगाया। 10 लाख करोड़ शेयर मार्केट में लोगों का डूब गया, 10 लाख करोड़। इसलिए इसमें हमें सोचने की जरूरत है। मैं अभी मंत्री जी को, केवल गंगापुर की एक छोटी

सी बात है। माननीय मंत्री जी, हमारा गंगापुर जिला घोषित हुआ था और जिले के आधार पर 950 करोड़ के एमओयू गंगापुर के लोगों ने किये थे। अब जिला आप लोगों ने खत्म कर दिया।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए।

श्री रामकेश (गंगापुर): इसमें आपकी क्या स्थिति रहेंगी? सरकार का क्या स्टैंड रहेगा? दूसरा, रीप्स-2024 के साथ-साथ हमारे रीप्स-2022 की जो फाइलें हैं, वह फाइलें अभी-भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। मंडी टैक्स और विद्युत कर में जीएसटी में छूट हमारे व्यापारियों को कैसे मिलेगी? व्यापारी धक्का खा रहे हैं। उनका भी समाधान आपको करना चाहिए। नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए हमारे टोकसी में और तलावड़ा में, ये पहले घोषणा हुई थी, इसमें अगर आप कोई प्रयास करें तो मैं आपका आभारी रहूंगा।

श्री सभापतिः श्री प्रताप सिंह जी।

श्री रामकेश (गंगापुर): इसके साथ-साथ मैं आपको एक और निवेदन करूंगा कि आयरन ओर का बहुत बड़ा भंडार हमारे यहां मिला है।

श्री सभापतिः श्री प्रताप सिंह जी।

श्री रामकेश (गंगापुर): उसमें आप ध्यान दीजिए, वर्ल्ड लेवल का आयरन ओर है और बड़े कारखाने वहां पर आ सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करूंगा कि आपने मुझे यहां पर बोलने का मौका दिया। साथ ही मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का, हमारे भाई संजय शर्मा का, कर्नल साहब का, इनका भी आभार प्रकट करूंग और इनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं जो भी बात रखूं अगर आपको उचित लगे तो अपने जवाब में उनका प्रत्युत्तर जरूर दें।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं की हमारी भजन लाल जी की सरकार ने, दिया कुमारी जी ने जो यहां पर ग्रीन बजट रखा, उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का और हमारी उप मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यही नहीं उन्होंने मिशन हरियाली के तहत पिछले वर्ष 7 करोड़ पेड़ और इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा की। मैं समझता हूं राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए जहां मरुस्थल भी है, जहां पहाड़ भी है, जहां मैदान भी है और किस प्रकार की स्थिति है ड्रिंकिंग वाटर की, किस प्रकार की प्रॉब्लम है, ये हमसे किसी से छिपी हुई नहीं हैं। इसलिए मैं इसके लिए भी मुख्य मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा।

सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी अरावली के लिए, अरावली कंजर्वेशन के लिए ढ़ाई सौ करोड़ रुपये का जो फंड उन्होंने दिया है, मैं समझता हूं कि ये विश्व का सबसे पुराना पहाड़ है जो धीरे-धीरे वीरान हो रहा था। अगर ये बच सकेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान भी हरियाला होगा। हमारे लोगों को और विशेषकर आदिवासियों को जो ट्राइबल बेल्ट है, जो

अरावली पहाड़ के आसपास रहती है, उनको निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। इतना मैं निवेदन करना चाहता था।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा की जो ये ट्राइबल हमारे पहाड़ के नीचे रहते हैं, इनको वनाधिकार नियम कानून के तहत पट्टे दिए जाएं। जहां पर और भी हैं, जैसे हमारे बारां जिले में किशनगंज शाहबाद हैं, हमारे छबड़ा में भी सहरिया करीब 9-10 पंचायत में रहते हैं, चाहे भील जाति के लोग हैं, इनको भी जहां पर आवश्यकता हो और जो नियमों में आते हों, नियमों के विरुद्ध मैं नहीं कहता कि जो नियमों के विरुद्ध आते हैं, उनको आप पट्टे दीजिए। परंतु जो वनाधिकार पिछली सरकार में वसुन्धरा जी के समय बांटे थे, बीच में वह कहानी समाप्त हो गयी, उस कहानी को शुरू करें और वनाधिकार पत्र उनको दें। इससे सरकार का संदेश भी अच्छा जाएगा और दिन-रात जो फोरेस्ट वालों की शिकायत हम लोगों के द्वारा, जन-प्रतिनिधियों के द्वारा होती हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी।

मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि इनमें सब काम हम कर सकते हैं और सब काम होना भी चाहिए। ये हर आदमी चाहता है कि राजस्थान का पर्यावरण भी ठीक रहे, राजस्थान का जंगल भी हरा भरा रहे। परंतु इसके लिए मैन पावर की आवश्यकता है। जब तक हमारे पास मैन पावर नहीं रहेगा, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मैन पावर की जब तक कमी रहेगी तब तक हम न तो जंगल बचा सकेंगे, न जंगल को रोक सकेंगे। जंगल के साथ-साथ फोरेस्ट में इललीगल माइनिंग का भी बहुत बड़ा वह एक रैकेट चलता है। इललीगल माइनिंग पर भी रोक नहीं लगा सकेंगे।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक आप ये जो फोरेस्टर हैं या रेन्जर हैं या फोरेस्ट गार्ड हैं या कैटल गार्ड हैं, इनको कहीं ना कहीं सक्षम नहीं बनाएंगे, अब वह एक फोरेस्टर, 60 हैक्टेयर जमीन में या 600 हैक्टेयर जमीन, सब्जेक्ट टू करेक्शन, उसमें एक फोरेस्टर की दम नहीं है कि वह इतने बड़े जंगल में जाकर अपनी रखवाली कर सकें या किसी से लड़ सके। वहां पूरा का पूरा एक लवाजमा आता है, पेड़ काटता है और कई बातें करता हैं और लेकर निकल जाता है, जंगली जानवरों का शिकार करता है, दूसरी बातें होती हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है की आप इनको कहीं ना कहीं हथियार देने की चेष्टा करें। हथियार होगा तो निश्चित रूप से ये जंगल में जाने से डरेंगे भी नहीं और अपनी जान-माल की रक्षा कर सकेंगे।

आदमी के लिए अपनी जिंदगी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहले, चाहे आग लगी हो, चाहे जंगल कट रहे हों, सबसे पहले वह अपना जीवन बचाएगा। आप उससे ड्यूटी तो इस प्रकार की लेते हैं, परंतु उसको सक्षम नहीं बना रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जंगल में, राजस्थान में मुकुन्दरा जैसा फोरेस्ट भी है, जिसकी दुनिया के डैन्स फोरेस्ट में गिनती है। राजस्थान में डेज़र्ट भी ऐसा है जो थार का डेजर्ट कहलाता है। राजस्थान में मैदानी इलाका भी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी कार्ययोजना बनाएंगे। निश्चित रूप से जो मैंने आपको निवेदन किया है, इस पर आप निश्चित

रूप से संज्ञान लेंगे।

Ans/rtm 15.20 2l 10.03.2025

मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि इन सब बातों में कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी जरूरी है, चाहे ग्रामीण लेवल पर हो, चाहे शहरी लेवल पर हो। जनता की भागीदारी किस तरह बढ़े, इसके लिए हमें लगातार प्रयास करने चाहिए। पिक एंड चूज के आधार पर हमको यह नहीं करना। कई बार ऐसा देखा गया है कि पिक एंड चूज के आधार पर इस तरह का होता है, इससे बचना चाहिए। जो लोग जंगल बचाने में, जंगली जानवर बचाने में, पर्यावरण बचाने में काम करते हैं, एनजीओ काम करते हैं, या दूसरे लोग जो काम करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं हमको मोटिवेट करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। हिंदुस्तान में राजस्थान की जैसी भौगोलिक परिस्थिति कहीं नहीं है। यहां की स्थिति ऐसी है कि पीने का पानी नहीं है, थार का डेजर्ट है, एक तरफ जंगल है पहाड़ है, इन सब बातों को आपको ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा की अभी पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हुई कि कूनो में अफ्रीका से चीते लाये गये। सभापति जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि जिस प्रकार की कूनो की साइड है, उसी प्रकार की साइड हमारे राजस्थान में बारां ज़िले में शेरगढ़ की है। शेरगढ़ में पानी भी पर्याप्त है, वहां पर देखने को किला भी है और जंगल भी है। चीते को मैदानी इलाका चाहिए तथा ग्रासलैंड चाहिए, वह भी वहां पर बहुतायत में हैं। मैं इसके लिए पिछली सरकार को दोष देता हूँ और गहलोत साहब को मैं निश्चित रूप से इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ। अगर इन्होंने उस समय रुचि ली होती तो जो चीता कुनो गया है, निश्चित रूप से हमारे शेरगढ़ में होता और हमारे गरीब लोगों को निश्चित रूप से उसका फायदा होता। हमारे यहाँ टूरिज्म भी बढ़ेगा, हमारे हाड़ौती में टूरिज़म का भी अभाव है। चीते भी वहां आराम से रह सकेंगे। उनको वहां ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप इधर उधर से इंतजाम कर सकते हो, सब बातें आपके हाथ में है, आप चाहो तो कर सकते हो, अगर करने की मंशा हो तो।

मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इल्लीगल माइनिंग फॉरेस्ट विभाग के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी है। अदर्वाइज़ नहीं ले, परन्तु इस पर आपको थोड़ा-सा कंट्रोल करना चाहिए। राजस्थान के हर हिस्से में है, मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूँ। इसलिए अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को चाक-चौबंद करे। ऐसा नहीं करें कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार से पकड़ लिया और छोड़ दिया। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर इल्लीगल माइनिंग पर रोक लगेगी तो रेवेन्यू सरप्लस होगा। रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी और फॉरेस्ट विभाग दो काम ज्यादा कर पायेगा।

मैं आपको एक निवेदन और करना चाहता था। वन रक्षक का ग्रेड-पे पुलिसवालों से कम है, जबकि पुलिस से ज्यादा खतरनाक ड्यूटी यह फॉरेस्ट वाले कर सकते हैं। इनका ग्रेड-पे दो

हजार है और न्यूनतम वेतन 18 हजार है, तो मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि इनका ग्रेड-पे 2400 किया जाए और पुलिस के समान वन रक्षक को सुविधाएं दी जानी चाहिए।

मैं मुकुन्दरा के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। मुकुन्दरा हमारे यहां बहुत अच्छा है और वहां पर टाइगर लाने की लगातार कोशिश हो रही है, परन्तु किसी ना किसी कारण से कोई न कोई अड़चन आ जाती है, और प्रोपर जितना ध्यान दे सकते हैं उतना नहीं दे पाते है। मेरा निवेदन है कि सरकार की निगाह में होगा, मुकुन्दरा के बीच में ओपन टनल है, उसमें से रेलवे ट्रैक निकला हुआ है। रेलवे ट्रैक की स्थिति इस प्रकार की है, अगर उसमें कोई भी जंगली जानवर गिर जाता है तो बिना रेल के कटे उसका कोई इलाज नहीं है। ना तो कोई उसको निकाल सकता है। इसलिए मेरा आपसे भी निवेदन है कि आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, कई प्रकार की टेक्नोलॉजी है।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): मेरे क्षेत्र की बात है,दो मिनिट और दे दीजिए। मैंने विधानसभा के इसी सत्र में प्रश्न लगाया था, उसका जवाब मुझे अधूरा दिया गया है, मुझे बताते हुए दुःख है। संजय जी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, यह मुझे बड़े भाई की तरह प्रेम करता है और आधा अधूरा जवाब मुझे देगा, पता नहीं, क्या मजबूरी है। दो-तीन गांव अल्लापुरा, कड़ियांचोर, कमालपुरा है, यहाँ की बेशकीमती जमीन करीब करोड़ों रुपये का सागवान बेचकर, पार्वती में डालकर मध्यप्रदेश में भेज दिया गया, उनके खिलाफ़ फॉरेस्ट विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, यह मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है। यह भी मेरे पुराने मित्र हैं, इनको भी पत्र लिखा है, आपको भी पत्र लिखा है और मुख्य मंत्री जी को भी पत्र लिखा है।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): एक मिनट। लिखा है तो इस पर कोई ना कोई कार्रवाई होना चाहिए।

श्री सभापतिः हो गया।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): एक बात और निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। छबड़ा तहसील में मवासा व्यास एक गांव है, यहां पर सड़क के एक बाजू में फॉरेस्ट की जमीन पर फ्लाइ ऐश की फैक्टरी चल रही है, ब्रिक बनाने की फैक्टरी चल रही है।

श्री सभापतिः श्री अमीन कागजी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): सड़क के दूसरी तरफ करीब सात-आठ बीघा जमीन पर पक्की बाउंडरी बनाकर...

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): 000

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): माननीय सभापति जी, आपने मुझे मांग संख्या 45

और 56 पर बोलने की अनुमति दी, मैं उसके लिए मेरी तरफ से और मेरे दल के नेताओं की तरफ से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है। आप टेबल कर दीजिए।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): इस सरकार को बने तकरीबन 14-15 महीने हो गए। बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हम एक तरफ तो 35 लाख करोड़ के एग्रीमेंट व एमओयू की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब हमारी सरकार थी जिसमे मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019, मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 और उसके बाद 2022 में हम लोग राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स लेकर आए, उसके और आज के मापदंडों में जिस तरीके से सरकार ने चेंजेज किए हैं, उसको लेकर मैं नहीं समझता कि आपकी जो कल्पना है और आपके 35 लाख करोड़ के एग्रीमेंट है, पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में घूम-घूमकर आपने जो एमओयू करे वह फलीभूत हो पाएंगे, वह धरातल पर आ पाएंगे, ऐसी उम्मीद बहुत कम है।

एक कहावत है कि जब बच्चा गोद का नहीं संभलता तो पेट की क्यों आस करते हैं। मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूं कि राजस्थान के व्यापारी, जिन्होंने आपकी इच्छा शक्ति को देखकर बहुत सारे एमओयू इस सरकार के साथ किए, लेकिन बड़ा दुख और खेद व्यक्त करते हुए कहना पड़ रहा है कि राजस्थान की यह सरकार जिसने बड़े-बड़े वादे करके राजस्थान में रिप्स को चेंज कर दिया और मुख्य मंत्री जी ने मुख्य मंत्री उद्योग प्रोत्साहन योजना चालू करी, जिसमें 2 करोड़ की सीमा तय करी है। यह बात कहते हुए मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारी सरकार के टाइम जो मीटिंग्स हर महीने होती थी और प्रोजेक्ट पर ब्याज का सबमिशन देते थे, बहुत सारी स्कीम के फायदे देते थे, जिसमें ब्याज सब्सिडी थी। 01 करोड़ से 05 करोड़ तक के प्रोजेक्ट को लगाने के लिए 6 परसेंट की सब्सिडी थी। 05 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में लगाने वाले को 4 परसेंट थी। 10 करोड़ से 50 करोड़ के प्रोजेक्ट लगाने वाले को ब्याज की सब्सिडी 3 परसेंट थी, स्टाम्प ड्यूटी की राहत थी, बिजली शुल्क की राहत थी, मंडी शुल्क की राहत थी, इस सरकार ने आते ही ये सारी चीज़ें रोक दी। आज यह कहना पड़ रहा है कि पिछले छह महीने से रिप्स की कोई मीटिंग नहीं हुई। रिप्स-24 स्कीम के पोर्टल पर इन्होंने जो रिप्स चॉइस डाली थी, स्कीम बनाई थी, आज तक उसका फॉरमेट भी अपलोड नहीं कर पाए। पिछले छह महीने से कोई काम नहीं हुआ। आपके इंडस्ट्रीज़ कमिश्नर पिछले दो महीने से नहीं है। बीआईटी के कमिश्नर दो महीने से नहीं है। एडिशनल चार्ज अभी कुछ ही दिन पहले रीको एम.डी. को दिया गया।

VPS-RTM-10.03.2025-15.30-2m

मैं यह बात कहना चाहता हूं कि अगर आपकी नीयत और मंशा सही होती कि उद्योगपतियों को आप फायदा देंगे तो जो सब्सिडी का प्रोविजन है, सब्सिडी इंटरेस्ट का जो

प्रोविजन है, बजट में आप यह बता दीजिए कि बजट में कोई एलोकेशन किया है क्या आपने? आपने जब बजट पर कोई एलोकेशन नहीं किया तो आप कैसे किसी उद्योगपति को इंटरेस्ट सब्सिडी दे सकते हैं? पुराने क्लेम को छह-छह महीने हो गये, छह महीने से कोई मीटिंग नहीं कर पाये और दु:ख की बात यह है कि जो मुख्य मंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, इसकी कोई उद्योगपति चर्चा करना भी नहीं चाहता। जो आपके इतने सारे एग्रीमेंट्स हैं, उन एग्रीमेंट में सिर्फ और सिर्फ 70 परसेंट से ज्यादा के एग्रीमेंट 10 करोड़ से नीचे के हैं। बहुत बड़ी-बड़ी बातें हमने एग्रीमेंट को लेकर की हैं लेकिन मैं यह समझता नहीं हूं कि यह कैसे आप कर पाएंगे।

तीन तरह की आपने एम.ओ.यूज. की श्रेणी बनाई कि एक हजार करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट मुख्य मंत्रीजी स्वयं देखेंगे। 100 करोड़ से 1000 करोड़ रुपये के जितने भी नये प्रोजेक्ट आएंगे, उनको मुख्य सचिव महोदय देखेंगे और नीचे के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, 10 करोड़ से 100 करोड़ तक के वह सारे जिला उद्योग केन्द्र देखेंगे। सारे कलक्टर्स को लगाकर आपने एम.ओ.यू. करवाये लेकिन आज जो नोडल एजेंसी है, जिनको आपने दस करोड़ से नीचे और सौ करोड़, पचास करोड़ से नीचे के प्रोजेक्ट की बात की है, वह एम.ओ.यू. जिनसे किये हैं, उन लोगों को यह पूछ रहे हैं कि आपको सरकार से क्या चाहिए। अगर वह यह कहते हैं कि हमें उद्योग लगाने के लिए RIPS के फायदे चाहिए जो 2022 के हैं, तो उसके लिए आप मना कर देते हैं। उसका आपका कोई प्रोविजन इसलिए नहीं है कि आप अगर सब्सिडी की बात करें, इंटरेस्ट सब्मिशन बात करें तो आपने प्रोविजन ही नहीं करा तो आप कैसे सब्सिडी देंगे? मेरे को यह कहना पड़ रहा है कि राइजिंग राजस्थान के नाम पर बहुत सारे काम हुए। 80 परसेंट से ज्यादा के एग्रीमेंट जो हैं वह दस करोड़ से सौ करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी कोई बात आप करते ही नहीं हैं।

हमारे राजस्थान के जितने भी व्यापारी हैं उनके RIPS announcement के जो फायदे थे, आपने वह बंद कर दिये। उसमें भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। रीको की अगर बात करें तो रीको में आप ऑक्शन से प्लाट दे रहे हैं। पहले तो आप बात करते थे कि प्रायोरिटी बेसिक पर जो प्रोजेक्ट होगा, उसको रीको जमीन देगा लेकिन अब अगर बात करते हैं तो आप ऑक्शन की बात करते हैं कि आप ऑक्शन से जमीन देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर रीको का जर्जर हो गया। हमारी सरकार ने हर उपखंड पर, हमारी यह नीयत थी कि हम पूरे उपखंडों पर, हर तहसील पर एक औद्योगिक, रीको का केन्द्र बनाएंगे लेकिन आपने उस चीज को रोक दिया।

आपका वाटर मैनेजमेंट नहीं है, आपका वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, राजस्थान में बिजली सबसे ज्यादा महंगी है। आप हरियाणा चले जाए, यू.पी. चले जाएं तो वहां पर बिजली सस्ती मिलती है और यहां पर लाखों-करोड़ों रुपये का इंवेस्टमेंट करने का लोग मन करते हैं क्योंकि हमारे पास मिनरल्स बहुत हैं, हमारे पास मैनपावर भी बहुत है लेकिन जब वे यहां पर आते हैं तो बिजली महंगी मिलती है, जमीन महंगी मिलती है। सिंगल विंडो सिस्टम का आपने बैंड बजा दिया। सिंगल विंडो सिस्टम बिलकुल कोलेप्स हो गया, कोई उसके अन्दर काम नहीं हो

रहा है, तो बहुत दु:ख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि रीको की आज, रीको के जितने भी इंडस्ट्रीज एरियाज बसे हुए हैं, मेरा आपसे, मंत्रीजी से यह आग्रह है कि आज सबसे बड़ा चैलेंज वेस्ट मैनेजमेंट का है रीको में। हमारे यहां पर सीतापुरा और इधर के एरियाज में आप चले जाइये तो वे सारे के सारे नगर निगम के एरिया में आ गये हैं। अगर कोई आदमी, उसका अपशिष्ट निकलता है, आपके कोई उसका वेस्ट निकलता है तो उसको हजारों-लाखों रुपये इस बात के खर्च करने पड़ जाते हैं कि उसका वेस्ट कहां पर डिस्पोजल करे। अगर वह वेस्ट डिस्पोजल की नगर निगम से बात करेंगे तो नगर निगम उस पर लाखों रुपयों की पेनल्टी के साथ में उसके वेस्ट को मैनेज करने के लिए बात करता है।

इसी तरीके से पचपदरा रिफाइनरी की बात करी मुख्य मंत्रीजी ने और यह कहा कि आने वाले इसी साल में आप नवम्बर-दिसम्बर तक पचपदरा रिफाइनरी भी शुरू कर देंगे लेकिन रिफाइनरी के जो डाउन-स्ट्रीम प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में आपने कोई सोचा नहीं है। एच.पी.सी.एल. से आपकी बात हुई नहीं कि आपको केमिकल मिलेगा। आप रिफाइनरी में 17-18 किलोमीटर का इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं। इसमें यह जो बाई-प्रोडक्ट्स बनेंगे, उनके लिए क्या प्लानिंग है? एच.पी.सी.एल. कितना आपको केमिकल देगा, उसके कितने बाई-प्रोडक्ट्स बनेंगे? यह किसी को पता नहीं है, आप इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उद्योग के लिए और एक्सपोर्ट के लिए भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। हमारे यहां से राजस्थान से तकरीबन 20 हजार करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट प्रतिवर्ष होता है खाली अमेरिका के लिए, अमेरिका के ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज हो गये हैं तो हमें इस ओर भी देखने की जरूरत है कि किस तरीके से अमेरिका, हमारे इंडिया से बात तो अच्छी करता है लेकिन अगर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात करें तो ड्यूटी स्ट्रक्चर को उन्होंने चेंज कर दिया तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। निश्चित तौर से आप यह समझिये कि जितना भी हमारा हैंडीक्राफ्ट है, उसके एक्सपोर्ट में गिरावट आनी तय है। अमेरिका ने जिस तरह से यह ड्यूटी स्ट्रक्चर का बदलाव किया है, हमारे एक्सपोर्ट पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

आपने मुझे बोलने के लिए वक्त दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद पर मैं अंत में सिर्फ एक बात कहूंगा कि हमने बहुत मेहनत करके, हम कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, हम सब यह चाहते हैं कि इंडस्ट्री यहां पर पनपे, इंडस्ट्री पनपेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसके पैसे से हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा पाएंगे और हमारी आने वाली पुश्तों को अच्छा रोजगार भी दे पाएंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे पाएंगे।

हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं लेकिन प्लीज, आप इन बातों पर ध्यान दीजिए कि किस तरह के यह इंडस्ट्रियलिस्ट जो नये आने वाले आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको किस तरीके से हम सुविधाएं दे पायें और जो मंशा आपकी रहती है, उसको हम फलीभूत कर पायें। आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।

श्री सभापति: श्रीमती कल्पना देवीजी। विभाजन संख्या 28.

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 56- उद्योग एवं मांग संख्या 45- वन एवं पर्यावरण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद।

यह दोनों विभाग ऐसे हैं जो एक तरफ तो हम यह चाहते हैं कि हम उद्योगों को बढ़ावा दें पर साथ ही हम कैसे हमारे पर्यावरण को सम्भाले और सुरक्षित रखे, यह एक बहुत ही मुश्किल काम होता है परंतु अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो न तो ढंग से हमारे उद्योगों को बढ़ावा होगा और न ही हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे।

मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस तन्मयता से राइजिंग राजस्थान का सफल आयोजन किया, उसकी तारीफ करती हूं और उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। राइजिंग राजस्थान, ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट के अंतर्गत माननीय मुख्य मंत्रीजी श्री भजन लालजी और उनकी सरकार के आमंत्रण पर उद्योगपतियों ने हमारी सरकार के प्रति विश्वास प्रकट किया और उसी विश्वास के आधार पर 35 लाख करोड़ की राशि, उससे भी अधिक राशि के एम.ओ.यू. साइन किये हैं, यह वाकई काबिले-तारीफ है और मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद इस बात पर देना चाहती हूं क्योंकि उन्होंने बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र गोपालपुरा में एक नये औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा की है, उसके लिए धन्यवाद देती हूं और साथ ही जो बजट में उन्होंने दो लॉजिस्टिक पार्क की घोषणा की है, मैं यह मांग रखती हूं कि उनमें से एक लॉजिस्टिक पार्क मेरे विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा को दी जाये क्योंकि हमारा जो विधान सभा क्षेत्र है, वह दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे में आता है, तो कनेक्टिविटी हमारे बहुत बढ़िया है और आने वाले समय में एयरपोर्ट भी जल्दी ही चालू हो जायेगा, तो हर तरह से यह क्षेत्र लॉजिस्टिक पार्क के लिए बिलकुल ही परफेक्ट होगा। यह जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिल रहा है, एक्सप्रेस-वे की वजह से जो कि जल्द चालू हो जायेगा, इसमें मैं यह कहना चाहती हूं कि पहले कोटा को औद्योगिक नगरी के नाम से पहचाना जाता था। आजादी के बाद कोटा में देश के बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों ने कई फैक्ट्रियां लगायी हैं और उन्होंने देश के विकास के लिए उत्पादन एवं योगदान किया है। इसमें मैं सब फैक्ट्रियों के नाम नहीं लेना चाहती परंतु यह दु:ख के साथ कहना चाहती हूं कि पिछले दस-पन्द्रह साल से कई फैक्ट्रियां कई कारणों से, लालफ़ीताशाही कहें या रेड टेपिज्म हो, कोई कारण हो, उसकी वजह से काफी सारी फैक्ट्रियां बंद हो गयी हैं तो मैं यह मांग करती हूं कि अब जब हमारी कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो गया है तो हम ऐसा सिस्टम डवलप करें कि उद्योगपतियों को इतनी मुश्किल नहीं हो और इतनी रेड टेपिज्म का सामना नहीं करके वे आसानी से अपने उद्योग यहां स्थापित कर सकें।

ssy/rtm/10.03.2025/15.40/2n

कोटा कि एक और पहचान होती है कोटा स्टोन से, कोटा कचोरी से कोटा साड़ी से और

कोटा कोचिंग से। मैं मांग करती हूं कि जो कोटा स्टोन है, यह मशहूर है हमारा क्षेत्र, यूरोप और मिडिल ईस्ट में इस स्टोन कि बहुत ज्यादा मांग रहती है। इसकि वजह से जो एक अलग पहचान हमारे क्षेत्र कि है, मेरे से पूर्व हमारे कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा जी ने भी एक मांग रखी है कि कोटा स्टोन को जीआई टैग दिया जाय, तो मैं उनकी बात का समर्थन करती हूं।

एक बात जो मैं कोटा स्टोन को लेकर कहना चाहती हूं कि बजट घोषणा में कोटा स्टोन को लेकर स्टोन मंडी कि घोषणा कि गई है परंतु हमारे क्षेत्र में सारे स्टोन का जो व्यवसाय करते हैं उन्होंने यह मांग कि है कि वह स्टोन मंडी के बजाय उनको स्टोन पार्क अगर आप चेंज कर दें और यह घोषणा कर दें तो उनको बहुत लाभ मिलेगा, जो कि मंडी से उनको इतना लाभ नहीं मिलेगा।

एक समस्या जो हमारे क्षेत्र में उद्योगपति कर रहे हैं कि यदि स्वयं की भूमि का उपयोग उद्योगों के लिए किया जा रहा है तो रूपांतरण के लिए एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली मौजूद होनी चाहिए, जिससे कि क्लीयरेंस के लिए अवधि निर्धारित की जाए ताकि उनको घड़ी-घड़ी चक्कर नहीं लगाना पड़े।

एक हमारा जो यह एक्सप्रेस है, वह तो बन ही रहा है परंतु एक और मैं मांग करती हूँ अगर कोटा को सभी आसपास के जो बड़े संभाग हैं उनको छह लेन के साथ जोड़ा जाए तो मेरे ख्याल से इससे बहुत फायदा मिलेगा, कोटा को भी और आसपास के क्षेत्र को भी।

सभापति महोदय, बात करना चाहती हूँ अब नदियों के बारे में। तो जो पर्यावरण है, हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो मुझे देखिये बात बहुत दुख के साथ कहनी पड़ रही है कि हम मंजूरी दे देते हैं अलग अलग विकल्प ढूंढ करके कि भाई, इसमे आप इतना, जैसे कि रिवर फ्रंट में माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री जी बोल रहे थे कि एनजीटी का क्लीयरेंस क्योंकि इतना ओपन एरिया है और इतना बिल्ट-अप एरिया है, यह तो सब बहाने होते हैं जब आपको कुछ करना पड़ता है। परंतु हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी फ्यूचर जेनरेशन के लिए कैसे हम हमारे पर्यावरण को संरक्षित रख रहे हैं और इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो चम्बल नदी है, इसमें घड़ियाल हैं और मगरमच्छ भी हैं और आए दिन जो इल्लीगल फिशिंग के कारण जो वह ब्लास्टिंग करते हैं, तो उससे मगरमच्छ भी मरते हैं और दूसरे वन्य जीव को भी नुकसान होता है। माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि इसमें थोड़ी सख्त कार्रवाई की जाए ताकि यह ब्लास्टिंग और इल्लीगल फिशिंग हमारे क्षेत्र में नहीं हो।

साथ ही जो हमारे क्षेत्र में वेटलैंड हैं या तालाब हैं, उनके भी संरक्षण के लिए मैं मांग करती हूँ कि आए दिन जो इंक्रोचमेंट हो रहे हैं और जो आइडेंटिफाइड वेटलैंड है उनका आप एक मैपिंग करें और देखें कि वाकई में आज की तारीख में वह वेटलैंड, वेटलैंड है या कितना इन्क्रोचमेंट हुआ हुआ है और जो बचे हुए हैं कम से कम उनके लिए तो कोई ऐसा रूल निकालें या कुछ करे कि जो बचा है उसको हम कैसे संरक्षित रखें। जो अतिक्रमण हो रहे हैं

उनको हटाएं।

गैस लीक, हमारे यहाँ जो फ़ैक्ट्रीज़ होती हैं, उसमें कई बार शिकायत आती है गैस लीक की, मैं हमारे मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि आप अपने पॉल्यूशन बोर्ड को जो कंट्रोल बोर्ड हैं, उनको भी थोड़ा सख्ती से यह बोलें कि जब भी गैस लीक होती है और आपके यह पॉल्यूशन बोर्ड के लोग जाते हैं, वह हमेशा क्लीन चिट देते हैं और कहते हैं कि वहां मास हिस्टीरिया हुआ है, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, जबकि पूरे क्षेत्र के लोग आंख जलने की बात करते हैं, और अभी रीसेंट्ली 14 बच्चे, सब उल्टियां कर रहे हैं और आप कह रहे है कि वह मास हिस्टीरिया है, यह पॉसिबल नहीं है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी आप हिदायत करें कि वह सख्त से सख्त कार्रवाई करे ना कि हमेशा इन फैक्ट्रियों को क्लीन चिट दे।

मेरे क्षेत्र में फैक्टरीज से जो पानी हमारी नदी में निकलता है, वहाँ आप सबने सुना होगा कि गिरगिट रंग बदलता है, पर कभी नहीं सुना होगा कि मगरमच्छ रंग बदलता है और मेरे क्षेत्र में उस पानी के वजह से मगरमच्छ भी सफेद हो गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि आप यह पानी, तालाब, आपका वन क्षेत्र है इसको कैसे सुरक्षित रखेंगे? क्योंकि यह वन्यजीवों के लिए उनका घर है। अगर हम उसको सेफ गार्ड नहीं कर सकेंगे तो आने वाली पीढ़ी को यह सारे वन्य जीव दिखाई भी नहीं देंगे।

इसी के साथ ही मैं मांग करती हूँ कि ऐसे हमारे गांव है जैसे केवलनगर है, यह आजादी के पहले से बसा हुआ है और अब आप कह रहे हैं कि उनको पट्टे नहीं मिलेंगे क्योंकि यह फॉरेस्ट में आ रहा है। सभापति जी, मैं आपसे आपके माध्यम से मांग करती हूँ कि ऐसे क्षेत्र जो आजादी के पहले से बसे हुए हैं, इनको आप दोबारा देखें और इनमे पट्टे देने का कार्य करें ताकि इनको आने वाले समय में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े।

साथ ही ऐसे ही मेरे मंडी है भामाशाह मंडी, जो एशिया कि सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, इनको भी फॉरेस्ट क्लीयरेंस की वजह से विस्तार करने में, जो कि बजट घोषणा में इसके विस्तार के लिए घोषणा कि गई है, परंतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस कि वजह से वह विस्तार नहीं हो पा रहा है, तो आपसे मांग करती हूँ कि इसके लिए कोई विकल्प ढूंढें और इसको भी तुरंत आप करें। जगपुरा में वन विभाग की जो जमीन है, उस पर अतिक्रमण हटा कर इस पर भी ध्यान दें।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री चन्द्रभान सिंह जी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कोई नहीं है और ना दोनों मंत्री हैं। जो माननीय सदस्य कह रही हैं, इनकी सुन कौन रहा है? लिख कौन रहा है? दोनों ही मंत्री नहीं हैं।

श्री सभापतिः लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। वह बैठे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): एक भी सीनियर अधिकारी नहीं है।

श्री सभापतिः मंत्री जी गये हैं तो उनको बैठाकर गये हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कोई सीनियर अधिकारी नहीं है।

श्री सभापतिः श्री चन्द्रभान सिंह जी। लिख रहे हैं। लिख रहे हैं।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 56 उद्योग और ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज, माननीय सदस्य, विराजें। नोट हो रहा है। सब नोट हो रहा है।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 56 उद्योग और मांग संख्या 45 वन पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आ गये, मंत्री जी आ गये।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार मुख्य मंत्री महोदय ने पिछले सवा साल, डेढ़ साल से सरकार बनी है, जिस प्रकार का काम किया है, राइजिंग राजस्थान में जिस प्रकार उद्योगपति आये हैं, जिस प्रकार उन्होंने उद्योग लगाने की बात की है और 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार के उद्योग अगर राजस्थान में आयेंगे तो 100 प्रतिशत जो बेरोजगार हैं, उनको नौकरी मिलेगी। काफी बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा और काफी इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आने से राजस्थान की स्थिति बहुत अच्छी होगी।

सभापति महोदय, मैं चित्तौड़गढ़ जिले में आना चाहता हूँ कि जिले में जिस प्रकार के उद्योग लगे हैं, चित्तौड़गढ़ जिले में जिस प्रकार से सीमेंट के हब हैं, हिंदुस्तान जिंक है, जिसे प्रकार के उद्योग मार्बल व्यवसायी हैं, काफी रोजगार हम लोगों को वहाँ मिला है।

जूली जी, आपके और मंत्री जी के अलवर का मामला है, बाद में करना, हमको बोलने दो। जिस प्रकार के उद्योग लगे हैं और लगने में भी है, सीमेंट के, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि हमारे उद्योगों में हमारे युवा भाइयों को वहां रोजगार नहीं मिलता है, इसलिए सरकार ऐसा कोई नियम बनाएं, कानून बनाएं विधान सभा में और हमारे वहां के युवा बेरोज़गारों को क्योंकि धूल वह खाते है, मिट्टी वह खाते है, जमीनें हमारी जाती है, वन हमारा कटता है, पौधे हमारे कटते हैं।

spp/rtm/10.03.2025/15.50/2o

पानी हमारा जाता है और वहां पर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दें, वहां बेरोजगार काफी हैं। हम ये नहीं कहते सबको अधिकारी बना दें, उनकी योग्यता के अनुसार उनको नौकरी मिले, ऐसी मैं मांग करता हूँ और आज मंत्रीजी बैठे हैं, वह उनकी मांग की पूर्ति करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, छोटे उद्योग और बड़े उद्योग काफी हैं राजस्थान में, पर हमारे काफी उद्योग, हमारा एम.पी. बोर्डर लगता है, हमारे राजस्थान के काफी उद्योग एम.पी. में जा रहे हैं, नया गांव में जा रहे हैं या एम.पी. के नीमच में शिफ्ट हो रहे हैं। इसको सरकार को देखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे काफी उद्योग, राजस्थान से कपड़ा उद्योग हो, या इसी तरह के काफी उद्योग राजस्थान से एम.पी. में शिफ्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं राजस्थान की

सब्सिडी में और एम.पी. की सब्सिडी में काफी फर्क है। माननीय उद्योग मंत्री भी पधार गए हैं। उद्योग मंत्री जी, एक बात मैं वापस रिपीट करना चाहता हूँ। कम से कम राजस्थान के 40 से 50 बड़े उद्योग इस डेढ़ साल-दो साल में एम.पी. में शिफ्ट हुए हैं। एमपी में उन्होंने काफी जमीनें ली हैं और भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग समझो, मार्बल उद्योग समझो, यह काफी वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ की सब्सिडी में, राजस्थान की सब्सिडी में और वहाँ की सब्सिडी में, बिजली में देखो, पानी में देखो, दूसरी सब्सिडी देखो, काफी फर्क है, तो यहाँ को देखते हुए अपने यहाँ के उद्योग वहाँ शिफ्ट नहीं हो, वहाँ जो सब्सिडी है, वह सब्सिडी अपने यहाँ भी राजस्थान में मिले उसको देखते हुए हमारे यहाँ शिफ्ट करवाएं।

माननीय सभापति महोदय, खनिज संपदा भी राजस्थान में काफी है। खनिज उद्योग, भी युवा बेरोज़गारों को रोजगार दे सकता है और काफी खनिज यहाँ पैदा हुए हैं और हमारे यहाँ से शिफ्ट यहाँ कच्चा माल गुजरात में जाता है। उसके लिए यहाँ की सिरेमिक टाइलों के लिए उद्योग मंत्री जी ने और हमारे मुख्य मंत्री जी ने यहाँ घोषणा भी की कि सिरेमिक टाइलें हमारे यहाँ बने। सिरेमिक टाइलों का कच्चा माल सभी चित्तौड़गढ़ जिले से जाता है। हमारे वहाँ गैस लाइनें भी आ गई हैं और काफी जमीन पड़ी है और काफी हमारे मार्बल वाले उस उद्योग को लगाने के लिए भी तैयार हैं। अगर सरकार अच्छी तरह से सब्सिडी दे सिरेमिक टाइलें राजस्थान में शिफ्ट हो जाएंगी और काफी युवा बेरोज़गारों को रोजगार मिलेगा। ये भी आप लोगों को वहाँ देखने की जरूरत है और वहाँ काफी गुंजाइश भी है और कच्चा माल वहाँ से जाने से रुकेगा और हमारे यहाँ के काफी बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं अभी उद्योग मंत्री से मिला भी हूँ और बात भी मैंने पहले भी करी और आज भी बात करता हूँ। हमारे वहाँ मार्बल का काफी हब है, काफी बड़ा काम है और मार्बल की काफी गुंजाइश अभी भी है। कम से कम हमारे वहाँ 350 से 400 फैक्टरी हैं और उन फैक्टरियों को और बढ़ाने के लिए हमारे वहाँ एक जमीन थी बिलानाम, आर एस गठाला साहब ने हमारे वहाँ पूरी जमीन को बिलानाम जमीनों को गोचर कर दी, उसके लिए वहां हमारे कम से कम 1500 से 2000 बीघा जमीन पड़ी है, उस 1500 से 2000 बीघा जमीन को मार्बल उद्योग के लिए या सिरेमिक टाइलों के लिए मंत्री महोदया घोषणा भी करेंगे और इसको देखते हुए हमारे वहाँ उद्योगों के लिए अगर आप कर देंगे, रीको के लिए कर देंगे तो काफी फायदा हम लोगों को होगा और हमारे काफी उद्योग वहाँ मिलेंगे तो काफी युवा बेरोज़गारों को रोजगार मिलेगा और काफी काम हमारे वहाँ होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं वन और पर्यावरण के लिए कहना चाहता हूँ। राजस्थान में वन पर्यावरण की काफी गुंजाइश है पर्यटन की भी काफी गुंजाइश है और हमारे वहाँ भी काफी वन है, काफी फॉरेस्ट है, और काफी और भी गुंजाइश है और हमारे यहाँ बस्सी अभयारण्य का बहुत बड़ा काम है, काफी पर्यटक भी आए हैं। काफी वहाँ पौधे भी लगाए हैं और वहाँ मैं एक मांग करता हूँ क्योंकि हमारे मुख्य मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम लगाये थे और बस्सी सेंक्चुअरी में वहाँ काफी काम की और भी गुंजाइश है, वहां हमारे मंत्री महोदय

अगर और ज्यादा बजट देंगे तो उसको हम और भी डवलप कर सकते हैं और राजस्थान का नंबर वन हमारा बस्सी सेंक्चुअरी बन सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं नगर वन की भी मांग करता हूँ। मेरे चंदेरिया में नगर वन बन सकता है और गांधीनगर में भी बहुत लंबी चौड़ी हमारी कम से कम 100 एकड़ जमीन पड़ी है। ऐसी 70-80 हैक्टेयर जमीन पड़ी है इसलिए गाँधी नगर में निर्मल वन जो हमारे वहाँ पार्क बना है, उसमें भी निर्मल वन की अगर मंत्री महोदय आज घोषणा कर देंगे, क्योंकि पहले भी मैंने लिख कर दिया है, वह सेंटर में भेजा है और आज चंदेरिया और वहाँ निर्मल वन की घोषणा कर दें।

माननीय सभापति महोदय, हमारे वहाँ बायोलॉजिकल पार्क भी बन सकता है, क्योंकि पहले किले पर ये पार्क था और किसी टैक्निकल कारण वह वहाँ से हटाना पड़ा तो वहाँ पर काफी अच्छा, वन मंत्री महोदय, संसदीय कार्य मंत्री महोदय, बहुत बातों में मग्न हैं। माननीय मंत्री महोदय, हमारे वहाँ बायोलॉजिकल पार्क भी बन सकता है, काफी गुंजाइश वहां है और काफी उद्योग हमारे वहाँ हैं। बायोलॉजिकल पार्क के लिए भी मैंने पहले लिख के दिया है और काफी गुंजाइश वहां है। हमारे सेमलपुरा में भी जमीन पड़ी है, चित्तौड़गढ़ शहर में भी जमीन पड़ी है और घाटा एरिया में हमारी काफी जमीन पड़ी है, अगर वहाँ बायोलॉजिकल पार्क की आप घोषणा करते हैं और आप देते हैं तो वहां बहुत अच्छी गुंजाइश है।

एक वाटर फ्लाई के लिए भी गुंजाइश है। वहां वॉटर फ्लाई के लिए भी अगर आप करें तो उसके लिए काफी गुंजाइश है। 7 करोड़ पेड़ आपने पहले लगाया है अब 10 करोड़ पौधों की घोषणा कर दी है, पर मैं पौधों को जिंदा रहने के लिए इनकी व्यवस्था भी आप जरूर करें क्योंकि स्कूलों में काफी पौधे लगे हैं पर वह पौधे ज्यादा लंबे जीवित नहीं रहे इसलिए मंत्री महोदय, उन पौधों को रेगुलर जिंदा रखने के लिए वहां पर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और आगे उनको अगर आप नरेगा से जोड़ देंगे तो 100% उनकी सुरक्षा और व्यवस्था होगी। माननीय मंत्री महोदय, उनको आप नरेगा से जोड़ते हुए अगर आगे भी इनको पौधे लगाना है तो नरेगा के थ्रू उनको लगाएंगे या उनकी सुरक्षा के लिए पानी की तरफ से, सफाई की दृष्टि से उनको करेंगे तो काफी गुंजाइश है।

माननीय सभापति महोदय, बस एक मिनट मैं और लूंगा। हमारे वहां चित्तौड़ किला है, काफी अच्छा किला है, वहां पौधे भी काफी हैं। वहां पर हम और भी पौधे लगाएं पर्यटन की दृष्टि से। फोरेस्ट की दृष्टि से वहाँ काफी गुंजाइश भी है, इसलिए वहाँ और भी आप सरकार की तरफ से अगर थोड़ा आप किले पर बजट देंगे तो वहाँ काफी अच्छी गुंजाइश है। किले को अच्छा डवलप कर सकते हैं, जो एशिया का नंबर वन किला है और वास्तव में वहाँ इतने पर्यटक आते हैं माँ पद्मावती के नाम से, माँ मीरा के नाम से और इतने बड़े बड़े जौहर वहाँ हुए किले पर, इसलिए डवलपमेंट के लिए, फोरेस्ट के लिए वह अच्छा पैसा दें। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।

श्री सभापति: श्री रतन देवासी।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने आज की दोनों के मांगों के ऊपर बोलने का अवसर प्रदान किया है। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से उक्त दोनों मांगों पर इस सदन के माध्यम से और यह बिराजे दोनों मंत्री जी के समक्ष कुछ सुझाव और कुछ बातें, जो बहुत जरूरी हैं जैसे वन क्षेत्र में है। पहले आप को वन विभाग वाली बात बता दूँ मैं। मंत्रीजी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फॉरेस्ट को बचाना, कैसे क्या करना, वह हम सब जानते हैं और सदन में सारे लोग चर्चा करते हैं। मैं केवल एक मुददे पर और एक उदाहरण देकर उसको चर्चा करना चाहता हूँ, आपके समक्ष लाना चाहता हूं। वह है वन क्षेत्र में हमारे धार्मिक स्थल बहुत सारे आये हुए हैं, जिसको लेकर कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं हम जन प्रतिनिधियों के लिए कि वह समय के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि उसके अंदर जहाँ वह धार्मिक स्थल है, थोड़ा बहुत उसका अच्छा रिपेयर हो जाएं, वहाँ आने-जाने वाले लोग होते हैं मेले के अवसरों पर, मगर ऐसी स्थितियां हमारे सामने पैदा हो जाती हैं कि वहाँ तैनात कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा उसको करने नहीं देते। उसका संज्ञान मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ क्योंकि वह बहुत ज्यादा जरूरी है।

दूसरा कैसे जॉब्स जेनरेट हों, रोजगार कैसे मिलें? और उसके लिए हम लोगों ने राजस्थान स्टेट में इको ट्यूरिज्म की पॉलिसी बनाई है। आपको उस पॉलिसी के बारे में समस्त जानकारी होगी। इको ट्यूरिज्म को पॉलिसी में हम लोगों ने जो पॉलिसी बनायी, उसमें सबसे पहले हमने साफ लिखा है कि इस पॉलिसी में, created pro sustainable eco-tourism that conserve natural resources and benefits to local communities, मैं उस शब्द पर जोर देना चाहता हूं, जो गवर्नमेंट ने निकाली है लोकल कम्युनिटीज। और मैं इसलिए उस बात पर आना चाहता हूं कि लोकल कम्युनिटीज की हमने बात की और इसी पॉलिसी में हमने जो हमारे गोल्स किये, उसमें इकोनोमिक डवलपमेंट की बात की है, create jobs and economic opportunities for all local communities. और इसी पॉलिसी के अन्दर राजस्थान में हम लोगों ने इको ट्यूरिज्म में पार्टनर्स बनाये हैं और पार्टनर किसको बनाये, जो पार्टनर बनाये उनमें दो मुख्य पार्टनर्स है, the facilitator and the local community. इनको हमने पार्टनर बनाये। सरकार ने यह पॉलिसी बनायी और हमने लोगों ने यह लोकल कम्युनिटीज और पार्टनर्स पर जोर दिया है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम लोग चाहते हैं कि जो लोग वन क्षेत्र में रहते हैं, जिनका ताल्लुक रहा है, विशेषकर पशुपालक, आदिवासी।

jyg/rtm/10.02.25/16.00/2p

जो जल, जंगल जमीन की हम बात करते हैं, उनका गुजारा कैसे हो, वो कैसे रहे और समय के हिसाब से वन क्षेत्रों को हमने टूरिज्म और धार्मिक टूरिज्म के महत्व से उसको बढ़ाया है। तो वो लोकल व्यक्ति कैसे वहां पर रोजगार प्राप्त करे, उसकी बात करनी है मगर हम लोग इसमें फेल हो रहे है। मैं आज की आपकी सरकार की ही बात करूं, कमियां पिछली

सरकार के दौरान भी रही होगी, मगर आज उसको पूरा करना और कैसे तकलीफ आ रही है वो आपके संज्ञान में, मैं क्लीयर नहीं कर रहा हूं, मगर मैं कोट करता हूं, कई बार आपके ऑफिस से भी क्या बात हो जाती है। उसमें मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जिसमें आपने पॉलिसी में लिखा है, examples of eco-tourism destination in Rajasthan - Sundha Mata Temple in Jalore, Bassi in Chittorgarh, Kumbhalgarh in Rajsamand and, Hamirgarh in Bhilwara. मैं सुंधा माताजी के बारे में बात करता हूं। सुंधा माता कंजर्वेटिव रिजर्व है, वो राजस्थान का पहला भालू कंजर्वेशन रिजर्व है और इण्डिया का चौथे नम्बर का रिजर्व है। इस रिजर्व के अन्दर इको टूरिज्म के तहत हमको लोगों को रोजगार देना था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बना रखी है जिसमें कलेक्टर को मीटिंग लेकर तय करना होता है। अब हो क्या रहा है, यह जो पूरा क्षेत्र है, इसलिए मैं जोर देकर कह रहा हूं कि यह पहला राजस्थान का भालू कंजर्वेशन रिजर्व है और इण्डिया का चौथे नम्बर का रिजर्व है। 2008-13 के कार्यकाल में 2010-11 के अन्दर इसके अन्दर जायका योजना के माध्यम से करोड़ों रुपये खर्च हुए, नैचुरल ट्रैक्स बनाये, शेड्स बनाये और सबसे बड़ी बात है कि वहां टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर बनाया, ताकि वहां लोग आ सके, आज वह टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर गेस्ट हाउस के रूप में काम आ रहा है। कोई अन्दर सोता है। आम आदमी जा नहीं पाता, टूरिस्ट जो वहां आता है वो वहां जा नहीं पाता, टूरिज्म हब है ये और उस समय इसको जायका के माध्यम से इसलिए पैसा खर्च किया था, ताकि लोगों को रोजगार मिले, कोई कमेटी वहां नहीं बनी। सुंधा माताजी अपने फस्ट राजस्थान का उसको बेयर कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है और इतनी डवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, सुंधा माताजी सबसे पवित्र स्थान है जिसकी स्टेट महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के लाखों-लाख धार्मिक टूरिस्ट वहां आते हैं। वो पूरा एरिया, सबसे ज्यादा अगर वहां बाहुल्य एरिया है तो वह आदिवासी और भील समाज के लोग वहां रहते हैं, उनको रोजगार हम दे नहीं पा रहे हैं। इको टूरिज्म के तहत कमेटी बनाकर रोजगार नहीं दे पा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, सुंधा माताजी का जो स्थान बना है वो मारवाड़ा के स्वर्गीय दुर्जन सिंह जी थे उनकी देन थी, उनकी मेहनत थी, जिसकी वजह से वो स्थान, उसका महत्व बना और उस स्थान का सारा कार्य शुरू हुआ। कार्य किसने किया, जो वहां बहुमत में भील समाज के, आदिवासी समाज के लोग रह रहे थे उन लोगों ने वहां कार्य किया। हजारों-हजारों लोड, वज़न अपने ऊपर लेकर इतनी ऊपर चढ़ाई करके उन लोगों ने इसे बनाया है। आज क्या हो रहा है? वहां ट्रस्ट बन गया और ऐसा महसूस होता है कि फोरेस्ट के अधिकारी और कर्मचारी ट्रस्ट के डाइरेक्शन पर काम करना चाहते हैं। फोरस्ट विभाग के कर्मचारी या अधिकारी डी एफ ओ के डाइरेक्शन पर काम नहीं करना चाहते। वहां उनको बैठाना चाहिए रोजगार के लिए, इको टूरिज्म की हम बात करते हैं, उनको उठा दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। काम कौन करता है? ट्रस्ट के लोग, हम जाते हैं तो कर्मचारी बोलते हैं कि साहब, ये तो खुद ही आपके फोरेस्ट में काम कर रहे हैं, कैसे पोसिबल हो सकता है मंत्रीजी?

आपको इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। और तो और मैं क्लेम कर रहा हूं, कोट कर रहा हूं, क्लेम नहीं कर रहा, मैं कोट कर रहा हूं कि तत्कालीन डी एफ ओ और रेंजर ने, ए सी एफ ने मेरे को कहा कि साहब, मंत्रीजी के ऑफिस से ऑर्डर आया है इसलिए इन लोगों को यहां से हटा देना है। मैं कोट कर रहा हूं, मैं आपको क्लेम नहीं कर रहा कि आपने कहा या आपके ऑफिस ने कहा, मैं कोट कर रहा हूं कि आपके ऑफिसर्स यह बात कर रहे हैं, जो आदिवासी, जिनका हक है, सरकार की पॉलिसी बनी हुई है इको टूरिज्म की, उनको हमको रोजगार देना है इसके माध्यम से, वो खिलौने बेच रहे हैं, चने बेच रहे हैं, ऊँट चला रहे हैं, घोड़े चला रहे हैं, धार्मिक पर्यटकों को घुमा रहे हैं और हम उठाकर उन्हीं को फेंक रहे हैं। तो किसी ट्रस्ट के माध्यम से फोरेस्ट काम करेगा या फोरेस्ट के माध्यम से ट्रस्ट काम करेगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जल्दी से जल्दी इको टूरिज्म की वहां पर कमेटी बनायें, कमेटी बनाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की वहां पर मीटिंग कराकर उन लोगों को परमिट करें कि वो बैठकर अपना छोटा-मोटा जो रोजगार करते हैं जिससे दिन भर उनका काम करने से चूल्हा शाम को घर में जलता है और वो आदिवासी भील समाज के लोग वहां पर काम करते हैं। उनका कार्य शुरू हो जाये तो इको टूरिज्म जो हम चाहते हैं, पॉलिसी लायी गयी है वो बेनिफिशियल होगी और आप लोगों को भी साधुवाद और धन्यवाद मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा आपसे निवेदन था कि भालू सैंक्चुरी है, रिजर्व किया है हमने, सबसे ज्यादा स्लोथ बीयर, काले भालू वहां पाये जा रहे हैं, ट्रैक्स बन गये हैं तो आप हिम्मत करके उसकी एक सफारी शुरू कर दो ताकि इतने टूरिस्ट आ रहे हैं और राजस्थान में पहली भालू का रिजर्व किया है जो इण्डिया में चौथे नम्बर का है तो सबसे पहले भालू की सफारी इण्डिया में राजस्थान से शुरू होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आप हिम्मत करके आज इस सदन में घोषणा भी करेंगे तो पूरे देश में इसका एक मैसेज जायेगा।

दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके सिरोही में एक मोर उद्यान की बात चल रही है। तो वो मोर उद्यान वास्तव में वहां पर बेनिफिशियल है, उसके बारे में आप थोड़ा-सा ध्यान देना। दूसरा, हम लोग जवाई में देखते हैं, लेपर्ड सफारी आने बनायी है, पिछले एक-दो साल पहले माउण्ट आबू में भी लेपर्ड सफारी का काम शुरू हुआ, सफारी भी शुरू हुई जियोग्राफिकल मैच भी करता है जवाई जैसा लेकिन जियोग्राफिकल वहां की स्थिति और वहां बहुत डेंस फोरेस्ट है, उसको आप प्रायोरिटी पर लेकर पूरा करें।

माननीय सभापति महोदय, खेजड़ी और अन्य पेड़ बचाने के लिए जो अभियान चल रहा है, उसके लिए अगर आपको जरूरत पड़े प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ ट्रीज का लाना है तो लायें, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें आगे आना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं माननीय उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए एक सुझाव देना चाहता हूं कि राइजिंग राजस्थान का आप लोगों ने आयोजन किया। मैं छोटी बात उसमें कहना चाहता हूं, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज की बात कह रहा हूं। आपने पिछले बजट के अन्दर गिफ्ट सिटी गुजरात की तर्ज पर यहां बनाने की बात की थी जो गुजरात में बन

गयी गांधीनगर में। हमारे प्रवासी जो साउथ में रह रहे हैं वो हजारों-हजार लोग पिछले दो साल से और एक साल से बहुत ज्यादा तादाद में अहमदाबाद के ओडव, कठवाड़ा, छतराल, नरोड़ा, इन सब एरिये में जाकर बसने लगे हैं, साउथ में तो वे अपना एक ऑफिस रख रहे हैं, अपना परिवार, अपना प्लांट सब वहां गुजरात बोर्डर पर लगा रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि 2011-12 में जिस तरीके से आबूरोड के मावाल में, सांचौर में और जो हमारा बोर्डर आता है मण्डाल, उस समय वहां रीको के प्लॉट्स कटे जिसमें हार्डवेयर वाले और बर्तन उद्योग सर्वाधिक आया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक कांक्लेव सिर्फ इसका बुलाओ जिसमें स्मॉल स्केल इण्डस्ट्री के लोग जो यहां आना चाहते हैं, उनका कांक्लेव होगा तो वो हमारे सारे प्रवासी आपके उस कांक्लेव में आयेंगे, आप सभी को बुलाओ, हम लोग भी आयेंगे और उनके लिए आप उस बोर्डर पर क्योंकि अहमदाबाद तो सब लोग आ ही गये बोर्डर पर भी रहना चाहते हैं, बोर्डर पर अगर आप रीको खोलकर बोर्डर पर कर दोगे तो ये जितने भी हमारे सारी प्रवासी बाहर रह रहे हैं वो अपनी सारी यूनिटें राजस्थान में लगा देंगे, घर के पास भी रहेंगे, रोजगार भी मिल जायेगा, आपकी सरकार का बहुत अच्छा संदेश जायेगा, यह बात भी हमारी रहेगी कि हम लोगों ने यह बात सदन में रखी थी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री छोटूसिंह।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 56 -उद्योग व मांग संख्या 45 - वन और पर्यावरण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, उद्योग और अर्थव्यवस्था का जोड़ा है। उद्योग लगेगा तो पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था टोपर बन जायेगी, उसी हिसाब से आज जिस हिसाब से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 35 लाख करोड़ रुपये का उद्योगपतियों से एम ओ यू किये है वो दर्शाता है कि आने समय में हमारा राजस्थान प्रोग्रेस करेगा। एम ओ यू पूर्व में भी खूब हुए लेकिन वे तब हुए जब सरकार का अंतिम समय था लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी की सरकार की सोच को कि आपने शुरूआत में ही इस प्रकार का एमओयू किया जिससे कि हमारे इस प्रदेश में अच्छे उद्योग लगेंगे, उद्योग में अपार संभावनाएं हैं, विशेषकर पूरे प्रदेश के अन्दर कोई कमी नहीं है, किसी भी प्रकार का लगाओ लेकिन मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हूं जिस हिसाब से पीले पत्थर का, जो गोल्डन पत्थर होता है वो मेरे जैसलमेर में है। आज पूरा राष्ट्र ही नहीं, विश्व में भी कोई मकान बनाता है तो चाहता है कि मेरे घर के अन्दर पीला पत्थर लगना चाहिए, वह शगुनी रहता है, पीताम्बर उसमें रहता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अपार खनिज हमारे यहां है वह व्यवस्थित नहीं है। आप कोई भी मैटेरियल निकालोगे, खनिज

निकालोगे तो उसके साथ में बोल्डर भी निकलते हैं, उसके साथ में मेसनरी स्टोन भी निकलता है लेकिन अफसोस के साथ कहा जा रहा है कि सरकारें इतने साल तक चली, पूरे प्राचीन समय से वहीं से पट्टियां, मैटेरियल आया लेकिन वो है जैसे के जैसे स्टॉक पडा है, जो मेसनरी और बोल्डर्स, उससे नुकसान भी हो रहा है।

MLS/RTM/10.03.2025/16:10/2q

क्योंकि खदान खोदे जा रहे हैं, मैटेरियल इकट्ठा होता जा रहा है, जिसका यदि देखा जाये तो इसका कोई यूज नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इससे अपने को लॉस भी है, इससे रैवेन्यू मिलता, क्रशर चलते, लेकिन जहां मार्बल की माइंस हैं, वहां किसी भी प्रकार का कोई उसके ऊपर...। मैंने पूर्व बजट में भी इसके बारे में बोला था कि इस खनिज को यहां से हटवाया जाये ताकि जो बरसात का पानी है, मेरे जैसलमेर के इर्द-गिर्द में 40 किलोमीटर में पूरा पहाड़ी एरिया है और उसका पूरा पानी पास के एनिकटों में प्राचीन समय में, स्टेट समय में भी खड़ीन बनाये हुए थे, उनमें जाता है, लेकिन अफसोस है कि आज वह पानी हैड-अप हो रहा है, वह कोई काम का नहीं है। न तो वहां मवेशी पहुंच सकते, क्योंकि रॉ मैटेरियल आमने-सामने इकट्ठा हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय मंत्री जी विराजे हैं कि उस मैटेरियल का यूज होना चाहिये ताकि उससे आपकी खुद की, प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ेगी।

एक और निवेदन है, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी को, जिन्होंने पर्यटन के लिए, विशेषकर जैसलमेर को सब-कुछ दिया। चाहे रोड का मामला हो, चाहे जैसलमेर के इर्द-गिर्द रिंग रोड का मामला हो, लेकिन मैं पर्यटन के लिए हमारे सम भी है और खुहड़ी भी है। एक नया रूट हम निकालना चाहते हैं। वह रूट मेरे जैसलमेर से नॉर्थ होते हुए बरमसर, जहां कुदरत का ऑटोमैटिक पानी बाहर निकलता है, उसको हम वरदान सिद्ध गंगा नदी कहते हैं। आदरणीय, उसके होते हुए आगे पूरे खेड़ हैं। वे उस समय के खड़ीन से बने हुए हैं। उनके खुद के मकान भी हैं। वो एक एंटीक चीज है। उसका रूट इंडियन टूरिस्ट के लिए काठोड़ी, बरमसर, बरमसर से काठोड़ी, काठोड़ी से खींवसर, ये होते हुए फिर हमारे आधुनिक में जब हमारी आईजीएनपी नहर आ जायेगी, उसको देखते हुए सीधे रामगढ़ पहुंचते हैं। रामगढ़ पहुंचने के बाद, रामगढ़ एक ऐसा है, जहां थार भी है और हरियाली भी है।

राइट साइड को नहर आ गयी है, लेफ्ट साइड को पूरा थार है। हमारे पर्यटकों को दोनों चीजें वहां देखने को मिलेंगी कि लोगों की क्या जिन्दगी है, वे अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। उसके साथ में तनोट भी जा सकते हैं, तनोट से लोंगेवाला जा सकते हैं और पूरा थार देख सकते हैं, लेकिन अफसोस है कि वहां रहने वाले लोग मवेशी पालक हैं, मुझसे ठीक पूर्व बोलने वाले आदरणीय माननीय सदस्य ने फरमाया था कि उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। जमीन हमारे पास है। हमारे पूर्वज मवेशी पालक थे और ज्यादा सोच खेती की नहीं थी, क्योंकि हमारे यहां एक के ऊपर एक अकाल आता था। बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ

और अभी बरसों में खूब सारी बरसातें होती हैं। आज भी बरसात का पानी मेरे जैसलमेर में स्टॉकेज है, रबी की फसल भी न बो सकें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के जो रहवासी हैं, सीमान्त को छोड़ दो, दस-बीस किलोमीटर को छोड़ दो, आज एक एरिया में जो लैंड खाली पड़ी है, उनको दी जाये ताकि वो होटल भी बना सकें, वो अपनी छोटी-मोटी खेती भी कर सकें और मवेशी का पालन भी कर सकें। आदरणीय, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इसका विशेष ध्यान रखा जाये। उद्योग तब ही पनप सकता है, जब उद्योग के अन्दर निकलने वाला रॉ-मैटेरियल कई प्रकार का निकलता है, उसको लगाया जाये। आदरणीय, एक और निवेदन, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कोई भी छोटा क्रेशर लगाता है तो वह पहले माइंस का केवल मैसनरी स्टोन की रॉयल्टी देता है, जब वह क्रेशर में ग्रिट को कम्प्लीट करके वापस बाजार जाता है, तब वहां पर नाके पर होता है कि रॉयल्टी और दो।

एक बार रॉयल्टी दे दी, अब दूसरी बार और ली है, लेकिन कागजी कार्यवाही में एक छोटा-सा क्रशर मालिक पूरा नहीं कर पाता है, मेरा निवेदन है, इसमें सरलीकरण किया जाये। जब एक बार रॉयल्टी लग जाती है, बस में एक बार चढ़ते हैं, टिकट लग गयी, लेकिन उतरने की तो नहीं लगनी चाहिये। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, इस रॉयल्टी में सरलीकरण होना चाहिये। आदरणीय, बहुत सारी अपार सम्भावनाएं हैं, चाहे सीमेंट उद्योग लगाएं, चाहे माइंस का मार्बल उद्योग लगाएं, मार्बल और मैसनरी का जोड़ा है, इसके अन्दर सरलीकरण किया जाये।

आदरणीय, दूसरा निवेदन है, वन और पर्यावरण, मांग संख्या 45 के बारे में एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं। यह निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि फॉरेस्ट खूब सारी आयी है। बहुत सारे पौधे लगाये हैं। उनका पौधा लगाना केवल बरसात पर ही निर्भर करता है। बबूल है, उसको टोटल कहते हैं, क्या कहते हैं, वो लगाते हैं, ताकि इजीली वो उग जाये, जिसमें कांटे भी खूब हों और नीचे छाया में रुक भी आदमी नहीं सकता, क्योंकि कांटे तो गिरे हुए हैं। आदरणीय, मेरा निवेदन है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी जमीन, हम केवल 10 परसेंट के हिस्से में बैठे हैं, 90 परसेंट सिवाय चक लैंड और अलग से ओरण मुंहबोली कही गयी है, लेकिन उसका संरक्षण नहीं है। वह हजारों साल पुरानी खेजड़ी और जाल, गून्दी और इस प्रकार के बोर के वृक्ष हैं बोरड़ी, जिसको यदि संरक्षित किया जाये, मैं फोटो लाकर यदि अभी प्रदर्शनी बताऊं, आपको यह नहीं लगेगा कि यह जैसलमेर कहीं थार रेगिस्तान तो नहीं है, यह तो हरा-भरा है।

आदरणीय मंत्री जी विराजे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सबसे पहले जो भी ओरण है, आप उसका संरक्षण करो। चाहे हजारों साल लग जाएंगे, वे पौधे आपको उतने बड़े नहीं मिलेंगे जो अभी विद्यमान हमारे पूर्वजों ने हमारी उमर से, मेरे परदादा की उमर से पहले के ही बने हुए हैं, उसका संरक्षण जरूरी है, उसकी आप बाउंडरी वॉल बनाओ। उसका संरक्षण करें, उसको रखें। जाल की हजारों बरस उमर है, खेजड़ी की हजारों बरस उमर है, बोरड़ी की भी

हजारों बरस उमर है। आदरणीय, उसका संरक्षण होना चाहिये। उसके साथ-साथ, यह विशेष ध्यान रखा जाये, इतने उद्योग लग रहे हैं, लेकिन जैसलमेर के निवासियों को केवल गार्ड पर रखा जाता है कि आपकी ड्यूटी ओनली फॉर गेट से अन्दर आएं और जाएं, इसकी ड्यूटी सम्भालेंगे।

आदरणीय, अब हमारे लोग भी पढ़-लिख गये, इंजीनियर हैं। छोटा-मोटा सूपरवाइजर का काम कर सकते हैं। कम्पनियों को आदेशित किया जाये कि पहली प्राथमिकता, वहां के रहवासियों को रोजगार मिलना चाहिये, लेकिन किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं। मेरा विशेष निवेदन है, बहुत सारे उद्योग लग रहे हैं, चाहे वह सोलर का लगे, चाहे पवन का लगे...।

श्री सभापति: विराजें माननीय सदस्य।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): लेकिन आदरणीय, जहां भी लगता है, वहां के निवासियों की एक मीटिंग और कमेटी बुलाकर उससे इस प्रकार का सलाह-मशविरा लिया जाये कि पहला रोजगार आपका होगा, आपकी जैसी क्वॉलिफिकेशन, आपकी जैसी शिक्षा होगी, हम वही चाहते हैं।

श्री सभापति: विराजिये प्लीज।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): हम यह नहीं कहते कि हमारे को हायर कुर्सी दे दो। हम चाहते हैं, हमारी जैसी शिक्षा है, उस प्रकार के रोजगार में पहली प्राथमिकता मेरे जैसलमेर वासियों को मिलनी चाहिये।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): दूसरा निवेदन, आदरणीय बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा है।

श्री सभापति: आप मंत्री जी को दे देना।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): मैं निवेदन एक ही करना चाहता हूं, दोनों ही मंत्री महोदय विराजमान हैं, उद्योग की अपार सम्भावनाएं हैं, हम तो प्रदेश के लिए कमा रहे हैं। हमारी जमीन हमारे पूर्वजों ने सीमान्त में रहकर इस पूरे प्रदेश की एक दीवार के रूप में रक्षा की और अब हम चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी हैं, पहला रोजगार हमें दिया जाये। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती रमीला ख़डिया।

श्रीमती रमीला खड़ीया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या - 45, पर्यावरण पर मुझे बोलने का अवसर मिला, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आज मेरा क्षेत्र एक पहाड़ी इलाका है, जिस क्षेत्र से मैं आती हूं, वहां वन ही वन हैं। आज उसके बारे में मैं बात रखना चाहूंगी। वन अधिकार मानव के कानून के तहत कुशलगढ़ व सज्जनगढ़ ब्लॉक की सामुदायिक दावा फाइलें जमा करवायी गईं। कुल जमा फाइलें सामुदायिक वन अधिकार के कुशलगढ़ में 250 फाइलें जमा करवायी गईं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि 250 फाइलों में से मात्र 40 अधिकार पत्र मिले। सज्जनगढ़ में 200 फाइलें

जमा करवायी गईं। उनको मात्र 20 अधिकार पत्र मिले। व्यक्तिगत दावा फाइलें उन्होंने जमा कराईं और ये लोग जो बसे हुए हैं, ये 40 से 45 वर्ष पूर्व से रह रहे हैं।

MKD/RTM/10.03.2025/16:20/3a

जंगलों में रह रहे हैं और इन लोगों को इसका आज तक अधिकार पत्र नहीं मिला।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि मेरे कुशलगढ़ ब्लॉक में 2500 व्यक्तिगत दावा फाइल लगाई गई हैं। जिनको आज तक अधिकार पत्र नहीं मिले, पंचायतों में धूल-मिट्टी खा रही हैं। मेरे लोग, किसान भाई दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, पंचायत में जा रहे हैं, तो पंचायत वाले यह कह रहे हैं कि पंचायत समिति में जाइए, एस डी एम के पास जाइए, उनको सही तरह से जवाब नहीं मिल रहा है।

सज्जनगढ़ ब्लॉक में 1500 व्यक्तिगत फाइलें जमा करवाई गईं। उनका आज तक अता-पता नहीं है। इन लोगों की कई पीढ़ियां गुजर गयीं और मकान बनाकर रह रहे हैं। वहां पेड़ पौधे तो सुरक्षित नहीं हैं। इनकी खड़ी फसल भी वन विभाग वाले, वन अधिकार पत्र देने की बात तो नहीं, उनकी फसल नष्ट करते हैं और उनके मकान भी तोड़े जाते हैं। मैं यह पूरी लिस्ट लेकर आई हूं। आज तक इनके अधिकार पत्र में, सामुदायिक दावा फाइलें 250 दी गईं, उसमें कुशलगढ़ में मात्र 40 अधिकार पत्र मिले हैं और सज्जनगढ़ में 200 जमा कराई गई, उसमें से मात्र 20 मिले हैं। मेरे कुशलगढ़ व सज्जनगढ़ में ऐसे अधिकार पत्र कई सालों से धूल, मिट्टी खा रहे हैं और मेरे लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनकी पीढ़ियां गुजर गयीं, आज तक ऐसे मामले संज्ञान में नहीं लिए गए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग रखती हूं और कहना चाहती हूं, मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। इनकी कमेटी बनाकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में, मैं कुछ गांवों के नाम पढ़ना चाहती हूं, गरथारा, गोवाड़ी, कोटड़ा, खजुरा, भंवरकोट, बागासिया, रामगढ़, कोटड़ी, रसूड़ी, डूंगरबीत, काकनवनी, गलवानी, सापरी, कोटडा, कुंडिया, झोगड़ीमाल, तलाई पाडा, कोठारिया, गुडादरा, भीमपुरा, नागदा बड़ी, सापरी, हथियादल्ली। मैं यह कहना चाहती हूं कि ऐसी बहुत सारी हैं, मेरे पास फाइलें हैं, बहुत लंबी है, अथियादल्ली में लोग कई वर्षों से बैठे हुए हैं, उनकी कम से कम 2000 से 3000 आबादी होगी। पिछली सरकार में इन लोगों को लाइट भी नहीं दी गई थी तो सौर ऊर्जा के माध्यम से सरकार ने उसकी सुविधा की और फिर लाइट उनको मिली।

मंत्री जी, आपसे मैं यह कहना चाहती हूं, इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र में सज्जनगढ़ में 21.11.2024 की बात है। ग्राम पंचायत खूनणीहला, गांव गणेशपुरा में करीब 700 लोग रह रहे हैं। वहां निवास कर रहे हैं, कई पीढ़ियां उनकी गुजर गयी और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा, आपको मैंने फ़ोन भी किया था। मंत्री जी, आपने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया, इनके आने और जाने का एक ही रास्ता है, वहां आज कम से कम 150 से 200 बच्चे गणेशपुरा स्कूल में पढ़ रहे हैं। वन विभाग ने, उनका रास्ता जा रहा है, सामलासर होते हुए,

वन विभाग द्वारा खाई खोदी गई और खाई खोद के इन लोगों का आने-जाने का रास्ता बंद कर दिया गया।

मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि रिप्लाई में इसके बारे में आप जरूर बताये। आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि 150 से 200 बच्चे हैं, उनके भविष्य का सवाल है, वे बच्चे कहां जाएंगे? आप देख सकते हो, गर्भवती महिला ये फोटो, ये खाई। ये छोटे-छोटे बच्चे स्कूल जाते हुए, ये देख लो। मंत्री जी, आप देख सकते हो। इस तरह से आने और जाने के लिए, कई बरसों से मेरे विधान सभा क्षेत्र में ये लोग निवास कर रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे लोग कई बरसों से पीढ़ियों से रह रहे हैं। उनको आज तक पट्टे नहीं दिए गए और जो पट्टे दिए गए, वे भी नहीं के बराबर हैं। आप कमेटी बनाकर, मंत्री जी, आप अच्छे हैं, सिर तो डोला रहे हैं, पर अगली बार जरूर मैं पूछूंगी, आप फ़ोन भी नहीं उठाते हों, कम से कम हम विधायकों का तो फ़ोन उठाओ। विधायक का फ़ोन नहीं उठाओगे, तो जनता का क्या फ़ोन उठाओगे? ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, साहब, हम ऐसे ही फ़ोन नहीं करते है। आपको परेशान करने का काम हम नहीं करते हैं, पर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्रीमती रमीला खड़ीया (कुशलगढ़): आप आपके अधिकारियों को बुलाकर इसकी कमेटी बनाकर जांच करें। जय हिंद। धन्यवाद।

श्री सभापतिः सुश्री नौक्षम।

सुश्री नौक्षम (कामां):

अपने चेहरे से जो ज़ाहिर है, छुपाएं कैसे,
अपने चेहरे से जो ज़ाहिर है, छुपाएं कैसे,
तेरी मर्जी के मुताबिक नज़र आएं कैसे।
लाख तलवारें चलीं आती हैं गर्दन की तरफ,
लाख तलवारें चली आती हैं गर्दन की तरफ,
सिर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे,
तेरी मर्जी के मुताबिक नज़र आएं कैसे।

जूली साहब, आज हमारा सौभाग्य ऐसा है कि हमारे मंत्री भी हमारे पड़ोसी हैं और प्रतिपक्ष के नेता भी हमारे पड़ोसी हैं। कोई बात रखनी होगी, कोई सुलह करानी होगी तो दोनों साथ ही हैं।

आप सभी को ब्रजवासियों की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रमजान का पाक महीना है, उसकी भी हार्दिक मुबारकबाद।

सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 45 व 56 पर बोलने का अवसर दिया है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं। धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहती हूं माननीय मुख्य मंत्री जी का, माननीय उप मुख्य मंत्री सुश्री दिया कुमारी जी का, पहला ग्रीन बजट पेश किया है। जिसमें 27 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि अलोकेटेड की गई है, जिसका 11

प्रतिशत जो है, उसका पहले साल में उपयोग किया जाएगा।

दूसरा, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का एक बार दोबारा धन्यवाद करना चाहती हूं कि राइजिंग राजस्थान, हम लोग सुनते हैं, सुबह से सुन रहे हैं, 20 दिन से सुन रहे हैं, जो सामने बैठे साथी हैं, कोई एमओयू की बात करता है, कोई बात करता है कागज़ी है, कोई बात करता है सोलर एनर्जी पर लग गए, कोई बात कर रहा है कि 80 प्रतिशत तो 10 करोड़ से नीचे लग रहे हैं, कोई बात कर रहा है कि ये तो धरातल पर नहीं आएंगे। एक बात पूछना चाहते हैं, आपने राइज़िंग राजस्थान का जो पूरा संयोजन किया, वह अपने आखिरी वर्ष में किया। आप इसको पहले वर्ष में करते, दूसरे वर्ष में करते तो आपके पास समय था, तकरीबन 2 से 3 साल का, जिसको आप धरातल पर ला सकते थे। हमने पहले वर्ष में इसको इसलिए किया है, क्योंकि अगले 4 साल का हमारे पास एक प्लान है, जिस पर हम काम कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पर काम कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये समझ आता है कि एम ओ यू साइन हुए हैं, 35 लाख करोड़ के एम ओ यू साइन हो गए, उसके आगे क्या होगा? क्योंकि एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ में, इकोनॉमिकल ग्रोथ में, एक समय लिया जाता है, जिसको प्लानिंग, इम्प्लिमेंटेशन और उसके बाद उसको धरातल पर लाने का लिया जाता है। हमने उसको प्लान किया है।

Bhs/Rtm/10.03.25/16.30/3b

हमने इसको पूरा उस तरीके से लिया है कि पूरे देश भर से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर से जो लोग राजस्थान की खूबसूरती को और तहजीब को समझते हैं वह इस स्टेट में आये हैं और उन्होंने यह सोचा है कि हम स्टेट में अपना जितना भी उद्योग है, उसको डवलप कर सकें और आगे जो इस स्टेट की खूबसूरती है, चाहे वह टूरिज्म हो, चाहे वह टेक्निकल इनोवेशन्स में हो, चाहे वह माइनिंग क्षेत्र से आती हो, चाहे वह पत्थर हो, चाहे वह मार्बल हो, चाहे वह साड़ियां हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, उसको हम किस तरीके से इनोवेट कर सकते हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने पिछले बजट में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट को लॉन्च कर के पूरे प्रदेश भर में एक मैसेज दिया है कि राजस्थान के कोने-कोने से जो है, इंडस्ट्री डवलप की जाती है। मैं ब्रज क्षेत्र से आती हूं और मैं यहां पर एक बात रखना चाहती हूं कि कामां जो है एक धार्मिक नगरी है। कामां का जो क्षेत्र है जो ब्रज के क्षेत्र में आता है, ज्यादा नहीं तो 30% ब्रज क्षेत्र कामां का कामां के अंदर आता है और आधा क्षेत्र हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। मैं यहां पर एक बात रखना चाहती हूं कि यह एन.सी.आर. रीज़न से नजदीक था। कामां में जब भी कोई मंत्री रहे, कांग्रेस के समय के मंत्री रहे पर कामां का जिस प्रकार से एक विकास होना चाहिए था, वह विकास नहीं हो पाया। इस वजह से भी नहीं हो पाया, क्योंकि वह एन.सी.आर. रीज़न के करीब होने के कारण 90 किलोमीटर दूर एन.सी.आर. रीज़न पड़ता है तो भी उसका विकास नहीं हो पाया। आज भी वहां पर नेशनल किसी भी ट्रांसपोर्ट की नेशनल कोई भी हाईवे की कनेक्टिविटी नहीं

है।

सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से यह बात रखना चाहती हूं कि हमारे यहां पर रीको का इंडस्ट्रियल एरिया आता है सोनोकर में जो जुरहेड़ा से कामां के बीच में पड़ता है उसका आज तक विकास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर न तो किसी नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी थी, न पानी उपलब्ध था, न बिजली उपलब्ध थी। अब ई.आर.सी.पी. के माध्यम से काम वन को पानी तो मिल रहा है, पर मैं यहां पर एक मांग रखती हूं आपके माध्यम से सरकार के लिए कि जो बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे निकलता है उसको पहाड़ी के माध्यम से जुरहेड़ा तक जोड़ते हुए आगे कामां जाते हुए बरसाना तक जोड़ना चाहिए ताकि ये नेशनल हाईवे आये और यहां पर जितने भी उद्योगपति आसपास हैं जो वहां पर बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट लगाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर जमीन अवेलेबल है पर इस तरीके की जो इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट्स की जरूरत होती है वह वहां पर अवेलेवल नहीं है तो मैं आप के माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि उस क्षेत्र को नेशनल हाईवे से जोड़ा जाए ताकि वहां पर इंडस्ट्रियल डवलपमेंट किया जाये।

सभापति महोदय, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूं, क्योंकि कामां जो है एक धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है, एक ब्रज क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ब्रज में 12 वन पड़ते है, पंचम वन कामां है, इसीलिए उसको काम वन भी कहा जाता है। मैं आप के माध्यम से यह भी एक बात रखना चाहती हूं कि हमारा आदि पौराणिक जो क्षेत्र है, हमारा आदि वृंदावन के नाम से जो काम वन जाना जाता है, उसकी पहचान काम वन है तो कामां का नाम बदल कर काम वन किया जाये क्योंकि यहां पर कदम्ब वृक्षों की बहुत बड़ी तदाद होती थी, जिसकी वजह से जो उसको कदम्ब वन कहते थे, फिर उसको काम वन कहते थे, अब उसे कामां कहते हैं पर हमारी पहचान काम वन है, उसको लौटाया जाये। आदि वृंदावन के नाम से जाना जाता है उसको लौटाया जाए पर यहां पर जब कांग्रेस का राज़ था तो उसके एक क्षेत्र में भारी खनन होता है जिसकी वजह से जितना क्रेशर ज़ोन है भारी अवैध मात्रा में लीज चलती हैं, अवैध खनन किया जाता है। आज से 3 साल पहले हमारे कुछ साधु-संतों ने वहां पर आंदोलन किया था कि ब्रज की नगरी में जो वहां पर संरक्षित पर्वत हैं, संरक्षित वन है उन पर अतिक्रमण करके उन पर ही वहां पर माइनिंग हो रही है, आज भी वह चालू है।

सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि जो हमारे बाबा विजय दास जिन्होंने आत्मदाह किया था उनको याद करते हुए इस सदन में मैं एक बात रखना चाहती हूं कि जो अवैध खनन वहां चल रहा है उसको बंद किया जाये। अवैध दृष्टिकोण से जो काम, वन का सौंदर्यीकरण है, जो ब्रज क्षेत्र का सौंदर्यीकरण है, उसको वहां पर रोक लगाई जाए और जितने यहां पर ओवरलोड वाहन चलते हैं, उससे प्रदूषण होता है, ब्लास्टिंग होती है, उससे प्रदूषण होता है, अवैध खनन चल रहा है, उससे प्रदूषण होता है तो मेरी आपसे एक मांग है सरकार के माध्यम से कि इसमें माइनिंग विभाग, इसमें प्रदूषण विभाग जो

एन.ओ.सी. जारी करता है परंतु उसको चेक करने नहीं जाता और साथ-साथ इसमें वन विभाग की एक पूरी टीम गठित करके वहां जो अवैध तरीके से चल रहा है उसको रोका जाए और यह जो संरक्षण हमारा ब्रज क्षेत्र का होना चाहिए उस पर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहती हूं।

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहती हूं उद्योग मंत्री जी से कि हमारे यहां पर यह पर्यटन इतना बड़ा ब्रज स्थल है, इतनी बड़ी धार्मिक नगरी है, यहां पर इतने पौराणिक मंदिर देखे जाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि उन्हें आप डवलपमेंटल एरियाज़ में लें, चाहे आप उसको बॉम्बे जो हमारा दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल ज़ोन बन रहा है, चाहे आप ब्रज क्षेत्र को उससे जोड़िये, जितने वहां पर मंदिर हैं उनको डवलप कीजिये, ताकि वहां पर उद्योग बढ़े, वहां से पर्यटन, वहां पर जो पर्यटक आयें वो कामां की नगरी को समझ सकें और वहां से आसपास के लोगों को रोजगार मिले। इतना अपराध इसीलिए उस क्षेत्र में है, क्योंकि रोजगार की कमी है।

सभापति महोदय, एक बात और रखना चाहती हूं क्योंकि बहुत बड़ा खनन का क्षेत्र है, बहुत बड़ा ब्रज का क्षेत्र है जो हमारे रॉयल्टी के ठेके दिए जाते हैं, मैं आप के माध्यम से इसको उद्योग से जोड़ते हुए एक बात रखना चाहती हूं कि इसको सरकार को लेना चाहिए। हम जो प्राइवेट ग्रुप्स को देते हैं, 49.50 रुपये सरकार का रेट है, उनसे रॉयल्टी लेती है और जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं वह उसको 80 रुपये टन के हिसाब से ले रहे हैं, तो मैं इसका विरोध करते हुए आपके समक्ष रखती हूं कि इसको सरकार को अपने माध्यम से चलाना चाहिए ताकि जितना भी वहां पर उद्योग हो और जितनी भी वहां पर इनकम हो, वह रेगुलरली गवर्नमेंट के हित में आये और उनसे जो आसपास के एरियाज हैं, जितने भी खनन के आसपास के एरियाज है जो ब्लास्टिंग की वजह से, आसपास खनन की वजह से ओवर यूज़ होने की वजह से खराब हो रहे हैं उनको आपका एक जोनर मिले, आपकी प्रोडक्टिविटी मिले, आपकी इंडस्ट्रियल हेल्प मिले और इसी माध्यम से मैं एक बात और रखना चाहती हूं कि हम जो अपने मंदिरों का संरक्षण करें, वहां पर 84 कुंड आते हैं, 84 कुंड का संरक्षण किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं हमारे माननीय वन मंत्री बैठे हैं, संजय जी हमारे पड़ोसी भी हैं उनसे भी कहना चाहती हूं कि इसको एक बार आप गंभीरता से लीजिये। ...(व्यवधान)... आप सुन लीजिये जूली जी, आप भी बैठे हैं।

श्री सभापतिः समाप्त करें।

सुश्री नौक्षम (कामां): इनको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह सबसे बड़ा वहां पर रोजगार का माध्यम मिलेगा और जो साइबर क्राइम जैसे बड़े अपराध हैं, उनसे हमें निजात मिलेगी। मैं आप के माध्यम से इन बातों को रखना चाहती हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़)।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): धन्यवाद सभापति महोदय, मांग संख्या 56 - उद्योग और मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यह बहुत बड़ी एक विडंबना है कि एक तरफ अपन राइज़िंग राजस्थान के नाम से, और नाम से बड़े उद्योगपतियों को बुला रहे हैं कि प्रदेश में उद्योग लगे, लोगों को रोजगार मिले, सरकार को राजस्व मिले पर वहीं दूसरी तरफ जो अपने छोटे-मोटे, अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग उद्योग-धंधे हैं, हर एरिया में अलग-अलग हर जिलों के हिसाब से बहुत से ऐसे हैं जो सीमित एरिया में चाहे कोटा में कोटा स्टोन की बात हो, चाहे कहीं मिनरल्स की बात हो, कहीं ज्वैलरी की बात हो, कहीं बर्तनो की दस्तकारी की बात हो, कहीं कांच पर दस्तकारी की बात होती है, कहीं क्रेशर उद्योग है, कहीं सैंड स्टोन का है, अलग- अलग एरिया में अलग-अलग हैं उनको हम प्रोत्साहन नहीं दे पा रहे हैं।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की मैं सीधी बात करूं तो वहां दो उद्योग हैं जहां लोगों को बहुत बड़ा रोजगार मिला हुआ है, एक रँगाई-छपाई का, जिसमें हजारों की संख्या में लोग लगे हुए हैं और उनको रोजगार प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है, सब स्थानीय लोगों को वहां रोजगार मिलता है और दूसरा तिरपाल उद्योग जिसकी पूरे देश में सबसे बड़ी मंडी सुजानगढ़ में है जहां तिरपाल का प्रोसेस किया जाता है और पूरे देश में उसको भेजा जाता है। जितनी भी पानी की डिग्गियां खेतों में बनती है, उसका तिरपाल सुजानगढ़ से ही बन कर जाता पर विडम्बना है कि जो उद्योग इतना राजस्व दे रहा है वहां पर उसके लिए सरकार की तरफ से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है न उनके लिए कोई अलग से स्थान है, न उनको कोई सरकार से सहायता मिल पाती है। इसलिए मेरी मंत्री जी से मांग है कि एक अलग रीको एरिया काटा जाए, क्योंकि सुजानगढ़ में जो रीको कटा था वह आज से 40 साल पहले काटा गया था, उसके बाद में नया रीको एरिया आगे बढ़ाया नहीं गया आज तक तो एक अलग रीको एरिया काटा जाए जहां एक यूनिट, एक ज़ोन रंगाई-छपाई उद्योग के लिए आरक्षित हो और दूसरा इस तिरपाल उद्योग के लिए अलग से एक ज़ोन बने, ताकि वहां लोग जो सकड़े स्थानों पर कर रहे हैं वह अपना वहां रोजगार शिफ्ट कर सके।

Kas/rtm/10.03.2025/16.40/3c

वहां अपना उद्योग शिफ्ट कर सकें और लोगों को रोजगार और अधिक मिल सके, और ज्यादा उद्योग पनप सके, पर इसके लिये जरूरी है कि उनको प्रोत्साहन दिया जाये। अभी जहां वो काम कर रहे हैं, उनको काम करने दिया जाये, उनको बार-बार परेशान नहीं किया जाये, क्योंकि उनको प्रशासन के द्वारा लगातार परेशान किया जाता है कि आपकी इकाइयां शहर के पास हैं, अगर अपन उनको स्थान उपलब्ध नहीं करायेंगे तो वो जायेंगे कहां? अगर अपन उनको व्यवस्था नहीं देंगे तो वो कैसे करेंगे, इसलिए अपनी जिम्मेदारी है कि अगर अपन बाहर से उद्योगधंधों को ला रहे हैं, तो स्थानीय उद्योगों की भी अपन व्यवस्था करें, उनको भी आगे बढ़ाने का काम करें।

दूसरा, उद्योगों के लिये अपन सिंगल विंडो की बात करते हैं। सिंगल विंडों के माध्यम से आवेदन तो हो जाता है, उसके बाद उसको कितनी विंडो पर जाना पड़ता है, कितने कमरों में जाना पड़ता है, यह अपन लोग समझ सकते हैं। इसको कहीं न कहीं देखना पड़ेगा और सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। एक जगह से उसको जवाब मिल सके, जहां से फाइल चलती है, वो वहां से आगे पूरी प्रोसेस हो सके और जो आप उससे कमिटमेंट कर रहे हैं, उस कमिटमेंट के हिसाब से अपन उसको सुविधा दे सकें।

वन और पर्यावरण में, राजस्थान में वन की दृष्टि से देखें तो अपन बहुत पिछड़े हुए हैं। मेरे जिले की बात करें, तो शायद सबसे पीछे हम लोग होंगे। वैसे 1/3 क्षेत्र में वन होना चाहिये, पर हमारे जिले में सिर्फ 0.06 परसेंट है। इसके लिये भौगोलिक परिस्थितियां बहुत बड़ी जिम्मेदार हैं। वो मरुस्थलीय क्षेत्र है, शुरू से ही वहां पानी का अभाव रहा, वन पनपते नहीं। थोड़े बहुत लगे हुए हैं, विशेष तौर से खेजड़ी के पेड़ सबसे ज्यादा हैं। अभी जो सोलर वाला कांसेप्ट आया है, सही बात है कि बिजली की जरूरत है, उसकी सोलर से पूर्ति हो सकती है, लेकिन उसके नाम पर जो खेजड़ी को काटा जा रहा है, उसको कहीं न कहीं अपन को देखना पड़ेगा। अखबारों में भी लगातार आ रहा है कि सोलर प्लांट लगाने के लिये कंपनियां साइट पर काट रही हैं खेजड़ी के पेड़। अभी मेरे क्षेत्र में एक वाकया आया, एक काश्तकार और एक कंपनी के बीच में समझौता हो गया कि वो अपनी जमीन उसको देगा और वो वहां पर सोलर प्लांट लगायेगा। जब वो सोलर प्लांट लगाने आया तो सबसे पहले उसने खेजड़ी के पेड़ों को काटना शुरू किया, तो काश्तकार ने उसे तुरंत रोक दिया कि मैं पेड़ नहीं काटने दूंगा। दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, एक बार काम रुक भी गया। उसके बाद उसने ऑफर दे दिया कि खेजड़ी के जितने पेड़ हैं, उसके पैसे ले लो। इस पर काश्तकार भी लगभग राज़ी हो गया। लेकिन उन दोनों के बीच में तो समझौता हो गया, पर इससे नुकसान किसको हुआ, यह देखने की बात है। उसने पैसे दे दिये, उसके पेड़ कट गये, उसको पैसा मिल गया और उसका सोलर प्लांट लग गया, लेकिन जो पेड़ कट गये, उसकी भरपाई कहां से होगी? हमें कंपनियों को पाबंद करना पड़ेगा कि जितने भी पेड़ काटे जाये, उससे कम से कम 10 गुना, 50 गुना पेड़ आप वहां लगाओगे, तब उसमें से थोड़े बहुत रहेंगे और उसकी पूर्ति हो पायेगी। अपन जानते हैं कितने पेड़ लगते हैं। आज हर वर्ष वन विभाग करोड़ों पेड़ लगाने का दावा करता है। पंचायतों के माध्यम से करोड़ों पेड़ लगाये जा रहे हैं। एक-एक पंचायत में लाख-लाख पेड़ लगाने की बात होती है, पर मौके पर वो पेड़ जा कहां रहे हैं? यह सिस्टम भी हमको देखना पड़ेगा कि इतना पैसा लगा कर बरसात के मौसम में अभियान चलाते हैं, चाहे हरियालो राजस्थान हो या और एक पेड़ मां के नाम, अलग-अलग नाम अपन अभियान चलाते हैं। कागजों में करोड़ों पेड़ लगते हैं। हर तहसील में हम डाटा मांगते हैं कि इस बार लाख पेड़ लगे हैं, पर मौके पर पेड़ नाम मात्र के दो चार परसेंट भी नहीं मिलते। जितना सरकार व्यय करती है, उतने पेड़ लगते नहीं। लगते हैं तो उनका रख-रखाव नहीं होता। पंचायतें सिर्फ एक बार पैसा उठाने के लिये पेड़ लगा देती हैं या वन विभाग या जो भी

ऐजेंसी उनको लगाती है और उसके बाद उसको देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए पेड़ चाहे कम लगाओ, पर जितने लगाओ तो उसके पानी का पूरा प्रबंध हो,तभी वो पेड़ रह पायेगा। अपन जानते हैं राजस्थान में सर्दियों में माइनस में टेम्प्रेचर चला जाता है और पेड़ सूख जाता है या गर्मी में जब टेम्प्रेचर 45-50 डिग्री पर चला जाता है तो गर्मी से सूख जाता है।

उद्योग की बात आई, मैंने इसी सत्र में एक प्रश्न लगाया था कि रीको की जमीन में होटल बना सकते हैं या नहीं बना सकते। उन्होंने कहा कि नहीं बना सकते। उसका कारण उन्होंने दिया भू नियम 1979 (20) सी के तहत रीको औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूखण्ड का उपयोग एक अनुबंध उपयोग से दूसरे उपयोग में लिये जाने हेतु भू उपयोग परिवर्तन किये जाने का प्रावधान है। 20 सी में प्रावधान बताया गया है, परंतु इस पर 2019 में रोक लग गई और उसके बाद कहा कि नया सर्कुलर आयेगा, न आज तक नया सर्कुलर आया और न व रोक हटी।

श्री सभापतिः श्री देवी सिंह शेखावत।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): पांच साल से ऊपर हो गये, चार साल हमारी सरकार के चले गये, सवा साल इस सरकार को हो गया।

श्री सभापतिः विराजिए माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): 000

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 45 और मांग संख्या 56 पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज की परिस्थितियों को देखते हुए पूरे विश्व के ग्लोबल चेंज को देखते हुए वन और पर्यावरण बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट हो गया है। हमारे राजस्थान में 33,014 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र वन क्षेत्र है और हमारे भौगोलिक क्षेत्र का 9.64 प्रतिशत भाग फोरेस्ट है। इसमें आरक्षित वन भी है, रक्षित वन भी है और अवर्गीकृत वन भी है। 2023-24 की वन नीति में वन क्षेत्र से बाहर चार करोड़ पौधे तैयार करके लगाने का सरकार का इरादा है। पिछले साल भी हमारे प्रधान मंत्री जी के आह्वान पर राजस्थान में 'हरियालो राजस्थान' मनाया गया और लगभग 10 करोड़ पेड़ हमारे यहां लगाये गये।

माननीय सभापति महोदय, हमारे वन मंत्री जो हमारे अलवर से ही आते हैं, इन्होंने भी एक पेड़ रोज लगाने का संकल्प ले रखा है। पिछले साल हम सबने देखा कि जहां पूरे राजस्थान में 1-2 जगह 50 डिग्री टेम्प्रेचर होता था, उसकी जगह दसियों जगह 50 डिग्री से ऊपर टेम्प्रेचर चला गया और वो कंटीन्यू बना रहा। जो लोग खेतों में काम करते हैं, कठिन परिश्रम का काम करते हैं, वो भी बिजली के अभाव में बड़े परेशान हो गये और बिजली की खपत में गर्मी के मौसम में 33 परसेंट बढ़ गई। बिजली की कमी आई और जो बिजली उद्योग और अन्य क्षेत्रों में काम आती है, उससे भी ज्यादा उसकी डिमांड घर के लिये घरेलू बिजली में बढ़ गई। माननीय, वर्तमान में हमारा अलवर जिला काफी फोरेस्ट एरिया को कवर करता है। अरावली पर्वतमाला से आच्छादित है, लेकिन फोरेस्ट, माइनिंग और रेवेन्यू, इन

विभागों का समन्वय नहीं होने के कारण यह विभाग अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाते।

Msk/Rtm/10.03.25/1650/3d

कई जगह वन विभाग की बहुत सामान्य-सी अड़चनें होती हैं और जिसके लिए सरकारों में नियम भी हैं कि विभिन्न पोर्टल के माध्यम से आवेदन करके कुछ राशि जमा कराकर हम रास्ते निकाल सकते हैं। लेकिन वन विभाग एक ऐसा विभाग है कि इसका महत्व देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी डिपार्टमेंट सपोर्ट करते हैं। चाहे रेवेन्यू, चाहे माइनिंग, ये सब डिपार्टमेंट इसका नाम आते ही पीछे हो जाते हैं। फोरेस्ट डिपार्टमेंट जहां भी जाकर खड़ा हो गया, उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाता है। मेरे यहां रामपुर एक क्षेत्र है, बड़ा कस्बा है, पहले लेकड़ी उससे जुड़ा हुआ गांव था, जो चार किलोमीटर की दूरी पर था और उसमें 21 मीटर का वन क्षेत्र लगता है। मैं वन मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसमें जो भी अड़चन आये, वह दूर करायें। मैं अपने विधायक कोटे में इसकी प्राथमिकता रखते हुए, जो भी वन के चार्जेज जमा होंगे, वह जमा करायेंगे और सड़क बनायेंगे ताकि जो दो गांवों के बीच की दूरी पहले चार किलोमीटर थी, जब ऊंट का जमाना था, बैलगाड़ी का जमाना था, वह दूरी आज 20 किलोमीटर की हो गयी है। पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी अच्छी हो जायेगी और क्षेत्र को बहुत फायदा होगा।

दूसरा मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में मांडव ऋषि की तपो भूमि मुण्डावरा है और वहां की समस्या एक अलग तरह की है। वहां 500 साल से भी पुराने जो श्मशान हैं, वहां पर वन विभाग जाकर कई बार लोगों को रोक देता है कि यह फोरेस्ट की जगह है और आप इसे श्मशान में काम में नहीं ले सकते। उससे बड़ी अड़चन पैदा हो जाती है, सैटलमेंट आता है, रेवेन्यू आता है, लेकिन वे अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाते, वन विभाग के पास भी ऐसा कोई साधन नहीं है, जिससे वे बता सकें कि हमारी यहां तक जगह है। वे बस यह डाल देते हैं कि यह नहीं, नहीं, यह हमारा है। उससे वहां के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि रेवेन्यू और फोरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर उस जगह को मुक्त करे और चाहे सरकार की जो सिवाय चक भूमि होती है, उससे लेकर उस श्मशान भूमि को फ्री करे। तालवृक्ष जो कि एक प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल है, वहां गंगा माता का मन्दिर है। एक पौराणिक शिव मन्दिर है, जहां 5 फुट लंबा शिवलिंग है। कहा जाता है कि वह महाभारत कालीन है। वहां हमारे प्राचीन गोवंश को बचाते हुए जिन लोगों ने बलिदान दे दिया, उनकी छतरियां बनी हुई हैं। वहां पर गर्म और ठण्डे पानी के कुण्ड हैं, एक सामान्य कुण्ड है और वहां पर ताड़ के बहुत बड़े वृक्ष हैं। मंत्री जी पधार चुके हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां बड़ी संख्या में हमारी महिलाएं धार्मिक आस्था के साथ आती हैं, लेकिन फोरेस्ट एरिया होने के कारण वहां कोई टॉयलेट की सुविधा नहीं है, क्योंकि कोई एक ईंट भी नहीं रख सकता और महिलाओं को बड़ी असुविधा का सामना करना होता है। हमारे प्रधान मंत्री जी स्वयं स्वच्छता का आग्रह करते हैं और लोगों में बड़ी चेतना भी है। ऐसी स्थिति में चाहे

हमारा वन क्षेत्र हो, लेकिन वहां टॉयलेट नहीं होना एक बड़ी गंभीर समस्या है। वहां चाहे, पाण्डुपोल जी का मन्दिर हो, वह भी वन क्षेत्र में आता है। भर्तृहरि जी का भी वन क्षेत्र में आता है। नीलकण्ठ महादेव है, वह भी वन क्षेत्र में आता है। हमारा वहां चारों तरफ अरावली पर्वतमालाओं से घिरा होने के कारण वन क्षेत्र है।

वन क्षेत्र होने के कारण जो छोटे-मोटे उद्योग हैं, उसमें कई पहाड़ियां जो कि पहले सरिस्का में सम्मिलित नहीं थीं, उनको नये रूप से सरिस्का में सम्मिलित कर लिया और अभी एक नियम आया कि एक किलोमीटर के दायरे में जो भी क्रेशर चलते हैं, माइनिंग चलती हैं, उनको बन्द कर दिया जाये। मेरी वन मंत्री जी से भी यह मांग है कि जो पूर्व में सरकारों ने अलॉट की हैं और यह बताया है कि यह तीन किलोमीटर दूर है, उसी को मापदण्ड रखना चाहिए। नयी पहाड़ी जोड़कर हमें उद्योग बन्द नहीं कराने चाहिए। यह भी एक अलग तरह की परेशानी है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अभी मैं एक ही मांग पर पूरा नहीं बोल पाया हूं। हमारे यहां मुण्डावरा से गुणी, मुण्डावरा से कटी घाटी है, मुण्डावरा से नटणी का बाड़ा वहां तक एलिवेटेड रोड बने, तो वहां का वन्य भी, हमारी जो जैव विविधता है, वह भी संरक्षित रहेगी। हमारा वन संरक्षण होने से अभी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जंगली बबूल की बहुत बड़ी समस्या है। तालवृक्ष में गुणी वाला हनुमान मन्दिर प्रसिद्ध है। तालवृक्ष स्वयं में एक प्रसिद्ध जगह है, गंगा माता मन्दिर वगैरह हैं। गुणी वाले हनुमान जी के जाने वाले तालवृक्ष आते हैं और वह एक किलोमीटर का टुकड़ा है, वह कच्चा है। आप वन क्षेत्र से अनुमति दिलायें, ताकि हम उसको पक्का कराकर वहां आने वाले धार्मिक यात्रियों के लिए सुविधा कर पायें। माननीय, उद्योग को लेकर मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने किसान कल्याण निधि बना रखी है, वैसे ही हम उद्योग कल्याण निधि बनायेंगे। 10 करोड़ तक के ऋण, क्योंकि जो नये बच्चे आते हैं, वे परिश्रमी भी हैं, बौद्धिक भी हैं और स्किल से डवलप भी हैं। उनको अनुभवी और जमे लोगों का मुकाबला करना पड़ता है। इसके लिए उन्हें 10 करोड़ रुपये तक की राशि कम से कम पांच साल तक के लिए ब्याज मुक्त देनी चाहिए। मैं किशनगढ़ में रहा, वहां मैंने उद्योग में अपना करियर चालू किया। वहां बड़ी संभावना है, विदेशी मार्बल का काम है, देशी मार्बल का काम है। ग्रेनाइट माइनिंग भी है, प्रोसेसिंग भी है। सबसे बड़ी मण्डी है। अगर वहां सीएनजी और पीएनजी गैस आ जाती है, हमारे पास रॉ-मैटेरियल है तो उस क्षेत्र का बड़ा विकास होगा और राजस्थान के विकास में उसका बड़ा सहयोग रहेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरे कांग्रेसी मित्र, आप बिल्कुल शंका नहीं करें, देश बड़ा प्रगति की तरफ जा रहा है। तीन लाख करोड़ के एम ओ यू धरातल पर आ चुके हैं।

श्री सभापति: श्री जाकिर हुसैन गैसावत।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग 56 - उद्योग, मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी का और हमारे मुख्य सचेतक जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं

अपनी बात शुरू करने से पहले एक शेर बोलना चाहता हूं-

वज़न का बोल है, लब्जे अजान बसता है,
हमारी रूह में हिन्दुस्तान बसता है।
गंगा-जमुना तहजीब की नगरी मकराना,
जिसके मार्बल और भाईचारे को दुनिया सलाम करती है।।
यहां के एक मन्दिर और सिंहासन,
कलश व मूर्ति पर मुसलिम कारीगरी करते हैं।
वहीं दूसरी ओर मस्जिदों के मीनार,
हिंदू कारीगर काम करते नजर आते हैं।।

वहां गंगा-जमुनी तहजीब है तो खाली मकराना विधान सभा में है। सदियों से मकराना मार्बल अपनी खूबसूरती के लिए विशेष प्रसिद्ध है। मकराना मार्बल से बना सातवां अजूबा ताजमहल। हाल ही में अयोध्या के राम मन्दिर का निर्माण मकराना मार्बल से हुआ है। देश-विदेश के जितने मन्दिर बने हैं, वे सब के सब मकराना मार्बल से बनते हैं। जो कोई भी भगवान की मूर्ति होती है, वह मकराना मार्बल की मूर्ति होती है। हमारे देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने राइजिंग इंडिया कार्यक्रम में कहा कि मकराना मार्बल की तारीफ की जाये, उतनी कम है। क्योंकि मकराना मार्बल से अयोध्या मन्दिर बना था।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जूली साहब को कहें, थोड़ी ये भी कर दें।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): मैं कह रहा हूं ना। प्रधान मंत्री जी ने जो सराहना की है, मैं आपको उस लाइन पर लाना चाहता हूं। वे मकराना को बचाना चाहते हैं, सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। इसलिए जोगाराम जी, मैं यह बात कह रहा हूं कि मकराना मार्बल दुनिया में विश्व प्रसिद्ध मार्बल है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान के अन्दर सबसे बड़ा माइनिंग का काम है। साढ़े सात हजार करोड़ की इनकम है, लेकिन विधान सभा में डिमांड के अन्दर माइनिंग का सब्जेक्ट नहीं लेते हैं। पिछली साल नहीं लिया, अभी भी नहीं लिया। तो मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे मकराना में मार्बल का काम है तो उद्योग है, वरना वहां उद्योग का कोई मतलब नहीं है।

मैं आपके माध्यम से खनिज विभाग की मेरे जो डिमांड है, उसे वहां तक पहुंचायें। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मकराना की खानें बहुत पुरानी खानें हैं1 300-400 साल पुरानी है, जब ताजमहल, विक्टोरिया बना था, देख लो कब था। तब से लेकर आज तक की जो छोटी खाने हैं। माननीय सभापति महोदय, मकराना की खानों के लिए अलग से नीति बनायी जाये, क्योंकि जो दूसरी खानें अलॉट होती हैं, वे 100 मीटर बाई 100 मीटर की होती हैं। हमारी 40 फीट, 30 फीट, 100 फीट की छोटी खाने हैं और वर्षों से भाई-बंटवारे में छोटी होती जाती हैं। उसके लिए अलग से पॉलिसी बनायें, क्योंकि एमएमसीआर के हिसाब से हमें खनन करने में दिक्कत हुई है। बड़ी मांग तो यह है।

mdp/rtm/10.03.25/17:00/3e

दूसरी मांग मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी पूर्ववर्ती अशोक गहलोत जी की सरकार ने 16/08/22 को आरएमएमसीआर, 2017 संशोधन किया था नियम 8 के तहत, स्टेप ऑफ लैंड लागू किया था। वह इसलिए था कि जिन खानों के सामने सरकारी भूमि है या खानधारक की भूमि है, वह अपना चौड़ान 15 गुना ज्यादा जमा करा कर अपना चौड़ान बढ़ा सकता है। लेकिन आपकी बीजेपी सरकार ने 3 जनवरी, 2025 को ये समाप्त कर दिया और इसको लागू करने से मना कर दिया। चूंकि हमारी खानों में 90 डिग्री की माइनिंग नहीं होती है, 60 डिग्री की माइनिंग, आड़ी माइनिंग होती है, उसकी वजह से आगे चौड़ान बढ़ेगा तो उसकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से खान मालिकों को खान में सुरक्षित मिलेगा। दूसरा, यह था कि 2025 से 2040 तक की खानों की अवधि बढ़ा दी गयी है, लेकिन माइनिंग विभाग वाले अधिकारी, यह मार्च का महीना है 31 मार्च तक, अभी तक उसमें कोई काम नहीं कर रहे हैं। दो साल पहले ये नियम बना था 2040 तक अवधि बढ़ाने का। दो साल तक माइनिंग वालों ने काम नहीं किया। उसके अन्दर भी गति लाने के लिए आप बोलिए।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि रॉयल्टी का मामला मकराना का एक अलग से मामला है। रॉयल्टी का मामला यह है कि पूरे प्रदेश में रॉयल्टी ब्लॉक में लगती है और मकराना में तैयार माल पर रॉयल्टी लगती है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति हमारे खानों की, वहां के हिसाब से अलग रॉयल्टी नहीं लगती है। हमारे तैयार माल की रॉयल्टी 500 रुपये लेते हैं और ब्लॉक की रॉयल्टी 300 रुपये। 30 परसेंट वेस्टेज मानते हुए, मतलब ब्लॉक को प्रोसीज़र में लाने के लिए, जैसे पाटिया चीर रहे हैं, कोई ब्लॉक का शेप बना रहे हैं, 30 परसेंट के हिसाब से 496 रुपये रॉयल्टी होती हैं, ये 500 रुपये रॉयल्टी ले रहे हैं, वह बेवजह ले रहे हैं। 105 रुपये ज्यादा है और वह 30 परसेंट वेस्टेज रॉयल्टी के अंदर जो रॉयल्टी लेते हैं, 145 रुपये खंडे की रॉयल्टी, 120 रुपये पाउडर की रॉयल्टी, 100 रुपये करेजी की रॉयल्टी, 110 रुपये चिप्स की रॉयल्टी और 35 रुपये चेजा पत्थर की रॉयल्टी, ये 30 परसेंट वेस्टेज के अंदर आप पहले से 500 ले रहे हैं, 400 की जगह और ये अलग से ले रहे हैं। मंत्री जी, इसके अंदर भी आप जांच कमेटी बना कर इसको कराइए। ये दोहरी मार हमारे मकराने के अंदर हो रही है।

दूसरा, ये रॉयल्टी हमारे ठेके पर है। ठेके पर, मैंने कई बार ध्यानाकर्षण भी लगाया, उत्तर नहीं आता, जवाब बराबर नहीं आता। एक ट्रक के ऊपर एक टन का फर्क रॉयल्टी के अंदर आ रहा है। एक टन का फर्क आता है तो एक टन के अन्दर 600 रुपये, 500 रुपये वह लेता है। खाली रॉयल्टी वाला तो 500 ले रहा है, लेकिन जो माल जाता है, जैसे बैंगलोर गया, बॉम्बे गया, उसके ट्रक का ट्रक किराया ज्यादा लगता है। वह माल वहां तौलता है तो एक टन वजन कम आता है। उसको लेकर ट्रक वाले के और उसके विवाद होता है तो इसका भी वह कम करें। पैकिंग में भी उसको कम किया जाए। मैं अभी उद्योग में भी आऊंगा आपके पास में। एक मकराना में रेलवे ट्रैक बहुत पुराना इश्यू था। उसके नीचे रेलवे लाइन थी वह रेलवे लाइन डायवर्जन हो गयी है। उसके नीचे की भूमि में अतिक्रमी लोगों ने कब्जा कर रखा

है, जो खान विभाग के नाम है। उस जमीन को भी आप फ्री करायें।

माननीय उद्योग मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा मकराना इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां रीको आज तक नहीं है। वहां रीको खोलने की घोषणा करें। मैंने पहले भी कहा था रीको खोलो। मकराना बाइपास कालवाड़ा रोड है, वहां रीको आप खोलेंगे तो जमीन भी खूब पड़ी है। वहां आप रीको खोलिए। दूसरा था कि मकराना मार्बल से तैयार होने वाले हैंडीक्राफ्ट आइटम को लघु उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करायें, क्योंकि वहां बहुत बड़े कलाकार लोग-बाग़ हैं। छोटे-छोटे मार्बल निकलते हैं। यदि छोटे लघु उद्योग खुलेंगे, उनको ऋण मिलना चाहिए। एक ये सीडोस, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टोन के द्वारा लघु उद्योग के तहत मकराना वेस्ट मार्बल में 99 परसेंट कैल्शियम होता है। उससे कॉस्मेटिक उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, पेंट उद्योग, केमिकल विस्तार के लिए एक योजना होनी चाहिए, क्योंकि 99 परसेंट मकाराना मार्बल में कैल्शियम होता है जो आज कुर्सियां बनती हैं, जो मेडिकल के अन्दर काम आते हैं, वह उस पोर्टर से काम आते है उसके लिए आप योजना बनाएंगे तो हमारा वेस्टेज काम आएगा और वहां लोगों को रोजगार मिलेगा। जो मकराना मंदी की ओर बढ़ रहा है, मार्बल की अलग से एक नीति बनाएंगे तो इसके अन्दर मकराना जीवित रहेगा।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय सभापति महोदय, हमारे उद्योग मंत्री जी को कहना चाहता हूं, क्योंकि खनिज का तो लिया नहीं, खनिज का तो इसलिए नहीं लिया, क्योंकि खनिज का लेंगे तो किरोड़ी मीणा जी का मामला उठेगा। 7 करोड़ की रोज बजरी चोरी हो रही है। यहां पर शोर-शराबा होगा। मेरी मांग आप तक पहुंचाना है, आप खनिज विभाग तक पहुंचाएं। धन्यवाद।

श्री सभापतिः डा. ऋतु बनावत।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मांग 56 और 45 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। अभी वर्तमान का जो युग है, उसमें हमें इंडस्ट्रियल डवलपमेंट के साथ-साथ वन और पर्यावरण के विषय में भी सोचना है। दोनों में संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ना है। मैं यह कहना चाहूंगी की रिसर्च और डवलपमेंट पॉलिसी उद्योगों के संदर्भ में बनाई जानी चाहिए कि किस जगह किस प्रॉडक्ट की उपलब्धता है, उपयोगिता है, कैसे उसमें डिमांड और सप्लाई की बात हम करते हैं और साथ ही अभी बहुत सारे साथी विधायकों ने कहा कि हमें लैंड, एनर्जी, वाटर, कनेक्टिविटी की आवश्यकता जो है, उस पर विचार करके इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए।

साथ ही, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि रॉ मैटेरियल की उपलब्धता कहां पर कैसी है? ये भी हमें सोचना होगा, तभी हम निवेश को पूरी तरह से बढ़ा पाएंगे। साथ ही, ये भी कहूँगी की कोई भी प्रॉडक्ट है, उसकी सेल करने के लिए जो कनेक्टिविटी के साधन हैं, रोड्स हैं, रोड के साथ-साथ परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए और

साथ ही ये कहूंगी कि जब तक टैक्स में छूट व्यापरियों को नहीं मिलेगी, तब तक व्यापार को व्यापार को बढ़ाया जाना संभव नहीं है। एक औद्योगिक वातावरण बनाने की जो बात कही है, कई विधायकों ने कहा कि फ्रेंडली एन्वायरनमेंट बनाया जाना चाहिए, मेरा कहना यह है की फ्रेंडली एन्वायरनमेंट इंडस्ट्री के लिए बनाने के लिए हम सबकी सहभागिता भी बहुत जरूरी है। कई बार जन-प्रतिनिधि भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में रोड़ा हो जाते हैं। वह नहीं होना चाहिए। सरकार और जनता को रोजगार के साधन बढ़े, इसके लिए इंडस्ट्रियल डवलपमेंट बहुत जरूरी है।

मैं यह कहना चाहती हूँ कि राजस्थान में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारा पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल का परिणाम हमने देखा कि राइजिंग राजस्थान में बहुत सारे एएमओयू हुए और धीरे-धीरे करके जहां सिंगल विंडो की बात की जा रही है, बहुत धीरे-धीरे करके वह चीज़ धरातल पर भी आएगी। थोड़ा-सा समय लगता है, लेकिन धरातल पर चीजें आयेंगी। ऐसी उम्मीद भी हम सब रखते हैं कि अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट जो एमओयू के माध्यम से राजस्थान में आना है, वह धरातल पर पहुंचा तो निश्चित तौर पर प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी होगी।

सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन रहेगा, क्योंकि मैं भरतपुर जिले से आती हूं और हमारे भरतपुर जिले में टीटी जेड और एनसीआर क्षेत्र है। वन एवं पर्यावरण मंत्री जी अलवर से आते हैं और सबसे ज्यादा अगर फायदा कहीं एनसीआर का हुआ है तो अलवर जिले में हुआ है। प्रतिपक्ष नेता भी अलवर से ही आते हैं, लेकिन भरतपुर इस विकास के मामले में अछूता और अधूरा रहा है। मेरा निवेदन है कि एनसीआर का जो लाभ अलवर ने लिया, वह भरतपुर को कभी नहीं मिल पाया और संभावनाएं भी नहीं लग रही है। मथुरा जो है, वह एनसीआर में नहीं है और वहां पर इंडस्ट्रियां खूब जा रही हैं। अगर भरतपुर को क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार है, मेरा सरकार से निवेदन है और मैंने लगातार बार-बार निवेदन किया है की एनसीआर और टीटी जेड की वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे यहां नगण्य हो जाता है। उसकी शर्तें बहुत मुश्किल हैं, तो हमारे इस क्षेत्र को एनसीआर से तो कम से कम मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि टीटी जेड से मुक्त करना आसान नहीं है।

साथ ही, मैं कहना चाहती हूँ की एनसीआर में इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए, टीटी जेड के एरिया में इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए सरकार से निवेदन है कि कृषि के जो उत्पाद हैं, उनको बढ़ावा मिले। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि जितने भी एनटीपीसी के थर्मल हैं, वहां पर 60 परसेंट उन्होंने बायोमास प्रॉडक्ट जो हैं, वह कोयले की जगह यूज़ करने के लिए अनिवार्यता कर दी है, नेसेसरी कर दिए, तो सरकार भी ऐसी पॉलिसी लाये और इस रीज़न में कम से कम राजस्थान में इसके लिए पॉलिसी बने। यहां पर ऐसे जो उत्पाद हैं बायोमास वाले, पैलेट्स हैं, ब्रिकेट्स हैं, उनका यूज़ हम कोयले की जगह करें तो हम आराम से उनका यूज़ भी कर पाएंगे और जो भी अपना एग्रीकल्चर वेस्ट है, उसको उपयोग में करते हुए किसान की आय भी दोगुनी करने में हम बढ़ोतरी कर पाएंगे। मेरा ये निवेदन सरकार से

रहेगा कि आज आप इस ओर ध्यान दें ।

साथ ही उद्योगों में हम बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट की बात तो कर ही रहे और करनी भी चाहिए, लेकिन जो हमारे पारंपरिक उद्योग हैं, उनकी और भी हमें ध्यान देना चाहिए। बड़े एमओयूज को तो हमें करना ही है। वह हमारी नेसेसिटी है, लेकिन जो छोटे एमओयूज हुए हैं, स्थानीय लोगों के एमओयूज हुए हैं, उनकी और हमें ध्यान देते हुए उनको भी बढ़ावा देना चाहिए।

साथ ही, मैं कहना चाहूंगी कि सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद, मंत्री जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें रूपबास में, लगातार मांग मैंने की और आपने रूपबास में रीको एरिया इस बजट में डवलप करने की बात कही है, घोषणा की है। उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

Ans/rtm 17.10 3f 10.03.2025

लेकिन बयाना में जो रीको है, मैंने पिछले सेशन में भी कहा था की मेरे बयाना क्षेत्र में जो रीको है उसकी सबसे बड़ी समस्या डंपिंग यार्ड की है। वहां पर डंपिंग यार्ड के लिए अभी भी भूमि अलॉटमेंट नहीं है। नालों की समस्या इतनी रहती है कि नालों की मरम्मत लंबे टाइम से नहीं हुई। पत्थर की सरलरी निकलती है, उसके कारण से नाले भर गए, उन नालों की मरम्मत की जाए, उनकी सफाई की जाए, इसका दायित्व रीको उठाएं। उसमें सहयोग करने के लिए वहां यूनिट थे, वे भी तैयार हैं, लेकिन स्टेप रीको को लेना होगा। मेरा ऐसा निवेदन है कि इस ओर रीको प्रशासन ध्यान दें। बरसात के समय एक-एक महीने तक रीको बंद रहती है। उस क्षेत्र में 350 से ज्यादा रीको में यूनिट थे। जो पत्थर व्यवसाय से जुड़े हैं वहाँ उनकी यूनिट है, तो इस और भी आप ध्यान दें। साथ ही मैं रीको में पार्क डवलपमेंट के लिए कहना चाहूंगी। अगर हम रीको कहीं खोल रहे हैं तो पार्क डवलपमेंट बहुत बेसिक चीज़ है, उसकी और भी हमें ध्यान देना चाहिए। वहां पर पहाड़ी स्टोन का ही काम है, तो वहां पर पहाड़ होने की वजह से स्टोन का काम आता है तो मिट्टी उड़ती है, हरियाली नहीं होने से वहां पर प्रॉब्लम होती है। मज़दूरों को सिलिकोसिस की प्रॉब्लम होती है, तो बयाना रीको में पार्क का डवलपमेंट भी किया जाना चाहिए।

साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा क्षेत्र है वह पहाड़ी इलाका है। सैंड स्टोन जो राम मंदिर का पत्थर है, अक्षय पात्र मंदिर का पत्थर है, अक्षर धाम मन्दिर का पत्थर है, यहां की राजस्थान की विधान सभा में पत्थर लगा है, वह हमारे क्षेत्र से आया हुआ पत्थर है। ...(व्यवधान)... धौलपुर से भी आया है, वहां से भी आया है सैंड स्टोन का। भरतपुर से भी आया है। राम मंदिर का ज्यादातर पत्थर बयाना विधानसभा के बंसी पहाड़पुर इलाक़े से गया है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि उस पत्थर की आज भी पहचान, उसकी पहचान तो है, राम मंदिर में वह पत्थर लगा है और राम भगवान के चरणों में अर्पण हो गया तो निश्चित रूप से उसकी पहचान हो गई। फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि राजस्थान में बहुत सारी जगह, अभी कल्पना जी ने भी कहा था, जो कोटा से विधायक हैं उन्होंने कहा था कि कोटा स्टोन,

मार्बल, बहुत सारे पत्थर के प्रकार हमारे यहाँ पर है। उनकी जैसी पहचान है, वैसी ही पहचान हमारे क्षेत्र के पत्थर की बने, उसके लिए सरकार योगदान दें, स्टोन पार्क बने।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

साथ ही वन्य क्षेत्र के लिए कहना चाहूंगी। वन्य क्षेत्र के विकास के कार्य वन क्षेत्र में आने के कारण से अवरुद्ध हो जाते है। मन्नापुरा की सड़क, पटवरीपुरा की सड़क है,कई सड़कें हैं। मेरा डांग का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है की प्रवेश पोर्टल का प्रोसेस बहुत स्लो है, उसको फास्ट करने का काम करें, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है। डांग क्षेत्र में जो मंदिर और संतों के आश्रम आते हैं, उनके रास्ते का काम भले ही आप कच्चा निर्माण करवाइये, परन्तु उनके रास्तों का काम अपने हाथ में लेने का काम करें।

साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि पीटीजेड और एनसीआर में किसी भी इंडस्ट्री को डवलप करने की जो शर्तें हैं, नये औद्योगिक क्षेत्र है या क्रेशर है, उनको लगाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। हमारे क्षेत्र में मैसर्स शिवालिक सिल्का एक ऐसी क्रेशर और खनन की लीज है, जिसकी उत्पादन क्षमता प्रतिबंधित होने के बाद भी बढ़ा दी गई है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है, तीन महीने हो गए, आम जनता के कहने पर आपके डिपार्टमेंट को पत्र लिखा, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अगर आप एक व्यक्ति को देना चाहते हो तो और जो कंपनी है, मैंने पहले भी निवेदन किया कि आप बंसी, पहाड़पुर, उदावाल और रूपवास में भी दीजिये। आप जील में भी दीजिये। आप और लोगों को भी दीजिये, लेकिन एक व्यक्ति को देकर जो कि गलत तरीके से, नियमों को ताक में रखकर दी गई है, ऐसा नहीं किया जाए।

श्री सभापति: विराजिये।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): यह भी कहना चाहूंगी कि यह इस सरकार में नहीं, पिछली सरकार के टाइम पर हुआ।

श्री सभापति: विराजिये। श्री मनोज कुमार सादुलपुर। ...(व्यवधान)... आप शांत रहिये।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): 2020 में नियमों को ताक में रखकर यह काम हुआ, इसके विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते हुए जो भी अधिकारी शामिल है, उन पर कार्यवाही करें।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 45-वन पर्यावरण एवं मांग संख्या 56-उद्योग पर बोलने का अवसर दिया, सबसे पहले मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं उस स्थान से आता हूं जहां ना तो कच्चा माल है, ना ही उद्योग हैं,जहाँ बालू मिट्टी की पूजा होती है, उस बालू मिट्टी के स्थान से आता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में विशेष करके दलहन, तिलहन और गम का व्यवसाय सबसे

ज्यादा होता है। इसलिए मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कृषि प्रसंस्करण के लिए हमारी केंद्र सरकार ने भी, हमारी राज्य सरकार ने भी उन उद्योगों को ज्यादा महत्त्व देने की बात करी जो छोटे-छोटे किसान अपना कृषि प्रसंस्करण उद्योग लगा सकें। उसके लिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ मेरे चूरू ज़िले में विशेषकर दलहन, तिलहन और गम के व्यवसाय में आप एमएसवी में योजना में लोगों को लोन प्रोवाइड करके, औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करके, मेरे विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र बहुत छोटा और पुराने समय से है, इसलिए औद्योगिक विस्तार करते हुए, आप कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को महत्व देकर हमारे किसानों को लाभ देने का काम करेंगे। इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में रीको की जो स्थिति है, उसमें आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है और औद्योगिक क्षेत्र में अन्य प्रयोजन के लिए संस्थान हेतु जमीन अलॉट की गई थी, वे संस्थाएं भी आज तक संचालित नहीं हैं।

तीसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिन उद्योगों के लिए भूमि आवंटित हो गई, भूखंड आवंटन होने के बाद भी, उन पर किसी ने उद्योग आज तक शुरू नहीं किया, उन भूखंडों पर भी उद्योग स्थापित करने का प्रयास करें। औद्योगिक क्षेत्र में व्यवसाय लगे हुए हैं, विशेषकर दाल की और गम की फैक्ट्रियां हैं। अनाज का ज्यादा उपयोग रहता है सबसे ज्यादा, लेकिन रीको का क्षेत्र है, फिर भी मंडी टैक्स वहां बाहर लोगों के लगता है, उस मंडी टैक्स के कारण उद्योग में उत्पादन महंगा हो जाता है। इसलिए मैं सरकार से, माननीय उद्योग मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूँ कि वह औद्योगिक क्षेत्र है तो फिर मंडी टैक्स वहां नहीं लगना चाहिए, मंडी टैक्स पूर्ण रूप से बंद किया जाए।

मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी उद्योग लगाये जाते है, उसके सरलीकरण की बात हो, सब्सिडी की बात हो, सरकार घोषणाएं करती है और आप सब्सिडी की भी बात करते हैं, एकल विंडो की भी बात करते हैं, लेकिन जब उद्योग लगाने की बात आती है तो सब्सिडी नहीं मिल पाती है। कुछ नए उद्योगपतियों को, आप जब लगाना चाहते हैं उसकी लोन की बड़ी गंभीर समस्या है और लोन जब तक नहीं मिलता है तो सब्सिडी नहीं मिलती है। इसलिए सरकार गारंटी दे, उन उद्योगपतियों के लिए जो नए लोग उद्योग स्थापित करना चाहते हैं कि आप उद्योग स्थापित करें, उनके 05 करोड़ 10 करोड़ की गारंटी बैंक को सरकार दे, जिससे उसको लोन मिल सके और लोन से उसको सब्सिडी उपलब्ध हो सके, ज्यादातर उद्योग लग सके।

सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में सिद्धमुख तहसील है, जो अभी नई बनी है। उस सिद्धमुख तहसील में आप रीको क्षेत्र घोषित कराकर, भूमि आवंटित कराकर, एक नया रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का काम करें। मैं एक और बात कहना चाह रहा था कि एनसीआर हरियाणा बॉर्डर पर मेरा विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां कुछ स्थान पर एनसीआर का बॉर्डर लगता है। अभी तक मेरे वहां एनसीआर नहीं होने के कारण सीमा बॉर्डर पर अगर आप रीको का विस्तार करेंगे तो हरियाणा के उद्योगपति भी, हमारे राजस्थान में आप राइजिंग

राजस्थान की बात कर रहे हैं, उसका लाभ मिलेगा। हरियाणा के व्यापारी एनसीआर में उद्योग नहीं लगा पाते हैं महँगा होने के कारण, तो छोटे उद्योगपति वहां भी आ सकते हैं। मेरे वहां उद्योग के रूप में किसान झींगा फार्म का उद्योग कर पा रहा है। उद्योग के रूप में उनकी सबसे ज्यादा पीड़ा है कि झींगा फार्म की बिजली का कनेक्शन है वह औद्योगिक रेट से दिया जा रहा है। किसान को उस औद्योगिक रेट से वंचित करते हुए, आप सब्सिडी के रूप में या रियायती दर पर, उनका बिजली का बिल लिया जाए तो हमारा ये झींगा फार्म उद्योग और ज्यादा आगे बढ़ेगा और प्रफुल्लित होगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलने का काम होगा।

इसके साथ ही मैं वन एवं पर्यावरण पर बात करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में पौधारोपण में सरकार जरूर निश्चितत है कि सरकार पौधारोपण के लिए प्रयास कर रही है। खूब सारे वन लगाने की बात, माननीय प्रधान मंत्री, माँ के नाम, मुख्य मंत्री जी, माँ के नाम एक पेड़ की बात की।

VPS-RTM-10.03.2025-17.20-3g

लेकिन मैं मेरे क्षेत्र की ही बात करूं तो मैंने एक दिन पहले भी कहा था और आज फिर से कहना चाहता हूं कि इस राजस्थान प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पेड़ खेजड़ी है, जिसका नाम लिया जाये, वह मेरे चूरू जिले में खेजड़ी के अलावा अन्य कोई पेड़ नहीं है, सिर्फ वह ही है और उनकी कटाई का जो अभियान चल रहा है, वह आपके लगाने से ज्यादा कटाई का अभियान चल रहा है और काटने वालों से आपका वन विभाग भी और आपका पुलिस विभाग भी मिला हुआ है और मिलकर उस खेजड़ी के पेड़ को अथाह रूप से काटने का काम कर रहे हैं। उस सूखे प्रदेश में, मरु प्रदेश में एक प्रकार की बहुत विडंबना है कि आप उसको सबसे पहले रोकने का काम करें।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि वन विभाग में नरेगा के माध्यम से पौधारोपण का जो कार्यक्रम चल रहा है, मंत्री महोदय, यह बड़ा गम्भीर विषय है और पूरे राजस्थान लेवल का है, इसमें बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। नरेगा में मजदूर कौन लगता है, कहां रहता है, किस पंचायत का लगता है, किस स्थान से लगता है, उसका कोई अता-पता नहीं है और उस नरेगा में वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी मिलकर उसमें बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलता नहीं है, नरेगा में उस पंचायत के लोग लगते नहीं हैं और दूसरे स्थान से किसी का भी मस्टर-रोल भरते हैं और भुगतान उठाते हैं और काम वहां धरातल पर होता नहीं है। इसलिए इस पर पूरे राजस्थान लेवल पर आप ध्यान देंगे तो यह पौधारोपण का आपका नरेगा के माध्यम से जो काम हो रहा है, इस पर आपकी लगाम लगेगी और पौधारोपण अच्छा होगा।

पौधारोपण तो होते खूब हैं, लेकिन पौधे जीवित कितने रहते हैं, इसके आकलन के लिए हमारा डिपार्टमेंट गौर नहीं कर रहा है। आपने आज ही यह बताया कि सात करोड़ पौधे हमने लगा दिये लेकिन माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि जीवित पौधे, दो

साल बाद आप उनका आकलन करना कि सात करोड़ पौधे हमने लगाये पर आज धरातल पर कितने पौधे हैं और उसका आकलन करोगे तब आपके पौधारोपण का सफल अभियान रहेगा। आप जीवित पौधों पर ध्यान करें।

तीसरा, मैं यह कह रहा हूं कि वातावरण, आपके वातावरण की बात करूं, मैं मेरे चूरू जिले की ही करूं तो गर्मी अब जब से शुरू होगी, 54 के तापमान में हम रहते हैं, वहां एक मात्र पेड़ है खेजड़ी और आप वहां पौधारोपण का अभियान अच्छी तरीके से चलायें जिससे हमारे वहां पर गर्मी के वातावरण से भी राहत मिल सके।

इसके साथ ही जो हाईवे, रोड, उद्योग, सौर ऊर्जा, आदि के कार्य जब भी किये जाते हैं पूरे प्रदेश में, चाहे कहीं भी लगे, उद्योग लगे, चाहे सौर ऊर्जा लगे, चाहे हाईवे रोड बने तो उस समय पेड़ इतने ज्यादा काटे जाते हैं कि आज उसका कोई आकलन नहीं कर सकता और उस आकलन करने के बाद आप पेड़ लगाने की जो स्थिति, उनसे जो पाबंदी है, वह उस एवज में पेड़ नहीं लगाते और आपके पेड़ों को काटा जाता है, इस पर नियंत्रण किया जाये। पेड़ काटने से पहले पेड़ लगाये जायें और पेड़ का विस्तार किया जाये, जिससे हमारे इन पेड़ों की हम बात करते हैं, हमारे वातावरण की, इनमें पूरे राजस्थान में इसमें सुधार होगा।

(समय : 17.22 बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

पूरे राजस्थान में वन विभाग के क्षेत्र में, आपको भी मंत्री महोदय, जानकारी होगी और हमारे सभी सदस्य यह कहते हैं कि आपके वन क्षेत्र को इस राजस्थान प्रदेश ने खनन का, अवैध खनन का अड्डा बना लिया है, क्योंकि वहां के अधिकारियों से तालमेल करके, अवैध खनन करने का काम, उसके आसपास कहीं लीज लेते हैं और पूरे वन विभाग के क्षेत्र में, चाहे राजस्थान का बीकानेर ले लीजिए, चाहे चित्तौड़ ले लीजिए, चाहे आप अलवर ले लीजिए, खनन में अवैध खनन का काम सबसे ज्यादा आपके वन विभाग के क्षेत्र में हो रहा है।

इस सम्बन्ध में एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वन क्षेत्र को आप निर्धारित तो करिये, कोई बात नहीं लेकिन निर्धारित करने के बाद हमारे सामान्य वहां के पशुपालक, वहां का किसान, वहां का व्यक्ति उस वन क्षेत्र में अपने पशु को भी अगर ले जाना चाहता है तो वन विभाग वहां नहीं ले जाने देता है। माननीय मंत्री महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)... **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

एक मिनट में। तीन साल के समय के बाद आपका वह पौधा बड़ा हो जाता है। तीन साल वह क्षेत्र अगर निर्धारित हो जाता है तो उसके बाद उसको आप रिलीज करिये और वहां के क्षेत्रीय पशुपालक और किसान को उसमें पशु ले जाने की अनुमति देने का काम करें, माननीय मंत्री महोदय।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपके वन विभाग के क्षेत्र में अवैध खनन, अवैध कटाई की जो मैं बात कर रहा था, इनमें माननीय, आपके जहां भी रेंजर जिस स्थान पर बैठे हैं, मैं अंतिम छोर के व्यक्ति का नाम

लूंगा, वह ही सबसे ज्यादा इसमें तालमेल करके उनको व्हिकल को छोड़ते समय, उनकी मासिक बंदी, उनको छोड़ते समय अवैध भ्रष्टाचार है, आप इस पर नियंत्रण कर लीजिए, आपके पेड़, आपका राजस्थान का वातावरण यह जो दूषित हो रहा है, यह निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और आपका प्रयास सफल रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

श्री सभापतिः श्री रोहितजी बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले आपने मुझे मौका दिया बोलने का, उसके लिए धन्यवाद। आज दो सब्जेक्ट्स पर अपनी बात होनी है। एक उद्योग पर और दूसरा वन विभाग पर। पहले मैं वन विभाग से ही शुरू करूंगा।

इन दो सालों में या डेढ़ साल का जो समय हुआ है, वन विभाग ने एक नई कैटेगरी बनाना शुरू कर दिया है, क्लाइमेट रिफ्यूजीज, जो बड़े-बड़े जारगन्स यूज करे, उसमें क्लाइमेट रिफ्यूजीज बनाना शुरू कर दिया और वह क्लाइमेट रिफ्यूजीज कहां बन रहे हैं? क्लाइमेट रिफ्यूजीज बन रहे हैं बाड़मेर, जैसलमेर के अन्दर। क्लाइमेट रिफ्यूजीज वह होते हैं, मैम, जिनको पलायन करना पड़ता है और, मंत्री महोदय, जिनको पलायन पहले हम तीन या चार महीने का पलायन करते थे, अब आपकी वजह से, आपके डिपार्टमेंट की वजह से जो खेजड़ी और जाल की ट्रीज का कटिंग अभियान वहां पर चल रहा है, उस वजह से आपने वहां की जनता को क्लाइमेट रिफ्यूजीज बनाने का काम आप लोगों ने शुरू करवा दिया। आपकी वजह से जो गाय पालक, पशुपालक जितने थे, उनको अब पलायन करना पड़ रहा है छह महीने जो पहले चार महीने का पलायन होता था, अब आपकी वजह से उन्होंने छह महीने का पलायन करना शुरू कर दिया। मैंने यह पिछली बार भी बोला था, हमारी कमेटी की मीटिंग हुई थी, मैंने यह बोला था कि एम.एस.एम.ई. की जो डेफिनेशन है उसको श्रिंक करिये, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एम.एस.एम.ई. की डेफिनेशन है उसको श्रिंक करिये एज पर द स्टेट गवर्नमेंट, कोई सुनवाई नहीं हुई है।

आप एक तरफ तो राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं, आपकी जो पुरानी इंडस्ट्रीज हैं, उनको आपके पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेने में उनके जूते, एक जोड़ी तो क्या कम से कम पांच जोड़ी जूते घिस जाते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। कितनी ही बार बोल दिया कि एम.एस.एम.ई. की डेफिनेशन आप श्रिंक करिये और जहां पर आपको सिर्फ लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है सिर्फ प्लांट एण्ड मशीनरी एम.एस.एम.ई. की डेफिनेशन में। यदि पांच करोड़ का मैं एग्जाम्प्ल दे रहा हूं, यदि दस करोड़ की एम.एस.एम.ई. की कोई कम्पनी आती है, यदि दस करोड़ उनका इंवेस्टमेंट है तो वह सिर्फ लेती है प्लांट एण्ड मशीनरी, आप लैंड एण्ड बिल्डिंग भी ले लेते हैं। कई बार कहने के बाद भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। एक बार क्या चार बार कह चुके हैं। सुधार करिये इसका। एक ही डेफिनेशन हो सकती है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन है, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का यह पार्ट नहीं है,

मंत्रीजी, इसको नोट कर लीजिए और इसको ठीक करवाइये।

दूसरी चीज, सुनिये आप। आपको सुना रहा हूं सभापतिजी के थ्रू, आप भी सुनिये। दूसरी चीज। जो सबसे बड़ा काम आपने राइजिंग राजस्थान में करा है, आपने बड़ी-बड़ी बातें करी कि हम 28 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं सोलर के अन्दर, आप लेकर आइये, बहुत खुशी की बात है लेकिन उधर की जनता का क्या हो रहा है? आप सोलर का लाएंगे जहां आपके पी.पी.ए. नहीं है, राजस्थान को तो कोई फायदा है नहीं। राजस्थान को एक पैसे का फायदा नहीं है उससे। उस पी.पी.ए. की वजह से वहां पर जितनी जाल और खेजड़ी के ट्रीज हैं, उनको काट रहे हैं आप। दो-दो डिग्री टेम्परेचर वहां पर लोगों का बढ़ गया है, जो वहां पर रह रहे हैं उनके लिए दो-दो डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या उनका आपने सोचा है कि आपको क्या करना है? जितने ट्रीज आप काट रहे हैं, उसके ट्रीज आप कुछ लगा रहे हैं वहां पर? कोई आपके पास इसकी मंशा नहीं है। आपने यह कहा कि इस बार हम सात करोड़ ट्रीज लगाएंगे, उसमें से जीवित कितने हैं? क्यों नहीं उसको डवटेल कर देते हो आप? डवटेल करो न नरेगा के साथ। आप डवटेल करोगे तो कम से कम पचास परसेंट आपके ट्रीज तो बचे रहेंगे, वह डवटेल ही नहीं करा आपने अभी तक। डवटेल नहीं करने से उनमें पानी नहीं जा रहा है। पानी नहीं जा रहा है तो वे ट्रीज ही जिंदा नहीं बच रहे हैं।

अब आपकी एक एस.आई.टी. फार्म कर दी आपने जिलेभर के अन्दर, आप लोगों के यहां पुलिस और आप पकड़कर इल्लीगल माइनिंग रोकते हो, यह बहुत अच्छी बात है। मेरा उसमें आपको एक सजेशन है कि पुलिस उसकी एफ.आई.आर. क्यों कर ही है? एफ.आई.आर. करनी है तो आपका डिपार्टमेंट करे उसकी एफ.आई.आर., पुलिस को तो उसकी एफ.आई.आर. करने का कोई राइट ही नहीं है। जब आपका डी.एफ.ओ., पुलिस वाले वहां जाकर पकड़ते हैं, आपका डी.एफ.ओ. एफ.आई.आर. ही दर्ज नहीं करवाता है। एफ.आई.आर. दर्ज करवाने का काम डी.एफ.ओ. का है न कि पुलिस का है। पुलिस उस आड़ में अवैध वसूली कर लेती है। +++ अवैध वसूली हो रही है, वह रुक ही नहीं रही है। जब तक आपका डी.एफ.ओ. वहां पर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करायेगा, जब तक यह रुकेगी नहीं।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय सभापति महोदय, आपने कहा कि +++, आप या तो शब्द वापस लें या इसको विलोपित किया जाये। ...(व्यवधान)...

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप जवाब दे देना। ...(व्यवधान)...

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): +++ कहा है। इसको विलोपित करवाया जाये। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: इसको डिलीट कर दीजिए।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपके विभाग के नाम पर। आपके विभाग के नाम पर।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इसको विलोपित करवा दो, वैसे इनका आशय नहीं होगा। +++ विलोपित करवा दें। यह विवाद का विषय ही नहीं होना चाहिए। ठीक है।

श्री सभापतिः करवा दिया। विलोपित करवा दिया।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपके विभाग, आपके ऊपर नहीं है यह आरोप, इसको मैं क्लेरीफाई और कर देता हूं, आपके ऊपर मैंने आरोप नहीं लगाये हैं। आपका विभाग, क्योंकि आप उसके मिनिस्टर इंचार्ज हैं तो वह आप ही का कहलायेगा, क्योंकि वह आपका विभाग है इसीलिए आपका कहला रहा है।

दूसरी चीज, अब मैं बात करता हूं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की। आपने नई इंडस्ट्री के लिए तो बहुत कुछ कर दिया, जैसा आप लोग बोल रहे हो, बट उन पुरानी इंडस्ट्रीज के लिए आपने क्या किया जो कि सिक इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए आपने क्या किया?

ssy/rtm/10.03.2025/17.30/3h

एक भी चीज ना तो बजट में थी, वन टाइम सेटलमेंट आपने सब डिपार्टमेंट्स के कर दिये। आपने ना रीको का वन टाइम सेटलमेंट करवाया मंत्री जी, ना आपने आरएफसी का वन टाइम सेटलमेंट कराया। कम से कम जो सिक इंडस्ट्रीज हैं, उनके वन टाइम सेटलमेंट हों, उनको वापस सुचारु ढंग से आप चला सको, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आज आरएफसी और रीको की जो लेंडिंग रेट्स हैं, as compared to any other commercial banks are much more higher. आप वहां पर लोन ही नहीं कर पा रहे हो तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से आपको पैसा सस्ता मिले सिडबी से और उस सिडबी के पैसे को आप सस्ते रूप में कम से कम में एंटरप्रिन्योर्स को दें, जिससे कि यह काम चालू हो सके।

एक चीज़ और कहना चाहूंगा, रीको ने एक नया अमेंडमेंट शुरू, पहले से ही था किआप रीको लैंड पर सिर्फ 35 पर्सेंट बिल्डिंग बना सकते हैं, आज रीको की लैंड इतनी एक्स्पेन्सिव है यदि मैं 35 परसेंट बनाऊंगा तो मैं कैसे काम करूंगा। उसी तरह से वन विभाग ने भी यह कह रखा है 33 परसेंट से ज्यादा लैंड का कवरेज नहीं होगा बिल्डिंग के रूप में, आप नहीं करोगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी?

आप की सबसे महंगी बिजली है, पूरे हिंदुस्तान में आप जो इंडस्ट्री को बिजली दे रहे हो, सबसे महंगी है। आपकी इंडस्ट्री ने पलायन शुरू कर दिया भीलवाड़ा से, सब इंडस्ट्रीज़ ने, टैक्सटाइल इंडस्ट्री ने पलायन शुरू कर दिया, वह जाकर मध्य प्रदेश में सस्ती बिजली वे लोग दे रहे हैं, उनको सब्सिडी दे रहे हैं जीएसटी में, वे लोग वहाँ जाकर इंडस्ट्री लगा रहे हैं। इस पर आप ध्यान दें, you have to do something on Bijli front, कि बिजली सस्ती मिल सके और यह जो आपका कवरेज है जो आप कवरेज कर रखे हो, इस पर आप अमेंडमेंट लेकर आओ कि कम से कम, you should be able to cover 62 to 75 per cent of the building in whatever the land you give`. उसके अंदर हो।

एक आपने 2 साल पहले राजाखेड़ा में रीको इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा कर दी थी आज तक ना वहां रीको इंडस्ट्रियल पार्क बना, मंत्री जी,... आप बैठो, आपको मंत्री बनवायेंगे ना।

श्री सभापतिः प्लीज, समाप्त कीजिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, आपने ना तो वहाँ पर वह करा और आप एलेबाई क्या लेते हैं वहाँ पर यही एलेबाई लेते हैं कि ऊबड़-खाबड़ जमीन है, जमीन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, उसमें मैक्सिमम आपसे 2 या 3 लाख रुपया बीघा आपका खर्चा आएगा टू डेवलप इट और वह आगरा से सिर्फ 27 किलोमीटर है। मैं गारंटी से कहता हूँ यदि आप वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया खोलेंगे, ताज ट्रेपेजियम की वजह से आगरा की इंडस्ट्रीज हैं, उनको शिफ्ट होना है, वे राजाखेड़ा इंडस्ट्री शिफ्ट हो जाएंगी।

श्री सभापतिः श्री गोपीचन्द जी मीणा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मेरा आपसे निवेदन है कि राजाखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः समाप्त करें। अंकित नहीं होगा।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 56 और मांग संख्या 45 पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। वन विभाग की जितनी भी जमीन थी उसमें अवैध अतिक्रमण हुए, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई। लगातार कटाई होने के बाद भी इन्होंने कोई सुध नहीं ली। कांग्रेस के प्रशासनिक अधिकारी कांग्रेस सरकार के समय कठोर निर्णय लेने में भी बेबस रहे, हर तरह विफल रहे।

लेकिन राजस्थान में हमारी सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्य मंत्री के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र की मैं बताना चाहता हूँ आसोप कंजर्वेशन रिज़र्व की घोषणा पहले ही बजट में मुख्य मंत्री जी ने और माननीय वन मंत्री जी ने की। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार का, मुख्य मंत्री जी का, उप मुख्य मंत्री महोदया का और मंत्री जी का जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की जनता की ओर से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि इस अभयारण्य को रिज़र्व करने से हमारे वहाँ काले हिरण, नीलगाय, खरगोश ये सब विचरण करने वाले जानवरों के लिए सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है और हम लंबे टाइम से, कितने ही वर्षों से लगातार इसके लिए मांग कर रहे थे। इस घोषणा को हमारी सरकार ने आते ही पहले बजट में किया और इसके लिए बजट भी प्रस्तावित कर दिया गया। इसके विकास के लिए मैं अपने मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, आसोप वन संरक्षण के लिए, संवर्धन के साथ-साथ पर्यटन, सफारी, होम स्टे, गाइड, होटल, पार्क संबंधित अन्य गतिविधियों हेतु विभाग के द्वारा प्रस्ताव तैयार करके स्वीकृत करने की मांग रखता हूँ।

राजस्थान में हरयालो राजस्थान के तहत वन क्षेत्रों में वन विकास हेतु सघन वृक्षारोपण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने एक

पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अच्छी पहल की है।

श्री सभापतिः प्लीज, माननीय सदस्य, खड़े-खड़े बात नहीं करोगे।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में 1175 हेक्टेयर भूमि में 2.45 लाख पौधे लगाकर अनेक प्रजातियों के पौधे रोपित किये गये। वर्ष 2025-26 में भी 1075 हेक्टेयर में 2.15 लाख पौधारोपण करने के लिए विभाग के द्वारा तैयारी की जा चुकी है, मैं मंत्री जी को और इनके विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार शानदार पहल कर रही है।

हमारी सरकार की आरएफडी योजना अंतर्गत विभाग द्वारा प्रवेश बिंदु गतिविधियों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट की मुहिम चलाई गई है, जिससे वन्य जीव एवं मानव टकराव में कमी, बच्चों को स्कूल मैदानों में देर रात तक खेलने के अवसर प्राप्त होंगे, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, वर्षों पुराने अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध विभाग के द्वारा समय-समय पर अभियान चलाए गये। मेरे जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में अवैध मजार बना ली गई थी। कांग्रेस के कुशासन के समय जबरदस्ती राशि स्वीकृत करके वन भूमि में मजार बना दी गयी, लेकिन मैं हमारे माननीय मुख्य मंत्री और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, विभाग ने तुरंत कार्रवाई करके उसे ध्वस्त कर दिया गया। हमारे जहाजपुर में किले के आसपास और भी जो सरकारी वन भूमि है उसमें अवैध अतिक्रमण कर रखा है उसको चिन्हीकरण करके, सीमा ज्ञान करके उसका अवैध अतिक्रमण हटाने की भी मैं साथ में मांग रखता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ डिमांड रखना चाहता हूँ, इसमें निम्न बिन्दु हैं, बनास नदी के किनारे नगर वन का विकास, बनास वन खंड में, जो बनास नदी के मुहाने पर है एवं जहाजपुर आबादी से मात्र तीन किलोमीटर दूरी पर है, जहाजपुर राजमार्ग पर स्थित है, अरावली की श्रेणियां पास में हैं। इस वन खंड में 50 हेक्टेयर को नगर वन के रूप में विकसित किया जा सकता है। बनास नदी के पास वन विभाग द्वारा नर्सरी, रेंजर कार्यालय का नवीन भवन, कर्मचारियों के आवासीय एवं गेस्ट हाउस निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति करके यहाँ विकसित किया जा सकता है, जिसमें बनास रिवर फ्रन्ट, साइकिल ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक एवं प्राकृतिक रूप से एडवेंचर गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है।

आप के माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में लंबा 60 किलोमीटर एरिया अरावली श्रेणियों का आता है, भीलवाड़ा जिले का पहला लेपर्ड कंजर्वेशन रिज़र्व घोषित करने की मांग करता हूँ। वन खंड बाकरवाड़, सरसिया, धौड एवं हटुंडा में सघन जंगल है एवं बघेरे का विचरण प्रायः देखा जाता है। यहां बहुत बड़ी संख्या में जंगली सुअरों, नील गाय, खरगोश, सियार, ऐसे अनेक किस्म के जानवर विचरण करते हैं।

यह स्थान धार्मिक दृष्टि से चौलेश्वर जैन मन्दिर तीर्थ स्थल, जो ऐतिहासिक स्थान है, स्वस्ति धाम का मंदिर भी ऐतिहासिक है, माँ घाटा रानी का मंदिर भी ऐतिहासिक है और धौड़ महादेव जो छोटे पुष्कर के नाम से जाना जाता है ऐतिहासिक स्थान है, इस स्थान को विकसित करने के लिए मैं मांग करता हूँ। पक्की चारदीवारी का निर्माण करना चाहिये। उक्त तीनों वन खंडों को सम्मिलित करते हुए लेपर्ड कंजर्वेशन रिज़र्व घोषित किए जाने की संभावनाएं टटोली जायें। इससे प्राकृतिक पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा एवं नजदीकी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व रिज़र्व होने से क्षेत्र को वन्य जीव पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित होगा।

अवैध खनन की रोकथाम के लिए, वन खंड की सुरक्षा दीवार के लिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि यहां राशि स्वीकृत की जाए, ताकि ये सुरक्षित हो सके। अवैध खनन रोका जा सके। मेरा यही निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आपके संज्ञान में लाना बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे के पूरे मेरे प्रतिपक्ष के साथी, रीटा जी वापस जा रही हैं, बाकी तो क्या व्यवस्था है, कब किसको सुनायें? किसको जवाब देंगे?

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): मैं बैठा हुआ हूं। मैंने यह भी लगा रखे हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: श्रीमती शोभारानी कुशवाह। (अनुपस्थित)

श्री पितराम जी काला।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): पूरा का पूरा वेकेंट है ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं ना बैठकर के ...(व्यवधान)... यहां पर सुन रहा हूं ना। फ्रंट में बैठकर के यह लगाकर के सुन रहा हूं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप तो बैठे हो, पर आपके साथ आने वाले कहां हैं?

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): वे आ जायेंगे ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कब आ जायेंगे?

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): यहीं हैं। सब यहीं हैं ...(व्यवधान)... मंत्री महोदय का सुनकर जायेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): भटक किधर गये हैं?

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): मंत्री महोदय को सुनकर जायेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बड़े तूफान से पहले की शांति है ...(व्यवधान)...

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 45 और 56 पर ...(व्यवधान)...

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): सभापति महोदय, मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दे दिया है। मैं मंत्री जी को मेरी तरफ से और जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत-

बहुत धन्यवाद और आभार।

श्री सभापतिः प्लीज, प्लीज।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): बोलने का अवसर दिया, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका और मेरे सदन के नेताओं को साधुवाद।

spp/rtm/07.03.2025/1740/3**j**

आज भारत की प्रथम शिक्षिका व शिक्षा की देवी, नारी की मुक्ति प्रेरणा माता सावित्री बाई की पुण्यतिथि है, पहले मैं उनको नमन करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, वन और पर्यावरण में तीन बातें मुख्य होती हैं। वन और पर्यावरण बना रहे, उसके अंदर बढ़ोतरी हो और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है वन और पर्यावरण के अंदर किसी प्रकार का अवरोध आये, उसको नुकसान पहुँचे तो उसको रोकने का कार्य वन विभाग का होता है। माननीय मंत्री महोदय यहाँ बैठे हैं। पिछले दिनों अखबारों की एक हैड लाइन आई थी और पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी आंदोलन रहे थे। बड़ा आंदोलन हुआ था और क्षेत्रीय वन अधिकारी थे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सदस्य, एक सैकंड आप रुको। आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन का समय आज की कार्यवाही समाप्त होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापतिः क्या सदन का समय आज की कार्यवाही समाप्त होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्यवाही समाप्त होने तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 56-उद्योग व मांग संख्या 45-वन एवं पर्यावरण पर विचार

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, मैं बात को पुनः जारी रखता हूँ। क्षेत्रीय वन अधिकारी किशोर कुमार जी को खनन माफिया ने जानबूझकर ट्रैक्टर के नीचे देकर उनकी हत्या कर दी। उसका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा हुआ था और उसकी सर्विस की शुरुआत थी। सबसे पहले तो मैं मांग करता हूँ कि जिस खनन माफिया ने उसकी हत्या की उसके विरुद्ध 302 का मुकदमा पुराना दर्ज किया जाए और उसको सजा ए मौत दी जाए। इसके अलावा किशोर कुमार को शहीद का दर्जा दिया जाये। उसको एक करोड़ का उसको मुआवजा दिया जाए और जब मृतक कर्मचारी होते हैं, उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। इस केस में उस अनुकम्पा नियुक्ति के अलावा, क्योंकि किसी कर्मचारी की स्वाभाविक मौत होती है, उसमें अनुकम्पा नियुक्ति दी जाती है और वह नॉन गजिटेड पोस्ट

पर दी जाती है। माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी बहुत लंबी सर्विस थी। वह विभाग की टॉप पोस्ट पर पहुंचता इसलिए उसकी पत्नी को राजपत्रित अधिकारी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जाए। इसी के अलावा एक वनरक्षक था विष्णु कुमार, उसका नाम था। उसको भी खनन माफिया ने बुरी तरह से घायल कर दिया। आज उसकी स्थिति बड़ी खराब है। माननीय सभापति महोदय, आप के माध्यम से सदन और मंत्री का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पुलिस के अंदर गैलेन्ट्री प्रमोशन दिया जाता है, उसी हिसाब से फॉरेस्ट के अंदर उसको गैलेन्ट्री प्रमोशन दिया जाए, जिससे कर्मचारी हैं, उनके अंदर इस प्रकार की एक भावना पैदा होगी कि हमें वन की रक्षा करनी है अन्यथा जो वन रात दिन घट रहे हैं, अवैध रूप से बजरी का खनन हो रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है, इसके अंदर स्थिरता आ जाएगी।

इन कार्यों में सुधार के लिए मैं कुछ बातें, माननीय सभापति महोदय, आप के माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा। एक रेंज लेवल के इनके जो अधिकारी होते हैं वहाँ कम से कम चार पहिया वाहन उपलब्ध करवाया जाए। आपातकाल के अंदर कहीं कोई आगजनी हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, कोई खनन का कार्य होता है, तुरंत वहाँ वह पुलिस पहुँच जाये और उस घटना पर नियंत्रण कर सकें। इसी प्रकार से जो नाका होते हैं। नाका के अन्दर वनरेक्षक होता है, उसको मोटर साइकिल उपलब्ध करवाई जाए, जिससे वह जहां भी पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहाँ चार पहिये होते हैं, वह जा नहीं सकते मोटर साइकिल पर जाकर वह निगरानी कर सके और सबसे महत्वपूर्ण, जो एक कमी है वन विभाग के अन्दर, चाहे वह रेंज ऑफिस हो, चाहे वन का नाका हो, वहाँ महिलाओं के लिए प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है। उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आगे मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो फील्ड स्टाफ है, आजकल आए दिन अवैध बजरी का खनन होता रहता है, अखबारों में पढ़ते है, कई हत्याएं होती है तो उनकी आत्मरक्षा के लिए कम से कम उनको भी हथियार उपलब्ध करवाया जा सके, जिससे यदि उनके ऊपर किसी प्रकार का हमला हो या उसे जान-बूझकर मारना चाहिए तो अपनी सुरक्षा कर सकें।

माननीय सभापति महोदय जो वनरक्षक वगैरह होते हैं, उनकी रात दिन हार्ड ड्यूटी होती है तो हम आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि उसको अलग से भत्ता दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि जो आपातकालीन उपकरण होते हैं, उनके पास नहीं होते हैं फॉरेस्ट के अन्दर, तो मंत्री महोदय बैठे हैं, मेरा ये निवेदन रहेगा कि उनको अग्निशमन उपकरण हैं, बचाव किट हैं, प्राथमिक चिकित्सा सामग्री है, इत्यादि सामग्री उपलब्ध करवाई जा सके जिससे वह अपनी ड्यूटी ढंग से कर सके।

माननीय सभापति महोदय, आजकल डिजिटलाइजेशन का टाइम है। हर चीज़ का डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो वन भूमि का भी डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, जिससे उसकी रक्षा ढंग से हो सके, उसका डिमार्केशन प्रभावी हो सके। उसकी प्रभावी मोनिटरिंग हो सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मेरी पिलानी के अंदर एक नया रीको औद्योगिक क्षेत्र खोलने की भी मैं मांग करता हूँ और एक जिस प्रकार से पीपलात्री गांव था राजसमंद में, उसको एक आदर्श गांव के रूप में स्थापित किया था, उसी हिसाब से प्रत्येक जिले के अंदर एक आदर्श गांव स्थापित किया जाए। इसमें फॉरेस्ट के अंदर वन और पर्यावरण एक समिति होती है, वन विकास समिति, उसके अध्यक्ष और सचिव उसके अंदर कम से कम, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे सचिव हो, एक एस.सी और एस.टी. के आदमी को लिया जाना चाहिए जिससे उसको वह मॉनीटरिंग कर सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरा मंत्री से एक विशेष निवेदन है। हमारी शेखावाटी की काटली नदी है, अब वह लुप्तप्रायः हो गई है और उसके कारण से शेखावाटी के अंदर पानी की भयंकर किल्लत है। उस नदी को भी अवैध जो कब्जे कर रखे हैं, अवैध खनन होते है, उनको रोका जाए, जिससे शेखावाटी के अंदर वह नदी आए और जलस्तर ऊपर बढ़ सके।

माननीय सभापति महोदय, पेड़ों की जो तस्करी करते हैं, उनको रोका जाए। मेरा विधान सभा क्षेत्र पिलानी है, वहां सुबह 4:30 बजे से 5.30 के बीच में प्रतिदिन आठ से 10 गाड़ियां पिकअप की भरके जाती हैं। यह एक दिन की बात नहीं है, यह नियमित है। मैं सुबह उठ के जाता हूँ, देखता हूँ तो उसको भी नियंत्रण किया जाए। इसी के अलावा, माननीय सभापति महोदय, रेंज स्तर पर जो सुविधाएं हैं, उनको बहाल किया जाए और रेंज कार्यालय में जो घायल पशु-पक्षी इनके पास आये, उसके लिए एक चिकित्सक और एक पशुधन सहायक वहां पर लगाया जाए जिससे वह उनकी चिकित्सा उपलब्ध करा सकें।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री गोरधन जी।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): आगे मेरा उद्योग से सम्बन्धित दो चार मांग हैं, कोई ज्यादा नहीं है। उद्योग की बात मेरी रह गयी है। रीको के जितने इंडस्ट्रियल एरिये हैं, उनके अंदर एस.सी, एस.टी. का आरक्षण किया जाए।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य। अब अंकित नहीं होगा।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): 000

श्री गोरधन (धोद): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या- 56 और 45 उद्योग, वन एवं पर्यावरण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। सबसे ज्यादा मैसेज देने वाला और सबसे ज्यादा मैं यूँ कह सकता हूँ कि हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री जी हैं, वह जहाँ भी जाते हैं, एक पेड़ अवश्य लगाते हैं। इसके लिए माननीय मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई सी भी जिले में होता है तो वहाँ पर एक पेड़ जरूर लगाते हैं। वास्तव में यह हमारे लिए, सब के लिए एक संदेश की बात है, गौरव की बात है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सिक्किम में भी लगाकर आये हैं।

श्री गोरधन (धोद): सिक्किम में भी लगाकर आए, तिरुपति में भी लगाकर आये। माननीय सभापति महोदय, आप के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सीकर

जिले में और सीकर के आस पास का जो एरिया है, मेरी विधान सभा क्षेत्र को भी छूता है और वहाँ का जो वह कौन सा पेड़ आपका विलायती पेड़ है, जूलीफ्लोरा, विलायती बबूल, न तो वहाँ पर उसको कोई पशु खाता है, न कोई उसको जानवर खाता है, ना कोई ..(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप ध्यान से बोलो, कोई विवाद नहीं हो जाये।

श्री गोरधन (धोद): जूलीफ्लोरा, याद रख लेंगे। माननीय सभापति महोदय, उस बंजर भूमि को, उस वन विभाग की जमीन को क्यों ना हम विकसित करें, क्योंकि हमारे वहाँ पर एक स्मृति वन भी बनाया है और उसी के आधार पर हम उस जगह को यदि विकसित करें तो उस शहर के लिए आसपास के वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए एक बहुत अच्छा काम हो सकता है।

jyg/rtm/10.02.25/17.50/3k

मैं तो यह कह सकता हूं कि वहां पर जो भी पेड़ लगेंगे या वहां पर जिस प्रकार से हम उसको विकसित करना चाहते हैं तो हमारे पानी की समस्या जो नानी बीड़ की बनी हुई है क्योंकि एक तो वन विभाग की जगह भी वहां पर खराब हो रही है, वहां का पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है, लोगों के लिए भी वहां पर बड़ी गम्भीर समस्या है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि उस पानी को हम यदि कोई दूर ले जाते हैं तो अच्छी बात है, वो किसानों को हम दे सकते हैं, यदि हम वहां से नहीं लें तो वहां पर पेड़-पौधे लगाकर वहां उद्यान विकसित कर सकते हैं। हमारे महापुरुष चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से विकसित हो चाहे हमारे सीकर जिले के माननीय उप राष्ट्रपति रहे, हमारे मुख्य मंत्री रहे, भैरोंसिंह जी के नाम से हम उस उद्यान को डवलप कर सकते हैं, हम उस जगह का नाम दे सकते हैं जिससे आने वाले समय में हमें उनके मार्गदर्शन में उनकी यादों के रूप में हम यह कह सकते हैं कि हमने यह उद्यान विकसित किया है।

माननीय सभापति महोदय, क्योंकि वन हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग है और हमारा जो इलाका है वो मरुस्थलीय इलाका है। जिस प्रकार से हमने पहले 7 करोड़ का लक्ष्य लिया था तो वन विभाग, शिक्षा विभाग, सबने मिलकर काफी पेड़ लगाये थे, लेकिन पेड़ लगायें और वो पेड़ जीवित रहे इसके लिए हम अधिक से अधिक प्रयास करें। कोई भी व्यक्ति या संस्था पेड़ लगाये तो उसकी जिम्मेदारी रहे कि वो पेड़ अपने आप विकसित नहीं हो जाये, जब उसको ज्यादा आवश्यकता न पड़े, चार-पांच साल का हो जाये तब तक उसकी देखभाल करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो हर्ष पहाड़ है, उसका पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, पुरातत्व विभाग की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वो जगह वन विभाग की आती है, पुरातत्व विभाग की आती है। दोनों विभाग मिलकर यदि उसमें काम करें तो यह पर्यटन की दृष्टि से भी काफी विकसित हो सकता है, हम एक पर्यटन उद्योग के रूप में वहां अच्छा

डवलपमेंट कर सकते हैं। हमारे यहां खाटू श्याम जी में आने वाले दर्शनार्थी हों चाहे, हमारे सालासर जी में आने वाले दर्शनार्थी हों, चाहे हमारे जीण माता जी में आने वाले दर्शनार्थी हों, हमारे जो लोग आते हैं वो केवल और केवल दर्शनीय स्थल और पर्यटन की दृष्टि से वो हमारा हर्ष पहाड़ है, जहां पर भैंरों जी का मन्दिर है, शिव जी का मन्दिर है, जहां माता जी और भैंरों जी के मन्दिर आसपास में हैं, तो उस जगह हम पर्यटन की दृष्टि से किस प्रकार से विकसित करें, यह वन विभाग, पर्यटन, पुरातत्व विभाग, सब मिलकर यदि उसमें काम करे तो एक अच्छा डवलपमेंट हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, आज हम देखते हैं जिस प्रकार से गांवों में भी बहुत सारे बीड़ पड़े हैं, वन विभाग की जमीन पड़ी है, जहां पर क्यों नहीं हम, हमारी जो ऐसी संस्थाएं हैं, चाहे हमारी शिक्षण संस्थाएं हों, चाहे समाज सेवा में काम करने वाली संस्था हो, एनजीओ हो, उनको वहां पर डवलप करने के लिए दो साल के लिए, पांच साल के लिए, दस साल के लिए क्योंकि ऐसे हमारे बहुत सारे भामाशाह भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रकृति प्रेमी भी हैं, जो काफी हद तक पेड़ लगाते हैं। हम में से बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सात-सात हजार के करीब से मैं सोचता हूं कि दस-दस हजार के करीब पेड़-पौधे भी लगाये हैं और आज वे जीवित भी हैं तो जो चरागाह की जमीन है, वन विभाग की जमीन है, उसको क्यों न हम विकसित करें तो एक तो पर्यावरण हमारा शुद्ध होगा, दूसरा हमारी जो बंजर भूमि पड़ी है, उस बंजर भूमि पर हम पेड़-पौधे लगाकर गांवों के लिए भी चाहे हम उद्यान लगा सकते हैं, चाहे हम वन के रूप में विकसित कर सकते हैं, ऐसा यदि हम करें तो मैं सोचता हूं कि हम सब के लिए एक बहुत अच्छा काम हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, क्योंकि जिस प्रकार से उद्योग के क्षेत्र में हमारा राजस्थान और मैं तो यह कह सकता हूं कि हमारा शेखावाटी बेल्ट, यहां पर यदि हम टाइल्स को और ज्यादा स्थान दें या जो हमारे उद्योगपति हैं या छोटे उद्योग लगाने वाले व्यापारी हैं, ऐसे लोगों को हम प्रोत्साहन दें क्योंकि यहां का रॉ मैटेरियल लगभग हमारे आसपास में मिलता है, चाहे नीमकाथाना हो, चाहे बीकानेर हो, अन्य जगह हों, 70 परसेंट के करीब रॉ मैटेरियल हमारे पास में उपलब्ध है और यहां का रॉ मैटेरियल गुजरात जाता है और गुजरात से टाइल तैयार होकर वापस यहां राजस्थान में आती है तो ऐसे टाइल्स के कारखाने लगाने के लिए, क्योंकि हम जिस प्रकार से सोच रहे हैं कि हमारा यहां पर उद्योग ज्यादा से ज्यादा विकसित हो, हमारे लोगों को ज्यादा रोजगार मिले, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं तो क्यों नहीं यहां पर टाइल्स का बहुत बड़ा क्योंकि टाइल्स के लिए मैं यह कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा अपार संभावनाएं हैं तो इसको विकसित किया जाये, जिससे हमारे बेरोजगार भाइयों को भी रोजगार मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं चालू की गयी हैं, उद्योगों के बढ़ावा देने के लिए चाहे छोटे हो या बड़े हों, सब व्यापारियों को साथ में लेकर उनको पुन: किस प्रकार से स्थापित किया जाये, उनका विकास किस प्रकार से किया

जाये, यह सब प्रकार के यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी ने घोषणाएं भी की हैं और इस बजट में ऐसा प्रावधान भी रखा गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे ऐसे जो एससी और एसटी के लोग हैं, उनको यहां पर छोटे-मोटे उद्योग लगते हैं या जो बड़ी कम्पनीज होती हैं, उसमें काम करने के लिए, उनको प्रतिनिधित्व दिया जाये, उनमें जिस प्रकार से सरकारी नौकरियों में आरक्षण देते हैं उस प्रकार से आरक्षण दिया जाये, जिससे हमारे एससी, एसटी के लोग इसमें आगे बढ़ सकें और अधिक इसमें काम कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे धोद विधान सभा क्षेत्र में आज तक कोई ऐसा औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं हुआ है, जिससे वहां पर कोई छोटा-मोटा भी उद्योग लगा सकें, यदि कोई छोटा औद्योगिक क्षेत्र वहां पर विकसित हो जाये तो मैं कह सकता हूं कि कोई बड़ा उद्योग न लगे सही, लेकिन हमारे वहां कोई छोटा-मोटा उद्योग भी लगा सकते हैं, चाहे लकड़ी का काम हो, चाहे हमारे ग्रेनाइट का काम हो, या अन्य प्रकार से जैसे लकड़ी के छोटे-मोटे हम जैसे काम करते हैं तो यदि ऐसा एक औद्योगिक क्षेत्र वहां पर विकसित हो जाये, तो हमारे वहां के जो छोटे उद्योगपति हैं, छोटा उद्योग-धंधा स्थापित करने वाले लोग हैं तो वहां पर काम कर सकते हैं। यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि मेरा समय होने को जा रहा है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन एक-दो बात कहूंगा।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये।

श्री गोरधन (धोद): हो गया?

श्री सभापतिः हो गया।

श्रीमती शोभारानी कुशवाह।

श्री गोरधन (धोद): हमारे जो छोटी आरा मशीन लगाते हैं, इनको परमिशन मिल जाये क्योंकि लकड़ी का काम करते हैं और जो सूखी लकड़ी होती है, उसको नहीं पकड़ें। यदि गीली लकड़ी, कोई पेड़-पौधे काटते हैं तो उनको आप पकड़ सकते हैं, लेकिन जो सूखी लकड़ी है उनको आप छूट दें जिससे हमारे छोटे-मोटे कारपेंटर काम कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसकेलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 56 - उद्योग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

माननीय सभापति महोदय, धौलपुर रीको में काफी समय से ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद पड़ी है जिसकी वजह से फैक्ट्रियों में काम करने वाले तमाम युवा बेरोजगार हो चुके हैं जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गयी है, जिसके चलते वो अपने परिवार का लालन-पालन एवं अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दे पाते। अतः बंद पड़ी फैक्ट्रियों को जल्द से जल्द चालू करवाया जाये और नयी फैक्ट्रियां भी खुलवायी जायें, जिससे धौलपुर के

युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। उद्योग के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ायी जाये और केवल महिलाओं के लिए अलग से नये उद्योग लगाये जायें, जिससे उन्हें अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करती हूं कि हमारी माता-बहनें, ग्रामीण हों या शहरी उनके अन्दर बहुत-सी प्रतिभाएं रहती हैं।

MLS/RTM/10.03.2025/18:00/3l

मैं चाहती हूं कि उनके अनुसार आप कुटीर उद्योग में उनके लिए बढ़ावा दें और उनको अच्छा प्रशिक्षण दें। हमारी माताएं-बहनें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, आचार जैसे छोटे-छोटे उद्योग लगाना चाहती हैं, लेकिन उस बजट के कारण वे नहीं लगा पाती हैं। आपसे निवेदन है कि आप उनके प्रोत्साहन के लिए अच्छे से प्रशिक्षण कराएं और हमारी माताओं-बहनों को भी समाज में और अपने परिवार में निर्वहन के लिए आप सहायता करें, उनको सरल तरीके से नया व्यवसाय शुरू करने के लिए मदद करें। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री विरेन्द्र सिंह जी।

श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 56 और 45 पर जो बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत-बहुत मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। उद्योग के सन्दर्भ में अगर बात की जाये तो सांस्कृतिक धरोहर के साथ-साथ हमारी सरकार माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश को उद्योग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा रही है। हमारी सरकार राइजिंग राजस्थान में प्राप्त निवेश को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास कर रही है। अक्सर उद्योगपतियों को कई फॉर्मैलिटीज़ पूरी करने के लिए बार-बार अलग-अलग विभागों में जाना पड़ता है। ऐसे में सिंगल विंडो क्लियरेंस के माध्यम से सरकार ने ऑनलाइन परमिशन की संख्या को बढ़ाकर 149 किया है। सभी उद्योगपतियों को इसका लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए पूरे राजस्थान में ग्लोबल कैपेसिटी सैंटर, जो पॉलिसी लायी गयी है, वह प्रस्तावित है, उससे भी प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में उद्यमियों एवं निवेशकों के लिए बेहतर औद्योगिक वातावरण तैयार किये जाने तथा औद्योगीकरण की गति को तीव्र करने के लिए औद्योगिक पार्क व क्षेत्रों की स्थापना की गयी है। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे मसूदा विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो यहां सीमेंट प्लांट और अनेक खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। मसूदा क्षेत्र में सीमेंट प्लांट और फेल्सपार, क्वॉर्ट्ज, सोडा की अनेक जो माइंस चल रही हैं, उनमें प्रचुर मात्रा में खनिज मिल रहा है।

हमारे मसूदा विधान सभा क्षेत्र में पीपलाज, खड़ावा और काना खेड़ा, जिसमें एक ग्राइंडिंग मिल, जो इनको पीसकर पाउडर बनाने का काम फैक्टरियां कर रही हैं, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि सैरेमिक टाइल्स बनाने की फैक्टरियां और उद्योग

वहां अगर स्थापित हों तो वह पाउडर सैरेमिक टाइल्स बनाने के लिए जो गैस और पावर की जरूरत है, उसकी पूर्ति की जाये। हमारे विधान सभा क्षेत्र से जो कच्चा माल है, वह बाहर गुजरात मोरबी जाता है और मोरबी से सैरेमिक टाइल्स बनकर वापस राजस्थान और हमारे एरिया में सभी जगह तैयार होकर आती हैं। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि जो पीपलाज, काना खेड़ा में फैक्टरियां चल रही हैं, उनको गैस और पावर के लिए संसाधन उपलब्ध कराये जाएं, जिससे सैरेमिक टाइल्स बनाने का उद्योग यहां विकसित हो सके। इससे यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और यहां के लोगों की आय भी बढ़ेगी और उद्योग लगातार आगे बढ़ेंगे।

वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में, माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा ''एक पेड़ मां के नाम'' से जो अभियान चलाया गया, उसमें सभी डिपार्टमेंट्स द्वारा, शिक्षा विभाग हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे पंचायत राज, पंचायत राज विभाग के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत में एक-एक हैक्टेयर में फलदार पौधे, छायादार पौधे, पूरी उनकी फैंसिंग करके, जाली लगाकर और सोलर का एक ट्यूबवैल खोदकर उनको पिलाने की पूरी व्यवस्था की गयी है और एक चौकीदार भी उसकी रखवाली के लिए रखा गया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद दूंगा कि पहली बार हर पंचायत क्षेत्र में पर्यावरण के सन्दर्भ में इसको आगे बढ़ाने के लिए पहल की गयी है।

मिशन हरियालो राजस्थान के अन्तर्गत हमारी जो मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना है, उसमें पंचायत समिति स्तर पर भी 6-6, 5-5 हैक्टेयर में फलदार पौधे लगाये गये हैं। वहां भी उनकी तारबन्दी करके उनकी सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण इन्तजाम किये गये हैं तो पर्यावरण में बहुत ही बढ़िया एक अभियान चलाया गया है, उसमें पूरे राजस्थान को इसका फायदा मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में लघु और सीमान्त किसान, जो ट्रैक्टर और उसके माध्यम से खेती करते हैं तो पुरानी पद्धति से बैलों के माध्यम से अगर खेती करने के लिए प्रत्येक किसान को एक बैल जोड़ी पर 30 हजार रुपये का अनुदान दिया गया है, उससे पुराने परम्परागत जो सीमान्त काश्तकार हैं, उनको बैल जोड़ी रखने में उसका फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि नरेगा के माध्यम से भी सघन वृक्षारोपण का अभियान हो। सड़क के दोनों ओर, जो पिछली माननीय वसुन्धरा जी की सरकार थी, उस समय सड़कों के दोनों तरफ सघन वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम हाथ में लिया गया, आज वे नीम, बबूल और पीपल के पेड़ बहुत ही बड़े वृक्षों के रूप में बड़े हुए हैं। इस बार भी बरसात के मौसम से पहले वन विभाग के माध्यम से सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाये, जिससे नरेगा में लोगों को रोजगार भी मिले और वृक्षारोपण में हमारा क्षेत्र आगे बढ़े। हम सभी का दायित्व है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए जो आज डिस्पोज़ल आइटम्स चल रहे हैं, उनकी जगह हम परम्परागत साधनों का उपयोग करें।

ग्राम पंचायतों को राजस्थान सरकार ने जो सफाई के लिए अनुदान दिया है, सफाई कर्मचारियों से भी और सरकार से, पंचायत राज विभाग के माध्यम से मेरा निवेदन है कि जो कचरा संगृहीत होता है, उसको जलाएं नहीं। आज प्लास्टिक को जलाकर वायु मण्डल में जो जहरीली गैसें निकलती हैं, आमजन के स्वास्थ्य पर उनका असर पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, आजादी से पूर्व वन विभाग में कई धार्मिक स्थल हैं, कई ऐतिहासिक स्थल जो हैं, वहां आने-जाने में रास्ते के मामले में बड़ी तकलीफ होती है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वहां उन छोटे-मोटे कच्चे रास्तों का निर्माण हो, जिससे श्रद्धालु उसमें जा सकें।

मेरे मसूदा विधान सभा क्षेत्र में नगरपालिका क्षेत्र मसूदा में वन विभाग में एक सोनमगरी के नाम से, जहां स्वामी दयानन्द सरस्वती जब ब्यावर आये और मसूदा पधारे तो उनका 7 दिन का प्रवास मसूदा में रहा, वह सोनमगरी, जो एक ऐतिहासिक धरोहर है, वह आज जीर्ण-शीर्ण हालत में है। उसे वापस ठीक करने के लिए, उसका जीर्णोद्धार कराने के लिए वन विभाग परमिशन दे, जिससे हमारी ऐतिहासिक धरोहर, जो फॉरेस्ट में है, उसका वापस काम कर सकें, ऐसी परमिशन दिलायी जाये। सभापति महोदय, आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः डॉ. सुभाष गर्ग।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से वन एवं पर्यावरण तथा कुछ पॉइंट्स इंडस्ट्रीज पर मैं रखना चाह रहा हूं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो भरतपुर के लिए है, वह है केवलादेव नेशनल पार्क। मैं माननीय मंत्री जी का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, केवलादेव नेशनल पार्क, जिसको घना बर्ड सैंक्चूअरी भी कहा जाता है, इसको 1985 में वर्ल्ड हैरिटेज का दर्जा दिया था यूनेस्को ने। मैं बताना चाहूंगा, इस केवलादेव नेशनल पार्क में साइबेरिया, मंगोलिया, चाइना, अफगानिस्तान, सैंट्रल एशिया, तुर्कमेनिस्तान से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, ...

MKD/RTM/10.03.2025/18:10/3m

जिनकी संख्या लगभग 300 हैं, इस क्षेत्र में 300 से अधिक प्रजातियां आती हैं। यह पूरा करीबन 2783 स्वायर हेक्टेयर में वेटलैंड एरिया है। साइबेरियन सारस, स्टोर्क्स, डग्स, कावरवेंटैस, प्रजनन पक्षी जो आते हैं, ये ब्रीड एंड फीड के लिए आती हैं, वह प्रजनन काल होता है, शीतकाल के दौरान आती हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें प्रतिवर्ष लगभग डेढ़ से दो लाख डोमेस्टिक टूरिस्ट और फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, जिससे न केवल भारत सरकार को, भारत देश को लाखों रुपये की विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। यहां सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके लिए जो मेन चीज़ चाहिए, वह पानी है।

मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, इसकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है, वह 550 एमसीएफटी

प्रतिवर्ष है। वह 550 एमसीएफटी पानी जो है, यह पहले तय हुआ था कि पांचना बांध से मिलता रहेगा, अजान बांध के थ्रू, जो गम्भीर नदी आती है, बाणगंगा नदी का जो बेसिन है, उसके थ्रू मिलेगा, लेकिन कई बार वह मिल जाता है, कई बार पांचना बांध से पानी नहीं छोड़ा जाता। इसके लिए एक स्कीम बनाई गई थी, लगभग 700 करोड़ रुपये की स्कीम कि एक पाइप लाइन अलग से धौलपुर से डाली जाए और वह सीधे घना को पानी दे। इसके बाद फिर दूसरी स्कीम बनी।

माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी अलवर से बिलोंग करते है। अभी जो चंबल अलवर परियोजना हुई है, 5653 करोड़ के समथिंग की, जो पहले स्वीकृत हो चुकी है, इसमें 550 करोड़ रुपये केवल घना के लिए सुरक्षित किया गया था, बयाना से एक पाइप लाइन डाली जाएगी, लेकिन शायद इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह योजना बहुत जरूरी है, अदरवाइज़ इसकी जो वर्ल्ड हैरिटेज की कैटेगरी है, वह छिनने का खतरा है। इसको एक बार डेंजर लिस्ट में भी डाल दिया गया है। मेरा एक तो अनुरोध यह है कि इस घना पर ध्यान दें, ये बहुत जरूरी है।

दूसरा, मैं इंडस्ट्रीज़ के सम्बन्ध में चर्चा करना चाहूंगा। भरतपुर, पहले ऋतु जी ने भी कहा और मैं भी इस बात को उठाना चाहूंगा कि एनसीआर टीटीजेड होने की वजह से भरतपुर को बहुत नुकसान हो रहा है। मुझे ध्यान है, आज से 40 वर्ष पहले भरतपुर एक प्रमुख शहर था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थीं, वे बंद हो गईं, टीटीजेड का है।

एक मेरा आग्रह कि इसको टॉप प्रायोरिटी पर लेकर माननीय मुख्य मंत्री जी के माध्यम से केंद्र में जाकर एनसीआर बोर्ड से जब तक इसको नहीं हटाएंगे, पूरा यूपी का मथुरा, आगरा एनसीआर बोर्ड में नहीं आता है, क्या कारण रहे हैं, उन पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन राज्य हित में यह बहुत जरूरी है, इसको हटाया जाए।

एक भरतपुर का जो सरसों उद्योग है, उसमें नई इंडस्ट्रीज को रीप्स के तहत फायदा हो रहा है, लेकिन पुरानी इंडस्ट्रीज जो हैं, वे बंद हो रही हैं तो पुरानी इंडस्ट्रीज को भी कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएं। कुछ इंडस्ट्रीज एरिया डवलप करते हुए, भरतपुर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल, जिसकी जिओग्राफिकल लोकेशन, अभी जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, केवल 90-95 किलोमीटर पड़ता है, उससे भरतपुर की कनेक्टिविटी, जिओग्राफ़िकल लोकेशन है, जो एक इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट होती है, वहां इतना पोटेंशियल है, तो कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक हब और आइटी हब उस भरतपुर रीज़न में, आगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पास है, जेवर का पास है, दिल्ली से हार्डली ढ़ाई घंटे लगता है, जयपुर से ढ़ाई घंटे लगता है, उसको ध्यान देने की जरूरत है।

(समय: बजे)

(श्री अर्जुन लाल जीनगर, सभापति, पदासीन)

एक बात कहना चाहूंगा इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में। माननीय सभापति महोदय, ज्यादा समय नहीं लूंगा। इंवेस्टमेंट समिट 2013 से चल रही हैं, माननीय वसुन्धरा जी की सरकार ने भी इंवेस्टमेंट समिट कराई थी। फिर पूर्ववर्ती सरकार ने भी इंवेस्टमेंट समिट कराई और अभी भी हुआ।

मेरा माननीय उद्योग मंत्री से एक ही आग्रह है, राज्य हित में ये मालूम तो पड़े जब इंवेस्टमेंट समिति होती है, व्हाइट पेपर लाया जाए, उससे मालूम पड़ेगा, अलटिमेटली ये समिट, जब हम रिव्यू करते है, तो वह सक्सेस नहीं हो पाती। हम एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है, उसको मालूम तो पड़े कि वास्तव में हो क्या रहा है, सच कितना है, तो धरातल पर लाने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है। ...(व्यवधान)... बिलकुल होना चाहिए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, राज्य मंत्री जी का कि वे कह रहे हैं कि बिलकुल लेकर आयेंगे। स्टेट में एक कम्पेरेटिव स्टडी होनी चाहिए, जिससे मालूम पड़ सके कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको कोई नुकसान हो रहा है, इनसेंटिव नहीं हो पा रहे हैं या उनको रेडटेपिज्म का सामना करना पड़ता है, लालफीताशाही का सामना करना पड़ता है, परेशान हो जाते हैं, फिर वे इंवेस्टमेंट को वापस ले जाते हैं, तो इसके पीछे भी कोई रीज़न आने चाहिए।

मैं समझता हूं, बहुत बड़ा काम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देना चाहूंगा, धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री संजय कुमार।

श्री संजय कुमार (बसेड़ी): बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय जी, आपने मुझे मांग संख्या 56 एवं 45 पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मैं उस जिले से आता हूं जिस जिले की पहचान भारत देश के अलावा पूरे विश्व में है। आज चाहे आगरे का लाल किला हो, चाहे लाल किला दिल्ली का हो, पुराना संसद भवन हो, नया संसद भवन हो, राम मंदिर का निर्माण कार्य हो, उसमें धौलपुर स्टोन काफी महत्वपूर्ण जगह रखता है।

आज सरकार की उदासीनता की वजह से, आपने राइज़िंग राजस्थान के नाम पर बहुत सारा ढिंढोरा पीटा था, लेकिन आपके इस राइज़िंग राजस्थान के नाम में कहीं भी धौलपुर का नाम इंगित नहीं था।

सभापति महोदय जी, मेरा आपके माध्यम से इस सदन में मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि धौलपुर स्टोन, जो अपनी एक पहचान रखता है, देश-विदेश में पहचान रखता है, उसके लिए कोई स्पेशल नीति बनाये, क्योंकि आज वह दम तोड़ रहा है। धौलपुर स्टोन के नाम पर आज कहीं भी जाये, तो उसके लिए कहीं भी जगह नहीं है, क्योंकि सरकार ने उदासीन रवैया धौलपुर स्टोन के लिए अपनाया था।

मेरा मानना है कि स्टोन मार्ट जैसे सरकार के द्वारा कई जगह मेले लगते हैं तो उसमें स्पेशल पैकेज देकर धौलपुर स्टोन को बढ़ावा दें। जिससे वहां पर रोजगार मिल सके। वहां पर प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई हैं, उनकी एक पहचान बन सके, उसमें दम आ सके और वहां पर

जितने भी बेरोजगार लोग हैं, रोजगार पा सकें।

माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा धौलपुर स्टोन के नाम के लिए, वहां पर एक कोटरा और विश्नौदा रीको पार्क बनाया गया, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ नाम है, वहां कोई डवलपमेंट नहीं है।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से विशेष निवेदन है कि आप इन दोनों जगह को कृपया दिखवाकर के इनको पहचान दिलवायें, उनका विकास करवाएं या फिर सनोरा आंगई, जो कि उपखंड सरमथरा और बाड़ी के बीच में है और नादनपुर वहां पर रीको पार्क खोलने की कृपा करें, मेरा आपसे सदन के माध्यम से निवेदन है।

साथ ही, मैं यह कहना चाहूंगा कि धौलपुर में लीज, जो खनन माइंस हैं, उनमें आज पत्थर नहीं है, क्योंकि एक ही जगह पर बार-बार खनन करते-करते वहां पर पत्थर खत्म हो चुका है। इस वजह से मैं चाहता हूं कि हमारे धौलपुर के अंदर खनन नीति अपनाते हुए, नए प्लॉट, नए ऑक्शन खोले जायें और जो वन भूमि आती है, जहां पत्थर अच्छा मिलता है, जहां इल्लीगल माइनस होती हैं, हम कितना भी ज़ोर लगाते है, वह रुक नहीं पाता है।

मैं चाहता हूं, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री महोदय जी बैठे हुए है, आप गंभीरता से लेते हुए इनका डाइवर्जन करें, कुछ जमीन का वहां से डाइवर्जन कर देंगे तो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, धौलपुर स्टोन को एक पहचान मिलेगी, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा।

मेरा आपके माध्यम से, सदन में दोनों मंत्री जी हैं, उनसे विशेष निवेदन है, क्योंकि हमारे, वैसे आप कहेंगे नाम नहीं लेना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, फिर आप कहेंगे कि नाम नहीं लेना चाहिए। हमारे पूर्वी राजस्थान के बहुत क़द्दावर नेता हैं, जिन्हें बाबा कहते हैं। वे गए थे मेरे क्षेत्र में, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मेरा निवेदन है कि उन्होंने वहां एक वादा किया था, मेरे क्षेत्र में लोगों से कि मैं माइंस, वन विभाग और रेवेन्यू के बड़े अधिकारी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों को लेकर आऊंगा और यहां का एक सीमाबंद कराऊंगा। मेरा मानना है कि उन्होंने जो वादा किया तो उसको आप पूरा करें। सदन के माध्यम से, जिन्हें हम बाबा कहते हैं, प्यार से बाबा कहते हैं। साथ ही, मेरा निवेदन है कि आप हमारे धौलपुर की स्टोन नीति को, उद्योग नीति को, बाबा का नाम आप जानते हैं, काफी प्रिय हैं।

साथ ही, मैं कहना चाहूंगा, हमारे जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय मंत्री जी बैठे हुए हैं कि मेरा जो क्षेत्र है, धौलपुर के अन्दर, जहां मैं निवास करता हूं, 90 प्रतिशत एरिया फॉरेस्ट में आता है, 90 प्रतिशत एरिया, वहां नाममात्र की जगह है, खेती क्यारी के लिए, जिसकी जमाबंदी हो या कोई हो। सर, 90 परसेंट एरिया, आप सुनने का थोड़ा माद्दा रखना, टाइम जरूर लगेगा, मुझे आपका संरक्षण भी चाहिए।

वन अधिकार नियम के तहत धौलपुर जिले में आज तक एक भी पट्टा जारी नहीं हुआ है। हम लोगों ने कई जगह अप्लाई किया। ग्राम पंचायत लेवल से पास हो जाता है, उपखंड स्तर पर अटकलें लगाई जाती हैं और फिर जिले लेवल पर अटका दिया जाता है। यह बड़े

शर्म की बात है कि धौलपुर जिले में आज एफआरए नियम के तहत एक भी पट्टा नहीं है, जबकि हम वहां के बाशिंदे हैं। एफआरए नियम, 2006 के तहत उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसी अनुसूचित जनजातियां या ऐसे वन निवासी, जो परंपरागत वन में रहते हैं, तो उनमें एसटी के लिए तो यह साफ लिखा हुआ कि दिसम्बर, 2005 से पहले का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और अन्य के लिए लिखा है, तीन पीढ़ी समथिंग, 1930 के डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसके लिए चयनित भी किया गया कि जैसे वहां स्कूल हो, स्कूल में नामांकन हो, कोई बुजुर्ग आदमी हो, कोई पुराना पेड़ हो या कोई ऐसी पहचान हो या आपके पास कोई सबूत हो।

Bhs/Rtm/10.03.25/18.20/3n

एल.आर.ए. 91 की कोई रसीदें हों तो उसके आधार पर एफ.आर.ए. नियम के तहत पट्टा मिलता है, लेकिन आज वहां हमें पट्टा नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय, मेरा सदन में आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि कृपया आप इस पर गौर फरमाते हुए आप भी वन विभाग की टीम को बोलते हुए जहां हमारे लोग रह रहे हैं एस.सी.,एस.टी. के उनके लिए पट्टे के एफ.आर.ए. नियम के तहत पट्टा तो मिले कम से कम ज्यादा नहीं तो, चूंकि 2011 की जनगणना है, आबादी बहुत बढ़ चुकी है, आबादी के लिए जो ग्राम पंचायत में जगह थी वह कम है। यह अकेला मेरा सवाल नहीं है, सारे सदस्यों का सवाल है, मैं सबकी बात रखना हूं तो उस हिसाब से आबादी बढ़ गई, घर परिवार बढ़ गये, वन भूमि है, तो हम लोग कहा जायेंगे? हमें वन भूमि में रहने का अधिकार भी तो चाहिये। हमारे पूर्वजों ने उस जमीन को बचाया है, सींचा है, फॉरेस्ट था, पहले वन था, हमने उस सब को बचाया है, इसीलिए हमको वहां पर पट्टे चाहिये। आप कैंप लगा के पट्टे दें और मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आप अधिकारियों को भी कहें कि वहां के पट्टे जारी करें, क्योंकि मैं आपको पहले भी मिल चुका हूं और आप को अभी लेटर भी दिया है, सरमथुरा नगरपालिका पूरा फॉरेस्ट में बस रहा है पूरा। राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सबका अमलीजामा पहनाया जा चुका है, विस्तार हो चुका है। मंत्री महोदय जी, कृपया समझना।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आदरणीय सभापति महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिये। मैं पहली बार का विधायक हूं मुझे बोलने का थोड़ा सा मौका दें।

श्री सभापतिः दो मिनट आप बोल लें।

श्री संजय कुमार (बसेड़ी): माननीय वन मंत्री महोदय जी, आप कृपया इसको गंभीरता से लें। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब की जनहित की योजना है, उनका योजना में नाम आ जाता है लेकिन उनको पट्टा नहीं मिल पाता, पट्टा नहीं मिल पाने के कारण वह आवास योजना निरस्त हो जाती है, इसको आप गंभीरता से लें। यही हाल ग्रामीण क्षेत्र में है मेरे यहां

पूरा का पूरा, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको आप गंभीरता से लें।

सभापति महोदय, साथ ही मेरे यहां राजस्थान की पांचवीं करौली-धौलपुर टाइगर सेंक्चुअरी बनने वाली है, उसमें आपके द्वारा बताया गया कि 15 लाख रुपये पर पर्सन दिया जायेगा 18 साल या 18 साल से बड़े व्यक्ति का, तो मेरा निवेदन है कि उसको आप बढ़ायें, उसको देखें, कोर ज़ोन घोषित हो गया, बफर नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप उसको भी थोड़ा गंभीरता से देखें और हम लोगों के लिए सहूलियत प्रदान करे वहां पर कि हम लोगों की आजीविका का साधन क्या हो, कैसे हम वहां पर रह सकें।

सभापति महोदय, साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि मेरे यहां सबसे बड़ा मेन मुद्दा है, मंत्री जी, आप इस पर गौर करें बिलकुल कि हमारे यहां वन क्षेत्र में अवैध खनन या परिवहन की प्राइमरी जिम्मेदारी प्राथमिक जिम्मेदारी आपके डिपार्टमेन्ट की है, लेकिन आज तक आपके विभाग के द्वारा नाम मात्र की खानापूर्ति होती है और पूरा का पूरा पुलिस विभाग के द्वारा हमारे लोगों को परेशान किया जाता है पूरा, चूंकि वन विभाग में वह बताते हैं एफ.आइ.आर. में, मैं आपको एफ.आइ.आर. भी टेबल कर दूंगा। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

सर, 1 मिनट। टेबल कर दूंगा। मेरे यहां क्षेत्र के अंदर 11 एफ.आई.आर. हुई हैं पिछले नौ महीने के अंदर और नौ महीने में एफ.आई.आर. की लैंग्वेज देखेंगे तो कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट सिर्फ व्हिकल का नंबर, चेसिस नंबर चेंज है, सिर्फ कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। जब पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिल रही है कि अवैध खनन हो रहा है, परिवहन हो रहा है तो मेरा आपके माध्यम से, सभापति जी, निवेदन है कि मंत्री जी, आप गौर करें कि आप...

श्री सभापति: श्री प्रताप पुरी जी।

श्री संजय कुमार (बसेड़ी): सर, एक सेकंड। जब आपको सूचना मिल रही है तो वन विभाग की टीम को शामिल में लेकर क्यों नहीं जाता? मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वन विभाग की टीम उस पर कार्यवाही करे, न कि पुलिस करे चूंकि आप कार्यवाही करेंगे तो बहुत होगा। मेरा आपसे सदन के माध्यम से निवेदन है, मंत्री महोदय जी, इस पर गौर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रताप पुरी जी।

श्री प्रताप पुरी (पोकरण): माननीय सभापति महोदय, मुझे आज आपने मांग संख्या 56 और 45 पर बोलने का सौभाग्य दिया है, मैं आपका आभार और धन्यवाद करता हूं। सृष्टि के रचयिता ने जब इस सृष्टि की रचना की पंचतत्वों के माध्यम से, बहुत सुन्दर इस प्रकृति को बनाया और प्रकृति में सबसे पहले, मनुष्य से पहले इस पृथ्वी पर अन्य प्राणियों को विराजमान किया और उसके बाद में मनुष्य को अवतरित किया और मनुष्य की परिभाषा यदि शास्त्रों में की जाये, 'सेवा करोति, सह मानव' अर्थात् आप देखेंगे प्रकृति की रचना में सभी प्राणियों को पेट भरें, रक्षा करें, निवास करें पर किसी को हाथ नहीं दिये, केवल मनुष्य को हाथ दिया, इसका क्या कारण है? पेट तो मनुष्य को भी भरना था अन्य प्राणियों को भी भरना था, पर वह बिना हाथों के पेट भर रहे थे, तो मनुष्य को हाथ देने का कारण क्या था?

और हाथ को संस्कृत में और हिंदी में कर कहते हैं अर्थात मनुष्य तू सृजन कर, तू रचना कर और सेवा कर। हम सृजन करने के लिए आये हैं, सेवा करने के लिये आये हैं इसलिए हमें कर दिया है और कर कुछ अच्छा ऐसा जिससे तेरा जीवन सफल और सार्थक हो जाये। सृजन करना है, विकास करना है पर विनाश नहीं करना है।

सभापति महोदय, आदिकाल से मानव जब से आया उसको संरक्षण का ही जिम्मा दिया था। अन्य प्राणियों की सेवा कर प्रकृति को बढ़ावा दे और जितने प्राणी आये हैं सब को मनुष्य से ज्यादा प्रकृति ने दिया है। यदि अनाज उत्पन्न होता है तो अनाज का बाली सिट्टा छोटा होता है और घास पीछे-पीछे ज्यादा होती है। ठीक ऐसे ही प्रकृति ने पूरी रचना में पानी और वन को सबसे ज्यादा दिया है, इसलिए यदि जीवन का आधार है और सृजन करना है तो वह भी जरूरी है परन्तु संरक्षण करना, वह भी मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। आज का विषय बहुत गंभीर विषय है। विकास करो पर विनाश किसी का मत करो। आदिकाल से जो वन में रहने वाले मनुष्य हमारे पूर्वज जिस प्रकार से वनों की रक्षा करते आये, वनों का संरक्षण किया पर दुर्भाग्य से आज उनके लिए भी यदि सुविधाएं नहीं होती हैं और हम विकास की बात करते हैं तो थोड़ी अतिशयोक्ति में जाती है।

सभापति महोदय, अतः मैं आज के दोनों विषयों पर इतना ही कहूंगा कि हे मानव, हम विकास तो जरूर करेंगे पर विनाश ना करते हुए सृजन करने के लिए हाथ दिये हैं, सृजन करेंगे। प्रकृति के अंदर यदि हम देखना चाहें तो हमारी सबकी इच्छा होती है हम वन देखें, जंगल देखें, जानवर देखें, पशु देखें, पक्षी देखें और विश्व को घूमने का मन होता है कि हम विश्व के कोने-कोने में जायें। मेरा ऐसा मानना है कि विश्व को देखने की इच्छा पूरी नहीं हो तो आप भारत को देख लीजिये। माँ भारती की रचना इस प्रकृति के रचयिता ने इतनी अच्छी की है कि पूरे विश्व का दर्शन यहां हो जाता है। प्राकृतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, संस्कृति से, सभ्यता से सब प्रकार से भारत को देख लो, विश्व के दर्शन हो जाते हैं और भारत को भी यदि हम नहीं देख पाते हैं तो मेरा और आपका सौभाग्य है कि राजस्थान को देख लें, पूरे भारत के और पूरे विश्व के दर्शन यहां हो जाते हैं।

सभापति महोदय, हर प्रकार की खनिज सम्पदा, वन सम्पदा, प्राणी सम्पदा, भौगोलिक सम्पदा पूरे उस विश्व के रचयिता प्रभु ने राजस्थान में दिये हैं और मुझे गर्व है और मैं अतिशयोक्ति में और वास्तविकता में कह रहा हूं कि यदि राजस्थान को आप नहीं देख सकते हो तो बाड़मेर और जैसलमेर को देख लो, पूरी प्रकृति का और पूरे विश्व का दर्शन वहां हो सकता है। राजस्थान के अंदर रेगिस्तान बाड़मेर में, पठार बाड़मेर में, जैसलमेर में नदी-नाले बाड़मेर और जैसलमेर में, नहर बाड़मेर और जैसलमेर में इतना सुंदर बनाया है, उस जगह जो पुरखों ने संजोया संवारा था, उस प्रकृति की पूजा की थी। जितने पुराने पेड़ थे, आज हम लगा रहे हैं पेड़, यह हमारा विकास करना है और बड़े हर्ष के साथ मैं कह रहा हूं नाम भी हरियालो राजस्थान और हरियालो बजट तो यह भी अच्छे शुभ संकेत हैं कि हम सृजन कर रहे हैं और शुभकामना भी देते हैं कि हरियालो राजस्थान का हमारा सपना साकार हो और

हरियाला बजट जो आप लाये हैं इस वर्ष का वह भी हमारा सफल होगा, परंतु हरियालो राजस्थान और इस बजट को सक्षम और समृद्ध करने में हम सबकी भूमिका तय करनी है क्योंकि व्यक्ति के कृतित्व को याद किया जाता है व्यक्तित्व की तभी झलक दिखती है, वाणी और मनसा, वाचा और कर्मणा पर तीनों प्रकार से जो व्यक्ति की झलक दिखती है, हम सब लोग इतना ही चाहते हैं कि जो कृतित्व है हमारा वह कर्मयोगी बन करके पृथ्वी की रचना को संरक्षित करें और जीवों की सेवा के लिए भी हम आगे आयें।

सभापति महोदय, हमारे जैसलमेर के अंदर कई खासियतें हैं। जैसलमेर के अंदर खनिज पदार्थ का जो भंडार है वह मैं मानता हूं कि राजस्थान की तुलना में सबसे ज्यादा है हर प्रकार का खनिज पदार्थ मिलेगा जैसा कि हमारे माननीय विधायक जैसलमेर से आदरणीय विधायक जी ने कहा कि वह स्वर्ण नगरी और सोने जैसा पत्थर, सबकी इच्छा होती है कि मेरे मकान में एक सोने जैसा पत्थर लगना चाहिये जो जैसलमेर की खानों से निकलता है। हर एक प्रकार का है, पर सबसे बड़ा जो विषय मैं आपको कहूंगा कि वहां के जो पेड़ सम्पदा है, जो जाल, खेजड़ी, कुमट, कैर, सांगरी और जिसको राजस्थान का सागवान कहा जाता है वह रोहिड़ा जिसके फूल कितने सुन्दर होते हैं, जिनकी लकड़ी कितनी सुन्दर होती है, वह उस मरू प्रदेश में पाई जाती है परंतु विकास के साथ-साथ उनका संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है।

सभापति महोदय, आज खेजड़ी को हम लगाएंगे सौ-दो सौ साल नहीं हजार साल लगते हैं तब वह खेजड़ी जाकर करके वृक्ष बन कर खड़ा होता है। आज जाल को हम लगायेंगे, आज जाल को यदि हम काट के डालेंगे, उस जाल के बराबर दूसरी जाल खड़ी करने में हजारों पीढ़ियां लगती हैं तब जाकर के वह कितना बड़ा पेड़ खड़ा होता है और प्रकृति ने जो वनस्पति दी है वह हमारे जीवन का आधार है। हम हमारे जीवन के आधार को खो देंगे तो जीवन जी नहीं पायेंगे इसलिए विकास के साथ-साथ यह विकास भी ज़रूरी है, जब पर्यावरण को, प्रकृति को सुरक्षित रखें और सबसे बड़ी बात जो है कि जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, सब को देखें तो सबसे बड़ा भूभाग हमारे पास है। राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है और राजस्थान में सबसे बड़ा जिला और राजस्थान में सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है वह जैसलमेर और बाड़मेर है और जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर नहीं, पूरे विश्व को यदि कहा जाये तो 'गावो विश्वस्य मातर:' गाय का संरक्षण और गाय का संवर्धन करना आज हमारे लिए जीवन के लिए मूल आधार हो गया।

Kas/rtm/10.03.2025/18.30/3o

क्योंकि हम सब लोग स्वच्छ रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं और स्वच्छ भोजन करना चाहते हैं, आर्गेनिक भोजन करना चाहते हैं। जहां गौ का गोबर पड़ता है, इसलिए कहा गया है कि गौ में वस्ते लक्ष्मी, यानी गोबर में लक्ष्मी है। जहां गाय का गोबर और गोमुत्र पड़ेगा, वो जमीन उपजाऊ होगी और जैसलमेर बहुत बड़ा अभयारण्य है, जिसको सेवण घास

का अभयारण्य कहते हैं। आज हम सब लोग गौ माता के लिये, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान प्रदेश के संपूर्ण गौ भक्तों को और सन्यासियों को बुलाया था और पहली बार वहां निवास पर एक अति उत्तम कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिये भी हृदय से साधुवाद करना चाहूंगा। मेरा यही कहना है कि गाय को बचाने के लिये जैसलमेर में विशाल संपदा पड़ी है, सेवण घास, उसका अभयारण्य बनाया जाये और उसके माध्यम से गौ आधारित उद्योग खड़े किये जाये जिससे हमारे जैसलमेर का ही नहीं, पूरे राजस्थान का जो अन्न उत्पादन होगा, सब्जी उत्पादन होगी, जो औषधीय पौधे हैं, उनके माध्यम से विश्व स्तर पर हम व्यापार जगत में लाकर खड़ा कर देंगे।

मैं एक विषय और कह कर अपनी वाणी को पूरा करूंगा। अभी सभी विधायक महोदयों ने एक मांग की कि वन क्षेत्र में यदि कोई धार्मिक स्थान आते हैं, यदि परम्परागत आदिवासी लोग रहते हैं, वो वन विभाग से पहले वहां निवास कर रहे हैं, वन विभाग बाद में आया है, वन विभाग का कानून बाद में आया, वो हमारे आदिवासी भाई-बहन पीढ़ियों-पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं। आज मानवता के अधिकार पर क्या उनको सड़क नहीं मिलनी चाहिये? क्या उनको विद्युत नहीं मिलनी चाहिये, जहां कोई प्रसूति पीड़ा हो, कोई बुजुर्ग बीमार हो, क्या मेडिकल फैसेलिटी नहीं मिलनी चाहिये? मैं आबू राज की बात करता हूं, शेर गांव जहां महाराणा प्रताप रहे थे, जहां ओरिया गांव है, ऐसे कई गांव हैं जहां आवागमन के लिये कोई रास्ते नहीं है, वहां के भाई-बहन कंधों पर उठाकर किसी बीमार को उठा कर ले जाते हैं। वन मंत्री जी बैठे हैं, इनसे निवेदन है कि जो ऐसे धार्मिक स्थान हैं, वहां पर आवागमन की सुविधा दी जाये।

आबू राज के बारे में आपसे विशेष निवेदन करूंगा, आबू राज को बदल कर माउंट आबू क्यों किया गया? आबू राज को आबू राज रहने दें, उसका नाम परिवर्तन करके आबू राज किया जाये। आबू राज पश्चिमी राजस्थान का तीर्थ स्थान था, अगर पूरे भारत के तीर्थ नहीं कर सकते तो आबू के दर्शन कर लो, वहां सभी देवी-देवताओं का निवास है। आज आबू राज के पहाड़ों जब हम घूमते हैं तो जगह-जगह दारू की बोतलें टूटी हुई पड़ी रहती हैं और उससे हमारे वन प्राणी घायल होते हैं। इसलिए आबू राज में खुले में शराब पीने पर प्रतिबंध लगाया जाये। आबू राज धार्मिक नगरी है, इसलिए वहां मांस बिलकुल निषेध किया जाये, वहां मांस की कोई दुकान नहीं रहनी चाहिये। सभापति महोदय, यह हम सब सन्यासियों की, सभी धार्मिक प्रेमियों की अंतर मन से एक प्रार्थना है कि आबू राज को आबू राज नाम दिया जाये और वहां पर खुले में शराब पीना निषेध किया जाये और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाये।

मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आइए, राजस्थान के विकास में हम सब लोग विकास करेंगे। राजस्थान के दर्शन में सबके दर्शन होते हैं, विश्व के दर्शन होते हैं। आइए, उस प्रकृति रचयिता को हम प्रणाम करें और स्वीकार करें कि वो सर्वेसर्वा है, उसने सबके विकास के लिये पृथ्वी की रचना की है। सबका अधिकार

पृथ्वी पर है, केवल मानव का नहीं है। हे मानव, तू मानव बनकर आया है, कर्मयोगी बन कर आया है, कर दिये तो सेवा कर, सृजन कर, विनाश मत कर। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।

श्री सभापति: श्री घनश्याम।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 56- उद्योग एवं पर्यावरण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम ग्रामीण ऐरिये में है और पूरी पृष्ठभूमि ग्रामीण ऐरिये की है। वहां एससी, एसटी के लोग ज्यादा निवास करते हैं। सभापति महोदय, करौली जिला डांग क्षेत्र में आता है और वहां सिंचाई के कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिलने से उनको अपने रास्ते से विचलित होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि सरकार न सरकारी नौकरियां दे रही हैं और न इस तरह के कोई औद्योगिक क्षेत्रीय विकास कर रही है, जिससे वहां युवाओं में बेरोजगार फैल रही है और उस बेरोजगारी के कारण युवाओं में बहुत सारी कुरीतियां, बहुत सारी नशे की लत उनमें लग जाती है।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2024-25 के बजट में जो सपने आपने दिखाये, वो धरातल पर शून्य हैं और इसी तरह से आने वाले बजट में भी ऐसी स्थिति मुझे नजर आ रही है। सभापति महोदय, औद्योगिक क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठानों की भर्तियों में एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण होना चाहिये। स्व रोजगार उद्योगों में, कंपनियों और सोसाइटियों को सरकार अनुदान देती है, उन फर्मों में एससी, एसटी के लोगों को रोजगार दिलवाने की आवश्यकता है। औद्योगिक क्षेत्र में एसटी, एससी के लोगों के क्रमश: 16 व 12 प्रतिशत देकर भू-खंड दिलवाये जाएं। वंचित लोगों को आगे लाने के लिये विशेष राशि सरकार को उपलब्ध करानी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, हम देश के बड़े उद्योगपति और बड़े लोगो को तो पैसा देते हैं। अंबानी, अडानी जैसे लोगों का ऋण माफ कर देते हैं, पर आज देश का जो गरीब बेरोजगार है, उनके लिये सरकार क्या काम करने जा रही है, यह बात भी हमको जहन में रखनी चाहिये और युवाओं को रोजगार से जोड़ना चाहिये। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में रीको की घोषणा हुई थी, लेकिन आज तक भी उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और न ही उसकी जमीन का अलाटमेंट हुआ। उसका क्या कारण रहा, यह तो मंत्री महोदय तो जानते हैं, पर पिछले दो साल से वहां जमीन आवंटित नहीं हो पाई है। हमने वहां कई जगह जमीन बताई, पर वो जमीन आज तक अलॉट नहीं हुई और न उसका कोई कार्य चालू हुआ है।

सभापति महोदय, राइजिंग राजस्थान के नाम से बड़ा ढिंढोरा प्रदेश में पीटा गया कि 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। वो एमओयू किस श्रेणीवार हुए, यह राजस्थान की जनता पूछना चाहती है। वो यह जानना चाहती है कि कौन-कौन से उद्योग हमारे प्रदेश में लगेंगे। सुनने में आया है कि 35 लाख करोड़ में से 28 लाख करोड़ तो सोलर के हैं। सोलर के अलावा जो एमओयू हुए है, वो कौन-कौन से हैं और वो किन-किन क्षेत्रों में लगेंगे और उससे राजस्थान

की जनता को क्या लाभ होगा, यह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, सोलर के नाम से पश्चिमी राजस्थान में हमारे खेजड़ी के वृक्ष को काटा जा रहा है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जितने भी जिले हैं, वहां के किसान बहुत चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वो खेजडी को पूजते भी हैं और खेजड़ी के पौधे को एक क्षेत्रीय वृक्ष के रूप में मानते हैं, इसलिए सरकार को खेजड़ी के पेड़ों को नहीं काटना चाहिये। सरकार को ऐसा क्षेत्र चुनना चाहिये जहां पौधे कम हो और वहीं सोलर के प्लांट लगाये जाये, पेड़ों को नहीं काटा जाये, ऐसा मेरा मानना है।

माननीय सभापति महोदय, करौली जिला पिछड़ा जिला है और यह भारत सरकार ने भी माना है कि करौली जिला पिछड़ा क्षेत्र है। हमारे करौली जिले में लोहे का भारी भंडार मिला है और पिछले कई सालों से उस पर शोध हो रहा है। वहां 100-150 किलोमीटर ऐरिये में इस्पात का भंडार मिला है। जैसे टोडुपुरा, फेली घपरा, कोटड़ी, पालमपुर, जहां आयरन का भंडार मिला है, सरकार को बड़े उद्योग वहां लगाने चाहिये। प्रदेश में रिफाइनरी और लोहा, ये दो ऐसे उद्योग लग सकते हैं जो हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। वहां सरकार को जल्दी से जल्दी कंपनियों से एमओयू करना चाहिये और वहां बड़े-बड़े उद्योग स्थापित करने चाहिये। सुना है कि वहां कार फैक्टरी भी लगा सकते हैं, वहां सरकारी जमीन भी बहुत उपलब्ध है, पर उसमें सरकार की धीमी गति से कार्य हो रहा है, यह बड़ी चिंता का विषय है, उसको जल्दी से जल्दी मंत्री जी चालू कराने की कोशिश करेंगे।

अब मैं वन विभाग की बात करता हूं। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, हमारे फोरेस्ट डिपार्टमेंट की आज यह हालत है कि प्रदेश के जो माइनिंग ऑनर हैं, वो अवैध खनन कर रहे हैं और गांव का आदमी एक ट्रेक्टर ट्रोली पत्थर ले आयेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, उसकी 2-3 लाख रुपये की रसीद कटेगी।

Msk/Rtm/10.03.25/1840/3p

आये दिन लोगों के फोन आते रहते हैं। हमारे एरिये में जितनी भी माइनिंग हो रही है, फोरेस्ट डिपार्टमेंट में, अवैध माइनिंग कर रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। चाहे माइनिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे फोरेस्ट डिपार्टमेंट हो, सबने उनको छूट दे रखी है। जो बड़े-बड़े लोग हैं, 10-10, 20-20 लाख रुपये रोज कमाने वाले हैं, ऐसे गलत काम कर रहे हैं, पर उन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मंत्री जी से मेरा आग्रह रहेगा कि ऐसी जो बड़ी-बड़ी मछलियां हैं, वे सरकार का नुकसान कर रही हैं, अवैध माइनिंग कर रही हैं, उनको तुरंत प्रभाव से रोका जाये और आम ग्रामीण आदमी है, जो ट्रैक्टर से पत्थर ले आता है, बजरी ले आता है, उनको नहीं पकड़ा जाये, उनमें कोई मकान बनाने के लिए ला रहा है, कोई बाउंड्री बनाने के लिए लाता है या हमारे गांव में जो सड़कें बन रही हैं, ग्राम पंचायत सड़क बना रही है, पीडब्ल्यूडी रोड बना रही है, मोरम लाती है, उनको पकड़ते हैं और उनकी दो-दो, तीन-तीन लाख रुपये की रसीद कटती है। गांव के एक गरीब आदमी की तीन लाख रुपये की रसीद,

उसका ट्रैक्टर जब्त हो जाता है, उस पर क्या बीतती है? आप उन लोगों को पकड़िये जो 20-20, 30-30 लाख रुपये पर-डे कमा रहे हैं और अवैध माइनिंग से कमा रहे हैं। दफ्तरों में उनको कुर्सियां मिलती हैं, बिठाते हैं, अधिकारी उनसे प्रेम से बात करते हैं और आम आदमी को परेशान करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जिस तरह से हमारी दो-तीन जगहों पर बजरी का खनन हो रहा है, जो तस्कर बजरी खनन कर रहे हैं, उनको तो नहीं पकड़ते हैं और कोई ग्रामीण आदमी ले आता है तो उसको पकड़ लेते हैं। इस तरह की रोज सैकड़ों शिकायतें आती हैं। तीन-तीन लाख रुपये, दो-दो लाख रुपये की रसीद काटी जाती है और बेचारे वे लोग किस तरह से परेशान होते रहते हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ऐसी स्थिति में मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इस तरह का जो भ्रष्टाचार रोका जाये और आम आदमी को परेशान नहीं किया जाये। माननीय सभापति महोदय..

श्री सभापतिः श्री विक्रम बंशीवाल।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): कागज अधूरे ही रह गये।

श्री विक्रम बंशीवाल (सिकराय): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या- 56 और मांग संख्या- 45 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने उद्योग क्षेत्र के समग्र विकास, निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। राज्य सरकार का मुख्य फोकस औद्योगिक आधारभूत संरचना को मजबूत करने, नये औद्योगिक पार्कों की स्थापना, एमएसएमई क्षेत्र के विस्तार, और लॉजिस्टिक सुविधाओं के उन्नयन पर है। सभापति महोदय, इस बजट में औद्योगिक आधारभूत ढांचा एवं निवेश को प्रोत्साहन करने एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नयी नीति लागू करने, सेवा क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति बनाने जैसी महत्त्वपूर्ण घोषणाएं की गयी हैं।

आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकराय में आने वाला ग्राम सिकंदरा सैंड स्टोन की कारीगरी के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहां से देश के विविध क्षेत्रों में माल सप्लाई किया जाता है। यहां स्टोन पार्क खोलने की अति आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी के द्वारा बजट सत्र 2024-25 में स्टोन पार्क बनाने की घोषणा की थी, जिससे वहां के व्यापारियों को एवं पत्थर कारीगरों को बहुत लाभ होगा। महोदय, उक्त पार्क हेतु भूमि आवंटन के लिए सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। मेरा निवेदन है कि भूमि आवंटन को यथाशीघ्र करवा कर वित्तीय स्वीकृति भी जल्द ही करवाने का कष्ट करें, ताकि इसका लाभ पूरे देश को और हमारे राज्य को भी मिल सके।

सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा मेरे विधान सभा में 2 औद्योगिक इकाइयों की घोषणा की गयी थी तथा उनका खूब प्रचार प्रसार भी किया गया था। वहां पर रीको के बोर्ड भी लगा दिये गये, परंतु सभापति महोदय पूर्ववर्ती सरकार जाते-जाते वे बोर्ड भी उठाकर ले गयी। वहां पर घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं ही रह गयीं। मेरा सरकार से आग्रह है कि इस मामले

में संज्ञान लिया जाये कि ये घोषणाएं क्यों की गयी? यह हमारी भोली-भाली जनता को बेवकूफ बनाया गया, इसलिए की गयी। महोदय, वर्तमान में मुम्बई से रेलमार्ग एवं दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे से जुड़ने के पश्चात् हमारे क्षेत्र की महत्ता एवं आवश्यकता और बढ़ गयी है और आवश्यकता भी बढ़ गयी है।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकराय के भांडारेज एवं आसपास के लगभग 10-15 गांवो में काफी मात्रा में सिवायचक एवं गोचर भूमि उपलब्ध है। इस भूमि को राज्य सरकार द्वारा एक विशेष निवेश क्षेत्र घोषित करके ही प्राप्त किया जा सकता है। राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत सिकराय विशेष निवेश क्षेत्र अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित करने के पश्चात इसे Sikrai Industrial Development Authority के रूप में विकसित किये जाने की शीघ्र आवश्यकता है, अन्यथा इस क्षेत्र में निजी उद्यमियों द्वारा अनियोजित रूप से उद्योग एवं लॉजिस्टिक्स सुविधाएं विकसित कर ली जायेंगी।

सभापति महोदय, इस क्षेत्र में कुछ वर्षों पहले कालीन पार्क के लिए भूमि आवंटित्त की गयी थी, जिसका पूर्ववर्ती सरकार की लापरवाही और उदासीनता के चलते समय पर विकसित नहीं करने के कारण आवंटन निरस्त कर दिया गया था। वर्तमान में इस कालीन पार्क को विकसित करने वाले उद्यमियों द्वारा इसे पुनः बहाल करने का भी अनुरोध किया जा रहा है। यह क्षेत्र कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है एवं इसके विकसित होने से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर विकसित होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि सिकराय विधान सभा में आने वाले उक्त क्षेत्र के लगभग 10-15 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए एक सिकराय विशेष निवेश क्षेत्र एवं सिकराय औद्योगिक क्षेत्र विकास अभिकरण की स्थापना करना अति आवश्यक है।

सभापति महोदय, सोलर एवं ग्रीन एनर्जी आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन के तहत यदि प्रावधान किया है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सौर ऊर्जा पार्क बनाये जाने का प्रस्ताव भी मैं रखता हूं। सौर ऊर्जा पार्क हेतु बंजर पड़ी भूमि का उपयोग भी किया जा सकता है। इस बंजर भूमि का सही उपयोग भी हो जायेगा और साथ में सौर ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि भी होगी, जो इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा होगा।

सभापति महोदय, वनों की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिये, जलवायु परिवर्तन का नियंत्रित करने, जैव विविधता को सुरक्षित रखने, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए वनों की रक्षा एवं इनका विस्तार अत्यंत आवश्यक है।

सभापति महोदय, वन्य जीवों के संरक्षण हेतु हमारी सरकार अपनी योजनाओं के द्वारा कार्य करने के लिए कृत संकल्पित है। महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी अरावली पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा है, जिसमें आये दिन वन्य जीवों का विचरण देखा जाता है। अभी कुछ दिनों पूर्व मेरी विधान सभा के गांव लांका में भगोरा निवासी छाजूराम पुत्र हरिनारायण गुर्जर था, वह पैन्थर के हमले में घायल हो गया था और उसके बाद उसकी मौत हो गयी। यहां पर मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन क्ररूंगा कि उसको उचित मुआवजा दिलाया जाये

और उसके परिजनों को कोई सरकारी नौकरी का भी प्रावधान किया जाये। मैं एक ओर निवेदन करना चाहूंगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला लालसोट विधान सभा क्षेत्र के पपलाज माता मंदिर होते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकराय के श्री मोरोली बालाजी धाम से श्री मेहंदीपुर बालाजी के पास से गुजरती है। चूंकि उक्त वर्णित देवस्थानों पर स्थानीय एवं बाहरी राज्यों से भक्तों का आना जाना लगा रहता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त वन क्षेत्र में नाहरगढ़ बायोलॉजीकल पार्क की तर्ज पर एक वन कॉरिडोर विकसित किया जाये, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सके एवं नये रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकें, वन्य जीवों का संरक्षण भी हो पायेगा। साथ ही, आपसे निवेदन करूंगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र वन से सटे हुए हैं, उन इलाकों में फेंसिंग का काम किया जाये, जिससे कि ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, वे नहीं हो पाये। यही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गणेश घोगरा।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 56- उद्योग और मांग संख्या 45- वन एवं पर्यावरण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, वन एवं पर्यावरण, वन हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। वनों से, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, गौंद भी मिलता है, ईंधन भी मिलता है, फल-फूल भी मिलते हैं, इसलिए वनों की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है। इन वनों का हमें संरक्षण करना चाहिए। जो भी वनों में कटाई हो रही है, उसको रोकने के लिए कठोर कानून बनाना चाहिए और कम से कम छह महीने या साल भर की सज़ा भी होनी चाहिए। क्योंकि जब कोरोना काल था, उस समय ऑक्सीजन की जरूरत थी। आपको ही पता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी। पैसे देते थे, फिर भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। हमारी जो प्राकृतिक ऑक्सीजन है, जब वृक्षों का संरक्षण करेंगे, वृक्ष हमारे लिये रहेंगे, तो हम सब जिन्दा रह सकते हैं। इसलिए हमारे लिए पेड़ बहुत ही आवश्यक हैं।

माननीय सभापति महोदय, वनाधिकार अधिनियम, 2006, यह हमारी कांग्रेस सरकार ने लागू किया, नियम बनाये। जो वन में रह रहे हैं, जो वर्षों से जनजाति के लोग रह रहे हैं, आदिवासी के लोग रह रहे हैं, उनको पट्टा दिया जाये। उनके वहां पहले से खेत हैं, कुआं है, बावड़ी है। ये वनाधिकार के नियम नहीं बने, उससे पहले से वहां पर लोग बसे हुए हैं, वहां पर रह रहे हैं। सबसे पहले उनका हक/अधिकार है। हम बात तो करते हैं कि आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में बिछीवाड़ा और डूंगरपुर ब्लॉक में आज भी फाइलें एसडीएम कार्यालय में पड़ी हुई हैं। आज भी पट्टे तक नहीं दिये हैं। वे लोग रोज दफ्तरों के चक्कर मार रहे हैं।

mdp/rtm/10.03.25/18:50/3q

माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को चिह्नित कर

सर्वे कर, वास्तव में वह लोग बैठे हुए हैं, उनको पट्टा दिया जाए। एक बात यह भी है कि अगर पिताजी के नाम एक बार पट्टा दे दिया तो बेटे चार हैं तो वह मना कर देंगे कि नहीं, आप नियम में नहीं आते हो, तो वह बेटे कहां जाएंगे? उन बेटों को भी तो अधिकार है, वह भी तो उस जमीन पे रह रहे हैं, तो उनको भी उनकी जमीन का अधिकार मिलना चाहिए, पट्टा मिलना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे सत्तापक्ष के साथियों ने कई बातें कीं। 'एक पेड़ मां के नाम' यह अभियान चलाया है और ऐसा कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को भारतीय जनता पार्टी ने, +++ अपने मित्रों को फायदा देने के लिए 1 लाख 76 हजार हैक्टेयर जमीन +++ को दे दी। वहां के आदिवासियों को ...(व्यवधान)... बेघर कर दिया। वहां से चिड़िया, पशु-पक्षी उनको भी बेघर कर दिया।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): जो यहां नहीं है, उनका नाम यहां पर नहीं लें। सभापति जी, एक्सपंज किया जाए।

श्री सभापतिः एक्सपंज कर दिया जाए।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): बरसों से जो आदिवासी रह रहे थे, उनको भी बेघर कर दिया और बात कर रहे हैं एक पेड़ मां के नाम पर।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, जो सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम नहीं लेवे। नाम हटाया जाए।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से ये आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं, जिस तरह से आदिवासियों को बेघर कर रहे हैं। वहां से हसदेव जंगल से आदिवासी लोग आज भी भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिला। वहां के आदिवासी तो ठीक है, लेकिन इन्होंने जो जंगली जानवरों के घर थे, उनको भी उजाड़ दिया, उनको भी बख्शा नहीं। आपको भी भगवान बख्शेगा नहीं, यह ध्यान रखना।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी तरफ आदिवासियों को तो वहां से हटा रहे हो लेकिन अजमेर से ठेठ डूंगरपुर तक चले जाए आप, वहां पर अरावली पहाड़ियां हैं, उन अरावली पहाड़ियों का जो श्रृंगार होता है पेड़, उन पेड़ों को काट दिया। अब पूंजीपतियों के लिए, जो पैसे वाले हैं उद्योगपति, उनके लिए सब, वन विभाग में भी उनको होटल के लिए लाइसेंस मिल जाएगा, फार्म हाउस के लिए मिल जाएगा, लेकिन आदिवासी के लिए नियम कानून, हमारे लिए, गरीब के लिए ही नियम-कानून बने हैं क्या? उनके लिए कानून नियम लागू नहीं होते हैं? उनको किस आधार पर आपने बार का लाइसेंस दे दिया, होटल का दे दिया, फार्म हाउस को दे दिया? उसकी जांच करके उनको निरस्त कराएं। पहाड़ों पर वन क्षेत्र नहीं है क्या? वन क्षेत्र नहीं आत पहाड़ों पर। आप देख लीजिए चिरवा घाटा के आगे चले जायें, सब पहाड़ों पर होटेलें बना दीं, फ्लैट बना दिए। उनको निरस्त करा जाए और आदिवासी जो बरसों से रह रहा है, उसको आप नियम बता रहे हैं। माननीय सभापति जी, मेरा निवेदन है कि

आदिवासी जो जन जातीय लोग रह रहे हैं, उनको पट्टा हक दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, वन में लोग भी निवास करते हैं, जानवर भी रहते हैं और वहां पर पीने के लिए मवेशियों के लिए भी पानी नहीं है, जानवरों के लिए भी पानी नहीं है तो मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि आप वहां छोटे-छोटे एनिकट भी बनायें जिससे बारिश का पानी रुक सके, तो वहां के जंगली जानवर अपनी प्यास बुझा सकें और जो लोग रह रहे हैं उनके भी मवेशी पानी पी सकें। इसके साथ ही पक्की दीवार बनाई जाए तो जानवरों की सुरक्षा हो सके। पक्की दीवार बनेगी, वहां पर हर साल हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। कभी नरेगा के माध्यम से कर रहे हैं, कभी वन विभाग के माध्यम से कर रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं, लेकिन वहां अभी तक वृक्ष जिंदा है क्या? इसके लिए हमें कोई योजना बनानी पड़ेगी। या तो ट्री-गार्ड लगाए या परकोटा लगाएं या चौकीदार भी वहां रखें ताकि वह देखरेख करे कि ये पेड़ जिंदा है या मर गया है। तभी हमारा ये अभियान सफल होगा नहीं तो एक पेड़ मां के नाम अभियान सफल होने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि औषधि वाले पौधे लगाएं, जो जड़ी बूटी वाले, पहले डॉक्टर वगैरह नहीं थे, पहले पुराने जमाने में जो औषधि वाले पेड़ थे जड़ी बूटी, उससे ही इलाज होता था। इन पेड़ों को भी हमें लगाना चाहिए। सभापति महोदय, हमारे वहां पर एक लेंटाना, हमारे वागड़ी में उसको गेबरा कहते हैं। वह खुरदरे पत्ते वाला होता है, फूल होते हैं इसमें। वह खूब सारे उग गए खरपतवार की तरह। उसके नीचे घास भी नहीं उग रही है। अगर उसको बकरी खा जाये या गाय-भैंस भी खा जाए तो वह भी मर जाते हैं । इसके लिए कोई ना कोई अभियान चलाएं। नरेगा के माध्यम से चलाएं या किसी भी माध्यम से चलाएं। ये जो लेंटाना हैं, इसको हटाया जाए तो गाय, भैंस,बकरी नहीं मरे और वहां पर जो खरपतवार नहीं उग रहा है, जो चारा घास भी नहीं उग रही है, वह तो कम से कम उगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं पर्यावरण के बारे में कहना चाहूंगा। आज पर्यावरण इतना दूषित हो चुका है, आज फैक्ट्रियां-उद्योग जो चल रहे हैं, उनका जो रसायन है, जो केमिकल का पानी है, वह नदी में छोड़ा जा रहा है, तालाब में छोड़ा जा रहा है। इससे कई प्रकार की मछलियां और जीव जंतु हैं, वह मर रहे हैं। इसको हमें रोकना चाहिए। प्लास्टिक माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा ये सबसे पहले यह प्लास्टिक पूरे हिंदुस्तान में बंद होना चाहिए। इस प्लास्टिक से कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। इस प्लास्टिक को खाने से हमारी गाय,भैंसें जो रोड पर हम खाना खा के फेंक देते हैं, वह थैलियां खाकर गाय-भैंस भी मर रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, पहले जो हम प्लास के पत्तों में खाना खाते थे गांवों में, अब वह केमिकल वाले आ गए, कागज वाले जिनमें केमिकल,रसायन होता है। हमें गृह उद्योग पर भी ध्यान देना चाहिए। वह दोने जो प्लास के पत्ते जो होते हैं...

श्री सभापति: श्री फूल सिंह।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): उसमें हम पहले खाते थे। इस प्लास के पत्ते के जो दोने होते हैं, उन पर होना चाहिए।

श्री सभापति: आप विराजिए। विराजिए।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे, बस एक सेकंड, यह कहना चाहूंगा कि उद्योग धंधों में, एक सेकंड, अरे, जावरमाता जो मंदिर है।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने मांग संख्या 56, मांग संख्या 45 पर बोलने का मौका दिया। मेरे संगठन और आपका बहुत बहुत आभार।

सभापति महोदय, हमारे उद्योग मंत्री जी या नहीं है मगर नोट कर रहे हैं। सभापति महोदय, आप के माध्यम से बताना चाहता हूँ की उद्योग लगाएं, मगर उसके रख-रखाव कार्य हमारे जिम्में होना चाहिए। जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया मादड़ी, रीको एरिया है, वहां पर केमिकल फैक्ट्रियां लग रही हैं, मगर उसके अंदर केमिकल को सुचारु रूप से काम लेने में और उनके जो यंत्र लगा रखा है, वह यंत्र बराबर लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वहां का पानी प्रदूषित हो गया है। आज पीने लायक पानी नहीं है। ऐसे ही हमारा रीको एरिया कलड़वास, उसके अंदर केमिकल की फैक्टरी नहीं लगाने का वादा किया था, जब इनको एनओसी दी थी तब और उसी एरिया से कम से कम अभी 15-20% उदयपुर को वहां से पानी पिलाया जाता है। उसके अंदर केमिकल फैक्ट्री न लगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हमारे यहां इंडस्ट्रियल एरिया तो लग रहे हैं, जगह जगह लग रहे हैं, मगर हमारा कच्चा माल दूसरे प्रदेशों में जा रहा है और वह भी राजस्थान में भी एक रेट है और दूसरे प्रदेश में जा रहा है, तो उसकी भी यही रेट है। इसकी वजह से हमारी सैकड़ों इंडस्ट्रीज जो ग्राइंडिंग यूनिट हैं, वह बंद हो गई हैं और कुछ बंद होने के कगार पर हैं और हजारों श्रमिक, हमारे युवा बेरोजगार हो गए हैं। जो काम कर रहे थे, वह घर पर बैठे हैं। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालें जिससे हमारा उद्योग भी चले और बेरोज़गारों को रोजगार मिले और दूसरे प्रदेशों में भी माल जाए।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये कहना चाहता हूं कि हमारे ट्राइबल एरिया के अन्दर लघु उद्योग लगें। हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर जो वनवासी भाई-बहिन हैं, जो आदिवासी रहते हैं, वह केवल और केवल एक फसल के ऊपर निर्भर हैं। एक फसल जो बरसात की फसल होती है, उसी एक फसल से उनका गुज़ारा होता है और वह पलायन कर दूसरे प्रदेश में मजदूरी के लिए जाते हैं। अगर लघु उद्योग, इंडस्ट्री एरिया की तरह हमारे ट्राइबल एरिया में लगेगा, हमारे ट्राइबल के मंत्री महोदय भी हैं बाबूलाल जी, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि आप भी पैरवी करें ताकि हमारे ट्राइबल के जो लोग हैं

गुजरात में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा, कर्नाटक कहां-कहां मजदूरी के लिए जाते हैं, तो हमारे लोगों को भी रोजगार मिलेगा तो हम पलायन नहीं करेंगे।

Ans/rtm 19.00 4a 10.03.2025

माननीय सभापति महोदय, हमारे वन विभाग के मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि वन विभाग के अंदर अधिकारियों ने पूर्व सरकार के अंदर जो मनमानी की, अधिकारी हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर बसी आदिवासी बस्तियां हैं उनमें रोड की एन ओ सी नहीं देते हैं। वहां पर आने जाने का साधन नहीं है। मरीज अगर बीमार हो गया तो उसको खाटले में यानी की चारपाई में या झोली में लेकर हॉस्पिटल तक आते हैं। हमारे नाकाफला, उमेडा और चांदला के बीच का एक गांव है, 100 साल पुरानी बस्ती है, वहां पर 2013 से 2018 के बीच हमने रोड का पैसा दे दिया था, मगर वन विभाग के अधिकारियों ने पूर्व 5 साल के अंदर कुछ नहीं किया और वे पैसे लैप्स हो गए। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि हमारे अनेक ऐसी रोड हैं जो एन ओ सी के बिना हमारे रोड वंचित हैं। आदिवासी एरिया के अंदर हमारे जनजाति भाई वन विभाग की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए मंगरे को बराबर करता है, उबड़-खाबड़ है उसको समतल करके कमाई का साधन बनाता है। हमारे वन विभाग के अंदर यूडीए को वहां तक लेने के लिए 40-50 किलोमीटर लेने की बात चल रही है, हमारे वनवासी भाई कहा जाएंगे? आज यू आई टी पेरीफेरी के अंदर एन ओ सी लेने के लिए, वह मकान नहीं बना सकता है, सामुदायिक भवन नहीं बना सकता है, विधायक कोटे का पैसा नहीं लग सकता है। ऐसे में हमारा जो यू डी ए का यानी की वहां तक अगर 40 किलोमीटर ले लेंगे तो विकास तो कहीं गया, हमारा वनवासी भाई उस एन ओ सी के चक्कर में जूते घिसा देगा परन्तु उसको एन ओ सी नहीं मिलेगी। वन अधिकार के पट्टे के लिए पूर्व सरकार में फाइलें मिट्टी खा रही थीं, वे फाइलें हमने निकलवाई है। मंत्री महोदय, वन अधिकार के जो पट्टे आप जो दे रहे हैं, वे तुरन्त प्रभाव से हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर वन अधिकार के पट्टे भी आप दिलवाएंगे तो बहुत बड़ा हमारा यह काम हो जाएगा।

सभापति महोदय, मैं आपको क्या बताऊँ। वन विभाग के अंदर उनरी, बड़ी उनरी के अंदर 12वीं तक के स्कूल है और छह कमरे में चल रही है, दो शिफ्टों में चल रही है, वन विभाग में वह जमीन आ रही है। कहते हैं कि सरकारी काम के लिए, उद्योग के लिए, सामुदायिक कोई भी हॉस्पिटल हो, सरकारी हो उसमें हम जमीन दे देंगे, मगर वन अधिकार के कारण हमारे स्कूल का भी नहीं हो रहा। हमारे देवाली के अंदर तीन कमरे के अंदर 12वीं तक स्कूल चल रही है, वहां यूडीए के पास जमीन नहीं है, वन विभाग की जमीन है, तो वह भी हमें दी जाए। गोरेला के अंदर पंचायत तो बना दी, मगर पंचायत भवन बनाने के लिए जमीन नहीं है, वह भी वन विभाग के अंदर आती है, तो मंत्री महोदय सभापति जी के मार्फत मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इनको भी जल्दी से जल्दी दिलवाएं। हमारे ट्राइबल के श्री रतन लाल जी मीणा 2002 में शहीद हुए थे। उनके गांव में आने-जाने का साधन नहीं है। ट्राइबल

एरिया का एक ही शहीद हुआ है। उस रोड की एनओसी दे देते हैं तो उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी रहूंगा, आपका आभार व्यक्त करुंगा।

सभापति महोदय, समय कम है परन्तु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मंत्री महोदय उदयपुर के अंदर चीरवा का कांटा में उद्घाटन करने आए थे। गुलाब जी भाईसाहब अभी पंजाब के महामहिम हैं, उन्होंने महात्मा गाँधी स्मृति वन उद्यान को चीरवा में बनाया था। उसके अंदर लागत 231.70 लाख थी, उसमें आय 02 करोड़ 24 लाख की हुई, 03 हजार 985 पर्यटक वहां पर आ चुके हैं। ऐसे ही मेवाड़ जैव विविधता पार्क और पुरोहितों का तालाब इसमें कुल मिलाकर 60 लाख 54 हजार 980 पर्यटक आ चुके हैं और आय 04 करोड़ 55 लाख की हुई, इसमें टोटल खर्चा 03 करोड़ 80 लाख का हुआ है। यानी वन विभाग के अंदर भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने 2013-18 के बीच में जो काम किया था, उसमें वन विभाग के अंदर खर्च करने के बनिस्बत उसके अंदर आय भी हो गयी, रोजगार भी मिल गया और पर्यटन को बढ़ावा भी मिला।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं वन्य जीव अभयारण्य, सज्जनगढ़ एवं जैविक उद्यान सज्जनगढ़ का विवरण बताना चाहता हूं। 20 करोड़ 09 लाख 83 हजार 464 रुपये व्यय हुए थे, उसके अंदर अब 75 लाख पर्यटक आ चुके हैं, 42 करोड़ 15 लाख 47 हजार 188 रुपये की आय भी हो गयी है। हमारी पूर्व सरकार 2013-18 की बता रहा हूँ। वर्ड पार्क जिसके अन्दर 10 करोड़ 22 लाख 66 हजार रुपये खर्च हुए थे, उसके अंदर अभी तक 01 लाख 48 हजार 730 पर्यटक आ गये तथा 31 लाख 99 हजार 389 रुपये की आय हो गई। बागडदा कंजर्वेशन रिजर्व में मगरमच्छ रहते हैं, उसको देखने के लिए 08 हजार 205 पर्यटक जा चुके हैं, 31 लाख 6 हजार 10 रुपये की आय हो चुकी है। सभापति महोदय 2018 में हमने पास किये थे 01 करोड़ 08 लाख 55 हजार 575 रूपये, पांच साल के अंदर यह खर्च नहीं कर सके। हींगलाज माताजी स्मृति वन, उसके अंदर एक मेरी विधान सभा में काम पुराना बाकी रह गया था, उसको भी यह नहीं कर पाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं आप जुझारू हो, आप दौरा भी करते हैं। उदयपुर के अंदर कितनी बार आए हैं, झीलों की नगरी भी है। हमारा पहाड़ी एरिया है जो अरावली पर्वतमाला है, उसके अंदर एक कालीवास पंचायत है, वहां पर वन तो कुछ है नहीं, मगर वहां पर पर्यटकों की संख्या ज्यादा है, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो वहां हज़ारों की संख्या में पर्यटक जाते हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि वहाँ पर ऐसे संसाधन की उपलब्धता हो, पर्यटकों को खाने पीने की भी सुविधा मिले और रहने की भी सुविधा मिले, तो एक पर्यटक पांइट का बहुत बड़ा डवलप हो जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): सभापति महोदय, पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन।

श्री सभापति: क्या है?

सूचना

जैसलमेर में वन प्रेमियों द्वारा ट्री पोटेक्शन एक्ट लागू करने हेतु प्रदर्शन

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन। आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज जैसलमेर को पूर्ण तरीके से वन प्रेमियों द्वारा बंद करवाया गया था। पिछले कई दिनों से अलग-अलग ज़िलों के अंदर ये मुहिम चलती आ रही है। मेरा प्रदेश की सरकार से निवेदन की ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, ताकि हमारी खेजड़ी और यह पर्यावरण को पूरे तरीके से बचाया जाए। आज हमारे जैसलमेर के अंदर विश्नोई समाज व 36 कौम के भाइयों ने जो मजबूती दिखाई है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।

श्री सभापति: विराजो। श्री अशोक कुमार कोठारी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 56 - उद्योग व मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण पर विचार

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, हमें बजट अनुदान मांग संख्या 56 व 45 उद्योग और वन एवं पर्यावरण पर समय प्रदान करने के लिए धन्यवाद।

सर्वप्रथम हम हमारे मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने इस वर्ष का बजट ग्रीन बजट देते हुए बजट का 11 प्रतिशत पर्यावरण पर दिया। साथ ही आपने एक पेड़ माँ के नाम पर 10 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य लेते हुए आपने हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी की परिकल्पना को पूरा किया। प्रधान मंत्री जी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा था कि देश का ध्यान अब ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन जॉब पर है, जो पर्यावरण संरक्षण में योगदान करते हुए रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे हम बैक बोन आप इकोनॉमी भी कहते हैं।

VPS-RTM-10.03.2025-19.10-4b

उद्योग ही हमारे देश की समृद्धि का आधार स्तम्भ होते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ने गुजरात वाइब्रेंट से प्रेरणा लेते हुए राजस्थान राइजिंग समिट लाकर प्रथम वर्ष में ही 35 लाख करोड़ के एम.ओ.यू. करके प्रदेश की समृद्धि का नया इतिहास लिखा।

माननीय सभापति महोदय, अब हम हमारी विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा की तरफ आते हैं। भीलवाड़ा अध्यात्मिक एवं औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर बड़े स्तर पर माइनिंग व टेक्सटाइल का बिजनैस है, यहां कि भूमि बहुत ही ऊर्जावान है। यहां के उद्यमियों ने थोड़े ही समय में टेक्सटाइल में विश्व में अपनी पहचान बनाई है। आज भीलवाड़ा में दस करोड़ मीटर प्रति माह कपड़ा बनता है, 31 हजार करोड़ का टर्नओवर है जिसमें छह

हजार करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। साथ ही भीलवाड़ा जी.डी.पी. में राजस्थान में तीसरा स्थान रखता है पर यह सब उद्यमियों ने अपने पुरुषार्थ से अर्जित किया है। अगर सरकार का ध्यान अधिक होता तो भीलवाड़ा राजस्थान के विकास में और बड़ी भूमिका निभाता।

माननीय सभापति महोदय, हम हमारे मुख्य मंत्रीजी एवं माननीय मंत्रीजी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस बजट से पूर्व ही RIPS-2024, एक अच्छी पॉलिसी समय पर लाकर उद्योगों को बड़ी राहत प्रदान की, जिससे उद्योगों के विकास के नये द्वार खुलेंगे, साथ ही हम राज्य सरकार से यह आग्रह करना चाहेंगे कि टेक्सटाइल कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला सेक्टर है।

अब टेक्सटाइल उद्योग को मध्यप्रदेश की तर्ज पर सुविधा दी जाएगी तो यहां के उद्योग मध्यप्रदेश में माइग्रेट नहीं होंगे एवं राजस्थान में ही रहकर विकास एवं रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आज भीलवाड़ा के काफी टेक्सटाइल उद्योग माइग्रेट होकर नीमच में टेक्सटाइल उद्योग लगा रहे हैं। माइग्रेशन का मुख्य कारण है कि वहां पर ब्याज पर अनुदान पांच से छह प्रतिशत है। दूसरा, औद्योगिक भूमि की सुगम उपलब्धता है। तीसरा, बिजली की दर मध्यप्रदेश में राजस्थान से दो से तीन रुपये प्रति यूनिट सस्ती है। चौथा, सरकार के द्वारा उद्योग लगाने से सम्बन्धित औपचारिकताएं तय समय सीमा में पूरी हो जाती हैं। पांचवां, मध्यप्रदेश में 40 से 50 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी है जबकि हमारे यहां पर सब्सिडी लगभग 23 प्रतिशत ही है तो यह बहुत ज्यादा गैप है। अगर इसको अपन भीलवाड़ा में और राजस्थान में टेक्सटाइल बिजनैस को बढ़ावा चाहते हैं तो उसकी पॉलिसी के मैच अपने को करना होगा।

माननीय सभापति महोदय, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका औद्योगिक भूमि की उपलब्धता होती है। वर्तमान में भू-उपयोग परिवर्तन के जो दो लाख वर्गमीटर से ज्यादा के अधिकार राज्य स्तर पर करने से भू-उपयोग परिवर्तन में काफी प्रकरणों में विलम्ब हो रहा है। इसी के साथ औद्योगिक इकाइयों की ओर से विस्तारीकरण के आवेदन पर नई रूपांतरण हेतु आवेदित भूमि में पूर्व में औद्योगिक रूपांतरित भूमि को जोड़ा जा रहा है। इस हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की सीमा को बढ़ाते हुए इसे जिला स्तर पर ही निस्तारण करने का निर्देश दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा गत वर्ष के बजट में भीलवाड़ा को टेक्सटाइल पार्क दिया गया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार। हम आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करते हैं कि उक्त भूमि को केन्द्र सरकार के पीएम मित्र पार्क की ही गाइडलाइन के अनुसार या और भी उससे अधिक सुविधाएं राज्य सरकार प्रदान करे तब ही उद्योगपति उस पार्क से जुड़ पाएंगे न कि केवल रीको के प्लाट का विक्रय कर उद्योगपति को नहीं जोड़ा जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से हम मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहेंगे कि जिंदल शाह लिमिटेड को वर्ष 2011 में खनिज लीज प्राप्त हुई थी तथा 2011 से 2025

तक तीन बार कम्पनी द्वारा स्टील प्लांट लगाने हेतु सरकार से एम.ओ.यू. किया पर धरातल पर अभी तक भी कुछ नहीं हो पाया। कम्पनी को अनुबंध के अनुसार माइनिंग लीज के दो वर्ष के भीतर ही स्टील प्लांट की स्थापना करनी थी और शहर के स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करना था पर आज दिनांक तक कम्पनी द्वारा एक भी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया गया और साथ ही स्थानीय स्तर पर माइनिंग की वजह से बहुत ही कठिनाइयां आ रही हैं। क्षेत्र के लोगों के मकानों में दरारें भी आ चुकी हैं। जिंदल शाह लिमिटेड द्वारा अपने सी.एस.आर. फंड में जो राशि का व्यय दिखाया गया है, वह स्थानीय निकाय को अनुबंध में देय राशि ही है। एक ही राशि को दो जगह उपयोग करना रॉन्ग प्रेक्टिस कहलाता है। माननीय मंत्री महोदय, हमारा आपसे यह अनुरोध है कि आप जिंदल के सभी कमिटमेंट को पूरा करवाये, स्थानीय लोगों को रोजगार और क्षेत्र में विकास में सहयोग करायें।

माननीय सभापति महोदय, पिछले दिनों चिकित्सा व स्वास्थ्य पर चर्चा के दौरान सभी सदस्यों का यह मत था कि आज का भोजन दूषित हो चुका है और रासायनिक खेती के कारण बीमारियां हो रही हैं, जिसका एक मात्र समाधान हमें पुन: जैविक खेती की ओर, जैविक खेती आधारित कृषि पर ही लौटना होगा। इस हेतु हम मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहेंगे कि आप गौ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु कोई नीति लायें और उनको अनुदान भी दिया जाये। जिससे न केवल उन उद्योगों से नए व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा वरन यह लोगों के स्वास्थ्य और गौ माता हेतु भी लाभकारी होगा।

माननीय सभापति महोदय, पर्यावरण जीवन का आधार है, तब ही हरियाली को धरती का गहना कहा गया है। आज पेड़ केवल हमको देते ही हैं, लेते कुछ नहीं हैं, चाहे वह वातावरण को शुद्ध करना हो या मिट्टी के कटाव को कम करना हो या वर्षा का मुख्य कारण हमारे यह पेड़ ही हैं। राजस्थान की यह धरा वह धरा है जहां मां अमृता देवी ने पेड़ों और पर्यावरण की रक्षा में अपने सहित अपने पूरे परिवार का बलिदान कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, भीलवाड़ा शहर के नजदीक स्थित हमीरगढ़ इको पार्क में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एक योजना बनाई जाये, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक वहां पर आ सके। अब तो हमीरगढ़ हवाई पट्टी के सुधार से बड़े वायुयान भी जल्दी ही उतर पाएंगे, इससे यह होटल व्यवसाय और पर्यटन का नया केन्द्र बन सकता है। वनखंड सारला, वानसर, आरजिया आदि में मेन एनिमल कनफ्लिक्ट को कम करने हेतु दीवार निर्माण करवायी जाये और कई बार गंगापुर और रायपुर क्षेत्र में लेपर्ड दिखते रहते हैं। अगर वन विभाग इस क्षेत्र को लेपर्ड सफारी हेतु बनाये तो गंगापुर, हमीरगढ़ और मैनाल के यह वन क्षेत्र पर्यटकों के नये आकर्षण के केन्द्र बन सकते हैं। साथ में शहर में स्थित हिरणी की पहा़डियों को स्थानीय निवासियों के लिए ट्रेकिंग, योग एवं प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ाया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, हम सरकार का ध्यान हमारी चरागाह भूमि की ओर भी दिलाना चाहेंगे। चरागाह भूमि केवल गौ माता हेतु ही नहीं वरन यह वातावरण को शुद्ध करने का कार्य करती है व जलस्तर को बढ़ती है। इसका उदाहरण हमारे सामने रालेगांव का

उदाहरण है जहां पर एक समय जल स्तर चार सौ फीट के नीचे पहुंच गया था, आज वही जलस्तर पचास फीट के आस-पास आ गया है। इसी प्रकार हमारे भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तहसील के अमृतिया गांव का उदाहरण है जहां मात्र चरागाह विकास के कारण पिछले 25 वर्षों में कोई नलकूप नहीं खुदा है और जहां पर जलस्तर पहले 100 फीट के नीचे था, आज वह 25 फीट के आस-पास आ गया है तो हमारे पूर्वजों द्वारा यह भूमि पर्यावरण संतुलन, पशु-पक्षियों का आश्रय स्थल और जलस्तर को सुधारने हेतु छोड़ी गयी है। आज वही आधुनिकता के युग में हम चरागाह की महत्ता को भूल गये हैं। आज हमारी अन्य योजना के साथ में जोड़कर चरागाह का विकास हो सकता है। इस हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किया जा चुका है पर आज तक इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी, इस हेतु हमारा सरकार से यह निवेदन है कि चरागाह का विकास कर पर्यावरण को संतुलित बनाया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने हमें समय प्रदान किया, उसके लिए जय हिंद, जय भारत।

श्री सभापति: श्री चेतन पटेल कोलाना।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे वन एवं पर्यावरण तथा उद्योग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद एवं आभार।

हमारे पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में पिछली गहलोत सरकार के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए थे, जिसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं जिसके लिए मैं आपके माध्यम से डबल इंजन की इस सरकार को अवगत करवाना चाहूंगा।

पी.डब्ल्यू.डी. की जो स्वीकृत सड़क थी बालूपा से संग्रामपुरा, आज दिन तक यह कभी सड़क नहीं बनी और हमारी गहलोत सरकार के टाइम पर, गहलोत साहब ने यह कृपा की कि वहां से बालूपा से संग्रामपुरा तक जो सड़क स्वीकृत की पर उसमें समस्या यह आ रही है कि राज्य सरकार की एन.ओ.सी. के कारण जयपुर कार्यालय में पत्रावली पेंडिंग है तो माननीय मंत्रीजी, एक तो आप यह कष्ट करें।

पी.डब्ल्यू.डी. की स्वीकृत सड़क फुसोद माताजी तक, यह भी राज्य सरकार की एन.ओ.सी. के कारण जयपुर पत्रावली में पेंडिंग है। पी.डब्ल्यू.डी. की सड़क रोटेदा से मण्डावरा, यह दो जिलों को जोड़ती है, कोटा व बूंदी, नई दिल्ली से इसकी एन.ओ.सी. मिलना शेष है तो आप इसमें सहयोग करें। गोठड़ा में पुलिया निर्माण की पत्रावली, वाइल्ड लाइफ बोर्ड, नई दिल्ली में एन.ओ.सी. हेतु पेंडिंग है, यह वह ही गोठड़ा की पुलिया है जो हमारी सरकार के दौरान इसमें एक हादसा हुआ था। लोग पुलिया न होने के कारण बोट से क्रास करते थे और बोट के ऊपर ट्रैक्टर भी चढ़ा देते थे, मोटरसाइकिल भी चढ़ा देते थे, सब चढ़ाने के कारण वह बोट पलट गयी, बहुत लोगों की उसमें मृत्यु हुई तो उनको तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत पेपरबाजी भी हुई थी। संवेदनाएं व्यक्त करते हुए माननीय

गहलोत साहब ने इस पुलिया को स्वीकृत किया था पर इसकी भी एन.ओ.सी. जारी नहीं हो रही है। आज भी वही स्थिति वहां पर उस पुलिया पर है। वहां पर आज भी उसी नाव में उतनी ही संख्या में लोग रिवर क्रॉस करते हैं, अगर कुछ हादसा होगा तो इसका जिम्मा और जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ इस सरकार की होगी।

मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि एक पी.डब्ल्यू.डी. सड़क जो पिछले वाले बजट में माननीय वित्त मंत्रीजी ने जोटोली से लेकर मण्डावरा तक जो स्वीकृत की थी, उसकी भी नई दिल्ली से एन.ओ.सी. मिलना शेष है। इसके लिए मैं आपसे यह निवेदन करता हूं आप इसमें थोड़ा सहयोग करें।

वर्ष 2010 में राज्य सरकार ने वन मित्रों का चयन किया था। दो वर्ष की सेवाओं के बाद उनको हटा दिया गया। वर्तमान में राज्य सरकार वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं वन्य जीवों के संवर्धन हेतु वन मित्रों का रजिस्ट्रेशन करवा रही है अतः पूर्व में हटाये गये इन वन मित्रों को उनके अनुभव के आधार पर लगाया जाये, ऐसा मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा, ताकि जो सरकार द्वारा योजनाएं लायी जा रही हैं, उनको धरातल पर उतारा जा सके।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी मंत्रीजी को अवगत करवाना चाहूंगा कि ठीक है ओवर-कॉन्फिडेंस में यह आकड़े दिखाने के लिए बजट में करोड़ों पौधे लगाएंगे और आने वाले आगामी बजट में और ज्यादा करोड़ों की संख्या बढ़ाएंगे यह ठीक है।

ssy/rtm/10.03.2025/19.20/4c

पर धरातल पर काम दिखना चाहिए। धरातल पर काम होना चाहिए। पौधे कितने जिंदा रहते हैं, कैसे वह आगे चल पायेंगे, इसकी एक प्लानिंग बनाना वह ज्यादा मायने रखती है। ऐसा मैं समझता हूं।

अख़बार के माध्यम से पता चला कि एक सवाल में, इसी सत्र में 60 हजार से ज्यादा पेड़ लगाने का आंकड़ा दिखा दिया, लेकिन पता चला कि इनमें से कोई पेड़ ही नहीं लगा है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि यह जो आंकड़े दिए जाते हैं, हम ज्यादा अफसरों पर निर्भर नहीं रह सकते पेड़ लगाने के लिए और पेड़ लगाने के लिए स्वतंत्र संस्था या एजेंसी के मार्फत कार्य नहीं होगा जब तक हमारा, तब तक हम असली आंकड़े जो हैं वह सामने नहीं आ सकेंगे।

मैं समझता हूँ कि इंसान के ऊपर जब कोई अत्याचार होता है तो विभिन्न प्रकार से वह सड़क पर विरोध कर सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध हो सकता है और जब प्रकृति के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार होता है, चाहे वह वन्यजीवों के ऊपर हो, पेड़ों के ऊपर हो, किसी भी प्रकार का हो तो उसके लिए माँ प्रकृति आदिवासियों को चुनती है, हम आदिवासियों को चुनती है और वन प्रेमियों को चुनती है।

मैं यह आपको कहना चाहूंगा कि हमारे हाड़ौती विभाग में सबसे बड़ा अत्याचार जो यह

सरकार करने जा रही थी, 1 लाख से भी ज्यादा पौधे बारां जिले के शाहबाद के अंदर काटने की पूरी योजनाएं बना दी, वह तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय हाई कोर्ट का, सभी वन प्रेमियों का, जीव प्रेमियों का जिन्होंने विरोध प्रकट किया और माननीय हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे दिया।

मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, बारां जिले के शाहबाद में ग्रीन एग्रो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिसको लेकर शाहबाद क्षेत्र में जो ट्राइबल बेल्ट है, वह बेल्ट भी आदिवासियों की है, उसके संरक्षित जंगल के 1 लाख से ज्यादा पेड़ काटने की केंद्र सरकार ने अनुमति जारी कर दी, 100 से 200 साल पुराने विकसित हुए इस जंगल की बलि देने का काम यह भाजपा सरकार करने जा रही थी। यह तो धन्यवाद हैं आदिवासी समाज का, सभी वन प्रेमियों का, जो उन्होंने विरोध प्रकट किया। यह सोचने का विषय है कि अगर इतनी ज्यादा संख्या में पेड़ कटेंगे तो जानवर कहाँ जाएंगे? इतने बड़े-बड़े पेड़ कब तक तैयार होंगे, यह सोचने का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से भी कि सत्ता का इनका इतना अहंकार भी ठीक नहीं है। इतने बड़े-बड़े पेड़ कटते जा रहे हैं लाखों की संख्या में और क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधियों से कोई चर्चा नहीं है, वहाँ के क्षेत्रीय विधायक जो बीजेपी के हैं, उनसे जब मीडिया पूछती है तो वह कहते है मेरे को तो पता ही नहीं है इस बारे में कि क्या योजना आने जा रही है। उस जिले के पूरे विधायक, बीजेपी के भी और सांसद भी, वह भी बीजेपी के हैं, वह भी पत्र के माध्यम से यह प्लानिंग प्रोजेक्ट लेकर आ रहे थे, इसका उन्होंने विरोध किया। मैं यही कहना चाहूंगा कि यही स्थिति प्रदेश में और जगह भी है।

अभी शिव विधान सभा क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने भी अवगत करवाया था कुछ दिन पहले एमसीआर पर 17 खेजड़ी के पेड़ रातों रात काट दिए गए और सोलर प्लांट लगाने वाली जो कंपनीज है, उन्होंने साइट पर खेजड़ी के पेड़ काट दिए, और तो और पेड़ काटने से पहले ना वन विभाग को सूचित किया और ना ही उनकी अनुमति ली और रात को मशीनें आती है, पेड़ काट देती हैं। लोग बाद में वहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हैं। इससे भी ज्यादा सोचने का विषय यह है कि एक तो पेड़ काटने से रोक नहीं रहे, ऊपर से जो कंपनियां खेजड़ी के पेड़ काट रही है, उसमें ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है कि इसकी जगह वह कोई और पेड़ लगायें। इस प्रकार का भी कोई प्रावधान नहीं है तो यह जो आज प्रदेश की जो स्थिति बनी हुई है, वास्तविकता है, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम आंकड़ों में दिखाए, बड़े-बड़े करोड़ों की संख्या में पौधे लगा दिए।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह भी कहना है कि पेड़ों की जो प्रतिदिन बलि चढ़ाई जा रही है उस पर कोई रोक टोक तो है नहीं, पर अब जो गर्मी आने वाली है उसमें हीटवेव का भी कोई एक्शन प्लान सरकार के पास नहीं है। हीटवेव एक आपदा बनती जा रही है, इस बार 48 डिग्री से ज्यादा तापमान पहुंचने वाला है। आज जरूरत है कि नगरपालिका

में ऑक्सीजन प्लांट को प्राथमिकता से बनाया जाये। हमारी भी जो ग्रामीण विधान सभा है, 2 नगरपालिका हैं सुलतानपुर एवं इटावा, उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जो शहर है उसके आस पास 30, 40 और 50 बीघा वह ऐसी जमीन देखें जहाँ पर केवल पेड़ लगाये जायें और उसकी जो शुद्ध हवा है वह शहरों तक पहुंचे।

शहरों में जो भू जल स्तर आज बढ़ रहा है, इससे वॉटर लॉगिंग की समस्या हो रही है। यहाँ पर सफेदे सहित कई प्रजाति के ऐसे पेड़ भी हैं जो पानी को सोखते हैं और पर्यावरण के लिए ठीक है, लेकिन शहरों में इनका सघन वृक्षारोपण नहीं हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, एक मैं आप के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा, सरकार से कि स्वरोजगार और औद्योगीकरण के माध्यम से एस टी और एस सी के विकास हेतु जो निर्धारित बजट की भागीदारी फार्मा कंपनी सोसाइटी को अनुदान के रूप में बांटकर एसटी और एससी के अधिकारों का जो हनन किया जाता है, ऐसी अनुदान प्राप्त फर्मों द्वारा लोगों को रोजगार देने के सम्बन्ध में यह विचार करें। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया जिसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

श्री सभापति: श्री थावर चन्द।

श्री थावर चन्द (धरियावद): सभापति महोदय, आज इस विशेष और अहम मुद्दे पर मुझे बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं उस आदिवासी इलाके से भी आता हूँ और वहाँ की हकीकत और पीड़ा को मैंने देखा भी है। मैं यह भी नहीं कहता कि यह सरकार सही है, यह सरकार गलत है। सरकारें कोई भी आई हों कुछ योजनाएं हैं जो उन्होंने बनाई हो, लेकिन धरातल पर कितनी पहुंची हैं, यह अहम बात होती है। मैं साथ-साथ में शुरुआत करूँगा कि-

संघर्षो से जीना सीखा, संघर्ष हमारी गाथा है।

सत्ता का कोई शौक नहीं, बस जल, जंगल, जमीन से हमारा नाता है।।

मैं बताना चाहूंगा कि आज दक्षिणी राजस्थान का आदिवासी हो या इस देश का आदिवासी हो, जो आदिवासी 5 जनवरी, 2011 कैलाश बनाम महाराज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है इस देश का मूल मालिक आदिवासी हैं, दुनिया चाँद पर पहुँच गई, इतनी तरक्की हुई और आदिवासी आज भी छत तलाश रहा है। आज हम लोग तरक्की की बात करते हैं, लेकिन आदिवासी इलाके के अंदर नेटवर्क की सुविधा नहीं है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जूझ रहा है।

मेरे से पहले पोकरण से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि जब वनाधिकार कानून नहीं बने, उससे पहले आदिवासी इस देश का जंगल में रहता आया है, लेकिन उसे आज विस्थापित होना पड़ता है। आज मैं कहना चाहूंगा कि आदिवासी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है, बिजली, सड़क और पानी के लिए तरस रहे हैं तो हमें जरूरत है कि ऐसी-ऐसी योजना बनाई जायें जहाँ रेड ज़ोन घोषित कर के उन आदिवासी इलाकों के अंदर सड़कें बनाई जाएं।

जहाँ पर मैं मानता हूँ कि एक पेड़ माँ के नाम, ऐसा नारा सब जगह लगाया जाता है, एक पेड़ माँ के नाम हसदेव अभयारण्य कोयले के लिए राजस्थान के नाम, पर लाखों पेड़ों को तबाह कर दिया जाता है। दूसरी और एक पेड़ माँ के नाम और वेदांता ग्रुप को आज पीपलखूंट और बांसवाड़ा जिले के अंदर पेड़ों की कटाई के लिए आदेश दे दिया जाता है। दूसरी बात, यह भी कहना चाहूंगा कि 2 साल पहले डूंगरपुर जिले के अंदर 6 लाख पेड़ लगाए गए एक ही दिन के अन्दर, 6 लाख पेड़ लगाने के बाद गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर वह नाम आ गया था, लेकिन आज क्या 6 पेड़ है कि नहीं हैं, यह बड़ी बात है।

सभापति महोदय, कहने की बहुत सारी बातें हैं, यह कहना चाहूंगा कि आदिवासी इलाके का विकास ट्राइबल इलाके का विकास नहीं, आदिवासियों का विकास जरूरी है यदि आदिवासियों का विकास किया जायेगा, उनके अंदर शिक्षा होगी, जल, जंगल, जमीन होगी तो आप यह पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो पर्यावरण बचेगा, पर्यावरण बचेगा तो आदिवासी बचेगा और यदि जल, जंगल, जमीन बचेगी तो जन जीवन बचेगा और जन जीवन नहीं बचा तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा और कोरोना जैसी कई महामारी आयेगी जिसकी चपेट में सारा इंसान आ जायेगा, इसलिए जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण को बचाने की जरूरत है।

सभापति महोदय, माननीय सदस्य कह रहे थे, हमें एक बात कही जाती है, वनवासी, हम वनवासी नहीं, आदिवासी हैं, हम आदिवासी नहीं, वास्तविक और इस देश के मूल मालिक है। वन का मतलब जंगल में सारे जीव जंतु जानवर रहते हैं तो हमें एक तरीके से गाली लगती है, इसीलिए इसको वनवासी नहीं, आदिवासी कहाँ जाये।

सभापति महोदय, मैं साथ-साथ में यह भी कहूंगा कि हमारे वहाँ पर तेंदू के पत्तों का बहुत बड़ा संग्रह हुआ किया जाता है, जिसका बड़े स्तर पर बीड़ी बनाने में उपयोग किया जाता है। उसमें कई बार कोई पेड़ पर चढ़ता है, गिर जाता है तो उसे योजना के अंदर शामिल किया जाये। मेरे इलाके के अंदर बीड़ी का बड़ा उद्योग खोला जाये, जिससे तेंदू के पत्ते इकट्ठे वहीं हो और बीड़ी बनाकर पूरे देश के अंदर पहुंचे। मैं यह नहीं कहता हूँ कि नशा होना चाहिए, लेकिन जब कर ही रहे हैं तो वहाँ पर उद्योग विकसित हो जाये।

साथ में सीता माता अभयारण्य जो हमारे इलाके के अंदर है...

श्री सभापतिः इसमें से बीड़ी वाला मामला हटा देना।

श्री थावर चन्द (धरियावद): सीता माता अभयारण्य का जो मामला है, वहाँ पर अभी उड़न गिलहरी के नाम से सीता माता वन अभयारण्य प्रसिद्ध है। लेकिन आज वह जीव है ही नहीं जंगलों में, खत्म हो रहे हैं, जंगल खत्म होंगे तो सीता माता अभयारण्य को देखने के लिए कौन आएगा? पर्यटन स्थल तभी विकसित होंगे जब जंगल हरे-भरे होंगे।

अभी आपने सीता माता अभयारण्य को बजट में दिया मैं यह भी चाहूंगा कि बजट में दिया है तो वहाँ के जो राणापाल और कई गांव हैं आसपास के, उनको भी विकसित करने की जरूरत है। साथ में यह भी कहूंगा कि वन विभाग में जो कार्मिक रह रहे हैं।

spp/rtm/10.03.2025/1930/4d

वन विभाग में कार्मिकों की जो बड़ी लंबित मांग है तो उनका पे ग्रेड 2400 किया, जो पुलिस के बराबर हो। उनको आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि जंगलों के अंदर जानवरों को पकड़ सके और दूसरों से सुरक्षा की जाए। साथ में, ये भी कहूंगा कि कई ऐसे कानून हैं, हमारे यहाँ पर खनन को लेकर कई कंपनियां आईं और खनन को लेकर सरकारी अभियान चलाती है। पर जब अभियान चलता है तब इस अभियान में बड़े लोग और बड़े माफिया नहीं मारे जाते हैं, छोटे छोटे लोग मारे जाते हैं, जो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर घूमते हैं और ये बड़े लोग बहादुरी का डंडा जब दिखाते हैं तो गरीबों पर दिखाते हैं। मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा-

'तुम कुर्सी की दौड़ में मशगूल हो
हम हक के सवाल लिये खड़े हैं,
जो जंगल हमारा ठिकाना था,
उसी से हम बेघर होकर पड़े हैं।।

धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री जब्बर सिंह सांखला।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या - 56 उद्योग व मांग संख्या - 45 वन एवं पर्यावरण पर विचार रखने का मौका दिया। आज चर्चा में जो दोनों विभाग के लिए हैं, उन दोनों का परस्पर सम्बन्ध भी है और दोनों में संतुलन भी जरूरी है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने इस विषय की महत्ता को समझा है और इसे प्राथमिकता देने की घोषणा भी की है। औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से तीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी लाकर निवेशकों के साथ साथ पहले से स्थापित दो उद्योगों को इको मार्ग आधारित ग्रीन टैक्नोलॉजी गुड्स उत्पादन पर उपयोग पर विभिन्न छूट व रियायतें देने की घोषणा प्रस्तुत बजट में की गई है, वे स्वागत योग्य है।

प्रस्तुत बजट पर्यावरण की दृष्टि से भी ऐतिहासिक बजट है। मैं राज्य के प्रथम ग्रीन बजट के लिए माननीय मुख्य मंत्री, आदरणीय भजन लाल जी शर्मा, उप मुख्य मंत्री आदरणीय दियाकुमारी जी को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। बजट में पंचवर्षीय क्लाइमेट चेंज अडॉप्टेशन प्लान 2030 की जो घोषणा की गई है। ये केवल घोषणा नहीं है। बजट में 150 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज स्थापित करने का प्रावधान भी किया गया है। बजट में 100 करोड़ रुपये का राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड बनाने में ₹250 करोड़ की राशि हरित अरावली विकास योजना का प्रावधान भी किया गया है, यह भी स्वागत योग्य है।

प्रस्तुत बजट में मिशन हरियालो राजस्थान के अन्तर्गत प्रदेश में 10 करोड़ पौधे लगाने का भी संकल्प किया गया है। मैं एक विशेष बात का उल्लेख सदन में करना चाहता हूँ।

हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय संजय शर्मा ने जब से पदभार सँभाला है, उन्होंने एक पौधा प्रतिदिन लगाने का संकल्प लिया है और वे उसका निर्वाह भी कर रहे हैं यह पहल पर्यावरण संरक्षण को प्रेरणा देने वाली है। मैं माननीय मंत्री जी को इस अनूठी मुहिम के लिए धन्यवाद व साधुवाद भी ज्ञापित करता हूँ।

मान्यवर, पर्यावरण और मानव परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व महत्वहीन हो जायेगा। हमारे पुरखों ने भी इसका महत्त्व समझा और स्वीकारा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस के किष्किन्धा काण्ड में लिखा है- 'छिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा।' इस चौपाई में भगवान राम ने बाली की पत्नी को यह कहा था कि शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु इन पंच तत्वों से मिलकर बना है। हमारे पुरखे इन पंचतत्वों के महत्त्व को जानते थे। तभी हमारे जीवन के 16 संस्कारों में हमारे त्योहारों, पर्वों, उत्सवों व रीति-रिवाजों में इन पंच तत्वों के पूजन को जोड़कर इन्हें सरंक्षण का संदेश दिया गया है। हमारी माता-बहनें पर्वों पर पीपल, बड़ की पूजा करती है तो करवा चौथ पर चंद्रमा के दर्शन करके भोजन करती हैं। हमारे यहाँ प्रतिदिन सूर्य को प्रणाम करके जल अर्ध्य समर्पित करने की परंपरा है। हिंदू विवाह पद्धति में फेरे अग्नि की साक्षी में होते हैं। ये सभी इसका प्रमाण है कि प्राचीन काल से हमारे समाज ने, पुरखों ने इसका महत्त्व जान लिया था। हमारे यहाँ परिवारों में मांगलिक अवसर पर रोडी पूजन का भी विधान है। कचरा निस्तारण करके बेसिक देसी जैविक खाद बनाने का उपक्रम है, जो पर्यावरण संरक्षण में स्वतः जुड़ा हुआ है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि हम इस आधुनिकता के युग में हमारे पुरखों की सीख भूल गए। हमने पहाड़ों में प्राकृतिक स्थलों पर रिसोर्ट खड़े कर दिए, पहाड़ों को छलनी कर दिया। गंदे नाली व नालों को नदियों व तालाबों में लाकर छोड़कर हमने प्रकृति का घोर उपहास किया है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा हुआ है। मुझे कहते हुए दुःख है कि अरावली पहाड़ियों को पूरे प्रदेश में छलनी कर दिया है। ये कोई आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति का विषय नहीं है। अरावली राजस्थान की जीवन रेखा है। इसके संरक्षण का संकल्प हम सभी को करना चाहिए। हम सभी अपने भाषणों में व कार्यक्रमों में पर्यावरण की चिंता करते हैं, लेकिन हमारे मित्र ताज अरावली होटल में जाकर अपनी राष्ट्रीय चिंतन बैठक करते हैं, जिस होटल में जाने का मार्ग ही पानी के प्राकृतिक बहाव में बाधा करके बनाया गया है। उस होटल में राजनेताओं की राष्ट्रीय बैठक अपने आप में क्या संदेश है, यह विचारणीय विषय है। जब तक वन व पर्यावरण केवल भाषा का विषय रहेगा तो परिणाम ऐसे ही आयेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे मुख्य मंत्री जी, उप मुख्य मंत्री जी एवं वन मंत्री जीवन मंत्री जी वन पर्यावरण के लिए गंभीर है। मैं आशा करता हूँ सन् 2030 तक राजस्थान पर्यावरण की दृष्टि से नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। एक विशेष मांग मेरी यह है कि मेरी आसीन्द विधान सभा

में जो बदनौर एरिया है, वह पहाड़ों वाला एरिया है, वहाँ पहाड़ी इलाका है, अरावली पर्वत के ऊपर बसा हुआ एरिया पूरा है, 20 ग्राम पंचायतें हैं। वहाँ बहुत सारे ऐसे सैकड़ों गांव हैं, जो 50-60 और कई तो 100 साल पहले बसे हुए हैं, वह फॉरेस्ट की जगह है। मेरे हिसाब से पूरे राजस्थान का मुद्दा है और राजस्थान की समस्या है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि एक विशेष योजना बना करके, क्योंकि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। आप लोग जाजम के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी आप महत्त्व दे रहे हैं। एक योजना बना करके, ऐसी कोई योजना बनाएँ जिसमें बहुत पुराने समय से जो गांव बसे हुए हैं, उनको आपके फोरेस्ट की जमीन से मुक्त करें, ताकि उनको वहाँ के लोगों को फायदा मिल सकें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक विशेष निवेदन और भी है। पिछली सरकार ने मेरे आसींद विधान सभा में हुरडा क्षेत्र में उखलिया में रीको एरिया घोषित किया था। उसमें करोड़ों रुपये लगा भी दिए, वहाँ सड़कें बना दी गईं, बहुत बड़े बड़े बोर्ड बना दिए गए थे। वह सड़कें भी टूट गई हैं,वह बोर्ड भी ठेकेदार खोलकर ले गए, करोड़ों रुपये की सरकार की बर्बादी हुई है, लेकिन वहाँ कुछ भी अब तक हुआ नहीं है। मेरा निवेदन रहेगा उसके ऊपर भी हमारी सरकार है। मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देंगे तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा।

पिछले बजट में, जो जुलाई में हमारा बजट आया था, उसमें मोड़ का निम्बाहेड़ा में सिरेमिक ज़ोन को लेकर हमारी सरकार ने घोषणा कर दी है। उसमें काम भी चालू है लेकिन उसमें उस काम को थोड़ा गति से करेंगे तो वहाँ के बेरोजगार लोगों को फायदा मिल सकता है और वह बहुत अच्छी जगह है और वह लम्बा चौड़ा एरिया है वहाँ पर। ये काम भी आप थोड़ा अधिकारियों को कहकर के इसको जल्दी से करायेंगे तो वहाँ के लोगों को फायदा हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक विशेष निवेदन रहेगा मंत्री जी से, एक पेड़ माँ के नाम की बहुत चर्चा यहां पर हो रही है। मेरा हाथ जोड़कर मंत्री जी से निवेदन है एक पेड़ माँ के नाम योजना मोदी जी लेकर के आए थे, यह कार्यक्रम उनका है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी इसकी घोषणा कर दी है। लेकिन आज आप यहाँ सदन में बिराजे हुए हैं, मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर के, एक पेड़ दादी माँ के नाम से एक योजना लेकर कर आएं। राजस्थान की जनता उसको अपार समर्थन देगी और आगे जा करके एक बहुत बड़ा नाम आप लोगों का होने वाला है। आप लोग आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम्। जय श्रीराम।

श्री सभापति: श्री मांगे लाल।

श्री मांगेलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, अनुदान की मांग संख्या 56 व 45 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, जिसके लिए मैं आपका और हमारे प्रतिपक्ष के नेता का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मांग संख्या 56, उद्योग, उद्योगों के कारण गुणवत्ता, अच्छे उत्पादन होते हैं, जो सस्ते दामों पर लोगों को उपलब्ध

होते? इससे लोगों का जीवन भी बेहतर होता है। उद्योग लगाने के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, जमीन, पानी और श्रम शक्ति और परिवहन बाजार जैसी चीजों की आवश्यकता होती है। मेरा राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र, जो दिल्ली, बॉम्बे एक्सप्रेस-वे के निकट है और रैणी में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसके लिए पूर्व में जमीन भी चिन्हित की गई है, लेकिन विकास के नाम से धरातल पर अभी इसको टेक अप नहीं किया गया है। मैं आग्रह करूँगा माननीय मंत्री जी से, इसे टेकअप करें। लक्ष्मणगढ़ तहसील में भी विकास के कार्यों को औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने की आवश्यकता है क्योंकि भिवाड़ी, आप सब जानते हैं।

jyg/rtm/10.02.25/19.40/4e

माननीय सभापति महोदय, दिल्ली और भिवाड़ी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रदूषण के लिहाज से आबोहवा हमेशा खराब रहती है, यहां के उद्योगों को शिफ्ट करने केलिए हमारे यहां पर्याप्त संभावना है। इनको रेणी और लक्ष्मणगढ़ में विकसित करने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, राइजिंग राजस्थान समिट में लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के एम ओ यू तो कर लिये, पिछली बार भी बजट भाषण में कहा था, माननीय मंत्रीजी ने लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुए हैं और यह भी अभी सपना दिखाने जैसा ही है। हमारे माननीय सदस्य रफीक जी ने एम ओ यू से सम्बन्धित क्वेश्चन किया, सरकार उत्तर देने से कतराती रही, प्रश्न ही हटा दिया कि एम ओ यू में जब सारी सूचनाएं उपलब्ध थी तो माननीय मंत्रीजी वो डाटा दे रहे हैं, अख़बार को प्रेषित कर रहे हैं तो इनको प्रश्न का जवाब देने में क्या दिक्कत आ रही थी, यह सोचने का विषय है। जनता ये सारी बातें सुन रही है और आपके रिपोर्ट कार्ड भी तैयार कर रही है। कहां तक सपने दिखाओगे? सपनों को धरातल पर लाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, जनता आपका रिपोर्ट कार्ड खुद भरेगी।

माननीय सभापति महोदय, कृषि क्षेत्र में 5 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने वाली आईटी कम्पनी टेक्नोग्राम कम्पनी थी और उसने जिला ही बदल लिया, खैरथल जिले के लिए थी, उसकी जगह पर कोटपूतली-बहरोड कर लिया, जैसे नाम बदलने की आदत है वैसे ही जिला बदलने की आदत है, ऐसे ही आपके उद्योग धरातल पर आयेंगे? माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि आप वहां औद्योगिक क्षेत्र में कुछ संभावनाएं तलाशें। युवाओं को रोजगार देने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। क्षेत्र के लोकल लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता जबकि भूमि और आबोहवा उस क्षेत्र की खराब होती है। उसके बाद रोजगार के लिए उनके लिए कोई कानून लाया जाये जिससे स्थानीय युवाओं को उनमें रोजगार दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, राजस्थान सरकार भी भारत सरकार के पदचिह्नों पर चलती हुई नौकरी, रोजगार के नाम पर युवाओं को ठग रही है, कोई काम नहीं दे रही है, कोई रोजगार नहीं दे रही है। एम

ओ यू भरतपुर के होटल में, उसको भी 30 करोड़ रुपये का वो दिखा दिया कि इसको बनायेंगे जिसमें मीटिंग कर रहे हैं,उसी का नाम ले लिया मंत्री जी, ऐसे ही एक अस्पताल को 80 करोड़ रुपये का एम ओ यू कर लिया जो छह महीने से चल रहा है। आज युवाओं को रोजगार बहुत बड़ी चिंता का विषय है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार युवाओं को रोजगार देने के प्रति सजग नहीं है, विकसित भारत की परिकल्पना करने को साकार करने के लिए युवाओं को रोजगार के प्रति चिंतन करने की आवश्यकता है। रोजगार नहीं देने से युवाओं में अवसाद जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं, रोजगार नहीं देने से अपराध की और नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, युवा शक्ति को मजबूत करोगे तो देश का भविष्य भी मजबूत होगा, एक सभ्य समाज का विकास होगा, रोजगार देने से गरीबी कम होगी, जीवन स्तर भी ऊँचा होगा और प्रदेश भी आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। माननीय सभापति महोदय, उद्योग मंत्रीजी से निवेदन है कि हमारे राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में भी रीको और उद्योग स्थापित करने के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, वन एवं पर्यावरण विभाग, ये विषय जलवायु परिवर्तन का नहीं है, बल्कि जलवायु न्याय का है, सरकार वर्तमान पीढ़ी के समृद्ध प्राकृतिक सम्पदा के ट्रस्टी के रूप से काम करे जिससे ये सम्पदा भविष्य की पीढ़ियों को उपलब्ध हो सके लेकिन सरकार अवैध खनन, चाहे बजरी के अवैध खनन का मामला हो, पूर्णतया फेल रही है। सरकार की लचर नीति है और पर्यावरण अपना संतुलन खोता जा रहा है। वृक्षारोपण अभियान के लिए 7 करोड़ का वादा करके आंकड़े दिखाये 10 करोड़ लगा दिये, मैं माननीय वन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, पर्यावरण की समस्या के लिए राजस्थान सरकार ने सितम्बर 1983 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की थी और उससे पहले से भी वन विभाग पौधा रोपण कर रहा है। यह सोचने का विषय है कि अगर इनमें से 10 प्रतिशत पौधे भी जीवित रह जाते तो आज वन विभाग और आरक्षित क्षेत्र में आपको अंगुली रखने को जगह नहीं मिलती, यह सत्यता से परे है, आंकड़े दिखाने का खेल है, यह आंकड़ों से ऊपर उठने की जरूरत है, पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए।

माननीय सभापति महोदय, अवैध खनन के नाम से खेती-बाड़ी का काम करने वाले ट्रैक्टर, ट्रोलियों को जब्त करते हैं और अवैध वसूली की जा रही है। राजस्व वसूली का धंधा करा रहे हो, पांच विभाग ऐसे हैं जो गरीब लोगों को लूट रहे हैं, वन विभाग, पुलिस, खनन, परिवहन और राजस्व विभाग, गरीब लोगों के खिलाफ खाली ट्रैक्टर जो चल रहे हैं, खेती-बाड़ी के काम के, उनको पकड़कर एफ आई आर दर्ज करा देते हैं, यह गरीब लोगों के साथ अन्याय है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के घर और आवास विकास की योजना है लेकिन गरीबों के लिए पत्थर नहीं है। बड़े-बड़े उद्योगपति या कांट्रेक्टर्स आते हैं तो उनके लिए मुम्बई एक्सप्रेस वे के लिए रातोंरात कानून बदल जाते हैं और उनको एन ओ सी भी सब विभागों से मिल जाती है

लेकिन गरीब लोगों के लिए कहीं न कहीं चिह्नित करने की जरूरत है कि वो कहीं न कहीं अपना माल मैटेरियल वहां से ले सकें। गरीबों को लूटा नहीं जाये। बरसों से गांवों की बसावट हो रही है और वन विभाग क्षेत्र में जाकर, उनके पट्टे आज तक जारी नहीं किये तो इसके लिए ठोस नीति और वो बनाने की जरूरत है। गरीब लोगों के लिए जहां बसे हुए हैं उनको आप हटा भी नहीं सकते और निकाल भी नहीं सकते लेकिन उनको पट्टे दिलाने का सरकार से मेरा आग्रह है कि उनको पट्टे दिलाने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, अरावली पर्वत श्रेणियों में बसा हुआ राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र हरित आवास विकास परियोजना में राजगढ़ के माचाड़ी घाटी, राजगढ़, रेणी क्षेत्र को माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि इस योजना में इनको भी लाभांवित करने का, जोड़ने का अपने प्रत्युतर में जवाब देने का निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, पहाड़ी क्षेत्रों में चेकडैम बनाने का भी आग्रह करूंगा और माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि स्टेट टाइम से जो सड़कें बनी हुई हैं, चाहे काली घाटी सड़क हो, चाहे पाण्डुपोल सड़क हो, चाहे भर्तृहरि बाबा की सड़क हो, चाहे थानागाजी रोड हो, ये स्टेट टाइम में बनी हैं और इनका सीमांकन भी निर्धारित है, उसमें इन सड़कों का रखरखाव नहीं करने देते पी डब्ल्यू डी से, आपकी सोच में बदलाव और सोचने की जरूरत है कि इनके मेंटीनेंस करने से अगर प्रदूषण कम होगा लेकिन धूल उड़ती है, गुब्बारे उठते हैं धूल के उससे प्रदूषण ज्यादा होता है, व्हीकल मेंटिनेंस कोस्ट भी बढ़ती है और उससे फ्यूल कंजम्पशन भी ज्यादा होता है, इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी मेंटिनेंस के लिए परमिशन दिलाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सोलर प्लाट के लिए कम्पनियां खेजड़ी के पेड़ों को अंधाधुंध काट रही हैं। ...(व्यवधान)... माननीय सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापतिः श्री अंशुमान सिंह भाटी।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। आपने मुझे मांग संख्या 45 और 56 पर अपने विचार रखने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, इस आधुनिक भारत के पर्यावरण का संरक्षण करते हुए हमें औद्योगिक विकास की महती आवश्यकता है। विकास हेतु हमें निवेश, जल, ऊर्जा, सकारात्मक नीति व दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इसी क्रम में हमारी सरकार ने प्रथम वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट के माध्यम से 35 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू किये और साथ ही साथ राम जल सेतु लिंक परियोजना के माध्यम से न केवल हमें पेयजल हेतु, सिंचाई हेतु अपितु हमारे उद्योगों के लिए भी पानी उपलब्ध हो पायेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को सोलर हब के रूप में विकसित करने के लिए लाखों-करोड़ रुपये का निवेश आयेगा, इससे न सिर्फ राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि स्वावलम्बी भी बनेगा। साथ ही साथ हमारे उद्योगों को निर्बाधित विद्युत आपूर्ति भी मिल

पायेगी। हमारी सरकार पारदर्शी और ईमानदार सरकार है, इस विजन के साथ औद्योगिक नीति सुदृढ करने से राजस्थान के अन्दर औद्योगिक क्रांति आयेगी। हमारे ग्रामीण अंचल में रोजगार के पर्याप्त माध्यम नहीं होने के कारण से बेरोजगारी व्याप्त है। हमारे यहां पर शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली जैसे तमाम मूलभूत सुविधाओं और संसाधनों के अभाव से जितने भी ग्रामीण हैं उनको खुद के और अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए मजबूरन उन्होंने गांव से पलायन करके शहर की तरफ जाना पडता है। इससे कहीं न कहीं शहरी व औद्योगिक विकास, दोनों बाधित होते हैं। आज से 200 वर्ष पूर्व हिन्दुस्तान खुद के रेशमी और सूती वस्त्रों के लिए, सोने के जेवरातों के लिए, खुद के मसालों के लिए, खुद की धातुओं के लिए, खुद के कार्य कौशल के लिए, खुद की कारीगरी के लिए, खुद के ज्ञान-विज्ञान के लिए प्रख्यात था। उदाहरण के तौर पर हमारे कुतुब मीनार के पास में एक लौह स्तम्भ है, उस लौह स्तभ पर आज 1600 वर्ष बाद भी आज भी कहीं भी किसी भी प्रकार का जंग नहीं लगा, उसमें धातु और लोहे का ऐसा मिश्रण तय किया हुआ है जिससे आज की तारीख तक वैज्ञानिक जगत में आश्चर्य किया जाता है, इस बारे में कई बार शोध भी हो चुके हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां पर ढाका की मलमल हुआ करती थी, जिसकी विशेषता यह थी कि तकरीबन 15 मीटर थान को आप समेटकर एक माचिस की डिब्बी में डाल सकते थे, यहां तक कि उस थान को आप एक अंगुठी के अन्दर से निकाल सकते थे।

MLS/RTM/10.03.2025/19:50/4f

इस प्रकार की कारीगरी और कार्य कौशल हमारे राजस्थान, हमारे हिन्दुस्तान में था। हमारे हर आंगन में कुटीर उद्योग स्थापित था। तमाम जातियां, जैसे सुनार, लोहार, कुम्हार, सुथार, लखेरा, रबारी अपने कार्य कौशल से उत्पादन करते थे। आप कल्पना करें, हर आंगन से कितने लाखों का कुटीर उद्योग उत्पन्न होता होगा? पूरे भारतवर्ष को देखें तो इन करोड़ों आंगनों से कितना उत्पादन होता होगा? आप इसी से अन्दाजा लगा सकते हैं कि हिन्दुस्तान को विश्व में सोने की चिड़िया कहा गया था, परन्तु अंग्रेजों ने षड्यंत्रपूर्ण तरीके से, सुनियोजित तरीके से हमारे इन कुटीर उद्योगों को खत्म किया। कहीं न कहीं, उसमें हमने भी कसर नहीं छोड़ी। हमने पाश्चात्य देशों की नकल की और नकल करते हुए हमारे कुटीर उद्योगों को खत्म किया, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्टरीज, उद्योग वहां पर स्थापित किये। उसका परिणाम यह निकलता है कि जहां 200 वर्ष पूर्व विश्व के तमाम निर्यात में हिन्दुस्तान का योगदान 34 प्रतिशत था, वह आज मात्र 1.8 प्रतिशत रह गया है।

जहां 1850 में विश्व की जीडीपी में हिन्दुस्तान का योगदान 20 प्रतिशत था, वह 1947 में मात्र 3 प्रतिशत रह गया था। इस प्रकार से हमें ग्रामीण कस्बों में भी छोटे-छोटे कुटीर उद्योग स्थापित करने चाहिये। हमारी कोशिश यह रहनी चाहिये कि गांवों का कच्चा माल गांवों से बाहर न जाये। हमारे गांव का कोई भी उत्पादन हो, चाहे वह दूध हो, अनाज हो, फल-सब्जी

हो या कोई भी कॉमर्शियल क्रॉप हो, उन सभी की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग वहां पर बैठा हुआ ग्रामीण खुद के गांव से ही करे। जैसे दूध से निकलने वाली छाछ, दही, घी वगैरह कोई भी बायप्रोडक्ट हो, उसकी पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग भी किसान ही करे। साथ ही साथ, जो भी हमारे चाहे चना हो, दाल हो, हमारे अनाज हों, कोई तिलहन हों, उनका चाहे तेल निकालना हो, उनकी सफाई हो, पिसाई हो, उनकी तमाम प्रोसेसिंग भी वहीं गांव के अन्दर बैठा हुआ ग्रामीण ही करे, क्योंकि हमारे राजस्थान में भण्डारण की, कोल्ड स्टोरेज की, मार्केटिंग की, प्रोसेसिंग की, पैकेजिंग की सुविधा नहीं है।

साथ ही साथ, हमारे यहां विशेष तकनीकी जानकारी का भी अभाव है। ऋण की व्यवस्था नहीं होने के कारण से हमारे किसानों को कृषि कार्य के लिए कभी साहूकारों से, कभी जमींदारों से, कभी आढ़तियों से रुपये उधार पर लेने पड़ते हैं और वे आड़तिये किसानों की फसल को आधी कीमत पर बेचने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि वे लगातार तगादा करते रहते हैं। इसी क्रम में, अगर आप देखें, जो हमारा दूध है, जो पश्चिमी राजस्थान में 25 से 35 रुपये प्रति लीटर शुद्ध देसी गाय का घी, सिन्धी एवं राठी गायों का, वह नजदीकी शहर बीकानेर में 50 से 55 रुपये में बिकता है और जयपुर जैसे शहर में 100 से 105 रुपये में बिकता है। जो हमारी मूंगफली है, जिसकी कीमत 4500 से 6 हजार रुपये होती है, उसके लिए किसान प्रयत्न करता है। चना होता है, उसको 5500 से 6 हजार रुपये में वह बेचने को मजबूर है।

आप सोचिये, 6 महीने लगातार इतनी अनिश्चितताओं में, विपरीत परिस्थितियों में वह किसान अनाज उत्पन्न करता है। जैसे अगर मैं मूंगफली की बात करूं, 5500 रुपये में से तकरीबन 2/3 यानी 60 प्रतिशत तो आपकी बिजाई में, बीज में, यूरिया, डीएपी में, थ्रैशर में, लेबर के तहत वे रुपये अलग निकाले जाते हैं तो आप देखिये 5500 रुपये में से 3500 रुपये तो किसान की उसी टाइम में खपत हो जाती है। मात्र बचते हैं उसके पास 2 हजार रुपये मुनाफे के लिए, जिसमें उसको खुद का परिवार चलाना होता है। अगर यही माल कोई बीकाजी और हल्दीराम जैसा बड़ा व्यवसायी लेता है तो उसको वह खुद की पैकेजिंग, खुद की मार्केटिंग और खुद की प्रोसेसिंग के माध्यम से वही 3500 रुपये, 4 हजार रुपये क्विंटल वाली मूंगफली सॉल्टेड पीनट के नाम से 30 हजार रुपये क्विंटल में बेचता है और वही चना रोस्टेड चने के नाम से 30 हजार रुपये प्रति क्विंटल में बेचता है।

अगर अपन इसमें 60 परसेंट भी खर्चा मानें तो भी 12 हजार रुपये प्रति क्विंटल का शुद्ध मुनाफा वह आदमी उनसे अर्जित करता है। हमारी यह कोशिश होनी चाहिये, कैसे न कैसे करके यह जो 12 हजार रुपये प्रति क्विंटल है, इसका अधिकांश हिस्सा हमारे अन्नदाता किसान तक पहुंचे। हमारा जो लक्ष्य है कि हम किसान की आय दुगनी कर सकें और हर किसान करोड़पति, खुशहाल और समृद्ध बने, उस लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। इसी क्रम में हमें एक मॉडल के तौर पर किसी भी जिले में पांच सिंचित पंचायतें देख लेनी चाहिये और वहां पर मॉडल के तौर पर हमें 50-50 किसानों का समूह बना देना चाहिये। वहां पर माइक्रो

प्रोसेसिंग यूनिट की भी सुविधा किसानों को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ, उन्हें प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग की भी सरकार सुविधा उपलब्ध कराये। उनको या तो बिलकुल कम से कम इंटरेस्ट रेट पर ऋण दिया जाये या न के बराबर इंटरेस्ट पर उनको ऋण दिया जाये।

मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर हमने एक साल तक इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करके देख लिया, इसमें अगर कोई भी कमी आयी, कोई भी चूक हो, कोई भी त्रुटि हो, उसमें हम सुधार करें और उसके बाद हम समुचित राजस्थान में यह नीति लागू करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे के पूरे राजस्थान का हर एक किसान करोड़पति कहलायेगा और जो हमारा लक्ष्य है कि हम हिन्दुस्तान के किसान की आय दुगनी करें, हम वहां तक पहुंच पाएंगे। मैं अन्त में यह बात कहना चाहूंगा, हमारे राजस्थान में पशु पालन रोजगार का मुख्य माध्यम है और पश्चिमी राजस्थान में प्रदेश का 25 प्रतिशत पशु धन, जो कि डेढ़ करोड़ के लगभग है, वह निवास करता है।

सोलर संयंत्रों की स्थापना हेतु हजारों-हजार बीघा जमीन, सिवायचक अराजीराज जमीनें सोलर कम्पनियों को दे दी जाती हैं। इससे हमारे चरागाह खत्म हो रहे हैं, हमारा फॉरेस्ट कवर भी लगातार खत्म हो रहा है। जहां हमारा राज्य पशु ऊंट है, उसकी 1990 के समय में 10 लाख की संख्या हुआ करती थी, आज वह घटकर मात्र 2 लाख बची है। सोलर से मानता हूं कि ऊर्जा का उत्पादन होना चाहिये, पर किस प्रकार से सोलर माफिया खड़े हो रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा दिया जाता है, कैसे हमारा प्रेम और भाईचारा खत्म हो रहा है, हमारी सबकी जमीनें चली जाती हैं, हमारे सभी युवा बेरोजगार हो जाते हैं और कहीं न कहीं वे चोरी और नशे की लत में पड़ जाते हैं।

जिस खेजड़ी को हम पवित्र मानते हैं, जिससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है, जिससे हमारा धर्म जुड़ा हुआ है, उस राज्य वृक्ष खेजड़ी की बेतहाशा कटाई हो रही है। जिस खेजड़ी को ग्रन्थों में, जैसे महाभारत और रामायण में शमी का वृक्ष भी कहा गया, जिस खेजड़ी के लिए 1730 के अन्दर मां अमृता देवी ने और साथ में 363 वीरों ने खुद की शहादत दी, जिस छप्पनिया अकाल के कठिन समय से निकालने वाली उस खेजड़ी की आज हम इस तरह से बेकद्री कर रहे हैं तो हमें हमारी जनता भी माफ नहीं करेगी, ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। जिस प्रकार से यूएई जैसा देश, जो अरब खाड़ी में है, उसने भी खेजड़ी को अपना राष्ट्रीय वृक्ष घोषित कर दिया है और वहां अगर खेजड़ी काटते हुए कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो उस पर 24 हजार रुपये से लेकर 12 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा दिया जाता है। इस प्रकार के कठोर नियमों का इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं करेंगे तो खेजड़ी की कटाई नहीं रुक पायेगी।

सभापति महोदय, मैंने पहले सत्र में प्रश्न लगाया तो पूछा कि विगत पांच सालों में कितनी खेजड़ी कटी। मेरे पास उत्तर आया 'शून्य'। हकीकत बात यह है कि जितने भी पटवारी, चाहे तहसीलदार हैं, उनसे मिलकर ये सोलर कम्पनियां खेज़डियों के आंकड़े को जान-बूझकर 'शून्य' दिखाती हैं। उसका कारण यह है, विगत पांच साल की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस-बीजेपी नहीं करना चाहता, हमें इस राजस्थान की दशा और दिशा बदलनी है, इस आरोप-

प्रत्यारोप से हम इतना बैकवर्ड जा चुके हैं। अब हमें इस प्रकार की नीति लानी पड़ेगी कि हमारे पश्चिमी राजस्थान में जो भी, चाहे ग्रामीण स्तर पर जितनी भी खेजड़ी उगी हुई है, उसकी परफेक्ट काउंटिंग, परफेक्ट मार्किंग होनी चाहिये, जिससे एक भी खेजड़ी कटे, उसकी जगह एक के बदले 10 खेज़ड़ियां लगें। जिस प्रकार से हम जनता को जागरूक कर पाएंगे, उसी के तहत हमारे राज्य वृक्ष खेजड़ी की कटाई रुक पायेगी।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: कार्य सलाहकार समितिके प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं पारण।

श्री जोगेश्वर गर्ग।

समिति प्रतिवदेन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 11)

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 11वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 10 मार्च, 2025 को मध्याह्न पश्चात् 03.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेशम (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025 से शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च, 2025 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाये:-

बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025	1. राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 2. भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 3. बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 4. राजस्थान वित्त विधेयक, 2025 एवं 5. राजस्थान विनियोग (सं.2) विधेयक, 2025 - पर विचार एवं पारण
गुरुवार, दिनांक 13 मार्च, 2025 से मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 2025	बैठक नहीं होगी।
बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2025	प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 पर विचार एवं पारण
गुरुवार, दिनांक 20 मार्च, 2025	राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार एवं पारण

शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च, 2025	राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 पर विचार एवं पारण

सभापति महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 11वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

MKD/RTM/10.03.2025/20:00/4g

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 11वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

श्री सभापतिः डॉ. शिखा मील बराला।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 56 – उद्योग व

मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण पर विचार

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): सभापति महोदय, मांग संख्या 56 और 45 पर आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए आभार।

मेरे विधान सभा क्षेत्र चौमूं का एक बड़ा इलाका रीको के अंडर आता है। जैसे जैतपुरा, कालाडेरा, मंडा, धौबलाई, ढोढसर, जाटाली, कानपुरा आदि। जयपुर से महज 40 किलोमीटर दूर कालाडेरा में करीबन 500 इंडस्ट्रियल इकाइयां संचालित हैं। इसी मार्ग पर आगे मंडा रीको एरिया आता है, उससे आगे रेनवाल रीको एरिया है। पिछले दो सत्रों से मैं लगातार मांग उठा रही हूं कि हाड़ोता, टांकरड बाइपास और आरओबी का निर्माण कराया जाए। जिसकी स्वीकृति जारी हो चुकी है, शीघ्र ही उसका निर्माण हो, ताकि इन इंडस्ट्रियल एरियाज को सहूलियत मिल सके।

कालाडेरा औद्योगिक क्षेत्र में जाने का एकमात्र रास्ता वहां के बस स्टैंड से होकर गुजरता है और यह रास्ता मात्र 40 फिट का है, जिसकी वजह से रात-दिन यहां पर जाम की स्थिति रहती है, बड़े वाहन और आमजन को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस रास्ते का चौड़ाईकरण कराया जाए ताकि वहां से भारी वाहन निकल सके। चौमं-कालाडेरा-रेनवाल सड़क का उपयोग सांभर से आने वाली नमक की बड़ी गाड़ियां भी करती हैं और अत्यधिक ट्रैफिक रहने की वजह से यहां रोड एक्सिडेंट काफी फ्रिक्वेंट हैं। हम बहुत सारी अमूल्य जानें, जो ऐक्सिडेंट्स हुए हैं, उसमें खो चुके हैं। इसलिए इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और दुर्घटनाएं कम करने के लिए इस सड़क को फोर लेन किया जाए। यह सभी रीको एरियाज़ के लोगों की भी डिमांड है।

कालाडेरा, मंडा इंडस्ट्रियल एरिया में करीबन 20 से 25 हजार लोग कार्यरत हैं। यहां पर संचालित ईएसआइसी डिस्पेंसरी को ईएसआइसी हॉस्पिटल में क्रमोन्नत किया जाए। उसके लिए जमीन वहीं औद्योगिक एरिया में अलॉट की जाएं, ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। वहीं कालाडेरा रीको एरिया में डंपिंग यार्ड भी स्थापित किया जाए, ताकि वहां का इंडस्ट्रियल वेस्ट का प्रोपर डिस्पोज़ल हो सके। जैतपुरा रीको की अगर मैं बात करूं, तो सालों से वहां पर एक समस्या बनी हुई है, निचले स्तर पर होने की वजह से हर बरसात में 4-4, 5-5 फिट की गहराई तक वहां पानी भर जाता है, जो फ़ैक्ट्रीज़ में भी चला जाता है। इसके समाधान के लिए रीको विभाग द्वारा वहां पर ड्रेनेज सिस्टम डवलप कराया जाए।

जैतपुरा में ही काफी सालों से बने हुए पुराने पॉन्डस हैं, जहां पर इंडस्ट्रीज़ का पोल्यूटेड पानी पहुंचता है, वहां पर नालियों का पानी पहुंचता है और ये सभी बदबू का कारण बनते हैं एवं मच्छर और मक्खियों के पनपने के कारण आसपास के लोगों के स्वास्थ्य को भी काफी हानि पहुंचाता है, इसका समाधान कराया जाना जरूरी है। सड़कों की हालत और नालियों की हालत बड़ी दयनीय है। इस दिशा में कार्य कराया जाना चाहिए।

आम जन की तरह फैक्टरी संचालकों की बिजली की समस्या लगातार बनी हुई है। ट्रिपिंग, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, अघोषित बिजली कटौती, इस दिशा में भी काम करना चाहिए। सोलर एनर्जी को प्रोत्साहन देने के लिए सोलर कैप्टिव प्लांट में 100 से 200 परसेंट किया गया, शीघ्र ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो व ग्रीन एनर्जी पॉलिसी की भी घोषणा हो।

धोबलाई और ढोडसर की मैं बात करूं तो क्षेत्र के ग्रामीणों की लगातार शिकायत रही है कि वहां की फ़ैक्ट्रीज़ की वजह से आसपास के लोगों को काफी वायु प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन को भी इसके बारे में लगातार अवगत कराया गया पर कोई जांच नहीं कराई गई।

इसलिए, मैं मंत्री महोदय का इस ओर ध्यानाकर्षण करना चाहूंगी कि धोबलाई एरिया में भी हम फ़ैक्ट्रीज़ के आसपास देखें तो ब्लैक डस्ट के बहुत सारे ढेर खुले में पड़े दिखाई देते हैं तो इस दिशा में जांच कराई जाए और अगर उसमें कोई कमी मिलती है तो उस पर एक्शन लिया जाए।

वन विभाग की मैं बात करू तो हमारे वहां वीर हनुमान जी मंदिर सामोद में 2018 में रोपवे का संचालन हुआ, चार महीने बाद ही वन विभाग से एनओसी के अभाव में उसे बंद कर दिया गया। आज तक उस रोपवे का फायदा किसी श्रद्धालु को नहीं मिला है। महीने के लाखों श्रद्धालु वहां पर आते हैं और बहुत सारे वृद्धजन, बच्चे, महिलाएं दर्शन से वंचित रह जाते हैं।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन है कि जो तथाकथित डबल इंजन सरकार यहां है, वह जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करे। इस रोपवे को वापस संचालित करवाए और सभी श्रद्धालु श्रद्धालुओं को अनुग्रहीत कराएं। साथ ही, उस क्षेत्र को पर्यटन के तौर पर बढ़ावा देने के लिए विकास कार्य कराए जाएं वृक्षारोपण कराया जाए।

टाइम है, तो मैं एक दो और डिमांड बोलूं, सर।

श्री सभापति: विराजिये।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): रीको एरिया के लिए राइज़िंग राजस्थान की अगर हम बात करते हैं। जयपुर वीकेआई का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जयपुर वीकेआई के लोगों ने मुझे अवगत कराया कि नगर निगम द्वारा उन्हें कम से कम 100 नोटिस दे दिए गए हैं, यूडीएच टैक्स भरने के लिए और व्यापारी बड़े संशय में हैं कि वे दो-दो टैक्स एक ही जमीन पर कैसे दें। सर, इसका समाधान कराया जाए।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रेवन्तराम डांगा।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): राम-राम सा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या - 56 उद्योग एवं मांग संख्या - 45 वन व पर्यावरण पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

किसी भी देश या प्रदेश का आर्थिक विकास उसके उद्योग धंधों पर टिका होता। हमारी सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में पहल करते हुए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करवाकर करीब 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश की मजबूत नींव रखी है। आने वाले समय में जब यह निवेश धरातल पर उतरेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आएगा। नए उद्योग लगेंगे तो प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा।

हमारी केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में एमएसएमई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सेक्टर को मजबूत करने के लिए 50 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण देने का प्रावधान किया है। ऋण गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया। स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार करोड़ का फंड बनाने की घोषणा की है। ऐसे कई उपाय किए हैं, जिससे देश के एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। हमारी राज्य सरकार ने भी राइज़िंग राजस्थान समिट में आए निवेश प्रस्तावकों को धरातल उतारने के लिए राज्य बजट 2025-26 में सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप के जरिए ऑनलाइन परमिशन की संख्या बढ़ाकर 149 करने की घोषणा की है। एमओयू को गति देने के लिए पीएमयू का गठन करने की घोषणा की है। प्लग एंड प्ले मॉडल पर औद्योगिक सेक्टर विकसित करने की घोषणा की है। प्रदेश में नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने सहित उनमें आधारभूत कार्य करवाए जाने की घोषणा की है। निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्को में भी सीटीपी स्थापित करने के लिए सहायता देने की घोषणा की है। हमारी सरकार राजस्थान को विकसित राजस्थान, कुशल राजस्थान बनाने का विजन लेकर चल रही है। इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने प्रदेश के हर जिले में औद्योगिक विकास को सुदृढ़ करने, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के

उद्देश्य से 2024 में एक जिला, एक उत्पाद नीति लागू की है। इस नीति ने कारीगरों, शिल्पकारों, किसानों और छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने, उनकी आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने का काम किया। इस नीति के तहत सूक्ष्म उद्योगों के लिए 15 लाख और लघु उद्योगों के लिए 20 लाख रुपये तक मार्जिन मनी अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिल रहा है।

हमारे नागौर जिले में हाथ से बने उपकरणों को एक जिला, एक उत्पादन नीति में शामिल किया गया। अब मैं माननीय उद्योग मंत्री जी के सामने मेरे विधान सभा क्षेत्र खींवसर और नागौर के आस पास के उद्योग सम्बन्धी कुछ मांगें रखना चाहूंगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र व पास के खींवसर के टांकला गांव में बुनकर परिवारों द्वारा हाथ से दरी बनाने का काम पिछले 30 वर्षों से होता आ रहा है। यह दरियां इतनी सुंदर और अच्छी बनाई जाती हैं कि विदेश तक बिकने जाती हैं, लेकिन सरकारी सहायता और प्रोत्साहन के अभाव में धीरे-धीरे यह उद्योग बंद होने की कगार पर है। पहले करीब 400 घरों में दरी बनाने का काम होता था, पर ना तो बेचने के लिए उचित प्लेटफॉर्म मिला और ना सरकार के स्तर पर ही कोई प्रयास किये गए।

Bhs/Rtm/10.03.25/20.10/4h

बुनकरों को मजदूरी के रूप में रोजाना 300 से 400 रुपये मिलते हैं, जिससे उनके परिवार की आजीविका नहीं चल पाती और ये लोग धीरे-धीरे इस काम से दूर हो रहे हैं। मैं सरकार से और उद्योग मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि टांकला के प्रसिद्ध दरी उद्योग को सरकारी सहायता और विशेष प्रोत्साहन दिया जाये और अगर बेचने के लिए सरकार इनको कोई प्लैटफॉर्म उपलब्ध कराये तो यह दरी उद्योग बहुत-बड़ा एक्सपोर्ट का केंद्र बन सकता है।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खींवसर के कुचारा शहर में कृषि यंत्र बनाने का काम होता है, लेकिन अभी बहुत छोटे स्तर पर ही हो रहा है। अगर इस उद्योग को भी सरकारी सहायता और प्रोत्साहन मिले तो यह भी एक बड़ा उद्योग बन सकता है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। खींवसर और मूंडवा उपखंड मुख्यालय पर नये रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। हमारे यहां जीरे और नागौरी पान मेथी की बंपर पैदावार होती है अगर इनकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाये तो किसानों को भी लाभ होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नागौर जिले के परंपरागत उद्योग जैसे मकराना का मार्बल उद्योग, नावां का नमक उद्योग, नागौर शहर का हैंड टूल्स उद्योग, को सरकारी संरक्षण और प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, अब मैं मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण पर अपने विचार रखना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि औद्योगिक विकास हो, आधारभूत विकास भी हो, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर कतई ना हो। हमारे जीवन के लिए वन एवं पर्यावरण कितना जरूरी है यह हमें विश्नोई समाज से सीखने की जरूरत है। 'सिर साठे,

रूख रहे तो भी सस्तो जाण।' विश्नोई समाज ने खेतड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपने सिर कटवा दिए थे। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा पर्यावरण और प्रकृति प्रेमी विश्नोई समाज का और माता अमृता देवी का, जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपने 300 से ज्यादा सथियों के साथ अपने जीवन का बलिदान कर दिया। पेड़ों को बचाने के लिए आज तक के इतिहास का यह सर्वोच्च बलिदान था। अबकी बार हमारी सरकार ने बजट में पहली बार ग्रीन बजट पेश किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने 10 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा की है। साथ ही, ग्रीन बजट में हरित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए 10 बिंदुओं पर फोकस करने का निर्णय लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ग्रीन बजट के माध्यम से हम प्रदेश को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से बचाने में कामयाब होंगे, हमारे जंगलों और पर्यावरण को बचाने में कामयाब होंगे।

सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राम-राम सा।

घोषणा

12 मार्च को लिये जाने वाले विधेयकों पर संशोधन प्रस्तुत करने की समय सीमा

श्री सभापति: माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि दिनांक 12 मार्च 2025 को विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयकों के सम्बन्ध में कल दिनांक 11 मार्च 2025 को 1:00 बजे तक संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री मोतीराम (रेवदर)।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 56 – उद्योग व

मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण पर विचार

श्री मोतीराम (रेवदर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 56 - उद्योग विभाग व मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में आबूरोड रेवदर रीको का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जहां पर वर्तमान में सैकड़ों औद्योगिक इकाइयां बंद पड़ी हैं। महोदय, आबूरोड गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र है और माउंट आबू पर्यटन क्षेत्र है, जहां पर किसी भी प्रकार के भवन की निर्माण स्वीकृति पर रोक है।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने होटल एवं रिसॉर्ट व्यवसाय को औद्योगिक इकाई में शामिल किया हुआ है, लेकिन रीको अभी तक इस व्यवसाय को औद्योगिक इकाई में नहीं मानता। ऐसे में क्षेत्र के व्यवसायी गुजरात की ओर व्यवसाय प्लान कर रहे हैं। महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि होटल एवं रिसॉर्ट व्यवस्था को रीको में औद्योगिक इकाइयों में शामिल किया जाए, जिसके क्षेत्र में व्यवसायी अपना व्यवसाय स्थापित कर सकें।

सभापति महोदय, जिले का सबसे बड़ा रीको एरिया जहां स्थापित है वह टी.एस.पी. क्षेत्र

में आता है। साल 2015 से पहले सरकार की ओर से नवीन औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने वाले व्यवसाइयों को प्लॉट आवंटित के बाद चालू करने के बाद जमीन की कीमत की 50% राशि सालों में अलग-अलग किस्तों में जनजाति क्षेत्र की उत्पादन प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है, जो कि वर्तमान में बंद है। मेरी आप के माध्यम से सरकार से मांग है कि आबूरोड तहसील में रीको क्षेत्र की यह योजना फिर से चालू की जाए, जिससे आने वाले समय में यहां का अपना निवेशक व्यवसाय स्थापित करने में रुचि रखें।

सभापति महोदय, मेरा दूसरा वन एवं पर्यावरण विभाग में सम्बन्धित है। महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र रेवदर की आबूरोड तहसील आदिवासी बाहुल्य है, जिसमें मीन, तलेटी, जाम्बूड़ी, सुरपगला, बोसा, चोटिला, करदिया, बहादुरपुरा आदि क्षेत्र में घने जंगल में आयुर्वेदिक शहद, गोंद, बैर फली, जामुन समेत कई आदिवासी जड़ीबूटियों की प्राकृतिक उपज है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। यहां के आदिवासी किसान बेचने के लिए गांव-गांव जाते हैं, उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता। महोदय, मेरी सदन के माध्यम से सरकार से मांग है कि तहसील क्षेत्र में वन उपज मंडी की स्थापना की जाए ताकि आदिवासी क्षेत्र किसानों को इसका लाभ मिल सके और आम जनता को भी जरूरी औषधियां एक जगह पर मिले।

महोदय, मैं आदिवासी क्षेत्र की वन एवं पर्यावरण विभाग से जुड़ी एक अन्य विशेष मांग की तरफ आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। महोदय, मेरा विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है। पंचायत समिति रेवदर, आबूरोड के लोग आजादी के समय से वहां घने जंगलों में पहाड़ियों में बसे हुए हैं, जो कि अपने आवासों के पट्टों के लिए सरकारी कार्यालयों में चक्कर लगा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र की आबूरोड पंचायत समिति के आदिवासियों की 200 करीब फाइलें जिला स्तर पर और 100 से अधिक फाइलें पंचायत समिति स्तर पर पेंडिंग पड़ी हैं। महोदय, प्रशासनिक अधिकारी उन आवेदनों की तरफ नजरें घुमाकर नहीं देख रहे हैं। जिले की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि इन पट्टों को जारी करने के लिए बनी कमेटियां छह से आठ महीने तक मीटिंग नहीं करती हैं। अपने घरों के कागजों के लिए कार्यालय में धक्के खा रहे हैं। मेरी आप के माध्यम से सरकार से मांग है कि पेंडिंग आवेदनों का तुरंत निस्तारण किया जाए और वनाधिकार पट्टे जारी किए जायें व लंबे समय तक पेंडिंग रखे गए आवेदनों में लापरवाह कर्मियों, अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रताप लाल भील।

श्री प्रताप लाल भील (गोगून्दा): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 56 - उद्योग, मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। मैं सबसे पहले हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री जी, हमारे वन मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि 2025-26 के बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति बड़गांव में राम गिरी पहाड़ी को ऑक्सीजन पार्क बना करके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 7 करोड़ रुपये की घोषणा की। मैं

आपका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं और हमारे वन मंत्री जी को और भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले वर्ष हमारे यहां पर अक्तूबर- नवंबर में एक नरभक्षी पैंथर ने झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र से गोगुन्दा विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश किया और उसमें लगभग नौ लोगों को उसने शिकार किया और हमारे सभी वन विभाग से लगा करके पुलिस विभाग, आपके सेना के लोग एवं प्रशासन ने पूरा सहयोग करके उस नरभक्षी को समाप्त किया, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और जो भी मृतक हुए थे उनको पांच-पांच लाख रुपये का अनुदान हाथों हाथ ही स्वीकृत किया, इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं।

इसके साथ में, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि वन क्षेत्र में हमारे बहुत सारे ऐसे स्वीकृत कार्य हैं।

Kas/rtm/10.03.2025/20.20/4j

जो पिछली सरकार ने स्वीकृत किये थे और वन विभाग के क्षेत्र में आने से अभी तक उनकी एनओसी प्राप्त नहीं हुई है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप अतिशीघ्र इनकी स्वीकृति जारी करायेंगे तो इससे हमारे क्षेत्र में विकास होगा। हमारे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पूरे क्षेत्र में जो जंगल हैं, चाहे चरागाह की भूमि हो या कृषि भूमि हो, वहां पर एक जंगली झाड़ी उत्पन्न हो गई है और उसकी वजह से हमारी सारी जमीन बंजर होती जा रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके लिये ऐसी कोई कार्य योजना बनाने तक भविष्य में यह आगे नहीं बढ़े।

सभापति महोदय, पिछले लोकसभा चुनाव में मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक लिस्ट बनाई गई थी कि ये-ये गांव वन अभयारण्य में जा रहे हैं और कुछ विपक्षी लोगों ने वहां पर धरने भी दिये और उस क्षेत्र में माहौल खराब किया। ऐसे माहौल खराब करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिये, ताकि वहां अशांति ना हो। इसके अलावा हमारे कोटड़ा क्षेत्र में जो वन क्षेत्र है, वहां पर सरकार द्वारा जो गिरदावरी की जाती है, आज इस बात का पता ही नहीं लग रहा है कि राजस्व की जमीन कौनसी है और वन विभाग की जमीन कौनसी है। कारण यह है कि अभी जो वन अधिकार की लोगों ने फाइलें भरी हैं, उनके वहां वन अधिकार नहीं मिलने का कारण से वहां सरकार की योजनाओं के लाभ से लोग वंचित हैं। मेरी मांग रहेगी कि जो क्षेत्र गिरदावरी से वंचित है, उनको तरमीम करके वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाये, तो उन लोगों को वन अधिकार के पत्र मिल सकते हैं।

इसके अलावा वन क्षेत्र में जो भी बस्तियां बनी हुई हैं, उनकी सुविधा के लिये वहां अभी तक सड़क नहीं है, वहां बिजली नहीं है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। मैं वन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर भी आप थोड़ा सा विचार करें। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी वन उपज होती है, जैसे तेंदू पत्ता है, सीताफल है, गोंद है, शहद है। सीताफल के लिये हमारे यहां दिल्ली से भी लोग आते हैं, मुम्बई से भी आते हैं और वो कैरट में भाव तय करते हैं कि हम

आपको एक कैरट के 200 रुपये देंगे और दिल्ली में वो उस सीताफल को 100 रुपये किलो बेचते हैं। मेरी सरकार से मांग रहेगी कि हमारे क्षेत्र के जो सीताफल हैं, उनमें अन्दर से जो चीज निकलती है, उसको इकट्ठा करके आइसक्रीम या अन्य जगह इसका उपयोग होता है, तो वहां के लोगों का कोई समूह बनाकर या ऐसी कोई व्यवस्था करे, ताकि उनको उचित लाभ भी मिले और रोजगार भी मिले।

इसके अलावा, पर्यटन के विकास के लिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर जरगा जी का एक पुराना स्थान है और मेवाड़ से मारवाड तक के लोग वहां पर आते हैं। वह पूरा ऐरिया वन विभाग में आता है, उसके विकास के लिये उसको धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया जाये। हमारे क्षेत्र में रणकपुर एक स्थान है, उदयपुर से कोई भी आता है तो वह रणकपुर होकर जाता है, लेकिन रणकपुर की सड़क वन अभयारण्य में आती है और इस वजह से वहां के अधिकारी सड़क को चौड़ी नहीं करने देते हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां आये दिन एक्सीडेंट होते हैं, खड्डे भी पड़े हुए हैं, आप ऐसी परमिशन दिलाने की व्यवस्था करें कि हमारे वहां के लोगों को लाभ मिल सके।

हमारे यहां पर बहुत समय पहले से ही वन सुरक्षा समिति बनी हुई है, जिनको किसी को 15 साल, किसी को 20 साल हो गये है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनकी भी आप घोषणा करें, ताकि नई समितियां बनेंगी, नये लोग आयेंगे और नये काम होंगे। आप सबने बोलने का मौका दिया, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 56 और 45 वन एवं पर्यावरण पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। अभी चर्चा चल रही थी और हमारे साथी मित्र इस बात को स्वीकार कर रहे थे, सीकर से आने वाले हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य भी, कि 2022 की जो इनकी समिट थी, वह पूरी तरह से फ्लॉप रही, फेल रही। चूंकि वो बिना तैयारी के समिट थी, पूर्व में इन्होंने कोई औद्योगिक नीति बनाई नहीं थी। सबसे बड़ी बात इच्छा शक्ति का अभाव और उससे भी बड़ी बात वो 2022 में इन्होंने बनाई थी और 2022 में सरकार विदाई लेने का इनका टाइम था, इनको मालूम पड़ गया था, तो सिर्फ झुन्झुने के तौर पर यह अपनी समिट को लेकर आये थे। वो समिट कैसे पूरी होती, वो समिट करनी ही नहीं थी, वो तो सिर्फ लोगों को भरमाने का एक प्रयास था। हमारी समिट, हमारा राइजिंग राजस्थान, माननीय मुख्य मंत्री जी जिस रोज से सत्तासीन हुए, उनके मन में यह विचार था कि यह राजस्थान उद्योगों की दृष्टि से उर्वरक भूमि है। यहां हर प्रकार की खनिज संपदा, अयस्क, हर प्रकार की प्रचुरता से, आवागमन के साधन, तीव्र गति की ट्रेने, सब चीज यहां ऐसी हैं, जहां हम उद्योगों को लगा सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसी दिन से यह संकल्प किया था कि राजस्थान में औद्योगिक विकास करवायेंगे और उसकी पूरी तैयारी को लेकर वो विदेश भी गये, विदेशों में भी उन्होंने निवेशकों से संपर्क किया। भारतीय निवेशकों से भी संपर्क किया

और साथ ही साथ उद्योग नीति को सरल बनाया। उद्योग नीति को सरल बनाने के साथ-साथ पूर्व में जितनी भी इनकी असफलताएं थीं, उनको देखा और उसके उपरांत राइजिंग राजस्थान का आयोजन हुआ और पहले ही वर्ष में वह राइजिंग राजस्थान हमारे मुख्य मंत्री जी के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से हमारे पास चार साल हैं, इन चार सालों में, वो जितनी भी बातें कर रहे थे 45 लाख करोड़ के, सौर ऊर्जा के, यह सारे काम भी पूरे होंगे, नये एमओयूज भी होंगे और निश्चित रूप से जो स्थिति आज गुजरात की है, जो स्थिति महाराष्ट्र की है, हमारा राजस्थान भी औद्योगिक रूप से वैसा ही विकास करेगा। साथ ही साथ हमारे युवाओं को भी प्रचुर मात्रा में, क्योंकि हम कौशल रूप से उनको स्किल बना रहे हैं। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी यह तैयारी की है, कोटा में भी 150 करोड़ रुपये से स्किल इंस्टीट्यूट खोला है। एक साल में 50 हजार युवाओं को कौशल दक्ष करके उन्हें रोजगार देने के साथ-साथ एक बड़ी फौज जो स्किल रूप से डवलप होगी, ऐसी फौज बनेगी। साथ ही पुराने उद्योगों के उन्नयन का काम चल रहा है। दो लोजेस्टिक पार्क, निजी औद्योगिक पार्कों के विकास ....

श्री सभापति: संदीप जी, एक सेकण्ड रुकना। मंत्री महोदय से आग्रह है कि आपस में बातें नहीं करें और अपने-अपने स्थान पर विराजें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, हमारी केन्द्र सरकार की भी यही सोच है, जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक्सप्रेस वे, सबसे लंबी सड़क, ऑल वेदर रोड, अटल टेनल, देशभर में सड़कों का ऐसा जाल बिछा दिया...

Msk/Rtm/10.03.25/2030/4k

जो कि आप आजादी के 70 साल तक नहीं कर पाये। मात्र 10 सालों में भारत की काया को पलट दिया और उद्योगों के लिए पूरी तरीके से, आज भारत का हर प्रदेश एक धारा में बहकर आपस में एक-दूसरे को उद्योग से जोड़कर और निश्चित रूप से आदान-प्रदान करके, हमारा राजस्थान और पूरे देश के प्रदेश भी आज तेजी के साथ औद्योगिकीकरण में बढ़ रहे हैं। इसी कारण हम आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा किजो औद्योगिक गलियारा माननीय मुख्य मंत्री जी ने विकसित करने का काम किया है, इससे व्यापार के कई विकल्प खुलेंगे और स्थानीय व्यापारियों को पंख लगेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं सीधे-सीधे कोटा की बात पर आता हूं। पहले कोटा औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता था। चंबल नदी का वरदान, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, कोटा में अपार संभावनाएं हैं। निश्चित रूप से कोचिंग सिटी होने के नाते आवासीय एवं आधारभूत ढांचा कोटा के पास है। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों से सीधी कनेक्टिविटी, चाहे रेल मार्ग से हो, चाहे सड़क मार्ग से हो, कोटा में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, जहां हम पूरी तरीके से उद्योगों का विकास कर सकते हैं। कोटा में औद्योगिक क्रांति का नया इतिहास, आने वाले समय में कोटा में फल सब्जी, फूल उत्पादक.. चूंकि दिल्ली से लेकर मुंबई वाली राष्ट्रीय

8-लेन रोड बनी है, उससे कोटा जुड़ा हुआ है। दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों की मण्डियों में वहां फूल उत्पादक, फल-सब्जी उत्पादक तक को, हमारे किसान भाइयों को भी लाभ मिलेगा। उनको अच्छे दाम, उनकी उपज के पैसे मिलेंगे। कोटावासियों की ओर से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कोटा में प्राकृतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, वन्य पर्यटन, वाटर स्पोर्ट्स पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन सहित सर्वांगीण विकास के मार्ग को उन्होंने प्रशस्त किया है और साथ ही साथ हमारे आदरणीय मंत्री जी का भी, जिन्होंने ओलंपिक पदक जीतकर भारत और राजस्थान का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया, जो सेना के अधिकारी होने के साथ-साथ हमारे मंत्री के रूप में भी बहुत कुशलता से उद्योग मंत्रालय का संचालन कर रहे हैं। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे कोटा में स्टोन मण्डी की घोषणा की थी, परन्तु इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कोटा स्टोन पार्क की स्थापना हो जाए, जहां पर बाजार मांग के अनुरूप कोटा स्टोन के विभिन्न उत्पाद तैयार हो सकेंगे और इससे लगभग दो करोड़ का निवेश आकर्षित होगा और लगभग 25 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

मेरे आपसे आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से गोपालपुरा औद्योगिक जोन में ऐसे डिस्प्ले सेंटर स्थापित हो जायें। गोपालपुरा में आपने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिया है, जहां कोटा स्टोन, कोटा डोरिया, मांगरोल, खादी, धनिया, हमारा लहसुन, बूंदी, सैंड स्टोन, बूंदी के बासमती चावल के विनिमय की विशेष व्यवस्था हो। इन विशेष उत्पादों पर आधारित उद्योग स्थापित किए जायें।

कोटा सहित प्रदेश के सभी शहरों में कचरा निस्तारण की समस्या को देखते हुए वन मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सरकार ने प्रत्येक जिला मुख्यालय पर वैल्थ पार्क स्थापित करने की घोषणा की है और कोटा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुकंदरा रिज़र्व टाइगर में और अधिक बाघ यहां पर लेकर आयें, अधिक स्टाफ की व्यवस्था हो। इसके पूर्ण संचालन के बाद कोटा को पर्यटन नगरी के नाम से विश्व के मानचित्र पर जाना जाएगा। कोटा में अर्थव्यवस्था में भी जो वर्तमान में शैक्षणिक अर्थव्यवस्था भी हमारी खराब हुई है, उसमें भी काफी सुधार होगा। माननीय वन मंत्री जी, इसे बहुत गंभीरता से लें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने अभेड़ा जूलॉजिकल पार्क में एनक्लोजर बनाने व मुकुन्दरा में वन्यजीवों के लिए चम्बल पानी की उपलब्धता को तय करने के लिए बजट उपलब्ध करवाया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। कोटा शहर से मेरी एक और मांग है कि अब जो वन भूमि हमारी बिल्कुल शहरों के अंदर आ गयी है, इसको प्रत्यावर्तित करने की आवश्यकता है। अब मैं राज्य सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जो वन भूमि है, उसने शहरों के विकास को बिलकुल ठप कर दिया है, बिल्कुल लगी हुई है तो इसको अन्यत्र कहीं राज्य सरकार उस जमीन को जहां जंगल लिस्ट बन सकें। वर्तमान में तो जिस तरीके से..

एयरपोर्ट के लिए भी मैं बहुत-बहुत आपका धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी का, माननीय ओम बिरला जी का, जो आपके प्रयासों से कोटा वासियों को

वन भूमि और अभयारण्य से आपने मुक्त करके कोटा को एयरपोर्ट की सौगात दी है। कोटा में आज हम नये विकास के आयाम छूने जा रहे हैं, उसके लिए मैं हमारी राजस्थान की सरकार को, माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि कोटा में नदी और जंगल दोनों की उपलब्धता है। वहां मुकुन्दरा का वन भी है और चम्बल नदी भी है, तो यहां पर चंबल सफारी को यदि आप प्रारंभ करेंगे तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस ओर माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जरूर कोई न कोई हमारी चंबल सफारी को लेकर घोषणा करें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, वन विभाग को खतम करके आप वन विभाग में लेंगे, जंगली जानवर शहर में आ रहे हैं, वास्तविक स्थिति यही है। इधर जंगलों को खत्म मत करने दो और जंगलों की सीमा में शहर को घुसने की आवश्यकता नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, मांग संख्या 56-उद्योग व 45- वन एवं पर्यावरण के सम्बन्ध में आपने मुझे बोलने के लिए आज्ञा दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। सभापति महोदय, चूंकि हमारे विपक्ष के नेता जूली जी और विपक्ष लगभग यहां से गायब है, इसलिए मेरे बोलने की इच्छा नहीं हो रही है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): मैं हूं ना, आपके सामने।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपके विपक्ष के नेता में से कोई नहीं है। सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी का..

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आप विपक्ष को सुना रहे हैं या मंत्री जी को सुना रहे हैं। मंत्री तो यहीं हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): रफीक साहब, प्लीज, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं।

मैं मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब का, हमारे उद्योग मंत्री जी का, हमारे वन मंत्री जी का बहुत-बहुत आभारी हूं। ...(व्यवधान)... श्रवण जी मुझे बोलने पर मजबूर मत करो। मैं आज सिर्फ मुख्य मंत्री जी का और राज्यवर्धन जी का और संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने पिछले 13 महीने में अच्छा काम किया और कई चीजें मेरे से लोगों ने पहले कहीं। मैं अपनी बात को टेबल कर रहा हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः आप टेबल कर दो, धन्यवाद। श्री सुरेश गुर्जर।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वन और पर्यावरण एवं उद्योग पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से वन मंत्री जी का ध्यान झालावाड़ जिले को प्रकृति ने भरपूर वन और खनिज सम्पदा दी है। यहां पर 19 प्रतिशत हिस्से में हरियाली है। यहां पर बलखाती, इठलाती नदियां, कलरव, संगीत सुनाती हैं। यहां के तालाबों पर विदेशी और देशी

पक्षियों का बसेरा रहता है। दूर देशों से सात समंदर पार कर बड़बेला के कृत्रिम तालाब में प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं। इनकी अठखेलियां यहां के तालाबों में दिखायी देती हैं। यहां के विश्व प्रसिद्ध गागरोनी तोते का मैं जिक्र करूंगा। गागरोनी तोता इंसान की तरह बोलता है। चलेट के जंगलों में हिरण, सांभर, नीलगाय और खरगोश की कुलांजें दिखायी देती हैं। भागिर के जंगलों में पैंथर की दहाड़ें तो कालीसिंध नदी के किनारे पर पानी के राजा बेखौफ होकर अपनी बादशाहत इतराता दिखायी देता है। यहां की खूबसूरत वादियां हैरान करने वाली हैं। आहू कालीसिंध नदियों के संगम पर जब दो नदियां एक दूसरे को अपने में समेट लेती हैं तो प्रकृति की अद्भुत कला या दिखाई देती है। ऐसा है, हमारा झालावाड़। झालावाड़, जिसको प्रकृति ने भरपूर दिया है, उसकी तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित भी करना चाहूंगा और आपकी सरकार का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खानपुर की कुछ मांगें हैं, जिनकी तरफ में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वन और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, किंतु वन संरक्षण के नाम पर खानपुर विधान सभा क्षेत्र की कई सड़कें जैसे घागरोन से नौलाव, नौलाव से लक्ष्मीपुरा और महवाकेड़ा से कल्लाजी महाराज की सड़कें फॉरेस्ट विभाग की स्वीकृति के अभाव में अटकी पड़ी हैं। लक्ष्मीपुरा पेयजल की टंकी आधी बन गयी है। इसके बाद वन विभाग ने काम रुकवा दिया है। अतः मंत्री जी से मेरी मांग है कि इनको स्वीकृति जल्दी प्रदान करें।

mdp/rtm/10.03.25/20:40/4l

इसी तरह परवन सिंचाई वन विभाग में जो जमीनें डूबी थी, उनके बदले राजस्व की जमीनें दी गयी। इन जमीनों पर बरसों से काश्त कर रहे लोगों को वहां के अधिकारी बेदखल कर रहे हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि फसल कटने तक बेदखल नहीं करें। माननीय मंत्री जी का ध्यान खानपुर के हरीगढ़, पनवाड़ के 3000 हैक्टेयर क्षेत्र में काले हिरण, चिंकारा बहुत बड़ी संख्या में हैं। मेरी सरकार से मांग है कि इनकी गणना करके इनके संरक्षण के लिए रिजर्व अभयारण्य की घोषणा की जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के बाघेर, उम्मेदपुरा, हिचर, बोरदा, हरिगढ़, अंटा, गोविंदपुरा, बोरखेड़ी, नयागांव गुजरान, नयागांव बजरान, बांसकटी, दयाभाव, कुंआभाव, पनवासर, थौंगणी, डडवाड़ा, जैतपुरा, इकवास, हरिपुरा, नौलाव, लक्ष्मीपुरा, गागरोन, मंडावर, कोलाना, देवड़ी सहित वन क्षेत्र के पीढियों से रह रहे आदिवासी समुदाय को वन अधिकार के तहत पट्टे दिये जाने की भी मैं आपसे मांग करता हूं। पट्टे के अभाव में इन गांवों में न तो हैंडपंप हैं, न हीं यहां पर श्मशान आवंटित है, न ही यहां पर जो प्रधान मंत्री के आवास हैं, वह भी स्वीकृत नहीं हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान झालरापाटन महाविद्यालय की और आकर्षित करना चाहूंगा, वाल्मिकी महाविद्यालय की ओर, यहां से पढ़कर निकलने वाले छात्रों को वन अधिकारी, सहायक वन अधिकारी जैसे पदों पर वरीयता देने का प्रावधान जरूर करें, तभी

प्रदेश में रोजगार सुलभ हो सकेगा। मैं मांग करता हूँ कि इनको वन सेवा के पदों पर वरीयता दी जाए।

मैं माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में खनन आधारित उद्योग की प्रचुर संभावनाएं हैं। यहां पर बड़ी मात्रा में सेंड और कोटा स्टोन की खानें मौजूद हैं। ये उद्योग जिले में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। खनन क्षेत्र आरोलिया, रोनजी, पिपलिया, नेरावत, भीलवाड़ी, बीरियाखेड़ी, कनवाड़ा,कनवाड़ी में रीको द्वारा स्टोन आधारित औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने की मैं माननीय मंत्री जी से मैं मांग करता हूं। माननीय मंत्री जी से मैं पनवाड़ क्षेत्र में, पनवाड़ क्षेत्र में चावल बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। रीको द्वारा कोई औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की भी मैं मंत्री जी से मांग करता हूं।

(समय : बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

मेरे विधान सभा क्षेत्र के धानोदी गांव में सरकार द्वारा रियायती दरों पर धागा फैक्ट्री को जमीन दी थी। वह फैक्टरी एक साल चली और बंद पड़ी है। इस फैक्ट्री को भी मैं चालू करने की मांग करता हूं। झालावाड़ जिले में संतरा आधारित उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आद्यौगिक पार्क स्थापित करने की मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं। झालावाड़ जिले में थर्मल के नजदीकी क्षेत्रों में कोटा स्टोन का उपयोग सीमेन्ट उद्योग के लिए हो, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्वयाद। जय हिन्द। राम-राम साहब।

श्री सभापतिः श्री भगवाना राम।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): माननीय सभापति महोदय, आज मुझे मांग संख्या 45 एवं 56 पर शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि पर आज मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की वन नीति, 2023 स्पष्ट है कि मानव समाज के कल्याण के लिए वन बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में शहर और आसपास के गांव, 18 गांव लगते हुए, रक्षित वन खंड कांकरिया मैन संपूर्ण वन भूमि 102 वर्ग किलोमीटर यानी की 10,201.31 हैक्टेयर क्षेत्रफल में वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9(1) के अंतर्गत प्रसिद्ध या प्रजातियां, वनस्पति और भू-संरक्षण नैसर्गिक और प्राणी के हिसाब से महत्त्व को ध्यान में रखते हुए 18/11/2019 को मनसा माता कन्जर्वेशन रिजर्वायर घोषित किया गया। इससे हमारे उदयपुरवाटी की विधानसभा के सभी लोगों को बहुत खुशी हुई थी और बहुत खुश हुए कि हमारे शाकंभरी माता का मंदिर है, वहां मनसा माता का मंदिर है और छापोली में कदम कुंड हैं, तो वहां पर्यटक आएंगे, बहुत विकास होगा, लेकिन उसके ठीक विपरीत जिस प्रकार से बाड़मेर में रिफाइनरी लगी लोग बहुत खुश हुए कि वहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और लाखों

पेड़ लगेंगे। न तो पेड़ लगे और न ही रोजगार मिला, बल्कि वहां तेल भी कम होने लग गया। सेम स्थिति मेरी उदयपुरवाटी की हुई कि वहां मनसा माता कंजर्वेशन, वन विभाग में लिखित रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2023 तक 3390 हैक्टेयर में कुल 11 लाख 28 हजार पेड़ लगाए गये। राज्य सरकार के 811 लाख 75 हजार रुपये खर्च किए गए। महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में जवाब मिला कि कितने पेड़ जीवित हैं? रिपोर्ट आयी की 7,70,609 पेड़ जीवित हैं। वहां जो पेड़ लगाये गए, वह देशी बबूल, बेर, रोज़, टाटली, शीशम, बांस,आम, लेसवा, बर्ड पीपल, अलदतातलाश, खिरनी, पापड़ी, गोंदी, मंत्री महोदय, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये पेड़ जो बोल रहा हूँ मैं रोज, शीशम या तो हैं नहीं या कोई पेड़ लगाए हुए हैं तो लोकल लोगों ने लगाए हैं वहां पर। फोरेस्ट डिपार्टमेंट के वहां कोई पेड़ जीवित नहीं हैं। जो 7 लाख 70 हजार पेड़ बता रहे हैं, आज की तारीख में अधिकारी हमारे कितने विश्वास से जवाब दे रहे है? मैं निवेदन करूंगा आपको कि आप इनकी उच्चस्तरीय जांच करवाएं कि यह पेड़ है या नहीं है? हकीकत है ये बात कि वहां पेड़ नहीं हैं। जांच में भी आप कोई विडियोग्राफी या ड्रोन या हम लोकल जन-प्रतिनिधि हैं, तो जब आपकी टीम जाए तो हमको शामिल कर लें तो वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी।

इसके अलावा मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्वायर में पेड़ों की संख्या की जांच करने के लिए मैंने बोल दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी अरावली में मनसा माता पहाड़ी स्थित है, वहां अवैध खनन किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए मैंने प्रश्न लगाया कि कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं? तो मात्र 22 प्रकरण दर्ज हुए हैं पांच साल में। हकीकत यह है कि वहां पहाड़ के पहाड़ गायब है। सभापति महोदय, आज भी वहां जगह मौजूद है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसके साथ इसकी भी जांच कराएं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, मतलब हजारों करोड़ों रुपये की वहां से पत्थर की चोरी हुई है, हजारों करोड़ की। इसके साथ ही वहां दीवार बनाई गयी, चार-दीवारी बनाई गयी, तलैया बनाई, झोपड़ी बनाई, वह जो बताया गया, उसके मुताबिक नहीं है। अधिकारी जानबूझ कर और मन में पता नहीं क्या उनकी मंशा है, गलत जवाब दे रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं ये निवेदन करूंगा कि ये जो अधिकारी मनमर्जी से जवाब दे रहे हैं, उनकी जांच कराई जाए और गलत हो तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। मन मर्जी से यहां जवाब दे रहे हैं। हमको खुशी थी कि हमको वहां कंजर्वेशन से, मनसा माता से बहुत रोजगार मिलेगा। हुआ उल्टा, बिना किसी तैयारी के, तारंबदी के, वहां पैंथर छोड़ दिये गये। वहां मेरे ड्राई बेल्ट है। हमारे खेती तो रही नहीं, लोग पशुपालन से अपना पेट पालते थे। पशुपालन करके ही वह पेट पालते हैं, लेकिन पैंथर छोड़ने के कारण से, वे सारे पैंथर गांव में घूमते हैं। हमारे पूरी बकरियां,भेड़ सारी बेच दी गई या पैंथर खा गए। आज की स्थिति इतनी भयंकर है वहां की कि लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। वे बकरी या भेड़ जो मरती है,खा जाते हैं। वह हमारे घरों में आकर खाते हैं। जंगल तो दूर की बात है। जंगल में अगा छोड़ दिया, हमारे पास जो रेवड़ थे, हमारे किसान थे, मजदूर थे, लोग भेड़ बकरियां पालते थे, वे तो गायब हो

गये। जो घर में हम पालते हैं, वहाँ भी पैंथर आकर खा जाते हैं। सरकार क्या देती है उसके बदले? तीन हजार रुपये। 20-25 हजार की बकरी को खा जाता है। हम आवेदन करते हैं तो सरकार हमको 3000, वह भी टाइम पर नहीं देती है। मेरा निवेदन है कि इसको भी गंभीरता से लें। हम तो आपसे निवेदन करते हैं या तो हमारे को हमारी पुरानी स्थिति में छोड़ दें या वहां से पैंथर को हटाएं। अगर नहीं हटाते हैं तो उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था कीजिए, पानी की कीजिये, खाने की कीजिये, तार बंदी कीजिये, जिससे हमारे लोगों को, वहां लोगों में भय इतना है, मंत्री महोदय, आप कल्पना नहीं कर सकते। पैंथर आम तरह से गांव में घूमने लग गये, शहरों में आने लग गये। साहब, आपके तो बड़ा है, मेरे तो बहुत छोटा है। वहां आए दिन घटनाएं होती हैं। मैंने जो पैंथर के लिए बोला आपको इसके अलावा काटली नदी है।

Ans/rtm 20.50 4m 10.03.2025

मैं प्रदूषण की बात कर रहा हूँ। कातंली नदी में एनजीटी घोषित हो गई, कलेक्टर को पावर दे दिए, टीम बना दी गई। इसके अलावा वहां गुंडा गर्दी, भू -माफिया, बजरी माफिया की बात कह रहा हूँ, वहां इस तरह का वातावरण होता है। मैं पर्यावरण की बात करता हूँ, इतनी एलएनटी चलती है, इतने डंपर चलते हैं। जब मैं बोलता हूँ तो जाति विशेष को टारगेट करके, वे लोग एक-दो ट्रॉली पकड़ते हैं। उनकी नीयत में इतना खोट है की भगवान राम सैनी बोल रहा है तो उनके कहने से, मेरे कार्यकर्ता मान लो, मेरे और कोई मान लो, तो एक-दो को मुश्किल से, बाकी वहां हज़ारों ट्रैक्टर और डंपर जाते हैं। इसके अलावा छापोली पहाड़ी जोन है, वन क्षेत्र है, वहां हकीकत यह है कि लीजेज चल रही हैं। इसके लिए मैंने क्वेश्चन लगाया कि आपको किनको हैवी ब्लास्टिंग करने की अनुमति है, तो नहीं है सर। वह हैवी ब्लास्टिंग इतनी ज्यादा करते हैं, इतनी भारी करते हैं कि वहाँ धुआं ही धुआं फैला रहता है। वहां क्रेशर बहुत है। क्रेशर में कोई भी मापदंड, कोई लगाम नहीं है कि उनको रोका जाए।

श्री सभापतिः विराजें।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): वहां ब्लास्टिंग होता है, तो मेरा निवेदन है कि उनकी जांच करवाई जाए। जय हिंद, जय भारत।

श्री सभापतिः श्री उदयलाल भडाणा।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 45 और मांग संख्या 56 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार और बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ की उद्योग और वन पर्यावरण का जो विषय है, उद्योग को लेकर राइजिंग राजस्थान के माध्यम से राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा ने 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू करके, राजस्थान के अंदर नए उद्योग स्थापित हों, नए काम धंधे, रोजगार स्थापित हो, उसके लिए विदेशों से कंपनियों को इनवाइट किया। देश भर के सारे प्रदेशों से इन्वाइट करके, राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपये का एमओयू किया, जिससे उद्योग को बढ़ावा

मिले।

वन एवं पर्यावरण मंत्री जी, आपने पिछली बरसात के समय में 07 करोड़ पौधे लगाकर कर राजस्थान को हरियाला राजस्थान बनाने का काम किया। मुख्य मंत्री जी के आह्वान के ऊपर सारे सभी जनता जनार्दन, जनप्रतिनिधि, अधिकारियों ने पूरे राजस्थान में 7 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में पौधे लगाए, ताकि राजस्थान हरा भरा रहे, विकसित रहे। नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि एक पेड़ अपनी मां के नाम पर लगाएं, उसी तर्ज पर भजन लाल जी शर्मा का आह्वान था कि हरियाला राजस्थान के माध्यम से पेड़ पौधे लगे। वन पर्यावरण मंत्री जी, आपके माध्यम से भी पेड़ लगे और प्रकृति शुद्ध हुई।

दो-तीन साल पहले जब कोरोना आया था तो पेड़ का महत्त्व और योग्यता का पता लगा। पेड़ होगा तो ऑक्सीजन होगी और ऑक्सीजन होगी तो आदमी स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा, तो पेड़ लगाकर राजस्थान सरकार ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया। मैं वन पर्यावरण मंत्री जी इसी माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो पेड़ पौधे हैं, पिछले बार मैंने बोला था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछली सरकार के वक्त से ही पेड़ पौधों को काटकर, अवैध भट्टियां बनाकर कोयला बनाते थे। जैसे ही मैंने यह आवाज उठाई, मंत्री महोदय संजय जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए, सारी अवैध भट्टियों को बंद कर दिया, जिससे पेड़ पौधे भी बच गए और वहां जो जहरीली धुआं, गेस निकलती थी, वह प्रदूषण भी मिट गया। करीब एक हजार भट्टियों को तोड़ दिया गया। कुछ 5-10 अगर चोरी छिपे हैं तो वे भी डरकर छोड़ कर भाग गए। मैं सदन के माध्यम से मंत्री महोदय आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, वह हमारे वहां से तो चले गए, लेकिन मैंने सुना कि वही व्यापारी डुंगरपुर, बांसवाड़ा में जाकर अवैध भट्टियां बनाने लग गये। अगर यह कार्यवाही आप सारे राजस्थान में करेंगे, पूरे राजस्थान के कलेक्टर कहेंगे कि जो पेड़ पौधों को काटकर कोयला बनाते हैं, पूरे राजस्थान का अगर कोयला बंद होगा तो पूरा राजस्थान हरा-भरा रहेगा। हमारे वहां तो आपकी कृपा से बंद हो गया।

आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जैसा कि पिछली बार मैंने कहा था की हमारे वहां उद्योग की फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा है, फैक्ट्रियों के काले पानी की वजह से, हमारे वहां बहुत बड़ी कोठारी नदी और बनास नदी है, उस बनारस नदी और कोठारी नदी में फैक्ट्री वाले केमिकल युक्त प्रदूषण पानी बरसों से छोड़ते आ रहे है। आपने कहा था कि कमेटी बनाई जाएगी। अब कमेटी वालों ने काम किया कि नहीं किया, वह तो शायद आपको पता है। मैं आपको निवेदन करता हूँ उनको एक बार और निर्देशित करें, जिससे काले पानी को रोकने का पूर्ण काम करें। जीरो डिस्चार्ज के नियम के आधार पर उनको एनओसी दी गई प्रोसेस हाउस को, लेकिन वह जीरो डिस्चार्ज के नियमों का पालन नहीं करते हैं। उस पानी को नदी और नालों के माध्यम से उस नदी में छोड़ते हैं। टैंकर भर-भरकर नालों में डालते हैं और नदी में छोड़ते हैं। एक प्रोसेसेस वाला तो ऐसा है, अपनी फैक्टरी के अंदर उसने बोरिंग कर रखा है और बोरिंग के अंदर ही काला पानी डालता है। अगर काले पानी के माध्यम से नीचे किसानों के

खेतों में, कुएं, बावड़ियों में वह जहरीला पानी जाता है और जिससे लोगों को चर्म रोग की बहुत सारी समस्याएं तकलीफ रहती हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मॉडल में कंचन प्रोसेस नाम की फैक्ट्री है, वह बोरिंग कराकर उसमें जहरीला पानी डालता है। भू जल स्तर खराब हो रहा है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, संसदीय मंत्री, सब लोग मजाक कर रहे हैं, माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री सभापतिः अपने-अपने स्थानों पर जाये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अपने-अपने स्थान पर जाओ, आप सीनियर सदस्य हो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इस सीट पर बैठूं तो एतराज करें, यहां बैठो तो एतराज, यहां बैठो तो एतराज अब मैं क्या करूं? आप बताओ ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इधर बैठ जाओ। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मुझे पब्लिक ने यह कहा है, आठ करोड़ जनता ने हमको ये मैंडेट दिया है कि आप इधर बैठो और बार-बार इधर ही बैठते रहो। अब इसका क्या करें?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): एक बार का ही दिया है, पर बैठो। बैठ ही नहीं रहे हैं, सारी खाली है।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): जूली साहब मेरा समय खतम हो रहा है, बड़ी मुश्किल से समय मिला है।

श्री सभापतिः आपका समय अब चालू हुआ है। वहां बंद हो जाता है। बोलो।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ये खुद तीन घंटे फिल्म देखकर आये हैं ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हर शुरूआत इंसान को डराती है। हर नई शुरुआत इंसान को डराती है, मगर कामयाबी मुश्किलों के बाद ही मिलती है। आप चिंता मत करो, मुश्किल पाए पांच साल, कामयाबी मिल गई। आगे की मत सोचो। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति:विराजिये।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से वापस बताना चाहता हूँ, एनजीटी के माध्यम, भीलवाड़ा के अंदर कोठारी नदी है, उस कोठारी नदी के ऊपर ग्रीन बेल्ट के नाम से जमीन अलॉटमेंट है, लेकिन शहरी कॉलोनी वालों ने उस ग्रीन बेल्ट को खत्म करके, नदी के किनारे कब्जा कर लिया। मैं मंत्री महोदय के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि उस ग्रीन बेल्ट को सुरक्षित रखें और नदी किनारे पर जो पेड़ पौधे लगे हैं, उनको बचाकर रखें।

हमारे विधानसभा क्षेत्र में खारी नदी है, उस खारी नदी के तट पर एनजीटी की पालना नहीं करते हुए, पूर्ववर्ती सरकार ने खानें अलॉट कर दीं। मंत्री महोदय से निवेदन करना

चाहता हूँ, जिन खानों का नदी के किनारे अलॉटमेंट किया, जो नियम के विरुद्ध हैं, उनको बंद करने का काम करें। जिन खानों के ऊपर पर्यावरण और एनजीटी के नियमों के आधार पर पौधारोपण का कहा था, लेकिन उन्होंने पौधारोपण नहीं किया, जो नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बोजा बायरा भगवान देवनारायण जी के पिताजी सवाई भोज का मंदिर है और अभी 2 मई से 10 मई तक वहाँ बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। वह सारी जमीन आपके फॉरेस्ट में आती है। मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी और मुख्य मंत्री से मांग करता हूँ कि हमारे जो 02 तारीख से 10 तारीख का कार्यक्रम रहेगा, उसमें करीब 02 लाख लोग आएंगे। वह रोड तो पिछले बजट में वहां मंदिर तक पहुँच गया, लेकिन वह सारी जमीन फॉरेस्ट में है। मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी और मुख्य मंत्री से मांग करता हूं कि जो 100 बीघा जमीन है, वह मंदिर के नाम, फॉरेस्ट से हटाकर मंदिर के मेला ग्राउंड में दर्ज करने की कृपा करें। क्योंकि आज से 1200 साल पहले वह सारी जमीन भगवान देवनारायण के बीच जो मंदिर है, उन्हीं के नाम पर थी। हमारे सवाईभोज में 1200 बीघा जमीन है और सकरेव के अन्दर मन्दिर है वहां 2500 बीघा है। यह जमीन भी भगवान देवनारायण की थी, लेकिन वह फॉरेस्ट में चली गई। तो मैं मंत्री महोदय के माध्यम से मांग करता हूँ उसमें 100 बीघा जमीन कम से कम बोजाबायरा मंदिर के नाम पर खेल ग्राउंड के नाम पर दर्ज की जाए। एक छोटी सी जो टेकरी है वहाँ पर मंदिर बन रहा है, उसकी परिक्रमा लगाने के लिए बहुत बड़ी तकलीफ आती है। रोड बन रहा है, आप अगर एनओसी दे तो वह मंदिर की परिक्रमा भी बन जाएगी। हमारा कनाडा कस्बा एक किलोमीटर दूर पड़ता है। फॉरेस्ट के अंदर होने के कारण, एनओसी नहीं मिलने के कारण, रोड नहीं बन पा रहा है। मंत्री महोदय, अगर आप वह एनओसी भी दिलाते हैं तो हमारा बोजा बायरा मन्दिर डायरेक्ट कनाडा क़स्बे से कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह जो भी पेड़ पौधे हैं, हरियाली का काम राजस्थान सरकार कर रही है। हमारी सारी पंचायत समितियां, सारे जनप्रतिनिधियों ने मुख्य मंत्री जी के आह्वान को मानते हुए हरियाला राजस्थान में बहुत बड़ा सहयोग किया, उसके लिए सभी जन प्रतिनिधियों का बहुत-बहुत आभार।

VPS-RTM-10.03.2025-21.00-4n

अब मैं उद्योग की बात करता हूं। उद्योग, भीलवाड़ा के अन्दर, हमारी भीलवाड़ा नगरी को औद्योगिक नगरी ही कहा जाता है और औद्योगिक नगरी के लिए राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने 100 दिन की कार्ययोजना में भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क देकर बहुत बड़ी सौगात दी है लेकिन मैं उद्योग मंत्रीजी के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो उद्योग हैं उनको थोड़ा पाबंद करे जो काला पानी छोड़ते हैं जिससे किसानों की खेती बरबाद होती है, किसान यदि वहां सब्जी की फसल बोते हैं तो उससे कैंसर रोग जैसी बीमारियां होने का भी खतरा है। उनको जीरो डिस्चार्ज का जो आपका नियम है, उनको आप पाबंद करें कि काला पानी,

केमिकल युक्त पानी को वह नहीं छोड़े जिससे किसानों को नुकसान न हो क्योंकि वह सब्जी शहर में आती, शहर में वह ही व्यापारी खाते हैं लेकिन काले पानी को छोड़ने से किसानों को बड़ी तकलीफ और समस्याएं आ रही हैं। और राजस्थान सरकार, पूर्ववर्ती सरकार, सब लोगों ने यह कहा था कि उद्योगों को बढ़वा देंगे, बढ़वा देंगे तो यह तो अच्छी बात है, उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए लेकिन उद्योगों को बढ़ावा इसलिए देते हैं कि वहां पर रोजगार मिलेगा, काम-धंधा मिलेगा, व्यापार लगेगा, वहां का लोकल किसान, गांव, गरीब, किसान, मजदूर का बेटा उस फैक्टरी में, उस व्यापार में रोजगार करेगा लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे वहां पर, हमारे अभी भीलवाड़ा से आने वाले एम.एल.ए. साहब अशोकजी ने भी बोला था, पूर्ववर्ती सरकार ने जिंदल नाम की एक कम्पनी को 2008 में उसको जमीन दी थी, 1258 बीघा जमीन उनको दी थी और यह कहा गया था कि आपको भीलवाड़ा का विकास करना है, भीलवाड़ा के लोगों को नौकरी दिलाना है, दो साल के अन्दर यहां स्टील प्लांट लगाना है लेकिन उस कम्पनी ने आज इतने साल हो गये, न तो उसने स्टील प्लांट लगाया और न ही उन्होंने नियमों की पालना की है। तो मैं सदन के माध्यम से यह मांग करता हूं कि उसमें केवल 20 लोकल लोग भी वहां उस कम्पनी में काम नहीं करते हैं, सारे लोग उन्होंने ठेका पद्धति से लगा रखे हैं। सब लोग हरियाणा, यू.पी., बिहार बाहर से लाते हैं। जब हमारी जमीन के ऊपर उद्योग लगता है हमारी जमीन पर जो खनन कर रहे हैं, हमारे यहां से इम्पोर्टेंट मिनरल निकाल कर बाहर ले जा रहे हैं तो हमारा सबसे पहले अधिकार है। मेरी माण्डल विधान सभा क्षेत्र में वह फैक्टरी है, तो पहला अधिकार हमारे को यह बनता है कि हमारे लोकल लोगों को रोजगार दिया जाये, काम-धंधा दिया जाये। मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर कार्यवाही की जाये और लोकल लोगों को रोजगार, व्यापार दिया जाये। यह न तो हरियाणा के लोगों के लिए सरकार ने अलॉटमेंट की थी और न ही यू.पी. बिहार के लोगों के लिए अलॉट की थी तो यह हमारे यहां की चरागाह भूमि, बिलानाम भूमि, कृषि भूमि को अलॉटमेंट करके यह कहा गया था कि हमारे यहां के लोगों को रोजगार दिया जायेगा। उसी गांव के यह लड़के थे, उन लड़कों ने यह कहा कि हमारे को रोजगार दिया जाये, हमारे को काम-धंधा दिया जाये तो पिछली पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं ने, वहां हरियाणा के बाउंसर बैठाये गये, पूर्ववर्ती सरकार की पुलिस के द्वारा उन लोगों को मारा गया, पीटा गया और उनकी ब्लास्टिंग का नियम यह है कि छोटे ट्रैक्टर के माध्यम से ब्लास्टिंग किया जाना था, लेकिन बड़े-बड़े कम्प्रेसरों के माध्यम से ब्लास्टिंग कर रहे हैं, इससे घरों में दरार आ गयी, हमारा पुर कस्बा है, भीलवाड़ा शहर के पास में...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): वह पूरा का पूरा कस्बा जर्जर हो चुका है। पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थीजी ने बहुत समय तक धरना भी वहां पर लगाया था, गहलोतजी वहां पर आये थे तो उन्होंने यह कहा था कि हम कॉलोनी नई काट देंगे, तो न तो एक भी

कॉलोनी कटी है और न ही कोई नियम बना लेकिन मैं सदन के माध्यम से यह मांग करता हूं कि वह जिंदल कम्पनी है जो भीलवाड़ा के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजिये। श्री नाना लाल निनामा।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): सरकार नियम बनाकर उनको पाबंद करे। उसमें लोकल लोगों को रोजगार दिया जाये, काम धंधा दिया जाये जब जाकर यह रहेगा और लोकल लोगों को रोजगार नहीं देंगे तो ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजिये, प्लीज।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): ठीक है, साहब।

श्री नाना लाल निनामा (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 45 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, बांसवाड़ा जिला सघन वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें करीब 20 प्रतिशत व्यक्ति जंगल की जमीन पर निवास करते हैं और साथ ही जंगल में होने वाली गौण उपज, फसलों के माध्यम से अपना जीवन-यापन करते हैं। आज वर्तमान में देखा जाये तो जंगल धीरे-धीरे खतम हो रहा है और वहां के जंगली जानवर घनी आबादी में और गांवों में और शहरों में जाते हैं और जंगली जानवर अपने आहार के लिए मनुष्य और पालतू जीवों को शिकार बनाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह कहना चाहूंगा कि वहां के जनजाति परिवार काफी वर्षों से वन विभाग की भूमि पर खेती कर रहे हैं, उन्हें आज भी पेसा एक्ट के तहत वनाधिकार के तहत पट्टे नहीं मिले। वहां के व्यक्ति अनपढ़ हैं, उनके पास कोई तरह का सबूत नहीं होता है, न रसीद होती है वन विभाग की इसलिए उनको सरकार के द्वारा आयोजित प्रशासन गांवों के कैम्प लगाकर वन भूमि क्षेत्र में निवास कर रहे, खेती कर रहे हैं, उन्हें आज भी उनको खाली कागजी कार्यवाही की गयी है किंतु गरीबों को आज तक भी पट्टे नहीं मिले हैं।

माननीय मंत्री महोदय, मेरे क्षेत्र की कई पंचायतों में वनाधिकार के फार्म ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर लंबित हैं, उसे भी शीघ्र संज्ञान में लेकर शीघ्र पट्टे देने की कार्यवाही करके जनजाति परिवारों को उनके हक को दिलाये जाने की मांग करता हूं एवं साथ में मैं यह भी मांग करता हूं, मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि इनको आवासीय पट्टे दिये जायें ताकि वह अपना कच्चा मकान उस पट्टे के, जहां पर पट्टा मिलता है, उस जमीन पर बना सके।

मैं इस मौके पर माननीय सभापति महोदय को यह बताना चाहूंगा कि कोरोना जैसी महामारी बीमारी में इन जंगलों में फल-फूल, सब्जियां, घास, जलाऊ लकड़ी, टिमरू, महुआ, धावड़ा गोंद, सफेद मूसली, बिल्व एवं वनों से कई तरह की औषधियां हमारे जंगल में मिलती हैं। मैं इस मौके पर यह भी कहने से नहीं चूकूंगा कि, माननीय सभापति महोदय, आपके

माध्यम से एक पेड़ मां के नाम से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत जिले में करीब 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था। साथ ही इन पौधों को दो-तीन साल तक उनकी देखरेख किये जाने का भी प्रावधान था लेकिन हकीकत यह है कि मंत्री महोदय, आपके विभाग द्वारा इसका सर्वे करवाया जाये ताकि मौके पर पौधों की स्थिति का आपको पता लग सके। इसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे घाटोल विधान सभा क्षेत्र में एस.टी. समाज के लोग 35 परसेंट निवास करते हैं तथा कुछ वन विभाग की भूमि पर विगत कई वर्षों से अपना कच्चा मकान, कुएं पर वाटर पम्प लगाकर खेती करके अपना जीवन-यापन, अपने बच्चों का पेट पालन कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, उक्त लोगों को वनाधिकार नियम के तहत पट्टों के लिए आवेदन किये बहुत लम्बा समय व्यतीत हो चुका है परन्तु प्रशासन द्वारा आज तक उनको पट्टे जारी नहीं किये गये हैं। उक्त गरीब लोग जैसे-जैसे अपना जीवन यापन कर अपने बच्चों का पालन-पोषण करते हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा कैम्प लगाकर एस.टी. समाज के व्यक्तियों को आपसे वनाधिकार के पट्टे देने की मैं मांग करता हूं।

(समयः 21.07 बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

इसके साथ-साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वन विभाग में कार्यरत मजदूरों का, मनरेगा में कार्य कर रहे मजदूरों का भुगतान, मेट का भुगतान और मैटीरियल का भुगतान बांसवाड़ा जिले में और प्रतापगढ़ जिले में, दोनों जिलों में करोड़ों रुपये बकाया है, उन कारीगर, मजदूरों को मैटीरियल का भुगतान करें। माननीय मंत्री महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि आप ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपसे आग्रह है कि आप जल्दी वाइंड-अप करिये, इसके बाद रिप्लाई शुरू होगा। अब जितने भी बोल चुके, नौ बजे, मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा है। ...(व्यवधान)...

श्री नाना लाल निनामा (घाटोल): माननीय मंत्री महोदय से मैं यह कहना चाहता हूं कि दोनों जिलों में मनरेगा का पेमेंट करवाकर ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आधे घंटे में सबका हो जायेगा। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः बाकी टेबल कर दें। बाकी जिसका रह गया, वे टेबल कर दें। एक सेकण्ड।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आधे घंटे में सबका हो जायेगा। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः नौ बजे बोला है तो फिर काहे को नौ बजे तय करते हो? जिसको करना है टेबल कर दें। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्षः मैं तो दोनों पक्षों से कह रहा हूं। इनके भी बाकी हैं, इनके भी बाकी हैं। क्यों संसदीय कार्य मंत्रीजी, आपका क्या कहना है? ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे दिन से ये तैयारी करते हैं, बैठे हैं।

श्री अध्यक्षः तैयारी करते हैं तो आप समय उतना दे दो न। नौ बजे के लिए कहा है तो नौ बजे का ही एडजस्ट करके दो। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नौ की जगह यदि दस बज जायेगी, साहब, कौनसा फर्क पड़ रहा है। पन्द्रह-बीस मिनट में सारे हो जायेंगे।

श्री अध्यक्षः दो इधर के हैं और दो उधर के हैं, चार हैं। अब नहीं होगा। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): चार लोग हैं तो पांच-पांच मिनट बोल लेंगे तो बीस मिनट में हो जायेगा।

श्री नाना लाल निनामा (घाटोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो छह मिनट ही बोला हूं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): ये तो पहले बोले ही नहीं। इनका तो पहली बार है।

श्री अध्यक्षः बोले ही नहीं तो हर डिमांड पर बोलो न लेकिन समय तो नौ बजे का आप लोगों ने ही तय किया था। आसन से यह तय हुआ था।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कोई बात नहीं, साहब।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): किसी को एक-एक, दो-दो मिनट ज्यादा भी मिल गये।

श्री अध्यक्षः किसी का कम भी हुआ होगा। यह हो जाता है तो फिर नौ बजे का एडजस्टमेंट कौन करेगा? मैं ही करूंगा क्या? इसमें आप दोनों का भी सहयोग चाहिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पांच-पांच मिनट दे दीजिए। चार लोग ही हैं, बुलवा दीजिए।

ssy/rtm/10.03.2025/21.10/4o

श्री अध्यक्षः अब 10-10 मिनट कुछ नहीं, 5 मिनट जिसको बोलना है अब फटाफट बोल लो, आपके 5 मिनट हो गये? तो अगला बोलो। नैक्स्ट कौन है? उदयलाल भड़ाणा हो गया ना, इधर तो है अतुल भंसाली। बोलिये, 5 मिनट।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मांग संख्या 56 व 45 उद्योग, वन एवं पर्यावरण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत आभार।

मैं सर्वप्रथम हमारे देश के आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को एक पेड़ मां के नाम एवं आदरणीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी को हरियाला राजस्थान में 7 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाने के और इस वर्ष में 10 करोड़ का लक्ष्य तय करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सर्वप्रथम शहीद मां अमृता देवी को एक समर्पित कविता के साथ में अपना वक्तव्य दूंगा,

पृथ्वी हमारी माता है, उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है, हरियाली उसकी सुंदरता है, हमें उसे बचाना होगा, यही हमारा कर्तव्य है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से हमें बचना होगा। हमारे कार्यों से पृथ्वी को नुकसान होता है, तो हमें अपने कार्यों को बदलना होगा। पेड़ लगायें, पृथ्वी को हरा-भरा बनायें, हमारे भविष्य को सुरक्षित बनायें, प्रदूषण से लड़ने के लिए हमें एकजुट होना होगा, हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। आइये, हम इस पृथ्वी की रक्षा करें। उसकी सुंदरता को बनाये रखें। आइये, हम प्रदूषण को कम करें। हमारी पृथ्वी को स्वच्छ और स्वस्थ बनायें।

363 बलिदानों को समर्पित यह कविता और इस कविता के साथ ही आदरणीय मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि मां अमृता देवी के भव्य स्मारक खेजड़ली का काम शीघ्र प्रारंभ कराने की कृपा करावें।

उसके बाद इस सरकार के 2025-26 के 27 हजार करोड़ के ग्रीन बजट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अभी मेरे विपक्षी मित्र जो कह रहे थे कि इतने पेड़ लगे, बचे कितने, तो मैं उस बारे में यही कहूंगा कि 7 करोड़ जो पेड़ लगाये हैं वह हमारी जड़ें मजबूत हैं तो उन पेड़ों की जड़ों भी मजबूत होंगी और सब बड़े होंगे। आपकी जड़ें खोखली थी इसके लिए वह 10 परसेंट पेड़ भी नहीं बच पाये।

उसके बाद में मैं हमारे जोधपुर की मुख्य मांग पर आता हूं। हमारे आदरणीय संसदीय मंत्री जोगाराम जी यहां विराजे हुए हैं, पूरे जोधपुर और पूरे शहर का अपशिष्ट जो होता है, इंडस्ट्रियल हो या शहरी हो, वह सारा जोजरी नदी के माध्यम से लूणी, बालोतरा इस एरिये में जाता है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से एक निवेदन है कि 50 एमएलडी जो जोधपुर रीको से पानी जाता है, अभी तक उसके 18 एमएलडी को शोधन करने की व्यवस्था है। कृपया हम आपको योजना टेबल कर देंगे, पर उस योजना के लिए, पूरी योजना के लिए 500 करोड़ आवंटित करें, क्योंकि 500 करोड़ लगाकर एक शहर नया नहीं बनाया जा सकेगा, पर 500 करोड़ खर्च करके पूरे 3 जिले सुरक्षित हो जायेंगे।

इसमें मेरा एक और कहना है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी उद्यमियों की सहायता करें ना कि थानेदारी करें। वह जाकर उनको समझायें कि कैसे पोल्यूटेड पानी कम बाहर जायेगा और रेड कैटेगरी के उद्योगों की सहायता के लिए डिपार्टमेंट कंसलटेंसी सर्विस करे।

साहब, मैं 2 मिनट लूंगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी आग्रह करूंगा कि जोधपुर में जो शहरी क्षेत्र का 330 एमएलडी पानी जाता है, उसके लिए भी एसटीपी प्लांट की समुचित व्यवस्था करें। सर, 2 मिनट, 3 मिनट ही हुए हैं। 3 मिनट ही हुए हैं, मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: आपको 3 नहीं साढ़े 4 मिनट हो गये हैं।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): साहब, मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: 5 मिनट में नहीं, 1 मिनट में।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान जोधपुर के अवैधानिक रंगाई, छपाई उद्योग जो शहर के घरों में भीतरी क्षेत्र में हैं।

श्री अध्यक्ष: बाकी किसी का हो तो टेबल कर दो।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): माननीय मंत्री महोदय, आपने खुद ने भी वह देखे थे। आपने जोधपुर में गुलाब सागर, फतेह सागर की क्या दुर्दशा हुई है। मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से निवेदन करूंगा कि कृपया करके उन उद्योगों को बंद करायें।

श्री अध्यक्ष: 2-2 मिनट में, टेबल कर दो ना ...(व्यवधान)...आपका रिकार्ड में तो आयेगा।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): जो जोधपुर के बाहरी क्षेत्र में इल्लीगल टैक्सटाइल फैक्टरी चल रही हैं, उनको भी बंद करायें। मैं इस बारे में एक ही बात कहूंगा कि हम जनता को जागरूक कर और किस तरह से और पेड़ लगा सकते हैं, उसकी हम व्यवस्था करें। बोलने के लिए समय कम दिया पर मैं जितना कह सकता था, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रफीक खान। आप बोलो ना तो, आप तो बोलो। आप तो बोलो, आप तो सीट पर जाकर बोलो ना। नो, टेबल कर दो। जिसको करना हो वह टेबल कर दो इधर चाहे उधर के ...(व्यवधान)... टेबल कर दो। यह सबके लिए है। इधर भी टेबल कर दो, इधर भी टेबल कर दो। टेबल कर दो ना, एक ही बात है।

श्री भीम राज भाटी (पाली): टेबल नहीं होगा] अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: हैं, नहीं होगा तो 9 बज गये ...(व्यवधान)...माननीय मंत्री जी! कैसे नहीं होगा? ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जवाब देंगे ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): तो 5-5 मिनट बोल लेंगे साहब।

श्री अध्यक्ष: यहां नहीं, मैं 9 बजे की दे चुका हूं व्यवस्था ...(व्यवधान)... नो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, 2-2 मिनट बोल लेने दो। 2-2 मिनट बोल लेने दो, क्या फर्क पड़ता है।

श्री अध्यक्ष: टेबल कर दो। टेबल कर दो ...(व्यवधान)... 3-3 के लिए मैंने मना किया था। आप फिर अकेले, एक को बोलने दो। आप तीनों में से कोई एक बोलो ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, सुबह से जो लोग बोल गये थे, इनकी क्या गलती है?

श्री अध्यक्ष: इधर भी, इधर से ज्यादा नाम एड हुए ...(व्यवधान)... बाद में ...(व्यवधान)... आपने ही इधर नाम एड करवा दिया ...(व्यवधान)... यह था ही नहीं मोतीराम का।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 2-2 मिनट का करवा दो ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: था ही नहीं लिस्ट में। अब आप एड भी कराते जाओ और टाइम भी हो जाये

...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 3 मिनट हो गई ...(व्यवधान)... मोतीराम की आप गा रहे हो ...(व्यवधान)...अध्यक्ष जी, आप भी ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: 12 बजे तक थोड़े ही चलाऊंगा ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पता नहीं] एक-एक मिनट का ...(व्यवधान)... यह कोई इतनी बड़ी ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, एक मिनट कहां, एक मिनट तो हो गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): तो इतना बड़ा नहीं है। इतने में तो आदमी बोल जाता।

श्री अध्यक्ष: जब टेबल करवा रहा हूं तो क्या दिक्कत है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): टेबल तो, साहब, अधिकार है सदस्य का।

श्री अध्यक्ष: अधिकार नहीं है ...(व्यवधान)...मैं करूंगा ...(व्यवधान)... परमिशन से होगा ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अधिकार है ...(व्यवधान)...ऐसा नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष: नहीं होता तो चलो आगे, माननीय मंत्री जी ...(व्यवधान)...अधिकार है तो माननीय मंत्री जी, बोलो ...(व्यवधान)...

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): ऐसे कैसे दबाव ...(व्यवधान)...टेबल करने का अधिकार भी आसन की अनुमति से होता है ...(व्यवधान)...डायरेक्ट नहीं है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): आसन की अनुमति के अलावा कोई अधिकार नहीं है ...(व्यवधान)... नहीं, आसन की अनुमति के बिना खड़े भी नहीं हो सकते।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): इस महत्वपूर्ण चर्चा के अन्दर ...(व्यवधान)... जो जवाब आना है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बोल रहे हैं? रुकिये, माननीय मंत्री जी ...(व्यवधान)...माननीय मंत्री, एक सेकण्ड।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 2 मिनट यह बोलेंगे, 2 मिनट इनको बुला लो।

श्री अध्यक्ष: 3 का नहीं, फिर आप नहीं बोलोगे। फिर, रफीक खान जी, आप नहीं बोलोगे ...(व्यवधान)... 3-3 कैसे बोलेंगे ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इतने इम्पोर्टेंट विषय हैं साहब, सब 2-2 मिनट बोल जायेंगे ...(व्यवधान)... क्या फर्क पड़ रहा है, सब 2-2 मिनट बोल जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: फर्क तो फिर, रात को 12 बजे तक चलाओ ...(व्यवधान)...मैं भी जा रहा हूं, स्थगित ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह कोई बात होती है? आप गुस्सा क्यों कर रहे हो?

श्री अध्यक्ष: यानी 9 बजे के 9.16 हो गये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इससे पहले भी लेट तक सुबह 3-3 बजे तक विधान सभा चली है ...(व्यवधान)...सुबह 3-3, 4-4 बजे तक विधान सभा चली है, आप खुद मौजूद ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अब नहीं चलेगी 4 बजे तक ...(व्यवधान)...बहुत हो गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप मौजूद रहे हैं। सबको 2-2 मिनट बुलवा दो। इनके अपने इश्यू आ जायेंगे।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): फिर हमको भी सुनना पड़ेगा। हमको भी सुनना पूरे तरीके से।

श्री अध्यक्ष: मंत्री अपना ...(व्यवधान)... रखें।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): मैं कह रहा हूं, हमको भी सुनना पूरी तरीके से।

श्री अध्यक्ष: आप बोल रहे हो कि यह बोल रहे हैं?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 2-2 मिनट तीनों ही लोग बोलेंगे साहब।

श्री अध्यक्ष: तीनों 2-2 मिनट। बैठो। चलो बोलो। बैठो, 2 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेंगे।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): पहले भीमराज जी को बोलने दो।

श्री अध्यक्ष: 2 मिनट हो गये। 3 हैं ना, मनीष और यह पहले, फिर यह कहां से आ गये?

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 3 यही तो हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: 3 कौन हैं? 3 कौन हैं? 3 बताओ।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): भीमराज जी।

श्री अध्यक्ष: हां, भीमराज जी 2 मिनट और? यह 3 हो गये ना, फिर आप नहीं बोलोगे। चलो, भीमराज जी 2 मिनट। आपके साढ़े 3 घंटे हो गये।

श्री भीम राज भाटी (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने 9 बजे के बावजूद भी मेरे को टाइम दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि, उद्योग मंत्री महोदय, हमारे यहां पर 9 गांवों की हजारों बीघा जमीन इंडस्ट्रियल एरिया में जा रही है रोहिट और नीमड़ी पटेलान के इंडस्ट्रियल एरिया में। उन किसानों को मुआवजा डीएलसी रेट्स से दिया जा रहा है। डीएलसी रेट सिर्फ 35 हजार रुपये बीघा है, जबकि उस एरिया में 35 हजार रुपये बीघा से जमीन मिल ही नहीं सकती। तो मेहरबानी करके जो आप जमीन एक्वायर कर रहे हैं, उन किसानों को जितनी जमीन एक्वायर कर रहे हैं उसका 25 परसेंट डवलपमेंट लैंड दें। उद्योग मंत्री जी से मैं यह निवेदन करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा यह निवेदन है कि निंबाड़ा रोड पर नैक्स्ट जनरेशन टैक्सटाइल पार्क है, उस नैक्स्ट जनरेशन टैक्सटाइल पार्क का प्रदूषित पानी, ट्यूबवेल खोदकर

उसमें डाला जा रहा है। उस ट्यूबवेल की वजह से खारड़ा बांध डैमेज हो रहा है, उस ट्यूबवेल की वजह से निंबाड़ा का तालाब डैमेज हो रहा है और किसानों के कुए बर्बाद हो रहे हैं।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सीईटीपी पर जो भ्रष्टाचार है, पाली में प्रदूषण की वजह से किसानों की हजारों बीघा जमीन खराब हुई है। किसानों की जमीन बर्बाद हो गई। जानवर जो पानी में खड़े रहते हैं, उन जानवरों के पैर खराब, उन जानवरों की तबीयत खराब, उन किसानों की, आम आदमी को अस्थमा, दमा, एलर्जी यह सब बीमारियां उनको हो रही हैं। इस प्रदूषण की समस्या को मिटाने के लिए मैं माननीय प्रदूषण मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह जो सीईटीपी, माननीय, जैसा आपने आदेश किया है, यह मैं कागजात पेश करूंगा, आपकी टेबल पर रखूंगा।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्यावरण विभाग का मंत्री हूं पर प्रदूषण मंत्री नहीं हूं। माननीय सदस्य मुझे प्रदूषण मंत्री बता रहे हैं।

श्री भीम राज भाटी (पाली): नहीं, नहीं, वन एवं पर्यावरण है ना। वन एवं पर्यावरण है ना, प्रदूषण भी साथ होता है ना।

श्री अध्यक्ष: आप कर दीजिये।

श्री भीम राज भाटी (पाली): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कागजात टेबल करूंगा।

श्री अध्यक्ष: हां, टेबल कर दें। हां, टेबल कर दें।

श्री भीम राज भाटी (पाली): यह प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री मनीष यादव। हो गया विराजो। विराजो, टेबल कर दो ना ...(व्यवधान)...

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे शाहपुरा, विराटनगर क्षेत्र का पर्यटन स्थल संजय वन स्मृति, स्मृति वन है, जो आज के समय में बदहाली की स्थिति में है। 2 अक्टूबर, 1980 को इसकी स्थापना हुई थी। उस समय एक करोड़ की लागत से इस संजय स्मृति वन को विकसित किया गया था। उस समय 40 हेक्टेयर भूमि में इसको विकसित करके इसमें चीतल, बतख और इस प्रकार के पक्षी और अन्य प्रकार के, कई प्रकार की प्रजातियों के पेड़, पौधे विकसित करके, इस पर्यटक स्थल को विकसित किया गया था।

spp/rtm/10.03.2025/2120/4p3j

संपूर्ण स्टाफ उसमें लगाया गया था, लेकिन आज के समय में उसका हाल बेहाल है। मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी आप से निवेदन किया है और तारांकित प्रश्न संख्या 892 के अंतर्गत भी आपने बताया कि इसमें डीपीआर प्रगतिरत है। मैं माननीय, आप से निवेदन करता हूँ कि संजय स्मृति वन जो हमारे शाहपुरा, विराटनगर क्षेत्र का पर्यटक स्थल है, इसको पुनः विकसित किया जाए और 15 से 20 करोड़ रुपये लगाकर उसको पुनः पर्यटक स्थल बनाया जाए। साथ में यह भी आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपकी सरकार कई संस्थाओं के नाम बदल देती है, कई सड़कों के नाम बदल देती है तो इसका नाम नहीं बदला जाए क्योंकि आप इसको

पुनर्स्थापित करें, क्योंकि 1980 में ये बना था। आप पैसे लगाकर इसका नाम बदलने की परंपरा से दूर रहें। ये संजय स्मृति वन हमारे शाहपुरा, विराटनगर क्षेत्र का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, इसलिए इसको विकसित किया जाए और हमारे क्षेत्र में जो वन क्षेत्र है, उसमें भी मुख्य रूप से जो आपने आंकड़ा दिया है कि42हजार पेड़ लगे हैं और राजस्थान में 7.22 करोड़ पेड़ लगे हैं, वह निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वन विभाग ने केवल जो पेड़ लगाए हैं वह 2.50 करोड़ पेड़ लगाए हैं। अन्य जो पेड़ लगे हैं, वह गैर-सरकारी संस्था एनजीओ का आप रिकॉर्ड बता रहे हो, जिसकी कोई ऑडिटिंग नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, न कोई सैटेलाइट इमेज है, इसलिए यह गलत आंकड़ा, जो आप सदन के सामने आप बता रहे हो कि 10 करोड़ का आंकड़ा लेंगे। मैं मानता हूं कि पेड़ उतने लगाएं जिनको सुरक्षित रख सकें।

श्री अध्यक्षः बिराजो। श्री ललित यादव। जो बच गया, वह टेबल कर दो।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 45 पर बोलने का मौका दिया, मैं ज्यादा भूमिका बनाए बिना ही निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि मैंने पहले भी आपसे मांग की थी, स्थानीय उद्योगों में स्थानीय नौजवानों को रोजगार देने की बात आपसे मैंने निवेदन किया था। मंत्री महोदय, कोई कानून बनाइए रोजगार की बड़ी-बड़ी बात करके और चुनाव का जब समय था जब हमने लोगों से वोट लिया है, वह नौजवान दर-दर की ठोकरें खाता घूम रहा है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक बूढ़ा माँ बाप ने बेटे को पढ़ाकर चाहता है कि उसको नौकरी मिल जाए। सरकारी नहीं मिले तो कम से कम कारखाने में मिल जाये, वह भी नहीं मिल पा रही। मेरा अनुरोध आपके माध्यम से सरकार से है कि कोई कानून बनाया जाए और कानून बनाकर उनको रोजगार देने का काम किया जाए।

माननीय मंत्री महोदय, न्यूनतम जो वेतन है वह भी हमारे यहां कम है। हमारे पड़ोस में हरियाणा है, जिसमें हम से ज्यादा है। अतः मेरा इसमें भी आपसे अनुरोध है कि यह भी करने का काम किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि नीमराणा के एल.डी.को. से आशादीप होते हुए 15 मीटर की जो चौडाई का हमने अधिग्रहण किया था, आज से 15 साल पहले, लेकिन सरकार ये बता ही नहीं पा रही है की वह नाले के लिए किया था या फिर सड़क के लिए किया था? सरकार इस पर भी बताने का काम करे कि किस कारण से हमने लेने का काम किया था?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय वन मंत्री जी बैठे हैं और केंद्र सरकार के मंत्री भी हमारे अलवर से आते हैं, लेकिन आए दिन टाइगर रिज़र्व से टाइगर बाहर निकल जाता है। इसके लिए कोई ठोस नीति बनाई जाये जिससे कि वह बाहर नहीं निकले। पिछले दिनों मेरे इलाके में दो-तीन गांवों के अंदर पांच-छह लोगों को घायल कर दिया। उन पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है,

क्योंकि वन मंत्री जी का ध्यान नहीं है, बातों में मशगूल हैं, इन पर भी ध्यान देने का आप काम करो। दो-दो मंत्री हो आप अलवर से, वह टाइगर नहीं रुक रहा, आपसे प्रदेश की जनता को कैसे रोकने के काम करोगे?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे ये कर्मचारी हैं वन विभाग के, इनके पास में नाके पर कोई वाहन उपलब्ध नहीं है। मेरा निवेदन है कि इनको भी कोई वाहन की सुविधा उपलब्ध करायें जिससे कि आए दिन अधिकारी, कर्मचारी घरों से खड़े हुए ट्रैक उठाकर लाते हैं, जबकि जो खनन कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, लेकिन जो किसान है जो खेती मजदूरी करता है, घर के निर्माण के लिए ट्रॉली भर के लाया, थानेदार जाता है, विभाग के लोग जाते हैं और घर से ट्रैक्टर उठाकर ले आते है। मेरा अनुरोध है इसके अंदर सरकार जरूर ध्यान दें कि घर पर खड़ा हुआ किसान का ट्रेक्टर उठाकर नहीं लाये। पिछले दिनों सैकड़ों ऐसी घटनाएं होने का काम हुआ है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्षः श्री रफीक खान। पांच मिनट।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः ठीक 9.30 पर मंत्री उत्तर देना शुरू कर देंगे। पांच मिनट इसलिए ये सचेतक महोदय हैं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अध्यक्ष महोदय-

दरिया का सारा नशा उतरता चला गया,

दरिया का सारा नशा उतरता चला गया

मुझे डुबोया गया और मैं उतरता चला गया।।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे उद्योग और फॉरेस्ट पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सांगानेर क्षेत्र मुख्य मंत्री का विधान सभा क्षेत्र है और सांगानेर विधान सभा क्षेत्र के अंदर ईटीपी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट करीब पिछले एक साल से बंद पड़ा है और कोई सुध नहीं ले रहा है। सारी सांगानेर की इंडस्ट्री इफेक्टेड हो रही है। सांगानेर में बड़ी-बड़ी प्रिंटिंग यूनिट्स हैं, बैडशीट प्रिंटिंग है, रजाइयों की प्रिन्टिंग है और यूनिट बंद पड़ी हुई हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस पर संज्ञान लें और जब भी आप इसमें एक्शन लें तो वहाँ की इंडस्ट्री के लोकल रिप्रेजेंटेटिव को कॉन्फिडेन्स में ले करके और उसका समाधान करें। और यह दोनों बजट हैं, दोनों बजट की किताबें हैं, जो पहला बजट आपने दिया और अभी जो बजट आपने दिया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें दोनों बजट के अंदर इंडस्ट्री के लिए कोई जगह नहीं दी गई है। जो बात की जा रही है नए बजट में, वह तो जो हमारी पॉलिसी है 2019 की रिप्स की, उसके बारे में बात की जा रही है और पिछले बजट में दो कॉलम की न्यूज है, खाली दो कॉलम इसमें बताए गए हैं, कोई बजट का प्रावधान नहीं है। इंडस्ट्री को कुछ दिया ही नहीं गया है। इससे ज्यादा खराब बात नहीं हो सकती है। आप बात

तो बहुत बड़े बड़े एमओयू की कर रहे हो। मैं एमओयू के ऊपर सवाल पूछ रहा हूँ तो आपका कोई जवाब नहीं आ रहा है, सवाल अग्राह्य कर लिया जा रहा है। रोजगार की बात पूछ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात पूछ रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट किस कंपनी का आ रहा है और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, ये बात सदन को नहीं बताई जा रही है और क्या ऐसा उसके अंदर है जो छुपाया जा रहा है? तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ।

दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जयपुर शहर कुटीर उद्योगों की नगरी है। जैम एण्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री, पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा जवाहरात का काम कहीं होता है तो वह जयपुर शहर में होता है और बहुत सारे स्टोन के लिए हम यहाँ माने जाते हैं हमारी पहचान है, हम जाने जाते हैं। मैं उद्योग मंत्री से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो जैम इंडस्ट्री, जयपुर में अपने आप डवलप हो गयी, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं, कोई पॉलिसी ऐसी बनाओ जिससे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले और मैं एक प्रपोजल दे रहा हूँ आपको अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाना आप। बैंकॉक की तर्ज पर, हांगकांग की तर्ज पर, चाइना की तर्ज पर, अमेरिका की तर्ज पर सेंट्रल जेल को शिफ्ट करो और यहाँ जैम पार्क बनाओ और ज्वैलरी वालों को यह जगह दो। पूरी दुनिया से बाहर यहाँ आते हैं जैम स्टोन खरीदने के लिए ताकि ये इंड्स्ट्री डवलप हो और पूरी दुनिया में, यहाँ से जो स्टोन जा रहा है उसमें बढ़ोतरी हो और बहुत बड़ा इजाफा आप इसमें कर सकते हो।

इसके अलावा, यहां के जो कुटीर उद्योग हैं, बैडशीट इंडस्ट्री हैं, रजाई है, बैंगल्स है, हैंडीक्राफ्ट है, मूर्तिकला है और मार्बल है, इस ओर भी थोड़ा सा ध्यान दें। आपकी इस बजट वाली किताब में इन इंडस्ट्रीज को जगह दो ताकि आने वाले समय में यहाँ की जो जयपुर की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, वह डवलपट हों और पूरी दुनिया में मैसेज जा सके।

और एक चीज़ और आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ। जयपुर में गारमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर दूसरी स्टेटों में, आप स्टेट का नाम सुनना तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ की लेबर वहां पर माइग्रेट कर रही है। भीलवाड़ा से आने वाले विधायक सही कह रहे थे कि बाहर के लोग यहाँ आकर काम कर रहे हैं। यहाँ लेबर की गुंजाइश नहीं बैठ रही है तो एक ऐसी लेबर फ्रेंडली पॉलिसी यहाँ बनाओ ताकि जिससे लेबर बाहर की लेबर, यहाँ की लेबर को रोजगार मिल सके और तेलंगाना की स्टडी करने आप भेजो तो आपको इस बात का अंदाजा लगेगा और आपके जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता था एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, वह सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कम कर दिया और यहाँ से जो फेयर में पार्टिसिपेट करने लोग जाते थे, स्टेट गवर्नमेंट ने भी उनको फेयर के लिए पैसा देना बंद कर दिया। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर बिज़नेसमैन बाहर अपने खर्चे से जायेगा, उसको कोई सहायता नहीं मिलेगी तो इंड्स्ट्री डवलप नहीं होगी।

एक बात मैं यहाँ पर वन मंत्री से भी कहना चाहता हूं कि एनजीटी, हम जब आप की नई सरकार बनी, 100 दिन का आपने प्लान बनाया और एक होटल की अखबारों में सुर्खियां आयीं कि ये फॉरेस्ट एरिया में बन गई और बहुत बड़ी पंचतारा होटल और ये कल टूट

जाएगी, परसों टूट जाएगी। फिर अचानक उस पर कोई बड़ा-सा पेपर-वेट रखा जाता है और वह फाइल दब जाती है और आज तक दबी हुई है। ऐसे ही आमेर के अंदर जल महल के सामने ऐसे ही बिल्डिंग बनी हुई है और वह बिल्डिंग भी एनजीटी के नाम फॉरेस्ट के रिकमेन्डेशन आ जाती है उसको तोड़ने की और फिर वह टूटती नहीं है। फिर उसके ऊपर कोई पेप-रवेट आ जाता है और फिर वह नहीं तोड़ी जाती है। तो ये सब भी आप जवाब दें तो इस बात का खुलासा करें कि क्या कारण हैं? क्या कारण हैं कि जो एक दिन पहले टूट रही थी, वह दूसरे दिन बच गई? आप अपना रिप्लाइ दो, तब जवाब दें।

jyg/rtm/10.02.25/21.30/4q

एक गुजारिश मैं और कर दूं, जयपुर शहर का जो सबसे बड़ा पार्क है।..

श्री अध्यक्ष: हो गया, तीन मिनट हो गये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): बस एक लास्ट में, खत्म कर रहा हूं, सर। सबसे बड़ा पार्क, जैसे जयपुर में सेंट्रल पार्क है, वैसा ही एक पार्क हमने डवलप किया है, मंत्रीजी ने विजिट भी की है। साढ़े चार सौ बीघा में पार्क है।

श्री अध्यक्ष: लम्बा हो तो टेबल कर दो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, लिखा हुआ कुछ नहीं है, मैं वैसे ही बोल रहा हूं। साढ़े चार सौ बीघा का पार्क है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उसको पार्क की तरह डवलप कराओ, बहुत सारा काम हमने उसमें कर दिया। आप खुद आये हैं और एक पेड़ लगाकर गये हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका पेड़ भी सुरक्षित नहीं है तो बाकी पेड़ तो कहां से सुरक्षित होंगे। साढ़े चार सौ बीघा का पार्क और 15 किलोमीटर का ट्रैक, मैंने डवलप किया है उसके अन्दर, 15 किलोमीटर, आपसे गुजारिश करता हूं कि आप उसकी मार्किंग कराओ। जयपुर शहर में लोगों को पता नहीं है कि 15 किलोमीटर का ट्रैक है, थोड़ा उस पर ध्यान दो। वो सेंट्रल पार्क से भी बड़ा पार्क है।

श्री अध्यक्ष: हो गया, माननीय सदस्य, वाइंड-अप करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं दोनों मंत्रियों से जवाब दिलाने का कहूं उससे पहले मेरा आपसे एक सजेशन है, निवेदन है, आपको आदेश है, आपसे आग्रह है, कुछ भी कहें।

सवेरे जब दोनों सचेतकों से बात हो जाती है, जो नाम आ जाते हैं, उसके बाद हम नाम लिखवाते रहते हैं। दोनों सचेतकों से कहूंगा, दोनों के मैंने देख लिये, किसी का दोबारा नाम न लिखें और जो क्रम है उस क्रम में बोलते रहें, कोई एक्स्ट्रा या एक्सेप्शनल केस हो तो, लेकिन जब सवेरे तय हुआ कि 9 बजे हम जवाब शुरू करेंगे तो उसके बाद जितने भी लोग रह जाते हैं दोनों पक्षों के, आगे से कृपया आग्रह ना करें, ना तो 2 मिनट में सदस्य को मजा आता है, ना पूरा विषय आता है और ना और, यदि ऐसा हो, सदस्य के पास टाइम से ज्यादा

विषय हो तो टेबल कर दें, उसका आ जायेगा जवाब, आपके रिकॉर्ड पर भी आ जायेगा। इसलिए इसको कल थोड़ा और सजेस्ट करूंगा। जितने लोग भाग ले रहे हैं, उतने लोग बैठे या नहीं, यह सचेतक दोनों चेक करें। जब वो बैठना ही नहीं चाहते, भाषण देकर जाना चाहते हैं, तो ऐसों का नाम दोबारा काहे को लिखते हो? यानी कम से कम जिसने बोला है वो तो कम से कम मंत्रियों का उत्तर सुनने के लिए बैठे। मैं दोनों पक्षों के लिए कॉमन बात कह रहा हूं। आज निर्दलीय भी तो बोले हैं, उनमें से कोई नहीं है। केवल हम बोल करके चले जायें, प्रमुख वक्ता पहले तीन-चार-पांच, जिनको पन्द्रह मिनट, बीस मिनट आप देते हो, वही लोग नहीं दिखते तो फिर काहे के लिए अपन दे रहे हैं? क्यों बहस करवा रहे हैं?

मेरा इसलिए दोनों से सजेशन है कि आप नाम लिखते समय अपने-अपने सदस्यों से, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अपने सदस्यों से आग्रह करें कि जो बोलते हैं वो जवाब सुनने तक तो बैठें। यह मेरा सबसे आग्रह है।

दूसरा आग्रह है कि समय जो निर्धारित है उसका पालन करें, कल तो मुखबंद भी है, घंटे भर तो मुखबंद में भी लगेगा इसलिए हम सब लोग मिलकर, कॉआपरेट करके सदन चलायें।

माननीय मंत्री, कर्नल राज्यवर्धन जी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने जो निर्णय लिया मुझे उससे एक फिल्म का नाम याद आता है, अब तक 56, आज बजट के अनुदान की मांग संख्या 56 पर 56 सदस्यों ने यहां पर अपनी बात रखी। ...(व्यवधान)... बहुत से सदस्यों ने कट-मोशन और प्रस्ताव रखे, हमारे उनकी संख्या है 98, रीको के लिए इण्डस्ट्री प्रमोशन के लिए 126, टोटल मेरे विभाग के लिए 238 कट- मोशन और प्रस्ताव आये। बहुत से सदस्यों ने यहां पर अपनी बात रखी मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। जितेन्द्र कुमार गोठवाल जी, श्री राजेन्द्र पारीक, श्री अरूण चौधरी, श्री हरिमोहन शर्मा, श्री अर्जुन लाल जीनगर, कुमारी रीटा चौधरी, श्री विश्वराज सिंह मेवाड़, श्री प्रताप सिंह सिंघवी, श्री अमीन कागजी, श्रीमती कल्पना देवी, श्री चन्द्रभान सिंह, श्री रतन देवासी, श्री छोटू सिंह जी, श्रीमती रमीला खड़ीया, सुश्री नौक्षम ...

श्री अध्यक्ष: रिकॉर्ड में हैं सबके नाम।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): श्री मनोज कुमार, श्री देवीसिंह शेखावत, श्री जाकिर हुसैन, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं तो मैं नाम छोड़ देता हूं।

श्री अध्यक्ष: नाम ज्यादा बोल लेंगे और दिखेंगे नहीं तो लोगों को ध्यान आ जायेगा।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी तरफ से इन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। सबने अपनी तरफ से कोई न कोई प्रस्ताव दिया, अपने क्षेत्र के विकास की बात कही, इन सभी को सुनते हुए मुझे ध्यान में आ रहा था कि कहीं जागरूकता की कमी दिखी, कहीं जागरूक दिखे, कहीं राजनीति भी दिखी तो कहीं प्रदेश का हित भी दिखा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जादूगर की कमी भी दिखी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): जादूगर की कमी तो मैं अभी बतलाऊंगा। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात शुरू करता हूं, चाणक्य नीति के एक श्लोक से शुरू करना चाहता हूं, कौटिल्य जिन्हें हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, भारत के इतिहास में सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के गुरु भी रहे, अमात्य भी रहे, उन्होंने जब चन्द्रगुप्त अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे उस समय दृढ निश्चय, लक्ष्य और पुरुषार्थ की जो बात की तब उन्होंने यह श्लोक कहा, "कार्य पुरुषकारेण लक्ष्यं सम्पद्यते" अर्थात् जब दृढ निश्चय से काम करते हैं तो काम निश्चित रूप से पूरा होता है और मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि पिछले डेढ़ साल का काल खण्ड देखें तो चाणक्य नीति का यह जो सूत्र है वो भजन लाल जी की सरकार पर हूबहू, वर्ड बाई वर्ड स्थापित होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज उद्योग के साथ-साथ जंगल, जीवन, पर्यावरण की भी चर्चा हुई। जहां हमारी सनातन संस्कृति हमें पेड़, पशु, पक्षी, सूर्य, जल, इन सबमें हम भगवान भी खोजते हैं और है भी, यहां तो जीता-जागता जन समूह है जिसके कारण हम यहां पहुंचे हैं इसीलिए मैं उन्हें जनता-जनार्दन कहता हूं, उनके आशीर्वाद से हम यहां आये हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से यह सरकार सत्ता में आयी है। कहने का मतलब है कि यहां पर लोकतंत्र में जनता ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, बड़ा दायित्व दिया है और इसीलिए हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस दायित्व को पूरा करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो बात रही सत्ता पक्ष की लेकिन विपक्ष को मायूस नहीं होने दूंगा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डाइरेक्ट या इनडाइरेक्ट, इस सदन में हर एक सदस्य जिम्मेदार है राजस्थान की प्रगति के लिए, राजस्थान की बढ़ोतरी के लिए। लेकिन, महोदय, यह दुःख की बात है कि पिछले 5 साल के अन्दर राजस्थान और राजस्थान वासियों को जो नुकसान हुआ, उससे एक पिक्चर तो बिलकुल क्लीयर है कि हमारे साथ बैठे विपक्ष के जो साथी हैं, जब ये सत्ता में थे तो उन्होंने राजस्थान की परवाह नहीं की और यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। मैं आगे जो अपनी बात रखूंगा उसमें यह साबित करूंगा कि किस तरह से राजस्थान का हित बिलकुल छूट गया था।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): With full facts.

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): With full facts. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जितने भी साथी हैं विपक्ष के वो डिबेटेबल भी नहीं हैं और ये डिबेटेबल इसलिए नहीं हैं क्योंकि जनता का निर्णय लोकतंत्र में फाइनल होता है और वो निर्णय 2023 में हो चुका है। इसमें आपकी सरकार को बेदखल किया और हमारी सरकार को पूर्ण बहुमत से सत्ता में विश्वास मिला। इसका यह कारण है कि न केवल हमारे प्रदेश में बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी जो एक रेपुटेशन होती है, जो हमारी पार्टी की रेपुटेशन दिखती है वो सबको समझ में आती है कि जो कुछ कहते हैं उसे करते हैं और दूसरी ओर, कांग्रेस हवाई फायर करती है, बड़ी-बड़ी

घोषणाएं करती है लेकिन काम पूरे नहीं करती, फर्क बिलकुल साफ है। मैं इन लाइनों से से यह फर्क कहना चाहता हूं,

कांग्रेस ने छोड़ी थी विरासत सिर्फ अंधेरों की,
घोटाले, कुशासन और बिखरे हुए सपनों की,
भाजपा ने उस अंधकार को दूर किया,
विकसित राजस्थान का सपना साकार किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नरेन्द्र मोदी जी, हमारे प्रधान मंत्री और हमारे मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी, दोनों की दूरदर्शी सोच के कारण आज हम इनोवेटिव मैथड इस्तेमाल कर रहे हैं और शोर्ट टर्म प्रोग्रेस नहीं, शोर्ट टर्म विकास नहीं, बुनियादी ढांचा मजबूत कर रहे हैं। हम यह सब हमारे नौजवानों के लिए कर रहे हैं, हमारी मातृ शक्ति के लिए कर रहे हैं, हमारे किसानों के लिए कर रहे हैं, हमारे गरीबों के लिए कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं, क्या होता है कि पूरा भाषण लम्बा होता है, मैं पहले समरी बताता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से याद रखे। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं कि हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट किया, जिसके अन्दर तकरीबन 11,000 एमओयूज किये, अगर बिलकुल एक्जेक्ट मैं बताऊं तो 10,640 उसके अन्दर हमने एमओयूज किये जिसके अन्दर 35 लाख करोड़ से ज्यादा के हमारे पास एमओयूज आये। हमने 15 नई पॉलिसीज भी बनायी, नई नीतियां बनाई, नई नीति बनाने का मतलब होता है, स्पष्टीकरण। यह विचित्र बात है कि पांच नीतियां हमने ऐसी बनायीं जो राजस्थान में आज तक बनी ही नहीं थी।

MLS/RTM/10.03.2025/21:40/5a

अब किस चीज के ऊपर हमने नीति बनायी, अगर यह आप जानेंगे तो आपको और भी ज्यादा आश्चर्य होगा। 15 नयी पॉलिसीज बनाईं, उनमें से 5 पॉलिसीज ऐसी बनाईं जो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में सोची ही नहीं, राजस्थान में अभी तक बनी ही नहीं थीं। हमने प्राइवेट इंडस्ट्रीयल पार्क की पॉलिसी बनायी, लैंड एग्रीगेशन की बनायी, लेकिन क्या होता है कि जब नीति नहीं बनती, और यहां मुझे ध्यान आ रहा है, जब कल्पना जी बात कर रही थीं तो वे लॉजिस्टिक्स की बात कर रही थीं कि उन्हें लॉजिस्टिक्स चाहिये, लॉजिस्टिक्स की बात करने वाले सभी लोग हमारी लॉजिस्टिक पॉलिसी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से लॉजिस्टिक पार्क बनाना है।

चन्द्रभान जी ने जब बोला था तो उन्होंने कहा था कि पलायन हो रहा है, अब होगा ही पलायन, जब नीति नहीं होती, तो यह मान सकते हैं कि कांग्रेस सत्ता में थी तो उनका रूल था, ''चेहरा दिखाओ और मैं रूल बताऊंगा'', यानी सबके लिए अलग-अलग, भेदभाव। इसको हमने दूर किया। एक स्पष्टीकरण हम लेकर आये। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पुरानी कहावत है कि सोने की परख आग में और अच्छाई की परख तुलना में होती है। बिना तुलना

के यह कैसे जानोगे कि बेहतर कौन है? अन्धेरे का अहसास भी रोशनी से ही होता है। कांग्रेस के 5 साल, जिन्होंने राजस्थान को बेहाल करा, वे कुछ इस तरह से थे-

वादों के महल बने, मगर बुनियाद नहीं थी,
आशाओं की लौ जली, पर रोशनी नहीं थी,
जो हाथ बढ़े, वो फिर पीछे हट गये,
सपनों की जमीन तो थी, मगर हकीकत नहीं थी।।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आते हैं, जो परिस्थिति चल रही थी और बड़े संक्षिप्त में मैं कहता हूं, क्योंकि पूरा प्रदेश जानता है, युवाओं के पेपर लीक हो रहे थे, हर तरह से राजस्थान बेहाल था, बार-बार होटल्स में जा रहे थे, जैसा मेरे साथी बता रहे हैं, जो सुशासन होना चाहिये था वह नहीं था, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आया तो इन्हें गुजरात मॉडल याद आया कि इन्हें भी एक इन्वेस्टमेंट समिट करनी है, तो एक चुनावी स्टंट हुआ। अपने चौथे वर्ष में इन्होंने एक चुनावी स्टंट किया, राजस्थान की एक इन्वेस्टमेंट समिट की। यह पीआर स्टंट के अलावा और कुछ भी नहीं था। अभी राजेन्द्र पारीक जी ने कहा कि जो राजस्थान के रहने वाले हैं, उनसे तो चर्चा करनी चाहिये थी। जरूर करनी चाहिये थी और चर्चा की हमने।

हमने केवल चर्चा ही नहीं की, मैं फर्क बताता हूं, जब आपका इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, वह आपने डेढ़ दिन में किया। क्या जल्दी थी? हमने उसको 3 दिन में करा, जिसमें एक दिन पूरा का पूरा नॉन-रेजीडेंट राजस्थानीज के लिए ही डिवोटेड था। यही नहीं, जैसा सबको ज्ञात है, आपने अपने चौथे वर्ष में करा, जैसे कोई होम वर्क भूल जाता है तो तुरन्त होम वर्क करने लग जाता है। हमने पहले ही वर्ष में उसको करा। प्रथम वर्ष में हमने उसको आयोजित करा और बहुत बड़ा फर्क रहा, बहुत बड़ा फर्क रहा कि किस तरह से हम कितने एमओयूज लेकर आये।

हमने इसको इंटरनेशनल ग्लोबल समिट भी करा। हमने इसमें विभागीय प्री-समिट भी करी, यानी बहुत सीरियस थे हम। केवल समिट ही नहीं करी, हमने हर विभाग के साथ प्री-समिट करी। 8 विभागीय प्री-समिट्स हुईं। हमने ग्लोबल एक्सपो करा, जिसके अन्दर तकरीबन 20 हजार डेलीगेट्स ने भाग लिया। 32 देशों के प्रतिनिधि यहां पर हमारी इन्वेस्टमेंट समिट ''राइजिंग राजस्थान'' में आये थे और 17 पार्टनर कम्पनीज थीं। मतलब यह कोई छोटा-मोटा ऐसा मामूली-सा इन्वेस्टमेंट समिट नहीं था हमारा। राइजिंग राजस्थान तो एक ग्लोबल समिट था, जिसमें दुनिया के जो दूसरे देश हैं, वे राजस्थान की बात करने लग गये थे, केवल राष्ट्र की नहीं, वे राजस्थान की बात करने लग गये थे। तब जाकर, यानी ये नयी पॉलिसीज बनाकर, नयी नीतियां लाकर एक ग्लोबल समिट करके एक विश्वास पैदा करके, तब आये 35 लाख करोड़ के एमओयूज।

अब ये हरिमोहन शर्मा जी आ गये हैं यहां पर, पहले अनुपस्थित थे, अब आ गये, मुझे अच्छा लगा कि वे आ गये। उनका बड़ा प्रेम है मेरे प्रति। उन्होंने जो टोन अपनायी थी, मैं

उसी टोन में बताता हूं कि ''राइजिंग राजस्थान'' करा। यह था राइजिंग राजस्थान, पूरा ग्लोबल समिट। आपका क्या इन्वेस्टमेंट समिट था? इन्वेस्टमेंट समिट 4 साल सत्ता में रहने के बाद 12.50 लाख करोड़ के एमओयूज आपने करे। चलिये, एक बार को मान लेते हैं 12.50 लाख करोड़ करे। अब बात आती है, जो आप सब बोल रहे हैं, इम्प्लीमेंट कितने हुए? ...(व्यवधान)... कोरोना काल तो खत्म हो गया था 2022 में।

राजस्थान के अन्दर जो इन्वेस्टमेंट समिट कांग्रेस सरकार ने करी, उसमें 12.50 लाख करोड़ के एमओयूज इन्होंने करे, लेकिन इन्होंने पूरा एक वर्ष लगाकर मात्र 28 हजार करोड़ ही इम्प्लीमेंट करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 हजार करोड़ तो मैं राउंड ऑफ करके और ऊपर कर रहा हूं, वैसे इससे कम था। अब हमने कितना करा, वह सुनने से पहले कुछ और मैं बतला देता हूं। अब क्या होता है कि हरिमोहन जी उस कार्यकाल में नहीं थे, जो कांग्रेस वाला था तो कई बार मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की खिंचाई मेरे माध्यम से करवाते हैं। अब मौका दिया है तो फिर मैं करूंगा इसके अन्दर। 100 परसेंट एमओयूज जमीनी स्तर पर उतरने चाहिये।

आप ही बोल रहे थे, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे कि इनको धरातल पर उतारो, ये तो राजस्थान की जीडीपी से भी दुगना है, इन्हें धरातल पर उतारो। 100 परसेंट उतरने चाहिये थे, लेकिन उस समय, जो आप जादूगर की बात कर रहे थे, अब आपने भी वह बात छेड़ दी, जब उन्होंने इस एक इंटरव्यू में कहा कि हम कोशिश करेंगे कि 50 परसेंट एमओयूज धरातल पर उतार दें, यानी पहले ही मन टूट चुका था। कोई पॉलिटिकल विल नहीं थी। अखबारों के अन्दर खबर छपी, विज्ञापन छपे, लेकिन जो बात धरातल पर आनी थी, वह नहीं हुई।

अब नेता प्रतिपक्ष यह जानना चाहेंगे कि कितना पैसा आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा है, आपके माध्यम से मैं नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं कि जैसे मैं बोल रहा हूं, अभी भी एमओयूज आ रहे हैं, यानी इन्वेस्टमेंट रुकता नहीं है, जब एक अच्छी सरकार होती है, जो पारदर्शी तरीके से काम करती है, जब स्पष्ट तरीके से अपनी नीतियां बनाती है तो इन्वेस्टमेंट रुकता नहीं है, तो कोई आंकड़ा फिक्स नहीं हो सकता, लेकिन हां, हम आपको बोल सकते हैं कि इस तारीख तक इतना था, यह हम बता सकते हैं, इन्वेस्टमेंट लगातार आते रहते हैं, क्योंकि हमने लालफीताशाही बन्द करके एक लाल कारपेट बिछाने का एक प्रयास करा है। आपने जो कहा था कि आप धरातल पर लेकर आइये तो जरूर, हम पूरी कोशिश में लगे हैं उसको धरातल पर लेकर आएं।

एक बार फिर मैं याद दिलाता हूं कि 12.50 लाख करोड़ में आप 28 हजार करोड़ लेकर आये। हम मात्र 4 महीने के अन्दर, ध्यान दीजियेगा, पहले तो पहले ही वर्ष के अन्दर हमने राइजिंग राजस्थान समिट करा, उसके अन्दर 35 लाख करोड़ के एमओयूज आये, हमने मात्र 4 महीने, यानी दिसम्बर छोड़िये, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी 4 महीने के अन्दर-अन्दर हम सवा 2 लाख करोड़ इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन में आ गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आंकड़ा फिक्स नहीं है, कहीं कल को नेता, प्रतिपक्ष यह आंकड़ा बोलने लगें, इसलिए मैं

यह भी स्पष्ट कर देता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी जब ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे, जब भी वे निर्णय लेंगे, वे ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे और उनका सम्बोधन भी रहेगा सदन को, तो हमारी कोशिश यह है कि जब तक ग्राउंड ब्रेकिंग की डेट तय हो, तब तक इस सवा 2 लाख करोड़ को बढ़ाकर हम 3 लाख करोड़ इम्प्लीमेंट करें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: हरिमोहन जी, माननीय सदस्यों, आप सबसे निवेदन है कि वक्ता को लगातार बोलने दें, उनके बीच में दखल...। ताली बजाओ, पर बोलो मत।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): एनर्जी सैक्टर, मैं इसका छोटा-सा ब्रेकअप भी देता हूं, आप सदन के सदस्य हैं, जनता ने आपको चुनकर भेजा है तो आपको, हम सभी को और अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जनता को भी पता चलना चाहिये। छोटा-सा ब्रेकअप बताता हूं, एनर्जी सैक्टर में तकरीबन 26 लाख करोड़ के एमओयूज हुए हैं। एग्जैक्ट फिगर आपको चाहिये तो 26 लाख 7 हजार 804 करोड़ रुपये के एमओयूज हुए हैं। इंडस्ट्रीज के अन्दर 3 लाख करोड़ रुपये के एमओयूज हुए हैं। माइंस के अन्दर 1 लाख करोड़ के हुए हैं। अरबन डवलपमेंट हाउसिंग के अन्दर 1 लाख करोड़ से अधिक के हुए हैं और कृषि के अन्दर 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह पूरी एक्सरसाइज, जो ग्लोबल समिट करा गया, जो स्पष्ट नीतियां बनायी जा रही हैं, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये नीतियां, ये बाकी जितने प्रदेश हैं भारत के अन्दर, उनकी नीतियों के तुलनात्मक तरीके से हमने राजस्थान की नीतियां बेहतर बनाने की कोशिश करी है।

MKD/RTM/10.03.2025/21:50/5b

और हमारे पास केन्द्र सरकार से, जब एक इवेंट हो रहा था, उसमें यह बात कॉमर्स मंत्री ने भी रखी थी कि दूसरे प्रदेश भी चाहते हैं कि हमने किस तरह की नीतियां बनाई हैं। जैसा मैं कह रहा था कि हमने ये सारी एक्सरसाइज की है।, राजस्थान के नौजवानों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम संकल्पित हैं कि राजस्थान के नौजवानों को हमें एक बेहतर मार्ग देना है, उनको एक बेहतर भविष्य देना है। यह हमारे लिए नहीं, सरकार के लिए नहीं, यह कोई वोटिंग के लिए, यह राजस्थान के लिए करना है, यह प्रदेश के लिए, ये राष्ट्र के लिए हमें करना है।

हमारे मुख्य मंत्री भजन लाल जी ने इसको ध्यान में रखते हुए चार लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की है। इस पर हम प्रतिबद्ध हैं, हम काम कर रहे हैं। 90 हजार सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी साल के बजट के अन्दर उन्होंने सवा लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की थी और साथ में यह भी कहा था कि डेढ़ लाख नौकरियां हम प्राइवेट सेक्टर में करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये पूरी एक्सरसाइज इसीलिए है। एक अर्थव्यवस्था बनेगी, आप भी जानते हैं। यहां प्रत्येक विधायक, जब प्रश्न काल के अन्दर प्रश्न रखते हैं, अगर उद्योग का रखते हैं, आप सब चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में एक

इंडस्ट्रियल एरिया बने। आप भी जानते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया आयेगा तो उससे व्यवसाय बढ़ेंगे, वहां पर अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये सारी एक्सरसाइज आप बेहतर तरीके से समझते हैं। ये सारी एक्सरसाइज हमारे नौजवानों को एक शानदार भविष्य देने के लिए हुई है, लेकिन तुलना तो जरूरी है, जब तुलना होती है तो पता चलता है कि कौन कैसा कर रहा है।

यह प्रश्न उठता है कि हम यह कैसे करेंगे, यह प्रश्न बार-बार उठता है कि आप एमओयूज को धरातल पर कैसे लेकर लायेंगे, ये सब कैसे होगा। उसका मैं एक उदाहरण देता हूं और उदाहरण उद्योग से थोड़ा हटकर देता हूं। जैसे आईटी है, टेक्नोलॉजी है, हम सब जानते हैं, आजकल नौजवान उसकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं और देश और दुनिया के अन्दर टेक्नोलॉजी और आईटी से रिलेटेड हर काम, हर व्यवसाय उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन पिछले पांच साल के अन्दर, जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी, आपने एक भी आईटी डेटा सेंटर, क्योंकि डेटा से सब कुछ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा कनेक्टेड है, आपने डेटा के ऊपर कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई, लेकिन केवल भजन लाल जी की सरकार ही नहीं, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की फिलोसोफी और विचारधारा में है कि हम विकास की तरफ काम करते हैं, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम करते हैं।

जब भारत में डेटा सेंटर बनने लगे तो 2018 के अन्दर हमारी ही सरकार, उस समय जो थी, उन्होंने बहुत ही आधुनिक भामाशाह डेटा सेंटर बनाया, लेकिन पांच साल में आपने डेटाज के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बनाई। हमने आते ही डेटा के ऊपर पॉलिसी बनाई। आपने आईटी में क्या काम किया और हमने आईटी में क्या काम किया, ये साफ दिखाई देता है। हमने डेटा सेंटर की पॉलिसी बनाई। हमने भामाशाह डेटा सेंटर बनाया। आपने वह अलमारी तैयार की, कौनसी अलमारी? वह अलमारी तो याद होगी आपको। आपके समय आईटी सिर्फ उसी लिए जाना जाता था। आज भी लोग आते हैं, वह टूरिस्ट स्पॉट बन गया है कि वह अलमारी कौनसी थी?

नेता, प्रतिपक्ष को आंकड़ों का बहुत शौक है, तो मैं एक और आंकड़ा बताता हूं। जब भजन लाल जी बोल रहे थे तब आपने आंकड़ों की खूब बात की थी। चलिए, एक बार मान लेते हैं कि 12, साढ़े 12 लाख करोड़ आप लेकर ही आए, धरातल पर तो नहीं उतरें लेकिन एक बार को मान लेते हैं आप लेकर आए, आपने 28 हजार करोड़ धरातल पर उतार भी दिये, हम वह तो मान रहे हैं।।

अब राजेंद्र जी बीच में बोल रहे थे कि आपके 35 लाख करोड़ में से 28 लाख करोड़ तो ऊर्जा पर ही है, जैसे कि ये कोई कोस रहे थे हमें उस बात के लिए और भी बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजियेगा। राजेंद्र जी ने कहा कि 35 लाख करोड़ में से 28 लाख करोड़ तो ऊर्जा पर ही है, तो आपके साढ़े 12 लाख करोड़ में से 10

लाख ऊर्जा के ऊपर थे, तो अब बताओ, अगर परसेंटेज निकालना है तो आपका परसेंटेज और भी ज्यादा हाई है हमसे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमारे रास्ते पर चल रहे हो।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): चलो, एक बार को मान लेते हैं। सूर्य ऊर्जा, राजस्थान को एक आशीर्वाद दे रही है। हम उसका इस्तेमाल करके, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जी अभी आपने जो बोला की आप के रास्ते पर चल रहे हैं, आप के कुछ सदस्यों ने बोला, जिसमें राजेंद्र पारीक जी भी शामिल थे, रामकेश जी भी शामिल थे दोनों ने कहा कि बिजली उत्पादन से नौकरी नहीं मिलती।

अध्यक्ष महोदय, मैं उस पर आऊंगा, थोड़ी देर में आऊंगा, इन सब ने बहुत इंट्रेस्टिंग बना दिया। चलिए, एक बार मान लेते हैं कि 10 लाख करोड़ आप ऊर्जा के अंदर लेकर भी आ गए, लेकिन इन्होंने ऊर्जा पर क्या काम किया है? इन्होंने बिजली कंपनियों का जो घाटा था, वह मार्च 2024 के अंदर 1 लाख 40 हजार करोड़ बिजली की कंपनियों के ऊपर घाटा चढ़ा दिया तो कौन से एमओयूज लेकर आये? क्या करा उन्होंने उससे? यही नहीं, वितरण कंपनियों के ऊपर भी इन्होंने 90 हजार करोड़ का घाटा चढ़ा दिया। क्या कर रहे थे? आप बिजली के उत्पादन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, आप तो एमओयूज़ कर रहे थे। 10 लाख करोड़ के एमओयूज से लेकर आए। रीटा जी यहां पर हैं नहीं, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि बिजली महंगी हो गई, बिजली महंगी क्यों नहीं होगी, जब इस तरह से काम होगा।

अब एक चीज़ और बताता हूं, इंस्टाल्ड कपैसिटी, आपने 5 साल में, क्योंकि यहां किसी ने बात की थी कि बिजली की इंस्टाल्ड कपैसिटी क्या है? अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग से थोड़ा-सा हट रहा हूं, लेकिन मैं काम करने के तरीके के ऊपर एक अन्तर बता रहा हूं कि कांग्रेस सरकार के अन्दर, 5 साल के अंदर इन्होंने बिजली की इंस्टाल कपैसिटी 4000 मेगावॉट की, मैं राउंड फिगर करके और आगे बढ़ा रहा हूं। 5 साल में इन्होंने 4000 मेगावॉट की। हमने एक साल के अंदर ही उसको कर दिया 2680 मेगावॉट, यानी आधे से भी ज्यादा, आधे से भी ज्यादा, मात्र एक वर्ष में, हमने बिजली की इंस्टाल्ड कपैसिटी लगा दी। इन्होंने 5 साल में 4000 मेगावॉट लगाई। इस 2680 इंस्टाल्ड कपैसिटी के अंदर 500 मेगावॉट सोलर एनर्जी हमारे किसानों को दिन में मिल रही है।

अब और इंट्रेस्टिंग बात करते हैं। हम राजस्थान को रिन्यूएबल एनर्जी की कैपिटल बनाना चाहते हैं। आपने भी कोशिश की। रीप्स 2022 की भी यहां पर बहुत चर्चा हुई। मतलब, राजेंद्र जी, आप बहुत सीरियस हो। मैं राजेंद्र जी को एक बात के लिए तो बधाई देना चाहूंगा, पूरे समय अगर सदन के अंदर कांग्रेस की तरफ से कोई एमएलए बैठे तो वे राजेंद्र पारीक जी थे। मैं आपको बधाई देता हूं।

नेता प्रतिपक्ष मित्र हैं, बड़ा लम्बा ब्रेक लेकर पूरी ऊर्जा से अभी आये थे एकदम से और पूरा हलचल मचा दी है, सदन के अंदर आते ही। पूरे फ्रेश अन अप होकर आए हैं। सो, राजेंद्र पारीक जी ने बोला कि रीप्स 2022, जो कांग्रेस सरकार लेकर आयी, वह हमें बतला

रहे थे कि आप अंतर मत करिए। रीप्स 2022 के अंदर जो लोग आये, आप ये मत कहिए कि वे कांग्रेस में आ रहे हैं। आपके 2024 की रीप्स, वह बीजेपी, ऐसा नहीं करे, ऐसा मुझे बतला रहे थे। हुआ क्या रीप्स 2024 में, मैं बतलाता हूं, बड़ी इंट्रेस्टिंग है, थोड़ी अंदर की बात है, बाहर किसी को मत कहिएगा, ना, ना, मैं आपको यील्ड नहीं कर रहा।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आज दिन तक ऑनलाइन नहीं हुई है, पोर्टल पर नहीं है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): मैं वह भी बतला दूंगा, मैं वह भी कर दूंगा, विराजिये, विराजिये।

अध्यक्ष महोदय, रीप्स 2022 की बात करते हैं और उसके साथ-साथ रिन्यूएबल एनर्जी भी कनेक्टेड है। ये सब रीप्स 2022 की बात कर रहे थे कि बहुत शानदार रीप्स 2022 बनी है। एक कम्पनी आई। इन्होंने रीप्स 2022 का एक झुनझुना छोड़ा। एक कंपनी आई रिन्यूएबल एनर्जी की, वह इंवेस्ट करना चाहती थी। इन्होंने अपनी रीप्स 2022 दिखाकर उसको बहलाया, फुसलाया, मुंगेरीलाल के हसीन सपने दिखाएं और उस कंपनी ने इंवेस्टमेंट कर दिया। जब तक इनकी सरकार गई, तब तक उनको एक पैसा नहीं मिला। वह इसलिए कि रिप्स 2022 तो आपने बना दी, लेकिन उसकी गाइडलाइंस इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के अंदर नहीं बनाई और आप हमें बोल रहे रिप्स 2024 के लिए। आपने रिप्स 2022 के लिए गाइडलाइंस ही नहीं बनाई। हमारे मनोज न्यांगली जी कह रहे थे कि लोगों को सब्सिडी नहीं मिल रही है। कैसे मिलेगी सब्सिडी जब पिछली सरकार 2023 तक गाइडलाइंस बनाकर नहीं गयी। अब इस पर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार।

अध्यक्ष महोदय, ये सारी तुलनात्मक चीजें जो मैं आपको बता रहा था, यह मैं इसलिए बता रहा था कि कांग्रेस के कुशासन का मानचित्र तो अब आपके सामने बिलकुल क्लीयर हो गया होगा। आपके माध्यम से सदन के सामने भी बिलकुल क्लीयर हो गया होगा।

अब मैं बताता हूं कि हम क्या खास कर रहे हैं, किस तरह से हम इम्प्लिमेंट कर रहे हैं? किस तरह से हम धरातल पर उतार रहे हैं?

Bhs/Rtm/10.03.25/22.00/5c

यह दूसरे प्रदेशों के लिये भी एक सीख है, क्योंकि सब जानना चाह रहे हैं केंद्र भी जानना चाह रह है। कई इनोवेटिव चीजें हो रही हैं अध्यक्ष महोदय, और हमारे अधिकारी, हमारे एक्स्पट्र्स सब मिलकर केवल इसलिये कि हम राजस्थान को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं। हमने नोडल ऑफिसर्स तय किये हैं। हर डिपार्टमेंट का, हर मंत्रालय का नोडल ऑफिसर है, जिसकी जिम्मेदारी केवल यही है कि जो एम.ओ.यूज साइन हुए हैं उनको किस तरह से धरातल पर लाया जाये, किस तरह से जो अड़चनें आ रही हैं, उन अड़चनों को दूर किया जाये। वह उसी काम पर केंद्रित है। हमने क्लाइंट सर्विस मैनेजर्स भी नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जैसे बैंको में होता है सर्विस सेक्टर्स में आपने सुना होगा। आप सबके पास उम्मीद है, खूब अच्छा धन होगा जब बैंक के पास जाते होंगे तो आपके लिये क्लाइंट

मैनेजर्स लगाते होंगे, आपको खास सर्विस देते होंगे, उसी तरह से हमने भी सरकार के अंदर रहते हुए क्लाइंट सर्विस मैनेजर्स, ताकि हर कंपनी को यह सहयोग मिले कि उनका काम जल्द से जल्द धरातल तक पहुंचे। एक हजार करोड़ से ऊपर के जितने एम.ओ.यूज हैं उनको हर महीने दो महीने मुख्य मंत्री जी खुद बैठक के अंदर देखते हैं। सौ करोड़ से हजार करोड़ तक चीफ सेक्रेटरी देखते हैं। सौ करोड़ तक जितने एम.ओ.यूज़ हैं उसको सारे सचिव हैं वे देखते हैं और हमारा विभाग जो उद्योग का विभाग है वह इन सारी चीजों पर एक सम्मिलित रूप से पूरी निगाह रखता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने किया है, सरल किया है, मोबाइल एप हम लेकर आ रहे हैं। हमने एक आई.टी. का ढांचा पूरा तैयार कर दिया है जिस आई.टी. के ढांचे पर जिस कंपनी ने निवेश किया है वह कंपनी देख सकती है कि उनकी फाइल कहां पर अटकी हुई है, कितनी देर तक अटकी हुई है, उनकी तरफ से कुछ करना है या नहीं करना। हमारे जो अधिकारी हैं उनको दिखाई देता है कि कहां पर फाइल अटकी हुई है तो सिंगल विंडो क्लियरेंस, जिसका अमीन कागजी जी बोल रहे थे कि बैंड बजा दिया वह बैंड नहीं, वह बहुत शानदार तरीके से उसके ऊपर काम हुआ है और मैं अब आपको, ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अमीन कागजी शादी में चले गये क्या?

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): हां, अमीन कागजी जी यहां से चले गये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हर बार बोलना जरूरी नहीं। अब आप भी विराजो।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): हां, मिल गया। अब मैं एक उन्होंने जो सिंगल विंडो सिस्टम, उनका अनुभव शायद इसी कारण से था कि उनकी सरकार में क्या हो रहा था तो हो सकता है वहां बैंड बजा हुआ हो सिंगल विंडो का, अब हम बताते है सिंगल विंडो सिस्टम में 10 हजार 490 के करीब आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से 7540 यानी आधे से कहीं ज्यादा 7540 को स्वीकृति दे दी गई है और मात्र 45 आवेदन लंबित हैं, मात्र 45 आवेदन लंबित हैं। 16, केवल 16 टाइम आउट हैं यानी 10 हजार 490 में से हमारे जो सारे अधिकारी काम कर रहे हैं मात्र 16 क्योंकि हर चीज़ की समय सीमा दी हुई है कि उस समय सीमा के अंदर ही काम होना है तो मात्र 16 टाइम आउट हैं। यह ओलिम्पिक परफॉर्मेन्स है हमारे विभाग की ...(व्यवधान)... फेसलेस।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब एक बहुत बड़ा अंतर है यह जो सारा काम हुआ है ईज़ ऑफ डूईंग बिज़नेस इन सबका, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है आपकी सरकार में और हमारी सरकार में। आपने काम किया एक अथॉरिटेरियन तरीके से, आपने काम किया एक पर्सनल इंट्रेस्ट से। हमने काम किया एक सेवाभावी सरकार से, हमने काम किया एक सेवाभावी भाव से, हमने काम किया हमारे युवाओं के भविष्य के लिये। यह एक बहुत बड़ा अंतर है, जिस कारण से हमारे जो एम.ओ.यूज हैं वे धरातल पर उतर रहे हैं और इसका जो मार्गदर्शन और आशीर्वाद और एक दिशा जो हमे मिली है वो माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व

और जो उन्होंने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफोर्म, इस तरीके से हमें काम करना है तो हमारी सरकार इसी उस बेसिस पर काम कर रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, सो इसमें निश्चित रूप से दोनों सरकारें मिलकर एक ही दिशा में काम कर रही हैं। हम कैटेगराइज कर रहे हैं अलग-अलग जो एम.ओ.यूज आये हैं उसको ए,बी,सी करके उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, माइलस्टोन कर रहे है कि कहां तक पहुंचे, कहां तक क्लियरेंस हुई, उस सबको हम फोकस कर के देख रहे हैं। हमने जैसे मैंने कहा, सेवाभाव से जो हम काम कर रहे हैं, हमारा राज्य निवेश पोर्टल जो है उसके अंदर सर्विसेज़ मिल रही हैं और जो एम.ओ.यूज आप में से कइयों ने कहा कि लोग आपके साथ एम.ओ.यू. कर रहे हैं, उन्होंने भरतपुर के अंदर दिया, यह मेरे पास आंकड़े हैं एक-एक का मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं इतने विस्तार में नहीं जाऊंगा। आपने बोला कि उन्होंने होटल बनाया हुआ था फिर भी एम ओ यू कर लिया तो ऐसा नहीं था, वह होटल जो नया बनाना चाह रहे है उसका एम.ओ.यू. हुआ है और एम.ओ.यू. भी इसलिये कर रहे हैं क्योंकि हमारी सर्विसेज मिल रही हैं। कौन सी सर्विसेज और कितनी मिल रही हैं? इनको 149 सर्विसेज सरकार की तरफ से मिल रही हैं इसलिये वे सारे एम.ओ.यूज़. कर रहे हैं। एक एम.ओ.यू. जब होता है यह एक विश्वास के कारण होता है, ट्रान्सपेरेंसी के कारण होता है जब बिना किसी भेदभाव के काम होता है तब ये एम.ओ.यूज. होते हैं और इसी विश्वास के साथ रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है। रेड टेप टू रेड कार्पेट हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी बनायी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट के ऊपर काम हुआ। इन्टीग्रेटेड क्लस्टर हम तैयार कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, गारमेंट्स अपैरेल्स इन सब के ऊपर काम हो रहा है और रिप्स 24 के अंदर एक और खास बात है। अभी यहां थोड़ी देर पहले ललित यादव जी ने और वह बोल के चले गये। नेता प्रतिपक्ष उन तक जरूर यह मैसेज पहुंचायेंगे ...(व्यवधान)... ठहरना चाहिये था, क्योंकि क्योंकि युवाओं की बात थी, युवाओं के रोजगार की बात थी। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा कुछ करिये जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले। उन्हें विश्वास था भजन लाल जी की सरकार पर और हमने ऐसा ही किया उनके विश्वास पर और जनता के विश्वास पर हम खरे उतरे हैं। युवाओं को रोजगार के अंदर प्रोत्साहन मिले उसके लिये हमने रिप्स-24 के अंदर यह तय किया है कि ...(व्यवधान)... जी-जी स्वागत है आपका। आप ही के लिये बता रहा था ललित जी, आपने कहा रोजगार किस तरह से हम प्रोत्साहित करें तो उसके लिये रिप्स-24 के अंदर हमने खास कदम उठाये हैं और आप जरूर अपने विधान सभा क्षेत्र में युवाओं को बताइयेगा कि हर कंपनी जो राजस्थान के निवासियों को अपनी कंपनी में लेगी उस कंपनी के ऊपर जो ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. का भार आता है, उसका 50% पर-एम्प्लॉई राजस्थान सरकार देगी। यही नहीं अगर उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉईज राजस्थान के निवासी 75% से ज्यादा होंगे तो हम 50% नहीं, हम 75% देंगे और जितने एम्प्लॉईज हैं, उनके लिये नहीं, हम पूरी

कंपनी के लिये 75% देंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे विपक्ष के साथी ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह नया शुरू किया है कि पुराना है?

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): नहीं, इसको सुधार दिया ना हमने। बहुत सुधार दिया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हां, तो यह तो हमारे समय का ही है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): नहीं। आप क्या थे कि आप हवाई फायर करते थे और हम जो कहते हैं उसे करते हैं। बहुत बड़ा फर्क है। ...(व्यवधान)... अच्छा, अध्यक्ष जी, अब एक बात और हुई थी और यह राजेन्द्र पारीक जी ने की थी कि फ्रेट सब्सिडी दीजिये, आप फ्रेट सब्सिडी नहीं देते तो हमने उसको भी कर लिया। गुजरात के कांडला पोर्ट तक हमारे जो एक्सपोर्ट के आइटम्स हैं जेम्स ज्वैलरी है पिछले आठ महीने में ही जेम्स ज्वैलरी ने 10 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट किया था। इंजीनियरिंग है, टैक्स्टाइल है, रेडीमेड गारमेंट है, हैंडीक्राफ्ट है, यह सब कांडला पोर्ट तक जाते हैं और निश्चित रूप से वहां तक जाते हैं तो इसका खर्चा बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है तो प्रॉडक्ट की जो वायेबिलिटी है वह कम हो जाती है। तो हमारी सरकार में एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी हम लेकर आए और उस एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के अंदर हमने जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है, उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का 25% वहन राजस्थान की सरकार करेगी। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): एक्सपोर्ट 25 प्रतिशत कम हुआ है और उसका मैन कारण यही है कि फ्रेट सब्सिडी नहीं है, महंगा पड़ रहा है उन लोगों को।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): राजेंद्र जी, आप क्या होता है कि आप जितना बोलते हो, उतना फंसते जाते हो। अब मैं बताता हूं आपको इसका भी जवाब देता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): नहीं, पूरा सुन कर जाऊंगा आपको।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): नहीं-नहीं सुन कर तो जाओगे, लेकिन फंसते भी जाते हो आप।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): मैं पूछूंगा लास्ट में आपको। ...(व्यवधान)... आप जवाब देना वापस।

श्री अध्यक्ष: पूरा उत्तर आ जाने दो, माननीय विधायक।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अब मुझे बोलने दीजिये न। आपने जो अभी बात रखी, अब मैं बहुत ध्यान से जवाब दे रहा हूं आप रिकॉर्ड भी कर लीजिये कि पूर्ववर्ती सरकार में, मैं पढ़ देता हूं, ताकि बिल्कुल स्पष्ट रहे। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा रिप्स 22 में फ्रेट सब्सिडी का प्रावधान लिया गया, जिसमें फ्रेट चार्ज का 25% अथवा 20 लाख प्रतिवर्ष रिएम्बर्समेन्ट का प्रावधान किया, किंतु, ये किंतु नहीं बतायेंगे, किंतु 25 करोड़ से ज्यादा निवेश करने वाली एम.एस.एम.ई. को ही दिया जायेगा।

Kas/rtm/10.03.2025/22.10/5d

....(व्यवधान).... राजेन्द्र जी, आप नहीं बोलते तो मैं इस कागज को नहीं उठाता, आपने

बोला तो मैंने उठा लिया। अब मैं हमारा बोलता हूं।

श्री अध्यक्षः पोजिटिव बातें सुनो।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): भजन लाल जी की सरकार में एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, 2024 लेकर आये और यह पहली बार जारी की गई है। आपने एक्सपोर्ट को तो प्रमोट ही नहीं किया, यह पहली बार हुआ है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी बनी है। इसके तहत समस्त एम एस एम ई एवं अन्य उद्यम को फ्रेट चार्जेज का 25 परसेंट अथवा 25 लाख रिएंबर्स का प्रावधान रखा जायेगा। इन्होंने 20 लाख का रखा था, हमने 25 लाख का रखा है। इन्होंने 25 प्रतिशत का रखा था, हमने भी 25 प्रतिशत का रखा। इन्होंने 25 करोड़ से ज्यादा का रखा था, हमने समस्त के लिये रखा है।

अध्यक्ष महोदय, जब ये सत्ता में थे, तब कौनसा परिवार आगे बढ़ रहा था, यह तो सब जानते ही हैं कि कौनसा परिवार बढ़ रहा था। समय हो रहा है, मैं ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, एमएसएमई इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ की हड्डी है। तकरीबन 45 परसेंट इस देश की अर्थव्यवस्था के प्रति एमएसएमई सेक्टर का योगदान रहता है। एमएसएमई के ऊपर हमने नई पॉलिसी लाने की बात कही थी, हम वो पॉलिसी लेकर आये हैं। हमने जो कहा, वही किया। डबल इंजन की सरकार के कारण केन्द्र में जो बजट की घोषणा हुई, उसमें एमएसएमई को और लाभ मिला है। इंवेस्टमेंट और टर्नओवर की लिमिट ढाई गुना कर दी गई है।

अध्यक्ष महोदय, केवल बड़े-बड़े उद्योग ही नहीं, बल्कि हर तरह से हमारी यह धरती धोरा री, यह वैसे ही सुंदर है, ऐतिहासिक है। यहां पर संस्कृति भी है और परम्पराएं भी हैं। यहां पर हस् कला भी है, शिल्पकला भी है, हर तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडेक्ट जो प्रधान मंत्री मोदी जी ने तय किया है, उससे हर क्षेत्र में जो वर्षों से, सदियों से जो काम हो रहा था, उसको और आगे बढ़ाने की एक व्यवस्था मिलेगी। कांग्रेस को लगातार कोई न कोई कष्ट रहता है। इसलिए मैंने दो लाइने उसके लिये लिखी हैं कि 'जनता कहती है हुआ सवेरा जागो लाल, सीखो महापुरुष की चाल। सभी की निगाहें मंजिल की ओर, कोसना छोड़ा नहीं तो होगा बुरा हाल।' लगातार कोसना, लगातार उंगलियां उठाना, जबकि मैंने पढ़कर सुनाया है कितना बढ़िया काम हो रहा है राजस्थान में।

अध्यक्ष महोदय, इनको विदेश यात्रा से भी कष्ट था। जो ग्लोबल समिट हुआ, जो प्रचार हुआ, जिस तरह से पूरी दुनिया से 35 राष्ट्र हमारे प्रदेश में आये, उसमें से 17 हमारे इन्वेस्टमेंट समिट के पार्टनर बने। जब हम उनके पास गये थे तो वो आश्चर्य से पूछ रहे थे कि आपके पास टूरिज्म के अलावा भी इतने सैक्टर्स हैं, जहां एक तरफ पेट्रोकेमिकल पार्क है, तो लॉजिस्टिक्स भी हैं। हमारे पास स्किल भी है और एजुकेशन की भी पॉसिबिलिटीज हैं। इंजीनियरिंग सिस्टम डिजाइनिंग है, इतने सारे सैक्टर्स यूरोपियन कंट्रीज में एक ही देश में नहीं मिलते, लेकिन हमारे राजस्थान में इतने सारे इंवेस्टमेंट्स की अपॉर्च्युनिटीज है। इंटीग्रेटेड क्लस्टर डवलपमेंट और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडेक्ट और उसके साथ दुनियाभर में प्रचार, जहां

एक पॉजिटिव एन्वायर्नमेंट राजस्थान के लिये बना, उसमें काम हुआ। जिस तरह से मैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडेक्ट की बात कर रहा था, क्या वो आपके समय नहीं थे? वो थे। जयपुर की नीली कारीगरी थी, जोधपुर के मसाले, उदयपुर की मिनिएचर पेंटिंग, बाड़मेर की अजरख छपाई, भीलवाड़ा के सूती वस्त्र, अलवर का मिल्क केक, सवाईमाधोपुर की ब्लू पोट्री, नागौर का नमक, बीकानेर के भुजिया-पापड़, टोंक की चिकनकारी, पाली के टेक्सटाइल, झुंझुनूं का बोरांग पत्थर, इन सबका प्रोडेक्शन अब और तेजी से होगा, इनकी मार्केटिंग और बेहतर होगी। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय श्रवण जी, कोई कंटेंट हो तो बताओ। केवल बोलने के लिये मत बोलो।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): मैंने अपने चीफ व्हिप से यह प्रोमिस किया था कि मैं 45 मिनट में खतम कर दूंगा, तो आप डिस्टर्ब ना करें तो मैं जल्द इसको समाप्त करता हूं, क्योंकि काफी लंबे समय से आप यहां बैठे हैं।

डाइरेक्ट लैंड अलॉटमेंट की बात जरूर करनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, किसी भी उद्योग को लगने में जो सबसे पहली अड़चन आती है, वह आती है जमीन की। जमीन के लिये ऐसी बात नहीं है कि पहले कोशिश नहीं हुई है, पहले भी कोशिश हुई। जैसे नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे कि आप हमारे पथ पर चल रहे हैं, पहले इन्होंने भी कोशिश की। डाइरेक्ट लैंड अलॉटमेंट 2022 में भी तय हुआ, लेकिन मात्र 5 केसेज को ही डाइरेक्ट लैंड अलॉटमेंट किया गया। ....(व्यवधान).... वह सलेक्शन हो गया। लेकिन हमारा स्कोप बहुत बड़ा है और हमारे स्कोप में ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। जैसे सदन अभी कह रहा था कि इनका ह्यूमन इंटरवेंशन हो गया कि केवल पांच ही केसेज हुए। हमने जो स्कोप रखा है, क्योंकि इतने एमओयूज हुए हैं, लोगों को विश्वास है, तो 50 हजार स्क्वायर मीटर तक अगर कोई प्लाट रीको से लेगा तो उनको लॉटरी सिस्टम से वो प्लॉट फिक्स्ड प्राइस पर मिलेगा, उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगी। अगर 50 हजार स्क्वायर मीटर से अधिक होगा तो उसमें लिमिटेड ह्यूमन इंटरवेंशन होगी, कमेटी उसको डिसाइड करेगी। लेकिन हमने इसमें पार्क कितने रखे हैं, हमने इसमें 98 इंडस्ट्रियल पार्क रखे हैं, 6877 प्लाट्स, कहां इनके 5 और कहां हमारे 6877 प्लाट्स की पॉसिबिलिटी है कि वो लोगों के पास जा सकते हैं। इसमें अमीन कागजी जी ने थोड़ी देर पहले बोला था कि केवल लैंड ऑक्शन हो रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा, तो यह बिलकुल गलत है।

पाली मारवाड़ ऐरिया में जो इंडस्ट्रियल पार्क केन्द्र सरकार ने घोषित किया, वह 2020 में ही घोषित हो गया था, उस समय आपकी सरकार थी। 2020 से लेकर 2023 तक उसमें कोई काम नहीं हुआ, लेकिन हमारी सरकार आते ही 100 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से हमने राशि प्राप्त कर ली, 100 करोड़ हम और प्राप्त करने वाले हैं। 275 करोड़ का हमने पानी का टेंडर कर भी दिया है, ताकि जयपुर-पाली-मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया में पानी भी पहुंच जाये और तकरीबन 1600 एकड1 जो यह प्रोजेक्ट है, इसके लिये हमने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की

यूनिट के लिये भी टेंडर कर दिया है। हम स्किल डवलपमेंट में भी बहुत खास काम कर रहे हैं। हम सेंटर्स डवलप कर रहे हैं, जहां इंडस्ट्रियल यूनिट के साथ मिलकर हम काम करना चाहते हैं। जो स्किल का गैप है, उस गैप को कवर करना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को जोड़ते हुए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को जोड़ते हुए, रोबोटिक्स और इंडस्ट्री 4.0 और 5.0 को जोड़ते हुए ट्रांजिशन और टेक रिफार्म केन्द्र सरकार के विजन को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, उसका एक उदाहरण और देता हूं कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के लिये हम यहां की सेना की साउथ वेस्टर्न कमांड के साथ बैठकर भी सेमिनार कर रहे हैं। यानी हम लगातार हर स्टेक हॉल्डर के साथ बैठक कर रहे हैं। चाहे वो सी आई आई हो, फिक्की हो, जितने भी इंडस्ट्रीज के एसोसिएशन हैं, मार्बल एसोसिएशन है, टेक्सटाइल एसोसिएशन है, इन सभी के साथ हम बात कर रहे हैं, ताकि जैसी जरूरत हो, उस तरह का काम सरकार कर सके, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान को हमने 30 लाख करोड़ की इकॉनोमी के पार पहुंचाना है। हम युवाओं के लिये काम कर रहे हैं। जितनी नौकरियां हमारे मुख्य मंत्री भजन लाल जी ने प्रोमिस की है, चाहे सरकार की हो या प्राइवेट हो, उसको हम सत्य करने के लिये पूरे संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। हम देश की इकॉनोमी को जो प्रधान मंत्री मोदी जी 25 से 35 ट्रिलियन डॉलर ले जाना चाहते हैं, उसके लिये काम कर रहे हैं। इसीलिए जैसा मैंने शुरू में कहा कि 'कार्यपुरुषाकरेन लक्ष्यं संपादयतेत।' जो काम करना हो, जब दृढ़ निश्चय से काम होता है, तब वह काम हमेशा संपूर्ण होता है। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।

Msk/Rtm/10.03.25/2220/5e

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): ...(व्यवधान)... आपने पॉवर की बात की ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अन्य मुद्दे पर चर्चा कर लें।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 56 - उद्योग को पारित करने के लिए सदन के सामने रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय संजय शर्मा। आप भी टाइम में इनका अनुसरण करेंगे।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण पर सदन में माननीय सदस्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण व सारगर्भित सुझाव प्रस्तुत किए और वन एवं पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज कुल 54 माननीय सदस्यों ने इस डिबेट में भाग लेकर वन एवं पर्यावरण के प्रति गंभीरता प्रदर्शित की, इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देते हुए विनम्रतापूर्वक आभार भी प्रकट करता हूं।

वन एवं पर्यावरण पर 87 माननीय सदस्यों से 267 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन कटौती प्रस्तावों के जवाब संबंधित माननीय सदस्यों को अतिशीघ्र भिजवा दिये जाएंगे।

साथ ही साथ, माननीय सदस्यों ने सदन के अन्दर जो बात रखी है, यदि आप और सदन मुझे अनुमति देगा तो मैं एक-एक माननीय सदस्य ने जो यहां बात रखी है, उसका जवाब भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को देने को तैयार हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस प्रतिष्ठित सदन के समक्ष गर्व और गहरी जिम्मेदारी की भावना के साथ खड़ा हूं, क्योंकि हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय - राजस्थान के वनों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत् प्रबंधन पर चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान, जो विस्तृत थार मरुस्थल से लेकर हरित अरावली पहाड़ियों तक के विविध भौगोलिक स्वरूपों के लिए जाना जाता है, अपने विषम एवं अनूठे पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। हमारे वन केवल जैव विविधता का स्रोत ही नहीं, बल्कि जल संरक्षण, जलवायु स्थिरता और हमारे नागरिकों के समग्र कल्याण के लिए परम आवश्यक हैं।

राजस्थान अपनी परंपरा के अनुसार सदियों से वन एवं वन्यजीव संरक्षण के लिये कृतसंकपल्पित रहा है। अमर शहीद अमृतादेवी और उनकी बेटियों आशु, रत्नी और भागू और वृक्षों के लिए सिर कटाने वाले 363 बिश्नोई समाज के पर्यावरण शहीदो से प्रारंभ करके आज दिनांक तक वन एवं वन्यजीवों के लिये अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीद वनकर्मियों को सर झुका के अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं। श्री हरिसिंह जी, श्री किरोडीमल जी, श्री शिवसिंह जी, श्री नवल किशोर सैनी जी, श्री हरिराम जी, श्री बशीर खान जी, श्री हनुमान सिंह जी, श्री शिवलाल गुर्जर जी, श्री हनुमान प्रसाद जी, श्री धनसिंह जी, श्री कोजाराम जी, श्री रामगोपाल पुरी जी, श्री कल्याण सिंह जी, श्री निहाल सिंह जी, श्री श्रीनारायण मीणा जी, श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री गंगासिंह जी, श्री किशोर सिंह जी, श्री सुखवीर सिंह जी, श्री घीसूसिंह जी, श्री शायर सिंह जी, श्री राम पाल सैनी जी, श्री किशोर कुमार जी को सिर झुकाकर अपनी श्रृद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं।

पंछी चहके, फूल मुस्काये,
हम भी खुशहाल जीवन पायें,
चलो कसम अब खाते हैं,
धरती को स्वर्ग बनाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में कुल वन क्षेत्र 33014 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.64 प्रतिशत है। राजस्थान शुष्क जलवायु वाला प्रदेश है, जिसमें अल्प वर्षा और सर्दी एवं गर्मी के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में काफी अंतर देखा जाता है। ऐसी विषम परिस्थितियों के उपरांत भी राजस्थान राज्य में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, 2023 के अनुसार राज्य का वनावरण 16548.21 वर्ग किलोमीटर तथा वृक्षावरण 10841.12 वर्ग किलोमीटर है।

राज्य वन नीति, 2023 के अनुसार आगामी 2 दशकों में राज्य के वनस्पति आवरण को

राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं सदन में बैठे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि आपकी सरकार के दो वर्ष उपरान्त जुलाई, 2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा 21 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में ही वृक्षारोपण करवाया गया था और हम दूसरे साल में शुरू हुए हैं, जिसके मुकाबले वर्ष 2025 की जुलाई में 71 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया जायेगा। यानी कि आपका दो साल का कार्यकाल और हमारा दो साल शुरू होने वाला है, जुलाई तक लगभग 31 हजार हैक्टेयर का बेनिफिट, हम इस वृक्षारोपण को आगे लेकर जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सिर्फ बात नहीं करते, करके दिखाते भी हैं। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने 'एक पेड़ मां के नाम' प्रधान मंत्री जी की कोट को लेकर, माननीय मुख्य मंत्री जी के वृक्षारोपण कार्यक्रम को लेकर बहुत सारी बातें कीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश में पौधारोपण के साथ-साथ पौधों को जीवित रखने एवं इनके साथ भावनात्मक लगाव को महत्व देने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व पर्यावरण दिवस 05 जून, 2024 को 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की शुरूआत की है। 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत राज्य को आवंटित 3 करोड़ लक्ष्य के विरुद्ध, अब सब सदस्य सुनना, जिस कोट को बार-बार कर रहे थे। 3 करोड़ लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक भारत सरकार के मेरी लाईफ पोर्टल पर सभी विभागों/आमजन/एन.जी.ओ./औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा लगभग 6 करोड़ पौधे लगाये जाकर उनकी संख्या मय फोटो अपलोड किये जा चुके हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, इनकी तरफ बाद में देख लेना। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मैंने तरीके से बता दिया है, इशारा कर दिया है।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): मैं आपको दुबारा बताता हूं, शायद आपने सुना नहीं। मेरी लाईफ पोर्टल पर सभी विभागों/आमजन/एन.जी.ओ./औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा लगभग 6 करोड़ पौधे लगाये जाकर उनकी संख्या मय फोटो अपलोड किये जा चुके हैं। मुझे यह बात कहते हुए गर्व भी हो रहा है और हम सब सदस्यों को गौरवान्वित महसूस होना चाहिए, विशेष रूप से राजस्थान के आमजन को गौरवान्वित महसूस होना चाहिए।

देश के माननीय और यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 'मन की बात' के 114वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित करते हुए, उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की सराहना करते हुए कहा कि 'जब दृढ़ संकल्प और सामूहिक भागीदारी का संगम होता है, तो समाज के लिए अद्भुत परिणाम सामने आते हैं। राजस्थान ने अगस्त महीने में 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर जन भागीदारी का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है।'

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क्रम में मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सभी जिलों में मातृ वन की स्थापना की जा चुकी है। मैं इस अवसर पर सभी से अपील करता हूं कि मातृ वनों/अन्य स्थलों पर पौधारोपण कार्य कर राज्य सरकार के पौधारोपण कार्य को सफल बनाने में योगदान दें। विशेष रूप में अभी माननीय झाबर सिंह जी कह रहे थे कि दादी के नाम एक पौधारोपण कार्यक्रम शुरू किया जाये। माननीय प्रधान मंत्री जी का एक पेड़ मां के

नाम और मातृ वन लगाने का माननीय मुख्य मंत्री जी का मकसद यही था कि हम अपने पूर्वजों की याद में या अपने माता-पिता की याद में वहां पौधारोपण करें और प्रकृति को संरक्षित करने में अपनी भूमिका अदा करें।

प्राणी हित में हम करें वृक्षारोपण आज

संतति के हित में यही प्यार भरा आगाज।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): आपने बताया ही नहीं, कितने.. ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः बैठिये।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): ...(व्यवधान)... आप बैठ जायें, आप बोलें तो हम नहीं बोलें। आप को तो अलवर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने भी बैठा दिया। बैठ जायें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, इधर संबोधित करिये।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 जून, 2024 राजस्थान सरकार द्वारा मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत 'मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान' प्रारम्भ किया गया है। विभिन्न विभागों/आमजन/एन.जी.ओ./औद्योगिक प्रतिष्ठानों को जोड़ते हुए सात करोड़ बाईस लाख पौधे रोपित किये गये हैं। वन विभाग द्वारा अठहत्तर हजार सात सौ अठावन हैक्टेयर वन भूमि पर दो करोड़ पचास लाख पौधे लगाये गये हैं। अन्य विभाग, संस्थाओं और योजनाओं के अंतर्गत 4.12 करोड़ पौधे लगाये गये, जिनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख दूंगा। इसके अतिरिक्त आमजन द्वारा 60 लाख पौधे रोपित किये गये हैं। अठहत्तर हजार सात सौ अठावन हैक्टेयर वन भूमि पर कराये गये वृक्षारोपण क्षेत्र में विभाग द्वारा वन्य जीवों के हैबीटेट सुधार तथा प्रे-बेस की उपलब्धता हेतु वन क्षेत्र में ग्रासलैण्ड विकास कार्य भी कराये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मिशन 'हरियालो राजस्थान' के तहत वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ पौधे लगाने की तैयारी हेतु 550 विभागीय नर्सरियों में वितरण हेतु नाबार्ड/आर.एफ.बी.पी. रिवॉल्विंग फण्ड/फार्म फोरेस्ट्री/आर.एफ.बी.डी.पी. योजना के तहत 5.84 करोड़ पौधे तैयार करने हेतु बजट आवंटन कर दिया गया है, जिनकी पौध तैयारी प्रगतिरत है। इसके अतिरिक्त 2.16 करोड़ पौधे पृथक से वन विभाग द्वारा विभिन्न नर्सरियों में पौध तैयारी कर वन भूमि पर आगामी मानसून में रोपित किये जायेगे।

वृक्ष ही प्रकृति का श्रृंगार,

वृक्ष ही पर्यावरण का विस्तार

mdp/rtm/10.03.25/22:30/5f

वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्र सरकार की ग्रीन कॉरिडोर योजना के तहत अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए 19 जिलों अजमेर, सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर, नागौर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पाली, सिरोही एवं राजसमन्द में कैम्पा, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता

विकास परियोजना (RFBDP), जलवायु परिवर्तन व मरूप्रसार रोक एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत 30,000 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य कराया गया है। माह जुलाई, 2025 में इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा।

एक जिला एक प्रजाति

माननीय मुख्य मंत्री जी का जो दिशा-निर्देश सभी विभागों को दिया गया है, उसी के तहत "एक जिला एक प्रजाति" कार्यक्रम लागू कर प्रत्येक जिले के लिए एक मुख्य प्रजाति एवं एक सहायक प्रजातियों का चयन कर स्थानीय प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाकर विभागीय नर्सरियों में वितरण हेतु पौधे तैयार किये जा रहे है। साथ ही वन भूमि पर स्थानीय प्रजातियों के पौधारोपण को भी महत्व दिया जा रहा है।

नवीन नर्सरी

प्रदेश में पौधे तैयार करने हेतु 39 नवीन नर्सरियों की स्थापना हेतु आधारभूत संरचनाएं यथा बीज भण्डारों का निर्माण, पक्के बैड, ग्रीन हाउस/पॉली हाउस निर्माण, स्प्रिंकलर सिस्टम, वाटर टैंक निर्माण एवं मरम्मत, निरीक्षण पथ निर्माण, सौर ऊर्जा पैनल एवं ट्यूबवेल इत्यादि कार्य प्रगतिरत हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित 'नगर वन योजना' के अन्तर्गत पूरे देश में शहरी ढाँचे में हरित स्थान और सौंदर्यपरक वातावरण का निर्माण करने हेतु नगर वन एवं नगर वाटिका विकसित किये जा रहे हैं। राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में वन भूमि की सुरक्षा एवं हरित स्थान बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 22 नगर वन हेतु राशि रू. 22.72 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं, जिनके कार्य प्रगतिरत हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 16 नगर वन स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा चुके हैं। जिसमें बेगूं में रावतभाटा, बेगूं में ही चंदेरिया मगरी, उदयपुर ग्रामीण में होड़ा, सलूम्बर में सोनार माता, कोटा उत्तर में अभेड़ा, झालरापाटन में गोमती सागर-प्रथम, झालरापाटन में गोमती सागर-द्वितीय, नगर में आदिब्रदी धाम, नगर में ही जरखोड़ गूफा, नगर में ही सेवल मन्दिर, मालपुरा में मालपुरा व निवाई में निवाई।

इससे अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर में शाहपुरा से रींगस राजमार्ग पर जालपाली मोड़ के पास एक नगर वन बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए हम देश के वन एवं पर्यावरण मंत्री, आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी जो कि अलवर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, इसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

वन संरक्षण का संकल्प,
जीवन की हरियाली का विकल्प।

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना

राज्य में वन विकास हेतु AFD, France द्वारा वित्त पोषित राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना (RFBDP) प्रदेश में वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्धन

हेतु राज्य के 13 जिलों (अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा) में क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना की अवधि 8 वर्ष (2023-24 से 2030-31 तक) है। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में अग्रिम मृदा कार्य (22657 हैक्टेयर), जल संरक्षण संरचनाएं तथा अन्य विकास कार्यों हेतु राशि रुपये 217.70 करोड़ का प्रावधान है। वित्त विभाग द्वारा उक्त प्रावधानों के विरुद्ध आदिनांक तक 80 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं। इस वर्ष की बजट घोषणा में अधिक वन घनत्व एवं जैव विविधता वाले वन क्षेत्रों में आरईटी (Rare, Threatened, Endangered Species) के संरक्षण व संवर्धन हेतु आगामी 2 वर्षों में 40 Plant Micro Reserves, 16 करोड़ (सोलह करोड़) रुपये की लागत से बनाये जायेंगे।

<u>CRESEP - राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया एवं पारिस्थतिकी तंत्र सेवाएं संवर्धन परियोजना</u>

यह परियोजना JICA के सहयोग से राजस्थान के 25 पश्चिमी जिलों में कियान्वित की जायेगी। इस परियोजना की कुल लागत 10 वर्षीय अवधि में एक हजार सात सौ चौहतर करोड़ रुपये रहेगी। परियोजना में मुख्य रूप से वनीकरण, जल व मृदा संरक्षण के कार्य कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त राज्य के महत्वपूर्ण वन्यजीव प्रवास क्षेत्रों जैसे कि तालछापर चूरू, मरू राष्ट्रीय उद्यान, जैसलमेर, जोड़बीड़, बीकानेर, सुधामाता, जालोर में भी हैबीटेट संरक्षण व संवर्धन के कार्य कराये जायेगें। इसके अतिरिक्त नवाचार के रूप में जैव विविधता के भंडार हमारे देव वन व ओरणों के संरक्षण, विभाग में डिजिटल क्रांति के रूप में उन्नत Decision Support System के निर्माण का भी प्रावधान इस परियोजना में किया गया है।

वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रों से अवांछित प्रजाति विलायती बबूल (जूलीफ्लोरा) को हटाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि रुपये 5 करोड़ व्यय किये जायेंगे एवं 10 हजार हैक्टेयर वन क्षेत्र से विलायती बबूल (जूलीफ्लोरा) हटाकर चरागाह विकास एवं स्थानीय प्रजाति के पौधों का रोपण किया जावेगा। फिर मैं दोबारा कहूंगा मेरा आपसे इसमें कोई नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें हमारा सहयोग लेना चाहेंगे तो वह भी मिलेगा, चिंता मत कीजिए।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): बहुत-बहुत धन्यवाद जी।

<u>आधारभूत सुविधाओं का विकास</u>

वित्तीय वर्ष 2025-26 में पेट्रोलिंग ट्रैक हेतु राशि रुपये 5 करोड़, फायर लाइन हेतु राशि रुपये 5 करोड़, वन विभाग के भवनों एवं परिसरों के सुदृढीकरण विशेषकर महिलाओं हेतु आवश्यक सुविधाएं विकसित करने हेतु राशि रुपये 10 करोड़ का व्यय किया जावेगा। ड्रोन के माध्यम से सीडिंग हेतु राशि रुपये 3 करोड़ एव वायरलेस सिस्टम में सुधार, ट्रैप कैमरों के नेटवर्क के विस्तार हेतु राशि रुपये 2 करोड़ व्यय किये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2019-20 में, सांभर झील के नावा क्षेत्र में 13100 और जयपुर क्षेत्र में 7000 प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई थी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) बरेली की जांच के अनुसार, इसका प्राथमिक कारण क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया से उत्पन्न एवियन बोटुलिज्म रोग था।

वर्ष 2024-25 में फिर से एवियन बोटुलिज्म का प्रकोप देखा गया। वन विभाग, पशुपालन, पशु चिकित्सा, आपदा प्रबंधन विभागों तथा जिला प्रशासन के सहयोग से किए गए प्रभावी समन्वित प्रयासों ने सांभर झील में एवियन बोटुलिज्म को फैलने से नियंत्रित किया गया जिसके लिये समय पर बचाव कार्य, मृत पक्षियों को झील से हटाने और उनके निपटान की व्यवस्था की गई ताकि रोग के प्रसार को रोका जा सके। इन प्रयासों से इस वर्ष 2024-25 में केवल 1383 पक्षियों की मृत्यु दर्ज की गई जो कि गंभीर और सामयिक प्रयासों का परिणाम रहा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डिजिटल वन सीमाओं की सटीकता बढ़ाये जाने हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से इन्हें राजस्व पैमाने पर बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है जिससे वन भूमि की सटीक जानकारी दी जा सकेगी एवं अनेक प्रबंधन कार्यों में गुणवत्ता आएगी। राज्य मे कुल वन भूमि में से 86.65 प्रतिशत भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जा चुका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आपके लिए है, बोलूं? नहीं, आपके लिए ही है।

श्री अध्यक्षः आप सबके लिए बोलो।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): नहीं, आपके लिए ही है। हम दोनों के बीच की बात है।

हम दोनों को, हम दोनों जैसे बहुत मिलेंगे,

परंतु हम दोनों को, हम दोनों नहीं मिलेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, "सर्वे भवंतु सुखिनः" भारत की संस्कृति और परंपराएं प्रकृति के प्रति गहरी आस्था और सम्मान को दर्शाती हैं। आपके समझ में भी न आयेगी।

श्री अध्यक्षः आप घर चले जाना। माननीय मंत्री जी, आप सीधे जवाब मत दीजिए। आप अपना काम जारी रखिए।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): भारत की संस्कृति और परंपराएं प्रकृति के प्रति गहरी आस्था और सम्मान को दर्शाती हैं। ऋषि-मुनियों की तपस्थली से लेकर धार्मिक ग्रंथों में उल्लिखित वृक्षों की महिमा तक, वन हमारी सांस्कृतिक धरोहर का मूल आधार रहे हैं। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति वृक्षों के नीचे ही हुई थी। भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण की प्राप्ति हुई, जो दर्शाता है कि प्रकृति न केवल जीवनदायिनी है बल्कि आत्मिक उत्थान का माध्यम भी है। भगवान महावीर ने भी वनों में घोर तपस्या करके अहिंसा और सत्य का संदेश दिया।

अगर मैं अपने राज्य के समृद्ध वन्य जीव के बारे में चर्चा करना भूल जाऊं तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। हालांकि दूसरे राज्यों के लोग सोचते होंगे कि राजस्थान मरू प्रदेश है, इसलिए वहां रेत के टीले होने चाहिए। लेकिन यह सच नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, "वन हैं तो हम हैं" इस तथ्य को हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए। वन एवं वन्यजीव संरक्षण हमारी संस्कृति है। सरिस्का बाघ परियोजना से सटा हुआ अलवर शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, आप ही की विधान सभा का डड़ीकर क्षेत्र एवं बूंदी जिले के रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व के भीमलत क्षेत्र के आस-पास की पहाड़ियों में अधिकांश पत्थरों (शिलाओं) पर अलग-अलग प्रकार की रॉक पेंटिंग उकेरी हुई है, जिनमें वन्यजीवों एवं मानव की आकृतियां बनी हुई है, जो कि हमारी संस्कृति को दर्शाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में वन्यजीव संरक्षण को विशेष महत्व देते हुए मेरे विभाग ने यह संकल्प लिया है कि वन्यजीव प्रजातियों को बचाने के साथ-साथ बढ़ाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएँगें। आई.यू.सी.एन. (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources)की रेड डेटा बुक में अंकित प्रजातियों को विलुप्त श्रेणी से बचाने के लिए हमारी सरकार ने विशेष पहल की है।

Ans/rtm 22.40 5g 10.03.2025

माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 03 मार्च, 2025 को सासन गिर, गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल की बैठक में गोडावण पर राज्य में किये जा रहे संरक्षण कार्य की सराहना की एवं राष्ट्रीय गोडावण संरक्षण एक्शन प्लान की घोषणा की। मैं यह सदन को बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री महोदय की मंशानुसार राजस्थान राज्य में राज्य पक्षी गोडावण की संख्या में अभिवृद्धि हेतु अतुल्य पहल की जा रही हैं। यह आई.यू.सी.एन. की रेड डेटा बुक में अंकित है एवं पूरे विश्व में यह केवल 150 की संख्या में बचे हैं, जिनकी अधिकांश संख्या राजस्थान में ही पाई जाती है। इस दिशा में वन विभाग राजस्थान सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून संयुक्त रूप से प्रयासरत है एवं सम तथा रामदेवरा में 2 कृत्रिम गोडावण प्रजनन केन्द्रों की स्थापना की गई।

मुझे यह बताते हुये गर्व होता है कि इसी दिशा में कैप्टिव ब्रीडिंग के अतिरिक्त कृत्रिम गर्भाधान तकनीकों का भी सफल प्रयोग किया जाकर, विलुप्त होते हुए गोडावण की संख्या में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है एवं वर्तमान में 44 गोडावण जीवित हैं।

हमारी सरकार द्वारा बजट वर्ष 2024-25 में गोडावण संरक्षण हेतु पहली बार रिवाइल्डिंग टनल का निर्माण करने की घोषणा की गई एवं मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने इस कार्य को प्रारम्भ कर दिया है एवं आगामी वर्ष तक हम गोडावण के चूज़े इसमें छोडकर इन्हें प्राकृतिक आवास में छोड़ने का महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, बाघ वन के बिना जीवित नहीं रह सकता और उसी प्रकार वन भी बाघ के बिना समाप्त हो जायेंगे। बाघ को, वन को बचाना होगा और वन को अपने बाघों को बचाना होगा। राज्य में बाघों के संरक्षण हेतु 5 बाघ परियोजना क्षेत्र है, परन्तु मैं सदन में उनके संरक्षण के संबंध में बोलने से पहले, उनके बारे में उल्लेख करना चाहूंगा, जिनके कारण इन क्षेत्रों में आज बाघ स्वच्छंद विचरण कर रहें हैं एवं उनकी संख्या में अभिवृद्धि हो रही हैं

बाघ संरक्षण में जुड़े हमारे वन विभाग स्टाफ के अग्रिम पंक्ति के वन कर्मी जो मां दुर्गा के वाहन को बचाने के लिए दिन-रात परिश्रम कर रहें हैं, मैं उनको नमन करता हूं। मैंने स्वयं इन क्षेत्रों में भ्रमण कर देखा है कि अत्यंत दुर्गम परिस्थितियों में एक माह में कम से कम 25 दिनों तक लगातार बाघ, बघेरा एवं अन्य वन्यजीवों के बीच न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं के साथ गर्मी, वर्षा एवं सर्दी के मौसम में, दूर-दराज स्थित चौकी/ नाका में रहकर अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। ऐसे सभी वन कर्मियों को इस सदन के माध्यम से मैं बहुत-बहुत सेल्यूट भी करता हूं और हार्दिक धन्यवाद भी देता हूं।

इसी दृष्टिकोण को मानवीय स्वरूप देकर हमारी सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में रणथम्भौर, सरिस्का, मुकुन्दरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी व धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व में स्थित चौकी, नाका एवं एन्टी पोचिंग कैम्प में मूलभूत सुविधाओं को विकसित किये जाने की घोषणा की गई है, जिसमें स्टाफ के लिए घने जंगल में किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस बाबत उक्त कार्यों पर 35 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान इस वर्ष रखा गया है।

बाघ परियोजना सरिस्का में विस्थापित हुये परिवारों ने बाघों के संरक्षण में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। मेरा यह मानना है कि अपने आवास को छोड़कर नये क्षेत्र में जाकर बसना किसी के लिये भी बलिदान स्वरूप कार्य है एवं इसके लिये में विस्थापित परिवारों को बाघ संरक्षण हेतु इस योगदान के लिए नमन करता हूँ। विस्थापित परिवारों की आजीविका हेतु सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र में नवाचार के तहत इन्हें बाघ मित्र के रूप में लगाया गया है। इनके द्वारा सरिस्का से पांडुपोल तक जा रहे पर्यटकों एवं दर्शनार्थियों द्वारा गाड़ी रोककर बाघ परियोजना क्षेत्र में किसी प्रकार की अवैध गतिविधि नहीं करने के संबंध में जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है।

राज्य के सभी बाघ परियोजना क्षेत्र में ग्राम विस्थापन होने के उपरान्त विस्थापित भूमि पर विस्थापित किये गये ग्रामीणों को गैर-खातेदारी हक मिलने से ग्रामीणों में विभाग के प्रति विश्वास बढ़ता हैं। हमारी सरकार ने विशेष पहल करते हुए हाल ही में तिजारा रूंध के कुछ विस्थापित परिवारों को गैर-खातेदार पत्र दिये जाने की कार्यवाही की गई। विस्थापित परिवारों को गैर खातेदारी पट्टे वितरित कर इस कार्य को हम निरन्तर जारी रखेंगे, जिससे विस्थापन प्रक्रिया को गति मिलेगी एवं विस्थापित परिवार के लोगों को मूलभूत सुविधाएं एवं प्रदेश की समस्त लाभकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल ही में रूंध क्षेत्रों की बाघ परियोजना सरिस्का एवं वनमण्डल अलवर अधीन 57 हजार 516.18 हैक्टेयर वन भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में वन

विभाग के नाम अमल-दरामद किया गया है। यह बहुत बड़ा काम हमारे जिला प्रशासन व वन विभाग द्वारा किया गया है।

अब मैं माननीय सदस्यगणों को अवगत कराना चाहूँगा कि प्रदेश के टाइगर रिजर्व्स में वर्ष 2024 से अब तक कुल 25 शावकों ने जन्म लिया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, 2024 से आज तक हमारे जितने भी टाइगर रिजर्व्स है उनमें 25 नये शावकों ने जन्म लिया है, इसके लिए भी ताली बजाओ।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष)ः जन्म लिया उसी दिन बधाई दे दी। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः इन्होंने पहले ही बधाई दे दी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष)ः जन्म लिया था तभी बधाई दे दी थी। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन)ः बाघों में genetic diversity बढ़ाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र से बाघिनों को ट्रांसलोकेट किया जाकर, राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व/मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में रिलीज किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में एनटीसीए के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य/महाराष्ट्र राज्य से 5 बाघिन, 2 बाघिन मध्यप्रदेश व 3 बाघिन महाराष्ट्र से मुकुन्दरा हिल्स एवं रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में ट्रांसलोकेशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रे-बेस एवं आश्रय संबंधी अनुकूल परिस्थितियाँ बनाने के उपरांत इस कार्य को पूर्ण किया जायेगा। यह राजस्थान में प्रथम अंतर्राज्यीय बाघ ट्रांसलोकेशन की योजना होगी। जो केवल और केवल माननीय हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लाल जी के दिशा-निर्देशन पर ही सम्भव हो पा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में मानव-वन्यजीव संघर्ष एक ज्वलंत विषय है। राज्य के बाघ संरक्षित क्षेत्रों के अतिरिक्त वन्यजीव अभयारण्यों, कंजर्वेशन रिजर्व्स तथा प्रादेशिक वन क्षेत्रों में प्रे-बेस में कमी है। इस कारण बघेरा एवं अन्य मांसाहारी वन्यजीव नजदीकी गांव के मवेशियों को अपना शिकार बनाते है, जिससे आमजन में उनके मवेशियों को हानि होने पर आक्रोश उत्पन्न होता है। अभी हाल ही में उदयपुर के गोगुन्दा क्षेत्र में बघेरे द्वारा गांव में घुस जाने से काफी विषम स्थितियां उत्पन्न हुई थी।

इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु हमारी सरकार ने इस विषय पर गंभीर होकर संवेदनशीलता से विचार करते हुये, वर्ष 2025-26 के बजट में वन्यजीव अभयारण्यों, कंजर्वेशन रिजर्व तथा प्रादेशिक वन क्षेत्रों में प्रे-बेस को बढाने के लिए 30 करोड़ रूपये की लागत से 20 Prey-base Augmentation Enclosures स्थापित करने की घोषणा की है। प्रे-बेस को एनक्लोजर में रखा जाकर इनकी संख्या में पर्याप्त वृद्धि होने पर खुले जंगल में छोड़ा जायेगा। इससे वन क्षेत्रों में बघेरा, जरख इत्यादि को पर्याप्त भोजन मिलने से उनके वन क्षेत्र से बाहर आने की समस्या कम होगी तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। मानव-वन्यजीव संघर्ष में वन्यजीवों को समय पर रेस्क्यू करने हेतु इस वर्ष प्रदेश में

05 रेस्क्यू वाहन मय उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु भी बजट में घोषणा की गई है।

हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय के नेतृत्व में वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में वन्यजीव के क्षेत्रों में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर United Nations द्वारा निर्धारित Sustainable Development Goals को अर्जित करने के लिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान- भरतपुर, सरिस्का बाघ परियोजना एवं रणथंभौर बाघ परियोजना क्षेत्रों में SDG 7 : "Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all." तथा SDG 13: "Take urgent action to combat climate change and its impacts by regulating emissions and promoting developments in renewable energy." के तहत EVs (इलेक्ट्रिक व्हीकल) संचालन कराने का निर्णय लिया है। पक्षियों के लिए स्वर्ग माने जाने वाला वेटलैण्ड UNESCO एवं RAMSAR Site, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना)- भरतपुर में पूर्व में संचालित ई-रिक्शा एवं गोल्फ कार्ट के साथ साथ ई-साइकल की भी शुरूआत की गई है। इसके अलावा सरिस्का गेट एवं टहला गेट से पाडुपोल हनुमान मंदिर तक दर्शनार्थियों के लिए तथा रणथंभौर में शेरपुर तिराहे से त्रिनेत्र गणेश जी तक EVs (इलेक्ट्रिक व्हीकल) संचालन कराने के लिए उचित दिशा में प्रयास किया जा रहा है। इससे भविष्य में दर्शनार्थियों को एक सुखद अनुभव के साथ-साथ बाघ परियोजना क्षेत्र में प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने में बहुत बड़ा कदम सिद्ध होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से मैं इस सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि तालछापर वन्यजीव अभयारण्य, जिला चूरू में क्षमता Carrying capacity से अधिक कृष्णमृग होने के मद्दे नजर कृष्णमृगों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया। जसवंतगढ़ में 450 हैक्टेयर वन भूमि पर ग्रासलैण्ड सुधार का कार्य किया जाकर, अभी हाल ही में मेरे विभाग द्वारा विभिन्न चरणों में 22 कृष्णमृगों को तालछापर वन्यजीव अभयारण्य से राजस्थान के जसवंतगढ़ ग्रासलैण्ड में स्थानान्तरित किया गया। यह हर्ष का विषय है कि ट्रांसलोकेशन की इस प्रक्रिया में बिना किसी कृष्णमृग की क्षति के वाईल्ड से वाईल्ड में कृष्णमृगों का पहली बार सफलतापूर्वक ट्रांसलोकेशन किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा चीतों के स्वच्छन्द विचरण हेतु अनुकूल आश्रय स्थल का वैज्ञानिक मापदण्डों के अनुसार कूनो-गांधीसागर लैण्डस्केप का निर्धारण किया गया है जिसमें मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में 17 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। मध्य प्रदेश में 10 हजार 500 वर्ग किलोमीटर एवं राजस्थान में 6 हजार 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। पूर्व में कूनो से कुछ चीतों को छोड़ने पर राजस्थान की सीमा में तीन बार चीते विचरण करते हुये प्रवेश कर गये, जिन्हें ट्रेंक्युलाइज किया जाकर पुनः कूनो में ले जाया गया।

VPS-RTM-10.03.2025-22.50-5h

मैं यह सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने पहल कर

मध्यप्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री से मुलाकात कर भोपाल में चर्चा की कि राजस्थान में चीतों के स्वच्छंद विचरण हेतु उपयुक्त वातावरण बनाया जाये जिससे चीतों के राजस्थान में प्रवेश करने पर चीतों के लिए उपयुक्त आश्रय स्थल मिल सके एवं भविष्य में यहां के निवासी भी अपने प्रदेश में चीतों का दीदार कर सकें। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में गांधी सागर अभयारण्य, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य-चित्तौडगढ एवं चम्बल अभयारण्य को कूनो नेशनल पार्क से जोड़ते हुए चीते के विचरण हेतु कोरिडोर एवं सफारी बनाने के लिए मध्यप्रदेश के साथ MoU करते हुए feasibility study करवाये जाने की घोषणा की गयी।

मैं यह सदन को सूचित करना चाहता हूं कि feasibility study हेतु एम.ओ.यू. बनाने का कार्य पूरा हो चुका है एवं शीघ्र ही दोनों राज्यों के मध्य हस्ताक्षर किये जाएंगे। जिसके उपरांत भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा आश्रय स्थल का परीक्षण एवं प्रे-बेस का आकलन इत्यादि किया जाकर आश्रय स्थल सुधार कार्य जिसमें ग्रासलैंड डवलपमेंट कार्य इत्यादि किया जायेगा।

सासन गिर, गुजरात में दिनांक 03.03.2025 को आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल की बैठक में माननीय प्रधान मंत्री महोदय द्वारा देश में घडियाल संरक्षण की दिशा में नई परियोजनाओं की घोषणा की है। जैसा कि माननीय सदस्यगणों को विदित है कि चम्बल घड़ियाल संरक्षण हेतु भारत में सबसे प्रमुख एवं अनुकूल आश्रय के रूप में जाना जाता है तथा इसकी सुरक्षा राज्य की विशेष प्राथमिकता है। मैं यह सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने 19 फरवरी, 2025 को राजस्थान विधान सभा में घडियाल संरक्षण के लिए सवाई माधोपुर में पालीघाट के निकट घड़ियाल रियरिंग सेन्टर (Ghariyal Rearing Centre) स्थापित करने की घोषणा की है।

सवाई माधोपुर-करौली क्षेत्र में सियागोश प्रजाति (कैरेकल) के वन्यजीव पाये जाते हैं, जो कि आज के समय में विलुप्त होते जा रहे हैं। इस संबंध में भी हमारी सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में स्थानीय समुदाय एवं विशेषज्ञों की सहायता से सियागोश प्रजाति के संरक्षण एवं संवर्धन करने की घोषणा की गई है। विलुप्त होती सियागोश प्रजाति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान से एक अध्ययन करवाया जायेगा जिससे उक्त प्रजाति की संख्या में बढ़ोतरी की कार्ययोजना बनायी जा सके। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ...(व्यवधान)...

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): वन एवं वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों के प्रति जागरूकता एवं लगाव बढ़ाने के लिए अपनी नई पीढ़ी को, खासतौर से छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करना अत्यंत आवश्यक है। बाघ परियोजना क्षेत्रों में "बाघ रक्षक कार्यक्रम" के अंतर्गत रणथंभौर टाइगर रिजर्व में दिनांक 21.01.2024 को शुभारंभ किया गया। बाघ रक्षक कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 74 विद्यालयों के 4500 से अधिक विद्यार्थियों को निःशुल्क भ्रमण कराया

गया। इसी तरह सरिस्का टाइगर रिजर्व में भी माह फरवरी, 2025 में स्कूल के लगभग 120 बच्चों को जंगल भ्रमण कराया गया तथा वन एवं वन्य जीव (बाघ, बघेरा, भालू, चीतल, सांभर) की जानकारी दी जाकर बाघ संरक्षण हेतु जागरूक किया गया।

प्रदेश में कंजर्वेशन रिजर्व्स में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रवेश शुल्क में कमी की गयी है जिससे कि इन क्षेत्रों में भी पर्यटन को बढावा मिलेगा।

पानी मंगाना। साथ ही, प्रदेश में स्थित वन्यजीव क्षेत्रों के बाहर ईको टूरिज्म स्थलों के लिए शुल्क निर्धारित कर टिकट की व्यवस्था शुरू की गयी है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)...

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जयपुर में 30 हैक्टेयर क्षेत्र में टाईगर सफारी विकसित की गई है। जिसका लोकार्पण दिनांक 07.10.2024 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा किया गया है।

अध्यक्षजी, पानी की व्यवस्था करा दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कह दिया, ला रहे हैं। ला रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप बैठ जाओ। ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये। आप टेबल कर दो। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप मेरी बात सुनें। पहले आप विराजो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: हरिमोहनजी, बैठिये। हरिमोहनजी, बैठिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप बैठिये। जब दिन भर पढ़ रहे थे, तब कहां गये थे? तब अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था न कि पढ़ा हुआ मान लिया जाये। ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मेरी जितनी उम्र हो जायेगी तो आप ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक नहीं है। यह क्या बात हुई? ...(व्यवधान)...

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): बाबूजी, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिये।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, नाहरगढ़ जैविक उद्यान में बाघिन रानी द्वारा दिनांक 10.05.2024 को जन्मे शावकों की देखभाल नहीं करने पर, उनकी उद्यान प्रशासन द्वारा ...(व्यवधान)...

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एक मिनट रुको। पहले आप पानी पीजिए। पानी आ गया। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: पानी आ गया। ...(व्यवधान)...

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आराम से, आराम से। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मानवता भी नहीं है।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आराम से, आप धीरे-धीरे एक-एक पेज बोलकर रख दो। ...(व्यवधान)...

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप शॉर्ट में कर लो। ...(व्यवधान)...

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप तेज मत बोलो, धीरे-धीरे बोलो। ...(व्यवधान)...

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि राजस्थान राज्य में पहली बार अभेडा बॉयोलोजिकल पार्क, कोटा में न्यूनतम मानवीय दखल के साथ पाले गये दो शावकों को, ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा कर देता हूं क्योंकि मेरे को अब चक्कर आ रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप घोषणाएं कर दो। बाकी हो तो रख दो। जो कर सकते हो, आप करो, बाकी रख दो।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप टेबल कर दो न, जरूरी थोड़े ही है। ...(व्यवधान)...

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में पुलिस कल्याण कोष की तर्ज पर वन विभाग में भी वनकर्मी कल्याण कोष बनाने की कार्यवाही की जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सारा टेबल ही कर देता हूं क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप टेबल कर दो। टेबल कर दो। आप विराजो। आप केवल मांग पारित की जाये, यह एक वाक्य कह दो। मांग पारित की जाये, एक वाक्य कह दो, बस। आप बैठे-बैठे ही बोल दो। ...(व्यवधान)...

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 45 पारित की जाये।

(तदनंतर श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन) द्वारा अपना शेष भाषण टेबल किया गया।)

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

मांग संख्या 56- उद्योग का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 56- उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,96,04,18,000/- (ग्यारह अरब छियानवे करोड़ चार लाख अठारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 45- वन एवं पर्यावरण का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45- वन एवं पर्यावरण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,27,16,30,000/- (इक्कीस अरब सत्ताईस करोड़ सोलह लाख तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 11 मार्च 2025 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 22.57 बजे मंगलवार, दिनांक 11 मार्च 2025 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

...

परिशिष्ट 1

अनुदान की मांग संख्या 56 – उद्योग पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 56 - उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री राजेन्द्र (वि.सं.128)

1. विधान सभा क्षेत्र महवा के गांव समलेटी में रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने तथा प्रदूषण रहित उद्योग स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं.94)

2. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में उद्योगों की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं.159)

3. ब्यावर जिले में राईजिंग राजस्थान के अधिक से अधिक उद्योग रीको क्षेत्र में लगाकर रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. जसवंत सिंह यादव (वि.सं.61)

4. प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु आमजन को प्रोत्साहन/नवाचार की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।
5. प्रदेश में रीको क्षेत्रों को विकसित करने तथा लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।
6. प्रदेश के उद्योगों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिलाने हेतु नीति निर्धारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. प्रदेश में उद्योगों से सी.एस.आर. से मिलने वाले फण्ड का उपयोग स्थानीय क्षेत्र के विकास हेतु करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
8. नवगठित जिला मुख्यालय कोटपूतली बहरोड में जिला उद्योग कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रमेश खींची (वि.सं.125)

9. खेड़ली क्षेत्र में पुराने रीको क्षेत्र की पुन:स्थापना/संचालन करने एवं स्वीकृत नवीन औद्योगिक क्षेत्र को शीघ्र संचालित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं.190)

10. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में रीको की आवंटित भूमि एवं नई आरक्षित की जाने वाली भूमि के विवरण के साथ रीको क्षेत्र मोकलसर एवं समदडी की सड़कों का विस्तार एवं आवंटित प्लॉट के विकास हेतु उद्योग स्थापित करने की तय समय सीमा के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं.190)

11. जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए दिए जाने वाले ऋण की श्रेणी निर्धारित करने एवं ऋण लेने की समस्त प्रक्रिया के संबंध में चर्चा के लिए।
12. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के छोटे-छोटे गृह उद्योग जैसे-जूती बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने, लकड़ी के औजार, लोहे के औजार, सोने के आभूषण, पापड़ निर्माण आदि को उद्योग की श्रेणी में लेकर उनके विकास की योजनाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
13. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सी.एस.आर. फण्ड की राशि से विकास कार्य करवाए जाने के साथ, विगत पांच वर्षों में सी.एस.आर. फण्ड के कार्य की समीक्षा एवं सी.एस.आर. फण्ड में विधायक की सहमति से कार्य करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
14. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में 'राईजिंग राजस्थान' के तहत उद्योग स्थापित करने के संबंध में हुए एमओयू के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं.150)</u>

15. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में प्रस्तावित दुर्जनपुरा-नवलगढ़ एवं डूंडलोद-मुकुन्दगढ़ रीको क्षेत्र को विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री हरिसिंह रावत (वि.सं.193)</u>

16. विधान सभा क्षेत्र भीम के औद्योगिक क्षेत्र बग्गड़ में फैक्ट्रियां स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री ललित मीना (वि.सं.142)</u>

17. किशनगंज-शाहाबाद के रीको क्षेत्र खुशियार एवं गुवाड़ी में सड़क, बिजली एवं पानी की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रेवन्तराम डांगा (वि.सं.189)</u>

18. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के कुचेरा में कृषि यंत्र उद्योग को सरकारी प्रोत्साहन देकर विकसित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
19. नागौर जिले के पारम्परिक उद्योगों को सरकारी संरक्षण देकर प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
20. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में नए रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
21. नागौर जिले के टांकला के कलात्मक दरी उद्योग को सरकारी संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान कर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं.54)</u>

22. आहोर उपखण्ड मुख्यालय पर रीको औद्योगिक क्षेत्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
23. विधान सभा क्षेत्र आहोर में रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की क्रियान्विति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अतुल भंसाली (वि.सं.3)</u>

24. जोधपुर एवं पश्चिमी राजस्थान के उद्योगों को वैश्विक मंदी का सामना करने एवं उद्योग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।
25. जोधपुर में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में हैवी लोड ट्रकों का भार सहन करने की क्षमता वाली सी.सी. रोड़ बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
26. राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी के बिन्दु संख्या-5.6.1 की अनुपालना के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (वि.सं.51)</u>

27. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के मांदलदा में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।
28. प्रदेश में नवीन लघु उद्योग स्थापित करने हेतु कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री हाकम अली खां (वि.सं.197)</u>

29. प्रदेश में रीको द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं नए उद्योग लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रोहित बौहरा (वि.सं.139)</u>

30. प्रदेश में रीको द्वारा रीको चार्जेज की वन टाईम सैटलमेन्ट स्कीम लाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
31. प्रदेश में रीको द्वारा भूमि पर 35 प्रतिशत बिल्डिंग ही बनाने के नियम में छूट प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रामकेश (वि.सं.133)</u>

32. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में उद्योग स्थापित करने तथा गंगापुरसिटी में उद्योग स्थापित करने में आ रही कठिनाइयों के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री सोहन लाल नायक (वि.सं.186)</u>

33. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के ब्लॉक श्रीविजयनगर में रीको की घोषणा की क्रियान्विति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री संजय कुमार (वि.सं.169)</u>

34. प्रदेश में धौलपुर स्टोन को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)</u>

35. प्रदेश के सीएसआर प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक समूहों से प्राथमिकताओं के अनुसार आधारभूत सुविधाओं का सृजन और संवर्द्धन के लिए नियमित बैठकें आयोजित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)

36. कम्पनी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति, नियम संख्या 2014 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार सीएसआर समिति में लिए गए निर्णयों के आधार पर व्यय राशि का ऑडिट कराने जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. कोटा जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों के लिए देय मूलभूत सुविधाओं के अभाव को दूर किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. राजस्थान एन्टरप्राईजेज सिंगल विण्डो एनेबलिंग एण्ड क्लियरेन्स अधिनियम, 2011 में पंजीकृत आवेदन पत्रों की मंजूरी में हो रहे विलम्ब को शीघ्र निस्तारित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. कोटा में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कोटा डोरिया के उत्पाद को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने की कार्य योजना के अन्तर्गत कार्यशाला एवं सेमिनार आयोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. प्रियंका चौधरी (वि.सं.96)

40. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए जिला मुख्यालय के आस-पास नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में जिला मुख्यालय स्थित औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उचित पहुंच मार्ग सुनिश्चित करने के लिए चामुण्डा चौराहे से सिणधरी रोड के समीप रिंग रोड तक लगभग 04 किलोमीटर की लम्बाई एवं 10.00 मीटर चौड़ाई की सड़कों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में जिला मुख्यालय पर स्थित रीको के उप इकाई कार्यालय को इकाई कार्यालय में परिवर्तित करवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

कुमारी रीटा चौधरी (वि.सं.138)

43. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा के मलसीसर रीको औद्योगिक क्षेत्र के विकसित होने के बाद भी प्रारम्भ नहीं करने से उत्पन्न स्थिति एवं ब्लॉक मण्डावा में रीको क्षेत्र स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम बैरवा (वि.सं.131)

44. विधान सभा क्षेत्र निवाई के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से नए उद्योग स्थापित कर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हंसराज मीना (वि.सं.188)

45. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाकर नए उद्योग एवं कम्पनियां स्थापित किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री श्रवण कुमार (वि.सं.167)

46. झुन्झुनूं जिले के हैडक्वार्टर पर नए उद्योग लगाने तथा रीको की भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को शीघ्रातिशीघ्र हटाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री उदयलाल भडाणा (वि.सं.22)

47. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में नए उद्योगों की स्थापना एवं सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी/प्रोत्साहन राशि के संबंध में चर्चा के लिए।

48. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में उद्योगों द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

50. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में उद्योगों द्वारा किए गए विकास कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में उद्योगों द्वारा काले एवं दूषित पानी को नदियों में छोड़े जाने की समस्या को दूर करने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं.192)

52. प्रदेश में रीको द्वारा पूर्व में आवंटित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिए गए प्लाटों पर होटल शुरू करने वालों को उद्योग का दर्जा दिए जाने एवं नियमित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

53. बून्दी में स्वीकृत स्टोन पार्क हेतु भूमि का चयन और उचित बजट प्रावधान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

54. प्रदेश में 'राइजिंग राजस्थान' के अन्तर्गत 35 लाख करोड़ रूपए के हुए विभिन्न एमओयू को धरातल पर अमली जामा पहनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

55. प्रदेश में जे.के. सिन्थेटिक्स की लीज भूमि एवं मैसर्स अराकत पैट्रो केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा एमओयू की शर्तों का उल्लंघन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

56. जे.के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड और मैसर्स अराकत पैट्रो केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के मध्य फैक्ट्री चालू करने, मजदूरों का बकाया भुगतान देने और उन्हें सेवा में लेने के लिए हुए एग्रीमेन्ट की अनुपालना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (वि.सं.50)

57. विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम के उपखण्ड नादौती एवं तहसील बालघाट में रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने तथा प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के संबंध में चर्चा के लिए।

58. विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम में स्वीकृत रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना तथा 'राईजिंग राजस्थान' के तहत प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.4)</u>

59. अजमेर जिले में प्रचूर मात्रा में उपलब्ध फैल्सपार को गुजरात जाने से रोकने तथा सैरेमिक टाइल्स उद्योग से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों के प्रोत्साहन हेतु नई नीति बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.4)</u>

60. प्रदेश में नए स्थापित उद्योगों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं श्रमिकों को निश्चित प्रतिशत में नियोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. अजमेर जिले में औद्योगिक क्षेत्र गेगल में पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. किशनगढ़ (अजमेर) में टैक्सटाईल एवं पावरलूम उद्योग को पुन:जीवित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. प्रदेश में मध्यम एवं लघु उ़द्योगों के लिए बढ़ाए गए बिजली कनेक्शन पर फिक्स चार्ज को समाप्त किए जाने की विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अमीन कागजी (वि.सं.9)</u>

64. प्रदेश में 'राईजिंग राजस्थान 2024' के तहत हुए एमओयू एवं राजस्थान सरकार द्वारा किए गए खर्च के संबंध में चर्चा के लिए।

65. प्रदेश में 'राईजिंग राजस्थान 2024' के तहत हुए आयोजन के औचित्य के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री मांगेलाल मीना (वि.सं.117)</u>

66. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के राजस्व गांव धौराला, तहसील रैणी (अलवर) में रीको औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ की तहसील लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री जब्बर सिंह सांखला (वि.सं.57)</u>

68. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के मोड का निम्बाहेड़ा में सिरेमिक जोन इण्डस्ट्री की घोषणा की क्रियान्विति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं.17)</u>

69. भीलवाड़ा के टेक्सटाइल पार्क को पीएम मित्र योजना में लेने के संबंध में चर्चा के लिए।
70. भीलवाड़ा जिले में सिरेमिक पार्क की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।
71. प्रदेश में उद्योगों के लिए विद्युत एमनेस्टी योजना पर चर्चा के लिए।
72. भीलवाड़ा स्थित जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा स्टील प्लान्ट की स्थापना पर चर्चा के लिए।
73. जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा नगर निगम से किए गए अनुबंध में देय राशि को सीएसआर फण्ड में दर्शा कर Wrong Tax Practice करने पर चर्चा के लिए।

<u>श्री महेन्द्र पाल मीना (वि.सं.115)</u>

74. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थापित रीको औद्योगिक क्षेत्र में लगे हुए उपकमों के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री महेन्द्रपाल मीना (वि.सं.115)</u>

75. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नए उद्योग स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।
76. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में धुंए से होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं.19)</u>

77. प्रदेश में स्थापित उद्योग धंधों में स्थानीय शिक्षित बेराजगार युवाओं को योग्यतानुसार रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
78. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के सेड़वा कस्बे में रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
79. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाने, विकसित करने एवं रीको क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
80. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में हस्तशिल्प, हैण्डीक्राफ्ट एवं हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने तथा उनके संरक्षण तथा संवर्धन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
81. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में महिला शिल्पकारों को प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अरूण चौधरी (वि.सं.11)</u>

82. बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र में पावरलूम की नई इकाइयों को स्थापित कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
83. बालोतरा के रीको औद्योगिक क्षेत्रान्तर्गत शेष रहे भाग में सीमेंट की रोड बनाने, नाला बनाने एवं बिठुजा के औद्योगिक क्षेत्र में रोड़ बनाने एवं रोड लाईट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र में 6 एमएलडी क्षमता का जेडएलडी संयंत्र, बालोतरा रीको चतुर्थ चरण में 8 एमएलडी क्षमता का सीईपीटी मय जेडएलडी संयंत्र एवं बिठूजा में संचालित सीईटीपी को जेडएलडी तक बनाए जाने हेतु आर्थिक सहायता की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. बालोतरा स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र के चतुर्थ चरण के अन्तर्गत पत्रावलियों का निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र के चतुर्थ चरण के अन्तर्गत आवंटित भूखण्डों के द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किए जाने पर विभाग द्वारा एक अंतिम अवसर का नोटिस दिया जाकर उनको एक साल की छूट देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.80)</u>

87. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में उद्योगों के लिए पाईप लाईन द्वारा गैस आपूर्ति के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एवं औद्योगिक गतिविधियों के विविधीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.80)</u>

89. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद एवं जिले में नव उद्यम प्रवर्तन (स्टार्टअप) को प्रोत्साहन देने की प्रगति एवं आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर योजना के अन्तर्गत राजसमंद-भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में कुरज औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास एवं नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अतुल भंसाली (वि.सं.3)</u>

92. जोधपुर में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार एवं औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा विकास की कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. जोधपुर के टैक्सटाईल्स, हैण्डलूम, हैण्डीक्राफ्ट्स उद्योगों के लिए विशेष संबलन एवं प्रोत्साहन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री देवेन्द्र जोशी (वि.सं.82)</u>

94. विभाग के समस्त कार्यालयों में विभागीय जांच के लम्बित रहने के कारणों के जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई कर लम्बित प्रकरणों के निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अमीन कागजी (वि.सं.9)</u>

95. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में विख्यात हाथ कागज उद्योग के उत्थान के संबंध में चर्चा के लिए।

96. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में रीको द्वारा लाए जा रहे औद्योगिक क्षेत्र निमोड़िया/कुक्कड़ के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री भीम राज भाटी (वि.सं.107)</u>

97. विधान सभा क्षेत्र पाली में टैक्सटाईल उद्योग के अलावा अन्य उद्योग लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

98. पाली शहर में निम्बली पटेलान रीको औद्योगिक क्षेत्र में कृषि भूमि के अधिग्रहण करने एवं उचित मुआवजा दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री मनोज कुमार (सुजानगढ) (वि.सं.112)</u>

99. सुजानगढ़ शहर में या शहर के आस-पास नया रीको एरिया स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री रामस्वरूप लाम्बा (वि.सं.136)</u>

100. नसीराबाद के ट्रांसपोर्ट से संबंधित उद्योगों को सरकारी प्रोत्साहन एवं संरक्षण देकर प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के बेवन्जा रीको क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के ग्राम कालेसर में नवीन औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्डों का आवंटन एवं विकसित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती शोभारानी कुशवाह (वि.सं.166)</u>

103. धौलपुर रीको औद्योगिक क्षेत्र में बंद पड़ी फैक्ट्रियों एवं उसमें महिलाओं की भागीदारी के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री थावर चन्द (वि.सं.75)</u>

104. प्रदेश के उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार में 75 प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में चर्चा के लिए।

105. विधान सभा क्षेत्र धरियावद में छोटे-छोटे लघु उद्योग स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र धरियावद में नया औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री संदीप शर्मा (वि.सं.172)</u>

107. कोटा में स्टोन मंडी के बजाय स्टोन पार्क बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री कंवरलाल (वि.सं.26)</u>

108. विधान सभा क्षेत्र अंता की नगरपालिका अंता क्षेत्र में रीको एरिया स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं.72)</u>

109. सूरतगढ़ शहर में जिला उद्योग एवं वाणिज्यिक उप केन्द्र तथा रीको इकाई कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. श्रीयादे माटी कला बोर्ड को सशक्त बनाने हेतु कनिष्ठ लेखाकार पूर्णकालिक रूप से पदस्थापित करने एवं बोर्ड के बजट को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. प्रदेश में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के तहत ऋण तथा सब्सिडी दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. प्रदेश में दस्तकारी/शिल्पकार जातियों को बिना ब्याज एवं सब्सिडी सहित ऋण दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अर्जुन लाल जीनगर (वि.सं.13)</u>

114. प्रदेश में छोटे-छोटे घरेलू उत्पादों के आधार पर उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

115. प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने के लिए रीको को निःशुल्क भूमि दिलवाने एवं छोटे-छोटे उद्योग लगाने के लिए सस्ती दर पर भूखण्ड उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिए।

116. चित्तौड़गढ़ के दरिबा और चन्देरिया में संचालित हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के संबंध में चर्चा के लिए।

117. विधान सभा क्षेत्र कपासन में बड़ा उद्योग लगवाने के लिए सरकार द्वारा कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>सुश्री नौक्षम (वि.सं.86)</u>

118. विधान सभा क्षेत्र कामां में नियम विरूद्ध चल रहे क्रेशर उद्योगों पर कार्रवाई करने के संबंध में चर्चा के लिए।

119. विधान सभा क्षेत्र कामां में लघु उद्योगों हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में शेष रहे लोगों की राशि जारी किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

120. विधान सभा क्षेत्र कामां के रीको क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

121. विधान सभा क्षेत्र कामां में स्थानीय पर्यटन को पर्यटन उद्योग का दर्जा दिए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री कालीचरण सराफ (वि.सं.30)</u>

122. जयपुर के रीको औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

123. प्रदेश में होटल इण्डस्ट्री को उद्योग का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की पुख्ता व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. प्रदेश में उद्योगों के लिए सस्ती बिजली एवं पानी की उपलब्धता का स्थाई प्लान तथा मजबूत कनेक्टिविटी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की मजबूती के संबंध में चर्चा के लिए।

126. जयपुर के सुदर्शनपुरा औद्योगिक क्षेत्र को घनी आबादी के बीच होने के कारण अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गणेशराज बंसल (वि.सं.40)</u>

127. हनुमानगढ़ के चक 14 एस.एस.डब्ल्यू. (ग्राम-कोहला) में 112.243 हैक्टेयर भूमि में प्रस्तावित रीको औद्योगिक क्षेत्र की वर्ष 2009 से प्रकियाधीन अवाप्ति की कार्रवाई पर चर्चा के लिए।

<u>श्री देवी सिंह शेखावत (वि.सं.81)</u>

128. प्रदेश में औद्योगिक संभावनाओं तथा औद्योगिक विकास हेतु अन्य विभागों के साथ समन्वय करने हेतु ब्लॉक स्तर पर उद्योग विभाग में अधिकारी की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

129. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में उद्योगों के लिए भूमि चिन्हित कर कार्य योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

130. कोटपूतली-बहरोड़ में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र तथा रीको ऑफिस खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

131. अलवर जिले में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कम्पनियों की सीएसआर राशि जिले के प्रत्येक ब्लॉक में आनुपातिक रूप से खर्च करने के संबंध में चर्चा के लिए।

132. अलवर स्थित उद्योगों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री प्रशान्त शर्मा (वि.सं.95)</u>

133. विधान सभा क्षेत्र आमेर स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में पुरानी सड़कों के पुनरूद्धार एवं अन्य सुविधाएं विकसित करने हेतु चर्चा के लिए।

<u>श्री धर्मपाल (वि.सं.83)</u>

134. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के ग्राम श्री अशोक नगर (बबाई) में स्थापित नवीन रीको औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक इन्वायरमेंट क्लीयरेंस (ईसी) जारी करवाने, उक्त ग्राम की भूमि खसरा नं. 1452/1264 कुल रकबा 213.61 हैक्टेयर में से 147.00 हैक्टेयर भूमि का भौतिक कब्जा दिलवाने तथा विभिन्न औद्योगिक

इकाइयों/उपक्रमों को स्थापित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

135. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के उद्योग क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हैण्डलूम और हैण्डीक्राफ्ट क्षेत्र का क्लस्टर विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

136. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड बंद होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

137. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में मिट्टी के बर्तनों/वस्तुओं के व्यवसाय से जुड़े कारीगरों यथा-कुम्हार/प्रजापत आदि को इलेक्ट्रिक चाक, मिट्टी गुदने के लिए मशीन उपलब्ध कराने हेतु सस्ती दरों पर लोन तथा लोन पर सब्सिडी की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

138. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए बुनकरों को सस्ती ब्याज दरों पर लोन एवं लोन पर सब्सिडी प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री गोपीचन्द मीणा (वि.सं.46)</u>

139. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में बजट घोषणानुसार पीपलूड, पन्डेर एवं रेडवास में उद्योग स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री मोतीराम (वि.सं.120)</u>

140. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के रीको औद्योगिक क्षेत्र, आबू रोड़ की बंद पड़ी विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को पुनः शुरू करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोरधन (वि.सं.47)</u>

141. विधान सभा क्षेत्र धोद को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर विकसित किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

142. प्रदेश के निजी औद्योगिक क्षेत्रों एवं विभिन्न कम्पनियों में एस.सी./एस.टी. को आरक्षण दिए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री जाकिर हुसैन गैसावत (वि.सं.62)</u>

143. प्रदेश में मकराना मार्बल से बनने वाले हैण्डीक्राफ्ट वस्तुओं को लघु उद्योग के रूप में विकसित करने तथा सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री जाकिर हुसैन गैसावत (वि.सं.62)</u>

144. मकराना में सेन्टर फॉर डवलपमेन्ट ऑफ स्टोन्स (सीडोस) द्वारा लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन एवं तकनीकी सहायता देने तथा वेस्ट मार्बल (पाउडर) का उपयोग नवीन तकनीकी से लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145. मकराना मार्बल उद्योग में मन्दी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

146. विधान सभा क्षेत्र मकराना में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147. नवगठित जिला डीडवाना-कुचामन में जिला उद्योग कार्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री उमेश मीणा (वि.सं.23)</u>

148. विधान सभा क्षेत्र आसपुर में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए गांवों में छोटे-छोटे उद्योग खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री राम सहाय वर्मा (रैगर) (वि.सं.132)</u>

149. विधान सभा क्षेत्र निवाई के दत्तवास में रीको औद्योगिक क्षेत्र घोषित होने के उपरान्त भी भूमि का आवंटन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

150. निवाई के सबसे बड़े मूल औद्योगिक क्षेत्र के आबादी में आ जाने के कारण शहर से बाहर नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर इकाइयों को शिफ्ट करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री सुखवंत सिंह (वि.सं.65)</u>

151. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में पूर्व में घोषित रीको औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं.176)</u>

153. झालावाड़ जिले में धागा उद्योग सहित बंद पड़े कई उद्योगों को पुर्नसंचालित किए जाने के लिए कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के पनवाड़ में चावल उद्योग के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

155. रीको द्वारा झालावाड़ जिले के खनन क्षेत्र आरोलिया, रूणजी, पिपलिया, नेहरावत, रूपपुरा आदि में स्टोन आधारित औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. झालावाड़ जिले में संतरा आधारित उत्पादों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. झालावाड़ जिले में थर्मल के नजदीकी सीमेंट उद्योग के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अमित चाचाण (वि.सं.8)</u>

158. नोहर के रीको औद्योगिक क्षेत्र में वंचित सड़कों, नालों का निर्माण, हाईमास्ट लाईट, रोड़ लाईट लगवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

159. नोहर के रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित चन्द्रशेखर खेल मैदान/स्टेडियम के विकास कार्य एवं निर्माण कार्य हेतु खेल मैदान को नगरपालिका, नोहर को हैण्डओवर करने के संबंध में चर्चा के लिए।

160. रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखण्डों के अन्य भू-उपयेाग परिवर्तन पर रीको के आदेश दिनांक 27.05.2019 द्वारा लगाई गई रोक से उद्यमियों को राहत प्रदान करते हुए रोक हटाने के संबंध में चर्चा के लिए।

161. रीको द्वारा राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक:प.10(4)कार्मिक/क-2/2023-08017 दिनांक 08.07.2024 के निर्देशानुसार वर्ष 2024-25 के लिए विभागीय पदौन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकें आयोजित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

162. राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के उद्यमियों को राहत प्रदान करने हेतु विभिन्न मदों में रियायत एवं छूट प्रदान करने के लिए पूर्व की भांति रीको एमनेस्टी स्कीम वर्ष 2025 में भी लाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डा. ऋतु बनावत (वि.सं.24)</u>

163. विधान सभा क्षेत्र बयाना में स्थित रीको क्षेत्र में कार्यरत इकाइयों से उत्पन्न स्लरी के कारण बंद पड़े नालों की सफाई, मरम्मत तथा बयाना रीको क्षेत्र में स्थित पार्क को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

164. भरतपुर जिले एवं विधान सभा क्षेत्र बयाना को एन.सी.आर. एवं टीटीजेड से मुक्त कर औद्योगिक वातावरण बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

165. विधान सभा क्षेत्र बयाना के रीको में सैण्ड स्टोन की स्लरी के निस्तारण हेतु डम्पिंग यार्ड के लिए भूमि की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

166. विधान सभा क्षेत्र बयाना के बयाना उपखण्ड में स्टोन पार्क की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

167. विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास में भिड़यारी, ग्राम पंचायत चैकोरा की एम.एल.143/1965 खनिज एरिया की लीज अवधि नहीं बढ़ाकर उक्त क्षेत्र को रीको के लिए घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री केसाराम चौधरी (वि.सं.35)</u>

168. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के रानी शहर में चल रहे उद्योगों के लिए औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

169. नवसृजित स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्र वरकाणा में मूलभूत सुविधाओं को पूर्ण कर एलॉटमेन्ट करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री मनीष यादव (वि.सं.111)</u>

170. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के बिशनगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं.48)

171. मनोहरथाना में नवीन लघु और कुटीर उद्योग लगाने हेतु कार्य योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

172. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में कोटड़ा धागा मील को शुरू करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (वि.सं.31)

173. विधान सभा क्षेत्र डग में उद्योग स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (वि.सं.101)

174. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में बालेसर मुख्यालय स्थित खनन उद्योगों के लिए उचित पहुंच मार्ग सुनिश्चित करने के लिए बालेसर से जाटी भाण्डू तक 12 किलोमीटर सड़क की चौड़ाईकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

175. प्रदेश में बिना पर्यावरण स्वीकृति (ई.सी.) एवं दिनांक 31.03.2025 को समाप्त हो रही अवधि में वृद्धि के कारण क्वारी लाइसेंसों को खण्डित किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

176. प्रदेश में उद्योगों से मिलने वाले सी.एस.आर. फण्ड का उपयोग स्थानीय क्षेत्र के विकास हेतु करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

177. खनन क्षेत्र बालेसर में स्टोन क्रेशर उद्योग से निकलने वाली डस्ट के उपयोग की संभावनाएं तलाश कर नए उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

178. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की नगरपालिका बालेसर सता मुख्यालय पर स्टोन मण्डी विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण (वि.सं.140)

179. रीको औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां लगाने एवं रोजगार सृजन करने तथा सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छोटूसिंह (वि.सं.55)

180. जैसलमेर ब्लॉक स्तरीय कार्यालय सृजन किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

181. जैसलमेर शहर में उद्योग विभाग कार्यालय का जीर्णोद्धार एवं चारदीवारी मरम्मत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

182. जैसलमेर जिले के मुख्यालय स्थित ग्रामीण हाट की जीर्ण-शीर्ण अवस्था का जीर्णोद्धार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जेठानन्द व्यास (वि.सं.66)

183. बीकानेर के रीको क्षेत्र में गन्दे पानी की समस्या के निवारण के संबंध में चर्चा के लिए।

184. बीकानेर पश्चिम में लघु उद्योग जैसे पापड़, बड़ी, भुजिया, मिठाई की टेस्टिंग हेतु अन्तर्राष्ट्रीय फूड टेस्टिंग लेब स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

185. प्रदेश में लघु व बड़े उद्योगों के लिए जमीन व ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

186. बीकानेर पश्चिम क्षेत्र में करमीसर से आगे बच्छासर रोड़ पर रीको द्वारा योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं.178)</u>

187. भरतपुर के निजी क्षेत्र में नया औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

188. बृज एवं रीको औद्योगिक क्षेत्र, भरतपुर में नालियों के निर्माण, सड़कों का नवीनीकरण तथा चौड़ाई बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

189. भरतपुर में इलेक्ट्रोनिक एवं आई.टी. हब की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती गीता बरवड़ (वि.सं.41)</u>

190. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के रीको एरिया में क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

191. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम हरिसिंह बासनी, घोडावट एवं खाटिया खंगार में रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं.126)</u>

192. विधान सभा क्षेत्र शिव में सीएसआर फण्ड के तहत राशि के व्यय की समीक्षा एवं जिला बाड़मेर की सीएसआर कमेटी में विधान सभा क्षेत्र शिव हेतु स्थानीय विधायक को मनोनीत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

193. विधान सभा क्षेत्र शिव में निजी उद्योग एवं कंपनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

194. बाडमेर जिले के बाखासर में सूखा बंदरगाह स्थापित किये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

195. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाएं विकसित करने एवं विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

196. विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय शिव पर स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाएं विकसित करने एवं विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री पितराम सिंह काला (वि.सं.88)</u>

197. नये औद्योगिक क्षेत्रों में एससी व एसटी के लिए रियायती दरों पर भूखण्ड उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अर्जुन लाल (वि.सं.12)</u>

198. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में रीको क्षेत्र के लिए कापरड़ा एवं झाक गांव में निर्माण कार्य प्रारंभ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

199. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के कापरड़ा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (S.E.Z.) को विकसित करने के लिए किये जा रहे प्रयासों में त्वरित कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

200. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में चूना एवं पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बोरून्दा, हरियाढाणा, रणसीगांव, झाक, मुरकासनी सम्बडिया, कालाऊना को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अर्जुन लाल (वि.सं.12)</u>

201. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के बिलाड़ा में सरसों, कपास, जीरा, सौंफ, मैथी इसबगोल, अरण्डी, अलसी की बहुतायत होने से बिलाड़ा को मसाला औद्योगिक केन्द्र घोषित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

202. विधान सभा क्षेत्र बिलाडा के पीपाड़ शहर को रीको औद्योगिक क्षेत्र घोषित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री संजीव कुमार (वि.सं.171)</u>

203. हनुमानगढ़ जिले में कृषि उत्पादों से संबंधित औद्योगिक इकाइयां स्थापित करवाने की दिशा में प्रेरित एवं प्रोत्साहित किए जाने हेतु किसानों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

204. हनुमानगढ़ जिले में किन्नू उत्पादन को देखते हुए ज्यूस निर्माण संबंधी औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करवाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

205. जिला हनुमानगढ़ में सरसों एवं कपास (कॉटन) के उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए कॉटन एवं ऑयल उद्योग को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिए।

206. जिला हनुमानगढ़ में अवैध रूप से चल रही औद्योगिक इकाइयों को बंद करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

207. विधान सभा क्षेत्र भादरा में अवैध रूप से चल रही पुराने टायर जलाकर अवशेष पदार्थ बनाने की फैक्ट्रियों को बंद करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री कैलाशचन्द्र मीणा (वि.सं.37)</u>

208. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी (बांसवाड़ा) में छोटे-छोटे उद्योग लगाकर जनजाति परिवारों को 100 प्रतिशत अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

209. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी (बासंवाड़ा) के पालादो, तलवाड़ा, भीम कुण्ड एवं रामकुण्ड में मार्बल पर्याप्त मात्रा में होने से उद्योग इकाई लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री लालाराम बैरवा (वि.सं.145)</u>

210. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र समेलिया में शीघ्र औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए योजना बनाने व मूलभूत सुविधाओं के विकास के संबंध में चर्चा के लिए।

211. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के फुलियां कला उपखण्ड मुख्यालय पर औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि आवंटन मार्केशन कर इसको शीघ्र विकसित कराने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री विनोद कुमार (वि.सं.153)</u>

212. हनुमानगढ़ में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

213. हनुमानगढ़ जिले में कृषि प्रसंस्करण आधारित इकाइयों की स्थापना की प्रबल संभावना को देखते हुए हनुमानगढ़ में एग्रो फूड पार्क की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री विनोद कुमार (वि.सं.153)</u>

214. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में औद्योगिक मेले एवं प्रदर्शनी के आयोजन हेतु ग्रामीण हाट की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

215. प्रदेश में उद्यमियों की भांति व्यापारी वर्ग को संबल प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा अनुदानित ऋण की योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अनिल कुमार शर्मा (वि.सं.5)</u>

216. चूरू जिले में ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) के तहत सोलर प्लांट लगवाने हेतु सब्सिडी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

217. चूरू जिले में ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) सोलर प्लांट लगाने के लिए कांट्रेक्ट डिमांड से दुगुनी किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने की अनुमति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री युनूस खान (वि.सं.121)</u>

218. जिला मुख्यालय डीडवाना में महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

219. जिला मुख्यालय डीडवाना में संचालित रीको को आवश्यक बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

220. जिला मुख्यालय डीडवाना में संचालित लवण इकाइयों को राजकीय उपक्रम में सम्मिलित कर विकसित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

221. जिला मुख्यालय डीडवाना में औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

222. जिला मुख्यालय डीडवाना में जिला उद्योग अधिकारी का पद सृजित कर भूमि व भवन की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री भागचन्द टांकड़ा (वि.सं.106)</u>

223. बांदीकुई-दौसा के पास इण्डस्ट्रीयल एवं लॉजिस्टिकल हब निर्माण हेतु जमीन आवंटित कर शिलान्यास करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

224. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कोलाना रीको एरिया का विस्तार के संबंध में चर्चा के लिए।

225. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के कोलाना रीको एरिया में आरएफसी द्वारा तेल मिल संचालकों को रीको प्रोपर्टी के साथ अन्य प्रोपर्टी के दस्तावेज के अभाव में ऋण नहीं देने के संबंध में चर्चा के लिए।

226. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के कोलाना रीको एरिया में रीको द्वारा प्लॉट के डिविजन नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री ललित यादव (वि.सं.143)</u>

227. प्रदेश में सीएसआर फण्ड स्थानीय विद्यालय की अनुशंषा पर विकास कार्यों हेतु खर्च करने के संबंध में चर्चा के लिए।

228. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के नीमराना, घिलोठ एवं कोलिला में स्थापित उद्योगों में स्थानीय निवासियों को रोजगार देने के संबंध में कानून बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं.113)</u>

229. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में रीको का विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

230. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के रीको क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं सुचारू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

231. रीको, सादुलपुर में आवंटित भूखण्डों पर उद्योग नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

232. रीको क्षेत्र, सादुलपुर में मण्डी टैक्स नहीं लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

233. प्रदेश के रीको में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं सब्सिडी तथा ऋण दिलाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री जयकृष्ण पटेल (वि.सं.116)</u>

234. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में बैंकों द्वारा उद्योगों को विगत पाँच वर्षों में स्वीकृत किए गए ऋण के संबंध में चर्चा के लिए।

235. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में उद्योगों में एससी-एसटी के व्यक्तियों को रोजगार दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

236. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में एक नवीन रीको की स्थापना तथा इसमें एससी-एसटी व ओबीसी की हिस्सेदारी के संबंध में चर्चा के लिए।

237. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में उद्योगों के लिए रीको स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

238. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा विगत पाँच वर्षों में उद्योग हेतु प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के संबंध में चर्चा के लिए।

परिशिष्ट 2

अनुदान की मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री कंवरलाल (वि.सं.26)

1. विधान सभा क्षेत्र अंता में आने वाले सारसन अभ्यारण्य को ईको ट्यूरिज्म के रूप में विकसित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं.94)

2. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के वन क्षेत्र में स्वीकृत सड़कों की एन.ओ.सी. दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं.159)

3. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के वन क्षेत्र में वन विभाग के अधिकारी लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. जसवंत सिंह यादव (वि.सं.61)

4. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में वन भूमि पर अधिकाधिक पौधारोपण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में वन भूमि पर अवैध खनन रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में सोतानाला औद्योगिक क्षेत्र, कारोड़ा औद्योगिक क्षेत्र व ग्लोबश श्यामपुरा इकाईयों से निकलने वाले रासायनिक पानी से किसानों की कृषि प्रदूषित होने के संबंध में चर्चा के लिए।
7. प्रदेश के वन क्षेत्र में पेयजल व बिजली लाईन तथा सड़क जैसे महत्वपूर्ण कार्यों हेतु वन भूमि से निकाले जाने के लिए अनापत्ति पत्र अथवा सरकार के स्तर पर समझौता (दोनों विभागों) करवाकर कार्य शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
8. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में सोतानाला औद्योगिक क्षेत्र, कारोड़ा औद्योगिक क्षेत्र व ग्लोबश श्यामपुरा इकाइयों से निकलने वाली प्रदूषित वायु से किसानों की फसलों के बर्बाद होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रमेश खींची (वि.सं.125)

9. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में वनीय क्षेत्र चक तपसी संध मैथना की चारदीवारी, किरोडी कुण्ड खोह में सड़क व चारदीवारी एवं टोडा में स्थित मुरना पर सड़क, चारदीवारी निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं.190)

10. मारवाड़ की मरूगंगा लूणी नदी को प्रदूषित किये जाने से उत्पन्न समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11. प्रदेश के वन क्षेत्र में बरसाती जल संरक्षण को लेकर विभाग द्वारा स्वयं के स्तर पर बांध/एनीकट निर्माण करवाने अथवा संबंधित विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करवाये जाने में सरलीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. हल्देश्वर पहाडी क्षेत्र में विभागीय प्रस्ताव ईको ट्यूरीजियम की योजना से कार्य के प्रस्तावों की स्वीकृति, बजट घोषणा 2024-25 को लागू करके वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

13. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के वन क्षेत्र में स्थित झीका-मालण (अन्नपूर्णा माताजी) प्रसिद्ध झरना को ट्यूरिज्म (पर्यटक) स्थल बनाये जाने एवं स्थल तक पहुंचने के लिए सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में ओरण-गोचर, सिवाय चक, वन भूमि, खाली भूमि पर विलायती बबूल को जड़ से निकालने के साथ मरूस्थल में कल्पवृक्ष (खेजड़ी) को ज्यादा से ज्यादा उन स्थानों पर वन विभाग द्वारा लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>**श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं.150)**</u>

15. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में श्री सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा पेड-पौधों को काटने से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>**श्री हरिसिंह रावत (वि.सं.193)**</u>

16. विधान सभा क्षेत्र भीम में वन विभाग की भूमि पर अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>**श्री अंशुमान सिंह भाटी (वि.सं.01)**</u>

17. प्रदेश में नये सोलर संयंत्र एवं अन्य ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु अनाधिकृत रूप से राज्य वृक्ष खेजडी की कटाई की रोकथाम में असफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

18. प्रदेश में वन विभाग द्वारा स्थानीय प्रजाति के पौधे जैसे-खेजड़ी, बोर, जाल, कुमठ, केर आदि के वृक्ष लगाने को प्रोत्साहन नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>**श्री ललित मीना (वि.सं.142)**</u>

19. किशनगंज शाहाबाद में नए क्लोजर कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति देने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>**श्री रेवन्तराम डांगा (वि.सं.189)**</u>

20. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के ताडावास, बेरावास में प्रस्तावित सीमेंट प्लांट के लिए काटे गए पेड़ों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सीमेंट कम्पनी से पौधारोपण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. हरित राजस्थान योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र खींवसर के अवर्गीकृत वन क्षेत्र को पौधारोपण कर विकसित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित मीना (वि.सं.142)

22. किशनगंज-शाहाबाद क्षेत्र में प्रधान मंत्री जन-मन के अन्तर्गत स्वीकृत सहरिया आवासों तक सड़क निर्माण की स्वीकृति वन विभाग द्वारा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

23. किशनगंज-शाहाबाद क्षेत्र में रामगढ़ करेटर की परिक्रमा हेतु वर्ष 2017-18 बजट में 10 करोड़ राशि की घोषणा के बावजूद अभी तक वन विभाग की स्वीकृति नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अतुल भंसाली (वि.सं.03)

24. जोधपुर शहर में जोजरी नदी में जाने वाले प्रदूषित पानी को ठीक करने हेतु ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट के लिए लगभग 175 करोड़ की योजना बजट के माध्यम से स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं.54)

25. विधान सभा क्षेत्र आहोर में पर्यावरण संरक्षण के लिए कचरा प्रबन्धन की व्यवस्था करने एवं बडे-बडे सोलर प्लान्ट लगाने में पर्यावरण का ध्यान नहीं रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

26. विधान सभा क्षेत्र आहोर में वन भूमि हेतु आरक्षित जमीन को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. विधान सभा क्षेत्र आहोर में पर्यावरण संरक्षण हेतु गांव सनवाडा में वृक्षारोपण करवाने के लिए मातृ वन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. विधान सभा क्षेत्र आहोर में वन भूमि संरक्षण हेतु चारदीवारी निर्माण की स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

29. विधान सभा क्षेत्र आहोर के आलावा 'सी' एवं हरजी कस्बे में मातृ वन की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गणेश घोगरा (वि.सं.39)

30. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में वर्षों से निवासरत आदिवासी लोगों को वनाधिकार में पट्टे दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

31. प्रदेश में सरकारी बंजर भूमि, वन विभाग की भूमि पर वृक्ष लगाने एवं उनकी पाचं वर्ष तक देख-रेख करने के संबंध में चर्चा के लिए।

32. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में चक मदुडी पंचायत के घाटा गांव में नगर परिषद द्वारा सड़ा गला, बदबूदार कचरा सामग्री डालने से पर्यावरण को हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (वि.सं.51)

33. विधान सभा क्षेत्र चित्तौडगढ़ के निलिया-मिंडकी महादेव वन क्षेत्र में इको ट्यूरिज्म विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

34. विधान सभा क्षेत्र चित्तौडगढ़ में ग्राम पंचायत अमरपुरा के मोडिया महादेव वन क्षेत्र में इको ट्यूरिज्म विकसित कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हाकम अली खां (वि.सं.197)

35. फतेहपुर (सीकर) में बन रहे नेचर पार्क के कार्य पर चर्चा एवं वन विभाग की भूमि पर स्थित गांव, स्कूलों, अस्पतालों व अन्य सरकारी कार्यालयों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रोहित बौहरा (वि.सं.139)

36. प्रदेश में एमएसएमई का पर्यावरण विभाग से संबंधता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संजय कुमार (वि.सं.169)

37. विधान सभा क्षेत्र बसेडी के कस्बा सरमथुरा एवं वन भूमि के अन्तर्गत बसे गांवों का भूमि डायवर्जन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)

38. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के वन क्षेत्र में Silvi Pastoral in Non IGNP मॉडल के तहत चारागाह विकास कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के वन क्षेत्र में वॉच टावर निर्माण कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के वन क्षेत्र में पक्का वाटर हॉल निर्माण कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. कोटा औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को चम्बल में प्रवाहित करने से दूषित हुए जल की नियमित जांच किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. कोटा में स्थापित उद्योगों द्वारा किये जा रहे पर्यावरण असंतुलन को दूर किये जाने हेतु पर्यावरण क्लीयरेंस की नियमित जांच किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भगवाना राम सैनी (वि.सं.104)

43. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में वन एवं पर्यावरण की स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री समरजीत सिंह (वि.सं.174)

44. वन विभाग भीनमाल जिला-जालोर द्वारा भीनमाल बागोज स्टेट हाइवे 16-ए पर निर्माणाधीन (Renewal) सड़क पर कार्य नहीं करने देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री श्रवण कुमार (वि.सं.167)

45. सरकार द्वारा वनों की अवैध कटाई को रोकने एवं विभाग को नये वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री उदयलाल भडाणा (वि.सं.22)

46. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में सघन वन वृक्षारोपण अभियान चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में वनों की सुरक्षा एवं एनजीटी की पालना में हो रही अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री उदयलाल भडाणा (वि.सं.22)

48. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में उद्योगों द्वारा किये गये पर्यावरण के संरक्षण एवं वनों के विकास के संबंध में चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में चारागाह भूमि व सड़क के दोनों छोर पर वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

50. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में दूषित पानी व धुंए से पर्यावरण को हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कान्ति प्रसाद (वि.सं.29)

51. सरिस्का क्षेत्र में वन कटाई व खनन माफियाओं की अवैध गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं.192)

52. विधान सभा क्षेत्र बून्दी स्थित बुधपुरा में नला का माताजी, ग्राम गुढ़ा, माला की मोई व अन्य वन भूमि में विभाग की सहमति से भारी मात्रा में खनिज दोहन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

53. प्रदेश के रामगढ़ अभ्यारण में टाइग्रेस, टाइगर, चीतल, हिरण आदि अन्य जानवरों की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

54. विधान सभा क्षेत्र बूंदी स्थित गरडदा बांध की बनने वाली नहरों, बूंदी, नमाना, शोपतपुरा सड़क व बरूधन डोराडानी, लम्बाखो देवजी गुढा वाली सड़क के निर्माण में आयी बाधा को दूर करने हेतु वन विभाग द्वारा अनापत्ति दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

55. बूंदी शहर में स्थित खसरा नं. 2 (रजत गृह) और खसरा नं. 3 (नव जीवन संघ) में बसे हजारों मकान और बस्तियों को वन विभाग की सीमा से निकालने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. रामगढ़ अभ्यारण्य को पूर्णतया विकसित करने हेतु गुमान बावड़ी के पास सॉफ्ट एनक्लोजर एवं कोर के अन्दर मेज नदी पर विभिन्न स्थानों पर एनिकट और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में खुरन्जा एवं सीसी सड़क बनाने हेतु बजट स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (वि.सं.50)

57. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की रेंज गुढाचन्दजी (प्रथम) में बजट आवंटित करवाने एवं रिक्त पदों को भरवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

58. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम (करौली) की गैर-मुमकिन पहाड़ों पर वन को संरक्षित रखने एवं वन भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण व खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.4)

59. प्रदेश की वन भूमि से अंग्रेजी बबूल हटाकर छायादार, फलदार एवं औषधीय पौधे लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.4)

60. अजमेर शहर में वन विभाग की भूमि पर बनी आवासीय बस्तियों के नियमन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. प्रदेश में वन विभाग के समस्त रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. प्रदेश के वन क्षेत्रों में खनन माफिया द्वारा विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे अवैध खनन को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. विधान सभा क्षेत्र अजमेर-दक्षिण में स्थित मदार, आदर्श नगर एवं तारागढ़ की वन भूमियों पर बजट में उल्लेखित नगर वन, वन पार्क एवं मातृ वन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूसिंह राठौड (वि.सं.101)

64. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में चारागाह विकास एवं वृक्षरोपण कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के खनन क्षेत्र में खदान मालिकों को वृक्षारोपण एवं सुरक्षा हेतु पाबंद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की ग्राम पंचायत नाथड़ाऊ एवं चामू में नवीन नर्सरी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में रेतीले टीबों पर वर्षो पुराने रोपित मृत पौधे के स्थान पर उचित प्रजाति के नये पौधे रोपित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. शेरगढ़ एवं बालेसर रेंज में विभिन्न संवर्ग के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जब्बर सिंह सांखला (वि.सं.57)

69. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के बदनोर उपखण्ड में विश्व प्रसिद्ध बेराठ माताजी के प्राचीन मंदिर हेतु नवीन सड़क बनाने के लिए वन विभाग की अनुमति प्रदान कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ताराचन्द (वि.सं.73)

70. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में वन विभाग की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों से उत्पन्न स्थिति एवं वन विभाग की जमीन पर शहरी पार्क बनाकर डवलपमेंट करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं.17)

71. भीलवाड़ा शहर के नजदीक स्थित हमीरगढ़ इको पार्क में पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा के लिए।

72. भीलवाड़ा शहर के समीप स्थित वनखण्ड सालरा, पांसल, आरजिया आदि में Man Animal Conflict को कम करने हेतु दीवार निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

73. भीलवाड़ा शहर के समीप स्थित वनखण्ड सालरा, पांसल, आरजिया आदि में जल एवं मृदा संरक्षण हेतु बीजारोपण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं.17)

74. वनखण्डों में प्राकृतिक पर्यटन एवं योग स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिए।

75. वनखण्डों में इको ट्यूरिज्म को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती रमीला खड़ीया (वि.सं.124)

76. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की पंचायत समिति सज्जनगढ़ के गांव गणेशपुरा के बसावट क्षेत्र में वन विभाग द्वारा फेंसिंग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री महेन्द्र पाल मीना (वि.सं.115)

77. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वन्य क्षेत्रों से गुजरने वाली सड़कों के निर्माण व मरम्मत किये जाने हेतु एनओसी के संबंध में चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में आरक्षित व अनारक्षित वनों के संबंध में चर्चा के लिए।

79. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वनों के संरक्षण हेतु अभियान चलाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

80. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में औद्योगिक इकाइयों से पर्यावरण के दूषित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं.19)

81. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में मरूस्थलीय वन क्षेत्र चौहटन में प्रकृति संरक्षण हेतु करीब 20 हैक्टेयर क्षेत्र में नगर वन विकसित करने अथवा पार्क स्थापित किये जाने पर चर्चा के लिए।

82. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में सेड़वा उपखण्ड मुख्यालय पर नवीन क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में रेतीले टीबों पर वर्षों पुराने रोपित मृत पौधों के स्थान पर नवीन प्रजाति के अधिकाधिक पौधारोपण किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नवीन वन्य चौकियां स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को रोकने हेतु नवीन कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अरूण चौधरी (वि.सं.11)

86. प्रदेश में वन विभाग की जमीन पर वर्षों से रहवासी ग्रामीण लोगों के बने हुए मकान की वास्तविकता को जांच कर भूमि के बदले भूमि देने की शर्त पर स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87. बालोतरा स्थित पचपदरा रिफाईनरी के चारों ओर 2 किमी ग्रीन बेल्ट बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. बालोतरा जिले के अन्तर्गत डोली, अराना ग्राम जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र से प्रवाहित पानी की 15 दिन में जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अरूण चौधरी (वि.सं.11)</u>

89. बालोतरा एवं बिठुजा में संचालित औद्योगिक इकाइयों को सीईटीपी की एनओसी दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. जोधपुर एवं पाली की औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रवाहित गंदे पानी को समय-समय पर उच्च अधिकारियों की टीम के द्वारा जांच कर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (वि.सं.108)</u>

91. विधान सभा क्षेत्र ओसियां की नगरपालिका तिवरी में वन्य जीवों के संरक्षण व उपचार के रेस्क्यू सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में वन्य जीवों के संरक्षण व उपचार हेतु पशु एम्बुलेन्स उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के उपखण्ड मुख्यालय ओसियां पर वन्य जीवों के संरक्षण व उपचार हेतु रेस्क्यू सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.80)</u>

94. राजसमंद जिले में पर्यावरण पर्यटन बढ़ाने की दृष्टि से लागू की गई लव कुश वाटिका योजना की प्रगति में शिथिलता एवं क्रियान्वयन के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. राजसमंद में अन्नपूर्णा माता पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद एवं जिले में आवासीय बस्तियों में तेंदूओं, पैंथर एवं अन्य जंगली वन्य जीवों की आवाजाही, मनुष्यों पर आक्रमण, पालतू पशुओं के शिकार से उत्पन्न स्थिति तथा इन पर नियंत्रण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद एवं जिले में वन आवरण क्षेत्रफल में विगत पांच वर्षों में हुए परिवर्तन तथा वनों की कटाई या संरक्षण के कारण इस आवरण पर पड़े प्रभाव के आंकलन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

98. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में नीलगाय (रोजड़ा) की संख्या पर नियंत्रण और इससे किसानों को होने वाली क्षति एवं दुर्घटनाओं से बचाव के उपायों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अतुल भंसाली (वि.सं.03)</u>

99. प्रदेश में वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए आधुनिकतम तकनीकी से सर्वे करवाकर शेष बची भूमि को चिन्हित कर वनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100. जोधपुर में राव जोधा मार्ग के दोनों ओर की वन भूमि पर नगरीय वनीकरण उद्यान, हर्बल उद्यान, ऑक्सीजन रिचार्ज उद्यान, वॉक-वे, फुलों की घाटी आदि के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अतुल भंसाली (वि.सं.03)</u>

101. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में वन भूमि पर विकसित ऐसी आवासीय बस्तियां जहां समस्त मूलभूत सुविधाओं का विकास हो चुका है, के बराबर भूमि अन्य स्थान पर प्राप्त, ऐसी बस्तियों के भूमि को डिनोटिफाई करवाने के लिए विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. प्रदेश में वन भूमि पर प्राकृतिक वर्षा जल संरक्षण इकाईयों और नदियों, झीलों के प्राकृतिक केचमेन्ट क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री देवेन्द्र जोशी (वि.सं.82)</u>

103. विभाग के समस्त कार्यालयों में विभागीय जांच के लंबित प्रकरणों में लंबित रहने के कारणों के जिम्मेदारों पर कठोर कार्यवाही कर लंबित प्रकरणों के निस्तारण अभियानपूर्वक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री भीम राज भाटी (वि.सं.107)</u>

104. सीईटीपी, पाली के प्रदूषित पानी को बान्डी नदी में छोड़ने से रोकने एवं नेहड़ा बांध को प्रदूषित होने से बचाने के संबंध में चर्चा के लिए।

105. सीईटीपी, पाली में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रामस्वरूप लाम्बा (वि.सं.136)</u>

106. प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु सघन वृक्षारोपण की कार्य योजना बनाकर ग्राम पंचायतों को पांच वर्ष तक देखभाल की जिम्मेदारी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. प्रदेश में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण को हो रहे नुकसान की भरपाई हेतु नीम, पीपल, बड़, बबूल आदि के बड़े वृक्ष लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के अवर्गीकृत वन क्षेत्र को पौधारोपण कर विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अमीन कागजी (वि.सं.09)</u>

109. सांगानेर में प्राचीन रंगाई-छपाई उद्योग से निकल रहे प्रदूषित पानी के लिये मुहाना में लगाये गये सी.ई.टी.पी. प्लाण्ट के कई दिनों से बंद पड़े होने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री विश्वराज सिंह मेवाड़ (वि.सं.156)

110. नाथद्वारा शहर में लोगों को पट्टा आवंटित करने के दशकों बाद वन विभाग द्वारा उसी भूमि को विभागीय भूमि मानने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

111. वनीकरण के सिद्धान्तों के विपरीत नाथद्वारा एवं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों, विशेष रूप से मगरों पर हो रही गतिविधियों से पर्यावरण पर पड़ रहे विपरीत प्रभावों को सुधारने के संबंध में चर्चा लिए।

श्री थावर चन्द (वि.सं.75)

112. प्रदेश में वनकर्मियों की डीपीसी की कार्यवाही को लंबित रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र धरियावद के वन क्षेत्रों में कराये गये विकास कार्यों के गुणवत्ताहीन होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

114. विधान सभा क्षेत्र धरियावद के वन क्षेत्रों में अधूरे पड़े मार्गों के निर्माण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (वि.सं.172)

115. कोटा में उम्मेदगंज स्थित पक्षी विहार कन्जर्वेशन रिजर्व का विकास कर इसे घना पक्षी विहार बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

116. अनन्तपुरा क्षेत्र में वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने हेतु चारदीवारी बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

117. अनन्तपुरा स्थित कणेश्वर के पास वन भूमि पर अरबन ग्रीन लंगस प्रस्ताव स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

118. मुकुन्दरा रिजर्व टाईगर में पर्याप्त स्टाफ न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

119. कोटा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुकुन्दरा टाईगर रिजर्व में बाघों को शिफ्ट कर इसका संचालन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं.72)

120. श्रीगंगानगर जिले में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा लाल श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों पर ठोस कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121. प्रदेश में खेजड़ी के पेड़ काटने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए नया कानून बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग या विभाग की प्रस्तावित जमीन, जिस पर वर्षों से आबादी बसी है, को वन विभाग से मुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में लव कुश वाटिका को विकसित करने के लिए बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. जालंधर (पंजाब) से केमिकलयुक्त पानी को सतलुज के माध्यम से हरि के बैराज के द्वारा राजस्थान प्रदेश की नहरों में आने से रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री छोटूसिंह (वि.सं.55)</u>

125. मरूस्थलीय क्षेत्र (जैसलमेर-बाडमेर) में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचाव हेतु प्राकृतिक ओरण का संरक्षण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

126. जैसलमेर जिले में सौलर कम्पनियों को आवंटित भूमि पर लगे प्राकृतिक खेजड़ी जाल, बोरड़ी, गुगलान, गुन्दी जैसे वृक्षों के सरंक्षण के संबंध में चर्चा के लिए।

127. जैसलमेर जिले में खनन प्रभावित सोनू लाइम स्टोन, जेठबाई, बरमसर, अमर सागर, बडा गांव आदि गांवों में प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अर्जुन लाल जीनगर (वि.सं.13)</u>

128. विधान सभा क्षेत्र कपासन में अंधाधुन्ध पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

129. प्रदेश में वन लगाने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयासों की क्रियान्विति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

130. निम्बाहेडा में जूलिलेन्ट फर्टीलाईजर कम्पनी, सिंहपुर तथा गणपति फर्टीलाईजर से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण पर चर्चा के लिए।

131. प्रदेश में पेड़ों की अवैध कटाई कर कोयला बनाने की भट्टियों को हटाने के संबंध में चर्चा के लिए।

132. हिन्दुस्तान जिंक लि. दरिबा और चन्देरिया से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>सुश्री नौक्षम (वि.सं.86)</u>

133. विधान सभा क्षेत्र कांमा में संचालित क्रेशरों से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने हेतु आवश्यक उपकरण लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

134. विधान सभा क्षेत्र कामां में गत एक वर्ष में पर्वतों पर स्थित धार्मिक स्थलों के संरक्षण हेतु पेड़ों की अवैध कटाई रोकने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास करने के संबंध में चर्चा के लिए।

135. विधान सभा क्षेत्र कामां के वन क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने हेतु कठोर कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिए।

136. विधान सभा क्षेत्र कामां के कामां, जुरहरा तथा पहाड़ी क्षेत्रों में संचालित क्रेशरों के प्रदूषण लाईसेंस की जांच करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री कालीचरण सराफ (वि.सं.30)</u>

137. जयपुर जिले के चारों तरफ वन भूमि पर सघन वृक्षारोपण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138. प्रदेश में वनकर्मियों व खनन माफियाओं की सांठ-गांठ से वन भूमि पर हो रहे अवैध खनन को रोक पाने में विफलता के संबंध में चर्चा के लिए।

139. रणथम्भौर नेशनल पार्क से बाघ गायब होने व बाघों की मौतों की जांच के लिये बनाई गई कमेटी रिपोर्ट सार्वजनिक करने तथा दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में चर्चा के लिए।

140. रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान की गवर्निंग कौंसिल की बैठक आयोजित नहीं करने व गवर्निंग कौंसिल की मंजूरी के बिना विभिन्न कार्यों पर राशि व्यय करने की जांच करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

141. जयपुर के नाहरगढ़, गढ़ गणेश तथा गलता के आस-पास क्षेत्रों की वन भूमि पर हो रहे कब्जे के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री गणेशराज बंसल (वि.सं.40)</u>

142. विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में अवस्थित कोहला वन खण्ड के वन्य जीवों के संरक्षण एवं उक्त क्षेत्र में वन्य जीवों के टकराव से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कोहला वन खण्ड के चारों तरफ चारदीवारी का निर्माण किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

143. विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में अवस्थित कोहला वन खण्ड में जैव विविधता के संरक्षण एवं बढोतरी के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री बालमुकुन्दाचार्य (वि.सं.102)</u>

144. विधान सभा क्षेत्र हवामहल के दिल्ली रोड़ मानबाग सड़वा मोड पर कब्रिस्तान के नाम पर वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने के संबंध में चर्चा के लिए।

145. विधान सभा क्षेत्र हवामहल के सड़वा में वन भूमि पर पहाड़ों को तोड़कर होटलों एवं मस्जिदों का निर्माण कर किये गये अतिक्रमण को हटाने के संबंध में चर्चा के लिए।

146. विधान सभा क्षेत्र हवामहल के गंगापोल, खाचरियावास हाउस में धारा 144 व स्टे होने के बावजूद वन विभाग की भूमि से पेड़ों की कटाई करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र हवामहल के शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, किशनबाग क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री देवी सिंह शेखावत (वि.सं.81)</u>

148. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के उपखण्ड नारायणपुर में प्राचीन गुणी वाले हनुमान जी मन्दिर से ताल वृक्ष तक वन क्षेत्र में सडक निर्माण हेतु शिथिलता देने के संबंध में चर्चा लिए।

149. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के उपखण्ड नारायणपुर की ग्राम पंचायत मुण्डावरा में वर्षों पुराने मोक्षधाम की भूमि को विभाग द्वारा स्वयं की बताने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

150. प्रदेश में आंशिक रूप से वन विभाग के अन्तर्गत आने वाली खानों के आवंटन में शिथिलता प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

151. उपखण्ड बानसूर में आंशिक रूप से वन विभाग के अन्तर्गत आ रही लेकडी से रामपुर रोड के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

152. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के उपखण्ड नारायणपुर में ऐतिहासिक स्थल ताल वृक्ष के वन क्षेत्र में श्रृद्धालुओं के लिए शौचालय का निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रशान्त शर्मा (वि.सं.95)

153. विधान सभा क्षेत्र आमेर में वन विभाग में आने वाले श्मशान के पास की भूमि को पार्क के रूप में विकसित करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यता पर चर्चा के लिए।

154. विधान सभा क्षेत्र आमेर स्थित वन विभाग के अधीन आने वाले क्षेत्रों में पूर्व में बनाये गये रास्तों के पुनरूद्धार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल (वि.सं.83)

155. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में बांसियाल खेतडी कन्जर्वेशन रिजर्व में समधेड़ा तालाब चौकी से ढाणी उसरिया तक चैनल फैंसिंग, पूर्व में निर्मित 4 फीट हाईट पक्की दीवार पर चैनल फैंसिंग एवं बांसियाल खेतड़ी कन्जर्वेशन रिजर्व में निर्मित 4 वन रक्षक चौकियों की सुरक्षा दीवार मय चेनल फैंसिंग की आश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के अधिकांश गांवों, ढाणियों में आवागमन हेतु सड़कों का निर्माण करने के लिए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति लेने की काफी जटिल प्रक्रिया में शिथिलता देते हुए इसको सरल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में बांसियाल खेतड़ी कन्जर्वेशन रिजर्व पौधशाला चिरानी अथवा समधेडा तालाब चौकी के पास एक ट्रेनिंग हॉल या मीटिंग हॉल बनाये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. विधान सभा क्षेत्र खेतडी में बांसियाल खेतड़ी कन्जर्वेशन रिजर्व के प्रवेश द्वार पर विद्युत कनेक्शन और एक ई-मित्र कियोस्क स्थापित करने हेतु विभागीय पहल तथा कन्जर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में पानी की सुविधा हेतु टयूबवेल निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के अंतर्गत बांसियाल खेतड़ी कन्जर्वेशन रिजर्व और बांसियाल खेतड़ी बागोर कन्जर्वेशन रिजर्व की सीमा पर पक्की दीवार बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपीचन्द मीणा (वि.सं.46)

160. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में जंगली सुअरों से किसानों की फसल को बचाने के लिए उलेला पीपलुद, खजुरी, बिलोढा, धोड़, भुहारीकला, बिजेण, सरसिया के वन भूमि की चारदीवारी का निर्माण कार्य करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

161. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में वन भूमि पर सघन वृक्षारोपण करवाने हेतु अतिरिक्त बजट स्वीकृत करवाने, वन भूमि पर हो रहे अवैध खनन को रोकने एवं जहाजपुर से गणेशपुरा रास्ते पर सड़क निर्माण करने की एनओसी देने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री मोतीराम (वि.सं.120)</u>

162. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के आदिवासी बाहुल्य पंचायतों व फलों में वनोपज की बिक्री हेतु पंचायत समिति मुख्यालय आबूरोड़ पर एक वनोपज मण्डी की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

163. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की आदिवासी बाहुल्य पंचायत समिति आबूरोड़ के विभिन्न गांवों व फलों में आवागमन हेतु रास्ते तरमीम करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

164. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की आदिवासी बाहुल्य पंचायत समिति आबूरोड़ के विभिन्न गांवों व फलों में वर्षो से निवासरत लोगों को वनाधिकार पट्टे दिलवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अंशुमान सिंह भाटी (वि.सं.01)</u>

165. बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र जयमलसर, नोखादैया, सुरजडा, खारी, गोयलरी, सालासर, बलाला, कोटडा, नाल आदि के गैर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित प्लास्टर आफ पेरिस व अन्य कारखानों से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण एवं उक्त कारखानों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट क्लेक्टर, वाटर स्क्रबर स्थापित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री संजीव कुमार (वि.सं.171)</u>

166. विधान सभा क्षेत्र भादरा के अनेक गांवों में वर्षों पुरानी आबादी की बसावट वाले रकबे को वन विभाग के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने के कारण आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

167. जिला हनुमानगढ़ में बिना मंजूरी पुराने टायर जलाकर अवशेष का संग्रहण करने वाली अवैध फैक्ट्रियों (कारखानों) की वजह से फैल रहे प्रदूषण से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

168. हनुमानगढ़-नोहर-भादरा से हिसार (हरियाणा) को जाने वाले स्टेट हाईवे के नवीनीकरण के दौरान काटे गए पेड़ों (वृक्षों) को संबंधित निर्माण कम्पनी द्वारा पुन: पौधारोपण नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र भादरा की विभिन्न नहरों, वितरिकाओं, माइनरों इत्यादि पर गत पांच वर्षों के दौरान अवैध रूप से हुई पेड़ों की कटाई की विस्तृत जांच किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र भादरा में वन विभाग की भूमि के समीप विभिन्न ईंट भट्टों से पेड़-पौधों एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान एवं वन भूमि में से ईंट भट्टों में जाने हेतु बने अवैध आवागमन के रास्तों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोरधन (वि.सं.47)

171. विधान सभा क्षेत्र धोद में वन विभाग के अन्तर्गत हर्ष पहाड़ को पर्यटन के रूप में विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

172. सीकर जिला मुख्यालय के आस-पास वन विभाग की खाली पड़ी भूमि पर विभाग द्वारा पौधारोपण व उद्यान तैयार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रूपिन्द्र सिंह कुन्नर (वि.सं.200)

173. श्रीगंगानगर जिले में ''एक पेड़ मां के नाम'' पर लगाये गये पेडों की स्थिति पर चर्चा के लिए।

174. पदमपुर (श्रीगंगानगर) में नवीन नर्सरी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

175. श्रीगंगानगर जिले में हिरणों के शिकार होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

176. प्रदेश में सौर ऊर्जा हेतु हरे वृक्ष काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

177. विधान सभा क्षेत्र करणपुर में हरे पेड़ काटने पर संबंधित तहसीलदार की जिम्मेदारी तय करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (वि.सं.62)

178. विधान सभा क्षेत्र मकराना में वन विभाग द्वारा पहाड़ी क्षेत्र को ईको-ट्यूरिज्म में विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179. विधान सभा क्षेत्र मकराना के औद्योगिक एवं खनिज क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं सुरक्षा हेतु संबंधित मालिकों को पाबंद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

180. विधान सभा क्षेत्र मकराना में गोचर चारागाह भूमि पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री उमेश मीणा (वि.सं.23)

181. उदयपुर संभाग में वन विभाग के अंतर्गत वर्षों से काबिज परिवारों के मकानों के पट्टे व खेती करने योग्य को खातेदारी दिलाने के संबंध में चर्चा के लिए।

182. प्रदेश व डूंगरपुर जिले में पेड़-पौधे लगाये जाने व उनके लिए पानी की व्यवस्था किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

183. डूंगरपुर जिले के वन क्षेत्र में लगाये गये पेड़-पौधों की स्थिति पर चर्चा के लिए।

184. विधान सभा क्षेत्र आसपुर के वन क्षेत्र आंतरी, पाल मन्डव, पाल कोकरवण्डा, नेपालपुरा, पाल मिथऊवा, खानन, खलील, सारवानी में एनीकट व तालाब बनवाने हेतु विभागीय पहल के संबंध में चर्चा के लिए।

185. विधान सभा क्षेत्र आसपुर के वन क्षेत्र में जीव-जन्तुओं को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री राम सहाय वर्मा (रैगर) (वि.सं.132)</u>

186. विधान सभा क्षेत्र निवाई के वन क्षेत्र में पौधारोपण कर विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री सुखवंत सिंह (वि.सं.65)</u>

187. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में रूंध एवं बंजर किस्म की भूमि को पौधारोपण कर विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

188. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ को ग्रेप की पाबंदी के कारण एनसीआर से मुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

189. प्रदेश में अरावली की पहा़डियों में अवैध खनन को रोकने हेतु विशेष टास्क फोर्स का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं.176)</u>

190. झालावाड़ जिले में वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से वन क्षेत्रों में किये जा रहे अवैध खनन को रोकने तथा खानपुर रेंज, बकानी रेंज, असनावर रेंज में कर्मचारियों की मिलीभगत से प्लांटेशन की चारदीवारी के पत्थर चोरी करके बेचे जाने की जांच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं.176)</u>

191. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के पनवाड क्षेत्र में काले हिरण तथा चिंकारा की बहुतायत होने से इनके संरक्षण के लिये रिजर्व अभ्यारण्य घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

192. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में गागरोन से नोलाव, नोलाव से लक्ष्मीपुरा, महुआ खेडा से कल्ला जी महाराज तक की सड़क निर्माण सहित क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों में वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

193. परवन वृहत सिंचाई के डूब क्षेत्र में आई वन विभाग की जमीनों पर काबिज किसानों को उनकी फसल कटने तक बेदखल नहीं किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

194. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में बाघेर, उम्मेदपुरा, हीचड, बोरदा, हरिगढ़, अण्टा, बोरखेडी नया गांव बंजारान, नया गांव ठाकरान, बांसघटी, दयाभाउ, कुआभाउ,

पनवासा, ठूंगनी, डडवाडा, जैतपुरा, इकवासा, हरिपुरा, नोलाव, लक्ष्मीपुरा, गागरोन, मंडावर, कोलाना, देवड़ी सहित वन क्षेत्र में पीढियों से खेती कर रहे आदिवासी समुदाय को वन अधिकार के पट्टे दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. ऋतु बनावत (वि.सं.24)

195. विधान सभा क्षेत्र बयाना के वन क्षेत्र में सिंघानिया, पटपरिपुरा, मन्नापुरा, दई बराहना सहित अन्य गांवों में विकास कार्यों, सड़क निर्माण हेतु वन विभाग की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

196. विधान सभा क्षेत्र बयाना की बाजना, कोट, जैसोरा, सिंघानिया, तरसूमा, बंदा बारेठा, बंशी पहाड़पुर, महलपुर चूरा व सिर्रोद ग्राम पंचायत में सैण्ड स्टोन की प्रमुखता होने के बावजूद इनके वन क्षेत्र में होने के कारण लीज नहीं होने से उक्त क्षेत्र को वन क्षेत्र से निकालकर खनन क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

197. विधान सभा क्षेत्र बयाना में स्थित बंध बारेठा सैंचुरी को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

198. विधान सभा क्षेत्र बयाना की कोट ग्राम पंचायत के रामपुरा में निर्माणाधीन 33/11 के.वी. जी.एस.एस के निर्माण के पश्चात् प्रसारण हेतु बिजली के खंभे तथा विद्युत तारों के निर्माण हेतु वन विभाग की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

199. विधान सभा क्षेत्र बयाना सहित भरतपुर जिले में स्थित क्रेशर, खनन कार्य, औद्योगिक इकाईयों व ईंट उद्योग से संबंधित इकाईयों को एनसीआर की ग्रेप चतुर्थ की पाबंदियों के कारण बंद करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (वि.सं.35)

200. वर्ष 2023-24 में जोजावर एवं देसुरी रेंज में बिना निर्माण कार्य किये भुगतान उठाने की जांच करने के संबंध में चर्चा के लिए।

201. प्रदेश की जोजावर एवं देसुरी वन्य रेंज से जुलीफलोरा वालों से वसूली करने के संबंध में चर्चा के लिए।

202. प्रदेश के जोजावर व देसुरी रेंज में वन्य जीवों द्वारा लोगों को मारने एवं घायल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

203. वन्य जीव राजसमंद रेंज, जोजावर व देसूरी में विधायक कोष से वर्ष 2023-24 में स्वीकृत एनीकटों एवं एमपीटी के बिना निर्माण भुगतान उठाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मनीष यादव (वि.सं.111)

204. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के बिदारा, अमरसर, बरवाड़ा, नांगलभरड़ा व हाथनोदा में लव कुश वाटिका स्थापित करने के संबंध में।

205. अलवर तिराहा (शाहपुरा-विराटनगर) स्थित संजय स्मृति वन के पुनरूद्धार के लिए राजस्थान जलवायु प्रतिक्रिया एवं परिस्थितिकीय तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना (सीआरईएसईपी) में शामिल करने के संबंध में चर्चा के लिए।

206. संजय स्मृति वन, अलवर तिराहा (शाहपुरा-विराटनगर) में मिनी जू स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

207. अलवर तिराहा (शाहपुरा-विराटनगर) स्थित संजय स्मृति वन के पुनरूद्धार हेतु बनाई गई डीपीआर के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं.48)</u>

208. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के वन क्षेत्र में पौधारोपण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री कालूराम (वि.सं.31)</u>

209. विधान सभा क्षेत्र डग में विभाग के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

210. विधान सभा क्षेत्र डग में पेडों की कटाई पर रोक लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री पब्बाराम विश्नोई (वि.सं.87)</u>

211. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में दिसम्बर, 2023 से दिनांक 28.02.2025 तक स्वीकृत हुए कार्यों में कार्य स्थल का नाम, अग्रिम कार्य की राशि, वृक्षारोपण कार्य की राशि व लगाये गये पौधों की संख्या एवं जीवित पौधों की संख्या आदि बिंदुओं के आधार पर उक्त कार्यों में हुई अनियमितता की वन विभाग द्वारा उच्च स्तरीय कमेटी बना कर जांच करने व दोषी कार्मिकों पर कार्यवाही के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री लक्ष्मण (वि.सं.140)</u>

212. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के वन क्षेत्रों में अवैध खनन एवं वन क्षेत्र में वृद्धि के लिए किये गये प्रयासों के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री छोटूसिंह (वि.सं.55)</u>

213. जैसलमेर जिले के डेजर्ट नेशनल पार्क (डीएनपी) के रहवासी गांवों के लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करावाने के संबंध में चर्चा के लिए।

214. जैसलमेर जिले में पर्यटन सड़कों एवं धार्मिक स्थल मन्दिर की सड़कों के पेरेलल पौधे लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अमित चाचाण (वि.सं.08)</u>

215. विधान सभा क्षेत्र नोहर में नेचर पार्क की स्वीकृति जारी कर निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

216. विधान सभा क्षेत्र नोहर में वर्ष 2024-25 में लगाये गये पौधों में से जीवित पौधों का सत्यापन करवाये जाने के संबंध में चर्चा क लिए।

217. विधान सभा क्षेत्र नोहर में वन विभाग की खाली भूमि में सघन औषधीय व फलदार पौधे लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं.178)

218. नेशनल घना पार्क बर्ड सैन्चूरी विरासत को संरक्षित करने के लिये नियमित पानी की आपूर्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती गीता बरवड़ (वि.सं.41)

219. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में रेस्क्यू वार्ड के संबंध में चर्चा के लिए।

220. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ में नर्सरी के संबंध में चर्चा के लिए।

221. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ मुख्यालय पर उपवन संरक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

222. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में वृक्षारोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं.126)

223. पश्चिमी राजस्थान में जंगली बबूल को पूर्ण रूप से नष्ट कर रेगिस्तान में वनों के विकास के लिये नयी कार्य योजना बनाकर ज्यादा से ज्यादा चारागाह का विकास एवं पेड़-पौधों की स्थानीय प्रजातियों को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिए।

224. बाड़मेर-जैसलमेर जिले में विभिन्न प्रकार के खनन कार्य एवं ऊर्जा उत्पादन कम्पनियों द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय नुकसान की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

225. वन विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों की समीक्षा कर उन्हें बढ़ाने, उन्हें कार्य स्थल पर आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने एवं रिक्त चल रहे पदों को नियमित भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

226. बाड़मेर-जैसलमेर जिले में स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ढाणियों एवं गांवों के निवासियों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

227. बाड़मेर-जैसलमेर जिले के डीएनपी क्षेत्र में किये जाने वाले विकास कार्यों हेतु परिवेश पोर्टल से एनओसी प्राप्त करने में लगने वाले अधिक समय में आने वाली परेशानियों के निवारण के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पितराम सिंह काला (वि.सं.88)

228. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के वन क्षेत्र से अवैध रूप से लकड़ियां काटकर हरियाणा सीमा में ले जाकर बेचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल (वि.सं.12)

229. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में वन क्षेत्र की भूमि पर मिलीभगत से हो रहे अतिक्रमण को नहीं हटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

230. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में पीपाड़शहर में मोगरिया नाडा पर पुनः नर्सरी स्थापित करवाने की आवयकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल (वि.सं.12)

231. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में स्थित बर-बिलाड़ा-जोधपुर (एनएचएआई) सड़क पर काटे गये पेड़ों के एवज में उक्त सड़क पर एनएचएआई द्वारा राशि जमा करवाने के उपरान्त भी लम्बी समयावधि से वृक्षारोपण नहीं करने पर आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिए।

232. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में ग्राम पड़ासला कलां एवं पड़ासला खुर्द के खसरे में वन विभाग के निर्माण से पहले की बसी आबादी को वन विभाग में सम्मिलित करने के कारण उत्पन्न स्थिति से पुन: सीमांकन कर आबादी को वन विभाग से बाहर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री चेतन पटेल कोलाना (वि.सं.53)</u>

233. प्रदेश में पूर्व मे हटाए गये वन मित्रों को उनके अनुभव के आधार पर वृक्षारोपण एवं वन्य जीवों में संवर्धन हेतु लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

234. बालूपा से संग्रामपुरा एवं फूसोद माताजी तक की सड़क एनओसी के अभाव में लम्बित रहने के संबंध में चर्चा के लिए।

235. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के कई गांवों में वन विभाग की भूमि होने से उन गांवों में आवश्यक विकास कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

236. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के कई गांवों में वन विभाग की भूमि होने से आबादी विस्तार एवं विकास कार्य बाधित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अंशुमान सिंह भाटी (वि.सं.01)</u>

237. राज्य वृक्ष खेजडी की कटाई की रोकथाम में निष्फलता से जनता में व्याप्त रोष की स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री कैलाशचन्द्र मीणा (वि.सं.37)</u>

238. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में अवैध बजरी खनन एवं सफेद पत्थर क्वार्टज खनन माफियाओं द्वारा अवैध खनन से पर्यावरण प्रभावित होने के संबंध में चर्चा के लिए।

239. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में वन भूमि में स्थित बिलदेश्वर महादेव नवाधरा, आमजीया मठ, आमजाबैणका, टाफबिलोदा आदि के लिए वन भूमि को विकसित करके भूमि आवंटन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

240. विधान सभा क्षेत्र गढी एवं बांसवाड़ा में माईनिंग एरिया त्रिपुरा सुंदरी पालोदा एवं वजवाना कोरो मण्डल सीमेन्ट प्लान्ट का संचालन होने से पर्यावरण प्रभावित होने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री लालाराम बैरवा (वि.सं.145)</u>

241. भीलवाड़ा के आशोप वन क्षेत्र शाहपुरा (काले हिरण) हेतु कंजर्वेशन रिजर्व व आखेट निषिद्ध करने हेतु बजट स्वीकृति कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

242. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेडा अन्तर्गत गांव करमडास (ढिकोला) के केरोलाई तालाब में वेटलेण्ड डवलपमेंट विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लालाराम बैरवा (वि.सं.145)

243. प्रसिद्ध धानेश्वर तीर्थ (छोटा पुष्कर) फुलियां कलां में व बनेडा में इको पार्क विकसित करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

244. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेडा के प्रसिद्ध चलाणिया भैरूनाथ मंदिर के पास वन क्षेत्र में लवकुश गार्डन विकसित करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

245. बोह्न बाडी नर्सरी फुलिया गेट-शाहपुरा की चारदीवारी निर्माण व ऑदी (ढ़ाणी बीड़) शाहपुरा में मातृ वन या सिटी पार्क बनाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री विनोद कुमार (वि.सं.153)

246. पीलीबंगा में अमृता देवी के नाम से हाईटेक रेसक्यू सेंटर की स्थापना, पीलीबंगा व रावतसर में कार्यालय भवनों का पुनर्निर्माण एवं रावतसर में वन्यजीव रेस्क्यू व नियमित गश्त हेतु केम्पर वाह्न, पीलीबंगा के लखासर में हिरणों व वन्यजीवों के लिए पानी के कुंड बनाने तथा हनुमानगढ-श्रीगंगानगर में ट्रैंकुलाइजर गन की घोषणा के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अनिल कुमार शर्मा (वि.सं.05)

247. सरदारशहर में नेचर पार्क की स्थापना करवाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

248. सरदारशहर रेंज में घायल वन्य प्राणियों को लाने एवं ले जाने के लिए रेस्क्यू व्हीकल उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

249. सरदार शहर रेंज में घायल वन्य प्राणियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए रेस्क्यू सेन्टर खोले जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री युनूस खान (वि.सं.121)

250. जिला मुख्यालय डीडवाना में मिनी जू खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

251. जिला मुख्यालय डीडवाना में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की मुख्य सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

252. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना की पंचायत समिति डीडवाना एवं मौलासर में नवीन नर्सरी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

253. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में पौधारोपण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

254. जिला मुख्यालय डीडवाना में उपवन संरक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भागचन्द टांकडा (वि.सं.106)

255. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के सांवलिया धाम करनावर में नगर वन स्थापना करने सहित अन्य विकास कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री ललित यादव (वि.सं.143)</u>

256. प्रदेश में वन क्षेत्रों में अधिकारियों के द्वारा की जा रही अवैध वसूली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

257. विधान सभा क्षेत्र भीम के वन क्षेत्र में सैकड़ों वर्षों से बसे सुहेरा खरेटा, खानपुर मेवान बेहरोज के लोगों को राहत देने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं.113)</u>

258. प्रदेश के वन क्षेत्रों में लकड़ी की अवैध कटाई को रोकने के संबंध में चर्चा के लिए।

259. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में विगत दो वर्षों में लगाये गये पेड़ों की समीक्षा के संबंध में चर्चा के लिए।

260. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के वन विभाग, राजगढ द्वारा अवैध परिवहन के वाहन छोडने एवं भ्रष्टाचार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

261. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के वन विभाग द्वारा राजगढ़ में फर्जी नरेगा मजदूरों को लगाकर भुगतान उठाने के संबंध में चर्चा के लिए।

262. वन विभाग, राजगढ द्वारा एक पंचायत से दूसरी पंचायतों में नरेगा मजदूर लगाकर भ्रष्टाचार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री जयकृष्ण पटेल (वि.सं.116)</u>

263. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में वन विभाग की जमीन पर काबिज लोगों को पट्टा देने/ नामान्तरण के संबंध में चर्चा के लिए।

264. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में वन विभाग द्वारा पट्टा आवंटन के आवेदनों के संबंध में चर्चा के लिए।

265. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में वन विभाग द्वारा दर्ज क्षेत्रफल के संबंध में चर्चा के लिए।

266. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में वन विभाग द्वारा संरक्षित भूमि के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अर्जुन लाल (वि.सं.12)</u>

267. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की नगरपालिका एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्लास्टिक थैलियों (कैरेज बैग) के हो रहे धड़ल्ले से प्रचलन की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिए।